

यूनियन बैंक

ऑफ़ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

समर्थवान
प्रगतिशील
समृद्ध भारत

Empowering Lives.
Enabling Progress.
Enriching India.



एकीकृत

वार्षिक रिपोर्ट

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

2025-26

अर्थपूर्ण वर्तमान

Purposeful Today

जिम्मेदारीपूर्ण भविष्य

Responsible Tomorrow

मजबूत बंधन

Stronger Together

**Same trusted banking,
now with a refreshed experience.**

**Seamless, secure
and simple banking
at your fingertips.**



Redesigned homepage with
dynamic backgrounds &
customizable "Quick tasks"



Instant access to your profile,
relationship managers and
account details



Enhanced accessibility for easy
registration and navigation



All payment methods in one
place for quick management



UniView – Link and view
balances from other banks



Customer Profile & Segmentation
for tailored insights

Scan to download Union Ease app ▶



(Toll Free No.) **1800 2333 / 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555**

 **9666606060** | www.unionbankofindia.bank.in | Follow us on      

अंदर के पन्नों में

बैंक के बारे में (पृष्ठ 1-17)	1	अंदर के पन्नों में
	3	कॉर्पोरेट सूचना
	4	रेटिंग
	5	संगठनात्मक संरचना (यथा दिनांक 31.03.2026 को)
	6	निदेशक मंडल
	12	सीवीओ/केएमपी/सीआरओ/एसएमपी/जीएम (यथा दिनांक 31.03.2026 को)
	17	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
संवहनीयता कार्यनीति (पृष्ठ 20-23)	20	मूल्य सृजन की गाथा: भारत के संवहनीय विकास का निर्माण
	22	पूँजी अंतर्संबंध
	23	बैंक की प्रतिक्रिया कार्यनीति - चार कार्यनीतिक स्तंभ
हमारी पूँजी (पृष्ठ 24-67)	24	वित्तीय पूँजी
	32	प्राकृतिक पूँजी
	49	बौद्धिक पूँजी
	53	मानव पूँजी
	59	विनिर्मित पूँजी
	62	सामाजिक और संबंध पूँजी
प्रकटीकरण मैपिंग (पृष्ठ 68-77)	68	जीआरआई मानक सूचकांक
	73	पुरस्कार एवं सम्मान
	76	बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ
नोटिस (पृष्ठ 78-94)	78	24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना
सांविधिक रिपोर्ट (पृष्ठ 95-208)	95	निदेशकों की रिपोर्ट
	106	प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण
	160	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

वित्तीय विवरण (पृष्ठ 209-342)

209	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)
218	स्टैंडअलोन तुलन पत्र
219	स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता
220	स्टैंडअलोन अनुसूचियां
293	स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण
295	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)
302	समेकित तुलन पत्र
303	समेकित लाभ एवं हानि खाता
304	समेकित अनुसूचियां
341	समेकित नकदी प्रवाह विवरण
343	बासेल III पूँजी विनियमन के अंतर्गत प्रकटीकरण
344	कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट
345	स्वतंत्र आश्वासन विवरण
350	हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

भविष्योन्मुखी कथन

इस रिपोर्ट में यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं। हम पाठकों को सावधान करते हैं कि कोई भी भविष्योन्मुखी कथन भविष्य के कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं देता है, और वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। भविष्योन्मुखी कथनों को 'हो सकता है', 'करेगा', 'तलाश करेगा', 'जारी रखेगा', 'लक्षित करेगा', 'पूर्वानुमान', 'लक्ष्य', 'अनुमानित', 'उम्मीद', 'अनुमान', 'इरादा', 'योजना', 'उद्देश्य', 'विश्वास', 'प्राप्त करेगा' या इसी तरह के शब्दों से पहचाना जा सकता है।

स्वभाव से, भविष्योन्मुखी कथनों में भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित जोखिम और अनिश्चितता शामिल होती है, जिसमें कानून में परिवर्तन, मानको एवं व्याख्याओं का विकास, ईएसजी रिपोर्टिंग पद्धतियों का विकास और हमारे नियंत्रण से परे बाहरी कारक शामिल हैं। ये कथन यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित है और महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। हमारी भविष्य की वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय वर्ष 2025-2026 की वार्षिक

रिपोर्ट में की गई है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लागू कानूनों और विनियमों के तहत हमारे दायित्वों के अधीन, हम नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं के परिणामस्वरूप या अन्यथा किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने या संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं लेते हैं।



एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

कॉर्पोरेट सूचना

श्रेणी	विवरण
प्रधान कार्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
ग्लोबल लोकेशन नंबर (जीएलएन)	8904368511166
वैध इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) कोड	5493000P4HD6132SQ711
निवेशक सेवाएं प्रभाग	यूनियन बैंक भवन, 12वां तल, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इकाई: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 & 32, फाईनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, हैदराबाद – 500032
डिबेंचर ट्रस्टी	1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भू तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400 001 2. कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड यूनिट सं.-901, 9वां तल, टावर-बी, पेनीसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013
कंपनी सचिव	सीएस आशीष मिश्रा
सचिवीय लेखापरीक्षक	मेसर्स रागिनी चोकसी एवं कं., कंपनी सचिव
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	मेसर्स छाजेड एंड डोसी, सनदी लेखाकार मेसर्स जीएस माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार मेसर्स पी. चंद्रशेखर एलएलपी, सनदी लेखाकार मेसर्स वी के लाढ़ा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
बीआरएसआर आश्वासन प्रदाता	मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रेटिंग

जारीकर्ता रेटिंग

एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग

जारीकर्ता ऋण रेटिंग

एसएसीपी

बीबीबी/ए-2

आउटलुक: स्थिर

बीबीबी-

आउटलुक: स्थिर

फिच रेटिंग लिमिटेड

दीर्घावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)

अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)

व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर)

बीबीबी

आउटलुक - स्थिर

एफ3

आउटलुक - स्थिर

बीबी

आउटलुक - स्थिर

जमा प्रमाण-पत्र

ए1+ स्थिर

आईसीआरए, इंडिया रेटिंग

अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड

एए+/स्थिर

क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क

टियर 2 बॉण्ड

एएए/स्थिर

क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग, आईसीआरए, ब्रिकवर्क

ईएसजी रेटिंग

CareEdge ESG 1+

केयर ईएसजी रेटिंग्स लिमिटेड

क्रिसिल: क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड, **केयर:** केयर रेटिंग लिमिटेड, **इंडिया रेटिंग:** इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, **आईसीआरए:** आईसीआरए लिमिटेड, **ब्रिकवर्क:** ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

संगठनात्मक संरचना

(यथा दिनांक 31.03.2026 को)





श्री आशीष पाण्डेय
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री आशीष पाण्डेय एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने अपने करियर की शुरुआत पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक से की थी। वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व, आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया।

आपके पास विविध पोर्टफोलियो के प्रबंधन का अनुभव है, जिसमें ऋण, ऋण अनुश्रवण, ट्रेजरी एवं व्यापार बैंकिंग, विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं संयुक्त उद्यम, विपणन एवं ग्राहक संबंध तथा बैंकिंग परिचालन शामिल हैं। तकनीकी-दक्ष बैंकर होने के नाते, आपने विचारों तथा नवाचारों को अपनाकर सफल डिजिटल बैंकिंग रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक तथा पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के दौरान आपने, पुनर्रचना, सामंजस्य, स्वचालन तथा डिजिटलीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तथा आपने वित्त एवं विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपने आईआईएम, रोहतक द्वारा संचालित एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन स्ट्रैटेजिक डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स - 2023 तथा हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के सहयोग से एगॉन ज़ेहंडर द्वारा आयोजित डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम - 2023 भी पूर्ण किया है। आपने आईआईएम बेंगलूरु द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप विकास कार्यक्रम तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।



श्री नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

श्री नितेश रंजन दिनांक 10 मार्च, 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं। आप बैंक के डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ा रहे हैं तथा तुलन पत्र अनुकूलन, ग्राहक अनुभव तथा मानव संसाधन विकास हेतु कार्यनीतिक पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। कारोबारी परिणामों को आगे बढ़ाते हुए, आप जोखिम तथा अनुपालन मानकों के निरंतर सुदृढीकरण पर ज़ोर देते हैं।

वर्ष 2008 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबद्ध, आपने ट्रेजरी परिचालन एवं कार्यनीति प्रमुख, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपने अपने करियर की शुरुआत भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की तथा बाद में आंध्रा बैंक में कार्य किया।

आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार हेतु आईबीए संचालन समिति के सदस्य हैं। इससे पूर्व, आपने एनपीसीआई, सूड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्विफ्ट इंडिया, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. तथा एफआईएमएमडीए (फिम्डा) के निदेशक मंडलों में कार्य किया है तथा इंडिया फॉरेक्स समिति (आईएफएक्ससी) के संस्थापक सदस्य रहे हैं।

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है तथा आईआईएम बेंगलूरु के लीडरशिप विकास कार्यक्रम को भी पूर्ण किया है। आपने सामाजिक पहलों में भी योगदान दिया है तथा वंचित युवाओं के लिए टीच इंडिया के स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम हेतु 100 दिन समर्पित किए हैं।



श्री रामसुब्रमणियन एस.
कार्यपालक निदेशक

श्री रामसुब्रमणियन एस. ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। आप विज्ञान में स्नातक हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) अहर्ता प्राप्त हैं।

अपने बैंकिंग करियर के दौरान, आपने अलग स्थानों और शाखा श्रेणियों में कार्य किया है, जिसमें प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखा और केनरा बैंक की हांगकांग शाखा तथा प्रधान कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं।

आप शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारियों में से एक हैं, आपने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित लीडरशिप विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भाग लिया है। आप आईबीए की कॉर्पोरेट ऋण के लिए स्थायी समिति के सदस्य हैं। आपको कोविड संबंधित ऋण पुनर्गठन हेतु कामथ समिति में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया है। आप परिचालन और प्रशासन दोनों में समान रूप से पारंगत हैं।



श्री संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक

श्री संजय रुद्र ने दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पूर्व, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाप्रबंधक तथा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आपके पास ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, एमएसएमई तथा समेकित जोखिम प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। आप ज्ञानार्जन एवं विकास (एल एंड डी) वर्टिकल के प्रभारी भी रहे हैं तथा आपने डिजिटल ऋण पहल के विकास परीक्षण का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी संभाला है।

आपने भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के एसोसिएट सदस्य हैं। आपने एफएसआईबी द्वारा आयोजित आईआईएम बेंगलूरु में लीडरशिप विकास कार्यक्रम में भाग लिया है तथा आईएसबी हैदराबाद द्वारा केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका के सहयोग से आयोजित ग्लोबल एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, आपने आईएसबी हैदराबाद से पब्लिक पॉलिसी में प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वरिष्ठ लीडरशिप टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, आपने बैंक की परिवर्तन पहलों का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाई। आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी महाराष्ट्र एंजीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

इसके अतिरिक्त, आपने यूनियन एएमसी प्रा. लि. तथा पीएसबी एलायंस प्रा. लि. के निदेशक मंडलों में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में आप स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्रा. लि., आईआईबीएम गुवाहाटी तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडलों में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जहां आप उच्चतम स्तर पर कार्यनीतिक निगरानी, गवर्नेंस तथा नीतिगत दिशा में योगदान दे रहे हैं।



श्री अमरेश प्रसाद
कार्यपालक निदेशक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व, श्री अमरेश प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थ थे।

आपके पास शाखा बैंकिंग, अंचल कार्यालयों से लेकर प्रधान कार्यालय स्तर तक का 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें कॉर्पोरेट ऋण, ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण, संव्यवहार अनुश्रवण आदि शामिल हैं।

आप रसायन विज्ञान में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) से प्रमाणित एसोसिएट हैं।

आपने विभिन्न प्रशिक्षण एवं लीडरशिप विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है तथा एसबीआईएल, कोलकाता में लीडरशिप विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। आपने वित्तीय सेवा संस्थान द्वारा संचालित आरोहण 2023 एफएसआईबी कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।



श्री रोहन चंद ठाकुर
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(दिनांक 13.05.2026 तक)

श्री रोहन चंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। वर्तमान में, आप भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक तथा आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

हिमाचल प्रदेश सरकार में अनुभव:

- हमीरपुर एवं शिमला के जिला आयुक्त।
- सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रबंध निदेशक।
- हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक।
- उत्पाद-शुल्क एवं कराधान आयुक्त।
- हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक।

आपने सिविल सेवाओं में शामिल होने से पूर्व, टीएसके के साथ कार्य किया है। आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवनिंग गुरुकुल फेलो भी हैं तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं।



डॉ. देबाशीष प्रुष्टि
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(दिनांक 13.05.2026 से)

डॉ. देबाशीष प्रुष्टि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपके पास लोक वित्त, संवहनीय विकास, विकास सहयोग तथा पर्यावरण एवं शहरी गवर्नेंस के क्षेत्र में नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

आपने वर्ष 2015 में विभिन्न देशों के साथ सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) मंच के शुभारंभ हेतु भारत की पहल में योगदान दिया, जब आप भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान आपने भारत की वार्ता टीम का प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 2016 में यूएनएफसीसीसी की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे।

आपको मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंधन विभाग से दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल. की उपाधि प्राप्त है। आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मैक्रो-अर्थशास्त्रियों के लिए वित्त के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त है।



श्री प्रकाश बलियारसिंह
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

श्री प्रकाश बलियारसिंह को दिनांक 14 जुलाई, 2023 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

आप भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे। आप एक पेशेवर केंद्रीय बैंकर थे और आपके पास भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग) के साथ 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है।

आपने अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। आप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ-साथ जोखिम एवं पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/उप समितियों के सदस्य भी थे। आपने अंतरराष्ट्रीय समितियों में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व भी किया है।

आपने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और आपने यूके के ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (वित्त) भी पूर्ण किया है। आपको भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप भी मिली है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं।



श्री सूरज श्रीवास्तव
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दिनांक 10.04.2026 तक)

श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह-सदस्य हैं तथा विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं।

आपको कराधान एवं लेखापरीक्षा में पेशेवर सनदी लेखाकार के रूप में 19 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रहा है। मेसर्स बत्रा सपरा एंड कंपनी के भागीदार के रूप में आपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों में सांविधिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा की हैं।

आपने आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षा भी पूर्ण की है।



डॉ. प्रीति जय राव
शेयरधारक निदेशक

डॉ. प्रीति जय राव को बैंक की शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है तथा आपने दिनांक 29/07/2024 को बैंक की निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया, जो दिनांक 28/07/2027 तक तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए है, तथा आप आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में विशेषज्ञता के साथ एम.एससी. (गणित) हैं। आप कारोबार मूल्य को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन तथा प्रक्रिया स्वचालन का उपयोग करने की प्रबल समर्थक हैं।

आपको सभी पाँच महाद्वीपों के ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 26 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। विभिन्न कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने सूचना प्रौद्योगिकी टीम का समर्थन और सॉफ्टवेयर सेवा प्रदान करने तथा बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रशिक्षण और व्यापक कर्मचारी आधार को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपका झुकाव ऐसे नेतृत्व कौशल की ओर है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान और दृष्टि दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही यह कल्पना करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार संगठनात्मक गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है, ताकि संगठनों को प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सके।

आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं।

आप विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसका लक्ष्य वंचित पृष्ठभूमि की प्रतिभाशाली युवा लड़कियों को वित्तीय सहायता, विशेष कोचिंग, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे मजबूत मूल्यों के साथ सशक्त, आत्मविश्वासी पेशेवर के रूप में आगे बढ़ सकें।



श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल

शेयरधारक निदेशक

श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया है और आपने दिनांक 26/07/2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 27/07/2024 को बैंक के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आपके पास भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों के साथ 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आप एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (खुदरा कारोबार – वैयक्तिक बैंकिंग और रियल एस्टेट) के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने एसबीआई जनरल इश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में ईडी एवं सीओओ सहित, एसबीआई में कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली हैं। आपको बैंकिंग, मानव संसाधन, परिचालन, बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता प्राप्त है। आपने मानव संसाधन, प्रशिक्षण, आईटी, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और गवर्नेंस में कई सुप्रसिद्ध पहलों का नेतृत्व किया है।

आपने एसबीआई फाउंडेशन तथा पीएसबी एलायंस लि. में नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है तथा आप सुदृढ़ गवर्नेंस के साथ पर्यावरण एवं समाज के प्रति योगदान देने में विश्वास रखते हैं।

आप वर्तमान में टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि., न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लि., एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लि., अर्ली सैलरी सर्विसेज प्रा. लि. तथा सोशल वर्थ टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के बोर्ड में कार्यरत हैं।

आपको वर्ष 2021 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ष 2021 में एसबीआई जीआई की ओर से कंपनी विद ग्रेट मैनेजर्स अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और एसबीआई में ज्ञानार्जन एवं विकास में आपकी अग्रणी पहलों के लिए वर्ष 2018 में एसबीआई के लिए ब्रैंडन हॉल अवार्ड प्राप्त किया है।

आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से एमए (अर्थशास्त्र) और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपके पास कई पेशेवर प्रमाणपत्र जैसे आईएसबी हैदराबाद से एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम (एसबीआई के लिए संकलित) और बर्कले यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ ग्लोबल एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम-एआईआईएमए भी हैं।

सीवीओ/केएमपी/सीआरओ/एसएमपी/जीएम (यथा दिनांक 31.03.2026 को)

मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री अजय कुमार सिंह

पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)



श्री पी. के. सामल
मुख्य अनुपालन अधिकारी



श्री अविनाश प्रभु
मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 31.01.2026 तक)



श्री धीरेन्द्र जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 01.02.2026 से)



श्री आशीष मिश्रा
कंपनी सचिव (दिनांक 28.01.2026 से)



श्री मंगेश मांद्रेकर
कंपनी सचिव (दिनांक 28.01.2026 तक)

मुख्य जोखिम अधिकारी



श्री अश्विनी चौधरी
(दिनांक 21.05.2026 तक)



सुश्री सौम्या श्रीधर
(दिनांक 22.05.2026 से)

मुख्य महाप्रबंधक (वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक)



श्री ए के विनोद



श्री प्रवीण शर्मा



श्री अभिजीत बसाक



श्री सुरेश चंद्र तेली



श्री बिजु वासुदेवन



श्री कबीर भट्टाचार्य



श्री अरुण कुमार



श्री अनिल कुरील

मुख्य महाप्रबंधक (वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक)



श्री एम रवीन्द्र बाबु



श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल



श्री जी. के. सुधाकर राव



श्री सर्वेश रंजन



श्री सुमित श्रीवास्तव
(दिनांक 01.04.2026 से)



श्री संजय नारायण



श्री बिरजा प्रसाद दास



श्री विपन सिंह



श्री प्रमोद कुमार रेड्डी
(दिनांक 01.04.2026 से)

महाप्रबंधक



श्री अमरेन्द्र कुमार



श्री शांतनु कुमार दाश



श्री आलोक कुमार



श्री विकास कुमार



श्री गोकुलानंद दास



श्री ज्ञान रंजन सारंगी



श्री राजीब लोचन पट्टनायक



श्री नवनीत कुमार



श्री मनोज कुमार



श्री विट्टल बनशंकरी



श्री विपिन कुमार शुक्ला



श्री राजीव कुमार झा



श्री शंकरलाल गुगुलोटु



श्री गिरिजा भूषण मिश्रा



श्री पी कृष्णन



श्री बैज नाथ सिंह



सुश्री रेणु के नायर



श्री अजय कुमार



श्री हरे कृष्णा दास



श्री हृषीकेश मिश्र



श्री सुनील कुमार जदली



श्री मनोज कुमार



श्री ओमप्रकाश श्रीनिवास करवा



श्री जितेंदर मणिराम



श्री एस सक्थिवेल



श्री मनोज कुमार नंदा



श्री गुना नंद गामी



श्री सी.वी.एन. भास्कर राव



श्री सत्यवान बेहेरा



श्री श्रीनिवास कुमार पत्रि



श्री सरोज कुमार दाश



श्री के महेंद्र रेड्डी



सुश्री अर्चना शुक्ला



श्री राजेश कुमार



श्री टी कामेश्वर राव



सुश्री शालिनी मेनन



डॉ. चेतना पाण्डेय



श्री रवि शंकर



सुश्री जूना रोस्लीन



सुश्री तजविंदर कौर



श्री कुमार राहुल



श्री चित्तारी अमरावती कल्याण वर्मा



श्री दिलीप मिश्रा



श्री सुजित एस. तारीवाल



श्री सुनील आहूजा



श्री संजीव कुमार



श्री अखिलेश कुमार



श्री लोकनाथ साहू



श्री हर मोहन साहू



श्री सत्यजीत महान्ति



डॉ. एच टी वासप्पा



श्री सिद्धार्थ किरण मुजुमदार



श्री राजेन्द्र कुमार



श्री राजकुमार एस ए



सुश्री वल्लुरु माधवी



श्री नीरज सिंह



श्री प्रशांत कुमार साहू



श्री शलज कुमार सिन्हा



श्री सुनील कुमार



श्री विकास बाबू चिट्टिप्रोलु



श्री प्रांजल बाजपेयी

आंतरिक लोकपाल



श्री एंथनी जूलियानो रोड्रिग्स



श्री धर्मवीर सिंह शेखावत

प्रमुख-टीबीडी एवं सीआरसी



श्री प्रसाद रामास्वामी



सुश्री कनिका पसरिचा

प्रमुख-डिजिटल कॉल सेंटर



श्री हितेश सिंदवानी

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश



श्री आशीष पाण्डेय

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1. बैंक का कारोबार

वित्तीय वर्ष 2025-26 बैंक के लिए एक और मील का पत्थर वर्ष रहा, जो मजबूत कारोबार गति, बेहतर वित्तीय मजबूती और हितधारकों के संवर्धित विश्वास को दर्शाता है।

बैंक ने ₹18,697 करोड़ का अपना अब तक का सर्वाधिक वार्षिक निवल लाभ अर्जित किया। यह कार्यनिष्पादन लाभप्रदता, दक्षता, गुणवत्तापूर्ण वृद्धि और विवेकपूर्ण तुलन पत्र प्रबंधन पर बैंक के निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

बैंक का वैश्विक कारोबार ₹23.86 लाख करोड़ के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें ₹13.07 लाख करोड़ की वैश्विक जमा और ₹10.79 लाख करोड़ की वैश्विक अग्रिम शामिल है।

बैंक की वित्तीय मजबूती का संरक्षण करते हुए, नकदी प्रबंधन, लाभप्रदता सुनिश्चित करने, पूंजी संरक्षण और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) जैसे प्रमुख वित्तीय मेट्रिक में सुधार करने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हमने लगभग ₹71,000 करोड़ की थोक जमा राशि को कम कर दिया। हमारा कासा अनुपात पिछले वर्ष के 33.51% से वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 35.20% हो गया, जो हमारी नई इकोसिस्टम बैंकिंग पहल की सफलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, खुदरा सावधि जमा एवं कासा में लगभग 11.40% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ लगभग ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। इसलिए, हमने थोक जमा के लिए कासा एवं आरटीडी का एक अच्छा कार्यनीतिक संतुलन बनाए रखा है, जो मार्च, 2025 में 73:27 की तुलना में वर्तमान में 79:21 है। लगभग 83.27% का मजबूत ऋण-जमा अनुपात भी संतुलित विकास और विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधन को दर्शाता है। सकल अग्रिम ₹10 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया, जो हमारी फ्रेंचाइज़ी की मजबूती और ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है। बैंक ने रैम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) अग्रिम में ₹5.98 लाख करोड़ तक पहुँचने के साथ संतुलित विकास दृष्टिकोण बनाए रखा। हमारा कार्यनीतिक लक्ष्य उच्च एनआईएम-संवर्धक रैम ऋण को बढ़ावा देना है, जिसमें रैम से कॉर्पोरेट ऋण

प्रिय सम्मानित शेयरधारकगण,

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग क्षेत्र ने लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुदृढ़ता एवं स्थिरता का प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ वर्षों में, विश्व ने कई व्यवधानों — कोविड-19 महामारी एवं रूस-यूक्रेन संघर्ष से लेकर बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य, टैरिफ संबंधी अनिश्चितताएँ और पश्चिम एशिया से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव का सामना किया है। इन सभी लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है, जो मजबूत घरेलू आधारभूत संरचनाओं, विवेकपूर्ण नीतिगत उपायों, वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता और इसके संस्थानों की मजबूती से समर्थित है।

इस परिप्रेक्ष्य में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भविष्य के लिए तैयार संस्थान की नींव को मजबूत करते हुए संवहनीय वृद्धि प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। “कारोबार सर्वोपरि, अनुपालन निरंतर” के हमारे सिद्धांत द्वारा निर्देशित, बैंक ने ग्राहक-केंद्रित विकास, परिचालन उत्कृष्टता, अनुशासित जोखिम प्रबंधन और उत्तरदायी बैंकिंग को निरंतर आगे बढ़ाया है।

अनुपात में पिछले वर्ष के 54:46 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55:45 तक सुधार हुआ है। खुदरा अग्रिम में 16.75%, एमएसएमई अग्रिम में 18.75% और कृषि अग्रिम में 2.75% की वृद्धि हुई, जो समावेशी और विविधीकृत ऋण वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। खुदरा पोर्टफोलियो के 99% से अधिक खातों का सिबिल स्कोर 700 से अधिक रहा और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के 95% से अधिक हिस्से की रेटिंग बीबीबी एवं उससे ऊपर रही है।

लाभप्रदता स्थिर रही, जिसमें आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.25%, इकिटि पर प्रतिलाभ 15.86% और निवल ब्याज मार्जिन 2.70% रहा। पूंजी सुदृढ़ता सीआरएआर 18.10% और सीईटी-1 अनुपात 15.69% के साथ मजबूत बनी रही, जो भविष्य की वृद्धि को समर्थन देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

संपत्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ, जिसमें सकल एनपीए घटकर 2.82% हो गया, निवल एनपीए में 0.48% तक सुधार हुआ, प्रावधान कवरेज अनुपात 95.03% तक मजबूत हुआ और ऋण लागत घटकर 0.23% हो गई है।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इकिटी शेयर ₹5 के रिकॉर्ड लाभांश की अनुशंसा की है, जो शेयरधारक मूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2. प्रमुख उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारोबार कार्यनिष्पादन, प्रौद्योगिकी, संवहनीयता और संस्थागतगत सम्मान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

बैंक का बाजार पूंजीकरण ₹1.0 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो निवेशकों और हितधारकों के बीच बेहतर विश्वास को दर्शाता है। बैंक को प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए जिनमें बेस्ट एमएसएमई बैंक अवॉर्ड, आईबीए बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवॉर्ड तथा बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं के लिए प्राप्त सम्मान शामिल हैं। समावेशी बैंकिंग पहलों और सुलभ डिजिटल समाधानों के लिए बैंक को एनसीपीईडीपी-एमफेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवॉर्ड्स में “रोल मॉडल ऑर्गनाइजेशन” के रूप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है।

वर्ष के दौरान, बैंक के बाह्य सम्मान प्रोफाइल में सुधार हुआ, जिसमें एस एंड पी तथा फिच सहित प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग में सुधार शामिल हैं, जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, बेहतर आधारभूत सिद्धांतों तथा संस्थागत सुदृढ़ता को दर्शाता है।

बैंक ने ईएसजी रेटिंग में सुधार के साथ अपने संवहनीयता साख को और सुदृढ़ किया, जिसमें केयर ईएसजी द्वारा केयरएज-ईएसजी 1+ की रेटिंग तथा संवहनीय वित्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत मूडीज़ द्वारा एसक्यूएस2 संवहनीयता गुणवत्ता स्कोर शामिल हैं।

ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों तथा हमारे ग्राहकों और हितधारकों के निरंतर विश्वास को दर्शाती हैं।

3. दीर्घकालिक कार्यनीति

यूनियन बैंक @2031 का विजन, भविष्य के लिए तैयार, तेज़, डिजिटल रूप से सशक्त, और उच्च-कार्यनिष्पादन करने वाली संस्था के निर्माण की हमारी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में हमने अपनी प्रमुख आकांक्षाओं को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रमुख कार्यनीतिक घटकों की पहचान के लिए एक 5-वर्षीय कार्यनीति दस्तावेज़ तैयार किया है।

हमारी कार्यनीति चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

डिजिटल | कार्यनीति | समाधान | इकोसिस्टम बैंकिंग

इन स्तंभों का उद्देश्य, ग्राहक संबंधों को मजबूत करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना, निष्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करना और संवहनीय मूल्य सृजन करना है।

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, बैंक अवसंरचना, विनिर्माण, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों, तथा उभरते उद्योगों के क्षेत्र में देश की विकास यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूनियन बैंक @2031 विजन के अंतर्गत, बैंक ने निम्नलिखित स्पष्ट कार्यनीतिक आकांक्षाओं की पहचान की है:

- **एमएसएमई कारोबार को दोगुना करना**, जो उद्यमिता, रोजगार सृजन, और भारत के विकास इंजन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
- 38% का कासा अनुपात प्राप्त करना, जिससे मजबूत ग्राहक संबंधों और इकोसिस्टम-आधारित बैंकिंग के माध्यम से जमा फ्रेंचाइजी की गुणवत्ता और स्थिरता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
- परिचालन दक्षता में सुधार करते हुए लागत-आय अनुपात को 45% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कारोबार की सुगमता, बैंक के भीतर डिजिटल बैंक के निर्माण द्वारा डिजिटल रूपांतरण, प्रक्रिया अनुकूलन, स्वचालन, और उन्नत उत्पादकता द्वारा समर्थित है।
- हमने अनुपालन और आश्वासन को बैंक के प्रमुख कार्यों के रूप में केंद्र में रखा है।
- निवेशक प्रतिलाभ बढ़ाने के प्रयास में, हमारा लक्ष्य 1.50% का आस्ति पर प्रतिलाभ प्राप्त करना है।

यूनियन बैंक @2031 विजन का लक्ष्य, भविष्य के लिए एक सक्षम, तेज़ एवं डिजिटल रूप से सशक्त संस्था तैयार करना है, जो विश्वास तथा राष्ट्र-निर्माण की अपनी सुदृढ़ विरासत पर आधारित होगी।

4. कार्यनीतिक कार्य

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल का शुभारंभ

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल का शुभारंभ संबंध-आधारित और प्रवाह-आधारित बैंकिंग की दिशा में एक कार्यनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। आज

संस्थान एक व्यापक इकोसिस्टम के भीतर कार्य करते हैं, जिसमें कर्मचारी, विक्रेता, ठेकेदार, सेवा प्रदाता, ग्राहक तथा लाभार्थी शामिल हैं। बैंक अब वैयक्तिक संबंधों से आगे बढ़कर संस्थागत एंकरों के निकट पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव स्थापित कर रहा है, जिससे गहरे संबंध विकसित होते हैं और कासा की मजबूत वृद्धि सुनिश्चित होती है।

सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, कॉरपोरेट्स, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों, एमएसएमई और उभरते कारोबार समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, जिसका प्रमाण 2025-26 में हमारे कासा अनुपात में आई वृद्धि तथा कासा के कुल स्तर में हुए महत्वपूर्ण बदलाव से मिलता है।

कार्यनीति एवं कारोबार उत्कृष्टता

कॉरपोरेट कार्यनीति एवं कारोबार उत्कृष्टता वर्टिकल को कार्यनीति, एनालिटिक्स, कारोबार उत्कृष्टता पहलों, प्रोजेक्ट प्रबंधन और कार्यनिष्पादन अनुश्रवण को एकीकृत करके रूपांतरण के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में सशक्त किया गया है। अनुसंधान, एनालिटिक्स, सीआर एवं एमआईएस तथा ईज़ जैसे प्रमुख कार्यों को एकीकृत फ्रेमवर्क में समाहित करते हुए, बैंक का उद्देश्य आंकड़े-आधारित निर्णय को सक्षम करना, समन्वय में सुधार लाना तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। इस रूपांतरण से त्वरित क्रियान्वयन, बेहतर ग्राहक अनुभव एवं संवहनीय कारोबारी वृद्धि में सुधार अपेक्षित है।

पुनर्गठित कॉर्पोरेट कार्यनीति एवं कारोबार उत्कृष्टता वर्टिकल ने प्रोजेक्ट मुस्कान, यूनियन इनोवेशन लीग आदि कई पहलें शुरू की हैं, जो एक संरचित बॉटम-अप एंजेलमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से फील्ड सहायता को सुदृढ़ करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल निगरानी को बेहतर बनाने, अनुपालन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा संपूर्ण बैंक में कार्यान्वयन को तेज करने के लिए लागू की गई हैं। बैंक ने शाखा उत्पादकता, परिचालन सुदृढ़ता और कार्यबल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान कई परिवर्तनकारी पहल की हैं, इसके साथ ही, केंद्रीकरण, स्वचालन, डिजिटल सोर्सिंग और सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह के माध्यम से शाखा कार्यभार को कम किया गया है।

डिजिटल रूपांतरण – कारोबार कार्यनीति का प्रमुख अंग

प्रौद्योगिकी, डेटा और नवाचार, मजबूत साइबर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और ग्राहक सुरक्षा फ्रेमवर्क को बनाए रखते हुए बैंकों के रूपांतरण की प्रक्रिया का समर्थन करना जारी रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं, इकोसिस्टम-आधारित बैंकिंग समाधान, प्रक्रिया स्वचालन तथा स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी डिजिटल अर्जन और सेवा क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। एआई-सक्षम समाधान, उन्नत एनालिटिक्स, डाटा आधारित निर्णय, हाइपर-स्वचालन तथा समाधान प्रणाली में निवेश के माध्यम से ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता तथा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने में सहायता मिल रही है। बैंक ने भारत की तीव्र गति से विस्तृत होती यूपीआई-आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपने डिजिटल भुगतान और लेनदेन बैंकिंग इकोसिस्टम को भी सुदृढ़ करना जारी रखा है।

डिजिटल रूपांतरण बैंक की कारोबारी कार्यनीति के केंद्र में बना हुआ है, जो स्केलेबल विकास, बेहतर ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता को सक्षम बनाता है। डिजिटल कारोबार वर्टिकल की स्थापना ने डिजिटल वितरण, ग्राहक प्रक्रिया, एनालिटिक्स -संचालित निर्णय लेने, स्वचालन और अगली पीढ़ी के बैंकिंग समाधानों पर बैंक के फोकस को सुदृढ़ किया है।

वसूली रूपांतरण

आस्ति गुणवत्ता को मजबूत करना और वसूली परिणामों में सुधार करना प्रमुख प्राथमिकताएँ बनी रहीं। बैंक ने केंद्रित अनुश्रवण, जवाबदेही, त्वरित समाधान तथा वसूली के विभिन्न माध्यमों में अधिक सहभागिता के माध्यम से वसूली तंत्र को संवर्धित किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान: सरफेसी के तहत लगभग ₹1,414 करोड़ की बिक्री मूल्य के साथ 2,013 संपत्तियाँ बेची गईं। लोक अदालत के माध्यम से लगभग ₹2,000 करोड़ के 68,702 खातों का निपटान किया गया है।

एमएसएमई क्लस्टर

एमएसएमई एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में बने हुए हैं। एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्रों, एमएसएमई-केंद्रित शाखाओं तथा क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण पहलों के माध्यम से, बैंक ग्राहकों को अनुकूलित समाधान प्रदान करते हुए उद्यमिता तथा समावेशी विकास को सुदृढ़ करने का कार्य निरंतर कर रहा है। हमने "वन-साइज-फिट्स-ऑल" दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं, अवसरों तथा चुनौतियों के अनुरूप विशेष क्लस्टर-आधारित योजनाएँ तैयार की हैं।

समाधान उत्कृष्टता

बैंक ने समाधान वर्टिकल की स्थापना की है, जिससे लेन-देन का समय पर समाधान एवं निपटान मजबूत हुआ है और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार आया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने प्रतिदिन लगभग 5.56 करोड़ लेनदेन का प्रबंधन करते हुए 2,030 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन का समाधान किया है।

मानव संसाधन रूपांतरण

बैंक ने क्षमता निर्माण, नेतृत्व विकास, कर्मचारी सहभागिता तथा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में निवेश को निरंतर जारी रखा है।

5. आश्वासन कार्य को सुदृढ़ करना –

आश्वासन कार्यों का सुदृढ़ीकरण बैंक की रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बना हुआ है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, आंतरिक लेखापरीक्षा, साइबर सुरक्षा, संव्यवहार अनुश्रवण, ईएसजी, ऋण अनुश्रवण तथा सतर्कता जैसे क्षेत्रों में गवर्नंस फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया है। यह कार्य पारंपरिक नियंत्रण-आधारित दृष्टिकोण से डेटा-आधारित एवं एनालिटिक्स-सक्षम प्रणालियों की ओर विकसित हो रहा है, जो पारदर्शिता में सुधार, निर्णय-निर्माण क्षमता में वृद्धि और ग्राहकों के विश्वास एवं विनियामक संरक्षण को मजबूत करते हुए संवहनीय वृद्धि का समर्थन करते हैं।

तीन-स्तरीय रक्षा मॉडल प्रभावी जोखिम स्वामित्व, स्वतंत्र अनुश्रवण तथा वस्तुनिष्ठ आश्वासन सुनिश्चित करता है। बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन नियंत्रण, बाजार जोखिम पर्यवेक्षण, धोखाधड़ी रोकथाम, ईएसजी जोखिम प्रबंधन तथा विनियामक अनुपालन को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। तकनीकी-सक्षम संव्यवहार अनुश्रवण, एनालिटिक्स-आधारित पर्यवेक्षण तथा मशीन लर्निंग-आधारित समाधान धोखाधड़ी की पहचान एवं ग्राहक संरक्षण को सशक्त बनाते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य स्वतंत्र रूप से नियंत्रणों एवं गवर्नंस पर आश्वासन प्रदान करना जारी रखे हुए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, परिचालन अनुशासन को सुदृढ़ करते हुए, 5,760 शाखाओं एवं इकाइयों में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण की गई है।

साइबर सुरक्षा बैंक की एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है, जिसके तहत मजबूत सुरक्षा फ्रेमवर्क, सुरक्षित एवं सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग परिचालन को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। सामूहिक रूप से, ये आश्वासन कार्य उत्तरदायी विकास, सुदृढ़ता तथा हितधारकों के विश्वास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बैंक, सख्त हमीदारी अंकन अनुशासन, ठोस प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली,

उन्नत लेन-देन अनुश्रवण, उन्नत समाधान प्रक्रिया तथा सशक्त स्लिपेज और दबाव प्रक्रिया के तत्परता से नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्ध है। समाधान, एएमएल, धोखाधड़ी अनुश्रवण, लेखापरीक्षा, अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन हेतु वर्टिकलों में एकीकरण से, गवर्नंस और आश्वासन के प्रति बैंक के दूरदर्शी दृष्टिकोण की झलक मिलती है।

6. सामाजिक उत्तरदायित्व

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया वित्तीय समावेशन, सुगम्यता, डिजिटल सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के माध्यम से समावेशी बैंकिंग और राष्ट्र-निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक ने अपने प्रयासों को समावेशी विकास, संवाहनीयता तथा सशक्तिकरण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संरचित करना जारी रखा है। यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीआईएसएफटी) के माध्यम से संचालित बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में समावेशी विकास पर केंद्रित है।

महिला सशक्तिकरण बैंक की कार्यसूची का एक प्रमुख स्तंभ बना रहा। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान ही, बैंक ने यूनियन नारी शक्ति योजना के अंतर्गत ₹560 करोड़ की राशि के 3,080 आवेदन मंजूर किए। अपने 42 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर-सेटी) के माध्यम से, बैंक ने संचयी रूप से 4.33 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें नियोजन अनुपात 73% रहा है, जिससे उद्यमिता तथा आजीविका सृजन को बल मिला है।

वित्तीय समावेशन एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2026 तक ₹15,964 करोड़ की शेषराशि सहित, 3.40 करोड़ खातों तक पहुंच सुनिश्चित किया है। बैंक ने पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि तथा पीएम सूर्य घर योजनाओं के अंतर्गत भी उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी संवहनीयता एवं ईएसजी एजेंडा को हरित वित्तपोषण में वृद्धि, सुदृढ़ जलवायु जोखिम गवर्नंस तथा उत्तरदायी बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से और भी मजबूती प्रदान की है। बैंक का हरित वित्त पोर्टफोलियो ₹37,435 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें ₹33,572 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण शामिल है, जो संवहनीय एवं उत्तरदायी वृद्धि के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

7. दृष्टिकोण

बैंक संवहनीय वृद्धि, ग्राहक उत्कृष्टता, डिजिटल रूपांतरण, सुदृढ़ गवर्नंस तथा उत्तरदायी बैंकिंग पर निरंतर केंद्रित है। मजबूत तुलन पत्र, सुदृढ़ पूंजी स्थिति, आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा स्पष्ट कार्यनीतिक रोडमैप के साथ, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारत की विकास यात्रा को समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त रूप से तैयार है।

मैं अपने शेरधारकों, ग्राहकों, विनियामक संस्थाओं, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सभी हितधारकों के प्रति उनके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण की भी सराहना करता हूँ, जिनकी प्रतिबद्धता हमारी संस्था को निरंतर सुदृढ़ बना रही है। हम सभी मिलकर एक सशक्त यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के निर्माण तथा एक मजबूत भारत के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

श्री आशीष पाण्डेय
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



मूल्य सृजन की गाथा: भारत के संवहनीय विकास का निर्माण

कार्यकारी सारांश: बैंक के मूल्य सृजन की प्रक्रिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्यनिष्पादन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार एकीकृत सोच बैंकिंग को केवल लेन-देन आधारित संबंधों से आगे बढ़ाकर संवहनीय मूल्य सृजन में परिवर्तित करती है। बैंक ने ₹18,697 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ₹17,987 करोड़ की तुलना में 3.95% की वृद्धि दर्शाता है। घटते ब्याज दर परिवेश के कारण - परिचालन लाभ में नरमी आने के बावजूद यह निरंतर आय वृद्धि - इस बात को दर्शाती है कि सभी छह पूँजी घटकों के बीच कार्यनीतिक एकीकरण किस प्रकार समावेशी विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और डिजिटल नवाचार को एक साथ आगे बढ़ाता है।

बैंक के रूपांतरण प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष 2025-26 एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। वैश्विक अग्रिम राशि पहली बार ₹10 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण स्तर को पार करते हुए ₹10,78,611 करोड़ तक पहुँच गई। आस्ति गुणवत्ता ने एक दशक से अधिक समय में अपना सर्वोत्तम स्तर हासिल किया, जहाँ सकल एनपीए अनुपात घटकर 2.82% रह गया — जो वित्तीय वर्ष 25 की तुलना में 78 बेसिस पॉइंट तथा वित्तीय वर्ष 24 की तुलना में 194 बेसिस पॉइंट का सुधार दर्शाता है। प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़कर 95.03% हो गया, जिसने भविष्य में संभावित ऋण हानियों के विरुद्ध एक सुदृढ़ बफर प्रदान किया। पूँजी पर्याप्तता भी 18.10% के सीआरएआर स्तर पर मजबूत बनी रही, जो बासेल III के 11.5% के विनियामकीय न्यूनतम मानक से काफी अधिक है।

बैंक का कोर मूल्य प्रस्ताव: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के संवहनीय आर्थिक रूपांतरण का एक प्रमुख उत्प्रेरक है, जो अपनी 8,697 शाखाओं और 28,035 कारोबारी प्रतिनिधि पॉइंट्स के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु-सकारात्मक वित्तपोषण और डिजिटल नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लाखों व्यक्तियों, किसानों, छोटे व्यवसायों और समुदायों की सेवा करने की बैंक की 107 वर्षों की विरासत आज भी एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के रूप में उसके उद्देश्य और कार्यदृष्टि का मार्गदर्शन करती है।

बैंक के मूल्य सृजन का मॉडल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मूल्य सृजन मॉडल इसकी छह पूँजियों - वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानव, सामाजिक एवं संबंध और प्राकृतिक - की मुख्य कारोबारी गतिविधियों में एकीकृत तैनाती पर आधारित है। बैंकिंग परिचालन के माध्यम से इन पूँजियों की परस्पर क्रिया सभी हितधारकों के लिए संवहनीय वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य उत्पन्न करती है।

बैंक के इनपुट में इक्विटी, जमा और उधार के रूप में वित्तीय पूँजी शामिल है; अपनी शाखा, एटीएम और बीसी नेटवर्क के रूप में निर्मित पूँजी; बौद्धिक पूँजी जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी प्रणाली और साइबर सुरक्षा क्षमताएं शामिल हैं; 73,885 प्रशिक्षित और प्रेरित कर्मचारियों के रूप में मानव पूँजी; ग्राहक विश्वास, सरकारी भागीदारी और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से निर्मित सामाजिक एवं संबंध पूँजी; और प्राकृतिक पूँजी 2035 तक जलवायु-सकारात्मक वित्त और नेट-जीरो परिचालन लक्ष्यों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।

इन इनपुट को बैंक की कारोबारी गतिविधियों - कॉर्पोरेट और खुदरा ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, ट्रेजरी परिचालन और ईएसजी-लिंकड वित्तपोषण के माध्यम से बदल दिया जाता है - ताकि सभी हितधारक समूहों में मूल्य पैदा करने वाले परिणाम उत्पन्न किए जा सकें। बैंक के परिणामों में ₹18,697 करोड़ का निवल लाभ, ₹1,18,000+ करोड़ का डिजिटल कारोबार संग्रहण, ₹37,435 करोड़ का हरित वित्त पोर्टफोलियो, एएनबीसी का 41.04% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और आरसेटी के माध्यम से 4.33 लाख व्यक्तियों का प्रशिक्षण शामिल है।

हमारी छह पूँजी — इनपुट एक नजर में (मार्च 2026)

पूँजी	प्रमुख इनपुट / संसाधन
वित्तीय पूँजी	वैश्विक जमा ₹13,06,891 करोड़ सीआरएआर 18.10% मजबूत प्रतिधारित अर्जन भारत सरकार इक्विटी (74.76%)
विनिर्मित पूँजी	8,697 शाखाएं 8,656 एटीएम 28,035 कारोबार प्रतिनिधि पॉइंट विदेशी स्थिति (दुबई, सिडनी)
बौद्धिक पूँजी	15+ एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया एआई/एमएल प्लेटफॉर्म साइबर सुरक्षा सीओई फिनेकल सीबीएस
मानव पूँजी	73,885 कर्मचारी 31.24 ज्ञानार्जन घंटे/कर्मचारी/तिमाही आईएसओ 30414:2025 ढांचा
सामाजिक एवं संबंध पूँजी	ग्राहक विश्वास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्रतिबद्धता सरकारी भागीदारी 42 आरसेटी यूबीएसएफटी
प्राकृतिक पूँजी	₹37,435 करोड़ ग्रीन पोर्टफोलियो पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता नेट-जीरो 2035 ईएसजी गवर्नेंस ढांचा

मूल्य निर्माण परिणाम वित्तीय वर्ष 2025-26

परिणाम श्रेणी	प्रमुख उपलब्धियां	हितधारक प्रभावित
वित्तीय मूल्य	निवल लाभ ₹18,697 करोड़ आरओए 1.25% आरओई 15.86% ईपीएस ₹24.49 जीएनपीए 2.82%	शेयरधारक
डिजिटल मूल्य	₹1,18,000+ करोड़ डिजिटल कारोबार 15+ डिजिटल प्रक्रिया 75+ लाख यूवीकॉन उपयोगकर्ता	ग्राहक
समावेशी मूल्य	पीएसएल 41.04% ₹1,83,394 करोड़ कृषि ऋण यूवी 3.40 करोड़ खाते एसएचजी ₹33,212 करोड़	समुदाय
सामाजिक मूल्य	सीएसआर ₹61.69 करोड़ स्वीकृत आरसेटी 4.33 लाख प्रशिक्षित पीएम विश्वकर्म 15,191 कारीगर	सोसाइटी
पर्यावरणीय मूल्य	ग्रीन पोर्टफोलियो ₹37,435 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा ₹33,572 करोड़ नेट-जीरो 2035	पर्यावरण
मानव मूल्य	23.10 लाख ज्ञानार्जन घंटे 42 लीडरशिप कार्यक्रम 867 कार्यपालक प्रशिक्षित	कर्मचारी
आर्थिक मूल्य	₹10,78,611 करोड़ ऋण 9.74% अग्रिम वृद्धि ₹5,484 करोड़ कर प्रावधान	अर्थव्यवस्था / सरकार

महत्वपूर्णता और हितधारक प्राथमिकताएं

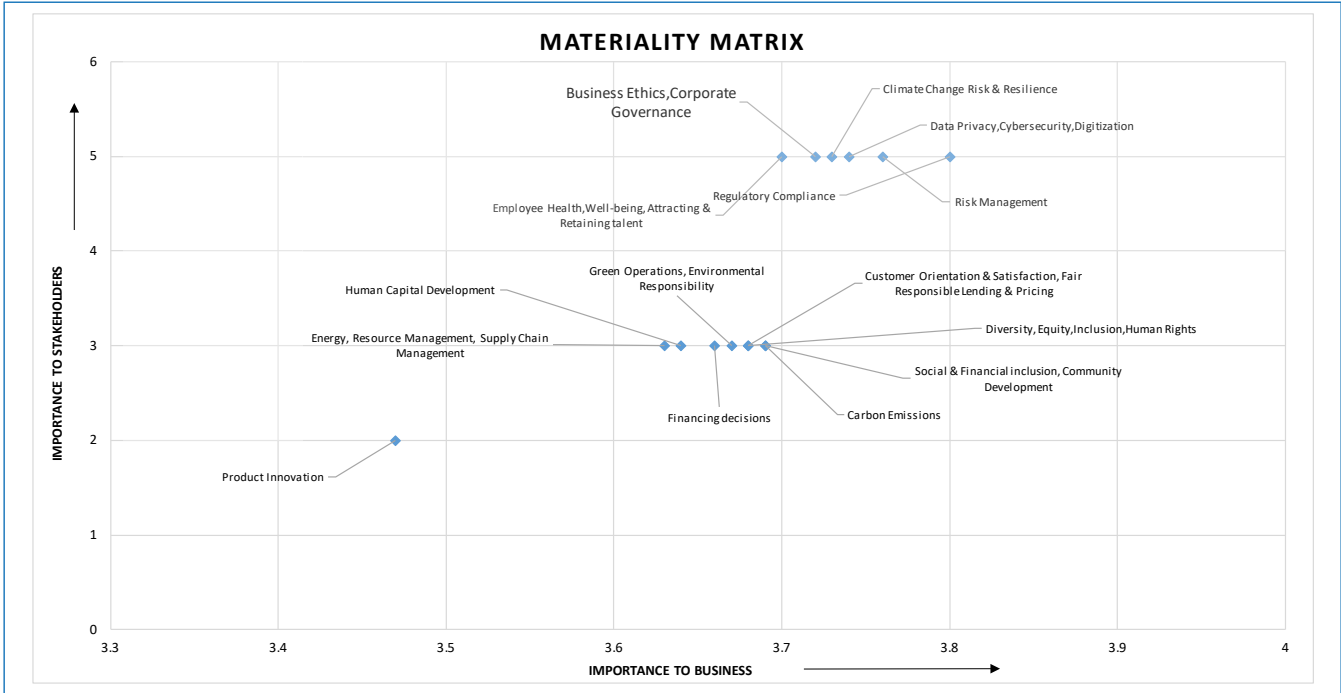
बैंक के नवीनतम ईएसजी महत्वपूर्णता मूल्यांकन में, 15 प्रमुख ईएसजी विषयों की जांच की गई, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं और धारणा-आधारित से प्रभाव-संचालित महत्वपूर्णता में बदलाव को दर्शाते हैं। परिणामी महत्वपूर्णता मेट्रिक्स के आधार पर, कारोबार नैतिकता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, विनियामक अनुपालन, जलवायु परिवर्तन जोखिम और सुदृढ़ता, और डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और डिजिटलीकरण एवं कर्मचारी स्वास्थ्य, कल्याण, प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने पर ईएसजी विषयों की पहचान कारोबार तथा हितधारकों दोनों के लिए सर्वोच्च महत्व के रूप में की जाती है।

महत्वपूर्णता प्राथमिकता	ईएसजी विषय	हितधारक महत्व
सर्वाधिक महत्वपूर्ण	कारोबार नैतिकता एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जलवायु परिवर्तन जोखिम तथा सुदृढ़ता जोखिम प्रबंधन विनियामक अनुपालन कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण, प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना	उच्चतर
अधिक महत्वपूर्ण	ग्राहक अभिमुखीकरण और उचित ऋण	उच्च
महत्वपूर्ण	हरित परिचालन सामाजिक और वित्तीय समावेशन विविधता, इंकुबिटी और समावेशन	मध्यम- उच्च
मध्यम महत्वपूर्ण	मानव पूंजी विकास कार्बन उत्सर्जन	मध्यम
उभरता हुआ	ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उत्पाद नवाचार	मोडरेट

हितधारक मूल्य प्रस्ताव

हितधारक	मूल्य वितरित किया गया
ग्राहक	15+ डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से वर्धित डिजिटल अनुभव बैंकिंग सेवाओं तक समावेशी पहुंच जीवनशैली विकल्पों के साथ संवहनीय उत्पाद
शेयरधारक	बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न निवल लाभ ₹18,697 करोड़ ईपीएस ₹24.49 बही मूल्य ₹154.41/शेयर पारदर्शी गवर्नेंस
कर्मचारी	करियर विकास 23.10 लाख ज्ञानार्जन घंटे समावेशी कार्यस्थल आईएसओ 30414:2025 मानव पूंजी रिपोर्टिंग
समुदाय	आर्थिक विकास वित्तीय समावेशन पर्यावरण प्रबंधन 4.33 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए आरसेटी प्रशिक्षण
विनियामक	अनुपालन उत्कृष्टता जोखिम प्रबंधन लीडरशिप बाजार स्थिरता 100% विनियामक अनुपालन रखरखाव
पर्यावरण	जलवायु-सकारात्मक वित्तपोषण ₹37,435 करोड़ नेट-जीरो 2035 प्रतिबद्धता पीसीएफ हस्ताक्षरकर्ता ऋण निर्णयों में ईएसजी एकीकरण

महत्वपूर्णता मेट्रिक्स



पूंजी अंतर्संबंध

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की छह पूंजी मजबूती से अंतर्संबंध हैं, जिनमें एक पूंजी में सृजित मूल्य है, जो दूसरों में मूल्य निर्माण को सुदृढ़ एवं बढ़ाता है. यह एकीकृत दृष्टिकोण बैंक के मॉडल को विशुद्ध रूप से वित्तीय लाभ-अधिकतमकरण ढांचे से अलग करता है और इसे समग्र, दीर्घकालिक हितधारक मूल्य के घटक के रूप में स्थापित करता है.

पूंजी	यह अन्य पूंजी को कैसे सक्षम बनाता है
वित्तीय पूंजी	निधि तकनीकी एवं डिजिटल रूपांतरण (बौद्धिक पूंजी) वित्त शाखा विस्तार और आधुनिकीकरण (विनिर्मित पूंजी) सीएसआर निवेश और आरसेटी परिचालन को सक्षम बनाता है (सामाजिक पूंजी) ग्रीन बॉण्ड जारी करने और ग्रीन वित्त विकास का समर्थन (प्राकृतिक पूंजी)
बौद्धिक पूंजी	डिजिटल प्लेटफॉर्म लागत कम करते हैं और दक्षता में सुधार करते हैं (वित्तीय पूंजी) स्केलेबल ग्राहक सेवा वितरण को सक्षम करता है (विनिर्मित पूंजी) शक्तियां एआई/एमएल-संचालित लर्निंग प्रणाली (मानव पूंजी) ईएसजी डेटा एनालिटिक्स जलवायु जोखिम मूल्यांकन को सक्षम करता है (प्राकृतिक पूंजी)
विनिर्मित पूंजी	व्यापक शाखा/बीसी नेटवर्क वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है (सामाजिक पूंजी) डिजिटल नवाचारों को तैनात करने के लिए प्लेटफॉर्म (बौद्धिक पूंजी) कार्यालयों में हरित भवन और नवीकरणीय ऊर्जा (प्राकृतिक पूंजी) बैंकिंग परिचालन से राजस्व (वित्तीय पूंजी)
मानव पूंजी	कुशल कर्मचारी ऋण वृद्धि और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं (वित्तीय पूंजी) कर्मचारी नवाचार डिजिटल रूपांतरण का समर्थन करता है (बौद्धिक पूंजी) सामुदायिक कार्यक्रम और वित्तीय साक्षरता (सामाजिक पूंजी)
सामाजिक एवं संबंध पूंजी	ग्राहक विश्वास व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देता है (वित्तीय पूंजी) मार्केट इंटेलिजेंस उत्पाद नवाचार को सूचित करता है (बौद्धिक पूंजी) विस्तार और परिचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस (विनिर्मित पूंजी)
प्राकृतिक पूंजी	हरित वित्त ने नए राजस्व स्रोत उत्पन्न किए (वित्तीय पूंजी) जलवायु जोखिम मूल्यांकन क्रेडिट गुणवत्ता को बढ़ाता है (वित्तीय पूंजी) हरित उत्पाद ईएसजी के प्रति जागरूक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं (सामाजिक पूंजी)

बैंक की प्रतिक्रिया कार्यनीति - चार कार्यनीतिक स्तंभ

1. वित्तीय सुदृढ़ता और लाभदायक विकास

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार, निधि की लागत को अनुकूलित करने, शुल्क-आधारित आय बढ़ाने और पूंजी को कुशलतापूर्वक तैनात करने के माध्यम से लाभप्रदता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। ₹13,103 करोड़ से ₹9,922 करोड़ तक के प्रावधानों में गिरावट परिचालन लाभ को मॉडरेट करने के बावजूद निवल लाभ की वृद्धि को सक्षम करने वाला महत्वपूर्ण घटक था। जीएनपीए अनुपात 2.82% पर एक दशक में अपने सबसे कम स्तर था, और नई स्लिपेज 30.8% से ₹7,867 करोड़ तक कम हो गई थी।

2. डिजिटल-फ़र्स्ट ग्राहक अनुभव

बैंक के उत्पाद-केंद्रित से ग्राहक-केंद्रित मॉडल में बदलाव को 15+ डिजिटल ऋण और जमा प्रक्रियाओं के विस्तार के माध्यम से परिचालित किया गया था। डिजिटल कारोबार संग्रहण ₹1,18,000+ करोड़ तक बढ़ गया, जो बैंक के तकनीकी निवेश के वाणिज्यिक प्रभाव को दर्शाता है। यूवीकॉन व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने वर्ष के दौरान 4.50 करोड़ अनुरोधों की सेवा के साथ 75+ लाख उपयोगकर्ताओं को प्राप्त किया।

3. समावेशी बैंकिंग एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उत्कृष्टता

40% बेंचमार्क के सापेक्ष 41.04 % प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्राप्त करते हुए बैंक ने वित्तीय समावेशन में अपना लीडरशिप बनाए रखा। कृषि ऋण ₹1,83,394 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को ऋण ₹97,787 करोड़ था – जो 10% एएनबीसी बेंचमार्क से काफी अधिक है। बैंक का बीसी नेटवर्क 28,035 पॉइंट तक विस्तारित हुआ, जो दूरदराज के भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।

4. संवहनीय बैंकिंग ईएसजी लीडरशिप

हरित वित्त पोर्टफोलियो 30.7% से ₹37,435 करोड़ तक बढ़ गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण ₹33,572 करोड़ तक पहुंच गई। पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता बनने वाले भारत के पहले प्रमुख बैंक के रूप में, यूनियन बैंक ने पारदर्शी जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग में अग्रणी भूमिका निभाई। ₹5,000 करोड़ के ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने की योजना बनाई गई है, जिससे बैंक को भारत के कुछ सबसे बड़े ग्रीन बॉण्ड जारीकर्ताओं में शामिल होने की उम्मीद है।



वित्तीय पूंजी

लाभप्रदता बनाए रखना | पूंजी संरक्षण | हितधारक रिटर्न प्रदान करना

परिचय

वित्तीय पूंजी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए उपलब्ध निधि का पूल शामिल है - इक्विटी पूंजी, जमा, उधार और प्रतिधारित आय - जो सभी हितधारकों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय मूल्य उत्पन्न करने के लिए कारोबारी गतिविधियों में तैनात किए जाते हैं। मजबूत वित्तीय पूंजी वह नींव है जो बैंक को डिजिटल रूपांतरण में निवेश करने, अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने, अपने मानव संसाधनों को विकसित करने, संवहनीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और अपने वित्तीय समावेशन जनादेश को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 3.95% से ₹18,697 करोड़ की निवल लाभ वृद्धि, 2.82% का दशक-कम जीएनपीए अनुपात और 18.10% का मजबूत सीआरएआर की विशेषता वाला निरंतर वित्तीय कार्यनिष्पादन प्रदान किया। जबकि घटती दर वातावरण में एनआईएम कम्प्रेसन के कारण परिचालन लाभ ₹31,090 करोड़ से ₹28,620 करोड़ तक मॉडरेट हुआ, जबकि प्रावधानों में 24.28% से ₹9,922 करोड़ तक की तीव्र गिरावट - जो महत्वपूर्ण रूप से बेहतर पोर्टफोलियो गुणवत्ता को दर्शाती है - निवल लाभ वृद्धि को सक्षम करती है। बैंक के तुलन पत्र ने कुल आस्ति में ₹20 लाख करोड़ को पार कर लिया, जिसमें वैश्विक अग्रिम पहली बार ₹10 लाख करोड़ की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर गया।

वित्तीय कार्यनिष्पादन एक नजर में – वित्तीय वर्ष 2025-26

प्रमुख मेट्रिक	वि. व. 2024-25	वि. व. 2025-26	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन
निवल लाभ (₹ करोड़)	17,987	18,697	+3.95%
परिचालन लाभ (₹ करोड़)	31,090	28,620	-7.95%
निवल ब्याज आय (₹ करोड़)	37,214	36,659	-1.49%
जीएनपीए अनुपात (%)	3.60%	2.82%	-78 बीपीएस
एनएनपीए अनुपात (%)	0.63%	0.48%	-15 बीपीएस
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	94.61%	95.03%	+42 बीपीएस
सीआरएआर (%)	18.02%	18.10%	+8 बीपीएस
सीईटी-1 अनुपात (%)	14.98%	15.69%	+71 बीपीएस
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	1.26%	1.25%	-1 बीपी
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	17.20%	15.86%	-134 बीपीएस
ईपीएस (₹)	23.56	24.49	+3.9%
बही मूल्य प्रति शेयर (₹)	136.98	154.41	+12.7%
ऋण लागत (%)	0.77%	0.23%	-54 बीपीएस
प्राइस-टू-बुक अनुपात	0.94x	1.06x	+0.12x

आय एवं लाभप्रदता

लाभ एवं हानि विवरण – वार्षिक तुलना

मापदंड	वि. व. 2024-25 (₹ करोड़)	वि. व. 2025-26 (₹ करोड़)	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (%)
ब्याज आय	1,05,909	1,05,992	+0.08%
ब्याज व्यय	68,695	69,333	+0.93%
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	37,214	36,659	-1.49%
गैर-ब्याज आय	19,813	19,435	-1.91%
— जिनमें से: शुल्क-आधारित आय	10,285	9,743	-5.26%
— जिनमें से: बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली	4,311	3,997	-7.28%
परिचालन आय (एनआईआई+ गैर-ब्याज आय)	57,027	56,094	-1.64%
परिचालन व्यय	25,937	27,474	+5.93%

मापदंड	वि. व. 2024-25 (₹ करोड़)	वि. व. 2025-26 (₹ करोड़)	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (%)
परिचालन लाभ	31,090	28,620	-7.94%
प्रावधान	13,103	9,922	-24.28%
निवल लाभ	17,987	18,697	+3.95%
कर प्रावधान	5492	5,484	-0.14%
लागत-आय अनुपात	45.48%	48.98%	+350 बीपीएस
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.91%	2.70%	-21 बीपीएस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹18,697 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया – पिछले वर्ष की तुलना में 3.95% की वृद्धि – जो परिचालन लाभ में कमी के बावजूद निरंतर आय की गति को दर्शाता है। निवल ब्याज आय ₹36,659 करोड़ पर व्यापक रूप से स्थिर रही, जिसमें ₹555 करोड़ का मार्जिनल कंप्रेशन घटते यील्ड-ऑन-एडवांस वातावरण द्वारा संचालित किया गया क्योंकि आरबीआई के आसान चक्र ने गति प्राप्त की। वित्तीय वर्ष 25 में ₹13,103 करोड़ से प्रावधान 24.28% से ₹9,922 करोड़ तक तेजी से नीचे गए, जो पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार, नाटकीय रूप से कम नई स्लिपेज और 0.23% की कम क्रेडिट लागत को दर्शाता है - जो बैंक द्वारा प्राप्त किए गए सबसे कम स्तरों में से एक है। राजस्व संरचना परिचालन आय के 64.28% पर निवल ब्याज आय द्वारा अग्रणी रही, जो ₹9,743 करोड़ की शुल्क-आधारित आय और ₹3,997 करोड़ के बढ़े खाते में डाले गए खातों से वसूली द्वारा पूरक रही, जो एक अच्छी तरह से विविध आय संरचना को प्रदर्शित करती है।

तिमाही कार्य-निष्पादन — वित्तीय वर्ष 2025-26

तिमाही	एनआईआई (₹ करोड़)	परिचालन लाभ (₹ करोड़)	निवल लाभ (₹ करोड़)	एनआईएम (%)	आरओए (%)
पहली तिमाही वि.व. 26 (जून-25)	9,113	6,909	4,116	2.76%	1.11%
दूसरी तिमाही वि.व. 26 (सितंबर-25)	8,812	6,814	4,249	2.67%	1.16%
तीसरी तिमाही वि.व. 26 (दिसंबर-25)	9,328	6,942	5,017	2.76%	1.35%
चौथी तिमाही वि.व. 26 (मार्च-26)	9,406	7,955	5,316	2.64%	1.36%
वि.व. 2025-26 (पूरा वर्ष)	36,659	28,620	18,697	2.70%	1.25%
चौथी तिमाही वि.व. 25 (मार्च-25) (तुलना हेतु)	9,514	7,700	4,985	2.87%	1.35%

बैंक के तिमाही प्रक्षेपवक्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के माध्यम से एक मजबूत वसूली प्रदर्शित की। वित्तीय वर्ष 26 की चौथी तिमाही ने पांच तिमाही में ₹5,316 करोड़ में सबसे अधिक तिमाही निवल लाभ रिकॉर्ड किया, और परिचालन लाभ तेजी से ₹7,955 करोड़ तक रिबाउंड हुआ – वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे मजबूत परिणाम है। तिमाही में 0.16% के रिकॉर्ड कम और 1.36% पर आरओए पर ऋण लागत द्वारा संचालित मजबूत चौथी तिमाही रिबाउंड, बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार प्रक्रिया की संवहनीयता को मान्य करता है।

तुलन पत्र एवं कारोबार स्केल

स्केल पर कारोबार — प्रमुख तुलन पत्र मदें

मापदंड	मार्च-25 (₹ करोड़)	सितंबर-25 (₹ करोड़)	मार्च-26 (₹ करोड़)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
वैश्विक जमा	12,72,247	12,34,621	13,06,891	+2.72%
वैश्विक अग्रिम	9,82,894	9,75,207	10,78,611	+9.74%
रैम अग्रिम	5,31,679	5,54,306	5,98,484	+12.56%
लार्ज कॉर्पोरेट अग्रिम	4,05,670	3,79,420	4,31,609	+6.39%
विदेशी अग्रिम	36,919	32,934	37,657	+2.00%
अन्य	8,626	8,547	10,861	+25.91%
कासा जमा	4,26,325	4,01,854	4,60,077	+7.92%
— बचत जमा	3,39,916	3,38,844	3,75,990	10.61%
कासा अनुपात (%)	33.51%	32.56%	35.21%	+170 बीपीएस
कुल निवेश	3,56,954	3,47,965	3,31,682	-7.07%

बैंक के तुलन पत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सार्थक रूप से विस्तार किया, जिसमें वैश्विक अग्रिमों ने ₹10,78,611 करोड़ तक पहुंचने के लिए ₹10 लाख करोड़ को पार कर लिया, जिसमें 9.74% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक जमा 2.72% से बढ़कर ₹13,06,891 करोड़ हो गया। रैम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) अग्रिम

12.56% से ₹5,98,484 करोड़ तक बढ़ गए, जो उच्च प्रतिफल देने वाली रैम बही को बढ़ाने के लिए बैंक की सुनियोजित कार्यनीति को दर्शाते हैं। कासा अनुपात 169 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 35.20% हो गया, जो केंद्रित जमा संग्रहण के अभियानों और बेहतर चालू खाता अधिग्रहण से प्रेरित है। यथा मार्च 2026 तक वैश्विक कारोबार ₹23.86 लाख करोड़ रहा, जो 5.78% की वृद्धि है।

जमा मिश्रण एवं चलनिधि मेट्रिक्स (मार्च 2026)

जमा मापदंड	मूल्य
कासा + खुदरा मीयादी जमा (₹ करोड़)	10,29,852
थोक मीयादी जमा (₹ करोड़)	2,76,436
बचत जमा (₹ करोड़)	3,75,990
कासा जमा (₹ करोड़)	4,60,077
औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)	113.83%
निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)	115.34%
2-वर्ष सीएजीआर — वैश्विक जमा	3.44%
2-वर्ष सीएजीआर — घरेलू जमा	4.37%
वैश्विक ऋण-जमा अनुपात	82.53%
घरेलू ऋण-जमा अनुपात	79.69%

अग्रिम पोर्टफोलियो — खंड-वार कार्यनिष्पादन

विविध ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़)

खंड	मार्च-25	सितंबर-25	दिसंबर-25	मार्च-26	वर्ष दर वर्ष (%)	तिमाही दर तिमाही (%)
खुदरा	2,16,777	2,38,506	2,45,541	2,53,083	16.75%	3.07%
कृषि	1,78,479	1,68,405	1,75,294	1,83,394	2.75%	4.62%
एमएसएमई	1,36,423	1,47,395	1,56,203	1,62,007	18.75%	3.72%
रैम अग्रिम	5,31,679	5,54,306	5,77,038	5,98,484	12.56%	3.72%
लार्ज कॉर्पोरेट	4,05,670	3,79,420	3,94,999	4,31,609	6.39%	9.27%
विदेशी अग्रिम	36,919	32,934	36,165	37,657	2.00%	4.13%
अन्य	8,626	8,547	8,682	10,861	25.91%	25.10%
वैश्विक अग्रिम	9,82,894	9,75,207	10,16,884	10,78,611	9.74%	6.07%

पोर्टफोलियो मिक्स	मार्च-25	मार्च-26	परिवर्तन
घरेलू अग्रिम में रैम शेयर	56.20%	57.49%	रैम प्रमुख
लार्ज कॉर्पोरेट एवं अन्य शेयर	43.80%	42.51%	संतुलित पोर्टफोलियो
घरेलू अग्रिम 2 वर्ष सीएजीआर	—	9.16%	लगातार वृद्धि
रैम 2 वर्ष सीएजीआर	—	11.36%	उच्च प्रतिफल वाली वृद्धि

खुदरा अग्रिम — उत्पाद-वार (₹ करोड़)

उत्पाद	मार्च-25 (₹ करोड़)	मार्च-26 (₹ करोड़)	वृद्धि (₹ करोड़)	वृद्धि %
गृह ऋण	94,825	1,07,687	12,862	13.56%
वाहन ऋण	22,462	28,415	5,953	26.50%
शिक्षा ऋण	15,912	18,166	2,254	14.17%
बंधक ऋण	16,152	18,023	1,871	11.58%
व्यक्तिगत ऋण	11,225	11,505	280	2.49%
अन्य	56,202	69,288	13,086	23.28%
कुल खुदरा अग्रिम	2,16,777	2,53,083	36,306	16.75%

खुदरा ऋण ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में एक उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन प्रदान किया, जिसमें कुल खुदरा अग्रिम 16.75% से ₹2,53,083 करोड़ तक बढ़ रहे हैं। वाहन ऋण में 26.50% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई, जो बैंक के मौजूदा ग्राहक (ईटीबी) और बैंक के नए ग्राहक (एनटीबी) दोनों के लिए डिजिटल वाहन ऋण प्रक्रिया के शुभारंभ से प्रेरित है। गृह ऋण 13.56% से ₹1,07,687 करोड़ तक बढ़ गया, जो बिल्डर टाई-अप, त्योहार अभियान और कारोबार प्रतिधारण छूट योजना द्वारा

समर्थित है। शिक्षा ऋण 14.17% बढ़कर ₹18,166 करोड़ हो गया, जिसमें 721 डिजिटल शिक्षा ऋण खातों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रमुख संस्थानों की छात्राओं के लिए 192 ऋण शामिल हैं। अखिल भारत के खुदरा ऋण पॉइंट्स (आरएलपी/सीपीसी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹50,064 करोड़ के खुदरा ऋण मंजूर किए। इसके अतिरिक्त, इस पहल के तहत मंजूर कुल 69,601 में से 51,700 डिजिटल पीएम सूर्य घर (रूफटॉप सोलर) ऋण मंजूर किए गए थे।

एमएसएमई अग्रिम — श्रेणी-वार (₹ करोड़)

एमएसएमई श्रेणी	मार्च-25 (₹ करोड़)	मार्च-26 (₹ करोड़)	वृद्धि %
सूक्ष्म उद्यम	68,416	87,029	27.21%
लघु उद्यम	43,896	43,947	0.12%
मध्यम उद्यम	24,111	31,031	28.70%
कुल एमएसएमई अग्रिम	1,36,423	1,62,007	18.75%

एमएसएमई अग्रिमों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18.75% से ₹1,62,007 करोड़ तक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो विस्तारित क्रेडिट गारंटी कवरेज, डिजिटल एमएसएमई प्रक्रियाओं और बैंक के सक्रिय आउटरीच कार्यक्रमों द्वारा संचालित है। क्रेडिट गारंटी कवरेज का काफी विस्तार किया गया: सीजीटीएमएसई की मंजूरी ₹22,589 करोड़ की गारंटी राशि के साथ 2,13,516 खातों तक पहुंच गई, जबकि सीजीएफएमयू (कृषि संबद्ध सहित) ने ₹29,549 करोड़ के साथ 4,14,113 खातों को कवर किया – कुल 6,27,629 खाते और गारंटी कवरेज में ₹52,138 करोड़।

पूंजी

प्रतिफल, लागत और मार्जिन मेट्रिक्स

अनुपात	वि. व. 2023-24	वि. व. 2024-25	वि. व. 2025-26	परिवर्तन (वि. व. 25 → वि. व. 26)
अग्रिम पर प्रतिफल (वाईओए)	8.73%	8.74%	8.27%	-47 बीपीएस
निवेश पर प्रतिफल (वाईओआई)	6.70%	6.87%	6.79%	-8 बीपीएस
निधि पर प्रतिफल (वाईओएफ)	7.51%	7.44%	7.06%	-38 बीपीएस
जमा की लागत (सीओडी)	5.22%	5.52%	5.39%	-13 बीपीएस
निधि का लागत (सीओएफ)	4.76%	4.83%	4.62%	-21 बीपीएस
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	3.10%	2.91%	2.70%	-21 बीपीएस

लाभप्रदता एवं दक्षता अनुपात

अनुपात	वि. व. 2023-24	वि. व. 2024-25	वि. व. 2025-26	परिवर्तन (वि. व. 25 → वि. व. 26)
आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)	1.03%	1.26%	1.25%	-1 बीपी
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	15.58%	17.20%	15.86%	-134 बीपीएस
ईपीएस (₹)	18.95	23.56	24.49	+3.9%
बही मूल्य प्रति शेयर (₹)	114.76	136.98	154.41	+12.7%
लागत-आय अनुपात	46.42%	45.48%	48.98%	+350 बीपीएस
ऋण लागत	0.74%	0.77%	0.23%	-54 बीपीएस
प्राइस-टू-बुक मूल्य	1.34x	0.94x	1.06x	+0.12x
प्राइस-टू-अर्जन (पी/ई)	8.10	5.46	6.70	+

आस्ति गुणवत्ता — वित्तीय पूंजी का संरक्षण

आस्ति गुणवत्ता सीधे बैंक के वित्तीय पूंजी स्टॉक के स्थायित्व को निर्धारित करती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023-वित्तीय वर्ष 26 की चार साल की अवधि में सभी आस्ति गुणवत्ता मापदंडों में निरंतर सुधार का प्रदर्शन किया है, जो मजबूत ऋण हामीदारी अंकन, विरासत में देवाबग्रस्त आस्तियों के सक्रिय समाधान और विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण को दर्शाता है। जीएनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 23 में 7.53% से वित्तीय वर्ष 26 में 2.82% तक 471 बेसिस पॉइंट तक बेहतर हो गया है - जो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सबसे तेज टर्नअराउंड में से एक है।

राजस्व विविधीकरण और ट्रेजरी परिचालन

गैर-ब्याज आय संरचना (वित्तीय वर्ष 2025-26)

आय शीर्ष	वि. व. 2025-26 (₹ करोड़)
शुल्क-आधारित आय	9,743
बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली	3,997
अन्य गैर-ब्याज आय	5,695
कुल गैर-ब्याज आय	19,435

ट्रेजरी - लक्ष्य बनाम उपलब्धि (वित्तीय वर्ष 2025-26)

ट्रेजरी मापदंड	लक्ष्य (₹ करोड़)	वास्तविक (₹ करोड़)	उपलब्धि
निवेश के बिक्री पर लाभ	2,900	2,929	प्राप्त किया ✓
विनियम लाभ (विदेशी मुद्रा)	950	1,064	सीमा से अधिक ✓
कुल ट्रेजरी आय	3,850	3,993	सीमा से अधिक ✓

ट्रेजरी परिचालन ने विवेकपूर्ण निवेश प्रबंधन, वित्तीय बाजारों में सक्रिय भागीदारी तथा प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से समग्र लाभप्रदता को समर्थन देना जारी रखा। फिनेकल ट्रेजरी सॉफ्टवेयर को संस्करण 11.20 में उन्नत किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संदेश मानकों के लिए स्विफ्ट-एमएक्स (आईएसओ 20022) समर्थन, प्रतिभूतियों के लेखांकन हेतु ईआईआर पद्धति के लिए आईएनडीएस समर्थन तथा एपीआई एकीकरण के माध्यम से ऑनलाइन वास्तविक समय लेखांकन को शामिल किया गया। ट्रेजरी ने अपने डीलिंग रूम ट्रेडिंग सिस्टम को भी उन्नत किया, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि, तेज निर्णय-निर्माण तथा बेहतर ट्रेड निष्पादन क्षमताएँ सुनिश्चित हुईं।

वित्तीय पूंजी सक्षमकर्ता — वित्तीय पूंजी अन्य पूंजियों को कैसे सशक्त बनाती है

पूंजी	वित्तीय पूंजी इसे कैसे सक्षम बनाती है
प्राकृतिक पूंजी	₹5,000 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड जारी करने की योजना हरित वित्त पोर्टफोलियो ₹37,435 करोड़ जलवायु जोखिम निवेश
विनिर्मित पूंजी	8,697 शाखाओं के नेटवर्क का वित्तपोषण तथा 100 नई शाखाओं का विस्तार एटीएम, कोर बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल अवसंरचना में निवेश
बौद्धिक पूंजी	प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास डेवसेकऑप्स प्लेटफॉर्म फिनेकल अपग्रेड साइबर सुरक्षा अवसंरचना में निवेश
सामाजिक पूंजी	यूबीएसएफटी के माध्यम से ₹61.69 करोड़ का सीएसआर आरसेटी वित्तपोषण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण आबंटन
मानव पूंजी	कर्मचारी प्रशिक्षण निवेश आईएसओ 30414 कार्यान्वयन लीडरशिप विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण

वित्तीय पूंजी — आगे की कार्यनीति (वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं आगे)

बैंक की वित्तीय पूंजी कार्यनीति वित्तीय वर्ष 2026-27 और आगे के लिए तीन प्रमुख स्तंभों: विकास में तेजी लाना, लाभप्रदता को बनाए रखना तथा पूंजी दक्षता का अनुकूलन करना पर आधारित है। ऋण वृद्धि को दो अंकों में बनाए रखने का लक्ष्य है, जिसे खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। हरित वित्त पोर्टफोलियो को वृद्धिशील कारोबार विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाने की योजना है। शुल्क आय को कुल परिचालन आय का 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रक्रिया स्वचालन और डिजिटल चैनलों की ओर माइग्रेशन के माध्यम से लागत-आय अनुपात को 45% से नीचे अनुकूलित करने का लक्ष्य है।

- 15+ डिजिटल ऋण प्रक्रिया के निरंतर विस्तार के साथ डिजिटल चैनलों के माध्यम से अग्रिम वृद्धि।
- हरित वित्त को प्रमुख पोर्टफोलियो के रूप में विस्तार देना, वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹5,000 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड जारी करने का लक्ष्य।
- सक्रिय एनपीए प्रबंधन के माध्यम से जीएनपीए को 3% से नीचे बनाए रखना और पीसीआर को 94% से अधिक बनाए रखना।
- सीआरएआर को विनियामकीय आवश्यकता से पर्याप्त रूप से अधिक बनाए रखना — आरबीआई के न्यूनतम स्तर से कम से कम 600 बेसिस पॉइंट्स अधिक का लक्ष्य।
- परिचालन दक्षता सुधार के माध्यम से आरओए को लगातार 1.20% से अधिक बनाए रखना।
- ग्राहकों के लिए ब्याज दर जोखिम के वास्तविक समय हेजिंग हेतु समर्पित संरचित डेरिवेटिव्स डेस्क की स्थापना।

जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक समेकित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित किया है, जिसमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा जलवायु जोखिम शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता विवरण (रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट) पर आधारित है, जो बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के दौरान बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जोखिम की मात्रा एवं प्रकार को परिभाषित करता है। तीन-स्तरीय रक्षा प्रणाली — अर्थात् कारोबार इकाइयाँ, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन गतिविधियाँ, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा — बैंक के सभी परिचालनों में व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित करती हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन: संवर्धित हमीदारी (अंडरराइटिंग) मानकों तथा सुदृढ़ अनुश्रवण प्रणालियों ने आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार में योगदान दिया है। क्षेत्र-वार एक्सपोजर सीमाएँ और संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन, पोर्टफोलियो के विविधीकरण को सुनिश्चित करते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों एवं सक्रिय हस्तक्षेप तंत्र के परिणामस्वरूप नई स्लिपेज में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वित्तीय वर्ष 2025 में ₹12,073 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹8,451 करोड़ रह गई, जो कि 30.01% की कमी को दर्शाता है। बैंक की क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो (₹25 करोड़ से अधिक) हेतु मजबूत गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है, जिसमें मार्च 2026 तक 86% पोर्टफोलियो 'ए' एवं उससे ऊपर' श्रेणी में मूल्यांकित किया गया है, जो मार्च 2025 में 85% था।

बाजार जोखिम प्रबंधन: ट्रेजरी परिचालन एक सुव्यवस्थित जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, जिसमें ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा निवेश पोर्टफोलियो के संकेंद्रण के लिए निर्धारित सीमाएँ तय की गई हैं। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अवधि विश्लेषण, वीएआर मापन, तथा ब्याज दर स्पूरर्स और ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप्स के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन दैनिक मार्क-टू-मार्केट पोजीशनों तथा स्टॉप-लॉस लिमिट्स के माध्यम से किया जाता है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उन्नत किए गए संवर्धित ट्रेडिंग सिस्टम्स द्वारा समर्थित डीलिंग रूम का प्रयोग किया गया है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन: प्रक्रिया स्वचालन ने परिचालन त्रुटियों को उल्लेखनीय रूप से कम किया है तथा सेवा निरंतरता में सुधार किया है। बैंक का साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, जिसमें 24x7 एनजीएसओसी संचालन एवं आईएसओ 27001 प्रमाणन शामिल हैं, डिजिटल आस्तियों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखता है। कारोबार निरंतरता योजना सभी चैनलों में सेवा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। एकीकृत आश्वासन फ्रेमवर्क जोखिम, अनुपालन, अनुश्रवण एवं लेखापरीक्षा को एकीकृत करता है, जिससे महत्वपूर्ण प्रणालियों पर वास्तविक समय में अनुश्रवण संभव होता है तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन: बैंक की चलनिधि स्थिति वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सुदृढ़ बनी रही। औसत एलसीआर 113.83% रहा, जो कि न्यूनतम आवश्यक 100% से अधिक है, तथा एनएसएफ़आर 115.34% रहा, जो निर्धारित सीमा से काफी ऊपर है। कार्यनीतिक आस्ति-देयता मिलान, जमा प्रमाणपत्र जारी करना तथा मुद्रा बाजार में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संतुलित चलनिधि प्रबंधन ने सदैव पर्याप्त निधि उपलब्धता सुनिश्चित की। कासा जमा, ₹4,60,077 करोड़ तथा 35.20% अनुपात के साथ, एक स्थिर एवं कम लागत वाला वित्तपोषण आधार प्रदान करते हैं।

काँपरेट क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल — वित्तीय वर्ष 2025-26

रेटिंग श्रेणी	मार्च-25 (%)	मार्च-26 (%)
ए और उससे ऊपर	85%	86%
बीबीबी	10%	9%
बीबी और उससे नीचे	5%	5%
एनबीएफसी पोर्टफोलियो — एएए	62%	65%
एनबीएफसी पोर्टफोलियो — एए	33%	30%
एनबीएफसी पोर्टफोलियो — ए और उससे नीचे	5%	5%

क्षेत्रवार ऋण एक्सपोज़र — प्रमुख उद्योग (मार्च 2026)

क्षेत्र	मार्च-25 (₹ करोड़ में)	मार्च-25% शेयर	मार्च-26 (₹ करोड़ में)	मार्च-26 % शेयर
अवसंरचना	93,034	9.83%	1,04,441	10.03%
एनबीएफसी और एचएफसी	1,33,973	14.16%	1,64,839	15.84%
मूल धातु	23,745	2.51%	28,183	2.71%
पेट्रोलियम/कोयला/परमाणु	17,269	1.83%	17,374	1.67%
खाद्य प्रसंस्करण	25,353	2.68%	4,648	0.45%
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	12,751	1.35%	14,212	1.37%
कपड़ा (टेक्सटाइल)	16,397	1.73%	16,118	1.55%
कुल (क्षेत्र 1 से 7)	3,22,522	34.09%	3,49,815	33.61%

अवसंरचना उप-क्षेत्रवार ऋण एक्सपोज़र (मार्च 2026, ₹ करोड़)

अवसंरचना उप-क्षेत्रवार	मार्च-25 (₹ करोड़ में)	मार्च-26 (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन
ऊर्जा- कुल	39,904	48,323	+8,419
— नवीकरणीय ऊर्जा	13,394	18,694	+5,300
— पवन ऊर्जा	309	718	+409
— सौर ऊर्जा	8,192	13,736	+5,544
— थर्मल ऊर्जा	13,957	15,779	+1,822
— सरकारी पीएसयू ऊर्जा	24,854	23,271	-1,583
— गैर पीएसयू ऊर्जा	15,049	25,052	+10,003
सड़क (एचएएम सहित: ₹9,508 करोड़)	31,786	41,692	+9,906
अन्य	21,344	14,426	-6,918

ईज फ्रेमवर्क कार्य-निष्पादन- वित्तीय वर्ष 2025-26

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया उन्नत पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) कार्यक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी अपनाने, ग्राहक सेवा, जिम्मेदार बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन जैसे मानकों पर करता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज 8.0 के अंतर्गत लगातार उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है, जिसमें तिमाही 1 और तिमाही 2 की बैंक-वार रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा तिमाही 3 में थीम 3 (सामाजिक-आर्थिक प्रभाव) के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया।

ईज 8.0 तिमाही	समग्र बैंक रैंकिंग	थीम-वार कार्यनिष्पादन
पहली तिमाही वि.व. 2025-26	दूसरा स्थान	4 थीम में से 3 में शीर्ष 3
दूसरी तिमाही वि.व. 2025-26	दूसरा स्थान	4 में से 2 थीम में पहला स्थान
तीसरी तिमाही वि.व. 2025-26	—	थीम 3 में पहला स्थान (सामाजिक-आर्थिक प्रभाव)

ईजराइज़ (पिलर-II) के अंतर्गत — बैंक का बैंक-विशिष्ट 3-वर्षीय कार्यनीतिक रोडमैप - छह प्राथमिकता वाली पहलों को आगे बढ़ाया जा रहा है : (1) एमएसएमई में संवहनीय विकास, (2) मिड सेगमेंट कॉर्पोरेट में संवहनीय विकास, (3) कृषि निवेश ऋण का विस्तार, (4) अनुपालन को मजबूत करना और अनुपालन संस्कृति को उन्नत करना, (5) खुदरा जमा संग्रहण बढ़ाना, और (6) ग्राहक अनुभव को बढ़ाना। इन पहलों में 37 मापन योग्य मेट्रिक्स शामिल हैं तथा जिनकी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा तिमाही समीक्षा की जाती है।



प्राकृतिक पूँजी

भारत के जलवायु-सकारात्मक बैंकिंग रूपान्तरण का नेतृत्व

प्राकृतिक पूँजी अवलोकन

प्राकृतिक पूँजी में नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय पर्यावरणीय संसाधन तथा प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करती हैं और बैंक के उत्पादों एवं परिचालनों का समर्थन करते हुए हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करती हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों के साथ-साथ अप्रत्याशित अवसर भी प्रस्तुत करता है। हमारा दृष्टिकोण, पर्यावरणीय संरक्षण को बैंक की मुख्य कारोबारी कार्यनीति में समाहित करता है, जिसके माध्यम से एक व्यापक जलवायु-सकारात्मक बैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित किया गया है, जो बैंकिंग गतिविधियों को भारत के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों तथा वैश्विक नेट-ज़ीरो संक्रमण के अनुरूप संरेखित करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पर्यावरणीय पूँजी स्थिति को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया। बैंक का हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो 30.7% की वृद्धि के साथ ₹37,435 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण ₹33,572 करोड़ तक पहुँच गया — जो भारत के महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को समर्थन प्रदान करता है। बैंक की ईवी वित्तपोषण में 167.5% की उल्लेखनीय वृद्धि होकर यह ₹2,084 करोड़ हो गया, जो भारत में ईवी रूपान्तरण की तीव्र गति को दर्शाता है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी (पीसीएएफ़) में हस्ताक्षरकर्ता बनने वाला भारत का प्रथम प्रमुख बैंक बनकर, यूनियन बैंक ने पारदर्शी जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग एवं वित्तपोषित उत्सर्जन के ट्रैकिंग में अपनी अग्रणी भूमिका का प्रदर्शन किया है।

हमारा प्राकृतिक पूँजी सिद्धांत

पिलर	विवरण
जलवायु नेतृत्व	भारत की नेट-ज़ीरो आकांक्षाओं तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने वाले संवहनीय वित्त समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना।
जोखिम एकीकरण	व्यवस्थित ईएसजी मूल्यांकन के माध्यम से सभी ऋण, निवेश एवं कारोबारी निर्णयों में भौतिक एवं संक्रमण संबंधी जलवायु जोखिमों को समाहित करना।
नवाचार अभियान	हरित वित्तीय उत्पादों का विकास करना - ऋण, जमा, बॉण्ड - जो नए बाजार के अवसर पैदा करते हैं और ईएसजी-जागरूक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं
परिचालन संवहनीयता	नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, हरित भवन प्रमाणन और अपशिष्ट में कमी के माध्यम से 2035 तक स्वयं के परिचालन में नेट-जीरो प्राप्त करना
पारदर्शिता	वैश्विक जलवायु रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप, पीसीएएफ़ आधारित वित्तपोषित उत्सर्जन का ट्रैकिंग एवं प्रकटीकरण।

गवर्नेंस और कार्यनीतिक फ्रेमवर्क

बोर्ड स्तर पर ईएसजी पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के सर्वोच्च गवर्नेंस स्तरों पर पर्यावरणीय संबंधित बातों को समुचित रूप से समाहित किया जाए। पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस संचालन समिति (ईएसजीएससी) सभी कारोबारी वर्टिकलों में ईएसजी की कार्यनीतिक दिशा-निर्देशों का समन्वय करती है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) जलवायु एवं ईएसजी से संबंधित जोखिमों की देखरेख करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में जलवायु जोखिम से संबंधित पहलुओं को समाहित करती हैं। दैनिक क्रियान्वयन का प्रबंधन जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत स्थापित ईएसजी सेल द्वारा किया जाता है, जिसे सभी कारोबारी एवं नियंत्रक वर्टिकलों का सहयोग प्राप्त है।

बैंक ने ऋणों को हरित और सामाजिक वित्तपोषण श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में बीएसआर (बैंकिंग सेक्टर संदर्भ) कोड का उपयोग करके एक समर्पित संवहनीय वित्तपोषण फ्रेमवर्क स्थापित किया है। रिपोर्टिंग में पारदर्शिता में सुधार और बैंक के जलवायु वित्तपोषण प्रभाव की सटीक ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए खाता स्तर पर हरित ऋणों की टैगिंग की जाती है।

ईएसजी कार्यनीतिक रोडमैप

समय सीमा	कार्यनीतिक लक्ष्य	प्रमुख उपलब्धियां	मूल्य निर्माण
अल्पावधि (2027)	आधार निर्माण	कर्मचारी क्षमता, हरित उत्पाद, बॉण्ड	बाजार की स्थिति
मध्यम अवधि (2030)	जोखिम एकीकरण	एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान, ग्राहक ईएसजी मूल्यांकन	प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
दीर्घावधि (2035)	नेतृत्व की स्थिति	नेट-जीरो परिचालन, इंडस्ट्री बेंचमार्क	संवहनीय नेतृत्व

हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो — वित्तीय वर्ष 2025-26

हरित उत्पाद समूह— वित्तीय वर्ष 25 बनाम वित्तीय वर्ष 26 की तुलना

हरित उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2025-26 (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (₹ करोड़)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि	पर्यावरणीय प्रभाव
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं	33,572	27,668	+21.3%	कार्बन फुटप्रिंट में बड़े पैमाने पर कमी बाजार नेतृत्व
यूनियन ग्रीन व्हीकल (ईवी)	2,084	779	+167.5%	संवहनीय परिवहन संक्रमण प्रथम-प्रस्तावक लाभ
यूनियन ग्रीन होम	1,779	197	+803.0%	ऊर्जा-कुशल आवास ग्राहक जागरूकता निर्माण
कुल हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो	37,435	28,644	+30.7%	व्यापक जलवायु-सकारात्मक पोर्टफोलियो
हरित जमाराशियाँ	29.29	29.05	+0.8%	खुदरा ईएसजी निवेश सुविधा

बैंक का हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय गति से बढ़ा। यूनियन ग्रीन होम उत्पाद ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो ₹197 करोड़ से बढ़कर ₹1,779 करोड़ हो गई, अर्थात् 803.0% की वृद्धि, जो ऊर्जा-कुशल आवास वित्तपोषण में बैंक की सफल बाजार पैठ को दर्शाती है। यूनियन ग्रीन व्हीकल (ईवी) वित्तपोषण में 167.5% की वृद्धि होकर यह ₹2,084 करोड़ तक पहुँच गया, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के रुझान से प्रेरित है। नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण ₹33,572 करोड़ के साथ पोर्टफोलियो का प्रमुख आधार बना रहा, जो देशभर में यूटिलिटी-स्केल सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है।

नियोजित हरित बॉण्ड जारी करना

बॉण्ड श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य	जलवायु प्रभाव
हरित अवसंरचना बॉण्ड	5,000	पर्यावरणीय /संवहनीय परियोजनाएं	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जलवायु कार्रवाई

₹5,000 करोड़ के ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने की योजना यूनियन बैंक को भारत के कुछ सबसे बड़े हरित अवसंरचना बॉण्ड जारीकर्ताओं में से एक बनाती है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग केवल पात्र ग्रीन एवं संवहनीय परियोजनाओं में किया जाएगा, जो बैंक के संवहनीय वित्त फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा। साथ ही, इस राशि के उपयोग की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाएगी तथा इसे निर्धारित उपयोग-आधारित मानदंडों के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा।

संवहनीय वित्त वर्गीकरण प्रणाली

बैंक ने बीएसआर (बैंकिंग क्षेत्र संदर्भ) कोड को आधार बनाते हुए ऋणों को हरित एवं सामाजिक वित्तपोषण श्रेणियों में वर्गीकृत करने हेतु एक व्यापक संवहनीय वित्त वर्गीकरण प्रणाली विकसित की है। यह वर्गीकरण प्रणाली खाता-स्तर टैगिंग दृष्टिकोण का पालन करती है, जिससे हरित एवं सामाजिक ऋण पोर्टफोलियो की सटीक ट्रैकिंग तथा पारदर्शी रिपोर्टिंग संभव होती है। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क, जैसे आईसीएमए हरित बॉण्ड सिद्धांत ईयू वर्गीकरण सिद्धांत, तथा भारत में संवहनीय वित्त संबंधी विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

बीएसआर फ्रेमवर्क के आधार पर आगे बढ़ते हुए, बैंक ने अपने वर्गीकरण प्रणाली को और परिष्कृत किया है ताकि जलवायु शमन एवं अनुकूलन वित्तपोषण के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया जा सके। यह उन्नत वर्गीकरण प्रणाली जलवायु से संबंधित वित्तीय तथा उनके पर्यावरणीय प्रभाव के सटीक मापन को सक्षम बनाती है।



अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) बीएसआर कोड्स की समस्या का समाधान करने तथा वर्गीकरण की सटीकता को बढ़ाने के लिए, बैंक मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म विकसित कर रहा है, जो ऋण मूल्यांकन सिस्टम से ऋण के उद्देश्य का विश्लेषण करते हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए व्यापक क्षेत्र-आधारित वर्गीकरण के स्थान पर वास्तविक ऋण उद्देश्य के आधार पर सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित करता है। बैंक ने ऐसे बड़े भाषा मॉडल (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) का उपयोग कुछ चयनित ऋण हामीदारी मामलों में सफलतापूर्वक किया है तथा इसे और व्यापक स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में है।

वित्त श्रेणी	उप-श्रेणी	पात्र गतिविधियाँ	वित्तीय वर्ष 26 (₹ करोड़ में)
नवीकरणीय ऊर्जा	सौर/पवन/हाइड्रो/बायोमास	ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएँ - स्वच्छ ऊर्जा	33,572
हरित भवन	ऊर्जा-कुशल आवास	ग्रीन होम लोन, हरित प्रमाणन भवन	1,779
स्वच्छ परिवहन	इलेक्ट्रिक वाहन	ईवी दोपहिया, चार पहिया, वाणिज्यिक ईवी	2,084
कुल हरित वित्त	—	व्यापक जलवायु-सकारात्मक पोर्टफोलियो	37,435
संवहनीय जमा	खुदरा हरित जमा	हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निर्दिष्ट जमा	29

न्यायसंगत संक्रमण वित्त फ्रेमवर्क

बैंक एक व्यापक न्यायसंगत संक्रमण वित्त फ्रेमवर्क विकसित करने के तहत उन औद्योगिक हॉटस्पॉट्स की पहचान करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो संक्रमण जोखिम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इन चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट्स में, बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण कर रहा है, ताकि उन ऋणों की मैपिंग की जा सके जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संक्रमण जोखिम वाले क्षेत्रों तथा अन्य एमएसएमई ऋणों से संबंधित हैं। यह दृष्टिकोण बैंक को जलवायु संक्रमण के अपने व्यापक ऋण पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले श्रृंखलाबद्ध प्रभाव को समझने में सक्षम बनाएगा तथा उन उधारकर्ताओं के लिए लक्षित सहायता तंत्र विकसित करने में मदद करेगा, जिनकी आजीविका कार्बन-गहन उद्योगों पर निर्भर है, जिससे उनके लिए समानता-आधारित संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान जलवायु जोखिम क्षमताएं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो भौतिक एवं संक्रमण जोखिमों के आकलन को ऋण निर्णय, पोर्टफोलियो अनुश्रवण तथा कार्यनीतिक योजना में समाहित करता है। बैंक का यह दृष्टिकोण जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण हेतु टास्क फोर्स (टीएफसीडी) तथा प्रकृति-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण हेतु टास्कफोर्स (टीएनएफडी) की अनुशंसाओं के अनुरूप है।

भौतिक जोखिम मूल्यांकन

बाढ़, चक्रवात, सूखा प्रभाव विश्लेषण

शाखा-स्तरीय भौगोलिक संवेदनशीलता मैपिंग

जलवायु आंकड़े एवं वर्षा पूर्वानुमान

जोखिम स्कोर: सभी स्थानों के लिए 0-100 के पैमाने पर

संक्रमण जोखिम मूल्यांकन

उच्च उत्सर्जन क्षेत्र की पहचान और विश्लेषण

खनन, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम, अवसंरचना पर केन्द्रित

ग्राहक-स्तरीय संक्रमण जोखिम मूल्यांकन

नीति और प्रौद्योगिकी परिवर्तन प्रभाव मूल्यांकन

वित्तपोषित उत्सर्जन ट्रैकिंग

पीसीएएफ पद्धति कार्यान्वयन

खाता स्तर की गणना

वास्तविक समय के अनुश्रवण के लिए क्लिक (Qlik) डैशबोर्ड

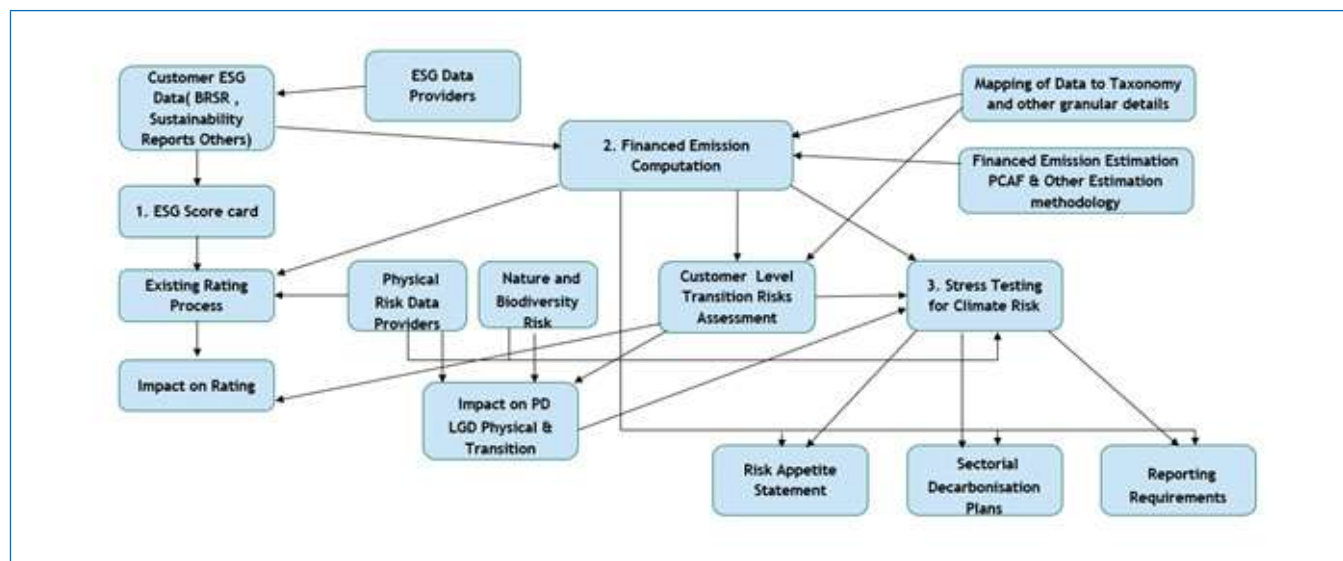
व्यापक पोर्टफोलियो उत्सर्जन मैपिंग

पर्यावरणीय सामाजिक ड्यू डिलिजेन्स

बैंक ने निर्धारित सीमा से अधिक के हरित ऋणों के लिए एक व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक ड्यू डिलिजेन्स (ईएसडीडी) फ्रेमवर्क लागू किया है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी महत्वपूर्ण हरित वित्तपोषण लेनदेन को स्वीकृति से पूर्व कठोर पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अधीन रखा जाए।

ईएसडीडी प्रक्रिया संभावित पर्यावरणीय जोखिमों, सामाजिक प्रभावों तथा अंतरराष्ट्रीय संवहनीय मानकों के अनुरूपता का मूल्यांकन करती है। यह ढांचा जिम्मेदार वित्तपोषण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है तथा ऋण पोर्टफोलियो में पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों को कम करने में सहायक होता है।

जलवायु जोखिम में नवाचार - एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान



जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान

ग्राहक ईएसजी स्कोरकार्ड सिस्टम

सूचीबद्ध कंपनियों का आकलन

असूचीबद्ध संस्थाओं का मूल्यांकन

एमएसएमई उधारकर्ता ईएसजी

जोखिम अनुश्रवण डैशबोर्ड

एकीकृत सिस्टम क्षमताएं

वित्तपोषित उत्सर्जन गणना

भौतिक जोखिम मूल्यांकन

संक्रमण जोखिम मूल्यांकन

जैव विविधता और प्रकृति जोखिम मूल्यांकन

जलवायु दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण (पीडी और एलजीडी पर प्रभाव)

डीकार्बोनाइजेशन योजना

क्रेडिट रेटिंग प्रभाव विश्लेषण

सिस्टम एकीकरण

क्रिसिल आइकॉन (आंतरिक रेटिंग प्रणाली)

लेस (ऋण स्वचालित समाधान)

फिनेकल कोर बैंकिंग

जोखिम अनुश्रवण डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग

प्रौद्योगिकी नवाचार: हमारे द्वारा लागू की जा रही एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान प्रणाली व्यापक ग्राहक-स्तरीय ईएसजी मूल्यांकन को सक्षम बनाएगी, जिसमें संक्रमण एवं भौतिक जोखिमों को हमारी मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

प्रकृति और जैव विविधता जोखिम मूल्यांकन

मूल्यांकन फ्रेमवर्क	कार्यान्वयन	कार्यनीतिक मूल्य
टीएनएफडी लीप दृष्टिकोण	बैंक परियोजना ऋण हामीदारी में प्रकृति और जैव विविधता जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत कर रहा है	व्यापक जोखिम कवरेज
इंटरफेस का पता लगाना	भौगोलिक और क्षेत्र मैपिंग	संवर्धित ड्यू डिलिजेन्स
निर्भरता का मूल्यांकन करना	प्रकृति प्रभाव आकलन	जोखिम शमन कार्यनीतियाँ
अवसरों का आकलन करना	संवहनीय परियोजना की पहचान	नया कारोबार विकास
प्रतिक्रियाएँ तैयार करना	जोखिम प्रबंधन एकीकरण	प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

गवर्नेंस एवं कार्यनीति

बैंक प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत टीएनएफडी एलईएपी कार्यप्रणाली को लागू करके परियोजना ऋण हामीदारी अंकन में प्रकृति तथा जैव विविधता जोखिम आकलन को एकीकृत कर रहा है। यह पहल उभरते विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है तथा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रकृति-संबंधित वित्तीय जोखिम प्रबंधन में बैंक को सबसे आगे स्थापित करती है।

जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

हमारा प्रकृति तथा जैव विविधता जोखिम आकलन फ्रेमवर्क चार प्रमुख चरणों में कार्य करता है:

लोकेट (एल): डब्ल्यूडीपीए तथा गूगल अर्थ इंजन जैसे उपकरणों का उपयोग करके संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों से निकटता की पहचान हेतु परियोजना स्थलों का भौगोलिक मानचित्र तैयार करना।

इवैल्यूएट (ई): प्रकृति-संबंधित निर्भरताओं तथा प्रभावों का आकलन, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भरता, स्थानीय वनस्पति एवं जीव-जंतु पर जैव विविधता के प्रभाव, तथा जल, वायु एवं मृदा गणवत्ता पर प्रभाव सम्मिलित हैं.

असेस (ए): संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से उत्पन्न परिचालन, विनियामकीय, प्रतिष्ठात्मक तथा वित्तीय जोखिमों सहित प्रकृति-संबंधित जोखिमों का मात्रात्मक निर्धारण.

प्रियेयर(पी): जोखिम शमन कार्यनीतियों का विकास, जिसमें जैव विविधता प्रबंधन योजनाएँ, प्राकृतिक आवास पुनर्स्थापन प्रतिबद्धताएँ, तथा सतत अनुश्रवण फ्रेमवर्क सम्मिलित हैं.

આકલિત પ્રમુખ જોખિમ શ્રેણિયાં:

- भौतिक जोखिम: प्राकृतिक आवास विनाश, वनों की कटाई, जल प्रदूषण तथा मृदा क्षरण के माध्यम से जैव विविधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव.
- परिवर्तन जोखिम: जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विनियामकीय परिवर्तन, विकसित होती अनुपालन आवश्यकताएँ तथा बदलती हितधारक अपेक्षाएँ.
- प्रणालीगत जोखिम: पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भरताएँ, जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय क्षरण से बाधित हो सकती हैं.

मेट्रिक्स और लक्ष्य

बैंक सात प्रमुख क्षेत्रों यथा, परियोजना स्थान संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव संभाव्यता, विनियामकीय अनुपालन स्थिति, जैव विविधता निर्भरताएँ, शमन उपायों की पर्याप्तता, अनुश्रवण फ्रेमवर्क की सुदृढ़ता तथा समग्र जोखिम प्रोफाइल में विस्तृत आकलन के आधार पर प्रकृति-संबंधित जोखिम रेटिंग (निम्न, मध्यम, उच्च) प्रदान करता है।

वित्तपोषित उत्सर्जन और पीसीएएफ पद्धति

भारत के प्रथम प्रमुख बैंक के रूप में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी (पीसीएएफ) के हस्ताक्षरकर्ता बनने के साथ, यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया ने पारदर्शी जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। पीसीएएफ पद्धति बैंक के ऋण एवं निवेश से संबंधित वित्तपोषित उत्सर्जन — अर्थात् बैंक की ऋण एवं निवेश गतिविधियों से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन — के मापन एवं प्रकटीकरण हेतु मानकीकृत दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह बैंक को वैज्ञानिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने, उधारकर्ताओं के साथ डिकार्बोनाइजेशन मार्गों पर संवाद स्थापित करने तथा हरित वित्त संक्रमण के लिए उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

वित्तपोषित उत्सर्जन पोर्टफोलियो

आस्ति श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026		वित्तीय वर्ष 2025*		वित्तीय वर्ष 2024*		कार्यनीतिक प्रतिक्रिया
	बकाया (₹ करोड़)	उत्सर्जन (tCO2e)	बकाया (₹ करोड़ में)	उत्सर्जन (tCO2e)	बकाया (₹ करोड़ में)	उत्सर्जन (tCO2e)	
ऋण एवं अग्रिम	10,41,105	6,24,09,582	9,45,952	5,17,26,871	8,73,664	4,71,50,172	हरित संक्रमण समर्थन
राष्ट्रिक कर्ज	2,62,434	9,83,924	2,82,969	10,60,916	2,73,372	10,24,936	जलवायु नीति संरेखण
अन्य निवेश	69,248	10,17,674	67,492	9,91,866	-	-	ईएसजी निवेश मानदंड
कुल पोर्टफोलियो	13,72,787	6,44,11,180	12,96,413	5,37,79,653	11,47,036	4,81,75,108	व्यापक प्रबंधन
पीसीएफ डेटा गुणवत्ता	3.70		3.62		3.54		

* **नोट:** पूर्व वर्षों के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन में अंतर मुख्यतः डेटा गुणवत्ता में निरंतर सुधार, पद्धतिगत उन्नयन, पोर्टफोलियो कवरेज के विस्तार तथा विकसित होते उद्योग मानकों के अनुरूपता के कारण परिलक्षित होता है। जहाँ उपयुक्त पाया गया है, वहाँ ऐतिहासिक आंकड़ों की पुनर्गणना की गई है, जिससे उनकी संगतता और तुलनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसमें उत्सर्जन फैक्टर्स, ग्राहक डेटा तथा वित्तीय एक्सपोजर इनपुट्स में किए गए अद्यतनों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित आरबी-सीआरआईएस (भारतीय रिज़र्व बैंक – जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली) जलवायु-संबंधी डेटा सेट्स — जैसे उत्सर्जन एवं भौतिक जोखिम डेटा — की उपलब्धता, संगतता एवं मानकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करेगा, जो कि वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना तथा जलवायु जोखिम आकलन के लिए प्रमुख इनपुट्स हैं। बैंक एक एकीकृत जलवायु जोखिम समाधान प्रणाली को लागू कर रहा है, जो आरबी-सीआरआईएस के साथ एकीकरण के लिए सक्षम है।

पीसीएफ साझेदारी - वित्तपोषित उत्सर्जन प्रकटीकरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी (पीसीएफ) का हस्ताक्षरकर्ता बनकर भारत का पहला प्रमुख बैंक होने का गौरव प्राप्त किया है। यह एक वैश्विक उद्योग-नेतृत्व वाली पहल है, जो वित्तपोषित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मापन एवं प्रकटीकरण हेतु मानकीकृत पद्धतियाँ प्रदान करती है। पीसीएफ की सदस्यता बैंक को निम्नलिखित सक्षम बनाती है: विभिन्न आस्ति वर्ग-विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से वित्तपोषित उत्सर्जन का मापन करना, उत्सर्जन संबंधी डेटा का प्रकटीकरण करना, जिससे निवेशकों एवं हितधारकों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके। पेरिस समझौते के अनुरूप वैज्ञानिक-आधारित लक्ष्य निर्धारित करना। उधारकर्ताओं के साथ डिकार्बोनाइजेशन योजनाओं पर प्रभावी सहभागिता करना।

बैंक का पीसीएफ क्रियान्वयन रोडमैप अपने ऋण पोर्टफोलियो के प्रमुख आस्ति वर्गों को शामिल करता है, जिनमें कॉर्पोरेट ऋण, परियोजना वित्त (विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा), रियल एस्टेट वित्त, मोटर वाहन ऋण तथा एसएमई वित्त शामिल हैं। प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए पीसीएफ द्वारा निर्धारित गणना पद्धतियों का अनुप्रयोग किया जाता है, जिसमें उधारकर्ता डेटा, तृतीय-पक्ष डेटाबेस तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। बैंक क्रमिक रूप से डेटा की गुणवत्ता एवं कवरेज में सुधार कर रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी तीन वर्षों में संपूर्ण पोर्टफोलियो कवरेज सुनिश्चित करना है।

वित्तपोषित उत्सर्जन - उच्च प्रभाव क्षेत्र फ्रेमवर्क

क्षेत्र	वित्तपोषित उत्सर्जन में योगदान	उत्सर्जन तीव्रता	संक्रमण जोखिम	सहभागिता कार्यनीति	बैंक का वि.व. 26 एक्सपोजर
ऊर्जा उत्पादन	35% वित्तपोषित उत्सर्जन	अति तीव्र	संरचनात्मक	नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण हेतु वित्तपोषण	₹48,323 करोड़
लोहा और इस्पात	18% वित्तपोषित उत्सर्जन	अति तीव्र	संरचनात्मक	हरित स्टील वित्तपोषण - डीआरआई/ईएफ तकनीक	मूल धातुओं में शामिल ₹28,183 करोड़
सीमेंट	6% वित्तपोषित उत्सर्जन	अति तीव्र	संरचनात्मक	मिश्रित सीमेंट और ऊर्जा दक्षता ऋण	क्षेत्रों में शामिल
रसायन	1% वित्तपोषित उत्सर्जन	तीव्र	महत्वपूर्ण	हरित रसायन और चक्रीय अर्थव्यवस्था वित्तपोषण	₹14,212 करोड़
खनन एवं उत्खनन	वित्तपोषित उत्सर्जन का 0.30%	तीव्र	महत्वपूर्ण	ईएसजी ड्यू डिलिजेंस और संवहनीय खनन	क्षेत्रों में शामिल



इन पाँच क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक के वित्तपोषित उत्सर्जनों का 60.30% योगदान दिया है, जिससे ये क्षेत्र ग्राहक सहभागिता, हरित उधार रूपांतरण तथा संक्रमण वित्त के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। बैंक उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के साथ नियमित स्तर पर जलवायु संवाद आयोजित करता है तथा ईएसजी स्कोरकार्ड को क्रेडिट निर्णय प्रक्रिया में समाहित करता है।

बैंक ने पहले ही एमएसएमई खंड के लिए ईएसजी स्कोर कार्ड लागू कर दिया है।

संक्रमण योजना उत्कृष्टता

उच्च उत्सर्जन क्षेत्र रूपांतरण कार्यनीति

क्षेत्र	वर्तमान चुनौती	संक्रमण समर्थन	वित्तीय अवसर
खनन एवं उत्खनन	उच्च वित्तपोषित उत्सर्जन	स्वच्छ निष्कर्षण प्रौद्योगिकियां	हरित खनन वित्त
सीमेंट उत्पादन	प्रक्रिया उत्सर्जन	कार्बन कैप्चर और वैकल्पिक सामग्री	संवहनीय सीमेंट परियोजनाएं
पेट्रोलियम और कोयला	जीवाश्म ईंधन निर्भरता	नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण	स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना
मूल धातु	ऊर्जा-गहन प्रक्रियाएं	दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा	हरित स्टील वित्तपोषण
रसायन	उच्च कार्बन फुटप्रिंट	हरित रसायन विज्ञान और पुनर्चक्रण	चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान

ग्राहक संक्रमण समर्थन फ्रेमवर्क

डीकार्बोनाइजेशन कार्यनीतियाँ:

- **स्वच्छ ऊर्जा अपनाना:** सौर, पवन, स्वच्छ हाइड्रोजन वित्तपोषण
- **ऊर्जा दक्षता:** प्रक्रिया अनुकूलन एवं अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति
- **कार्बन कैप्चर:** हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** सामग्री पुनर्चक्रण और संवहनीय संसाधन उपयोग
- **नवाचार वित्त:** सफल प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता

उद्योग सहयोग:

- क्षेत्र रूपांतरण पहल में सक्रिय भागीदारी
- चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान के लिए साझेदारी का विकास
- ग्राहक डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता संबंध
- उद्योग के वर्टिकलों में सर्वोत्तम प्रक्रिया साझा करना

बैंक की संक्रमण योजना

उद्योग	खनन और उत्खनन	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	अवसंरचना	मूल धातु और धातु उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
प्रमुख संक्रमण प्रौद्योगिकियां और कार्यनीतियाँ	1. क्रमिक चरण-धर्मल कोयले से बाहर ❖ संक्रमण धातु ❖ ऑफ-साइट संचालन पर डीकार्बोनाइजेशन ❖ स्वच्छ बिजली ❖ सीसीएस (कार्बन कैप्चर और भंडारण) ❖ वैकल्पिक लाभ और निष्कर्षण	❖ स्वच्छ बिजली ❖ स्वच्छ ईंधन ❖ क्लिंकर विकल्प ❖ सीसीएस ❖ पुनर्चक्रण ❖ ऊर्जा दक्षता ❖ कार्बन कैप्चर और भंडारण	❖ स्वच्छ ईंधन ❖ स्वच्छ बिजली ❖ सीसीएस ❖ धर्मल कोल फेज-आउट ❖ भंडारण और लचीलापन	❖ नवीकरणीय ऊर्जा ❖ स्मार्ट ग्रिड ❖ उन्नत निर्माण सामग्री ❖ मॉड्यूलर निर्माण ❖ जीवनचक्र प्रबंधन ❖ संवर्धित दक्षता	❖ पुनर्चक्रण और द्वितीयक उत्पादन ❖ स्वच्छ बिजली ❖ सीसीएस ❖ निष्क्रिय एनोड ❖ स्वच्छ ईंधन ❖ उन्नत कच्चा माल	❖ वैकल्पिक फीडस्टॉक्स ❖ स्वच्छ हाइड्रोजन ❖ एकल-उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन ❖ सीसीएस ❖ पुनर्चक्रण

उद्योग	खनन और उत्खनन	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	अवसंरचना	मूल धातु और धातु उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
बैंक से उद्योगों की आवश्यकता और बैंक के लिए उत्पन्न होने वाले वित्तीय अवसर	❖ बैंक ग्राहकों के संक्रमण योजनाओं पर उनके साथ संवाद स्थापित करके तथा संक्रमण संबंधी समाधान प्रदान कर उन्हें सहायता प्रदान कर सकता है। ❖ बैंक नीतिनिर्माताओं के साथ सहयोग करते हुए तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सहभागिता कर, संक्रमण योजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से प्रणालीगत परिवर्तन में भागीदारी कर सकता है। ❖ बैंक ग्राहकों के डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को समर्थन देने हेतु वाणिज्यिक अवसरों की पहचान कर सकता है। ❖ बैंक नवीन वित्तपोषण समाधानों को लागू करने तथा ब्लेंडेड वित्त साझेदारियों को विकसित करने का भी लक्ष्य रख सकता है।					

संक्रमण योजना के प्रति बैंक का वर्तमान दृष्टिकोण

बैंक ने अपनी संक्रमण योजना प्रक्रिया में जीसीएएम मॉडल का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से कठिन-डिकार्बोनाइजेशन क्षेत्रों में विभिन्न भविष्यगत मानकों (जैसे उत्पादन, उत्सर्जन, कच्चे माल की आवश्यकता, ऊर्जा उपभोग एवं तकनीकी परिवर्तन) का आकलन किया जाता है। जीसीएएम मॉडल पर आधारित दो भिन्न परिदृश्यों का उपयोग करते हुए, बैंक इन क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न संभावित जोखिमों एवं अवसरों का निर्धारण करने का प्रयास कर रहा है।

जीसीएएम मॉडल वाले दो अलग-अलग परिदृश्य इस प्रकार हैं:

- ❖ परिदृश्य 1 (बीएयू): भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र अर्थात "विकसित भारत" बन रहा है।
- ❖ परिदृश्य 2 (नेट जीरो): भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त कर रहा है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण रोडमैप - जलवायु और ईएसजी

नवाचार क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	वित्तीय वर्ष 2026-27 योजनाएं	कार्यनीतिक प्रभाव
ईएसजी डेटा एकीकरण	परिचालन	ऋण में पूर्ण परिचालन उपयोग	ईएसजी मूल्यांकन क्रेडिट निर्णयों में अंतर्निहित है
भौतिक जोखिम मूल्यांकन (अक्षांश/लंबा)	कार्यान्वयन के अंतर्गत	पायलट कार्यान्वयन	आस्ति स्तर पर विस्तृत भौतिक जोखिम अनुश्रवण
वित्तपोषित उत्सर्जन आकलन	परिचालन	डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना	अधिक सटीक एवं सूक्ष्म स्तर पर उत्सर्जन रिपोर्टिंग
संक्रमण जोखिम मूल्यांकन	कार्यान्वयन के अंतर्गत	ग्राहक स्तर का विस्तृत मूल्यांकन	संक्रमण वित्त पहचान के लिए अवसर
टीएनएफडी प्रकृति मूल्यांकन	परियोजना वित्त हामीदारी के लिए	सभी क्षेत्रों के लिए	जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जोखिम एकीकरण

परिचालन संवहनीयता

बैंक ने वैश्विक बैंकिंग उद्योग के लक्ष्यों से आगे रहते हुए, वर्ष 2035 तक अपने स्वयं के परिचालनों में नेट-ज़ीरो प्राप्त करने का संकल्प लिया है। यह प्रतिबद्धता तीन आयामों को सम्मिलित करती है: परिचालन ऊर्जा खपत को 100% नवीकरणीय स्रोतों में परिवर्तित करना, लैंडफिल हेतु अपशिष्ट को समाप्त करना, सभी नई एवं नवीनीकृत अवसंरचना में हरित बिल्डिंग प्रमाणन मानकों को समाहित करना, इन परिचालन संवहनीयता प्रतिबद्धताओं का अनुश्रवण एक केंद्रीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तथा इन्हें बोर्ड के ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत रिपोर्ट किया जाता है।

- 2035 तक नेट-ज़ीरो परिचालन का लक्ष्य — स्वयं के परिचालन में कार्बन तटस्थता (स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन)
- बैंक के स्वामित्व वाले और पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए हरित भवन प्रमाणन - ईएसजीएससी के मार्गदर्शन में मानकीकृत कार्यान्वयन
- बैंक कार्यालयों में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से परिचालन लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है।
- संवहनीय खरीद प्रथाएं — विक्रेता चयन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में पर्यावरणीय मानदंडों को शामिल करना
- डिजिटल-प्रथम संचालन — डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कागज की खपत, यात्रा और संबंधित उत्सर्जन को कम करना



परिचालन संवहनीयता पहल	स्थिति	लक्ष्य
नेट-ज़ीरो परिचालन	2035 तक प्रतिबद्ध	स्कोप 1 और 2 कार्बन तटस्थता
नवीकरणीय ऊर्जा खरीद	कार्य जारी — चुनिंदा सुविधाओं के लिए पीपीए	2035 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा
हरित भवन प्रमाणन	नई शाखाओं का निर्माण कार्य जारी है	सभी नए परिसरों को प्रमाणित किया गया है.
एलईडी लाइटिंग रेट्रोफिट	उन्नत कार्यान्वयन	100% शाखाएँ
कागज की कटौती	आंतरिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण	शून्य कागज लक्ष्य
यात्रा उत्सर्जन में कमी	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाना	वित्तीय वर्ष 2028 तक यात्रा में 50% की कमी
ई-कचरा प्रबंधन	प्रमाणित ई-कचरा रीसाइक्लिंग भागीदार	100% अनुपालन के साथ निपटान

2035 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता

उत्सर्जन प्रोफ़ाइल (tCO ₂ e)		
वित्तीय वर्ष	2026	2025
स्कोप 1 (वाहन ईंधन, डीजी सेट, एसी)	11,143	11,166
स्कोप 2 (बिजली की खपत)	1,60,565	1,66,961
स्कोप 3 (आपूर्ति श्रृंखला, कारोबारी यात्रा)	2,18,069	2,34,734
कुल उत्सर्जन	3,89,777	4,12,861

आधार और लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2024 के लिए नेट-ज़ीरो लक्ष्य की यात्रा का आधार स्तर
1.5 °C मार्ग संरेखण (पेरिस समझौता)
विज्ञान-आधारित लक्ष्य पद्धति को अपनाना

कमी लाने की पहल
नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन (सौर ऊर्जा संयंत्र)
हरित भवन प्रमाणन (आईजीबीसी मानक)
ऊर्जा दक्षता में सुधार
अपशिष्ट प्रबंधन अनुकूलन
जल रीसाइक्लिंग और संरक्षण उपाय

स्कोप 3 उत्सर्जन – श्रेणी 15 वित्तपोषित उत्सर्जन के अतिरिक्त

स्कोप 3 श्रेणी	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
श्रेणी 1 – खरीदी गई वस्तुएँ और सेवाएँ	tCO ₂ e	34,305	37,837
श्रेणी 2 – पूंजीगत वस्तुएँ एवं सेवाएँ	tCO ₂ e	14,132	18,817
श्रेणी 3 – ईंधन और ऊर्जा, जो स्कोप 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते.	tCO ₂ e	35,827	41,347
श्रेणी 5 – परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट	tCO ₂ e	10,656	10,590
श्रेणी 6 – कारोबारी यात्रा	tCO ₂ e	19,242	23,292
श्रेणी 7 – कर्मचारियों का आवागमन	tCO ₂ e	1,00,732	1,00,677
श्रेणी 8 – अपस्ट्रीम लीज्ड एसेट	tCO ₂ e	3,175	2,173
कुल		2,18,069	2,34,734

नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना

सौर स्थापना की स्थिति	क्षमता	पर्यावरणीय लाभ
नियुक्त और कार्यरत	1,137 किलोवाट (22 स्थान)	तत्काल उत्सर्जन में कमी
नेट मीटरिंग का इंतजार है	78 किलोवाट (3 स्थान)	ग्रिड एकीकरण के लाभ
कार्य प्रगति पर है	80 किलोवाट (2 स्थान)	विस्तार की गति
प्रस्तुत	50 किलोवाट (1 स्थान)	भविष्य में क्षमता वृद्धि
कुल नियोजित	1,345 किलोवाट	महत्वपूर्ण कार्बन बचत

हरित भवन पहल

प्रमाणन प्रगति	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	प्रभाव
ऊर्जा दक्षता लाभ	औसत दर्जे का	औसत दर्जे का	परिचालन लागत में कमी
कार्बन फुटप्रिंट में कमी	महत्वपूर्ण	महत्वपूर्ण	उत्सर्जन तीव्रता में सुधार

व्यापक पर्यावरण प्रबंधन

पहल	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	पर्यावरणीय प्रभाव
ई-कचरा रीसाइक्लिंग	4.93 मीट्रिक टन	18.09 मीट्रिक टन	-
ऊर्जा की खपत	879,550 जीजे	892,585 जीजे	दक्षता अनुकूलन
नवीकरणीय ऊर्जा	17,208 जीजे	16,542 जीजे	4% की वृद्धि

परिचालन उत्कृष्टता: नवीकरणीय ऊर्जा में हमारी वृद्धि हमारे अपने परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

मूल्य श्रृंखला ईएसजी मूल्यांकन

बैंक ने पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी मापदंडों पर विक्रेताओं के कार्यनिष्पादन के अनुश्रवण के लिए एक व्यापक ईएसजी मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में संवहनीय प्रथाओं के निरंतर मूल्यांकन को सक्षम बनाता है। इस अनुश्रवण फ्रेमवर्क के माध्यम से, बैंक पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं और गवर्नेंस मानकों सहित प्रमुख संवहनीय मापदंडों पर उनके निरंतर कार्यनिष्पादन के आधार पर विक्रेताओं को ईएसजी कार्यनिष्पादन रेटिंग प्रदान करता है।

ईएसजी अनुश्रवण प्रक्रिया विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवहनीय कार्यनिष्पादन की लगातार अनुश्रवण की जाती है और किसी भी उभरते जोखिम की तुरंत पहचान की जाती है और उसका समाधान किया जाता है।

कारोबार में जलवायु जोखिम का एकीकरण

परिदृश्य विश्लेषण ढांचा

भौतिक जोखिम मूल्यांकन:

- **अल्पावधि (2030):** मौसम की गंभीर घटनाओं का परिचालन पर प्रभाव
- **मध्यम अवधि (2040):** आस्ति मूल्यों पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव
- **दीर्घावधि (2050):** व्यापार मॉडल पर जलवायु का प्रणालीगत प्रभाव

बैंक ने जलवायु डेटा और वर्षा पूर्वानुमानों का उपयोग करके बाढ़ से उत्पन्न भौतिक जोखिम का आकलन किया है। भौतिक जोखिम आकलन के लिए उपयोग किए गए वर्षा पूर्वानुमान संयुक्त मॉडल तुलनात्मक परियोजना चरण 6 (सीएमआईपी6) के जलवायु डेटा, विशेष रूप से माइरोक मॉडल पर आधारित हैं।

चक्रवात से उत्पन्न भौतिक जोखिम के आकलन के लिए, बैंक ने क्लिमाडा (भौतिक जोखिम आकलन हेतु उपलब्ध ओपन-सोर्स पैकेज) का उपयोग किया है, जो प्रभाव और क्षति का आकलन करने में सहायक है। बैंक के प्रत्येक स्थान के लिए, अक्षांश और देशांतर के आधार पर बैंक ने अपेक्षित वार्षिक प्रभाव (ईएआई) की गणना की है।

बैंक जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से वर्तमान में मौजूद 2 (बाढ़ और चक्रवात) के अलावा 17 भौतिक जोखिम खतरों (हीटवेव, कोल्डवेव, अत्यधिक वर्षा, सूखा, नदी में बाढ़, तटीय बाढ़, जल संकट, जल मांग, जल परिवर्तनशीलता, जंगल की आग, भूस्खलन, भूकंप, समुद्र स्तर में वृद्धि, मृदा द्रवीकरण, मृदा अपरदन और महासागर अम्लीकरण) को लागू कर रहा है.

परिवर्तन जोखिम मूल्यांकन:

- नीतिगत जोखिम:** कार्बन मूल्य निर्धारण और विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव
- प्रौद्योगिकी जोखिम:** उच्च कार्बन क्षेत्रों में फंसे हुए आस्तियों का मूल्यांकन
- बाजार जोखिम:** ग्राहकों की प्राथमिकता संवहनीय विकल्पों की ओर बढ़ रही है
- प्रतिष्ठा जोखिम:** हितधारकों के साथ संबंधों पर ईएसजी कार्यानिष्पादन का प्रभाव

बैंक ने यूरोपीय बाजारों में जोखिम वाले और उन निर्यात उधारकर्ताओं के लिए परिवर्तन जोखिम का आकलन विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे कि बॉटम-अप दृष्टिकोण, पैक्टा (पेरिस समझौता पूंजी परिवर्तन मूल्यांकन) मॉडल का उपयोग और सीबीएम (कार्बन सीमा समायोजन तंत्र) विश्लेषण के माध्यम से किया है जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जहां उत्सर्जन को कम करना कठिन है.

बैंक द्वारा कार्यान्वित एकीकृत जलवायु जोखिम समाधान में एक परिवर्तन जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल है जिसमें कवरेज, क्षेत्र और आस्ति स्कोप, परिदृश्य और समय-सीमा का विश्लेषण, उच्च स्तरीय परिणाम, कार्यात्मक कवरेज और एमएसएमई एवं गैर-सूचीबद्ध पोर्टफोलियो के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण शामिल हैं. यह मॉड्यूल मुख्य रूप से कॉर्पोरेट जोखिमों के लिए आस्ति-स्तरीय परिवर्तन जोखिम मूल्यांकन ढाँचे के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसे बाद में उधारकर्ता-स्तरीय और पोर्टफोलियो-स्तरीय दृष्टिकोणों में समेकित किया जाता है. यह परिवर्तन पथों को परिचालन प्रभावों, वित्तीय दबाव और पीडी, एलजीडी तथा अपेक्षित हानि जैसे ऋण जोखिम परिणामों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक संपूर्ण गणना श्रृंखला को कवर करता है.

दबाव परीक्षण कार्यान्वयन

दबाव परीक्षण श्रेणी	कार्य-पद्धति	कारोबार एप्लिकेशन
जलवायु भौतिक जोखिम	भौगोलिक भेद्यता मानचित्रण	शाखा नेटवर्क सुदृढ़ता योजना, संपार्श्विक भेद्यता, कॉरपोरेट्स के नकदी प्रवाह पर प्रभाव
परिवर्तन जोखिम	क्षेत्र उत्सर्जन तीव्रता विश्लेषण	क्रेडिट पोर्टफोलियो का अनुकूलन, कार्बन टैक्स का ग्राहकों के राजस्व और लाभप्रदता पर प्रभाव
संयुक्त परिदृश्य	एकीकृत जलवायु प्रभाव मॉडलिंग	कार्यनीतिक कारोबार योजना

आईसीएएपी एकीकरण:जलवायु जोखिम हमारी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में अंतर्निहित है, जो विनियामक अनुपालन और कार्यनीतिक जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करती है.

परिहारित उत्सर्जन और सकारात्मक प्रभाव :

वित्तपोषित परिहारित उत्सर्जन गणना

सकारात्मक जलवायु प्रभाव

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
वित्तपोषण	₹33,572 करोड़	₹27,668 करोड़
परिहारित उत्सर्जन	35 मिलियन tCO ₂ e	30 मिलियन tCO ₂ e
वार्षिक वित्तपोषित परिहारित उत्सर्जन	6 मिलियन tCO ₂ e	3 मिलियन tCO ₂ e *
सड़क से कारों को हटाने के बराबर	2.4 मिलियन	1.2 मिलियन

*नोट: संशोधित गणनाओं के अनुसार.

हरित परिवहन		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
ईवी वित्तपोषण	₹2,084 करोड़	₹779 करोड़
वित्तपोषित वाहन	15,859	8204
वार्षिक वित्तपोषित परिहारित उत्सर्जन	10,866 tCO ₂ e	10,204 tCO ₂ e
भारत के इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लक्ष्यों का समर्थन करना		

ऊर्जा-कुशल आवास		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025
ग्रीन होम लोन	₹1,779 करोड़	₹197 करोड़
वित्तपोषित घर	1,082	116
वार्षिक वित्तपोषित परिहारित उत्सर्जन	4178 tCO ₂ e	163 tCO ₂ e
संवहनीय शहरी विकास को बढ़ावा देना		

जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव: हमारा ग्रीन फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो संभावित रूप से वार्षिक **6 मिलियन tCO₂e से अधिक** उत्सर्जन को कम करता है, जिससे हम भारत के जलवायु लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन जाते हैं।

संवहनीय वित्त फ्रेमवर्क

बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क घटक

फ्रेमवर्क तत्व	सत्यापन	कार्यनीतिक उद्देश्य
संसाधन जुटाना	मूडीज़ की द्वितीय पक्षीय राय	बाजार विश्वसनीयता
वित्तपोषण फ्रेमवर्क	स्वतंत्र सत्यापन	पारदर्शी आवंटन
आश्वासन तंत्र	बाह्य सत्यापन	हितधारकों का विश्वास
प्रभाव रिपोर्टिंग	नियमित अनुश्रवण	जवाबदेही फ्रेमवर्क

संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्य संरेखण

एसडीजी लक्ष्य	हमारा योगदान	वित्तीय आबंटन		मापा प्रभाव
		वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	
एसडीजी 7 (स्वच्छ ऊर्जा)	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण	₹33,572 करोड़	₹27,668 करोड़	क्षमता वृद्धि ट्रेकिंग
एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई)	हरित उत्पाद पोर्टफोलियो	₹3,863 करोड़ से अधिक	₹975 करोड़ से अधिक	उत्सर्जन कटौती मैट्रिक्स
एसडीजी 11 (संवहनीय शहर)	हरित गृह वित्तपोषण	₹1,779 करोड़	₹197 करोड़	ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना
एसडीजी 9 (नवाचार)	स्वच्छ प्रौद्योगिकी समर्थन	एकीकृत		नवाचार वित्तपोषण

साझेदारी इकोसिस्टम

कार्यनीतिक जलवायु साझेदारी

साथी	सहयोग क्षेत्र	कार्यनीतिक मूल्य
पीसीएफ (पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स)	वित्तपोषित उत्सर्जन इकोसिस्टम तंत्र	वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ
जीआईजेड (डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट)	इस्पात एवं सीमेंट क्षमता निर्माण	क्षेत्र विशेषज्ञता
सीईईडब्ल्यू (ऊर्जा, पर्यावरण और जल संबंधी परिषद)	जीसीएम इंडिया मॉडल के उपयोग के उदाहरण	नीतिगत अंतर्दृष्टि

वैश्विक सम्मान:

- पीसीएफ के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हमारी स्थिति और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ हमें संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं में एक अग्रणी विचारक के रूप में स्थापित करती हैं।
- जनवरी 2026 में, मेसर्स मूडीज़ रेटिंग्स ने बैंक के सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को SQS2 "वेरी गुड सस्टेनेबिलिटी क्वालिटी" की रेटिंग दी है, जो मूडीज़ के SQS (सस्टेनेबिलिटी क्वालिटी स्कोर) स्केल पर दूसरी सबसे अच्छी रेटिंग है।

घरेलू सम्मान:

- 17 फरवरी, 2026 को, मेसर्स केयर ईएसजी रेटिंग्स लिमिटेड ने बैंक को "केयरएज-ईएसजी 1+" की ईएसजी रेटिंग प्रदान की। यह रेटिंग ईएसजी जोखिम प्रबंधन में अग्रणी स्थिति को दर्शाती है, जो बैंक द्वारा सर्वोत्तम प्रकटीकरण, नीतियों और कार्यनिष्पादन के माध्यम से हासिल की गई है।



• बिजनेस वर्ल्ड द्वारा भारत की सबसे संवहनीय कंपनियां (आईएमएससी):

बिजनेस वर्ल्ड द्वारा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को 2024-25 के लिए भारत की शीर्ष 60 सबसे संवहनीय कंपनियों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है, जो संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं और जिम्मेदार विकास के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वैश्विक आयोजन:

- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई क्लाइमेट वीक (एमसीडब्ल्यू) 2026 में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता भूमिका निभाई, जिससे वह जलवायु वित्त, ईएसजी एकीकरण, और परिवर्तन योजना में भारत के सबसे सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में स्थापित हुआ। यह आयोजन 17-19 फरवरी 2026 के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई में आयोजित किया गया, जो जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख मंच है।
- बैंक ने एमसीडब्ल्यू (2026) में “यूनिन बैंक क्लाइमेट संवाद” का आयोजन किया, जो उत्सर्जन में कमी लाने में मुश्किल क्षेत्रों के परिवर्तन पर केंद्रित एक उच्च-स्तरीय बहु-हितधारक मंच था, जिसमें निम्नलिखित को एक साथ लाया गया:
 - » उद्योग जगत के लीडर्स
 - » विनियामक और नीति निर्माता
 - » वित्तीय संस्थान और निवेशक
 - » ईएसजी रेटिंग एजेंसियां और थिंक टैंक

चर्चाओं में निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियां, डेटा अंतर, विनियामक विकास, मांग-पक्ष दबाव, और नवाचारी परिवर्तन वित्त लिखत शामिल थे।

- यूनिन बैंक ने एमसीडब्ल्यू (2026) में तीन ज्ञान पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिनका उद्देश्य जलवायु महत्वाकांक्षा को भारतीय उद्योग के लिए बैंक योग्य और निवेश योग्य मार्गों में परिवर्तित करना था।
 - » **इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों का कार्बन उत्सर्जन कम करना:**
जीआईजेड (जर्मनी) के साथ सह-विकसित, यह पत्र भारत के दो सर्वाधिक कार्बन-गहन उद्योगों के डिकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी मार्ग, क्षेत्रीय तत्परता, और वित्तपोषण तंत्र को रेखांकित करता है।
 - » **परिवर्तन नियोजन के लिए जलवायु परिदृश्य मॉडलिंग:**
सीईईडब्ल्यू के साथ विकसित, यह दस्तावेज यूनिन बैंक द्वारा जीसीएएम (ग्लोबल चेंज एनालिसिस मॉडल) के अग्रणी उपयोग को दर्शाता है, जिसका उपयोग भारत-विशिष्ट जलवायु परिदृश्य तैयार करने के लिए किया गया है, जिसमें जलवायु जोखिम और अवसरों को ऋण और पोर्टफोलियो निर्णय-निर्माण में एकीकृत किया गया है।
 - » **परिचालनात्मक डीकार्बोनाइजेशन और नेट-जीरो रोडमैप:**
अर्स्ट एंड यंग (ईवाई) के साथ सह-निर्मित, यह रोडमैप इस बात का विवरण देता है कि बैंक किस प्रकार अपने नेट-जीरो 2035 प्रतिबद्धता (स्कोप 1 एवं 2) को गवर्नेंस, कार्यनीति, और आंतरिक प्रक्रियाओं में समाहित कर रहा है।
- यूनिन बैंक ने एमसीडब्ल्यू (2026) में क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (सीपीआई) के साथ साझेदारी में एक उद्योग-प्रथम “**भारतीय बैंकों के लिए ईएसजी प्रमाणन कार्यक्रम**” लॉन्च किया।
यह कार्यक्रम बैंक अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है:
 - » ईएसजी जोखिम प्रबंधन
 - » हरित एवं परिवर्तन वित्त
 - » संवहनीयता रिपोर्टिंग और गवर्नेंस

इस पहल का उद्देश्य भारत के बैंकिंग इकोसिस्टम में ईएसजी के एकीकरण को मजबूत करना है।

प्राकृतिक पूँजी जोखिम और अवसर मैट्रिक्स

जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण

जोखिम श्रेणी	प्रभाव स्तर	न्यूनीकरण कार्यनीति	कारोबार अवसर
भौतिक जलवायु जोखिम	कम	भौगोलिक विविधता	जलवायु-सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण
परिवर्तन जोखिम	मध्यम	क्षेत्र जोखिम प्रबंधन	हरित परिवर्तन वित्तपोषण
विनियामक जोखिम	कम	सक्रिय अनुपालन	प्रथम-प्रवर्तक लाभ
प्रतिष्ठात्मक जोखिम	मध्यम	ईएसजी नेतृत्व की स्थिति	ब्रांड विभेदन
अप्रयोज्य आस्तियाँ	न्यून-मध्यम	पोर्टफोलियो अनुश्रवण	आस्ति परिवर्तन वित्तपोषण

अवसर की पहचान और उसे प्राप्त करना

अवसर क्षेत्र	मार्केट साइज	हमारी स्थिति	कैप्चर कार्यनीति
नवीकरणीय ऊर्जा वित्त	100 अरब डॉलर से अधिक (भारत)	बाज़ार निर्णायक	पोर्टफोलियो को बढ़ाकर ₹50,000 करोड़
ग्रीन बॉन्ड बाज़ार	50 अरब डॉलर से अधिक (भारत)	प्रारंभिक प्रवेशकर्ता	₹5,000 करोड़ का निर्गमन
जलवायु प्रौद्योगिकी वित्तपोषण	25 अरब डॉलर से अधिक (भारत)	एक्सप्लोरर	आरबीआई द्वारा प्रस्तावित क्लाइमेट टेक सैंडबॉक्स का लाभ उठाना
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग	5 अरब डॉलर से अधिक (भारत)	एक्सप्लोरर	बाज़ार में प्रवेश की तैयारी

कार्यनिष्पादन मापन एवं रिपोर्टिंग

प्राकृतिक पूंजी केपीआई

केपीआई श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2026 का कार्यनिष्पादन	वित्तीय वर्ष 2025 का कार्यनिष्पादन	दीर्घकालिक लक्ष्य
ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो	₹33,572 करोड़ नवीकरणीय	₹27,688 करोड़ नवीकरणीय	बाज़ार में अग्रणी बनना
वित्तपोषित उत्सर्जन तीव्रता	46.92	41.35	क्षेत्रवार उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करना
स्वयं के परिचालन से होने वाला उत्सर्जन	0.40 Mn tCO ₂ e	0.41 Mn tCO ₂ e	नेट-ज़ीरो (2035)
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता	1.3+ मेगावाट की योजनाबद्ध	1.3+ मेगावाट की योजनाबद्ध	2030 तक छत पर सौर ऊर्जा लगाने का अधिकार रखने वाले सभी उपयुक्त परिसरों में सौर ऊर्जा स्थापित करना.

जलवायु जोखिम डैशबोर्ड मेट्रिक्स

जलवायु जोखिम मेट्रिक्स

परिवर्तन जोखिम एक्सपोजर			
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	
वित्तपोषित उत्सर्जन के उच्च-उत्सर्जन क्षेत्र	60.30%	67.36%	
ग्राहक परिवर्तन योजनाएँ			विकासाधीन
क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन और अनुश्रवण			

भौतिक जोखिम भेद्यता	
शाखा जोखिम स्कोर स्केल मैपिंग: 0-100	
जलवायु डेटा का एकीकरण: परिचालन योजना	
संपार्श्विक जोखिम मूल्यांकन: भौगोलिक भेद्यता	
व्यापक भौतिक जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क	

पोर्टफोलियो डीकार्बोनाइजेशन			
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026	वित्तीय वर्ष 2025	
आधारभूत वित्तपोषित उत्सर्जन	64.4 Mn tCO ₂ e	53.8 Mn tCO ₂ e	
वित्तपोषित परिहार उत्सर्जन	6+ Mn tCO ₂ e	3 + Mn tCO ₂ e	
व्यवस्थित डीकार्बोनाइजेशन मापन और ट्रैकिंग			

बाजार विकास कार्यनीति

ग्रीन फाइनेंस विस्तार

- नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण को प्रमुख और सबसे बड़ा पोर्टफोलियो सेगमेंट बनाना — वित्तीय वर्ष 2028 तक ₹50,000 करोड़ का लक्ष्य.
- कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खुदरा ग्राहकों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट हरित वित्तपोषण उत्पाद विकसित करना.
- कारोबार परिचालन के संपूर्ण जीवनचक्र को संबोधित करते हुए एकीकृत हरित एमएसएमई और खुदरा उत्पाद श्रृंखलाएं बनाना.

जलवायु जोखिम नेतृत्व

- बैकिंग क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए भारत का बेंचमार्क संस्थान बनाना।
- मुख्य बैकिंग प्रक्रियाओं में एकीकृत स्वामित्व वाले जलवायु जोखिम मूल्यांकन उपकरण विकसित करना।
- लार्ज कॉर्पोरेट ग्राहकों को परिवर्तन मार्गों और हरित वित्तपोषण संरचनाओं पर जलवायु संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- आरबीआई और अन्य उद्योग-नेतृत्व वाले जलवायु-संबंधी कार्य समूहों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उद्योग मानकों के विकास का नेतृत्व करना।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर उधारकर्ताओं के साथ संरचित संवाद स्थापित करने के लिए नियमित यूबीआई जलवायु संवाद आयोजित करना।

संवहनीय नवाचार

- जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ साझेदारी करके अगली पीढ़ी के संवहनीय बैंकिंग समाधान विकसित करना.
- एक्सचेंज और विनियामक निकायों के सहयोग से अग्रणी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और वित्तपोषण समाधान.
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण फ्रेमवर्क विकसित करना.
- वैश्विक हरित पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त साझेदारी स्थापित करना.

प्राकृतिक पूंजी के माध्यम से हितधारकों के लिए मूल्य सृजन

हितधारक	प्राकृतिक पूंजी मूल्य प्रदान किया गया	स्केल
जलवायु और पर्यावरण	भारत के 500 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण का समर्थन 2035 तक नेट-ज़ीरो परिचालन की प्रतिबद्धता	₹33,572 करोड़ नवीकरणीय
समाज और समुदाय	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार	₹2,084 करोड़ के इलेक्ट्रिक वाहन ऋण
शेयरधारक	हरित उत्पादों से आय के नए स्रोत जलवायु जोखिम शमन से आस्ति मूल्यों की सुरक्षा	₹37,435 करोड़ का पोर्टफोलियो
ग्राहक	ईएसजी मूल्यों के अनुरूप संवहनीय वित्तपोषण उत्पाद हरित गृह और इलेक्ट्रिक वाहन ऋण उत्पाद	₹3,863 करोड़ का नया हरित खुदरा
विनियामक	सक्रिय टीसीएफडी/टीएनएफडी अनुपालन पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता आरबीआई जलवायु फ्रेमवर्क तत्परता	प्रथम-प्रवर्तक नेतृत्व

विनियामक नेतृत्व और अनुपालन

विनियामक फ्रेमवर्क संरेखण

नियम/दिशानिर्देश	हमारा कार्यान्वयन	अनुपालन स्थिति	कार्यनीतिक लाभ
आरबीआई के जलवायु जोखिम संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा	व्यापक फ्रेमवर्क	कार्यान्वयन के अधीन	प्रारंभिक कार्यान्वयनकर्ता लाभ
सेबी ईएसजी प्रकटीकरण मानदंड	विस्तृत रिपोर्टिंग	आवश्यकताओं को पूरा किया गया	हितधारकों का विश्वास
अंतरराष्ट्रीय मानक	पीसीएफ, टीसीएफडी, आईएसएसबी एस2 संरखण	अभ्यास में अग्रणी	वैश्विक पहचान
वर्गीकरण विकास	सक्रिय भागीदारी	प्रभाव विकास	विचार नेतृत्व

विनियामक उत्कृष्टता: जलवायु जोखिम विनियमन के प्रति हमारा सक्रिय दृष्टिकोण हमें उद्योग में अग्रणी और विनियामकों के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

अन्य पूंजी के साथ एकीकरण

प्राकृतिक पूंजी मूल्य सृजन संबंध

वित्तीय पूंजी को सक्षम बनाना:

- **₹37,435 करोड़ का हरित पोर्टफोलियो** बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिफल उत्पन्न करना
- **जलवायु जोखिम शमन** आस्ति मूल्यों की रक्षा करना और प्रावधानों को कम करना
- **नए बाजार के अवसर** विविध राजस्व स्रोतों का सृजन करना
- **लागत अनुकूलन** परिचालन स्थिरता पहलों के माध्यम से

बौद्धिक पूंजी का लाभ उठाना:

- **जलवायु जोखिम प्रौद्योगिकी** मूल्यांकन और अनुश्रवण क्षमताओं को बढ़ाना
- **डेटा विश्लेषण** उत्सर्जन ट्रेकिंग और पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म** हरित उत्पाद वितरण और ग्राहक सहभागिता के लिए
- **नवाचार साझेदारी** संवहनीय समाधान विकास के लिए

विनिर्मित पूंजी का समर्थन करना:

- **ग्रीन बिलडिंग प्रमाणन** से परिचालन दक्षता में सुधार हो रहा है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा संयोजन** से परिचालन लागत कम हो रही है।
- **संवहनीय अवसंरचना** दीर्घकालिक आस्ति मूल्य को बढ़ा रही है।
- **जलवायु-सुदृढ़ सुविधाएँ** कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।

सामाजिक एवं संबंध पूंजी को सुदृढ़ करना:

- **सामुदायिक जलवायु लाभ** संचालन हेतु सामाजिक स्वीकृति को सुदृढ़ करते हैं
- **संवहनीय वित्त समाधान** के माध्यम से **ग्राहक सहभागिता**
- **पारदर्शी जलवायु कार्रवाई** के माध्यम से **हितधारकों का विश्वास**
- **सक्रिय अनुपालन नेतृत्व** के माध्यम से **विनियामक संबंध**

भविष्य का विजन: जलवायु-सकारात्मक बैंकिंग में अग्रणी होना

जलवायु नेतृत्व के लिए कार्यनीतिक पिलर

1. पोर्टफोलियो रूपांतरण (2026-2030)

- क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करना
- ग्रीन पोर्टफोलियो को वृद्धिशील कारोबार में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाना

2. परिचालन उत्कृष्टता (2026-2035)

- 2035 तक नेट-जीरो परिचालन प्राप्त करना (वैश्विक बैंकिंग लक्ष्यों से पहले)
- परिचालन के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा
- लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट



3. नवाचार नेतृत्व (2026-2030)

- व्यापक जलवायु जोखिम मूल्यांकन समाधान लागू करना
- कॉर्पोरेट्स के लिए एकीकृत ईएसजी परामर्श सेवाएँ विकसित करना
- कार्बन क्रेडिट व्यापार एवं वित्तपोषण समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना

4. बाजार का विकास (2026-2030)

- निर्गम में प्रमुख हिस्सेदारी के साथ भारत के ग्रीन बॉन्ड बाजार का नेतृत्व करना
- जलवायु तकनीक वित्तपोषण इकोसिस्टम का निर्माण करना
- प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण फ्रेमवर्क का विकास करना
- अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त साझेदारियाँ स्थापित करना

निष्कर्ष: कार्यनीतिक विभेदक के रूप में प्राकृतिक पूंजी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्राकृतिक पूंजी कार्यनीति केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है - यह एक व्यापक कारोबारी रूपांतरण है जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पैदा करता है, नए राजस्व स्रोत उत्पन्न करता है और दीर्घकालिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। हमारा **₹37,435 करोड़ का हरित पोर्टफोलियो**, **व्यापक जलवायु जोखिम फ्रेमवर्क** और **नेट-ज़ीरो परिचालन प्रतिबद्धता** हमें भारत में जलवायु-सकारात्मक बैंकिंग के अग्रणी के रूप में स्थापित करते हैं।

प्रमुख प्राकृतिक पूंजी उपलब्धियां - वित्तीय वर्ष 2026:

- नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में **बाजार का नेतृत्व**
- पीसीएएफ-आधारित उत्सर्जन ट्रेकिंग और परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से **जोखिम एकीकरण में उत्कृष्टता**
- एंड-टू-एंड जलवायु जोखिम समाधान तथा प्रकृति मूल्यांकन के साथ **नवाचार में अग्रणी**

कार्यनीतिक मूल्य सृजन: हमारे प्राकृतिक पूंजी निवेश सभी हितधारक समूहों के लिए मापनीय प्रतिफल उत्पन्न करते हैं, साथ ही भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान भी करते हैं। कोर बैंकिंग परिचालनों में पर्यावरणीय विचारों का समावेश एक संवहनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उत्पन्न करता है, जो दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्रोत्साहित करता है।

भविष्य के लिए तैयार स्थिति: जैसे-जैसे जलवायु संबंधी विचार बैंकिंग विनियमों और ग्राहक अपेक्षाओं का केंद्रीय हिस्सा बनते जा रहे हैं, हमारा व्यापक प्राकृतिक पूंजी फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करता है कि हम बाजार के विकास से आगे बने रहें, अवसरों का लाभ उठाएँ तथा भारत के संवहनीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में जोखिमों को कम करें।

प्राकृतिक पूंजी एक प्रमुख कार्यनीतिक साधन के रूप में कार्य करती है, जो वित्तीय कार्य-निष्पादन को सुदृढ़ करती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, हितधारक सहभागिता को गहरा करती है, तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भारत में संवहनीय बैंकिंग में अग्रिम स्थान पर स्थापित करती है।

बौद्धिक पूंजी

ज्ञान-आधारित आस्तियों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना

परिचय

बौद्धिक पूंजी बैंक की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संबंधों तथा संगठनात्मक संस्कृति में निहित अमूर्त, ज्ञान-आधारित आस्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संवहनीय मूल्य सृजन को सक्षम बनाती हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बौद्धिक पूंजी में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, तकनीकी नवाचार, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, संस्थागत कर्मचारी ज्ञान प्रणाली और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल समाधान शामिल हैं। ये सभी क्षमताएँ मिलकर पारंपरिक बैंकिंग परिचालनों को एक डिजिटल रूप से सक्षम, सुरक्षित, सुदृढ़ तथा ग्राहक-केंद्रित सेवा प्रदाय मॉडल में परिवर्तित कर रही हैं, जिससे तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय इकोसिस्टम में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने विकास को गति प्रदान करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के अपने कारोबारी उद्देश्यों के अनुरूप एक व्यापक डिजिटल, एनालिटिक्स एवं आईटी कार्यनीति तैयार की। एक प्रमुख परिवर्तनकारी पहल के रूप में बैंक ने उत्पाद-केंद्रित दृष्टिकोण से ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक अंतर्दृष्टियों का उपयोग करके व्यक्तिगत उत्पादों और बेहतर अनुभव प्रदान किए गए। बैंक के कार्यनीतिक फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल थे: डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, जोखिम गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा ढाँचों को सुदृढ़ करना, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने हेतु डेटा प्रबंधन को उन्नत करना, तथा विस्तार क्षमता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए आईटी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना।

डिजिटल उत्पाद पोर्टफोलियो और कारोबारी प्रभाव

डिजिटल कार्य-निष्पादन संकेतक	वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धि
डिजिटल ऋण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कारोबार	₹1,18,000+ करोड़ (15+ डिजिटल प्रक्रियाएं)
डिजिटल जमा संग्रहण	₹21,290+ करोड़
यूवीकॉन (व्हाट्सएप बैंकिंग) उपयोगकर्ता	75+ लाख उपयोगकर्ता
यूवीकॉन अनुरोध सेवित	4.50 करोड़ अनुरोध
डिजिटल एमएसएमई ऋण प्रक्रिया	1,10,270 खाते ₹4,505 करोड़
एमएसएमई खातों का डिजी नवीनीकरण (₹25 लाख तक)	11.95 लाख खाते (स्लैब में कुल का 98%)
पीएम सूर्य घर डिजिटल मंजूरी	कुल 69,601 खातों में से 51,700 खातों को मंजूरी
डिजिटल शिक्षा ऋण (प्रमुख संस्थान, महिला छात्र)	कुल 721 खातों में से 192 खाते
प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बीमा उत्पाद	44 उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, बजाज उत्पादों सहित)

एमएसएमई डिजिटल प्रक्रिया कार्य-निष्पादन (वित्तीय वर्ष 2025-26)

डिजिटल प्रक्रिया	खाते	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)
एसटीपी शिशु मुद्रा	21,519	104
एसटीपी किशोर और तरुण मुद्रा	66,267	3,061
नारी शक्ति एसटीपी	10,733	621
एमएसएमई सुपरफास्ट एसटीपी	801	324
यूनियन डिजिटल ईज	10,902	391
कार्यशील पूंजी संवर्द्धन	48	4
कुल	1,10,270	4,505

डिजिटल प्रक्रियाएं कार्यान्वित — वित्तीय वर्ष 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आस्ति, देयता, और सेवा सेगमेंट में अनेक डिजिटल प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन और विस्तार किया, जिससे टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय कमी आई और ग्राहक सुविधा में सुधार हुआ:

आस्ति प्रक्रियाएं

- डिजिटल पर्सनल लोन: ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना संपार्श्विक का अप्रतिभूत ऋण, बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के.
- डिजिटल वाहन ऋण (4-पहिया): व्यक्तिगत उपयोग हेतु नए चार पहिया वाहन की खरीद के लिए डिजिटल और पेपरलेस मंजूरी, ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों को कवर करते हुए — टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय कमी.
- होम लोन डिजिटल प्रक्रिया: एकल स्वामित्व और चयनित संपत्ति प्रकारों के लिए ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों हेतु प्रारंभ, जिससे टीएटी घटा और प्रसंस्करण कार्यालय की दक्षता बढ़ी.
- यूनियन नारी शक्ति एसटीपी: महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रक्रिया, जिसमें 10,733 खाते मंजूर और ₹621 करोड़ संवितरित.
- डिजिटल किसान तत्काल: किसानों को डिजिटल रूप से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली डिजिटल केसीसी प्रक्रिया - इन्फोसिस फिनेकल प्रोडक्ट इनोवेशन अवॉर्ड विजेता.
- डेब्ट स्वेप एसटीपी: गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण बोझ को कम करने के लिए किसानों को ₹0.50 लाख तक का कृषि सावधि ऋण.
- डिजिटल रूफटॉप सोलर प्रक्रिया (पीएम सूर्य घर): 51,700 खाते मंजूर, इन्फोसिस फिनेकल प्रोसेस इनोवेशन अवॉर्ड विजेता.

देयता एवं सेवा प्रक्रियाएं

- ईटीबी ग्राहकों के लिए बचत खाता प्रक्रिया: ऐसे मौजूदा ग्राहकों के लिए शाखा-सहायता प्राप्त डिजिटल बचत खाता खोलना जिनके पास व्यक्तिगत बचत खाते नहीं हैं.
 - राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) डिजिटल प्रक्रिया: अंतर्निर्मित केवाईसी अनुपालन, फोटो/हस्ताक्षर अपलोड, और प्रारंभिक योगदान सुविधा के साथ पीआरएएन का त्वरित सृजन और सक्रियण.
 - री-केवाईसी प्रक्रिया: मौजूदा ग्राहकों के लिए डिजिटल री-केवाईसी प्रक्रिया, जिससे शाखाओं का भार घटा और अनुपालन दक्षता में सुधार हुआ.
 - डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म: यूनिनयन ईज़ और 'यूनिशयोर' पोर्टल के माध्यम से जन सुरक्षा योजनाओं (पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई) का एकीकरण.
- 44 उत्पाद उपलब्ध, जिनमें बजाज यूनिनयन सुरक्षा कवच और बजाज सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा शामिल हैं.

नवाचारी बैंकिंग समाधान — वित्तीय वर्ष 2025-26

नवाचार	उपलब्धि	प्रभाव
यूवीकॉन — व्हाट्सऐप बैंकिंग	बहुभाषी (7 भाषाएं) संवादात्मक बैंकिंग एआई-आधारित खोज के साथ; 70+ सेवाएं सक्षम	75+ लाख उपयोगकर्ता; 4.50 करोड़ अनुरोधों का निपटान
सीबीडीसी — खुदरा एवं थोक	खुदरा सीबीडीसी और थोक सीबीडीसी दोनों में सक्रिय भागीदारी	डिजिटल मुद्रा ईकोसिस्टम में प्रगति
एप आधुनिकीकरण — डेवसेकऑप्स	कुबेर्नेट्स प्लेटफॉर्म / प्राइवेट क्लाउड पर माइक्रोसर्विसेस आर्किटेक्चर — डेवसेकऑप्स सिद्धांत	विस्तार क्षमता, सुदृढ़ता, और तेज टाइम - टू - मार्केट
फिनेकल ट्रेजरी वी11.20	स्विफ्ट-एमएक्स (आईएसओ 20022), इंडिएस आईआईआर पद्धति, एपीआई एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय लेखांकन	उन्नत ट्रेजरी दक्षता एवं अनुपालन
डिजिटल एसएचजी प्रबंधन	एंड-टू-एंड डिजिटल स्वयं सहायता समूह प्रबंधन प्लेटफॉर्म	इन्फोसिस फिनेकल बिजनेस मॉडल इनोवेशन अवॉर्ड

नवाचार	उपलब्धि	प्रभाव
डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई)	पीएम सूर्य घर ऋण के लिए डिजिटल दस्तावेज निष्पादन - प्रत्यक्ष संवितरण सक्षम	इन्फोसिस फिनेकल ईएसजी इनोवेशन अवॉर्ड
आईटीआरसीआई	आईटी जोखिम उत्कृष्टता केंद्र का कार्यान्वयन	इन्फोसिस फिनेकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड
हाइपर-ऑटोमेशन	बैंकिंग परिचालनों में एआई/एमएल आधारित प्रक्रिया स्वचालन	फिनोविटी अवॉर्ड्स 2025 - बैंकिंग फ्रंटियर्स
डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म	जन सुरक्षा योजनाएं सहित 44 बीमा उत्पादों का एकीकरण	विस्तारित बीमा क्रॉस-सेल ईकोसिस्टम
डिजिटल एनपीएस प्रक्रिया	केवाईसी अनुपालन के साथ पीआरएएन सक्रियण, त्वरित फोटो/हस्ताक्षर अपलोड	एनपीएस ऑनबोर्डिंग समय में उल्लेखनीय कमी

प्रौद्योगिकी पुरस्कार एवं सम्मान- वित्तीय वर्ष 2025-26

प्रदानकर्ता	पुरस्कार	श्रेणी
आईबीए	आईबीए 21वां वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2025-26	सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक — विजेता सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन -उपविजेता सर्वश्रेष्ठ टेक टैलेंट- उपविजेता सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेल्स- विशेष उल्लेख
इंफोसिस	इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2025	बिज़नेस मॉडल इनोवेशन - डिजिटल एसएचजी ईएसजी इनोवेशन-डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस -आईटीआरसीआई प्रोडक्ट इनोवेशन -डिजिटल केसीसी एसटीपी प्रोसेस इनोवेशन - डिजिटल रूफटॉप सोलर जर्नी
कैपजेमिनी	आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड 2025	आईटी जोखिम एवं प्रबंधन -विजेता परिचालन दक्षता में उत्कृष्टता - विशेष उल्लेख उन्नत ग्राहक सेवा - विशेष उल्लेख
बैंकिंग फ्रंटियर्स	फिनोविटी अवार्ड्स 2025	हाइपरऑटोमेशन
कोरस	कोरस फिनेकल इन्फोसिस्टम बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड्स	यूनियन अद्वित

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुदृढ़ता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बहु-स्तरीय साइबर सुरक्षा संरचना (मल्टी-लेयर्ड साइबरसिक्योरिटी आर्किटेक्चर) लागू किया है, जो निरंतर अनुश्रवण एवं प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा समर्थित है। बैंक की साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण डिफेंस-इन-डेप्थ, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, तथा निरंतर थ्रेट इंटेलिजेंस के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक उन्नत खतरे का पता लगाने और स्वचालित प्रतिक्रिया क्षमताओं के साथ 24x7 परिचालन सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी/एनजीएसओसी) रखता है।

साइबर सुरक्षा संकेतक	वित्तीय वर्ष 2025-26 परिणाम
एसओसी / नेक्स्ट-जनरेशन एसओसी (एनजीएसओसी)	24x7 परिचालन
साइबर सुरक्षा प्रमाणन	आईएसओ 27001 आईएसओ 31000 पीसीआई-डीएसएस
साइबर सुरक्षा बीमा	कार्यान्वित (व्यापक कवरेज)
बिटसाइट साइबर रेटिंग	उन्नत श्रेणी (शीर्ष स्तरीय)
डेटा संरक्षण कार्यालय	परिचालन - डीपीडीपी अधिनियम के अनुरूप
साइबर जागरूकता एसएमएस भेजे गए (चौथी तिमाही वि.व 26)	~571.56 करोड़ एसएमएस
बहुभाषी ग्राहक साइबर जागरूकता संचार	~5.77 करोड़ संचार
जागरूकता सत्र (आरएसईटीआई, स्कूल, एसएचजी)	चौथी तिमाही वि.व 26 में 48+ सत्र
वरिष्ठ नागरिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम	2 केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए
सिस्टम पर प्रभाव डालने वाली साइबर घटनाएं	शून्य रिपोर्ट की गई घटनाएं



कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षित व्यवहार और जोखिम की समझ को बढ़ावा देकर पूरे संगठन में साइबर लचीलेपन को मजबूत करते हैं। बैंक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी) अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने डेटा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया है। वेंडर संचालन में लागू किए गए यूनिफाइड एश्योरेंस फ्रेमवर्क से मिलान में अंतर और लेखापरीक्षा अपवादों में कमी आई है, जबकि स्वचालित मिलान और धोखाधड़ी निगरानी प्रणालियों ने नियंत्रण कवरेज और प्रतिक्रिया समय में सुधार किया है।

कार्यनीतिक आउटलुक - बौद्धिक पूँजी

भविष्य नवाचार रोडमैप

यूनियन बैंक की बौद्धिक पूँजी कार्यनीति में ऋण मूल्यांकन, धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहक विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एकीकरण; लेन-देन सुरक्षा और ट्रेड फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग; तथा ओपन बैंकिंग और फिनटेक साझेदारियों को सक्षम करने के लिए एपीआई-फर्स्ट आर्किटेक्चर का विकास शामिल है। बैंक के रोडमैप में पूर्वानुमानित जोखिम प्रबंधन के लिए उन्नत विश्लेषण कार्यान्वयन, एआई आधारित खतरे की खुफिया जानकारी के माध्यम से व्यापक साइबर लचीलापन सुदृढ़ करना, तथा अतिरिक्त रिटेल और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्रों को कवर करने के लिए डिजिटल जर्नीज़ पोर्टफोलियो का विस्तार शामिल है।

- एआई-आधारित नॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म — संस्थागत सीख और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना।
- पूर्वानुमानित प्रशिक्षण प्रणाली — एआई एनालिटिक्स के माध्यम से कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत विकास।
- इनोवेशन लैब्स - जेनआई अनुप्रयोगों सहित उभरती बैंकिंग प्रौद्योगिकियों के लिए निरंतर अनुसंधान एवं विकास।
- डिजिटल प्रक्रिया का विस्तार — नए खुदरा ऋण प्रकार (सरकारी अधिकारियों के लिए एसआरएलजीई प्राइम), म्यूचुअल फंड के सापेक्ष ऋण, एफडी के सापेक्ष वाहन ऋण।
- सह-ऋण मॉडल का विस्तार - आवास ऋण और एमएसएमई ऋण के लिए एनबीएफसी और एचएफसी के साथ साझेदारी।
- विश्लेषिकी-संचालित क्रॉस-सेलिंग - अपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें पूरा करने के लिए ग्राहक विश्लेषिकी का उपयोग करना।

मानव पूंजी

मानव संसाधनों के माध्यम से विकास को सशक्त बनाना

परिचय: मूल्य सृजन में मानव पूंजी की भूमिका

वैश्विक वित्त के उभरते परिदृश्य में, मानव पूंजी एक सहायक संसाधन से मूल्य निर्माण के कार्यनीतिक प्रवर्तक के रूप में बदल गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम यह मानते हैं कि हमारे कर्मचारी अगली पीढ़ी के, डिजिटल रूप से सक्षम यूनिवर्सल बैंक बनने के हमारे मिशन की आधारशिला हैं। मानव पूंजी के प्रबंधन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जो मानव पूंजी को सतत मूल्य सृजन के लिए आवश्यक छह प्रमुख पूंजी में से एक के रूप में पहचानता है।

हमारी समग्र मानव पूंजी कार्यनीति कर्मचारी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण — ऑनबोर्डिंग से लेकर विशेषज्ञता और नेतृत्व विकास तक — को सम्मिलित करती है। यह कार्यनीति कारोबारी उद्देश्यों को लोगों से जुड़ी प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करती है, जिससे संगठन और उसके हितधारकों दोनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन संभव होता है, साथ ही समावेशी नीतियों, कर्मचारी-केंद्रित प्रणालियों और नेतृत्व के विकास द्वारा समर्थित उच्च-प्रदर्शन संस्कृति का निर्माण होता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक ने आईएसओ 30414:2018 से आईएसओ 30414:2025 — जो कि मानव पूंजी रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण हेतु एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है — में संक्रमण करके अपने मानव पूंजी गवर्नेंस को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक समर्पित आईएसओ डेटा कैप्चर मॉड्यूल लागू किया गया, जिससे मानव पूंजी डेटा का केंद्रीकृत, लेखापरीक्षा योग्य एवं सुरक्षित प्रबंधन संभव हुआ, जो विकसित होते ईएसजी एवं संवहनीयता प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कार्यबल प्रोफाइल — वित्तीय वर्ष 2025-26

कार्यबल मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025–26
कुल कर्मचारी	73,885
विशेषज्ञ कर्मचारी	6,198
खिलाड़ी	88
स्थानीय बैंक अधिकारी (एलबीओ) - क्षेत्रीय कवरेज के लिए भर्ती	एकाधिक बैच - आगमन कार्यक्रम आयोजित किए गए
वित्तीय वर्ष 26 के दौरान कारोबार प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया	2,800+

ज्ञानार्जन एवं विकास उत्कृष्टता

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने ज्ञानार्जन एवं विकास ईकोसिस्टम में निरंतर और लक्षित निवेश किया, ताकि प्रत्येक “यूनियनाइट” को सर्वोत्तम श्रेणी के शिक्षण संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बैंक की कार्यनीतिक दृष्टि और विकसित होती कारोबारी प्राथमिकताओं के अनुरूप, ज्ञानार्जन एवं विकास प्रणाली ने सभी स्तरों पर निरंतर सीखने, कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता और नेतृत्व की तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखा।

सभी ज्ञानार्जन एवं विकास इकाइयों को आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 21001:2018 के तहत प्रमाणित किया गया, जिससे मानकीकृत और शिक्षार्थी-केंद्रित गुणवत्ता प्रणालियों को मजबूती मिली। एक कार्यनिष्पादन सुधार योजना (पीआईपी) ढांचा शुरू किया गया था ताकि सीखने के परिणामों को मापने योग्य कारोबारी प्रभाव के साथ संरेखित किया जा सके। वरिष्ठ नेतृत्व और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए संरचित ज्ञानार्जन मार्ग तैयार किए गए, ताकि व्यवस्थित उत्तराधिकार योजना को समर्थन मिल सके। एक डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम के शुभारंभ ने ज्ञान अंतरण और नेतृत्व को संवारने की सुविधा प्रदान की, जबकि प्रमुख क्षेत्र संचालन के लिए विकसित जॉब कार्ड ने दिन-प्रतिदिन के निष्पादन में एसओपी और विनियामक अनुपालन के एकीकरण को सक्षम बनाया।

ज्ञानार्जन एवं विकास - प्रमुख मैट्रिक्स (वित्तीय वर्ष 2025–26)

ज्ञानार्जन मैट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2025–26 उपलब्धि
कुल प्रदान किए गए प्रशिक्षण घंटे	23.10 लाख+
प्रति कर्मचारी प्रति तिमाही औसत प्रशिक्षण घंटे	31.24 घंटे
एलएंडडी यूनिट्स का आईएसओ प्रमाणन	आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसओ 21001:2018
मानव पूँजी रिपोर्टिंग मानक	आईएसओ 30414:2025 (2018 से अद्यतित)
ई-लर्नाथॉन पूर्णता दर (अनिवार्य ई-लर्निंग)	94%+ अधिकारियों के बीच
कोर्सेरा साझेदारी	नवीनीकृत - वैश्विक प्रमाणपत्रों तक पहुंच
आईआईबीएफ साझेदारी	नवीनीकृत - जेएआईआईबी और सीएआईआईबी ई-लर्निंग समर्थन
राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम ('सेवा भाव')	33,300+ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया
सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण	संचालित — समावेशी सीख को सुदृढ़ करने हेतु

क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण वितरण मैट्रिक्स (वित्तीय वर्ष 2025–26)

प्रशिक्षण चैनल	कार्यक्रम/सत्र	प्रतिभागी/लाभार्थी
यूएलए - कक्षा और स्थानीय कार्यक्रम	629 कार्यक्रम	19,386 कर्मचारी
यूएलए - वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम	160 कार्यक्रम	9,108 कर्मचारी
यूएलए — वेबिनार	350 कार्यक्रम	64,912 प्रतिभागी
जेडएलसी — कक्षा कार्यक्रम	1,080 कार्यक्रम	26,683 प्रतिभागी
जेडएलसी — स्थानीय कार्यक्रम	574 कार्यक्रम	22,016 प्रतिभागी
जेडएलसी — वर्चुअल कार्यक्रम	194 कार्यक्रम	11,395 प्रतिभागी
जेडएलसी — वेबिनार	290 वेबिनार	24,927 प्रतिभागी
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	1,212 कर्मचारी (26 विदेशी सहित)
कारोबार प्रतिनिधि प्रशिक्षण (हाइब्रिड / स्थानीय भाषाएं)	एकाधिक सत्र	2,800+ बीसी

नेतृत्व और विशेषीकृत विकास कार्यक्रम

नेतृत्व विकास

वित्तीय वर्ष 2025–26 में नेतृत्व विकास एक प्रमुख प्राथमिकता बना रहा, जिसमें स्केल V से स्केल VII के 867 वरिष्ठ कार्यपालकों ने 42 नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया. इन कार्यक्रमों ने बैंक के प्रबंधन के उच्चतम स्तरों पर कार्यनीतिक नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की दक्षता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल को सशक्त किया. बैंक ने एक डिजिटल मेंटरशिप कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर संरचित ज्ञान अंतरण और नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना है — जिसमें अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं को उच्च क्षमता वाली प्रतिभा के साथ जोड़ा गया.

नेतृत्व पहल	विवरण
नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42 कार्यक्रम 867 वरिष्ठ कार्यपालक (स्केल V से स्केल VII)
संस्थानिक सहयोग	आईआईएम इंदौर, आईएसबी हैदराबाद, एमडीआई गुड़गांव — 5 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित
प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारी	जोखिम प्रबंधन, कार्यनीति और वित्त, बिक्री और विपणन, परिचालन उत्कृष्टता, डिजिटल वित्तीय समावेशन / फिनटेक/सह-ऋण में 346 अधिकारी

नेतृत्व पहल	विवरण
ट्रेन-द-ट्रेनर (टीटीटी) कार्यक्रम	100 आंतरिक संकाय — प्रमुख संस्थानों द्वारा कौशल उन्नयन (अपस्किल्ड)
डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम	लॉन्च किया गया — ज्ञान अंतरण एवं नेतृत्व विकास हेतु
वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए जनरेटिव एआई प्रशिक्षण	आयोजित — बैंकिंग में एआई, जेन एआई और उसके उपयोग मामलों पर प्रशिक्षण
ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (ओटीपी)	6,780 अधिकारी 3,027 लिपिकीय कर्मचारी
रीकनेक्ट प्रोग्राम (महिलाएं — मातृत्व के बाद वापसी)	संरचित पुनःएकीकरण एवं क्षमता संवर्द्धन
स्थानीय भाषा प्रशिक्षण (भाषाई क्षेत्र से बाहर के कर्मचारियों हेतु)	ग्राहक सहभागिता सुधारने हेतु प्रदान किया गया
सफलता कार्यक्रम (फ्रंटलाइन अधिकारियों एवं सीएसए के लिए)	सेवा उत्कृष्टता को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना

ज्ञान सृजन और संकाय विकास

ज्ञान गतिविधि	वित्तीय वर्ष 2025-26 उपलब्धि
पूर्ण हुई अनुसंधान परियोजनाएँ	40 अनुसंधान परियोजनाएँ
विकसित केस अध्ययन	350
संकाय द्वारा भाग लिए गए संकाय विकास कार्यक्रम	प्रतिष्ठित संस्थानों में 312 संकाय सदस्य
बाहरी प्रमाणन पाठ्यक्रम (संकाय)	1,039 पाठ्यक्रम पूरे किए गए
प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित लेख	307 लेख
एनआईबीएम/नाबार्ड/फोर/बर्ड में शैक्षणिक और प्रशिक्षण सत्र	216 सत्र
अकादमिक पुस्तकों की समीक्षा	1 पुस्तक की समीक्षा की गई
कर्मचारी - बाहरी प्रमाणन पाठ्यक्रम	2,916 कर्मचारी 4,043 पाठ्यक्रम
कर्मचारी - आंतरिक प्रमाणन पाठ्यक्रम	3,460 कर्मचारी 9,038 पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम के बाद मूल्यांकन (पीसीई) फ्रेमवर्क	एलएमएस में लागू किया गया
मात्रात्मक कारोबारी मानक (क्यूबीपी)	प्रभाव मूल्यांकन के लिए एलएमएस में एकीकृत

मुख्य मानव संसाधन कार्यनीतिक पहलें — वित्तीय वर्ष 2025-26

आईएसओ 30414:2025 — मानव पूंजी रिपोर्टिंग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आईएसओ 30414:2018 से आईएसओ 30414:2025 में परिवर्तन करके अपनी मानव पूंजी शासन प्रणाली को सुदृढ़ किया, जो मानव पूंजी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह परिवर्तन कार्यबल से संबंधित प्रमुख मापदंडों की मानकीकृत, सुसंगत और तुलनात्मक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है, जो विकसित होती ईएसजी और संवहनीयता प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है। मानव पूंजी डेटा के केंद्रीकृत, लेखापरीक्षा योग्य और सुरक्षित प्रबंधन के लिए एक समर्पित आईएसओ डेटा-कैप्चर मॉड्यूल लागू किया गया।

कार्यनिष्पादन प्रबंधन एवं सम्मान

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को और अधिक परिष्कृत किया गया, जिससे कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन का निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। इसमें वैयक्तिक योगदान को संगठनात्मक लक्ष्यों से सीधे जोड़ा गया। पुरस्कार एवं सम्मान फ्रेमवर्क का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया, जिससे कर्मचारियों के योगदान को सम्मान दिया गया और उच्च कार्यनिष्पादन एवं योग्यता-आधारित संस्कृति को प्रोत्साहन मिला।



डिजिटल ज्ञानार्जन सशक्तिकरण

बैंक ने वर्ष के दौरान ईलर्नाथन अभियान के माध्यम से डिजिटल लर्निंग की पहुंच का महत्वपूर्ण विस्तार किया, जिससे अधिकारियों के बीच अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल का 94% से अधिक पूरा होना सुनिश्चित हुआ। केवाईसी/ एएमएल, साइबर सुरक्षा, जलवायु जोखिम और बैंकिंग नैतिकता जैसे क्षेत्रों में नए और अद्यतन मॉड्यूल शुरू किए गए। बैंक ने पॉडकास्ट, रेडियो प्रसारण, माइक्रो-बाइट्स, छोटे वीडियो और महत्वपूर्ण वेबिनार की रिकॉर्डिंग के माध्यम से सूक्ष्म ज्ञानार्जन की पहुंच का भी विस्तार किया। साथ ही, कार्यक्रमों को लेवल I (बेसिक) और लेवल II (एडवांस्ड) प्रारूप में पुनर्गठित किया गया, जिससे क्रमिक (चरण-दर-चरण) कौशल विकास संभव हो सके।

पुरस्कार एवं सम्मान- मानव पूँजी वित्तीय वर्ष 2025-26

पुरस्कार/श्रेणी	प्रदानकर्ता	तिथि
राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड 2025	विश्व एचआरडी कांग्रेस	फ़रवरी 2026
नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाएं 2025	विश्व एचआरडी कांग्रेस	फ़रवरी 2026
प्रशिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार	विश्व एचआरडी कांग्रेस	फ़रवरी 2026
निरंतर सीखने और कौशल उन्नयन में उत्कृष्टता	एशिया लर्निंग एवं डेवलपमेंट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कॉन्फ़ेस (आईबीसी)	फ़रवरी 2026
सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अनुभव मंच	एशिया लर्निंग एवं डेवलपमेंट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कॉन्फ़ेस (आईबीसी)	फ़रवरी 2026
एपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2025	एपेक्स इंडिया फाउंडेशन	नवंबर 2025
एपेक्स इंडिया ट्रेनिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2025	एपेक्स इंडिया फाउंडेशन	नवंबर 2025
डिजिटल लर्निंग एंड अपस्किलिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर	पीपल टेक समिट अवार्ड्स (आईबीसी)	अगस्त 2025
बेस्ट एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव	पीपल टेक समिट अवार्ड्स (आईबीसी)	अगस्त 2025
एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट	इंटरनेशनल बिज़नेस कॉन्फ़ेस	मई 2025
एक्सीलेंस इन एचआर डिजिटलाइजेशन	इंटरनेशनल बिज़नेस कॉन्फ़ेस	मई 2025
कीर्ति पुरस्कार — पत्रिका (प्रथम)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सितंबर 2025
कीर्ति पुरस्कार- कार्यान्वयन (तृतीय)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सितंबर 2025
क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार — कार्यालय श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	जनवरी 2026
क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार — नराकास श्रेणी (द्वितीय, तृतीय×2)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	फरवरी 2026
33वां आशीर्वाद भाषा-सेतु पुरस्कार 2025	उत्कृष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक श्रेणी	फरवरी 2026

कार्यनीतिक दृष्टिकोण — भविष्य के कार्यबल का निर्माण

यूनियन बैंक की मानव पूँजी रोडमैप डिजिटल एचआर परिवर्तन, एआई-आधारित ज्ञानार्जन प्रणाली और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण पर केंद्रित है। बैंक अपने नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का विस्तार, कर्मचारी कल्याण पहलों को सुदृढ़ करने और विविधता एवं समावेशन ढांचे को मजबूत करने का कार्य जारी रखेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में डिजिटल ज्ञानार्जन का विस्तार, उन्नत प्रमाणन, महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार योजना, बेहतर ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली और मानकीकृत जॉब एड्स के माध्यम से फील्ड संचालन को और सशक्त बनाना शामिल है।

- एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण): व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन
- एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा): निरंतर सीखने की पहल और कौशल विकास कार्यक्रम — 23.10 लाख घंटे
- एसडीजी 5 (लैंगिक समानता): महिला नेतृत्व कार्यक्रम, रीकनेक्ट पहल, समावेशी कार्यस्थल नीतियां
- एसडीजी 8 (सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास): 73,885 कर्मचारियों के लिए सार्थक रोजगार और कैरियर विकास
- एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी): समावेशी भर्ती, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए समर्थन, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण
- एसडीजी 16 (शांति, न्याय और सशक्त संस्थान): नैतिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क और पारदर्शी प्रथाएं।

कर्मचारी कल्याण एवं स्वास्थ्य फ्रेमवर्क

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह मानता है कि कर्मचारी कल्याण संगठन के संवहनीय कार्यनिष्पादन और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए एक बुनियादी तत्व है, जो बैंक की ब्रांड पहचान का अभिन्न हिस्सा है। बैंक का व्यापक कल्याणकारी ढांचा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और कार्य-जीवन संतुलन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है।

कल्याणकारी आयाम	पहल	विवरण
शारीरिक स्वास्थ्य	स्वास्थ्य जांच शिविर	सभी अंचलों में शाखाओं और कार्यालयों में नियमित मेडिकल कैंप
मानसिक स्वास्थ्य	कर्मचारी सहायता कार्यक्रम	गोपनीय परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहयोग
वित्तीय सुरक्षा	समूह बीमा कवरेज	कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा
आवास	कर्मचारी गृह ऋण रियायतें	आवास ऋण पर रियायती ब्याज दरें
कार्य-जीवन संतुलन	लचीली कार्य व्यवस्था	मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली महिलाओं के लिए (रीकनेक्ट प्रोग्राम)
पोषाहार	रियायती कैटीन सुविधाएं	चयनित कार्यालयों और प्रसंस्करण केंद्रों में
चाइल्डकेयर	क्रेच सुविधाएं	चुनिंदा उच्च घनत्व वाले कर्मचारी स्थानों पर

विविधता, समानता एवं समावेशन (डीईआई)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे कार्यस्थल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो विविध और समावेशी हो, जहाँ सभी कर्मचारियों को लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति या दिव्यांगता से परे, विकास और उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। डीईआई पहलें कर्मचारी जीवनचक्र के प्रत्येक चरण—भर्ती से लेकर कैरियर विकास, पदोन्नति और नेतृत्व तक—में समाहित हैं।

महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण

बैंक ने महिलाओं के कैरियर विकास को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है, जिसके अंतर्गत समर्पित नेतृत्व कार्यक्रम, मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिलाओं के लिए लचीली कार्य व्यवस्था, तथा महिला उद्यमियों द्वारा संचालित और उनके लिए समर्पित 6 नारी शक्ति शाखाओं की स्थापना शामिल है। रीकनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली महिला अधिकारियों को संरचित सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सहज रूप से कार्य में पुनः सम्मिलित हो सकें। महिलाएँ बैंक के शाखा स्तर के फ्रंटलाइन स्टाफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विशेष कैरियर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

दिव्यांग कर्मचारी

बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के समर्थन के लिए कई विशेष कदम उठाए हैं, जिनमें शाखाओं और कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार, सहायक प्रौद्योगिकियों का प्रावधान, तथा श्रवण-बाधित ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण देना शामिल है। बैंक की डिजिटल एक्सेसिबल लाइब्रेरी — जो बैंकिंग क्षेत्र में दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी ऑनलाइन सुलभ डिजिटल लाइब्रेरी है— को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया और सुगम्य पुस्तकालय के सहयोग से बनाए रखा गया और विस्तार किया गया।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एवं भाषा पहुंच

बैंक विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से स्थानीय बैंक अधिकारियों की भर्ती करता है, ताकि स्थानीय भाषाओं में सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो और क्षेत्रीय बाजारों में पैठ मजबूत हो सके। जो कर्मचारी अपने मूल भाषाई क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें ग्राहक संवाद बेहतर बनाने हेतु स्थानीय भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक के संचार—चाहे वे ग्राहक संबंधित हों या आंतरिक—को धीरे-धीरे कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो राजभाषा नीति के अनुरूप है।



औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी सहभागिता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी यूनियनों और संघों के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक औद्योगिक संबंध बनाए रखता है। नियमित द्विपक्षीय मंच, स्टाफ मीटिंग्स और संरचित संचार माध्यम यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए, उन पर समय पर ध्यान दिया जाए और उनका समाधान किया जाए। मुख्य सहभागिता मंच में यूनियन मंच (क्रॉस-फंक्शनल ज्ञान साझा करना), यूबीआईक्यूयूई (कर्मचारियों के नवाचार सुझाव), संरचित टाउन हॉल बैठकें, और एमडी के संवाद सत्र शामिल हैं, जो कर्मचारियों को बैंक की कार्यनीतिक दृष्टि के साथ जोड़कर रखते हैं।

सहभागिता मंच	उद्देश्य	आवृत्ति
यूनियन मंच	क्रॉस-फंक्शनल ज्ञान साझाकरण और सहयोग	निरंतर
यूबीआईक्यूयूई	कर्मचारी नवाचार और समस्या-समाधान प्रस्तुतियाँ	वार्षिक
प्रबंध निदेशक के संवाद सत्र	कार्यनीतिक दृष्टि का समन्वय और दो-तरफा संचार	तिमाही
टाउन हॉल बैठकें (अंचलीय/ क्षेत्रीय)	स्थानीय कार्यनिष्पादन अपडेट और कर्मचारी सहभागिता	तिमाही
द्विपक्षीय मंच (यूनियन परामर्श)	वेतन वार्ता, नीतिगत मुद्दे, कर्मचारी कल्याण	आवश्यकतानुसार
ई-लर्निंग	अनुपालन और ज्ञान के लिए अनिवार्य ई-लर्निंग अभियान	वार्षिक (94%+ पूर्ण)
राष्ट्रीय कर्मयोगी (सेवा भाव)	राष्ट्रीय लोक सेवा मूल्यों पर प्रशिक्षण	पूरे वर्ष (33,300+ प्रशिक्षित)

विनिर्मित पूंजी

पर्यावरण के प्रति जागरूक वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देना

परिचय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विनिर्मित पूंजी से तात्पर्य उस भौतिक, डिजिटल और परिचालन अवसंरचना से है, जो सुरक्षित, विश्वसनीय, स्केलेबल (विस्तार योग्य) और समावेशी बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाती है। इसमें बैंक का शाखा एवं एटीएम नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा प्रणालियां, व्यापार निरंतरता व्यवस्थाएं तथा आउटसोर्स सेवा अवसंरचना शामिल हैं। विनिर्मित पूंजी मूल्य सृजन में एक कार्यनीतिक भूमिका निभाती है, जो बेहतर ग्राहक अनुभव और सेवा की पहुंच, परिचालन दक्षता, स्केलेबिलिटी एवं लागत अनुकूलन, ग्रामीण, अर्ध-शहरी और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, तथा परिचालन, साइबर और प्रणालीगत जोखिमों के सापेक्ष सुदृढ़ता को समर्थन प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, यूनियन बैंक की विनिर्मित पूंजी ने वैश्विक कारोबार में 10.24% की वृद्धि को सक्षम बनाया, जिससे यह ₹24.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की संचालन को विस्तार देने की क्षमता को दर्शाता है। डिजिटल लेन-देन में निरंतर वृद्धि देखी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान डिजिटल लेन-देन की मात्रा बढ़ते हुए मार्च 2026 तक लगभग 37,420 लाख लेन-देन तक पहुंच गई। बेहतर उत्पादकता संकेतक — जैसे प्रति शाखा कारोबार ₹274.29 करोड़ और प्रति कर्मचारी कारोबार ₹32.28 करोड़ — बैंक की विनिर्मित पूंजी के बढ़ते हुए दक्षता स्तर, विस्तार क्षमता और उत्पादकता को दर्शाते हैं।

भौतिक अवसंरचना - शाखाएं, कार्यालय और एटीएम

घरेलू शाखा और एटीएम नेटवर्क — वित्तीय वर्ष 2025-26

अवसंरचना मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
कुल शाखाएं (घरेलू)	8,462	8,619	8,695
विदेशी शाखाएं	2	2	2
कुल शाखाएं	8,464	8,621	8,697
कुल एटीएम	—	8,910	8,656
बीसी केंद्र	—	23,500+	28,035
वित्तीय वर्ष 26 में नई जोड़ी गई शाखाएं	—	—	100
नियोजित शाखा परिवर्धन वित्तीय वर्ष 2026-27	—	—	200

क्षेत्र-श्रेणी के अनुसार शाखा वितरण (घरेलू — मार्च 2026)

क्षेत्र श्रेणी	वि.व. 2023-24	अंश	वि.व. 2024-25	अंश	वि.व. 2025-26	अंश
ग्रामीण	2,540	30%	2,597	30%	2,628	30%
अर्ध-शहरी	2,436	29%	2,521	29%	2,562	30%
शहरी	1,728	20%	1,735	20%	1,739	20%
मेट्रो	1,760	21%	1,766	21%	1,766	20%
कुल घरेलू	8,462	100%	8,619	100%	8,695	100%



भौगोलिक क्षेत्र-वार शाखा वितरण (मार्च 2026)

जोन	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	कुल	अंश
केंद्रीय	709	420	331	294	1,754	20%
पूर्वी	331	301	277	128	1,045	12%
पूर्वोत्तर	35	48	47	—	130	1%
उत्तरी	224	292	262	267	1,037	12%
दक्षिणी	1,045	1,198	654	621	3,519	40%
पश्चिमी	284	303	168	456	1,210	14%
कुल	2,628	2,562	1,739	1,766	8,695	100%

बैंक की 60% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे बैंक की अवसंरचना निकटता-आधारित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है, साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों का समर्थन करती है। दक्षिणी जोन में शाखाओं का सबसे बड़ा हिस्सा है — 40% (3,519 शाखाएँ), इसके बाद केंद्रीय जोन में 20% (1,754 शाखाएँ) हैं। बैंक का अंतरराष्ट्रीय शाखा नेटवर्क दुबई और सिडनी तक फैला हुआ है, जो वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करता है।

विशेषीकृत प्रसंस्करण केंद्र एवं शाखाएं

शाखा/ केंद्र का प्रकार	उद्देश्य	वि.व. 2024-25	वि.व 2025-26
एमएसएमई ऋण केंद्र (एमएलपी)	एमएसएमई के लिए विशेषीकृत ऋण हामीदारी	135	138
यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच (यूएमएफबी)	एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेषीकृत शाखाएँ	114	117
मिड कॉर्पोरेट शाखा (एमसीबी)	मिड-सेगमेंट कॉर्पोरेट ग्राहक	38	38
लार्ज कॉर्पोरेट शाखा (एलसीबी)	लार्ज कॉर्पोरेट ग्राहक	12	12
खुदरा ऋण केंद्र (आरएलपी)	विशेषीकृत रिटेल लोन सेल्स	137	143
कृषि ऋण केंद्र (एएलपी)	विशेषीकृत कृषि ऋण सेल्स	54	76
गोल्ड लोन पॉइंट्स (जीएलपी)	विशेषीकृत गोल्ड लोन आउटलेट्स	1,685	1,675
स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखाएं (सैमबी)	दबावग्रस्त आस्ति पोर्टफोलियो का प्रबंधन	3	3
एसेट रिकंस्ट्रक्शन शाखाएं (एआरबी)	एनपीए पोर्टफोलियो का प्रबंधन	30	28
नारी शक्ति शाखाएं	महिला उद्यमियों के लिए सेवाएँ	—	6

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने नारी शक्ति शाखाओं की शुरुआत की, जिससे महिलाओं के लिए विशेष रूप से केंद्रित बैंकिंग मॉडल को वंचित वर्गों तक विस्तारित किया गया। वर्तमान में 6 नारी शक्ति शाखाएँ कार्यरत हैं, जो महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त ऋण और जमा उत्पाद, परामर्श सेवाएँ, स्टार्टअप के लिए कार्यशालाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, तथा मेंटरशिप एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम प्रदान करती हैं। नारी शक्ति शाखाओं के अंतर्गत कुल कारोबार ₹436 करोड़ रहा (अग्रिम: ₹312 करोड़ | जमा: ₹124 करोड़)। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4 नए एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच और 3 नए एमएसएमई ऋण केंद्र स्थापित किए गए, तथा एमएसएमई संबंधों को मजबूत करने के लिए संभावित स्थानों पर 62 ग्राहक संबंध अधिकारी नियुक्त किए गए।

डिजिटल और प्रौद्योगिकी अवसंरचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश किया है, इसे निर्मित पूँजी के मुख्य स्तंभ और स्केलेबल, ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी है। बैंक का संचालन एक मजबूत कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित है, जो रीयल-टाइम प्रोसेसिंग, विस्तार क्षमता और सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। प्रौद्योगिकी संरचना को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह विभिन्न डिजिटल चैनलों—जैसे सीबीएस, मोबाइल बैंकिंग (यूनियन ईज़ और यूनियन ईबिज), इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, बीबीपीएस और एपीआई-सक्षम सेवाओं—के माध्यम से उच्च लेन-देन मात्रा को संभाल सके, साथ ही डेटा की सत्यनिष्ठा और सेवा उपलब्धता भी सुनिश्चित करे।

बैंक ने माइक्रोसर्विस-आधारित बैंकिंग एप्लिकेशन के विकास और तैनाती के लिए कुबेरनेट्स और डेवसेकऑप्स सिद्धांतों पर आधारित एप्लिकेशन मॉडर्नाइजेशन प्लेटफॉर्म को अपनाया है। माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर स्केलेबिलिटी, सुदृढ़ता, तेज़ समय-से-बाज़ार और एप्लिकेशन घटकों के स्वतंत्र जीवनचक्र प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इससे बैंक को अपने मौजूदा मोनोलिथिक एप्लिकेशन का आधुनिकीकरण करने, क्लाउड-नेटिव क्षमताओं का लाभ उठाने और नवीनतम सॉफ्टवेयर विकास सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बाजार-मानक एप्लिकेशन विकसित करने में मदद मिली है।

समावेशन-सक्षम अवसंरचना कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स (वित्तीय वर्ष 2025-26)

वित्तीय समावेशन संकेतक	वित्तीय वर्ष 2025-26 कार्यनिष्पादन
पीएमजेडीवाई खाते	3.40 करोड़ (शेष: ₹15,964 करोड़)
पीएम स्वनिधि खाते	11.14 लाख खाते
यूनियन गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (यूजीईसीएल)	3.92 लाख खाते
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बकाया (₹ करोड़ में)	₹33,212 करोड़ 5,11,000 एसएचजी
बीसी केंद्र (मार्च, 2026 तक)	28,035 केंद्र

विनिर्मित पूंजी उत्पादकता और केपीआई

उत्पादकता संकेतक	मार्च-25	मार्च 26	परिवर्तन
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	261.59	274.29	+4.9%
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	30.50	32.28	+5.8%
प्रति शाखा परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)	3.57	3.66	+2.5%
प्रति कर्मचारी परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)	0.42	0.43	+2.4%
डिजिटल लेनदेन मात्रा (लाख) — मार्च तिमाही	—	37,420	—
वैश्विक कारोबार (₹ लाख करोड़ में)	22.55	23.85	+5.78%

प्रति शाखा कारोबार और प्रति कर्मचारी कारोबार में सुधार केवल विस्तार-आधारित विकास के बजाय निर्मित पूंजी के बेहतर उपयोग को दर्शाता है। लेन-देन की बढ़ती मात्रा और डिजिटल अपनाने के बावजूद कोई भी बड़ा परिचालन व्यवधान रिपोर्ट नहीं हुआ। अंचल और क्षेत्रों में एकीकृत एश्योरेस विज़िबिलिटी से तेज़ निर्णय लेने में सहायता मिली और अवसंरचना से जुड़े जोखिमों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हुआ।

विक्रेता और आउटसोर्स अवसंरचना प्रबंधन

यूनियन बैंक कुछ प्रौद्योगिकी और परिचालन कार्यों के लिए तृतीय-पक्ष विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क पर निर्भर करता है। बैंक आउटसोर्स की गई अवसंरचना के प्रबंधन के लिए एक संरचित ढांचे का पालन करता है, जिसमें विक्रेता का ड्यू डेलिजेंस और जोखिम आकलन, स्पष्ट रूप से परिभाषित सेवा स्तर समझौते (एसएलए), निरंतर कार्यनिष्पादन अनुश्रवण और लेखापरीक्षा तथा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता दायित्व शामिल हैं। वेंडर प्रबंधन की ये प्रक्रियाएँ परिचालन निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने और सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं।

विक्रेता संचालन में एक यूनिफाइड एश्योरेस फ्रेमवर्क लागू किया गया, जिससे मिलान की कमियों और ऑडिट अपवादों में कमी आई। स्वचालित मिलान और धोखाधड़ी अनुश्रवण प्रणालियों ने नियंत्रण कवरेज और प्रतिक्रिया समय में सुधार किया। सशक्त डेटा गवर्नेंस के माध्यम से उभरते हुए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया।

आगे की कार्यनीतिक निवेश योजना — वित्तीय वर्ष 2026-27

आगे, बैंक अपनी विनिर्मित पूंजी को मजबूत करने के लिए निवेश जारी रखेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और डिजिटल स्केलेबिलिटी, उन्नत साइबर सुरक्षा और आघात-सहनीयता क्षमता, शाखा आधुनिकीकरण और हरित अवसंरचना पहल, तथा डेटा और एनालिटिक्स क्षमताओं का विकास शामिल है। ये निवेश विनियामकीय अपेक्षाओं, राष्ट्रीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पहलों और बैंक के ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, गवर्नेंस) रोडमैप के अनुरूप हैं।

- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 नई शाखाओं की जोड़ने की योजना
- बॉन्ड एफआरए/फ्यूचर डेस्क — ब्याज दर जोखिमों की रीयल-टाइम हेजिंग के लिए समर्पित संरचित डेरिवेटिव्स डेस्क
- उन्नत डिजिटल भुगतान अवसंरचना — यूपीआई, बीबीपीएस और एपीआई-सक्षम सेवाओं का विस्तार
- नई और पुनर्निर्मित शाखाओं के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन
- अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन कवरेज को और बढ़ाने के लिए बीसी नेटवर्क का विस्तार किया गया



सामाजिक और संबंध पूँजी

समावेशी संवृद्धि | सामुदायिक विकास | वित्तीय सशक्तिकरण | हितधारक का विश्वास

परिचय

सामाजिक एवं संबंध पूँजी से अभिप्राय उन संबंधों, विश्वास, साझा मूल्यों तथा नेटवर्क से है, जिन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समुदायों, ग्राहकों, सरकारी निकायों तथा व्यापक समाज के साथ स्थापित करता है और बनाए रखता है। आईआईआरसी <आईआर> ढांचे के अंतर्गत सामाजिक पूँजी बैंक की उस क्षमता को दर्शाती है, जिसके माध्यम से वह समावेशी वित्तीय सेवाओं, सीएसआर निवेशों, सामुदायिक विकास तथा एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका द्वारा साझा मूल्य का सृजन करता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सामाजिक पूँजी वित्तीय समावेशन के प्रति उसकी मूलभूत प्रतिबद्धता, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की सेवा हेतु उसके सांविधिक दायित्व तथा यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) के माध्यम से सामुदायिक विकास में उसके स्वैच्छिक निवेश पर आधारित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में, 40% के विनियामकीय मानक से अधिक, एएनबीसी के 41.04% की उपलब्धि प्राप्त की, जिसमें कृषि ऋण ₹1,83,394 करोड़, एमएसएमई ऋण ₹1,62,007 करोड़ तथा खुदरा ऋण ₹2,53,083 करोड़ रहा। बैंक ने अपने 42 आर-सेटी केंद्रों के माध्यम से 73% के सेटलमेंट अनुपात के साथ 4.33 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया, 147 पहलों के अंतर्गत सीएसआर परियोजनाओं में ₹61.69 करोड़ को अनुमोदन प्रदान किया तथा ₹15,964 करोड़ की शेष राशि के साथ 3.70 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों का रख-रखाव किया।

सामाजिक पूँजी एक नज़र में — वित्तीय वर्ष 2025-26

सामाजिक पूँजी संकेतक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्धि
अनुमोदित सीएसआर दान (यूबीएसएफटी)	₹61.69 करोड़ 147 परियोजनाएं
संवितरित सीएसआर राशि	₹35.88 करोड़
पीएमजेडीवाई खाते	3.40 करोड़ (₹15,964 करोड़ शेष राशि)
आर-सेटी - प्रशिक्षित व्यक्ति	4.33 लाख 42 आर-सेटी केंद्र 73% सेटलमेंट अनुपात
एसएचजी को मंजूरी	5,11,000 एसएचजी ₹33,212 करोड़ बकाया
यूनियन नारी शक्ति (क्यू4 वि.व.26)	3,080 आवेदन मंजूर ₹560 करोड़
महिला लाभार्थी बकाया (₹ करोड़ में)	₹1,51,258 करोड़ (+8.5% वर्ष-दर-दर)
छोटे और सीमांत किसान बकाया (₹ करोड़ में)	₹90,018 करोड़
ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)	₹37,435 करोड़ (नवीकरणीय: ₹33,572 करोड़)

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) - सीएसआर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वंचित समुदायों के उत्थान तथा गरीब एवं सीमांत वर्गों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने हेतु दिनांक 2 मार्च, 2006 को अपने समर्पित सीएसआर शाखा के रूप में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की। यूबीएसएफटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत है तथा धारा 80जी के अंतर्गत प्रमाणपत्र धारित करता है, जिससे दानदाताओं को कर-कुशल परोपकार कार्य की सुविधा प्राप्त होती है।

सीएसआर मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26
यूबीएसएफटी द्वारा अनुमोदित कुल सीएसआर दान	₹61.69 करोड़
संवितरित राशि	₹35.88 करोड़
कुल अनुमोदित परियोजनाएं/कार्यक्रम	147
सीएसआर फोकस क्षेत्र	स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा स्वच्छता आपदा राहत
आपदा राहत भौगोलिक क्षेत्र	पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात
विनियमकीय आधार	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% तक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण — वित्तीय वर्ष 2025-26

बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹3,74,078 करोड़ रहा, जो 40% के सांविधिक लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.04% रहा, जो पीएसएलसी की बिक्री/खरीद को समायोजित करने के बाद रहा तथा जिसमें आरआईडीएफ और नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा एवं एनएचबी के अन्य निधियों में निवेश शामिल हैं।

विवरण (पीएसएलसी बिक्री/खरीद के बाद और आरआईडीएफ सहित)	वि.व. 2025-26 (₹ करोड़ में) - 4 तिमाहियों का औसत	एएनबीसी का % — 4 तिमाहियों का औसत	वि.व. 2025-26 बेंचमार्क
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	3,74,078	41.04%	40%
कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,77,205	19.44%	18%
छोटे और सीमांत किसान (# ₹10,000 करोड़ के पीएसएलसी बिक्री के बाद)	97,787	10.73%	10%
सूक्ष्म उद्यम	82,161	9.01%	7.50%
कमजोर वर्ग (निवल पीएसएलसी-एसएमएफ बिक्री सहित)	1,15,921	12.72%	12%

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने पीएसएलसी-छोटे एवं सीमांत किसान श्रेणी के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की बिक्री की, जिससे ₹133.87 करोड़ की गैर-ब्याज आय अर्जित हुई। पीएसएलसी की बिक्री और खरीद बैंक की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्रबंधन कार्यनीति का अभिन्न हिस्सा है, जो इसे पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए विशिष्ट उप-लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

कृषि ऋण - वित्तीय वर्ष 2025-26

कृषि ऋण हमेशा बैंक के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहा है। दिनांक 31.03.2026 तक कृषि ऋण, बैंक के सकल घरेलू अग्रिमों का 18% तथा सकल वैश्विक अग्रिमों का 17% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 18% के सांविधिक लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी का 19.44% प्राप्त किया। यथा दिनांक 31.03.2026 को कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया ऋण ₹1,83,394 करोड़ रहा।

कृषि संकेतक	वित्तीय वर्ष 2025-26
कुल कृषि ऋण (₹ करोड़ में)	₹1,83,394 करोड़
सकल घरेलू अग्रिमों का %	18%
एएनबीसी का % (कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)	18% के बेंचमार्क के सापेक्ष 19.44%
छोटे और सीमांत किसानों को ऋण (₹ करोड़ में) - पीएसएलसी बिक्री के बाद	₹97,787 करोड़
एएनबीसी के % के रूप में एसएमएफ	10% के बेंचमार्क के सापेक्ष 10.73%
पीएसएलसी-छोटे और सीमांत किसान की बिक्री (₹ करोड़ में)	₹10,000 करोड़
पीएसएलसी बिक्री से गैर-ब्याज आय (₹ करोड़ में)	₹133.87 करोड़
नए जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (लाख में)	2.58 लाख कार्ड
मंजूर केसीसी राशि (₹ करोड़ में)	₹6,462 करोड़
कमजोर वर्ग को वित्तपोषण (₹ करोड़ में)	₹1,15,921 करोड़ (12% के बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 12.72%)

सामाजिक उत्थान के लिए विशिष्ट ऋण - वित्तीय वर्ष 2025-26

महिला लाभार्थी

महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैंक महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महिला लाभार्थियों को प्रदत्त कुल बकाया ऋण यथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ₹1,39,406 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में ₹1,51,258 करोड़ हो गया, जो 8.5% की वृद्धि दर्शाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण संबंधी भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बैंक अल्पसंख्यक समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों को वित्त प्रदान करता है। यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदत्त कुल बकाया ऋण ₹53,334 करोड़ रहा।

कमजोर वर्ग

बैंक समाज के कमजोर वर्गों को सक्रिय रूप से वित्तपोषित कर रहा है. पीएसएलसी-एसएफएमएफ की निवल बिद्री सहित कमजोर वर्गों को वित्तपोषण वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,15,921 करोड़ रहा, जो 12% के बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 12.72% रहा.

सरकारी योजनाएं – वित्तीय वर्ष 2025-26

योजना	लाभार्थी/खाते	राशि (₹ करोड़ में)
पीएमएमवाई (प्रधान मंत्री मुद्रा योजना)	6,94,138 आवेदन मंजूर किए गए	20,311
पीएमईजीपी (पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम)	4,856 व्यक्तियों को सक्षम बनाया गया	729
पीएम विश्वकर्मा	15,191 कारीगरों की सहायता की गई	138
यूनियन सोलर (नया उत्पाद - हरित ऊर्जा हेतु कारोबार)	152 इकाइयों की सहायता की गई	190
पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स)	11.14 लाख खाते	—
यूनियन गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (यूजीईसीएल)	3.92 लाख खाते	—
पीएमजेडीवाई खाते	3.40 करोड़ खाते	शेष राशि ₹15,964 करोड़
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मंजूरी	5,11,000 एसएचजी	बकाया ₹33,212 करोड़
यूनियन नारी शक्ति (क्यू4 विव 26)	3,080 आवेदन	560
पीएम सूर्य घर - डिजिटल मंजूरी	51,700 खाते	—

आर-सेटी - ग्रामीण कौशल विकास

यूनियन बैंक पूरे भारत में 42 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) संचालित करता है, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में ग्रामीण कौशल विकास के सबसे व्यापक नेटवर्कों में से एक है. आर-सेटी ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने तथा आजीविका के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है. इन कार्यक्रमों में पारंपरिक हस्तशिल्प, आधुनिक तकनीक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों की आजीविका आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों ने स्वतंत्र कारोबार तथा वेतन आधारित रोजगार दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है, जिसमें राष्ट्रीय बेंचमार्क के सापेक्ष 73% का बेहतर सेटलमेंट अनुपात है.

आर-सेटी मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26
कुल आर-सेटी केंद्र	42 (अग्रणी बैंक जिलों में 25 सहित)
प्रशिक्षित व्यक्ति	4.33 लाख व्यक्ति
सेटलमेंट अनुपात	73% (सफल स्वरोजगार/रोजगार परिणाम)
प्रशिक्षण लागत	आवासीय सुविधा के साथ निः शुल्क
लक्षित लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्रामीण युवा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (एपीजीबी)

पूर्व में हमारा बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी) का प्रायोजक बैंक था. आंध्र प्रदेश राज्य के सभी चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का दिनांक 01.05.2025 से विलय कर एकीकृत इकाई ‘आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक’ का गठन हमारे बैंक के प्रायोजन के अंतर्गत किया गया है, जिसका प्रधान कार्यालय गुंटूर में स्थित है.

इसका 1359 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है, जो पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है. आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने ₹64,673 करोड़ की जमा राशि और ₹71,664 करोड़ के अग्रिम के साथ यथा दिनांक 31.03.2026 को ₹1836 करोड़ के निवल लाभ सहित ₹1,36,337 करोड़ का कुल कारोबार प्राप्त किया है. यथा दिनांक 31.03.2026 को बैंक का सकल एनपीए 0.91% तथा निवल एनपीए 0% है.

एमएसएमई सामाजिक पूंजी - योजनाएं और पुरस्कार

ऋण गारंटी कवरेज - वित्तीय वर्ष 2025-26

ऋण गारंटी योजना	खाते	गारंटी राशि (₹ करोड़ में)
सीजीटीएमएसई	2,13,516	22,589
सीजीएफएमयू (कृषि संबद्ध गतिविधियों सहित)	4,14,113	29,549
कुल	6,27,629	52,138

पुरस्कार: बैंक को दिनांक 22.12.2025 को चैंबर ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक' श्रेणी में प्रथम स्थान और 'सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई फ्रेंडली बैंक' श्रेणी में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ईज फ्रेमवर्क - वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य-निष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) फ्रेमवर्क में एक सक्रिय भागीदार रहा है। ईज 8.0 के अंतर्गत:

- क्यू1 सूचकांक: बैंक ने बैंक-वार रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा चार थीम में से तीन में शीर्ष तीन में शामिल रहा।
- क्यू2 सूचकांक: बैंक ने बैंक-वार रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा चार थीम में से दो में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- क्यू3 सूचकांक: बैंक ने थीम 3 - 'सामाजिक-आर्थिक प्रभाव' में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

जैसे-जैसे देश ईज 9.0 की ओर अग्रसर हो रहा है, ईज 8.0 के अंतर्गत हुई प्रगति ने एक अधिक सुदृढ़, सक्रिय एवं प्रतिस्पर्धी संस्थान के निर्माण के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। ईजराइज (पिलर-II), जो बैंक की विशिष्ट 3-वर्षीय कार्यनीतिक कार्ययोजना है, के अंतर्गत 37 मापनीय मेट्रिक्स को समाहित करते हुए निम्नलिखित छह पहलों को प्राथमिकता दी गई है: एमएसएमई में संवहनीय वृद्धि, मिड सेगमेंट कॉर्पोरेट में संवहनीय वृद्धि, कृषि निवेश ऋण का विस्तार, अनुपालन को सुदृढ़ करना एवं अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना, खुदरा जमा संग्रहण को बढ़ाना तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना।

हितधारक मूल्य सृजित और वितरित - वित्तीय वर्ष 2025-26

हितधारक समूह	मूल्य वितरण का माध्यम	स्केल
ग्रामीण समुदाय और किसान	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, एसएचजी ऋण, कृषि अग्रिम, एसएमएफ ऋण	₹90,018 करोड़ (एसएमएफ) 5,11,000 एसएचजी
सूक्ष्म उद्यमी और स्ट्रीट वेंडर्स	यूजीईसीएल, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, पीएमईजीपी	₹20,311 करोड़ मुद्रा 11.14 लाख स्वनिधि
महिलाएँ एवं लैंगिक समूह	एसएचजी, नारी शक्ति, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, महिला लाभार्थी ऋण	₹1,51,258 करोड़ 5,11,000 एसएचजी
कारीगर और पारंपरिक शिल्पकार	पीएम विश्वकर्म यूनियन सोलर	15,191 कारीगर ₹138 करोड़
सरकारी अस्पताल और विद्यालय	सीएसआर - उपकरण, बुनियादी ढांचा अनुदान	147 परियोजनाएं ₹61.69 करोड़ अनुमोदित
आपदा प्रभावित समुदाय	6 भौगोलिक क्षेत्रों में राहत सामग्री	पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात
ग्रामीण युवा और कौशल साधक	आर-सेटी - नि: शुल्क आवासीय प्रशिक्षण	4.33 लाख प्रशिक्षित 73% सेटल
अल्पसंख्यक समुदाय	भारत सरकार के निर्देश के अंतर्गत समर्पित ऋण	₹53,334 करोड़ बकाया
लघु कारोबार (एमएसएमई)	सीजीटीएमएसई, सीजीएफएमयू, डिजिटल एमएसएमई प्रक्रियाएं	कुल ₹1,62,007 करोड़ ₹52,138 करोड़ गारंटीकृत

हितधारक सहभागिता फ्रेमवर्क

हितधारक	सहभागिता चैनल	आवृत्ति	संबोधित प्रमुख विषय
ग्राहक	डिजिटल प्लेटफॉर्म, शाखा, कॉल सेंटर, सर्वेक्षण, डीसीसी	सतत	उत्पाद की जरूरतें, शिकायतें, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सहायता
शेयरधारक	एजीएम, निवेशक प्रस्तुतियाँ, त्रैमासिक अर्जन, प्रकटीकरण	त्रैमासिक/वार्षिक	वित्तीय कार्य-निष्पादन, कार्यनीति, लाभांश, गवर्नेंस
कर्मचारी	पीएमएस समीक्षाएं, टाउन हॉल, यूनिन फोरम, ई-लर्निंग	निरंतर	कैरियर विकास, कल्याण, अनुपालन, कौशल निर्माण
समुदाय	आर-सेटी, सीएसआर शिविर, एफआई अभियान, बीसी आउटरीच	सतत	कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, समाज कल्याण
सरकार/विनियामक	ईज़, आरबीआई निरीक्षण, अनुपालन रिपोर्टिंग	निरंतर	नीतिगत अनुपालन, जीएनपीए, पीएसएल, प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस
पर्यावरण	पीसीएफ प्लेटफॉर्म, ईएसजी कार्य समूह, जलवायु संवाद	वार्षिक / निरंतर	वित्तपोषित उत्सर्जन, जलवायु जोखिम, हरित लक्ष्य

ग्राहक संतुष्टि और शिकायत निवारण

बैंक ने ग्राहक शिकायत निवारण हेतु बहु-चैनल प्रणाली स्थापित की है, जिसमें: शाखा स्तर पर शिकायत पेटियाँ एवं समर्पित ग्राहक सेवा अधिकारी; 24x7 उपलब्ध कॉल सेंटर सहायता; एआई-सक्षम व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने वाला डिजिटल संपर्क केंद्र; यूनिन ईज ऐप के माध्यम से शिकायत पंजीकरण एवं ट्रैकिंग; एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल; तथा आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत शिकायतों की एस्केलेशन की सुविधा शामिल है। बैंक शिकायतों के समाधान समय, टर्नअराउंड मैट्रिक्स एवं ग्राहक संतुष्टि स्कोर की नियमित निगरानी करता है तथा प्राप्त फीडबैक के उपयोग कर सेवा की गुणवत्ता एवं उत्पाद डिज़ाइन में निरंतर सुधार करता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा में तिमाही आधार पर शिकायत समाधान की गुणवत्ता एवं समयबद्धता की समीक्षा की जाती है।

वित्तीय साक्षरता और डिजिटल शिक्षा

यूनिन बैंक ऑफ इंडिया यह मानता है कि संवहनीय वित्तीय समावेशन के लिए केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु वित्तीय साक्षरता भी आवश्यक है। बैंक विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करता है, जिनमें बचत की आदतें, जिम्मेदार ऋण ग्रहण, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा तथा बीमा जैसे विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है। आर-सेटी इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपनी आय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें और संवहनीय आजीविका का निर्माण कर सकें।

बैंक का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, इसके उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही के दौरान ग्राहकों को लगभग 571.56 करोड़ साइबर जागरूकता एसएमएस भेजे गए तथा लगभग 5.77 करोड़ बहुभाषी ग्राहक संचार संदेश प्रेषित किए गए। तिमाही के दौरान आर-सेटी, विद्यालयों एवं स्वयं सहायता समूहों में 48 से अधिक जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और दिव्यांग समुदाय के लिए विशेष रूप से दो कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वित्तीय साक्षरता पहल	लक्षित वर्ग	कवरेज - विव 2025-26
साइबर जागरूकता एसएमएस अभियान	सभी बैंक ग्राहक	571.56 करोड़ एसएमएस (क्यू4 विव 26)
बहुभाषी जागरूकता संचार	क्षेत्रीय भाषा ग्राहक आधार	5.77 करोड़ संचार
आर-सेटी/विद्यालयों/एसएचजी में जागरूकता सत्र	ग्रामीण समुदाय, छात्र	क्यू4 विव 26 में 48+ सत्र
वरिष्ठ नागरिक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम	बुजुर्ग खाताधारक	2 समर्पित कार्यक्रम
आर-सेटी कौशल + वित्तीय प्रशिक्षण	ग्रामीण युवा - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4.33 लाख प्रशिक्षित 73% सेटल हो गए
बीसी एजेंट प्रशिक्षण (वित्तीय साक्षरता)	कारोबार प्रतिनिधि	2,800+ बीसी प्रशिक्षित

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा एक सशक्त निदेशक मंडल निदेशक मंडल द्वारा संचालित है, जिसमें बैंकिंग, वित्त, विधि, अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीति सहित विविध पृष्ठभूमि के अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। बोर्ड, बैंक की कार्यनीतिक दिशा, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय कार्य-निष्पादन, विनियामकीय अनुपालन तथा ईएसजी प्रतिबद्धताओं की देखरेख करता है। बोर्ड की प्रमुख समितियाँ विशेष क्षेत्रों में निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं — लेखापरीक्षा समिति वित्तीय नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग की देखरेख करती है, जोखिम प्रबंधन समिति ऋण एवं बाजार जोखिमों की निगरानी करती है, हितधारक संबंध समिति ग्राहकों एवं कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विषयों पर कार्य करती है, तथा ईएसजी संचालन समिति पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं की निगरानी करती है।

बैंक की आचार संहिता एवं नैतिकता सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं निदेशकों पर लागू होती है, जो सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करती है। एक सुदृढ़ व्हिसलब्लोअर नीति कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिशोध के भय के संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। धन शोधन निवारण (एएमएल), अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) तथा रिश्वत-रोधी नियंत्रण बैंक की सभी ग्राहक-संबंधी एवं परिचालन प्रक्रियाओं में समाहित हैं, साथ ही, अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक अधिकारी इन महत्वपूर्ण अनुपालन क्षेत्रों में प्रशिक्षित हो।

अनुपालन संस्कृति को ईज फ्रेमवर्क के अनुपालन थीम के माध्यम से व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ किया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुपालन गुणवत्ता को बेंचमार्क करता है। नियमित आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा आरबीआई निरीक्षण, नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं। एकीकृत आश्वासन फ्रेमवर्क के माध्यम से जोखिम, अनुपालन, अनुश्रवण एवं लेखा-परीक्षा को सभी अंचलों एवं क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है, जिससे केंद्रीकृत निगरानी तथा नियंत्रण संबंधी अपवादों का शीघ्र समाधान संभव होता है।

बोर्ड की समितियां और ईएसजी गवर्नेंस संरचना

समिति	संघटन	ईएसजी / जोखिम संबंधी दायित्व
निदेशक मंडल	एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, स्वतंत्र निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक	ईएसजी, जोखिम एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन सहित समग्र कार्यनीतिक निगरानी
जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)	स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की उप-समिति	ऋण, बाजार, परिचालन, चलनिधि और जलवायु जोखिमों की निगरानी
लेखापरीक्षा समिति	स्वतंत्र निदेशक - अधिकांश	वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, आंतरिक नियंत्रण, सांविधिक अनुपालन
हितधारक संबंध समिति	बोर्ड के सदस्य	ग्राहक शिकायत, कर्मचारी कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व
ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी)	बोर्ड की निगरानी के साथ वरिष्ठ प्रबंधन	सभी वर्टिकल में ईएसजी एजेंडे का कार्यनीतिक समन्वय
ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)	वरिष्ठ प्रबंधन समिति	ऋण जोखिम नीति, क्षेत्र सीमाएं, एनपीए प्रबंधन
एएलसीओ (आस्ति-देयता समिति)	वरिष्ठ प्रबंधन समिति	चलनिधि, ब्याज दर और बाजार जोखिम प्रबंधन



जीआरआई मानक सूचकांक

जीआरआई मानकों के सापेक्ष प्रकटीकरण | आईएसएसबी एस1 एवं एस2 | टीएनएफडी रिपोर्टिंग सूचकांक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 को जीआरआई मानक: कोर विकल्प के अनुसार तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट आईएसएसबी एस1 (सामान्य अपेक्षाएं) और आईएसएसबी एस2 (जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण) फ्रेमवर्क के साथ-साथ प्रकृति-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण संबंधी कार्यबल (टीएनएफडी) की संस्तुतियों पर भी आधारित है। बैंक अपने संवहनीयता प्रकटीकरण की गुणवत्ता, पूर्णता और तुलनीयता में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

जीआरआई 2: सामान्य प्रकटीकरण

प्रकटीकरण	अपेक्षा	अनुभाग/उप-अनुभाग	पृष्ठ संदर्भ
2-1	संगठनात्मक विवरण	मूल्य सृजन की गाथा बुनियादी ढांचे का अवलोकन - विनिर्मित पूंजी	वित्तीय और विनिर्मित पूंजी
2-2	संवहनीयता रिपोर्टिंग में शामिल संस्थाएं	सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	विनिर्मित पूंजी
2-6	गतिविधियाँ, मूल्य श्रृंखला और कारोबारी संबंध	बैंक का मूल्य सृजन मॉडल पूंजी अंतर्संबंध	मूल्य सृजन की गाथा
2-22	संवहनीय विकास कार्यनीति पर कथन	हमारा प्राकृतिक पूंजी सिद्धान्त मूल्य सृजन की गाथा	प्राकृतिक पूंजी
2-23	नीतिगत प्रतिबद्धताएं	ईएसजी गवर्नेंस संरचना संवहनीय वित्त फ्रेमवर्क	प्राकृतिक पूंजी
2-29	हितधारक सहभागिता के लिए दृष्टिकोण	हितधारक मूल्य प्रस्ताव सामाजिक पूंजी	मूल्य सृजन की गाथा और सामाजिक पूंजी

जीआरआई 3: महत्वपूर्ण विषय

प्रकटीकरण	अपेक्षा	अनुभाग/उप-अनुभाग
3-1	महत्वपूर्ण विषयों को निर्धारित करने की प्रक्रिया	महत्वपूर्णता और हितधारक प्राथमिकताएं - मूल्य सृजन की गाथा
3-2	महत्वपूर्ण विषयों की सूची	सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे महत्वपूर्णता मैट्रिक्स — मूल्य सृजन की गाथा

आर्थिक कार्य-निष्पादन

जीआरआई मानक	प्रकटीकरण विषय	अनुभाग	प्रमुख मेट्रिक
जीआरआई 201	आर्थिक कार्य-निष्पादन	वित्तीय पूंजी - पी एंड एल, तुलन पत्र, प्रमुख अनुपात	निवल लाभ ₹18,697 करोड़ आरओए 1.25%
जीआरआई 203	अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	सामाजिक पूंजी - सामुदायिक निवेश, पीएसएल	पीएसएल 41.04% सीएसआर ₹61.69 करोड़
जीआरआई 204	प्रापण पद्धतियाँ	विनिर्मित पूंजी — विक्रेता प्रबंधन	एकीकृत आश्वासन फ्रेमवर्क
जीआरआई 205	भ्रष्टाचार निरोध	गवर्नेंस फ्रेमवर्क - नैतिक आचार संहिता	शून्य सहनशीलता नीति

पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन

जीआरआई मानक	प्रकटीकरण विषय	अनुभाग	प्रमुख मेट्रिक
जीआरआई 302	ऊर्जा	प्राकृतिक पूंजी - परिचालन संवहनीयता	नेट-जीरो 2035 लक्ष्य
जीआरआई 305	उत्सर्जन	प्राकृतिक पूंजी - पीसीएएफ, वित्तपोषित उत्सर्जन	पीसीएएफ हस्ताक्षरकर्ता उत्सर्जन ट्रेकिंग
जीआरआई 308	आपूर्तिकर्ता पर्यावरण मूल्यांकन	प्राकृतिक पूंजी - ईएसजी ड्यू डिलिजेंस	पर्यावरणीय सामाजिक ड्यू डिलिजेंस
जीआरआई 306	अपशिष्ट	प्राकृतिक पूंजी - शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल लक्ष्य	कार्यान्वयनाधीन

सामाजिक कार्य-निष्पादन

जीआरआई मानक	प्रकटीकरण विषय	अनुभाग	प्रमुख मेट्रिक
जीआरआई 401	नियोजन	मानव पूंजी - कार्यबल प्रोफ़ाइल	73,885 कर्मचारी
जीआरआई 402	श्रम/प्रबंधन संबंध	मानव पूंजी - मानव संसाधन पहल	पीएमएस, पुरस्कार और सम्मान
जीआरआई 403	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	मानव पूंजी - कर्मचारी कल्याण	व्यापक कल्याण कार्यक्रम
जीआरआई 404	प्रशिक्षण और शिक्षा	मानव पूंजी - ज्ञानार्जन एवं विकास	23.10 लाख ज्ञानार्जन के घंटे
जीआरआई 405	विविधता और समान अवसर	मानव पूंजी - समावेशी कार्यस्थल	आईएसओ 30414:2025 सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण
जीआरआई 413	स्थानीय समुदाय	सामाजिक पूंजी - सीएसआर, आर-सेटी, समावेशन	4.33 लाख प्रशिक्षित ₹61.69 करोड़ सीएसआर
जीआरआई 417	विपणन और लेबलिंग	बौद्धिक पूंजी - डिजिटल उत्पाद	15+ डिजिटल प्रक्रिया निष्पक्ष ऋण प्रदान करना
जीआरआई 418	ग्राहक गोपनीयता	बौद्धिक पूंजी - साइबर सुरक्षा	डीपीडीपी अधिनियम डेटा सुरक्षा कार्यालय

आईएसएसबी एस1 - संवहनीयता से संबंधित वित्तीय सूचना हेतु सामान्य अपेक्षाएं

अपेक्षित प्रकटीकरण	अनुभाग/उप-अनुभाग	पृष्ठ संदर्भ
गवर्नेंस प्रक्रियाएं, नियंत्रण और पद्धतियाँ	बोर्ड-स्तरीय ईएसजी निगरानी ईएसजी गवर्नेंस संरचना	प्राकृतिक पूंजी
संवहनीयता से संबंधित जोखिमों एवं अवसरों पर बोर्ड की निगरानी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी)	प्राकृतिक पूंजी
गवर्नेंस प्रक्रियाओं में प्रबंधन की भूमिका	ईएसजी सेल, जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी)	प्राकृतिक पूंजी
संवहनीयता से संबंधित जोखिम एवं अवसर	मूल्य सृजन थीम कार्यनीतिक संदर्भ एवं बाहरी वातावरण	मूल्य सृजन की गाथा
कारोबार मॉडल और मूल्य श्रृंखला	बैंक का मूल्य सृजन मॉडल पूंजी अंतर्संबंध	मूल्य सृजन की गाथा
कार्यनीति एवं निर्णय-निर्धारण	बैंक की प्रतिक्रिया कार्यनीति - चार कार्यनीतिक पिलर	मूल्य सृजन की गाथा
वित्तीय स्थिति, कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह	वित्तीय पूंजी - कार्य-निष्पादन एक नज़र में	वित्तीय पूंजी
जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं	जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क एकीकृत जोखिम दृष्टिकोण	वित्तीय पूंजी
प्रगति मापने हेतु उपयोग किए जाने वाले मेट्रिक्स	प्राकृतिक पूंजी केपीआई वित्तीय पूंजी केपीआई जीआरआई मानक सूचकांक	समस्त पूंजी
संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य	नेट-जीरो प्रतिबद्धता 2035 भविष्य की कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ	प्राकृतिक और वित्तीय पूंजी



आईएसएसबी एस2 - जलवायु संबंधी प्रकटीकरण

अपेक्षित प्रकटीकरण	अनुभाग/उप-अनुभाग	प्रमुख मेट्रिक
जलवायु संबंधी जोखिम और अवसर	प्राकृतिक पूँजी - जलवायु जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क	भौतिक एवं संक्रमण संबंधी जोखिम
जलवायु परिदृश्य विश्लेषण	प्राकृतिक पूँजी - दबाव परीक्षण उच्च प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण	पांच उच्च उत्सर्जन क्षेत्र
वित्तपोषित उत्सर्जन (स्कोप 3 श्रेणी 15)	प्राकृतिक पूँजी - पीसीएफ पद्धति	भारत में पीसीएफ फर्स्ट-मूवर
संक्रमण योजना	प्राकृतिक पूँजी - जलवायु नेतृत्व हेतु कार्यनीतिक पिलर	नेट-जीरो 2035
उद्योग-आधारित मेट्रिक्स - ग्रीन फाइनेंस	नेचुरल कैपिटल — ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो	₹37,435 करोड़ पोर्टफोलियो
भौतिक जोखिम मेट्रिक्स	प्राकृतिक पूँजी - अक्षांश/देशांतर आधारित भौतिक जोखिम मूल्यांकन	कार्यान्वयनाधीन

टीएनएफडी - प्रकृति से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण संबंधी कार्यबल

टीएनएफडी पिलर	अपेक्षित प्रकटीकरण	बैंक की स्थिति
गवर्नेंस	प्रकृति से संबंधित जोखिमों और अवसरों की बोर्ड द्वारा निगरानी	ईएसजी संचालन समिति आरएमसी
कार्यनीति	प्रकृति से संबंधित निर्भरताएं, जोखिम और अवसर	स्कोपिंग के अंतर्गत प्रकृति जोखिम मूल्यांकन
जोखिम और प्रभाव प्रबंधन	प्रकृति से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन	ईएसडीडी (पर्यावरणीय सामाजिक ड्यू डिलिजेंस) फ्रेमवर्क
मेट्रिक्स और लक्ष्य	प्रकृति से संबंधित निर्भरताओं के मापन, निगरानी और प्रबंधन हेतु मेट्रिक्स	प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण फ्रेमवर्क - विकासाधीन

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के साथ संरेखण — वित्तीय वर्ष 2025-26

यूएन एसडीजी	लक्ष्य	बैंक का योगदान - विव 2025-26
एसडीजी 1	गरीबी उन्मूलन	पीएमजेडीवाई के 3.40 करोड़ खाते एसएचजी ऋण ₹33,212 करोड़ मुद्रा ₹20,311 करोड़
एसडीजी 2	शून्य भूख	कृषि ऋण ₹1,83,394 करोड़ केसीसी 2.58 लाख एसएमएफ ₹97,787 करोड़
एसडीजी 3	अच्छा स्वास्थ्य	स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के लिए सीएसआर फंडिंग कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम
एसडीजी 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	आर-सेटी में 4.33 लाख प्रशिक्षित कर्मचारी ज्ञानार्जन के 23.10 लाख घंटे शिक्षा ऋण ₹18,166 करोड़
एसडीजी 5	लैंगिक समानता	महिला लाभार्थी ₹1,51,258 करोड़ 5,11,000 एसएचजी रीकनेक्ट नारी शक्ति
एसडीजी 7	सस्ती ऊर्जा	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण ₹33,572 करोड़ ईवी ऋण ₹2,084 करोड़ सोलर ₹190 करोड़
एसडीजी 8	सम्मानजनक कार्य	₹10,78,611 करोड़ ऋण एमएसएमई ₹1,62,007 करोड़ 73,885 कर्मचारियों के लिए रोजगार
एसडीजी 10	असमानताओं में कमी	पीएसएल 41.04% अल्पसंख्यक ₹53,334 करोड़ कमजोर वर्ग ₹1,15,921 करोड़
एसडीजी 11	संवहनीय शहर	ग्रीन होम ₹1,779 करोड़ पीएम सूर्यघर में 51,700 खाते बीसी नेटवर्क 28,035 केंद्र
एसडीजी 13	जलवायु कार्रवाई	ग्रीन पोर्टफोलियो ₹37,435 करोड़ नेट-जीरो 2035 पीसीएफ हस्ताक्षरकर्ता
एसडीजी 16	सुदृढ़ संस्थान	गवर्नेंस फ्रेमवर्क विनियामकीय अनुपालन शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचार-निरोध
एसडीजी 17	साझेदारी	सीजीजीबी प्रायोजन आरबीआई फ्रेमवर्क वैश्विक पीसीएफ सदस्यता फिनटेक सह-ऋण

यह जीआरआई मानक सूचकांक तथा आईएसएसबी/टीएनएफडी संरेखण विवरण रिपोर्टिंग तिथि तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संवहनीयता रिपोर्टिंग में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और विकसित होते वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने प्रकटीकरण को क्रमिक रूप से और अधिक सुदृढ़ करेगा।

विस्तृत जीआरआई विषय प्रकटीकरण

जीआरआई 201: आर्थिक कार्य-निष्पादन - विस्तृत प्रकटीकरण

मेट्रिक	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	17,987	18,697
परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)	31,090	28,620
निवल ब्याज आय (₹ करोड़ में)	37,214	36,659
कुल गैर-ब्याज आय (₹ करोड़ में)	19,813	19,435
आय कर प्रावधान (₹ करोड़ में)	5,492	5,484
भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	3,627	बोर्ड के संकल्प के अनुसार
कर्मचारी लागत (परिचालन व्यय में शामिल)	₹25,937 करोड़ में शामिल	₹27,474 करोड़ में शामिल
सामुदायिक निवेश (सीएसआर)	—	₹61.69 करोड़ अनुमोदित ₹35.88 करोड़ संवितरित
संगठन में प्रतिधारित पूंजी	₹1,37,758 करोड़ की कुल पूंजी में प्रतिधारित अर्जन का योगदान	सुदृढ़ इक्विटी आधार

जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा - विस्तृत मेट्रिक्स

प्रशिक्षण मेट्रिक	वित्तीय वर्ष 2025-26
कुल ज्ञानार्जन के घंटे	23.10 लाख+
प्रति तिमाही प्रति कर्मचारी औसत घंटे	31.24 घंटे
कक्षा कार्यक्रम - यूएलए	629 कार्यक्रम 19,386 प्रतिभागी
आभासी कार्यक्रम - यूएलए	160 कार्यक्रम 9,108 प्रतिभागी
वेबिनार - यूएलए	350 वेबिनार 64,912 प्रतिभागी
कक्षा कार्यक्रम - ज़ेडएलसी	1,080 कार्यक्रम 26,683 प्रतिभागी
स्थानीय कार्यक्रम - ज़ेडएलसी	574 कार्यक्रम 22,016 प्रतिभागी
आभासी कार्यक्रम - ज़ेडएलसी	194 कार्यक्रम 11,395 प्रतिभागी
वेबिनार - ज़ेडएलसी	290 वेबिनार 24,927 प्रतिभागी
बाह्य कार्यक्रम (विदेश सहित)	1,212 कर्मचारी 26 विदेशों में
लीडरशिप कार्यक्रम	42 कार्यक्रम 867 कार्यपालक (वेतनमान V-VII)
प्रीमियर संस्थान कार्यक्रम	346 अधिकारी 5 डोमेन आईआईएम इंदौर, आईएसबी, एमडीआई
पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं	40 परियोजनाएं
विकसित किए गए केस अध्ययन	350
जर्नलों में प्रकाशित लेख	307
संकाय प्रमाणन पाठ्यक्रम	1,039 पाठ्यक्रम
कर्मचारी बाहरी प्रमाणन पाठ्यक्रम	2,916 कर्मचारी 4,043 पाठ्यक्रम
कर्मचारी आंतरिक प्रमाणन पाठ्यक्रम	3,460 कर्मचारी 9,038 पाठ्यक्रम



जीआरआई 413: स्थानीय समुदाय — विस्तृत मेट्रिक्स

सामुदायिक कार्यक्रम	स्केल	राशि (₹ करोड़ में)
पीएमजेडीवाई - जन धन खाते	3.40 करोड़ खाते	शेष राशि ₹15,964 करोड़
पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स)	11.14 लाख खाते	—
पीएमएमवाई - मुद्रा योजना	6,94,138 आवेदन	20,311
पीएमईजीपी (रोजगार सृजन)	4,856 उद्यमी	729
पीएम विश्वकर्मा	15,191 कारीगर	138
एसएचजी - महिला क्रेडिट लिंकेज	5,11,000 एसएचजी	33,212 बकाया
आर-सेटी - नि: शुल्क कौशल प्रशिक्षण	4.33 लाख प्रशिक्षित 73% सेटलमेंट	—
सीजीजीबी - ग्रामीण बैंकिंग (8 जिले)	276 शाखाएं	₹25,272 करोड़ का कारोबार
सीएसआर - यूबीएसएफटी (147 परियोजनाएं)	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता	₹61.69 करोड़ अनुमोदित
आपदा राहत (6 भौगोलिक क्षेत्र)	पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात	सीएसआर में शामिल
बीसी नेटवर्क - अंतिम छोर तक पहुंच	28,035 बीसी केंद्र	—
वित्तीय साक्षरता सत्र	48+ सत्र 2 वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम	571.56 करोड़ एसएमएस

जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता — डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अनुपालन में एक व्यापक डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क स्थापित किया है। डेटा संरक्षण कार्यालय (डीपीओ), बैंक की डेटा गोपनीयता नीतियों, सहमति प्रबंधन प्रक्रियाओं, डेटा न्यूनीकरण पद्धतियों तथा डेटा संबंधित प्राधिकार तंत्र की निगरानी करता है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से एकत्रित सभी ग्राहक डेटा को स्पष्ट रूप से परिभाषित सहमति फ्रेमवर्क के अंतर्गत संसाधित किया जाता है, एंक्रिप्शन के साथ संग्रहीत किया जाता है, और केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए आवश्यक अवधि तक ही रखा जाता है।

बैंक का साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, जो आईएसओ 27001 प्रमाणित है और पीसीआई-डीएसएस के अनुरूप है, ग्राहक डेटा की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। बिटसाइट एडवांस्ड रेटिंग बैंक की सुदृढ़ता बाहरी साइबर सुरक्षा स्थिति को दर्शाती है। एक 24x7 नेक्स्ट जेनरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एनजीएसओसी) सभी डिजिटल चैनलों की असामान्य गतिविधियों और संभावित डेटा उल्लंघनों की निगरानी करता है। साइबर सुरक्षा बीमा अवशिष्ट जोखिमों के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्राहकों से संबंधित किसी भी बड़े डेटा उल्लंघन की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

पुरस्कार एवं सम्मान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्सरसाइज (एनसीआईआईपीसी सीआईआई एसईसीईएक्स) में एडवांस एसओसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यूबीएसएफ़ सीसो कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में ऑपरेशनल साइबर रेडीनेस प्लेटफॉर्म तथा साइबर रेंज श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिसंबर 2025 में आयोजित डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में “बेस्ट सिक्युरिटी प्रैक्टिसेस इन द बैंकिंग सेक्टर” श्रेणी में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जून 2025 में आयोजित चौथे आईबीए सीसो समिट एंड साइटेडेंस 2025 अवार्ड्स में उप-विजेता के रूप में सम्मानित किया गया।







24^{वीं} वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **24^{वीं} (चौबीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थान) में **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओवीएम)** सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित मदों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य मद:

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2026** के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि खाते, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु चर्चा.

मद क्र. 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹5/- का लाभांश घोषित करने हेतु.

विशेष मद:

मद क्र. 3

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("विनियमन") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021 यथा संशोधित, सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन **बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा,** जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **राशि जो कि ₹8,000 करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) **राशि जो कि ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** के इक्विटी शेयर जो **₹7633.60 करोड़ (रुपए सात हजार छः सौ तैतीस करोड़ एवं साठ लाख मात्र),** की विद्यमान चुकता इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल ₹10,000 करोड़ (रुपए दस हजार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की अधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा तक, या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार होगी कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51% अंशधारिता रखेगी.

➤ निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के बेमीयादी ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स जिसमें गौण डिबेंचर्स, बॉण्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए **राशि जो कि अतिरिक्त टियर-1 एवं/या टियर-2 बॉण्ड के रूप में ₹5000 करोड़ (रुपए पाँच हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो**, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन/इंफ्रास्ट्रक्चर/विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉण्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**“एनआरआई”**), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सोसाइटियों, ट्रस्टों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**क्यूआईबी**) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (**“एफआईआई”**)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (**एफपीआई**), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं।

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) से हो सकता है; आगे सार्वजनिक ऑफर, प्रमोटर/प्रमोटर समूह के साथ या के बिना सार्वजनिक शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के लिए उनके अधिकार का निर्गम, डिपॉजिटरी रसीद/एडीआर/जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी स्थानन, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं या बैंक के कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार अधि-आबंटन सहित या बिना या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा ऑफर, निर्गम, इक्विटी/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थानन या आबंटन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।”

“पुनः संकल्प किया कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में, बोर्ड को सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार होगा जो निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरीके से और जहां आवश्यक हों, लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या ऐसे नियम व शर्तें जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य

विनियमनों और किसी भी एवं सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार तय कर सकता है और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

“पुनः संकल्प किया कि सूचीबद्ध विनियमों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बंधक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में “सम्यक् प्राधिकारी” कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुरूप तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) और ऐसी शर्तों के अधधीन बोर्ड अपने विवेकानुसार समय-समय पर एक या अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा कोई भी प्रतिभूति निर्गम, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है, जो बाद की तिथि पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या विनिमेय योग्य हैं, इस तरह से कि भारत सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I में परिभाषित किया गया है, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेखित है, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से तथा ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, नियमों एवं शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों या कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं जो उस समय प्रचलित हो सकते हैं।

“पुनः संकल्प किया कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार अर्हता-प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में:

- प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
- बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियमन 176(1) के प्रावधान के अनुक्रम में सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत तक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।
- प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तिथि, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी।”

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीबद्धता का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे

24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड को होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू हो सकता है, किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा लागू हो।”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गम किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनिन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998, यथासंशोधित, के अधीन होंगे तथा सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र होंगे।”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य हेतु, बोर्ड को निवेशक संवर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक ट्रांच (किस्त) पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे सहित सार्वजनिक ऑफर की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों), एरेंजर(रों) तथा अन्य ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाएं करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी / प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया जाता है एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, लीड मैनेजरों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों, निर्गम(मों) का फॉर्म, जिसमें निवेशक का वह संवर्ग शामिल है जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम राशि/ वारंटो की प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/ रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बही बंदी एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, के शर्तों को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी या कोई प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

मद क्र. 4:

श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान तथा विनियम 17(1डी) के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4 (xi)/2024-बी.ओ.। दिनांक 15 सितम्बर, 2025

द्वारा, श्री नितेश रंजन की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, उनके अधिसूचित कार्यकाल, जो 09 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ, उससे आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

मद क्र. 5:

श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4 (ii)/2024-बीओ.। दिनांक 15 सितम्बर, 2025 द्वारा, श्री रामसुब्रमणियन एस की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, उनके अधिसूचित कार्यकाल, जो 20 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ, से आगे उनकी अधिवर्षिता की तिथि 30 जून, 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

मद संख्या 6:

श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति

विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3 (i)/2024-बीओ.। दिनांक 30 सितम्बर, 2025 द्वारा, श्री आशीष पाण्डेय की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण की तिथि, अर्थात् 30 सितम्बर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

मद संख्या 7:

श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4(iii)/2024-बीओ.। दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा, श्री अमरेश प्रसाद की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण की तिथि, अर्थात् 24 नवम्बर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 अक्टूबर, 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

मद संख्या 8:

बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में डॉ. देबाशीष प्रुष्टि (डीआईएन: 10655471) की नियुक्ति

उक्त विषय पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के दूसरे प्रावधान, यथा संशोधित, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ. सं. 6/2(v)/2022-बीओ.। दिनांक 13 मई, 2026 द्वारा, 13 मई 2026 से प्रभावी, बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में, डॉ. देबाशीष प्रुष्टि के नामांकन को अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर अनुमोदित किया जाए एवं एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

**निदेशक मंडल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**स्थान: मुंबई
दिनांक: 17.06.2026**

**(आशीष मिश्रा)
कंपनी सचिव**



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

नोट्स

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र. 09/2024, दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ. सं. 7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 24वीं एजीएम वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

बी. बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

सी. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

डी. एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई. चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

एफ. सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् 10.45 पूर्वाह्न [आईएसटी] से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) में वर्णित क्रेडेंशियल के साथ कृपया <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं। बैठक के पहले या उसके दौरान तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।

जी. सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। एमसीए परिपत्रों के अनुसार बड़े शेयरधारकों (अर्थात् शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त की बाध्यता के बिना वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 24वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एच. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।

आई. वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे** तक किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 12 में प्रदत्त अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank.in भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैठक के दौरान

सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।

जे. वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिनक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करके वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं।

के. भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** से पूर्व बैंक विवरण, ईमेल पता, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयरधारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, शेयरधारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखित एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। हालांकि, सदस्यों के प्रतिनिधियों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से नियुक्त किया जा सकता है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय निगम, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को mail@csraginichokshi.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक की कार्यसमाप्ति तक या उससे पूर्व अर्थात् **शनिवार, 4 जुलाई, 2026 शाम 5.00 बजे तक** प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. बही बंदी

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम तथा लाभांश के भुगतान, यदि वार्षिक महासभा बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के उद्देश्य हेतु **शनिवार 4 जुलाई, 2026 से शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026 (दोनों दिनों सहित)** तक बंद रहेगी।

6. अदावाकृत/अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदावाकृत/अदत्त लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) या बैंक की निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है। जबकि, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2021-22 से अदत्त लाभांश के विवरण के लिए, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा पर जा सकते हैं: <https://eremit.unionbankofindia.bank.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx>

अदावाकृत लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया और अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध कराए गए हैं।

7. पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित **फॉर्म आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एमआईआरएसडी_पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने अपेक्षित विवरणों को प्रदान करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है.

- सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. सदस्यों जिन्होंने अब तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तिकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा

हैदराबाद – 500 032

दूरभाष.: 040 – 67162222

- डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information> पर उपलब्ध हैं.

- ई. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को पते में परिवर्तन करने हेतु बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सुझाव भेजना चाहिए.

- एफ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में उनके संबंधित फोलियो नंबर/रों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/क्लाईट नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डिमेट रूप में शेयर धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

8. निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तिकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करना और शेयरों के प्रेषण हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022, जो कि एचओ/38/13(3)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/1/3763/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के साथ पठित है, के माध्यम से सूचीबद्ध

संस्थाओं को निम्नलिखित सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के दौरान प्रतिभूतियों को केवल अमूर्तिकृत रूप में जारी करना अनिवार्य किया है, अर्थात:

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र निर्गम करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए **फॉर्म आईएसआर-4** को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information> पर उपलब्ध है. यह नोट किया जा सकता है कि कोई भी सेवा अनुरोध केवल फोलियो के केवाईसी अनुपालित होने के बाद ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के प्रेषण के संबंध में सेबी द्वारा सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

9. स्थिति के परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड को तत्काल सूचित करें:

- ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवास स्थिति में परिवर्तन.
- बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित, यदि पहले न दिया गया हो.

10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

प्राधिकारियों द्वारा अनुमति के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिमेट रूप शेयर के मामले में निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं.

11. कट ऑफ/ रिकॉर्ड तिथि

ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी [प्रबंधन एवं प्रशासन] नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 8 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** तक मान्यता दी जाएगी।

12. लाभांश का भुगतान

यदि लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **सोमवार, 20 जुलाई, 2026** से निम्नानुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिम्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल"), संयुक्त रूप से "डिपॉजिटरीज़" द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को कार्यसमाप्ति तक किया जाएगा।
- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है।

वित्त अधिनियम, 2026 के अनुसार, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगी और बैंक को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) के अंतर्गत शेयरधारकों (छूट प्राप्त श्रेणी के शेयरधारकों को छोड़कर) को भुगतान किए गए लाभांश पर, प्रति शेयरधारक ₹10,000 से अधिक लाभांश के भुगतान के सापेक्ष (निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए) पैन आधार पर, निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 2025 तथा उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना वैध पैन डीपी (यदि शेयर अमूर्तकृत रूप में धारित हैं) तथा बैंक/बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) के साथ अद्यतन करें।

13. वोट देने का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा, तदनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।**

उपर्युक्त के अधीन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो **कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 3 जुलाई 2026** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा।

14. लेखों एवं अन्य संबंधित प्रश्नों पर जानकारी

शेयरधारक जो लेखों एवं अन्य संबंधित क्वेरी पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank.in पर मेल करें, जो बैंक को वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से पूर्व **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे। कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयरधारक हैं।

साथ ही, शेयरधारकों जो कट-ऑफ तिथि को शेयर धारक हैं वे वेबसाइट <https://emeetings.kfintech.com> पर भी जा सकते हैं और **"post your queries here"** पर क्लिक करके प्रश्न/क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान विंडो सक्रिय हो जाएगा और **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगा।

15. भौतिक धारिता का अमूर्तकरण

सेबी ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से अधिदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु प्रेषण एवं रूपांतर अनुरोधों सहित सभी अनुरोधों को केवल अमूर्तकृत फॉर्म में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए एवं भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अमूर्तकरण के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को अमूर्तकृत करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

16. नोटिस में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा महासभा बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा बैठक में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

महासभा बैठक में शामिल सदस्य को बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है।

- ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- iv. शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी।
- v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 7 जुलाई, 2026 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, भौतिक या अमूर्तीकृत फॉर्म में शेयर धारित करते हों, कारोबार मद क्र. 1 से 8 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा कट ऑफ तिथि **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को अपना वोट कर सकते हैं। इसके पश्चात केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग

मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब एक शेयरधारक संकल्प पर अपना वोट कर देते हैं, उसके बाद शेयरधारक को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

- vi. कोई व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेजने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank.in पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को शाम 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- vii. रिमोट ई-वोटिंग एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरीज सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें।

वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) – डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. उपयोगकर्ता आईडीईएस सुविधा के लिए पहले ही पंजीकृत है: I. यूआरएल: https://eservices.nsdl.com II. 'आईडीईएस' सेक्शन में "बेनीफिसियल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें। III. नए पेज पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सिस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें। IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जो ईजी/इजीयस्ट (Easi/Easiest) का विकल्प लिया है I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com II. नई प्रणाली माईईजी (Myeasi) पर क्लिक करें। III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें। IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चयन करें। III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें।	2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं I. पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration पर लिंक उपलब्ध है। II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें।
3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं

- I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें:
<https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
- II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें।
- I. यूआरएल: www.cdslindia.com
- II. डिमैट खाता संख्या एवं पैन सं. प्रदान करें।
- III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डिमैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा।
- IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है।



4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं।

- I. यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- II. "शेयरधारक/सदस्य" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें।
- III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डिमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें।
- IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं।
- V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।



महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है - एनएसडीएल

लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है - सीडीएसएल

लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर 022-6234626, 022-6234624 या 022-62343611 पर संपर्क कर सकते हैं।

वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करनेवाले) - डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपके सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

- ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है।
- बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें।
- सी. आपके ई-मेल आईडी में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लॉईट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा। हालांकि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण किया है तो अपना वोट देने के लिए आप मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- डी. उचित तरीके से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरक्टर का हो जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@, #, \$ आदि) होने चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा।
- जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा।
- एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
- आई. 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एकबार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि के दौरान, जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं।
- जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

- के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी जो [mail@csraginichokshi.com](mailto:csraginichokshi.com) ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No.....' के प्रारूप में रखें।
- viii. यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधी कोई केरी या समस्या है तो आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत <https://evoting.Kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
- ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेजे या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयरधारक के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- xi. संयुक्त धारक के मामले में, शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूज़र आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा। तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा। प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है।
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए।
- xiii. मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी की सुश्री रागिनी चोकशी या श्री उमा शंकर हेगड़े, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें।
- xiv. बैठक के अध्यक्ष, वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के बाद वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।

- xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में दिए गए कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.unionbankofindia.bank.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट अर्थात् <https://evoting.kfintech.com> पर प्रस्तुत किया जाएगा। वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई एवं एनएसई को संप्रेषित किए जाएंगे।

18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के लिए जैसा पूर्व में इंगित किया गया है, मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव एवं बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक, से

सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े, सभी कारोबार मर्दों के संबंध में जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगी/करेंगे। वे बैठक में किए जाने वाले ई-वोटिंग के लिए एक अन्य शेरधारक के साथ मिलकर जांचकर्ता के रूप में भी कार्य करेंगी/करेंगे।

19. बैठक के परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अधीन संकल्प(पों) को पारित माना जाएगा।

20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक महासभा बैठक की कार्यवाही को निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 3:

पूंजी जुटाना:

बैंक, बैंकिंग कारोबार एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों में शामिल है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹7,633.60 करोड़ रही।

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी का **74.76%** है। यथा 31 मार्च, 2026 को जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी निधि निम्नानुसार रहा:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III			
(₹ करोड़ में)			
पैरामीटर	दिनांक 31 मार्च, 2026 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
कुल जोखिम भारित आस्तियां		7,03,920	7,03,920
कुल पूंजी निधि	लागू नहीं	1,26,825	1,26,825
सीईटी 1 पूंजी		1,05,465	1,05,465
टियर 1 पूंजी		1,14,336	1,14,336
सीआरएआर (%)	11.50	18.02	18.02
सीईटी 1 (%)	8.00	14.98	14.98
टियर 1 (%)	9.50	16.24	16.24
टियर 2 (%)	लागू नहीं	1.77	1.77

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी 1 एवं टियर 1 अनुपात में 2.50 प्रतिशत का सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) शामिल है। टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है।

कारोबार आस्तियों के विस्तार हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अंतर्गत पूंजी एवं लीवरेज अनुपात अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए और विकास अनुमानों के आधार पर, आपके निदेशकों ने **₹ 8,000 करोड़ (रूपये आठ हजार करोड़ केवल)** की पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है।

बैंक के विनियामकीय अनुपालनों को सुनिश्चित करने तथा लक्षित कारोबार वृद्धि के विस्तार और उसे प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पूंजी निधियों की आवश्यकता को पूरा करने एवं सामान्य ऋण देने के उद्देश्यों के लिए, बैंक सार्वजनिक निर्गम (अर्थात आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव) और/या अधिकार निर्गम तथा/या निजी नियुक्ति, जिसमें योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/या कर्मचारी शेयर खरीद योजना और/या भारत सरकार तथा/या अन्य संस्थाओं को वरीयतापूर्ण आवंटन तथा/या अन्य किसी माध्यम/माध्यमों के जरिए, भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, इक्विटी शेयर पूंजी जुटा सकता है। वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यदि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम क्यूआईपी के माध्यम से किया जाता है, तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा।

बैंक एक या एक से अधिक भागों में निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉण्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉण्ड आदि सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर की ऐसी संख्या बढ़ा सकता है, जिसे सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीबद्ध करना), विनियमन, 2021 के साथ अनुपालन में और आरबीआई द्वारा टियर I और टियर II के रूप चिह्नित एवं वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है, तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो। उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में, यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

उपर्युक्त कारणों के लिए, अतः एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित है जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके।

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर/बॉण्ड निर्गम कर सके। एकबार पारित होने के बाद यह प्रस्तावित संकल्प बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2025 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में इसी तरह से पूर्व में पारित संकल्प का स्थान लेगा।

विशेष संकल्प के अनुरूप इक्विटी शेयरों और या बॉण्ड का प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

आपके निदेशक नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को बैंक में शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, संकल्प में इच्छुक या सम्बद्ध नहीं माना जाएगा।

मद संख्या 4:

श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

भारत सरकार द्वारा श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3/2020-बीओ.1 दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा, पद ग्रहण की तिथि अर्थात 10 मार्च, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे, भारत सरकार

की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यकाल, जो दिनांक 09.03.2024 को समाप्त हुआ, से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 09.03.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(xi)/2024 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यकाल, जो दिनांक 09.03.2026 को समाप्त हुआ, से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 09.03.2029 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान तथा विनियम 17(1डी) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री नितेश रंजन की पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री नितेश रंजन वर्तमान में ट्रेजरी, मानव संसाधन एवं ज्ञानार्जन एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटाइजेशन, डिजिटल कारोबार, सहायक सेवाएं विभाग एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण तथा प्रापण विभाग का कार्य देख रहे हैं। वे बैंक के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं तथा तुलन पत्र अनुकूलन, ग्राहक अनुभव और मानव संसाधन विकास के लिए कार्यनीतिक पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। कारोबार परिणामों को दिशा देते हुए, वे जोखिम और अनुपालन मानकों के निरंतर सुदृढीकरण पर बल देते हैं।

वर्ष 2008 से यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ संबद्ध, उन्होंने ट्रेजरी परिचालन एवं कार्यनीति के प्रमुख, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख सहित प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की और बाद में आंध्रा बैंक के साथ कार्य किया।

वे आईबीए की पीएसबी सुधारों पर संचालन समिति के सदस्य हैं। पूर्व में वे एनपीसीआई, एसयूडी लाइफ इश्योरेंस कंपनी, स्विफ्ट इंडिया, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड और फिमडा के बोर्ड में कार्य कर चुके हैं तथा इंडिया फॉरेक्स समिति (आईएफएक्ससी) के संस्थापक सदस्य रहे हैं।

श्री रंजन ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और आईआईएम बैंगलूरु के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पूर्ण किया है। उन्होंने सामाजिक पहलों में भी योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने वंचित युवाओं के लिए टीच इंडिया के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम हेतु 100 दिन समर्पित किए हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य

- यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में शेयरधारिता: 6725 इक्विटी शेयर
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री नितेश रंजन के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री नितेश रंजन के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके परिजनों का उक्त संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 5:

श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

भारत सरकार द्वारा श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ। दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा, पद ग्रहण की तिथि अर्थात् 21 नवम्बर, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(ii)/2024 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के अनुसार, श्री रामसुब्रमणियन एस का कार्यकाल, जो 20 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ, से आगे उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 30 जून, 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस की पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री रामसुब्रमणियन एस वर्तमान में खुदरा, एमएसएमई, कृषि, रूसू एवं एफआई तथा गोल्ड, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल, बोर्ड सचिवालय, कार्यनीति, सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम जिसमें एसीआई, सेंट्रल रिपोर्टिगरी एवं एमआईएस, ईएसई तथा सीईए (बैंकिंग अनुसंधान) विभाग का कार्य देख रहे हैं।

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में शामिल होने से पूर्व, श्री रामसुब्रमणियन एस केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। उनके पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/रिटेल क्रेडिट, इंटरनेशनल क्रेडिट तथा फॉरेक्स में 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ सीएआईआईबी योग्यता प्राप्त की है।



24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

अपने बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने विभिन्न स्थानों एवं शाखा श्रेणियों में कार्य किया है, जिसमें प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ तथा केनरा बैंक की हांगकांग शाखा और प्रधान कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालय सम्मिलित हैं।

वे शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में भाग लिया। वे आईबीए की कॉर्पोरेट क्रेडिट स्थायी समिति में भी रहे हैं। उन्हें कोविड से संबंधित ऋण पुनर्संरचना पर कामथ समिति में भाग लेने हेतु नामित किया गया था। वे संचालन और प्रशासन दोनों में समान रूप से पारंगत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री रामसुब्रमणियन एस के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री रामसुब्रमणियन एस के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके परिजनों का उक्त संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद क्रमांक 6

श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति

श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अर्जन) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3 (i)/2024-बीओ, दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 30 सितंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है। तदनुसार, श्री आशीष पाण्डेय 30 सितंबर, 2025 से प्रभावी रूप से बैंक के निदेशक मंडल में एमडी एवं सीईओ का पद संभालते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को, बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर श्री आशीष पाण्डेय को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

श्री आशीष पाण्डेय एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्ववर्ती कॉरपोरेशन बैंक से की थी। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

श्री पाण्डेय के पास ऋण, ऋण अनुश्रवण, ट्रेजरी एवं मर्चेन्ट बैंकिंग, विदेशी लेनदेन एवं संयुक्त उपक्रमों, विपणन एवं ग्राहक संबंधों तथा बैंकिंग परिचालन जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। एक तकनीकी रूप से दक्ष बैंकर होने के नाते, उन्होंने विचारों और नवाचारों को अपनाते हुए सफल डिजिटल बैंकिंग रूपांतरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ई-आंध्रा बैंक और ई-कॉरपोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के दौरान री-इंजीनियरिंग, सामंजस्य, स्वचालन तथा डिजिटलीकरण में भी अहम भूमिका निभाई है।

श्री पाण्डेय मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने वित्त एवं विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर भी किया है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरू के पूर्व छात्र हैं। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित सहयोगी भी हैं। श्री पाण्डेय ने आईआईएम रोहतक द्वारा 2023 में आयोजित स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग एवं एनालिटिक्स पर एकजीक्यूटिव प्रोग्राम तथा एगॉन जेंडर द्वारा हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के सहयोग से आयोजित डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम-2023 भी पूरा किया है। उन्होंने आईआईएम बेंगलूरू द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित आईटी एवं साइबर सुरक्षा पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में /सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: 4500 इक्विटी शेयर
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री आशीष पाण्डेय की कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री आशीष पाण्डेय को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु उक्तसामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद क्रमांक 7:**श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति**

श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4(iii)/2024-बीओ, दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि, अर्थात् 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 अक्टूबर, 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। तदनुसार, श्री अमरेश प्रसाद 24 नवंबर, 2025 से प्रभावी रूप से बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के पद पर हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर श्री अमरेश प्रसाद को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री अमरेश प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

श्री अमरेश प्रसाद के पास 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें शाखा बैंकिंग, अंचल कार्यालयों से लेकर प्रधान कार्यालय स्तर तक का कार्य अनुभव शामिल है। उनके अनुभव में कॉर्पोरेट ऋण, ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण, लेनदेन निगरानी आदि भी शामिल हैं।

वे रसायन विज्ञान में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग संस्थान से प्रमाणित सहयोगी (सीएआईआईबी) हैं।

श्री प्रसाद ने विभिन्न प्रशिक्षणों तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और एसबीआईएल कोलकाता में आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने वित्तीय सेवाएं संस्थान द्वारा आयोजित आरोहन 2023 एफएसआईबी कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/ अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं के अनुसार श्री अमरेश प्रसाद की योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री अमरेश प्रसाद को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु उक्त सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद क्रमांक 8:**डॉ. देबाशीष घुष्टि (डीआईएन: 10655471) की बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति**

डॉ. देबाशीष घुष्टि (डीआईएन: 10655471) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/2(v)/2022-बीओ, दिनांक 13 मई, 2026 के माध्यम से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति अधिसूचना की तिथि अर्थात् 13 मई, 2026 से प्रभावी है और अगले आदेश तक मान्य रहेगी। तदनुसार, डॉ. देबाशीष घुष्टि दिनांक 13 मई, 2026 से प्रभावी रूप से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर डॉ. देबाशीष घुष्टि को बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

डॉ. देबाशीष घुष्टि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास लोक वित्त, सतत विकास, विकास सहयोग तथा पर्यावरण एवं शहरी शासन के क्षेत्रों में नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

उन्होंने वर्ष 2015 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रभाग में निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच की स्थापना हेतु विभिन्न देशों के साथ सहयोग एवं साझेदारी की भारत की पहल में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ में अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान, उन्होंने भारत की वार्ताकार टीम का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2016 में वे यूएनएफसीसीसी की स्थायी वित्त समिति के सदस्य भी रहे।

**24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना**

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं के अनुसार डॉ. देबाशीष प्रुष्टि की योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है। बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

**निदेशक मंडल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**स्थान : मुंबई
दिनांक: 17.06.2026**

**(आशीष मिश्रा)
कंपनी सचिव**

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की 107वीं वार्षिक रिपोर्ट, 'लेखापरीक्षित तुलनपत्र', 'लाभ एवं हानि खाता', 'नकद प्रवाह विवरण' तथा 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण' रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' तथा 'कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 का हिस्सा हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वैश्विक आघातों—जिसमें कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका के नेतृत्व में बढ़ते टैरिफ उपायों तथा पश्चिम एशिया में जारी तनाव शामिल हैं—के बावजूद उल्लेखनीय आघातसहनीयता प्रदर्शित की है. सुदृढ़ घरेलू मांग गतिशीलता ने एक महत्वपूर्ण वृद्धि आधार के रूप में कार्य करते हुए बाहरी चुनौतियों के प्रभाव को कम किया है. समान रूप से, नीति निर्माताओं को भी इसका महत्वपूर्ण श्रेय जाता है. सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दोनों ने सक्रिय एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए हैं तथा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं ताकि व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी रहे. इन उपायों ने वैश्विक आघातों के घरेलू अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को सीमित करने, वित्तीय क्षेत्र की आघातसहनीयता को सुदृढ़ बनाने तथा बैंकिंग प्रणाली को अच्छी तरह से पूंजीकृत, चलनिधियुक्त बनाने और देश की वृद्धि आकांक्षाओं को समर्थन देने हेतु सक्षम बनाए रखने में सहायता की है.

1. वैश्विक गतिविधियाँ:

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2025 में अनेक चुनौतियों जैसे बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक तनाव, उच्च सार्वजनिक ऋण स्तर तथा नीतिगत अनिश्चितता के बावजूद अच्छा कार्य-निष्पादन किया. वैश्विक विकास दर 2024 के 3.3% से बढ़कर 3.4% हो गई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुदृढ़ निवेश, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला में समायोजन से समर्थन मिला. मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई और यह 5.8% से घटकर 4.1% हो गई क्योंकि ऊर्जा कीमतें घटीं तथा आपूर्ति शृंखला बाधाएँ कम हुईं, यद्यपि प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं की मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही. वैश्विक व्यापार मात्रा में 5.1% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक जीडीपी वृद्धि से अधिक रही, जिसका एक कारण संभावित टैरिफ वृद्धि से पहले आयात को आगे बढ़ाना भी रहा.

हालांकि, 2026 के लिए परिदृश्य कमजोर हुआ है. 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद वैश्विक विकास अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया गया है, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है. बढ़ती ऊर्जा कीमतों, शिपिंग मार्गों में बाधाओं तथा जोखिम से बचाव की बढ़ती प्रवृत्ति से वैश्विक विकास, व्यापार तथा वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण उत्पन्न होने की संभावना है.

आरबीआई ने अपनी 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट में "पश्चिम एशिया संघर्ष" को भारतीय आर्थिक परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में चिह्नित किया है.

2. भारत: समष्टि-आर्थिक अवलोकन

कठिन वैश्विक परिदृश्य के बावजूद, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा, जहाँ 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1% से बढ़कर 7.6% हो गई. वृद्धि मुख्यतः सुदृढ़ घरेलू मांग, सुदृढ़ निजी उपभोग, संवहनीय निवेश गतिविधि तथा सहायक नीतिगत उपायों द्वारा संचालित रही. सेवा क्षेत्र वृद्धि का प्रमुख इंजन बना रहा और कुल जीवीए वृद्धि में लगभग 69% का योगदान दिया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र ने 11.5% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की, जिसे औद्योगिक ऋण वृद्धि तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी नीतिगत पहलों से समर्थन मिला. कृषि वृद्धि मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण 4.2% से घटकर 2.4% रही, तथापि रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन ने प्रभाव को कम करने में सहायता की. राजकोषीय प्रबंधन भी विवेकपूर्ण रहा, जिसमें केन्द्र ने उच्च राजस्व और नियंत्रित राजस्व व्यय वृद्धि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया, साथ ही पूंजीगत व्यय पर ध्यान बनाए रखा.

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ. हेडलाइन मुद्रास्फीति 2024-25 के 4.6% से घटकर 2.1% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी तथा अनुकूल आधार प्रभाव रहा. मूल मुद्रास्फीति जीएसटी के युक्तिकरण, कम कमोडिटी कीमतों तथा सीमित इनपुट लागत दबाव के कारण नियंत्रित रही.

बाह्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, वस्तु व्यापार घाटा 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 333 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. इसके बावजूद, सेवाओं के सुदृढ़ निर्यात और प्रेषण प्रवाह के कारण चालू खाता घाटा जीडीपी के लगभग 1.0% पर नियंत्रित रहा. अधिक महत्वपूर्ण रूप से, वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण पूंजी प्रवाह में कमी के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगातार दूसरे वर्ष भुगतान संतुलन (बीओपी) घाटा रहा. इसके बावजूद, विदेशी मुद्रा भंडार 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सुदृढ़ स्तर पर बना रहा, जो लगभग 11 महीनों के आयात कवर के बराबर है और बाह्य क्षेत्र की आघातसहनीयता को सुदृढ़ करता है.

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कई उपाय वृद्धि में सहायक रहे. बजट में छह-बिंदु योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें विभिन्न कार्यनीतिक और उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण का विस्तार, परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरोद्धार, उभरते एमएसएमई को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे का विकास, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना



निदेशकों की रिपोर्ट

तथा शहर आधारित आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों में प्रगति के साथ मिलकर, भारत के समग्र वृद्धि परिदृश्य के लिए सकारात्मक है। हालांकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, ऊंची कमोडिटी कीमतें तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियाँ, वृद्धि परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करती हैं।

3. मौद्रिक नीति में गतिविधियाँ

मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी ने 2025-26 के दौरान मौद्रिक सहजता के लिए स्थान प्रदान किया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वर्ष के दौरान नीतिगत रेपो दर में संचयी 100 आधार अंक की कमी की तथा फरवरी 2025 से प्रारंभ संपूर्ण दर कटौती चक्र में 125 आधार अंक की कमी की। एमपीसी ने जून 2025 में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच लचीलापन बनाए रखने के लिए तटस्थ रुख अपनाया। नीतिगत दृष्टिकोण में वृद्धि को समर्थन देने तथा उभरते मुद्रास्फीति जोखिमों के प्रति सतर्कता बनाए रखने के बीच संतुलित दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ।

इसके समांतर, चलनिधि स्थितियाँ आरामदायक अधिशेष में रहीं। आरबीआई ने खुले बाजार क्रय, विदेशी विनिमय स्वेप, दीर्घावधि रेपो परिचालन तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में संचयी 100 आधार अंक की कमी सहित विभिन्न माध्यमों से ₹10 लाख करोड़ से अधिक की चलनिधि अंतर्वेशन को सक्रिय रूप से समर्थन दिया। परिणामस्वरूप, औसत अधिशेष चलनिधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण ₹1.86 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष यह स्थिर था।

4. उधार एवं जमा दरों में दर परिवर्तनों का संचारण

वर्तमान सहजता चक्र के दौरान मौद्रिक संचारण में उल्लेखनीय सुदृढ़ता आई। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंकड रेट (ईबीएलआर) आधारित ऋणों के बढ़ते प्रभुत्व ने पूर्व चक्रों की तुलना में नीतिगत संचारण की गति और प्रभावशीलता में सुधार किया। जैसे-जैसे रेपो दर में कमी हुई, उधार दरें अधिक तेजी से नीचे समायोजित हुईं, जबकि एमसीएलआर आधारित ऋणों का हिस्सा घटता रहा।

बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण नीतिगत संचारण अधिक प्रभावी हो गया है, जिससे मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का उधारी लागत पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव संभव हुआ है तथा ऋण विस्तार को समर्थन मिला है। संचारण में यह सुधार मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है। जमा दरों ने भी सहजता चक्र के अनुरूप प्रतिक्रिया दी, जिसे बैंकिंग प्रणाली में प्रचुर चलनिधि से समर्थन मिला, यद्यपि ऋण एवं जमा वृद्धि के बीच बने हुए अंतर के कारण जमा दरें नीचे नहीं गिरीं।

5. बाजार प्रवृत्तियाँ

वित्तीय बाजारों ने 2025-26 के दौरान टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों तथा पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव के बीच अस्थिरता

के दौर का अनुभव किया। सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल वर्ष के दौरान सामान्यतः सुदृढ़ रहे, जिसका कारण वैश्विक मुद्रास्फीति, राजकोषीय संवहनीयता तथा भू-राजनीतिक जोखिमों से संबंधित चिंताएं रहीं। यद्यपि, आरबीआई द्वारा चलनिधि प्रविष्टियाँ, रेपो दर में कटौती तथा निरंतर राजकोषीय समेकन ने प्रतिफल में अत्यधिक वृद्धि को रोकने में सहायता की।

इक्विटी बाजारों में दो-चरणीय प्रवृत्ति देखी गई। कृषि वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान घरेलू वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित आशावाद के समर्थन से सुदृढ़ लाभ दर्ज किया गया, इसके पश्चात दूसरी छमाही में सुधार देखा गया, जब निवेशकों ने एआई से संबंधित मूल्य-निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन किया तथा मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय रुपए के व्यापार में मूल्यहास का दृष्टिकोण दिखा, जो विदेशी पोर्टफोलियो की बाह्य तथा वैश्विक अनिश्चितता को दर्शाता है, यद्यपि भारत की बाह्य स्थिति संतोषजनक बनी रही।

6. बैंकिंग क्षेत्र में गतिविधियाँ

बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ कार्य-निष्पादन तथा सुदृढ़ता प्रदर्शित करना जारी रखा। वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु बैंक ऋण 2025-26 में लगभग 16% बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 10.9% से उल्लेखनीय रूप से तेजी से बढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वृद्धि व्यापक आधारवाली रही, जो स्वस्थ आर्थिक गतिविधि तथा वित्तपोषण की मजबूत मांग को दर्शाती है। गैर-बैंक ऋण स्रोत भी महत्वपूर्ण बने रहे, जिनकी वृद्धि 13.3% रही।

औद्योगिक ऋण वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बनी रही, जिससे समग्र ऋण वृद्धि को समर्थन मिला। यद्यपि व्यक्तिगत ऋण वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे रही, हाल के समय में इसमें तेजी आई है। व्यक्तिगत ऋण तथा सेवा क्षेत्र ने समग्र ऋण वृद्धि को आगे बढ़ाना जारी रखा। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, एमएसएमई खंड हेतु ऋण सुदृढ़ बना रहा, जिसमें उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई तथा जिससे 2025-26 में समग्र ऋण वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

एमएसएमई हेतु ऋण प्रवाह को, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सीमा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, बैंकों के साथ सह-उधार फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिजिटल एवं फिनटेक उधारी का विस्तार तथा एमएसएमई की अद्यतन परिभाषा, जैसे विनियामक उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ।

जमा वृद्धि 13.5% पर मजबूत बनी रही, परंतु यह ऋण विस्तार की गति से पीछे रही, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात में और वृद्धि हुई। यद्यपि यह प्रवृत्ति सुदृढ़ ऋण मांग को दर्शाती है, साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली के लिए जमा संसाधन जुटाने के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करती है।

क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में दृढ़ता जारी रही। सकल अनर्जक आस्तियाँ बहु-दशकीय निम्न स्तर पर आ गई, लाभप्रदता सुदृढ़ बनी रही तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात, विनियामकीय आवश्यकताओं से संतोषजनक स्तर पर ऊपर बना रहा। आरबीआई के दबाव परीक्षणों ने पुष्टि की, कि बैंकों के पास गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार के सुधार गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों तथा शहरी सहकारी बैंकों में भी देखे गए, जो भारत की वित्तीय प्रणाली की व्यापक आधारवाली दृढ़ता को दर्शाते हैं।

7. पश्चिम एशिया संघर्ष का अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें ऊर्जा कीमतों में वृद्धि विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख संचारण माध्यम के रूप में उभरी है। शिपिंग मार्गों तथा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में व्यवधान से मालभाड़ा लागत में वृद्धि हो सकती है तथा व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। वित्तीय बाजारों में भी उच्च अस्थिरता देखी जा सकती है, जिससे पूंजी प्रवाह, विनिमय दरों तथा बॉण्ड प्रतिफलों में उतार-चढ़ाव संभव है। परिणामस्वरूप, वृद्धि तथा मुद्रास्फीति दोनों के लिए जोखिम अधिक स्पष्ट हो गए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, कच्चे तेल की उच्च कीमतें तथा आपूर्ति व्यवधान आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं, परिवहन तथा उत्पादन लागत में वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि तथा पूंजी प्रवाह में कमी के माध्यम से बाह्य असंतुलन को बढ़ा सकते हैं। इन परिवर्तनों ने 2026-27 के व्यापक आर्थिक परिदृश्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिसमें अप्रैल 2026 में मौद्रिक नीति समिति ने 4.6% के अपने मुद्रास्फीति अनुमान के लिए उच्च जोखिम तथा 6.9% के वृद्धि अनुमान के लिए निम्न जोखिम का संकेत दिया है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए, प्रभाव मुख्यतः अप्रत्यक्ष रहने की अपेक्षा है। इनपुट लागत में वृद्धि तथा कमजोर वैश्विक मांग से कॉर्पोरेट लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से ऊर्जा-प्रधान तथा निर्यात उन्मुख उद्योगों में। बॉण्ड बाजारों में लगातार अस्थिरता निवेश पोर्टफोलियो पर मार्क-टू-मार्केट दबाव भी डाल सकती है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली ऐसे आघातों को अवशोषित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। मजबूत पूंजी बफर, ऐतिहासिक रूप से निम्न एनपीए, स्वस्थ लाभप्रदता तथा सुदृढ़ नियामकीय निगरानी संभावित भू-राजनीतिक प्रभावों के सापेक्ष पर्याप्त आघातसहनीयता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष: यद्यपि पश्चिम एशिया संघर्ष ने बाह्य जोखिमों को बढ़ाया है तथा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नई अनिश्चितता उत्पन्न की है, भारत की सुदृढ़ घरेलू मांग, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन तथा सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र प्रतिकूल प्रभावों के सापेक्ष महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।

8. डिजिटাইजेशन

बैंक ने समकालीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अपनी डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रिया को जारी रखा, ताकि निर्बाध,

सुरक्षित और समावेशी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के तीव्र विकास और विनियामकीय सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र को पुनः आकार दिया है, जिसके परिणामस्वरूप परिमाण, ग्राहक-केंद्रित और नियमों के अनुरूप डिजिटल समाधानों की आवश्यकता बढ़ गई है।

बैंक की डिजिटल पहल स्टेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी) का विस्तार करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और खुदरा, एमएसएमई, कृषि और भुगतान क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आस्ति, देयता और सेवा खंडों में अनेक डिजिटल प्रक्रियाओं (डिजिटल प्रक्रिया) को लागू किया और उनका विस्तार किया। इन पहलों से निस्तारण समय में उल्लेखनीय कमी आई और ग्राहकों की सुविधा में सुधार हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

#	प्रमुख पहल	विवरण
1.	यूनियन ईज़ ऐप	खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए नया मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन।
2.	यूनियन ईबिज़ ऐप	कारोबारी ग्राहकों के लिए विशेष रूप से कारोबार बैंकिंग ऐप (वैयक्तिक और एकल-स्वामी)
3.	डिजिटल वैयक्तिक ऋण	ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल संपार्श्विक मुक्त ऋण
4.	डिजिटल वाहन ऋण	व्यक्तिगत उपयोग के लिए नए चार पहिया वाहन ऋण की खरीद के लिए डिजिटल ऋण
5.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	ब्रांच सहायक पोर्टल के माध्यम से एकल डिजिटल एनपीएस प्रक्रिया
6.	बचत खाता प्रक्रिया	बैंक के मौजूदा ग्राहकों के लिए बचत खाता खोलना
7.	ऋण स्वैप योजना	किसानों के लिए ऋण स्वैप योजना हेतु एसटीपी प्रवाह
8.	ऑनलाइन री-केवाईसी	शाखा में आए बिना ग्राहकों के लिए री-केवाईसी सेवा
9.	डिजिटल टाइटल सर्च एवं डिजिटल वैल्यूशन	सेवा प्रदाताओं द्वारा टाइटल सर्च और मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए डिजिटल इंटरफ़ेस।

निदेशकों की रिपोर्ट

बैंक ने अपने राष्ट्रव्यापी शाखा नेटवर्क और समावेशी डिजाइन सिद्धांत द्वारा समर्थित मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल ऋण और भुगतान नवाचार में तुलनीय क्षमता प्राप्त की है।

8.1 यूनियन ईज़ ऐप

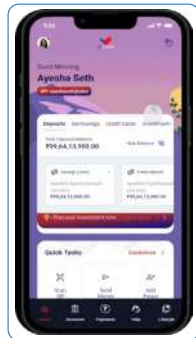
बैंक के मोबाइल और वेब आधारित प्लेटफॉर्म ग्राहक सहभागिता कार्यनीति की आधारशिला हैं। बैंक ने अपने पुनः विकसित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन 'यूनियन ईज़' को लॉन्च किया, जिसमें भुगतान, जमा ऋण, निवेश, बीमा, अकाउंट एग्रीगेटर तथा सेवा अनुरोध आदि को शामिल करते हुए 350 से अधिक फीचर्स उपलब्ध हैं। यूनियन ईज़ बेहतर यूआई/यूएक्स, डायनामिक इंटरफेस, एक्सेसिबिलिटी के अनुरूप सुविधाएँ, एकीकृत यूपीआई क्षमताएँ तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करता है। यह ग्राहकों को एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराता है और ऋण एवं गैर-ऋण सेवाओं तक एक ही स्थान से पहुँच सुनिश्चित करता है।

यूनियन ईज़ एक एकीकृत डिजिटल चैनल के रूप में कार्य करता है, जो एक सहज एंड-टू-एंड डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य का समर्थन करता है।

बैंक ने भुगतान चैनलों में व्यापक सुधार लागू किए, जिनमें यूपीआई लाइट की सीमा बढ़ाना, विभिन्न देशों में यूपीआई वैश्विक लेनदेन सक्षम करना, यूपीआई पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यूपीआई मैडेट सेवा (यूपीआई ऑटो-पे या ई-मैडेट) के साथ सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट सेवाएँ आदि शामिल हैं।

8.2 यूनियन ईबिज़ ऐप : बैंक ने अपने 107वें स्थापना दिवस पर एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक नया बिज़नेस ऐप — यूनियन ईबिज़ लॉन्च किया है। यह ऐप वैयक्तिक और एकल स्वामित्व कारोबारी ग्राहकों के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप में भुगतान, संग्रहण तथा उपयोगकर्ता अभिगम से संबंधित व्यापक डिजिटल सेवाएँ शामिल हैं, जो विशेष रूप से कारोबारी खातों के लिए उपलब्ध हैं।

यह ऐप कारोबारी कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से अनेक सशक्त सुविधाओं से युक्त है। यह एक्सेस राइट्स मैनेजमेंट प्रदान करता है, जिससे ग्राहक सीमित अनुमतियों के साथ उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वैयक्तिक तथा थोक भुगतान, समूह या फाइल अपलोड के माध्यम से



यूनियन ईज़ ऐप



किए जा सकते हैं। ग्राहक संग्रहण को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं, जिसके लिए वे सर्वेंट क्यूआर कोड और भुगतान लिंक उत्पन्न कर साझा कर सकते हैं, पीओएस मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा लाइव कलेक्शन डैशबोर्ड के माध्यम से लेनदेन की निगरानी कर सकते हैं।

8.3 डिजिटल वैयक्तिक ऋण:

संपार्श्विक मुक्त प्रतिभूति रहित ऋण जिसका उपयोग व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बैंक के मौजूदा ग्राहकों (ईटीबी) और बैंक के नए ग्राहक (एनटीबी) दोनों ग्राहकों के लिए वैयक्तिक ऋण की एंड टू एंड सेवा, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल रूप से प्रदान की जाती है।

8.4 डिजिटल वाहन ऋण:

व्यक्तिगत उपयोग के लिए नए चार-पहिया वाहनों की खरीद के लिए वाहन ऋण की डिजिटल और कागज रहित अनुमोदन, जिसमें बैंक के मौजूदा ग्राहकों (ईटीबी) और बैंक के नए ग्राहक (एनटीबी) दोनों ग्राहकों को शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय अवधि में काफी कमी आई है।

8.5 राष्ट्रीय पेंशन योजना

डिजिटल एनपीएस प्रक्रिया तुरंत पीआरएन निर्मित और सक्रिय करती है। इस प्रक्रिया में केवाईसी अनुपालन, नकली पीआरएन जांच, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड शामिल हैं और प्रारंभिक अंशदान की सुविधा कुछ ही चरणों में ग्राहकों को एक सुरक्षित, निर्बाध अनुभव प्रदान करती है।

8.6 बचत खातों की प्रक्रिया

यह बचत बैंक खाते की 23 योजनाओं के लिए मौजूदा बैंक ग्राहकों के लिए बचत खाता खोलने के लिए एक निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया है।

8.7 डेब्ट स्वेप एसटीपी

डेब्ट स्वेप योजना (₹ 0.50 लाख तक का कृषि सावधि ऋण) पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र के ग्राहक ऑनलाइन ऋण का लाभ ले सकते हैं।

8.8 ऑनलाइन री-केवाईसी

ग्राहक अब शाखा में आए बिना अपना री-केवाईसी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

8.9 डिजिटल टाइल सर्च एवं डिजिटल वैल्यूशन

बैंक ने संपार्श्विक प्रतिभूतियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में डिजिटल टाइल सर्च रिपोर्ट (टीएसआर) और डिजिटल वैल्यूएशन शुरू किए हैं। यह प्लेटफॉर्म पैल सेवा प्रदाता के माध्यम से वैल्यूएशन रिपोर्ट और विधिक (लीगल) रिपोर्ट की एंड-टू-एंड प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल रूप में सक्षम बनाता है।

8.10 अन्य पहलें

• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी (e₹) ऐप

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) से संबंधित प्रमुख सुविधाओं की शुरुआत

की, जिनमें छोटे मूल्य के भुगतानों के लिए पिन रहित रिटेल लेनदेन, विशिष्ट उद्देश्य वाले भुगतानों के लिए प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (पी-सीबीडीसी) तथा डिजिटल रुपी मर्चेन्ट ऐप के माध्यम से कारोबारियों की ऑनबोर्डिंग शामिल है। बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से अनेक पी-सीबीडीसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू और परिचालित किया। इन पहलों का उद्देश्य डिजिटल रुपी वॉलेट के माध्यम से लाभार्थियों हेतु लक्षित और शर्त आधारित निधि संचितरण सक्षम बनाना है।

बैंक ने थोक सीबीडीसी (डब्ल्यू-सीबीडीसी) से संबंधित पहलों को भी लागू किया, जिसमें जमा प्रमाणपत्र का टोकनाइजेशन शामिल है, जिससे अंतर-बैंक निपटान अधिक कुशल और सुरक्षित बनता है।

बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर पी-सीबीडीसी पहलों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य डिजिटल रुपी वॉलेट के माध्यम से लाभार्थियों तक लक्षित और शर्त आधारित भुगतान को संभव बनाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

क्र.	राज्य	पहलें
1	ओडिशा	महिला लाभार्थियों को सुभद्रा योजना के अंतर्गत सब्सिडी का संचितरण।
2	उत्तराखंड	मिशन कीवी के अंतर्गत बागवानी सब्सिडी के संचितरण के लिए पी-सीबीडीसी उपयोग हेतु लागू किया गया।
3	तेलंगाना	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान महिला पत्रकारों के लिए एक विशेष पहल और एसईआरपी महिला कर्मचारियों के लिए एक सब्सिडी कार्यक्रम के साथ सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) के समन्वय में सूचना और जनसंपर्क (आई एंड पीआर) के लिए पी-सीबीडीसी उपयोग के मामलों को लागू किया गया, जहां डिजिटल रुपया लाभार्थी के वॉलेट में जमा किया गया और चयनित हथकरघा दुकानों पर उपयोग के लिए प्रोग्राम किया गया।

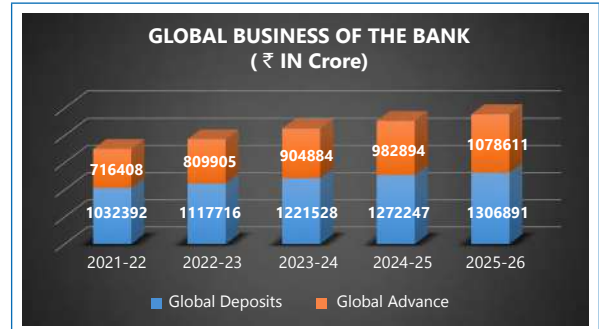
• डिजिटल दस्तावेज निष्पादन

लेंडिंग ऑटोमेशन सिस्टम (एलएएस) के माध्यम से डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) का वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत खुदरा, एमएसएमई तथा

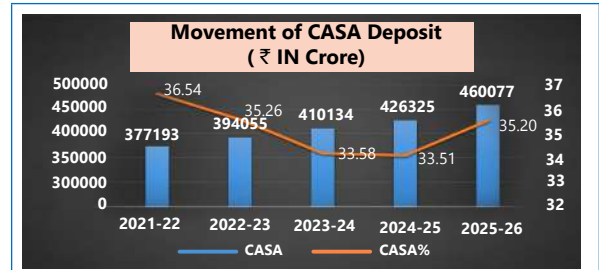
कृषि ऋणों के लिए वैयक्तिक ग्राहकों को व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में कवर किया गया। यह विस्तार एमएसएमई प्रक्रियाओं के लिए 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, खुदरा प्रक्रियाओं के लिए 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा कृषि प्रक्रियाओं के लिए 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक किया गया।

9. कारोबार की मुख्य विशेषताएं:

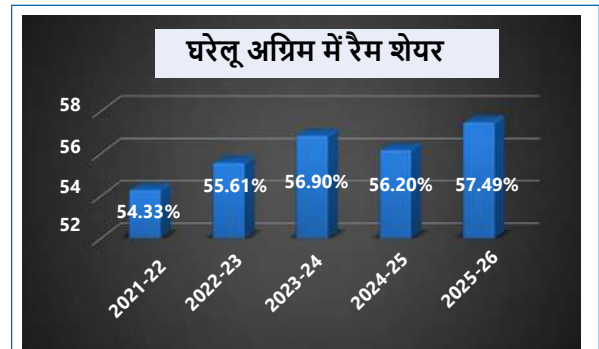
9.1 यथा 31 मार्च, 2026 तक बैंक का वैश्विक कारोबार ₹23,85,502 करोड़ रहा।



9.2 यथा 31 मार्च, 2026 तक कुल जमाराशि ₹ 13,06,891 करोड़ रही। जिसमें से यथा 31 मार्च, 2026 तक कासा (चालू खाता और बचत खाता) की हिस्सेदारी 35.20% रही।



9.3 यथा 31 मार्च, 2026 तक सकल अग्रिम ₹ 10,78,611 करोड़ रहा। बैंक का रैम सेगमेंट ₹ 5,98,484 करोड़ रहा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर खुदरा में 16.75% की वृद्धि, कृषि में 2.75% की वृद्धि और एमएसएमई अग्रिमों में 18.75% की वृद्धि प्राप्त की गई। घरेलू रैम अग्रिम के प्रतिशत के रूप में रैम अग्रिम 57.49% रहा।





निदेशकों की रिपोर्ट

9.4 बैंक का विदेशी कारोबार यथा 31 मार्च, 2025 तक ₹ 37,415 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹ 38,260 करोड़ रहा. बैंक की डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में दो विदेशी शाखाएं हैं और यह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से लंदन, यूनाइटेड किंगडम में संचालित होती हैं. विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2025 तक ₹36,919 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹37,657 करोड़ रहा और विदेशी शाखाओं का निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 190 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 240 करोड़ रहा.

10. आय और व्यय:

तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र	मानदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अर्जित ब्याज	1,05,992	1,05,909
2	अन्य आय	19,435	19,813
3	कुल आय (2+1)	1,25,427	1,25,722
4	ब्याज व्यय	69,333	68,695
5	निवल ब्याज आय (1-4)	36,659	37,214
6	परिचालन व्यय	27,474	25,937
	जिसमें से स्थापना व्यय	15,290	14,668
7	कुल व्यय	96,808	94,632
8	परिचालन लाभ (7-3)	28,620	31,090
9	प्रावधान	9,922	13,103
10	निवल लाभ/ हानि	18,697	17,987
11	प्रति शेयर अर्जन (₹ में)	24.49	23.56

11. लाभप्रदता और दक्षता:

11.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹31,090 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 28,620 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया, जिसमें -7.95% की वृद्धि हुई.

11.2 बैंक का निवल लाभ यथा 31 मार्च, 2025 तक ₹ 17,987 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 18,697 करोड़ रहा, जिसमें 3.95% की वृद्धि दर्ज की गई.

11.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का लागत-आय अनुपात 48.98% रहा.

11.4 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, औसत आस्तियों पर प्रतिफल 1.25% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल 15.86% रहा.

तालिका 2: दक्षता अनुपात

पैरामीटर (%)	वित्तीय वर्ष- 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
औसत आस्ति पर प्रतिफल	1.25	1.26
इक्विटी पर प्रतिफल	15.86	17.20

11.5 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नलिखित हैं.

तालिका 3: उत्पादकता

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
प्रति कर्मचारी कारोबार (राशि ₹ करोड़ में)	32.28	30.50
प्रति शाखा कारोबार (राशि ₹ करोड़ में)	274.29	261.59
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (राशि ₹ लाख में)	38.73	42.04

11.6 वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान, बैंक ने सक्रिय रूप से मानक आस्तियां प्रावधानीकरण कवरेज को मजबूत किया है और आकस्मिक प्रावधान के रूप में ₹700 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

11.7 लाभांश:

बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹4.75 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंकित मूल्य ₹10 प्रति इक्विटी शेयर पर ₹5.00 के लाभांश की अनुशंसा की है.

12. शेयरधारकों का रिटर्न:

12.1 यथा 31 मार्च, 2026 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹ 1,17,871.07 करोड़ रही.

13. आस्ति गुणवत्ता:

13.1 बैंक की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) यथा 31 मार्च, 2025 तक ₹ 35,350 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹30,401 करोड़ रही. सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए यथा 31 मार्च, 2025 तक 3.60% की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक 2.82% रही.

13.2 बैंक का निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2025 तक ₹ 5,969 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹ 5,067 करोड़ रही और निवल एनपीए अनुपात यथा 31 मार्च, 2025 तक 0.63% की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 तक 0.48% रही.

14. पूंजी पर्याप्तता:

- 14.1** बासेल III मानदंडों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2026 को 18.10% रही. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) पूंजी यथा 31 मार्च, 2026 को 15.69% रही.

(राशि ₹ करोड़ में)

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बासेल III

मानदंड	आरबीआई बेचमार्क 31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
कुल जोखिम- भारित आस्तियां		7,61,160	7,03,920
कुल पूंजी निधि	लागू नहीं	1,37,758	1,26,825
सीईटी 1 पूंजी		1,19,435	1,05,465
टियर 1 पूंजी		1,26,557	1,14,336
सीआरएआर (%)	11.50	18.10	18.02
सीईटी 1 (%)	8.00	15.69	14.98
टियर 1 (%)	9.50	16.63	16.24
टियर 2 (%)	2.00	1.47	1.77

14.2 बैंक द्वारा जुटाई गई पूंजी

- 14.2.1** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने पर्याप्त आंतरिक संसाधनों और पर्याप्त पूंजी स्थिति के कारण कोई भी इक्विटी पूंजी प्राप्त नहीं की है.
- 14.2.2** बैंक ने बुनियादी ढांचे एवं किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए पात्र वरिष्ठ, रेटेड, सूचीबद्ध, प्रतिभूति-रहित, प्रतिदेय, कर योग्य, अंतरणीय दीर्घकालिक पूर्णतः चुकता अपरिवर्तनीय बॉण्ड (डिबेंचर के रूप में) (सीरीज़ I) ₹1.00 लाख के अंकित मूल्य प्रति बॉण्ड के साथ सममूल्य पर नकद के लिए, निजी प्लेसमेंट के आधार पर कुल ₹3,000 करोड़ के लिए जारी एवं आवंटित किए हैं.

15. नेटवर्क

बैंक का शाखा नेटवर्क यथा 31 मार्च, 2026 तक 8,695 शाखाएं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है, इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

16. पुरस्कार एवं सम्मान:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा, एमएसएमई आदि के क्षेत्रों के तहत की गई विभिन्न पहलों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए.

- चैंबर ऑफ इंडिया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (सीआईएमएसई) द्वारा आयोजित वित्तीय वर्ष 24-25 के एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार के कार्यक्रम में दिनांक 22.12.2025 को "सर्वश्रेष्ठ

एमएसएमई बैंक" की श्रेणी में प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त किया और "सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई फ्रेंडली बैंक" श्रेणी में उपविजेता रहे.

- नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्सरसाइज (एनसीआईआईपीसी सीआईआई एसईएसईएक्स) में एडवांस एसओसी श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया.
- जून 2025 के महीने में आयोजित चौथे आईबीए सीआईएसओ सम्मेलन और प्रशस्ति पत्र 2025 पुरस्कारों में उपविजेता रहे.
- यूबीएसएफ सीआईएसओ कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में ऑपरेशनल साइबर रेडीनेस प्लेटफॉर्म और साइबर रेंज के विजेता रहे.
- डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2025: दिसंबर 2025 के महीने में आयोजित डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कारों में "बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं" के विजेता रहे.
- दिनांक 09.01.2026 को आयोजित कार्यक्रम में 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2025 के दौरान आईबीए द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया.
- सीमा पार विप्रेषण के प्रसंस्करण के लिए सिटी बैंक से स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ.

17. ब्रांडिंग और मार्केटिंग

निरंतर बदलते कारोबारी परिदृश्य में, ब्रांडिंग पहचान और मूल्य सृजन का एक प्रमुख कारक बनकर उभरी है. यह अब ग्राहक अनुभवों, डिजिटल इंटरैक्शन और साझा मूल्यों से आकार लेने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है. प्रभावी ब्रांडिंग विश्वसनीयता बनाने, उत्पादों और सेवाओं को विशिष्ट पहचान दिलाने और प्रतिस्पर्धी वातावरण में विकास को गति देने के लिए आवश्यक है. पूरे वर्ष के दौरान, बैंक ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रयासों के लिए मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिसमें प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आउट-ऑफ-होम विज्ञापन और सोशल मीडिया सहित विभिन्न चैनलों का व्यापक उपयोग किया गया है.

17.1 पारंपरिक मीडिया

पारंपरिक मीडिया जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और आउटडोर विज्ञापन ने जनमत निर्माण, सूचना प्रसार और ब्रांड जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह अपनी व्यापक पहुंच, विश्वसनीयता और विषयवस्तु की संरचित प्रस्तुति के लिए जाना जाता है, जो इसे बड़े और विविध दर्शकों तक पहुंचने में विशेष रूप से प्रभावी बनाता है. वर्ष के दौरान ब्रांडिंग सहित बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाकर इस माध्यम का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है.

बैंक के विज्ञापन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो स्टेशनों, टीवी चैनलों और आउट ऑफ होम मीडिया में प्रकाशित किए गए, जिससे ब्रांडिंग, नई पहलों और उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करके दर्शकों से संपर्क स्थापित किया गया.



निदेशकों की रिपोर्ट

17.2 सोशल मीडिया

बैंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रसारित करता है, जिसमें ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थिर रचनात्मक सामग्री और वीडियो के रूप में गतिशील और आकर्षक सामग्री प्रकाशित किया जाता है।

यथा दिनांक 31.03.2026 के अनुसार बैंक के सोशल मीडिया फॉलोअर्स का विवरण निम्नानुसार है:

सोशल मीडिया फॉलोअर्स का डेटा

सोशल मीडिया हैडल	यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 तक फॉलोअर्स की संख्या
X	6,50,106
फेसबुक	40,29,339
इंस्टाग्राम	2,23,064
यूट्यूब	3,59,000
लिंकडइन	3,06,247
थ्रेड्स	51,434
कुल योग	56,19,190

इसके अतिरिक्त, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक मुद्दों, स्मृति दिवसों, उल्लेखनीय हस्तियों और जनहित विषयों पर पोस्ट के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की जाती है।

बैंक "Cyber Security With U" अभियान के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर "Pay Digital Stay Smart" अभियान के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन विधियों, धोखाधड़ी की रोकथाम और जिम्मेदार डिजिटल बैंकिंग व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित अभियान, जानकारीपूर्ण पोस्ट और डिजिटल सुरक्षा सलाह प्रसारित की जाती हैं।

इन पहलों के हिस्से के रूप में, बैंक सक्रिय रूप से फ़िशिंग प्रयासों की पहचान करने, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करने और नकली आवेदनों या धोखाधड़ी वाले लिंक से बचने के बारे में मार्गदर्शन साझा करता है। बैंक ने "Jamkar Phenko" अभियान के तहत साइबर अपराध जागरूकता वीडियो भी जारी किए हैं, जो हितधारकों को संदिग्ध कॉल या संदेशों के दौरान शांत रहने, संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचने और अधिकृत साइबर अपराध रिपोर्टिंग चैनलों के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रयासों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ग्राहकों को ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील क्रेडेंशियल साझा न करने के महत्व के बारे में लगातार शिक्षित किया जाता है।

ये पहलें विनियामक दिशानिर्देशों और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप, एक सुरक्षित और सुविज्ञ डिजिटल बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक सभी सोशल मीडिया हैंडल पर 24x7 सक्रिय रहता है और ग्राहकों की पूछताछ के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, सोशल मीडिया इंटरैक्शन को समय पर मार्गदर्शन, संरचित पुनर्निर्देशन और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया, जिससे ग्राहक सेवा और संतुष्टि में सुधार हुआ। बैंक की ब्रांड उपस्थिति को काफी सराहा गया है, जैसा कि इस अवधि के दौरान 1415.77 लाख इंप्रेसन और 118.98 लाख सहभागिता से परिलक्षित होता है। बैंक ने मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति बनाई है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 तक फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 56.20 लाख हो गई है।

बैंक समग्र भावना की निगरानी करना जारी रखता है, पहलों पर प्रतिक्रिया एकत्र करता है और ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ उत्पाद की पेशकश और सेवाओं को संरचित करने के लिए ग्राहकों के हितों का आकलन करता है।

17.3 वेबसाइट

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, डिजिटल बैंकिंग में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से, अपनी वेबसाइट का डोमेन co.in से bank.in पर स्थानांतरित करके अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया है। प्रमुख संवर्धन में ग्राहक सहायता में सुधार के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ धोखाधड़ी गतिविधियों की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित "अनधिकृत लेनदेन" सुविधा की शुरुआत शामिल है।

वेबसाइट की सामग्री की प्रासंगिकता, सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाता है।

इसके अलावा, पारदर्शिता और निर्बाध ग्राहक संचार सुनिश्चित करने के लिए नियोजित और अनियोजित दोनों सेवा व्यवधानों के संबंध में समय पर अपडेट वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

18. बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 26-2025 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

- श्री सूरज श्रीवास्तव को दिनांक 11.04.2025 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया तथा उन्होंने दिनांक 10.04.2026 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै का कार्यकाल दिनांक 03.06.2025 से समाप्त हो गया है।
- बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री पंकज द्विवेदी का पद केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.06.2025 से रद्द कर दिए जाने के बाद समाप्त हो गया है।
- श्री रोहन चंद ठाकुर को श्री समीर शुक्ला के स्थान पर दिनांक 24.07.2025 से बैंक के बोर्ड में सरकारी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- श्री आशीष पाण्डेय को दिनांक 30.09.2025 से बैंक का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है।
- बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री श्रीनिवासन वरदराजन दिनांक 07.11.2025 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।
- श्री अमरीश प्रसाद को दिनांक 24.11.2025 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को बैंक के निदेशक मंडल में दिनांक 13.05.2026 से श्री रोहन चंद ठाकुर के स्थान पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

19. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में:

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया, साथ ही यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है, तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- वार्षिक लेखा कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किये गए थे।
- बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ बैंक द्वारा अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

20. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित बैंक का बाज़ार पूंजीकरण*

विवरण	यथा दिनांक 31.03.2026 तक बाज़ार पूंजीकरण (राशि ₹ करोड़ में)	यथा दिनांक 31.12.2025 तक सूचीबद्ध संस्थाओं में रैंक
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,08,951.30	95 (शीर्ष 100 में)
बीएसई लिमिटेड	1,08,930.04	95 (शीर्ष 100 में)

* सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 3(2) के अनुसार।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इक्विटी कैश मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा टी+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने बैंक की बाज़ार अवधारणा को बढ़ाने के लिए बैंक के हितधारकों के साथ काफी विचार-विमर्श किया है।

21. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कोई लेखापरीक्षा कमियाँ नहीं है।

22. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

22.1 समावेशी विकास को सशक्त बनाना:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक कंपनी की प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है जो अपने परिचालन के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने हेतु है, जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसमें समुदाय को वापस देने, परोपकारी कार्यों में भाग लेने और सकारात्मक सामाजिक मूल्य प्रदान करने के कंपनी के प्रयास को शामिल किया गया है। आज, कंपनियाँ बदलाव लाने और सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने के लिए सीएसआर के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं। सीएसआर को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, परोपकारी जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी शामिल हैं।

यूनियन बैंक समावेशी विकास, ग्रामीण विकास और सरकारी पहलों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है जो वंचित समाज का उत्थान करती हैं और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच में सुधार करती हैं। हमारी ग्रामीण विकास पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना और संवहनीय कृषि और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। बैंक सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। यूनियन बैंक एक स्थायी सामाजिक प्रभाव बनाने और अधिक समावेशी एवं समृद्ध समाज को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

निदेशकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का 1% तक स्वैच्छिक सीएसआर/वैरिटेबल गतिविधियों के लिए आबंटित करता है, हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण यह अनिवार्य नहीं है।

अपनी सीएसआर/चैरिटेबल गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए, बैंक ने 2 मार्च, 2006 को यूनिनयन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) की स्थापना की.

यूबीएसएफटी का प्राथमिक उद्देश्य वंचित समुदायों का उत्थान करना और गरीबों एवं सीमांत लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, यूनिन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा 147 परियोजनाओं के लिए कुल ₹61.69 करोड़ की दान राशि स्वीकृत की गई और ₹ 35.88 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

ये पहल सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनका उद्देश्य उन समुदायों पर सार्थक प्रभाव डालना है जिनकी हम सेवा करते हैं.

₹ 61.69 करोड़	147
---------------	-----

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं/
यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन कार्यक्रमों की संख्या
(यूबीएसएफटी) द्वारा स्वीकृत दान
राशि

22.2 यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी)

वंचित समुदायों के उत्थान और गरीबों एवं सीमांत लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए, सीएसआर/वैरिटेबल गतिविधियों को करने के लिए एक विस्तारित शाखा के रूप में, बैंक ने 2 मार्च, 2006 को एक ट्रस्ट के रूप में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) की स्थापना की। यूबीएसएफटी धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और बैंक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

यूबीएसएफटी का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी पहल को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उद्योगों के रूप में कार्य करना है। यूबीएसएफटी का लक्ष्य कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना है। यूबीएसएफटी के मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा और उपकरण प्रदान करना और निरंतर एवं संवहनीय कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

यूबीएसएफटी का मिशन ऐसे कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करना, कार्यान्वित करना, उनमें भाग लेना, वित्तपोषित करना या अन्यथा सहायता प्रदान करना है जो व्यक्तियों और समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

यूबीएसएफटी बोर्ड का नेतृत्व बैंक के एमडी एवं सीईओ द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्यपालक निदेशक उपाध्यक्ष टस्टी के रूप

में कार्य करते हैं। अन्य ट्रस्टियों में यूनियन बैंक के 9 महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र ट्रस्टी शामिल हैं। यूबीएसएफटी बोर्ड यूनियन बैंक की सीएसआर प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और गतिविधियों की नियमित समीक्षा करता है। यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक बोर्ड के निर्देशों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करते हैं।

यूनियन बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) भी स्थापित की है, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंक एवं यूबीएसएफटी की सीएसआर गतिविधियों की तिमाही आधार पर निगरानी करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में यूनियन बैंक/यूबीएसएफटी द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

- शिक्षा और कौशल विकास: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का समर्थन करना.
- स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता: स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पहल प्रदान करने हेतु संगठनों के साथ साझेदारी करना.
- आजीविका संवर्धन: व्यक्तियों और समुदायों के आजीविका अवसरों, उद्यमशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल करना.
- पर्यावरण संरक्षण: ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो पर्यावरणीय संवहनीयता में योगदान देती हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना.
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छ जल तक पहुंच, कृषि और खेती की तकनीक, तथा ग्रामीण आजीविका सुधार पर केंद्रित परियोजनाओं का कार्यान्वयन.
- प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं: आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण और राहत गतिविधियां.

22.3 बालिका विकास के लिए कल्याणकारी उपाय

- छात्रवृत्तियाँ – वित्तीय अंतर को कम करना और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करना, यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक अभाव के कारण शैक्षणिक प्रतिभा बाधित न हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रत्येक ग्रामीण शाखा (वर्तमान एवं भविष्य में खुलने वाली शाखाओं सहित) के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत एक बालिका को कक्षा 12 तक शिक्षा हेतु प्रति वर्ष ₹2,000 की सहायता दी जाती है। इस परियोजना से पूरे भारत में लगभग 1718 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं

तथा वितरित छात्रवृत्ति की कुल राशि ₹34.36 लाख है।

- स्वच्छता: गरिमा हेतु अवसंरचना - गांधी जयंती समारोह के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बालिका विद्यालय में एक शौचालय का निर्माण किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बालिका विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए ₹171.28 लाख की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।
- स्वच्छता प्रबंधन: वर्जना को समाप्त करना - गांधी जयंती समारोह के हिस्से रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बालिका विद्यालय/कॉलेज में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं सैनिटरी पैड निस्तारण (इंसीनेरेटर) प्रदान किया गया। इस परियोजना पर ₹17.28 लाख की राशि खर्च की गई है।

23. ईज (उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ईएसई (ईज) सुधार एजेंडा का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता, पारदर्शिता और ग्राहक केंद्रितता को सुधारना है। ईज 7.0 (वित्तीय वर्ष 2024-25) "आर्थिक विकास, ग्राहक संतुष्टि और सुदृढ़ बैंकिंग" थीम के अंतर्गत बैंक ने समग्र रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि थीम 1 में शीर्ष स्थान और थीम 3 और थीम 4 में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ईज 8.0 (वित्तीय वर्ष 2025-26), "ईजराइज - जोखिम एवं सुदृढ़ता, नवाचार, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एवं उत्कृष्टता" थीम का मुख्य उद्देश्य सुदृढ़ता को मजबूती देना, डिजिटल परिवर्तन को गति देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ग्राहक अनुभव में सुधार करना तथा स्टार्टअप्स और गिग वर्कर्स जैसे उभरते क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना है।

ईज 8.0 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अंतर्गत, बैंक ने एआई-संचालित संग्रह, जोखिम और आईटी सुदृढ़ता फ्रेमवर्क, बहुभाषी और सुलभ बैंकिंग सेवाओं, ईएसजी पहल और ग्राहक अनुभव प्रबंधन को सुदृढ़ करके डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गवर्नेंस एवं आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बैंक ने वेतनभोगी ग्राहकों और गिग श्रमिकों के लिए नवाचारी उत्पाद भी पेश किए, एनालिटिक्स और लाभप्रदता अनुश्रवण क्षमताओं को बढ़ाया, और वित्तीय साक्षरता, समावेशन और कर्मचारी कल्याण का समर्थन करने वाली पहलों को लागू किया।

ईज 8.0 वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत, बैंक ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में बैंक-वार रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया, कई थीम में शीर्ष-तीन स्थान प्राप्त किया और थीम 3, "सामाजिक-आर्थिक प्रभाव" के अंतर्गत तीसरी तिमाही में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

जैसे-जैसे बैंक ईज 9.0 में रूपांतरित हो रहा है, प्राप्त प्रगति ने इसकी सुदृढ़ता, सक्रियता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया है, जिससे यह भारत के वित्तीय इकोसिस्टम में अपनी दीर्घकालिक कार्यनीतिक भूमिका

को मजबूत करते हुए उभरती आर्थिक और बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए तैयार है।

ईजराइज (स्तंभ- II): बैंक-विशिष्ट 3-वर्षीय रोडमैप कार्यक्रम:

बैंक की विशिष्ट कार्यनीतिक पहलों के लिए ईजराइज (स्तंभ-II) के भाग के रूप में, बैंक ने वित्तीय और गैर-वित्तीय अपेक्षाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से मापने योग्य 37 मेट्रिक्स को कवर करने वाली निम्नलिखित 6 पहलों को प्राथमिकता दी है:

- एमएसएमई में संवहनीय विकास
- मिड सेगमेंट कॉर्पोरेट में संवहनीय विकास
- कृषि निवेश ऋण का विस्तार
- अनुपालन को मजबूत करना और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना
- खुदरा जमा संग्रहण में वृद्धि
- ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना

इन पहलों ने बैंक को संतुलित विकास को गति देने, जोखिम और अनुपालन ढांचे को मजबूत करने, ग्राहक संबंधों को गहरा करने और सभी क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार करने में मदद की है।

24. अभिस्वीकृतियाँ:

24.1 निदेशकगण भारत और विदेश में बैंक के शेयरधारकों, ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट और प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

24.2 निदेशकगण बैंक के कामकाज में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थानों, प्रतिनिधि बैंकों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

24.3 निदेशकगण वर्ष के दौरान बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन में स्टाफ सदस्यों द्वारा दी गई समर्पित सेवा और बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी असीम सराहना व्यक्त करते हैं तथा आने वाले वर्षों में बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके निरन्तर सहयोग की आशा करते हैं।

24.4 निदेशकगण यह भी व्यक्त करते हैं कि स्टाफ सदस्य सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखें।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17.06.2026

(आशीष पाण्डेय)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1 वैश्विक घटनाक्रम: समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय बाजार परिदृश्य:

वर्ष 2025 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार खंडन, राजकोषीय दबाव तथा नीतिगत अनिश्चितता की चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि के बावजूद लचीलापन बनाए रखा। वैश्विक वृद्धि 2024 के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जिसे घटती मुद्रास्फीति, सुदृढ़ सेवा गतिविधि, प्रौद्योगिकी निवेश तथा बेहतर वित्तीय परिस्थितियों से समर्थन प्राप्त हुआ। वैश्विक व्यापार मात्रा में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 3.6 प्रतिशत की तुलना में अधिक है, जो वस्तु व्यापार में क्रमिक सुधार तथा सेवा निर्यात में निरंतर दृढ़ता को दर्शाती है। साथ ही, वैश्विक मुद्रास्फीति लगभग 4.1 प्रतिशत तक घट गई, जिससे कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों को लंबे समय तक सख्त नीतिगत रुख के पश्चात मौद्रिक सहजता चक्र प्रारंभ करने का अवसर मिला।

इन सकारात्मक घटनाक्रमों के बावजूद, वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर बने रहे। सार्वभौमिक ऋण संबंधी चिंताएं, टैरिफ उपाय, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते राजकोषीय घाटे तथा भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण बार-बार जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत ने ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करते हुए तथा अनिश्चितता को बढ़ाते हुए वैश्विक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई, वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक बॉण्ड प्रतिफल सुदृढ़ हुए तथा निवेशकों ने सोना एवं अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश साधनों की ओर रुख किया। परिणामस्वरूप, आईएमएफ ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान को घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी पूंजी प्रवाह में अस्थिरता बढ़ी, जिसमें भू-राजनीतिक जोखिमों के बढ़ने के साथ इक्विटी बहिर्प्रवाह में वृद्धि देखी गई।

2 भारत समष्टि-आर्थिक अवलोकन:

अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन जारी रखा तथा विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई (फरवरी 2026 में जारी जीडीपी के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार), जो घरेलू मांग की दृढ़ता तथा आर्थिक आधारभूत तत्वों की दृढ़ता को दर्शाता है। निजी उपभोग, जो जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है, 5.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर

7.7 प्रतिशत हो गया, जिसे ग्रामीण मांग में सुधार, मुद्रास्फीति में कमी, कर रियायत उपाय, रोजगार में वृद्धि तथा उच्च प्रयोज्य आय से समर्थन मिला। सरकारी उपभोग भी सहायक बना रहा और इसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

निवेश गतिविधि सुदृढ़ बनी रही, जिसमें सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करना जारी रखा, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के आयात, सीमेंट उत्पादन तथा इस्पात खपत जैसे संकेतकों ने निवेश गति के निरंतर बने रहने की पुष्टि की। महत्वपूर्ण रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ तथा वैश्विक व्यापार में मंदी के बावजूद, निवल निर्यात का जीडीपी वृद्धि पर प्रभाव केवल 0.1 प्रतिशत अंक का रहा, जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग की भूमिका बढ़ रही है।

आपूर्ति पक्ष पर, योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख वृद्धि इंजन के रूप में उभरा, जिसमें 11.5 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जिसे कॉर्पोरेट लाभप्रदता में सुधार, उच्च क्षमता उपयोग तथा आधारभूत संरचना व्यय से समर्थन मिला। सेवा क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि बनी रही, जिसका नेतृत्व व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं तथा पेशेवर सेवाओं ने किया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.4 प्रतिशत तक घट गई, यद्यपि अनुकूल मानसून परिस्थितियों एवं रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन से इसे समर्थन मिला। समष्टि-आर्थिक आधारभूत तत्वों में और दृढ़ता आई, जिसमें सकल घरेलू बचत बढ़कर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 34.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष 32.3 प्रतिशत थी। घरेलू वित्तीय बचत में उल्लेखनीय सुधार से यह जीएनडीआई के 7.0 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि घरेलू वित्तीय देयतयाओं में कमी आई, जो तुलन-पत्र की बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

3 मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँ:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुद्रास्फीति दबावों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024-25 के 4.6 प्रतिशत से घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि लक्ष्य से काफी नीचे रही। यह कमी मुख्यतः खाद्य कीमतों के कारण रही, जो रिकॉर्ड कृषि उत्पादन, अनुकूल मौसम परिस्थितियों, उच्च जलाशय स्तर तथा आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप के कारण अपस्फीतिकारी दायरे में आ गई।

यद्यपि, मुद्रास्फीति दबाव पूरी तरह अनुपस्थित नहीं थे। ईंधन मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में ₹50 प्रति सिलेंडर तथा मार्च 2026 में ₹60 प्रति सिलेंडर एलपीजी कीमत संशोधन के बाद बढ़ गई। मूल मुद्रास्फीति लगभग 4.3 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत स्थिर रही, तथापि वर्ष के अंत तक इसमें कुछ कमी आई। विशेष रूप से, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सोना तथा चांदी की उच्च कीमतों ने मूल मुद्रास्फीति का लगभग आधा योगदान दिया, जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश साधनों की मांग को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप आरबीआई ने कहा कि “आधारभूत मांग आधारित मूल्य दबाव मंद है”।

4 शेयर बाजार कार्य-निष्पादन :

भारतीय इक्विटी बाजारों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय अस्थिरता देखी गई। सुदृढ़ घरेलू वृद्धि, घटती मुद्रास्फीति, मौद्रिक सहजता की अपेक्षा, सार्वभौमिक रेटिंग उन्नयन तथा मजबूत कॉर्पोरेट आय ने प्रारंभिक रूप से निवेशक भावना को समर्थन दिया। यद्यपि, बाद में ये लाभ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताओं, विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह तथा वैश्विक वृद्धि संबंधी चिंताओं के कारण संतुलित हो गए।

बीएसई सेंसेक्स वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 7.1 प्रतिशत गिरकर मार्च 2026 के अंत तक 71,948 पर बंद हुआ। मिड-कैप तथा स्मॉल-कैप खंडों में भी सुधार देखा गया, तथापि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने विदेशी बिकवाली के प्रभाव को कम करने में सहायता की। वर्ष के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों से लगभग ₹2.7 लाख करोड़ निकाले, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग ₹8.5 लाख करोड़ का निवेश किया, जो वित्तीय बाजारों में बढ़ती घरेलू भागीदारी को दर्शाता है।

द्वितीयक बाजारों में कमजोरी के बावजूद, प्राथमिक बाजार गतिविधि अत्यंत सुदृढ़ रही। आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट तथा वरीय आवंटन के माध्यम से संसाधन संकलन ₹4.5 लाख करोड़ से अधिक रहा। मासिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) प्रवाह औसतन ₹29,100 करोड़ तक पहुंच गया, जो भारत के पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

5 प्रतिफल उतार-चढ़ाव:

सरकारी प्रतिभूति बाजारों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यन देखा गया। पहली छमाही के दौरान, घटती मुद्रास्फीति, नीतिगत दरों में कमी तथा आरबीआई द्वारा पर्याप्त चलनिधि प्रविष्टि ने बॉण्ड प्रतिफलों में कमी की प्रवृत्ति को समर्थन दिया। बाजार सहभागियों ने अपेक्षा की कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी नीचे रहने के कारण मौद्रिक सहजता चक्र लंबा चलेगा।

तथापि, दूसरी छमाही में प्रवृत्ति उलट गई। अपेक्षा से अधिक जीडीपी वृद्धि, जीएसटी युक्तिकरण के राजकोषीय प्रभावों को लेकर चिंताएं, राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक आपूर्ति, वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रतिफलों में सुदृढ़ता आई। मानक 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल मार्च 2026 तक 7 प्रतिशत के स्तर के ऊपर पहुंच गया, जो मध्य-2024 के बाद का उच्चतम स्तर है।

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजारों में भी प्रतिफल उच्च रहे, साथ ही क्रेडिट स्प्रेड में वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों ने अधिक अनिश्चित वैश्विक वातावरण में जोखिम का पुनर्मूल्यांकन किया। इससे वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा वित्तीय संसाधनों की मांग में बैंकिंग क्षेत्र की ओर झुकाव हुआ। फिर भी, बाजार संचालन सुव्यवस्थित बना रहा, जिसे आरबीआई के चलनिधि परिचालन तथा ऋण बाजार में सक्रिय भागीदारी से समर्थन मिला।

6 बाह्य क्षेत्र के घटनाक्रम:

वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद भारत के बाह्य क्षेत्र ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की। चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत से नीचे नियंत्रित रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के अनुरूप है। यह कार्य निष्पादन वस्तु व्यापार घाटा 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने के बावजूद किया गया।

सेवाओं के सुदृढ़ निर्यात तथा विप्रेषण प्रवाह ने स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सॉफ्टवेयर निर्यात, व्यापार सेवाओं तथा पेशेवर सेवाओं ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करना जारी रखा, जबकि विप्रेषण में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 94.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर सुदृढ़ बना रहा, जो भारत की मध्यम अवधि वृद्धि संभावनाओं पर निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है। तथापि, निरंतर बहिर्प्रवाह के कारण निवल एफडीआई प्रवाह एकल अंक में रहा।

जहां विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह नकारात्मक रहा और विशेष रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्प्रवाह हुआ, वहीं बाह्य भेद्यता संकेतक पर्याप्त बने रहे। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11 माह के आयात कवर प्रदान करना जारी रखा, जबकि बाह्य ऋण जीडीपी के 20.4 प्रतिशत पर मध्यम रहा। भंडार से बाह्य ऋण का अनुपात लगभग 90 प्रतिशत रहा, जो भारत के सुदृढ़ बाह्य तुलन-पत्र को दर्शाता है।

7 चलनिधि स्थितियाँ:

पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चलनिधि स्थितियाँ व्यापक रूप से अनुकूल रहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि तथा नीतिगत संचारण

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए। विशेष रूप से, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत किया गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त टिकाऊ चलनिधि उपलब्ध हुई।

आरबीआई ने बड़े पैमाने पर खुले बाजार परिचालन तथा चलनिधि प्रविष्टियां भी कीं। परिणामस्वरूप, आरक्षित मुद्रा तथा व्यापक मुद्रा वृद्धि में तेजी आई। व्यापक मुद्रा (एम3) वृद्धि 12.0 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि मुद्रा गुणक 5.7 से बढ़कर 6.1 हो गया। औसत दैनिक मुद्रा बाजार कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पर्याप्त चलनिधि तथा सुव्यवस्थित बाजार संचालन को दर्शाता है।

परिचालन में मुद्रा 12.0 प्रतिशत बढ़ी, जिसे सुदृढ़ उपभोग मांग तथा राजकोषीय अंतरण से समर्थन मिला। साथ ही, डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ते रहे, जिसमें यूपीआई लेन-देन मात्रा में लगभग 23.86 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो वित्तीय डिजिटलीकरण में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

8 आरबीआई नीतिगत निर्णय एवं उधार तथा जमा दरों में संचारण:

मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी ने भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौद्रिक सहजता अपनाने में सक्षम बनाया। नीतिगत उपायों में नीतिगत दरों में कमी, महत्वपूर्ण चलनिधि समर्थन, सीआरआर में कटौती तथा सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार खरीद शामिल थीं। इन उपायों ने अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों को बनाए रखने तथा आर्थिक गतिविधि को समर्थन देने में सहायता की।

वित्तीय बाजारों में संचारण अपेक्षाकृत प्रभावी रहा। मुद्रा बाजार दरें, ट्रेजरी बिल प्रतिफल तथा सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल ने नीतिगत कार्रवाइयों पर शीघ्र प्रतिक्रिया दी। भारित औसत कॉल दर नीतिगत रेपो दर के साथ निकटता से संरेखित रही, जो प्रभावी चलनिधि प्रबंधन को दर्शाती है।

तथापि, बैंकिंग उधार एवं जमा दरों में संचारण अपेक्षाकृत धीमा रहा। जहां उधार दरें घटीं तथा सुदृढ़ ऋण वृद्धि को समर्थन मिला, वहीं जमा दरें अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहीं। यह जमा के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, क्योंकि ऋण वृद्धि जमा संसाधन जुटाने से अधिक बनी रही। म्यूचुअल फंड तथा पूंजी बाजार निवेश की बढ़ती आकर्षकता ने भी घरेलू बचत के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, जिससे जमा दरों के समायोजन की गति सीमित रही।

9 बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य:

बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुदृढ़ स्थिति के साथ प्रवेश किया। ऋण वृद्धि लगभग 15.7 प्रतिशत पर सुदृढ़ बनी रही, जिसे खुदरा ऋण, सेवा क्षेत्र वित्तपोषण तथा औद्योगिक ऋण मांग में उछाल से समर्थन

मिला। वाणिज्यिक क्षेत्र को उपलब्ध कुल वित्तीय संसाधन पिछले वर्ष के ₹36.2 लाख करोड़ से बढ़कर ₹47.0 लाख करोड़ हो गए, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत वित्तपोषण आवश्यकताओं को दर्शाता है।

जमा वृद्धि अच्छी बनी रही, परंतु ऋण विस्तार की तुलना में पीछे रही, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अंतर लगातार बना रहा। इससे जमा संसाधन जुटाने तथा वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों का महत्व बढ़ा। बैंकों ने इसके उत्तर में सरकारी प्रतिभूतियों में अतिरिक्त निवेश का उपयोग कम किया। अतिरिक्त एसएलआर धारणियां निवल मांग एवं समय देयताओं के 10.3 प्रतिशत से घटकर 8.2 प्रतिशत हो गईं, जो उत्पादक ऋण वितरण की ओर संसाधनों के अधिक उपयोग को दर्शाता है।

क्षेत्र-वार ऋण वितरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में समष्टि-आर्थिक विस्तार को दर्शाया। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि प्रमुख प्रेरक बनी रही, जिसे एनबीएफसी, व्यापार, परिवहन परिचालकों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट तथा पेशेवर सेवाओं को ऋण से समर्थन मिला। खुदरा ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही, जिसमें आवास ऋण, वाहन ऋण तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण प्रमुख रहे, यद्यपि जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु विनियामक उपायों के बाद अप्रतिभूत खुदरा ऋण की वृद्धि में कुछ कमी आई। औद्योगिक ऋण में कई वर्षों की सुस्ती के बाद उल्लेखनीय उछाल आई, जो अवसंरचना, विद्युत, निर्माण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, सीमेंट तथा धातु क्षेत्रों द्वारा चालित थी।

एमएसएमई ऋण मांग भी अच्छी बनी रही, जिसे सरकारी पहलों, आर्थिक गतिविधियों के औपचारिकरण तथा कारोबारी विश्वास में सुधार से समर्थन मिला। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को भी नीतिगत समर्थन प्राप्त होता रहा, जिसमें कृषि ऋण ने ग्रामीण आय सृजन तथा खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए स्थिर वृद्धि बनाए रखी। क्षेत्र-वार ऋण में व्यापक विस्तार से यह संकेत मिलता है कि बैंक ऋण संवितरण उत्पादक निवेश, अवसंरचना निर्माण तथा उपभोग मांग के साथ अधिक संरेखित हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था के मध्यम अवधि वृद्धि पथ को समर्थन मिल रहा है।

मौद्रिक नीति के संचारण में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। जहां मुद्रा बाजार दरें, ट्रेजरी बिल प्रतिफल तथा सरकारी बॉण्ड प्रतिफल ने आरबीआई नीतिगत उपायों पर अपेक्षाकृत शीघ्र प्रतिक्रिया दी, वहीं बैंक ऋण एवं जमा दरों में संचारण अपेक्षाकृत धीमा रहा। बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋणों में नीतिगत परिवर्तनों का संचारण तेज रहा, जबकि एमसीएलआर आधारित ऋणों में कुछ विलंब देखा गया। नीतिगत सहजता के प्रभाव बढ़ने के साथ उधार दरें घटीं तथा इससे परिवारों और कारोबारों से ऋण मांग को समर्थन मिला। तथापि, जमा दरें अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहीं, जो जमा के लिए तीव्र

प्रतिस्पर्धा तथा स्थिर संसाधन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, नीतिगत दरों में कमी की तुलना में जमा दरों में कमी की गति धीमी रही, जिससे बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन पर कुछ दबाव पड़ा।

आस्ति गुणवत्ता संकेतक स्थिर बने रहे, जिसे कॉर्पोरेट तुलन-पत्र की सुदृढ़ता, घरेलू वित्तीय स्थिति में सुधार तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन से समर्थन मिला। पूंजी पर्याप्तता नियामकीय आवश्यकताओं से सुदृढ़ स्तर पर ऊपर बनी रही तथा लाभप्रदता में सुधार जारी रहा। क्षेत्रीय जोखिम के दृष्टिकोण से, बैंक वाणिज्यिक रियल एस्टेट, अप्रतिभूत खुदरा ऋण तथा एमएसएमई पर एक्सपोजर का गहन अनुश्रवण कर रहे हैं, विशेष रूप से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ी ऊर्जा लागत के संदर्भ में। इसके बावजूद, अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में दबाव संकेतक ऐतिहासिक औसत से काफी नीचे बने हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने सुधार की प्रवृत्ति को जारी रखा, जिसमें बेहतर लाभप्रदता, निम्न एनपीए तथा सुदृढ़ पूंजी स्थिति दर्ज की गई। वृद्धिशील ऋण वृद्धि में उनका शेयर लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा, जो बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सुदृढ़ तुलन-पत्र को दर्शाता है। समग्र रूप से, बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुदृढ़ पूंजी बफर, सुदृढ़ लाभप्रदता, मजबूत ऋण वृद्धि, बेहतर आस्ति गुणवत्ता तथा पर्याप्त चलनिधि के साथ प्रवेश कर रहा है, जो इसे पश्चिम एशिया संघर्ष तथा बदलती वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों से उत्पन्न बढ़ी अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए अनुकूल स्थिति में रखता है।

10 पश्चिम एशिया संघर्ष का अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत की ओर पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत समष्टि-आर्थिक परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम के रूप में उभरी। कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को देखते हुए, इस संघर्ष ने ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति, बाह्य संतुलन तथा वित्तीय बाजार स्थिरता के संबंध में तुरंत चिंताएं उत्पन्न कीं। **आरबीआई ने अपनी 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट में “पश्चिम एशिया संघर्ष को भारतीय आर्थिक परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम” के रूप में पहचाना है।**

सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के माध्यम से दिखाई दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण तथा ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों ने वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी से प्राप्त लाभों को आंशिक रूप से प्रभावित करने का जोखिम उत्पन्न किया। वित्तीय बाजारों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी, जिसमें केवल मार्च 2026 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने

लगभग 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी की। इक्विटी बाजारों में सुधार देखा गया, बॉण्ड प्रतिफल सुदृढ़ हुए तथा रुपया लगभग ₹94.8 प्रति अमेरिकी डॉलर तक अवमूल्यित हुआ।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए, यह संघर्ष अनेक संचारण चैनलों के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करता है। उच्च ऊर्जा लागत परिवहन, रसायन, विमानन, लॉजिस्टिक्स तथा एमएसएमई जैसे ऊर्जा-प्रधान उद्योगों में लाभप्रदता को कमजोर कर सकती है। उच्च मुद्रास्फीति आगे की मौद्रिक सहजता में विलंब कर सकती है तथा वित्तपोषण लागत को बढ़ा सकती है। बाजार अस्थिरता, ट्रेजरी पोर्टफोलियो तथा निवेशक भावना को भी प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ प्रारंभिक स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ता प्रदान करती है। दोहरे अंक की ऋण वृद्धि, पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता, पर्याप्त चलनिधि बफर, स्थिर आस्ति गुणवत्ता तथा सुदृढ़ प्रावधानीकरण कवरेज संयुक्त रूप से प्रणालीगत तनाव के जोखिम को सीमित करते हैं। यद्यपि इस संघर्ष ने समष्टि-आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाया है, भारत की सुदृढ़ घरेलू मांग, स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र आधारभूत तत्व, नियंत्रित चालू खाता घाटा, सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार तथा बचत-निवेश गतिशीलता में सुधार अर्थव्यवस्था को बाह्य आघातों को अवशोषित करने तथा वृद्धि गति को बनाए रखने के लिए अनुकूल स्थिति में रखते हैं।

11 जमा संग्रहण विभाग

बैंक में जमा संग्रहण विभाग बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता एवं परिचालन सफलता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

11.1 जमा राशि को आकर्षित करना एवं प्रतिधारण:

- विभिन्न प्रकार की सावधि जमाओं को आकर्षित करने हेतु कार्यनीति तैयार करता है।
- विभिन्न ग्राहक वर्गों (व्यक्तिगत, कारोबार आदि) के अनुरूप जमा योजनाओं को तैयार करता है एवं उनका प्रचार करता है।

11.2 ग्राहक संबंध प्रबंधन:

जमाकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करता है, जिससे ग्राहक निष्ठा एवं दीर्घकालिक जमाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

11.3 बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण:

जमा उत्पादों एवं अभियानों को परिष्कृत करने हेतु जमा प्रवृत्तियों, प्रतिस्पर्धियों की योजनाओं तथा ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करता है।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

11.4 शाखाओं के साथ समन्वय:

(राशि ₹ करोड़ में)

संवहनीय विकास बनाए रखने हेतु जमा संग्रहण के लिए शाखाओं को मार्गदर्शन एवं लक्ष्य प्रदान करता है।

11.5. उत्पाद विकास एवं नवाचार:

- बदलती बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए जमा उत्पादों का विकास तथा मौजूदा उत्पादों का अद्यतन करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी उत्पाद विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

11.6 अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:

जमा वृद्धि को ट्रैक करता है तथा आगे सुधार लाने हेतु नियमित रिपोर्टें तैयार करता है।

11.7 अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन:

यह सुनिश्चित करता है कि सभी जमा संग्रहण गतिविधियाँ बैंकिंग विनियमों के अनुरूप हों।

वर्ष के दौरान की गई नई पहलें:

- ❖ **यूनियन ग्रीन डिपॉजिट का आरंभ:** बैंक ने मई 2025 में यूनियन ग्रीन डिपॉजिट नामक नया सावधि जमा उत्पाद आरंभ किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने ₹2840.00 करोड़ का कारोबार जुटाया है।
- ❖ **5 नए चालू खाता वेरिएंट का आरंभ:** बैंक ने नवंबर 2025 में विभिन्न कारोबारी आवश्यकताओं एवं ग्राहक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए पर्ल, एमराल्ड, रूबी, सफायर एवं डायमंड नामक 5 नए चालू खाता वेरिएंट आरंभ किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने ₹742.00 करोड़ का कारोबार जुटाया है।
- ❖ **मौजूदा ग्राहकों हेतु शाखा सहायता प्राप्त ऑनलाइन बचत खाता खोलने की प्रक्रिया का आरंभ:** बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ एवं डिजिटाइज़ करने के उद्देश्य से, बैंक ने जनवरी 2026 में मौजूदा ग्राहकों के लिए, जिनका वर्तमान में बचत खाता नहीं है, नई एवं समर्पित शाखा सहायता प्राप्त ऑनलाइन बचत खाता खोलने की प्रक्रिया आरंभ की है।
- ❖ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹347 करोड़ बकाया शेष राशि के साथ 1,87,224 नए वेतन खाते खोले हैं।

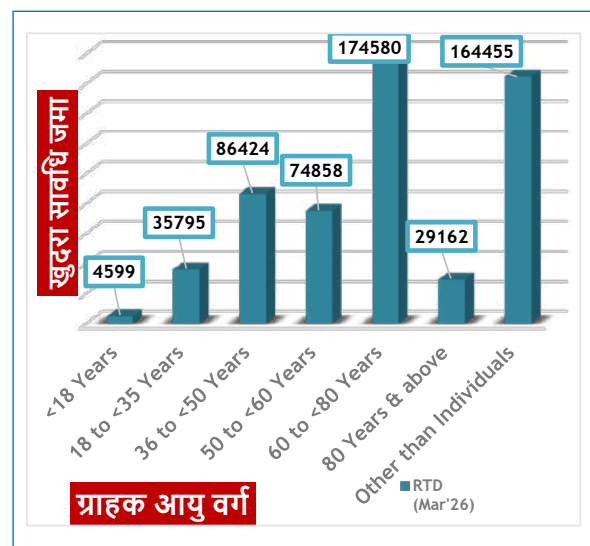
घरेलू सावधि जमा का वर्ष-दर-वर्ष कार्यनिष्पादन					
मापदंड	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23- 24	वि.व. 24-25	वि.व. 25-26
खुदरा सावधि जमा	4,47,285	4,41,287	4,58,949	4,98,255	5,69,873
थोक जमा	2,07,716	2,70,837	3,30,178	3,47,253	2,76,436
सावधि जमा	6,55,001	7,12,124	7,89,127	8,45,508	8,46,309
कुल जमा	10,32,102	11,17,716	11,99,197	12,71,750	13,06,288

(राशि ₹ करोड़ में)

घरेलू सावधि जमा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि					
मापदंड	वि.व. 21-22	वि.व. 22-23	वि.व. 23- 24	वि.व. 24-25	वि.व. 25-26
	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
खुदरा सावधि जमा	50,279	-5,998	17,662	39,306	71,618
थोक जमा	15,154	63,121	59,341	17,075	-70,817
सावधि जमा	68,966	57,123	77,003	56,381	800
कुल जमा	1,10,469	85,614	81,481	72,553	34,538

➤ आरटीडी का अवधि-वार वितरण (यथा मार्च, 26)

(राशि ₹ करोड़ में)



❖ विशेष बचत बैंक योजना एसबीजीआईजी का आरंभ

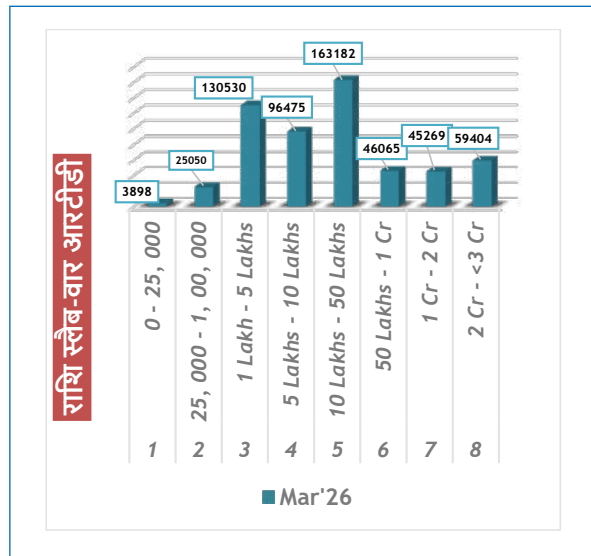
(गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए बचत खाता): वित्तीय समावेशन पर बैंक के कार्यनीतिक फोकस एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते कार्यबल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने 'एसबीजीआईजी' नामक एक विशेष बचत बैंक खाता योजना आरंभ की है। यह योजना ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत गिग एवं प्लेटफॉर्म-आधारित कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जो डिलीवरी सेवाओं, राइड हेलिंग, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स तथा होम सर्विस प्लेटफॉर्म्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

ग्राहक आधार वृद्धि:

एनआरआई/एनआरओ बचत खाते 8,79,967 से बढ़कर 9,04,621 हो गए, जो 2.80% की वृद्धि को दर्शाता है।

➤ राशि स्लेब-वार आरटीडी (यथा मार्च '26)

(राशि ₹ करोड़ में)



11.8 एनआरआई जमाराशियाँ:

- ❖ एनआरआई जमाराशियों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 10.21% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बैंक के एनआरआई कारोबार पोर्टफोलियो में अच्छे एवं सतत विस्तार को दर्शाती है।
- ❖ एनआरआई समुदाय के साथ सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु, बैंक ने क्रिसमस एवं नव वर्ष की उत्सव अवधि के दौरान भारत के प्रमुख केंद्रों पर 'एनआरआई कार्निवल' संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे अपने मूल्यवान एनआरआई ग्राहकों से जुड़ने तथा उन्हें सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराया गया।

- ❖ एफसीएनआर जमाराशियों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 65.41% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जो विदेशी मुद्रा खंड में सशक्त ग्राहक विश्वास एवं जमा जुटाने के प्रभावी प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

11.9 आगे की राह:

- ❖ सूक्ष्म कासा वृद्धि पर ध्यान: खुदरा एवं लघु कारोबार ग्राहकों के अर्जन को सुदृढ़ करना; लक्षित अभियानों के माध्यम से जमा शेष बढ़ाना।
- ❖ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना: शाखा-सहायता प्राप्त ऑनलाइन एसबी खाता खोलने की प्रक्रिया को बढ़ाना एवं डिजिटल टीडी/आरडी ऑनबोर्डिंग को प्रोत्साहित करना।
- ❖ नए उत्पादों को प्रभावी रूप से बढ़ावा देना: नए चालू खाता वेरिएंट तथा एसबीजीआईजी योजना के लिए शाखा स्तर पर संसाधन जुटाने को बढ़ावा देना।
- ❖ नए क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार करना: स्थिर जमा के लिए गिग कर्मी, पेशेवर, एमएसएमई, ट्रस्ट एवं संस्थागत इकाइयों को लक्ष्य बनाना।
- ❖ शाखा निष्पादन को सुदृढ़ करना: जमा जुटाने के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु स्पष्ट लक्ष्य, नियमित समीक्षा तथा क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- ❖ अनुश्रवण एवं बाजार जानकारी को सुदृढ़ करना: एमआईएस डैशबोर्ड का उपयोग कर प्रवृत्तियों, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण तथा शाखा-वार उपलब्धियों का अनुश्रवण कर समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
- ❖ ग्राहक बनाए रखने में सुधार करना: सक्रिय नवीकरण अनुस्मारक, सरल ऑनबोर्डिंग तथा ग्राहक-केंद्रित सेवा सुधार लागू करना।
- ❖ अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना: सभी जमा संबंधी गतिविधियों में विनियामकीय आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।

12 ऋण प्रबंधन

12.1 कॉर्पोरेट ऋण

यथा दिनांक 31.03.2026 के अनुसार बैंक का कुल अग्रिम ₹10,78,611 करोड़ रहा, जिसमें कॉर्पोरेट एवं अन्य अग्रिम ₹4,80,127 करोड़ रहा। देशभर में 12 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएं (एलसीबी) एवं 38 मिड कॉर्पोरेट शाखाएं (एमसीबी) कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। बैंक ने कॉर्पोरेट क्रेडिट में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.80% की वृद्धि दर्ज की।

लार्ज/मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल में केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण सेल का गठन:

लार्ज/मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल को अधिक प्रभावी बनाने हेतु, कॉर्पोरेट कारोबार केंद्रों की सेवाओं का उपयोग करने, प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने तथा ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण सेल का कार्यान्वयन किया गया है। इससे कारोबार वृद्धि में सहायता मिली है तथा समग्र टीएटी (टर्नअराउंड टाइम) में कमी आई है।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

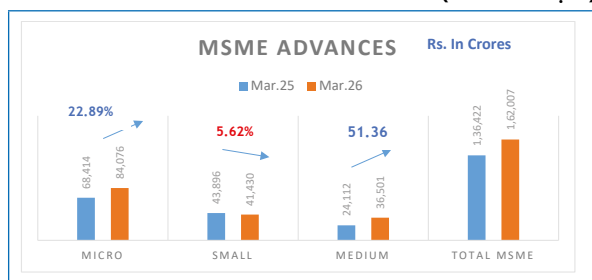
12.2 एमएसएमई

कारोबार वृद्धि:

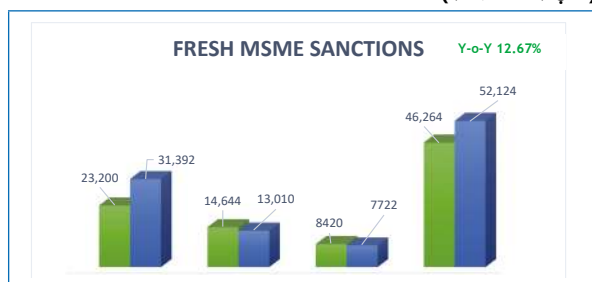
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 25	मार्च 26	व.द.व. वृद्धि (%)
कुल एमएसएमई अग्रिम	1,36,423	1,62,007	18.75%

(राशि ₹ करोड़ में)



(राशि ₹ करोड़ में)



प्रमुख एमएसएमई योजनाओं का कार्यनिष्पादन: बैंक ने लक्षित एमएसएमई खंड के लिए विशिष्ट योजनाएं विकसित की हैं। वर्ष के दौरान पहचानी गई एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन नीचे विस्तृत रूप में प्रस्तुत है।

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मंजूर खाते (संख्या में)	मंजूर राशि
यूनियन एमएसएमई सुविधा	4,671	8,263
यूनियन नारी शक्ति	14,046	2,490
यूनियन उपकरण वित्त	1,207	955
यूनियन आयुष्मान प्लस	428	388
यूनियन कॉन्ट्रेक्टर	390	558
यूनियन टेक्सटाइल	908	954
यूनियन एमएसई सपोर्ट	427	593
यूनियन एमएसएमई सल्यूट	317	1,818

12.2.1 एमएसएमई ऋण केंद्र:

बैंक ने 138 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्रों के सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से अपने एमएसएमई क्रेडिट इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना जारी रखा है, जिन्होंने सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹39,220 करोड़ के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन किया एवं मंजूरी प्रदान की। इन केंद्रों ने प्रभावी ऋण आकलन, त्वरित टर्नअराउंड टाइम तथा बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एमएसएमई पहुंच को बढ़ाने तथा सेवा की सुगम्यता में सुधार हेतु अपनी कार्यनीति के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान 3 नए एमएसएमई ऋण केंद्र भी प्रारंभ किए, जिससे विशेषीकृत वितरण नेटवर्क को और सुदृढ़ किया गया तथा एमएसएमई उद्यमों की बदलती ऋण आवश्यकताओं को समर्थन मिला।

12.2.2 आउटरीच कैम्प:

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरंतर फील्ड संपर्क ने एमएसएमई कारोबारी इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया है। बेहतर पर्यवेक्षण, कार्यनीतिक मार्गदर्शन तथा गहन अनुश्रवण के माध्यम से क्षेत्रों में बेहतर कारोबार कार्य निष्पादन तथा त्वरित वृद्धि प्राप्त हुई है।

12.2.3 क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं:

बैंक के पास देशभर में 22 अनुमोदित क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान इन क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹2,572 करोड़ की मंजूरीयां प्रदान की गईं।

12.2.4 यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच (यूएमएफबी):

एमएसएमई वित्तपोषण को सुदृढ़ करने की अपनी केंद्रित कार्यनीति के अंतर्गत, बैंक देशभर में 117 यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं (यूएमएफबी) संचालित कर रहा है, जिनका कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो ₹17,093 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इन शाखाओं द्वारा ₹9,247 करोड़ की मंजूरीयां प्रदान की गईं, जिससे बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

बाजार में अपनी पहुंच को और मजबूत करने तथा एमएसएमई ग्राहकों को समर्पित समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष के दौरान चार नई एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं खोलकर अपने विशेषीकृत वितरण नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे उसने क्षेत्र को समयबद्ध एवं अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

12.2.5 नारी शक्ति शाखा:

महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, बैंक ने “नारी शक्ति” शाखाओं की शुरुआत की है। इसी क्रम में वर्ष के दौरान लखनऊ में एक नई नारी शक्ति शाखा खोली गई। वर्तमान में बैंक की कुल 6 नारी शक्ति शाखाएं हैं। इन शाखाओं का उद्घाटन प्रारंभ में माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। इन शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त ऋण एवं जमा उत्पाद.

- सलाहकार सेवाएं.
- स्टार्टअप हेतु कार्यशालाएं.
- कौशल विकास कार्यक्रम.
- मार्गदर्शन एवं नेटवर्किंग

नारी शक्ति शाखाओं के अंतर्गत कुल कारोबार ₹436 करोड़ है (अग्रिम: ₹312 करोड़ एवं जमा ₹124 करोड़).

- एमएसएमई कारोबार को बढ़ाने के लिए संभावित स्थानों पर 62 ग्राहक संपर्क अधिकारी पदस्थ किए गए। ये अधिकारी वर्तमान एवं नए एमएसएमई ग्राहकों से जुड़कर मौजूदा संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ नए खातों जुटा रहे हैं.
- **ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत मंजूरीयां:** संपार्श्विक रहित ऋण को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत उधार प्रदान करने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मंजूरीयों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना	खाते	गारंटी राशि
सीजीटीएमएसई	2,13,516	22,589
सीजीएफएमयू (कृषि संबद्ध सहित)	4,14,113	29,549
कुल	6,27,629	52,138

डिजिटल रूपांतरण : एमएसएमई ग्राहक अब अपनी कारोबार आवश्यकताओं के लिए ऋण हेतु डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में, बैंक ने ऐसी डिजिटल प्रक्रिया विकसित की है, जिनके माध्यम से ₹1.00 करोड़ तक के ऋण डिजिटल रूप से मंजूर किए जा सकते हैं.

प्रत्येक डिजिटल उत्पाद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कार्यानिष्पादन निम्नानुसार है:

डिजिटल प्रक्रिया	खातों की संख्या	मंजूर राशि
एसटीपी शिशु मुद्रा	21,519	104
एसटीपी किशोर एवं तरुण मुद्रा	66,267	3,061
नारी शक्ति एसटीपी	10,733	621
एमएसएमई सुपरफास्ट एसटीपी	801	324
यूनियन डिजिटल ईज	10,902	391
कार्यशील पूंजी संवर्धन	48	4
कुल	1,10,270	4,505

बैंक द्वारा की गई अन्य डिजिटल पहलें

- ₹25.00 लाख तक के एमएसएमई खातों का डिजी नवीकरण: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 11.95 लाख एमएसएमई खातों की डिजिटल समीक्षा की गई, जो इस श्रेणी के कुल खातों का 98% है.
- डिजिटल चैनल के माध्यम से मंजूरी की उच्चतम सीमा ₹0.25 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.00 करोड़ कर दी गई है.

ज्ञानार्जन एवं विकास: एमएसएमई ऋण केंद्र (एमएलपी) में पदस्थ ऋण अधिकारियों, जिसमें एमएलपी प्रमुख भी शामिल हैं, के समग्र विकास हेतु, मौजूदा प्रशिक्षण ढांचे के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे उनके जॉब रोल के बेहतर कार्यान्वयन के लिए ज्ञान स्तर में सुधार हो सके.

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा विभिन्न एमएसएमई योजनाओं तथा संबंधित क्षेत्रों में नई गतिविधियों के बारे में बैंक अधिकारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वेबिनार का आयोजन भी किया जा रहा है. बैंक मासिक रूप से “एमएसएमई इम्पैक्ट मैगजीन” को परिचालित कर रहा है, जिसमें एमएसएमई से संबंधित नवीनतम गतिविधियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अंतर्दृष्टियां शामिल होती हैं.

12.3 खुदरा:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का कार्यानिष्पादन:

- खुदरा ऋण बकाया में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल वृद्धि 16.75% रही.

**प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण**

- खुदरा ऋण के अंतर्गत उत्पाद-वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है:

(₹. करोड़ में)

योजना	वास्तविक मार्च'25	वास्तविक मार्च'26	मार्च'25 की तुलना में वृद्धि	मार्च'25 की तुलना में वृद्धि %
आवास	94,825	1,07,687	12,862	13.56
वाहन	22,462	28,415	5,953	26.50
शिक्षा	15,912	18,166	2,254	14.17
बंधक	16,152	18,023	1,871	11.58
व्यक्तिगत	11,225	11,505	280	2.49
अन्य	56,202	69,288	13,086	23.28
कुल खुदरा अग्रिम	2,16,777	2,53,083	36,306	16.75

- मार्च'25 की तुलना में खुदरा में कुल वृद्धि ₹36,306 करोड़ रही.
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि 16.75% रही.
- अखिल भारत स्तर पर, आरएलपी (सीपीसी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹50,064 करोड़ के खुदरा ऋण मंजूर किए.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई नई पहलें:

- ईटीबी एवं एनटीबी ग्राहकों के लिए डिजिटल वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण का शुभारंभ.
- आईआईटी एवं आईआईएम के छात्रों को रुपये सेलेक्ट डेबिट कार्ड जारी करना.
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नई डिजिटल पहल के अंतर्गत कुल 721 ऋण खातों में से प्रीमियर संस्थानों की छात्राओं को 192 डिजिटल शिक्षा ऋण मंजूर किए.
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 69,601 ऋण मंजूरीयों में से 51,700 डिजिटल सोलर रूफटॉप (पीएम-सूर्य घर) ऋण मंजूर किए.
- "ए" श्रेणी के बिल्डरों के लिए बिल्डर टाई-अप/परियोजना अनुमोदन हेतु सात महानगर केंद्रों के लिए विशेष योजना.
- पीएम सूर्यघर - मुफ्त बिजली योजना की डिजिटल प्रक्रिया के अंतर्गत डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) का कार्यान्वयन, जिससे प्रत्यक्ष संवितरण सक्षम हुआ.

12.4 कृषि:

कृषि ऋण प्रदान करना बैंक के लिए सदैव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहा है. यथा दिनांक 31.03.2026 के अनुसार, कृषि ऋण बैंक के कुल घरेलू अग्रिमों का 18% तथा कुल वैश्विक अग्रिमों का 17% है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 18% के सांविधिक लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 19.44% प्राप्त किया.

यथा दिनांक 31.03.2026 के अनुसार, कृषि क्षेत्र को ऋण ₹1,83,394 करोड़ रहा.

लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण ₹97,787 करोड़ रहा (पीएसएलसी-एसएफएमएफ ₹10,000 करोड़ की बिक्री के पश्चात), जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10% के मानक के सापेक्ष एएनबीसी का 10.73% है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान (एसएफएमएफ) के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की बिक्री की तथा ₹133.87 करोड़ की ब्याजेतर आय अर्जित की. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने ₹6,462 करोड़ की राशि के 2.58 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए.

12.5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹3,74,078 करोड़ रहा, जो समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 41.04% है, जबकि सांविधिक लक्ष्य 40% है. यह आंकड़ा पीएसएलसी की बिक्री/खरीद के समायोजन के पश्चात तथा नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा तथा एनएचबी के साथ आरआईडीएफ एवं अन्य निधियों में किए गए निवेश को सम्मिलित करने के बाद है.

(₹. करोड़ में)

विवरण*	वि.व. 2025-26 (4 तिमाहियों का औसत)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में (4 तिमाहियों का औसत)	वि.व. 2025-26 बेंचमार्क (एएनबीसी का %)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	3,74,078	41.04	40%
कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,77,205	19.44	18%
लघु एवं सीमांत किसान	97,787	10.73	10%
सूक्ष्म उद्यम	82,161	9.01	7.50%

(*पीएसएलसी की बिक्री/खरीद के पश्चात एवं आरआईडीएफ सहित) (*एसएफएमएफ में, ₹10,000 करोड़ की पीएसएलसी बिक्री के पश्चात)

12.6 सामाजिक उत्थान हेतु विशेष ऋण प्रदान करना

बैंक समाज के सभी वर्गों के सामाजिक विकास एवं समान अवसर सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान बनाए रखता है. इसी के अनुरूप, बैंक ने समाज के विभिन्न कमजोर एवं वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय तथा स्वयं-सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं.

- **महिला लाभार्थी:** महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, बैंक महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने पर जोर देता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, महिला लाभार्थियों को कुल बकाया ऋण, 31 मार्च 2025 के ₹1,39,406 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में ₹1,51,258 करोड़ हो गया, जो 8.5% की वृद्धि को दर्शाता है.

- **अल्पसंख्यक समुदाय:** बैंक भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी निदेशों के अनुरूप मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यथा दिनांक 31 मार्च 2026 के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय को बकाया ऋण ₹53,334 करोड़ रहा।
- **कमजोर वर्ग:** बैंक समाज के कमजोर वर्गों को वित्तपोषण प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कमजोर वर्ग को प्रदान किया गया ऋण (पीएसएलसी-एसएफएमएफ की निवल बिक्री सहित) ₹1,15,921 करोड़ रहा, जो एनबीसी का 12.72% है, जबकि मानक 12% है
- **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं में रोजगार की समस्या को कम करने के उद्देश्य से, बैंक ने उन जिलों में 42 आरसेटी स्थापित किए हैं जहां बैंक का "लीड बैंक उत्तरदायित्व" है। यथा 31 मार्च, 2026 तक, आरसेटी में कुल 3,68,241 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 2,65,182 उम्मीदवारों को रोजगार मिला, जो 72% का रोजगार अनुपात दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** पूर्व में, बैंक चैत्यन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी) का प्रायोजक बैंक था। आंध्र प्रदेश राज्य में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय कर एक इकाई, अर्थात् आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) का गठन किया गया है, जो दिनांक 01.05.2025 से बैंक के प्रायोजन के अंतर्गत कार्यरत है, जिसका मुख्यालय गुंटूर में स्थित है। एपीजीबी के पास आंध्र प्रदेश राज्य में फैली 1359 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है, जिसमें ₹64,673 करोड़ जमा तथा ₹66,665 करोड़ अग्रिम (₹5,000 करोड़ आईबीपीसी के निवल के बाद) हैं। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, एपीजीबी ने ₹1,31,338 करोड़ का कुल कारोबार तथा ₹1,836 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया। दिनांक 31.03.2026 को सकल एनपीए 0.91% रहा तथा निवल एनपीए शून्य रहा।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** बैंक उन किसानों के हित में पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन कर रहा है, जो बार-बार जलवायु प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं और प्रभावित होते हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले सभी किसान, जिसमें बटाईदार एवं काश्तकार किसान शामिल हैं, इस योजना के दायरे में आते हैं।
- **क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं:** कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक ने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर 16 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं विकसित की हैं, जो किसानों के लाभ के लिए हैं।

- **आत्मनिर्भर भारत योजनाएं/उभरते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र:** बैंक कृषि बुनियादी ढांचा, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण में हो रहे बड़े निवेश का लाभ उठाते हुए विभिन्न आत्मनिर्भर भारत योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तपोषण कर रहा है।

बैंक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं जैसे कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) योजनाएं तथा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट/पंप सेट्स के सोलराइजेशन का लाभ उठाकर संवहनीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा हरित वित्तपोषण में सुधार कर रहा है।

- **कृषि में डिजिटलीकरण:** डिजिटल केसीसी-फ्रेश: ₹2.00 लाख तक की नई मंजूरीयों के लिए डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी एसटीपी) को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु राज्यों में लागू किया गया है।

केसीसी एसटीपी के माध्यम से नई मंजूर की सीमा को चरणबद्ध तरीके से ₹10.00 लाख तक अखिल भारतीय स्तर पर, जहां भूमि अभिलेख डिजिटलाइज़्ड हैं, बढ़ाया जाएगा।

डिजिटल केसीसी-नवीकरण एवं वृद्धि: डिजिटल फुटप्रिंट को सुदृढ़ करने तथा आंतरिक भूमि अभिलेख भंडार का उपयोग करने के उद्देश्य से, बैंक ने ₹10 लाख तक के डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) नवीकरण हेतु सरल डिजिटल प्रक्रिया विकसित की है तथा इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है।

डिजिटल किसान तत्काल: डिजिटल ऋण कारोबार को बढ़ाने तथा कृषि गतिविधियों की आपात आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किसानों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बैंक ने एसटीपी (एंड टू एंड) डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से "डिजिटल यूनियन किसान तत्काल ऋण" योजना प्रारंभ की है, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल डेट-स्वैप: किसानों को गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से लिए गए उच्च लागत ऋण को चुकाने में सुविधा प्रदान करने हेतु, बैंक ने ₹50,000 तक की सीमा हेतु एसटीपी (एंड टू एंड) डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से "डिजिटल डेट-स्वैप ऋण" योजना प्रारंभ की है, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध कराया गया है।

जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रक्रियाएं:

- जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से नई मंजूरीयों हेतु डिजिटल केसीसी एसटीपी को कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू किया गया है।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

- गैर-एसटीपी लीड जनरेशन प्रक्रियाएं जैसे केसीसी मत्स्य पालन, ईएनडब्ल्यूआर, एग्री क्लीनिक्स एवं एग्री बिजनेस सेंटर्स (एसीएबीसी), एसएचजी-एनआरएलएम तथा एसएचजी सदस्यों को व्यक्तिगत उद्यम ऋण (लखपति दीदी) उपलब्ध हैं।

12.7 वित्तीय समावेशन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वंचित वर्गों को सेवा प्रदान करने तथा अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने वाले अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोलना, पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा, तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते बिना बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यथा दिनांक 31 मार्च 2026 के अनुसार, बैंक ने ₹15,964.06 करोड़ की शेष राशि के साथ 3.40 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जबकि यथा दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुसार 3.21 करोड़ खातों में ₹13,266.06 करोड़ की शेष राशि थी। पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष 31 मार्च 2025 के ₹4,124 से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹4,692 हो गई है, जो निरंतर प्रगति को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमस्वनिधि योजना के अंतर्गत 1.27 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तपोषण प्रदान करने से स्पष्ट है, जबकि योजना के आरंभ से अब तक कुल 10.97 लाख आवेदन वित्तपोषित किए गए हैं। बैंक स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु ऋण सुविधाएं प्रदान करने तथा वंचित समुदायों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएमजेडीवाई खाते	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026
कुल पीएमजेडीवाई खाते (लाख में)	321.68	340.26
पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (₹ करोड़ में)	13266.06	15964.06
पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि (₹ में)	4124.00	4692.00

वित्तीय समावेशन पहलों के प्रमुख प्रेरक के रूप में कारोबार प्रतिनिधि (बीसी): कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आधारित वित्तीय

समावेशन मॉडल, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण वृद्धि प्रेरक के रूप में विकसित हुआ है, विशेष रूप से बिना बैंकिंग सुविधा वाले एवं वंचित वर्गों में। यह मॉडल सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति शिक्षित करने में भी सहायक है। यथा दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, यूनियन बैंक के पास 28,035 का सुदृढ़ कारोबार प्रतिनिधि नेटवर्क है। ये बीसी अखिल भारतीय स्तर पर 42 बैंकिंग सेवाएं समान रूप से प्रदान करते हैं, जिनमें खाता खोलना, नकद जमा, निकासी, ऋण आवेदन प्राप्त करना तथा बीमा एवं पेंशन योजनाओं के अंतर्गत नामांकन शामिल हैं।

यथा 31 मार्च, 2026 तक, बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि द्वारा उत्पन्न लीड्स के माध्यम से ₹2,042.85 करोड़ के खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई अग्रिम वितरित किए, जबकि 31 मार्च, 2025 तक ₹1,125.60 करोड़ था।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के अंतर्गत बैंक का कार्यानिष्पादन: भारत सरकार की सूक्ष्म बीमा एवं पेंशन योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का कार्यानिष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना	नामांकित खातों की संख्या
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	13,22,613
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	42,81,823
3	अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	9,37,045

पीएमस्वनिधि: 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने पीएमस्वनिधि योजना के अंतर्गत टूट 1, 2 एवं 3 में ₹1,733.30 करोड़ का वितरण किया है, जिससे अब तक 7.26 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने डीएफएस, भारत सरकार तथा एमओएचयूए (आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय) के निदेशों के अनुसार पीएमस्वनिधि लाभार्थियों के लिए पीएमस्वनिधि क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रारंभ की है। यह पहल विक्रेताओं को आवश्यकता अनुसार ऋण तक पहुंच प्रदान करेगी, जिससे उन्हें दैनिक व्यय पूरे करने तथा बदलती कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।

पीएम स्वनिधि		
आवेदन संख्या (लाख में)	राशि ₹ करोड़ में	
मंजूर आवेदन	11.14	1781.78
जिसमें से संवितरित आवेदन	10.96	1733.30

वित्तीय साक्षरता कैंप:

यथा दिनांक 31 मार्च 2026 के अनुसार, बैंक के पास 79 एफएलसी तथा 203 सीएफएल हैं, जो ग्रामीण एवं वंचित जनसंख्या को शिक्षित करने हेतु कैंप आयोजित कर रहे हैं। इन कैंपों में सरकारी प्रायोजित योजनाओं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं डिजिटल उत्पाद शामिल हैं, के साथ-साथ साइबर सुरक्षा खतरों एवं डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एफएलसी द्वारा 6,820 कैंप तथा सीएफएल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 84,513 कैंप आयोजित किए गए। बैंक ने जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 की 4 माह की अवधि के दौरान भारत सरकार के डीएफएस द्वारा प्रारंभ संतृप्ति अभियान के अंतर्गत 20,436 ग्राम पंचायतों में वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किए। इन कैंपों में प्रमुख गतिविधियां जैसे पीएमजेडीवाई खाते खोलना, पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन, एपीवाई के अंतर्गत नामांकन, सभी पात्र खाताधारकों का री-केवाईसी, निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों का सक्रियण, पात्र एसबी खातों में नामांकन अद्यतन, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता, अदावी जमा तक पहुंच के तरीके तथा शिकायत निवारण शामिल रहें।

बैंक ने 9 से 13 फरवरी 2026 तक आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह में सक्रिय भागीदारी की, जिसका विषय था "केवाईसी - सुरक्षित बैंकिंग की ओर आपका पहला कदम" तथा लगभग 1,127 कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

इन कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया तथा इनमें ग्राहकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, साथ ही बैंक के वरिष्ठ/शीर्ष अधिकारियों द्वारा भी इनका निरीक्षण किया गया।

13. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2025 तक ₹37,413 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2026 को ₹38,260 करोड़ रहा। बैंक की विदेशों में दो शाखाएँ डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में हैं, तथा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से संचालन करता है। विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम पोर्टफोलियो 31 मार्च,

2026 तक ₹37,657 करोड़ रहा, जो 31 मार्च 2025 को ₹36,919 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विदेशी शाखाओं का निवल लाभ ₹258 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹190 करोड़ था।

13.1 व्यापार वित्तपोषण:

बैंक भारत और विदेशों में फैले अपने व्यापक और सभी सुविधायुक्त शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है। व्यापार वित्तपोषण पोर्टफोलियो के सुव्यवस्थित विकास के लिए देश भर में फैली 121 अधिकृत शाखाएँ, केंद्रीकृत व्यापार वित्त प्रसंस्करण केंद्र और केंद्रीकृत स्विफ्ट बैंक ऑफिस मौजूद हैं। बैंक बाजार की मांग और बदलते नियामक मानदंडों के अनुरूप ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।

बैंक ने घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों/ प्रतिनिधि बैंकों तथा व्यापारिक समुदाय के बीच एक सुदृढ़ कड़ी बनाकर उनके बीच तालमेल और व्यापार प्रवाह में सुधार किया है।

13.2 प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध:

अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं लेन-देन को सुगम बनाने के लिए, बैंक के 93 देशों के 829 बैंकों के साथ आरएमए संबंध हैं और 34 बैंकों में, 14 अलग-अलग मुद्राओं में बैंक के नोस्ट्रो खाते हैं।

13.3 व्यापार वित्तपोषण समाधान - ट्रेड नेक्स्ट:

विदेशी मुद्रा लेन-देन को डिजिटल बनाने की दिशा में, बैंक ने "ट्रेड नेक्स्ट" नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इन लेन-देनों के प्रसंस्करण के लिए मुंबई और मंगलूरु में स्थित केंद्रीकृत व्यापार वित्त प्रसंस्करण केंद्र परिचालित हैं।

ट्रेड नेक्स्ट एक अद्वितीय डिजिटल व्यापार सेवा मंच है, जिसके माध्यम से हमारे ग्राहक अपनी सुविधानुसार और कुशलतापूर्वक विदेशी मुद्रा लेन-देन कर सकते हैं। यह मंच निर्यात, आयात, गारंटी और विप्रेषण सहित सभी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन का समर्थन करता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- ❖ **सुविधा** - घर या ऑफिस से ही सेवा का लाभ उठाएं।
- ❖ **24x7 उपलब्धता** - व्यापार संबंधी लेन-देन चौबीसों घंटे किए जा सकते हैं।
- ❖ **अनुकूलन**- वैयक्तिकृत डैशबोर्ड, अनुकूलित टेम्पलेट।

**प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण**

- ❖ **डिजिटलीकरण के माध्यम से कागज़रहित बैंकिंग-** सभी व्यापारिक लेन-देनों के प्रबंधन के लिए समर्पित पोर्टल, सलाह सूचनाओं और स्विफ्ट संदेशों की स्वचालित मेलिंग.
- ❖ **कार्य-क्षमता** - डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण के कारण डिलिवरी समय (टीएटी) में काफी सुधार हुआ है.
- ❖ **संपर्क अधिकारी** - समर्पित संपर्क अधिकारियों के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा.
- ❖ **अनुपालन-** विनियामक मानदंडों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन.

समय के साथ, व्यापार वित्त प्रसंस्करण केंद्र (टीएफपीसी) व्यापार वित्त लेनदेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और ग्राहक 'ट्रेड नेक्स्ट' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे फॉरेक्स बैंक ऑफिस का परिचालन सुदृढ़ हो रहा है.

विदेशी मुद्रा लेनदेन के अलावा, टीएफपीसी घरेलू एलसी और गारंटी का केंद्रीकृत प्रसंस्करण भी करते हैं.

स्विफ्ट नेटवर्क पर सीमा पार लेन-देन को संभालने और संदेशों के सुचारू और पूरी तरह से सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में एक केंद्रीकृत स्विफ्ट बैंक ऑफिस स्थापित किया गया है.

इन संवर्द्धनों का उद्देश्य परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और हमारे ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है.

13.4 केंद्रीकृत ओडीआई, एफडीआई और ईसीबी कक्ष:

बैंक ने ओडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और ईसीबी लेनदेन से संबंधित विनियामक अनुपालन के अनुमोदन, रिपोर्टिंग और अनुश्रवण के लिए स्वयं द्वारा प्रबंधित नोडल कार्यालय स्थापित किया है. यह आरबीआई को आवधिक रिपोर्टिंग के साथ ओडीआई आवेदनों का समयबद्ध प्रसंस्करण, आरबीआई पोर्टल के माध्यम से एफडीआई रिपोर्टिंग का प्रबंधन, और पूंजी खाते के मामलों पर शाखाओं और आरबीआई के साथ समन्वय करते हुए नए एवं संशोधित ईसीबी आवेदनों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है.

13.5 निर्यातकों/आयातकों की बैठक:

बैंक शाखाओं, व्यापारिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर निर्यात ऋण के विकास को बढ़ावा देता है. बैंक द्वारा प्रदत्त बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संभावित केंद्रों पर पूरे भारत में निर्यातकों/आयातकों की बैठकें और संपर्क अभियान आयोजित किए गए.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 118 नए ग्राहकों को हमारे निर्यात ऋण पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है.

13.6 निर्यात ऋण:

बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो यथा दिनांक 31.03.2026 तक ₹22,453 करोड़ रहा.

बैंक पिछले 3 वर्षों से इस सेगमेंट में पीएसबी के बीच लगातार दूसरा सबसे बड़ा स्थान बनाए हुए है.

13.7 नई पहल / उत्पाद:

- बैंक ने 'यूनियन निर्यात सुगम' और 'यूनियन निर्यात प्रोत्साहन योजना' नामक समर्पित निर्यात ऋण योजनाएं शुरू की हैं, जो विशेष रूप से एमएसएमई और विनिर्माण निर्यातकों के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं, प्रतिस्पर्धी कीमतों और बेहतर पहुंच के साथ बिना किसी संपार्श्विक के/लचीला निर्यात वित्त प्रदान करती हैं.
- बैंक आईआईबीएक्स, गिफ्ट सिटी के साथ विशेष श्रेणी का ग्राहक (एससीसी) बन गया है, जो बेहतर मूल्य खोज एवं कम लागत के साथ बुलियन आयात तक सीधी पहुंच को सक्षम बनाता है.

14 ट्रेजरी

14.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक का ट्रेजरी कार्य चलनिधि एवं लाभप्रदता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक भूमिका निभाता रहा. यह एक विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, जो बैंक के व्यापक कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ अपनी गतिविधियों को संरेखित करता है, जिसमें संतुलित जोखिम प्रोफाइल बनाए रखते हुए रिटर्न को अनुकूलित करने पर स्पष्ट ध्यान दिया जाता है. ट्रेजरी ने स्थापित नीति दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क के भीतर ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया.

14.2 ट्रेजरी ने नकदी प्रबंधन के प्रति एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें विभिन्न अल्प-कालिक मुद्रा बाजार लिखतों एवं विदेशी मुद्रा परिचालनों का उपयोग किया गया. ट्रेजरी ने एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेशों का एक संतुलित मिश्रण उपयुक्त परिपक्वता अवधि के साथ बनाए रखा, जिससे लाभप्रदता सुनिश्चित हुई और साथ ही बैंक के वित्तीय स्थिति की सुरक्षा भी हुई. इसके साथ ही, उच्च पूंजी-गहन लिखतों पर निर्भरता कम करके और कार्यनीतिक रूप से कम पूंजी-गहन विकल्पों की ओर रुख करते हुए पूंजी संरक्षण के लिए सजग प्रयास किए गए, जिससे पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीडी) जैसे प्रमुख वित्तीय सूचकांक में सुधार हुआ.

14.3 दूरदर्शी कार्यनीति द्वारा निर्देशित, ट्रेजरी ने अनुकूल ब्याज दर अवधि के दौरान एक सुदृढ़ निवेश पोर्टफोलियो के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अनुमोदित नीति मानदंडों के अनुरूप परिपक्वता अवधि बनाए रखने से निरंतर ट्रेजरी आय जनरेट करना सक्षम हुआ। इसके अतिरिक्त, ट्रेजरी ने विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट, तथा सरकारी प्रतिभूतियों, ब्याज दर वायदा और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स के बीच उपलब्ध विभिन्न आर्बिट्राज अवसरों का सक्रिय रूप से अन्वेषण किया। इस प्रकार की कार्यनीतिक स्थिति ने बैंक को बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने और समग्र प्रतिफल को बढ़ाने में सहायता की।

14.4 यह स्वीकार करते हुए कि मानव पूंजी कार्यनिष्पादन का एक प्रमुख प्रवर्तक है, ट्रेजरी ने अपनी जनबल क्षमताओं को मजबूत करने में भी निवेश किया। आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से, सभी परिचालन स्तरों पर टीम के कौशल एवं दक्षता में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। समानांतर रूप से, ट्रेजरी ने मौजूदा ग्राहकों को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने बिक्री कार्य को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। बिक्री टीम के विस्तार ने प्राथमिक डीलर (पीडी) कारोबार को जुटाने में और सहायता की, जिससे समग्र कारोबार विकास में योगदान मिला।

14.5 इन कार्यनीतिक पहलों के परिणाम वर्ष के दौरान ट्रेजरी के कार्यनिष्पादन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए। बैंक ने निवेशों से ₹ 2,952 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसे ₹ 1,076 करोड़ के विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से और सुदृढ़ किया गया। इन दोनों को मिलाकर, कुल ट्रेजरी आय ₹ 4,028 करोड़ रही, जो इसके परिचालन एवं कार्यनीतिक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।

14.6 परिचालन उपलब्धियों के अतिरिक्त, ट्रेजरी ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण पहल कीं। वर्ष के दौरान, डीलिंग रूम के ट्रेडिंग सिस्टम को उन्नत सॉफ्टवेयर समाधानों के साथ अपग्रेड किया गया, जिससे परिचालन दक्षता एवं ट्रेडिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन उन्नयन से त्वरित निर्णय-निर्माण, ट्रेड के बेहतर निष्पादन तथा ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना संभव हुआ। उन्नत फिनेकल ट्रेजरी सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन ने गतिशील बाजार स्थितियों में ट्रेजरी की सटीकता एवं तीव्रता के साथ कार्य करने की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाया।

14.7 समग्र रूप से, ट्रेजरी कार्य ने वित्तीय वर्ष के दौरान सुदृढ़ता, कार्यनीतिक दूरदर्शिता तथा परिचालन उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। जोखिम, नवाचार और विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए, इसने बैंक की लाभप्रदता में सार्थक योगदान देते हुए वित्तीय कार्यनिष्पादन के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।

15 आस्ति गुणवत्ता

15.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यनिष्पादन:

जीएनपीए यथा मार्च 2025 तक ₹35,350 करोड़ से घटकर यथा मार्च 2026 तक ₹30,401 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की नकद वसूली, उन्नयन तथा अन्य वसूली एवं कमी से संबंधित आंकड़े का विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26
जीएनपीए यथा दिनांक 31.03.2025 तक	35,350
जीएनपीए यथा दिनांक 31.03.2026 तक	30,401
नकद वसूली	4,404
डमी लेजर वसूली	1,931
बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	3,997
सकल नकद वसूली	10,464*
उन्नयन	2,543
कुल नकद वसूली + उन्नयन	13,007
सकल एनपीए का %	2.82

* इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 132 करोड़ के व्यय की वसूली शामिल है।

15.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शुरू की गई वसूली कार्यनीतियाँ:

- विशेषीकृत वसूली शाखाओं/क्षेत्रों/अंचलों/प्राधिकृत अधिकारियों के बीच एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया गया।
- नीलामी के लिए प्रस्तावित संपत्तियों के लिंक वाले क्यूआर कोड को परिचालित करके ई-नीलामी का प्रचार-प्रसार बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक द्वारा सरफेसी के तहत ₹1414 करोड़ मूल्य की 2013 संपत्तियों की बिक्री की गई।
- केंद्रीय कार्यालय के कार्यपालकों की उपस्थिति में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को मेगा ओटीएस शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि ओटीएस और अन्य वसूली उपायों पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
- इरादतन चूक के मामलों की शीघ्र जांच।
- एनसीएलटी मामलों का केंद्रित अनुश्रवण और सीआईआरपी मामलों में फील्ड को समय पर मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करना।
- डीआरटी मामलों को संभालने में अधिवक्ताओं के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

- डीएलएसए और डीआरटी अधिकारियों के समन्वय से अतिरिक्त लोक अदालतों का आयोजन. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक द्वारा विभिन्न लोक अदालतों में ₹2000 करोड़ से संबंधित 68702 खातों का निपटान किया गया.
- वसूली संबंधी मामलों पर नियमित अनुवर्तन कार्य के लिए सैमवी, केंका में अलग-अलग अधिकारियों को क्षेत्र आवंटित किए गए हैं.
- ओटीएस की अतिदेय राशि की वसूली के लिए क्षेत्र कर्मियों से नियमित रूप से अनुवर्तन.
- एआरसी/एनबीएफसी/एनएआरसीएल/वित्तीय संस्थानों को ऋण का समनुदेशन करके वसूली को अधिकतम करना. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹1503.68 करोड़ के बकाया शेष वाले 15 खाते एआरसी/एनबीएफसी/ एनएआरसीएल/ वित्तीय संस्थानों को समनुदेशित किए गए हैं.

15.3 सैम वर्टिकल संरचना का पुनर्गठन

- सैम वर्टिकल में तीन महाप्रबंधक केंद्रित वसूली प्रयासों को आगे बढ़ाने के स्पष्ट दायित्व के साथ पदस्थ किए गए. बेहतर जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक महाप्रबंधक को विशिष्ट अंचल/क्षेत्र आवंटित करते हुए भौगोलिक मैपिंग की जाएगी. इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:
 - खाता-वार अनुवर्तन को तीव्र करना
 - दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करना
 - ऑन-ग्राउंड पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना तथा अंचलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना
- उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में एनपीए के समाधान पर विशेष कार्यनीतिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, अर्थात:
 - पूल बायआउट एवं को-लेंडिंग पोर्टफोलियो
 - आवास ऋण
 - वाहन ऋण
 - क्रेडिट कार्ड
 - स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अग्रिम
- यह लक्षित दृष्टिकोण इन महत्वपूर्ण खंडों में **वसूली की गति को तेज करने**, समाधान परिणामों का अनुकूलन करने तथा समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने की अपेक्षा करता है.

16 रिलेशनशिप बैंकिंग

बैंक ने वर्ष 2025-2026 के दौरान संपदा प्रबंधन वर्टिकल के माध्यम से ₹ 514.21 करोड़ की आय अर्जित की.

16.1 वर्ष के दौरान की गई पहलें

- बैंक के उच्च आय वाले ग्राहकों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपदा संबंध प्रबंधकों को उनसे जोड़ा गया था.
- बीमा कारोबार संचालित करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति (एसपी) प्रमाणित कर्मचारियों की संख्या 18131 से बढ़कर 19572 हो गई है. कर्मचारियों को बेहतर उत्पाद ज्ञान और अद्यतन विनियामक दिशानिर्देशों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.
- म्यूचुअल फंड कारोबार को संचालित करने के लिए ईयूआईएन धारक कर्मचारियों की संख्या 394 से बढ़कर 758 हो गई है.
- सितंबर 2025 के दौरान, वर्टिकल ने जीवन बीमा श्रेणी के अंतर्गत 97.50% से अधिक शाखाओं को सक्रिय कर दिया था.
- बैंक के ग्राहकों के लिए पर्याप्त बीमा पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना.
- बीमा-एसबीए प्रक्रिया को हमारे कारोबार साझेदार सूट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से जीवन बीमा खंड के लिए कार्यान्वयन लाइव किया गया है.

16.2. वर्ष 2025-26 में लॉन्च किए गए नए उत्पाद:

म्यूचुअल फंड एनएफओ: यूनिशन म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित चार एनएफओ लॉन्च किए गए:

- यूनिशन डायवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड ऑफ फंड
- यूनिशन कन्ज़म्पशन फंड
- यूनिशन इनकम प्लस आर्बिट्रज एक्टिव फंड ऑफ फंड
- यूनिशन लो ड्यूरेशन फंड

16.3 डिजिटल पहल:

- मेसर्स फिनटेक ब्लू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बीमा कारोबार के लिए मोबाइल ऐप और शाखा पोर्टल पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है. सुड लाइफ, इंडियाफर्स्ट लाइफ, केयर हेल्थ, मणिपाल सिग्ना, बजाज जनरल, चोला एमएस जनरल और यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के 44 बीमा उत्पाद इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

- पॉलिसी नवीकरण, बीमा दावे करना, कमीशन का मिलान आदि जैसी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए विकास कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
- म्यूचुअल फंड निवेश के लिए उपलब्ध 20 शीर्ष एएमसी की योजनाओं वाला शाखा पोर्टल (यूनियन इन्वेस्ट)।

17 सरकारी कारोबार

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं अर्ध-स्वायत्त संस्थानों के लिए कार्यनीतिक साझेदारियों और प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग समाधानों के माध्यम से सरकारी कारोबार खंड में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। बैंक ने 17 समझौता ज्ञापनों को निष्पादित एवं नवीनीकृत किया तथा वेतन खातों, पेंशन कारोबार और वेतन पोर्टल समाधानों से संबंधित प्रमुख संगठनों के साथ संस्थागत टाई-अप को अनुमोदित किया। इन साझेदारियों से देशभर में कासा वृद्धि, खुदरा ऋण विस्तार तथा संस्थागत संबंधों को गहरा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने की अपेक्षा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा पहलों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान 6.55 लाख लघु बचत खाते तथा 62,065 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते मोबिलाइज किए गए। ग्राहक सुविधा एवं डिजिटल पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, यूनियन बैंक ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई चैनल के माध्यम से जीएसटी भुगतान की सुविधा सक्षम की, डेबिट कार्ड के जरिए प्रत्यक्ष कर भुगतान को सुगम बनाया, तथा अपने डिजिटल बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से एनपीएस खाते खोलने की पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त, बैंक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 36 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) में केंद्रीकृत सहमति प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन हेतु विशेष बैंकिंग भागीदार के रूप में नामित किया गया है, जो लगभग ₹ 4,000 करोड़ के वार्षिक लेनदेन प्रवाह के साथ एक महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर सृजित करता है। ये उपलब्धियाँ नवाचार, संस्थागत सहयोग तथा ग्राहक-केंद्रित डिजिटल समाधानों के माध्यम से अपने सरकारी कारोबार पोर्टफोलियो के विस्तार के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

18 मानव संसाधन प्रबंधन

18.1 मानव संसाधन की कार्यनीतिक भूमिका

“एक सुदृढ़ संस्था की पहचान केवल उसके कार्यनिष्पादन से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने लोगों को कितना महत्व देती है, उनका समर्थन करती है और उन्हें सशक्त बनाती है।”

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कर्मचारियों को बैंक की सबसे मूल्यवान् आस्ति और संवहनीय विकास एवं सेवा उत्कृष्टता के मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। बढ़ती जटिलता और तीव्र परिवर्तन वाले बैंकिंग परिवेश में, मानव संसाधन गतिविधि ने कारोबार के लिए एक कार्यनीतिक भागीदार के रूप में विकसित होना जारी रखा है।

पारंपरिक प्रशासनिक भूमिकाओं से परे, मानव संसाधन कार्य ने एक सक्षम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो पारदर्शी नीतियों, स्पष्ट रूप से परिभाषित कैरियर मार्गों और निरंतर संवाद के माध्यम से कर्मचारियों का समर्थन करता है। एक कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण पर निरंतर जोर दिया गया जो कर्मचारी कल्याण तथा पेशेवर विकास के साथ परिचालन प्राथमिकताओं को संतुलित करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सम्मान, समावेशिता, देखभाल और विकास के अवसरों की विशेषता वाले कर्मचारी केन्द्रित कार्य वातावरण को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। बैंक का मानना है कि एक प्रेरित, संलग्न एवं अच्छी तरह समर्थित कार्यबल ग्राहक के विश्वास को बनाए रखने, उत्तरदायी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अनिवार्य है।

बैंक की मानव संसाधन कार्यनीति नेक्स्ट जेनरेशन, डिजिटल रूप से सक्षम संस्थान बनने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि इसके लोगों की प्रथाएं सहानुभूतिपूर्ण, समावेशी और अपने कार्यबल की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों।

18.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख कार्यनीतिक मानव संसाधन पहलें:

18.2.1 आईएसओ 30414:2025 – मानव पूंजी रिपोर्टिंग एवं डिजिटल सक्षमता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आईएसओ 30414:2018 से आईएसओ 30414:2025 में परिवर्तन के माध्यम से अपने मानव पूंजी गवर्नेंस को सुदृढ़ किया, जो मानव पूंजी रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह परिवर्तन प्रमुख मानव पूंजी क्षेत्रों में कार्यबल मेट्रिक्स की मानकीकृत, सुसंगत एवं तुलनात्मक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है, जो उभरती ईएसजी एवं संवहनीयता प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है।

इस फ्रेमवर्क को परिचालित करने हेतु, बैंक ने आईएसओ-संरेखित एक समर्पित डिजिटल डेटा कैप्चर मॉड्यूल कार्यान्वित किया, जो मानव पूंजी जानकारी के केंद्रीकृत, सुरक्षित एवं लेखापरीक्षण योग्य प्रबंधन को सक्षम बनाता है। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, सुदृढ़ आंतरिक विश्लेषण एवं निगरानी का समर्थन करती है, तथा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप विश्वसनीय बाह्य प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

18.2.2 कार्यनिष्पादन प्रबंधन एवं सम्मान में संवर्धन

बैंक एक सुदृढ़, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है, जिसे संगठनात्मक प्राथमिकताओं एवं दीर्घकालिक कार्यनीतिक परिणामों के साथ व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन को संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में निष्पक्षता, सुसंगतता एवं वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहित करने हेतु पीएमएस फ्रेमवर्क को और मजबूत किया गया, जिससे व्यक्तिगत उपलब्धियों और संस्थागत लक्ष्यों के बीच बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।

पुरस्कार एवं सम्मान व्यवस्था जवाबदेही एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण बनी रही, जिसमें उच्च प्रभाव वाले योगदानों को मान्यता देने पर निरंतर बल दिया गया।

कारोबार इकाई प्रमुखों के लिए लीडरशिप जवाबदेही और कार्यनिष्पादन स्वामित्व को सुदृढ़ करने हेतु एक संरचित, योग्यता-आधारित कार्यनिष्पादन विभेदन एवं सक्षमीकरण फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। लीडर्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित केआरए के आधार पर, जो कारोबार विकास, आस्ति गुणवत्ता, अनुपालन, ग्राहक अनुभव तथा कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को समाहित करते हैं, उनके निरंतर कार्यनिष्पादन के आधार पर ट्रेल्ब्लेजर, अचीवर्स या एस्पिरर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले लीडर्स को सुविचारित करियर-संबद्ध प्रोत्साहनों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, जिसमें उन्नति के लिए प्राथमिकता, प्रीमियम पदस्थापन, उन्नत एपीएआर रेटिंग, लीडरशिप मार्गदर्शन तथा कार्यनीतिक एवं वैश्विक शिक्षण प्लेटफॉर्म के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समवर्ती रूप से, सतत कार्यनिष्पादन सुधार एवं लीडरशिप विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित कार्यनिष्पादन सुधार तंत्र लागू किया गया है, जिसमें प्रारंभिक पहचान, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, लक्षित क्षमता-निर्माण हस्तक्षेप, मार्गदर्शन सहायता तथा आवधिक कार्यनिष्पादन समीक्षा शामिल हैं।

उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले लीडर्स को सुविचारित करियर उन्नति के अवसरों, लीडरशिप दृश्यता तथा लक्षित विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही, संरचित सहायता तंत्र—जिसमें प्रारंभिक कार्यनिष्पादन फ्लैगिंग, मार्गदर्शन, लक्षित क्षमता-निर्माण तथा निगरानी आधारित सुधार योजनाएँ शामिल हैं—यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को कार्यनिष्पादन परिणामों को बढ़ाने के लिए उचित विकासोन्मुख सहयोग प्राप्त हो।

बैंक ने संगठन के भीतर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पहचानने एवं प्रोत्साहित करने हेतु एक संरचित ढांचा स्थापित किया है। असाधारण कार्यनिष्पादन करने वाले खिलाड़ियों को नियमित पदोन्नति से हटकर पदोन्नति, कार्यनिष्पादन-संबद्ध वेतन वृद्धि तथा मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से

पुरस्कृत किया जाता है, जिससे पेशेवर जिम्मेदारियों से परे उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जाता है। शीर्ष अचीवर्स को “अंचल के स्पोर्ट्स स्टार” के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, जिससे उनकी उपलब्धियों को मान्यता मिलती है और वे बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित होते हैं। ब्रांडिंग एवं कारोबार विकास पहलों में उनकी भागीदारी बैंक की दृश्यता और पहुँच को और सुदृढ़ करती है। ऐसी पहलें उत्कृष्टता, अनुशासन एवं संगठनात्मक गौरव की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

बैंक ने परिवर्तनकारी पहलों के समर्थन, सुदृढ़ गवर्नेंस तथा संगठनात्मक निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी कर्मचारियों के अनुभव एवं संस्थागत ज्ञान का प्रभावी उपयोग करने हेतु एक संरचित नीति लागू की है। यह नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं एवं प्रक्रियाओं को स्थापित करती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुपालन सुनिश्चित होते हैं, साथ ही गतिशील वातावरण में सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाया जाता है।

यह पहल बैंक के लिए गवर्नेंस मानकों को सुदृढ़ करने, महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने तथा कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के सुचारू निष्पादन की सुविधा प्रदान करने में लाभकारी है। कर्मचारियों के लिए, यह पारंपरिक भूमिकाओं से परे सार्थक योगदान देने के अवसर प्रदान करती है, ज्ञान-साझाकरण एवं मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करती है, तथा पेशेवर संलग्नता को सक्षम बनाता है, जिससे मूल्य, मान्यता एवं संगठनात्मक जुड़ाव की भावना को सुदृढ़ किया जाता है।

18.2.3 कर्मचारी सहभागिता एवं कल्याण

“संगठन तभी फलते-फूलते हैं जब कर्मचारी स्वयं को देखभाल, सहयोग और समझे जाने का अनुभव करते हैं।”

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर्मचारी कल्याण एवं सहभागिता बैंक की मानव संसाधन नीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहा। मानव संसाधन विभाग ने कर्मचारी-केंद्रित पहलों का एक व्यापक समूह लागू किया, जिसका उद्देश्य समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करना था—जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को सम्मिलित किया गया—साथ ही कार्य-जीवन संतुलन एवं संगठनात्मक जुड़ाव को सुदृढ़ करना भी शामिल रहा।

फ्रंटलाइन एवं फील्ड-स्तरीय कर्मियों के समर्थन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके अंतर्गत सुदृढ़ संस्थागत सहायता तंत्र, कल्याणकारी उपायों तथा उत्तरदायी सहभागिता तंत्र को मजबूत किया गया। इन पहलों ने कर्मचारियों के मनोबल, सुदृढ़ता, उत्पादकता तथा समग्र कार्य संतुष्टि में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे पूरे संगठन में एक सकारात्मक एवं समावेशी कार्य संस्कृति को और सुदृढ़ किया गया है।

18.2.3(i) कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत – (सपोर्टिंग वेलनेस एवं रेसिलेंस) - बैंक ने कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुलभ एवं समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक संरचित कर्मचारी सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में डेस्क योग सत्र, वेलनेस वेबिनार तथा जागरूकता अभियानों सहित विभिन्न पहलें शामिल हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य दिवस और आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रमों का आयोजन भी शामिल है। इन पहलों ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इससे जुड़े कलंक को कम करने तथा सक्रिय आत्म-देखभाल को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण, एकाग्रता तथा कार्यस्थल पर उनकी सहभागिता में सकारात्मक सुधार देखा गया है।

18.2.3 (ii) वन-टू-वन काउंसलिंग सहायता

बैंक ने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को गोपनीय परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु मेसर्स ईएपी इंडिया को सूचीबद्ध किया है।

यह कार्यक्रम मल्टी-मॉडल एक्सेस (टेलीफोनिक, वीडियो तथा प्रत्यक्ष) के साथ 24x7 उपलब्धता और सख्त गोपनीयता प्रोटोकॉल प्रदान करता है। इसमें संकट हस्तक्षेप, परिवार एवं मातृत्व परामर्श, तथा बहुभाषीय समर्थन जैसी विशेष सेवाएँ शामिल हैं। इस पहल ने कर्मचारियों को व्यक्तिगत एवं कारोबारी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने, भावनात्मक सुदृढ़ता बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाया है, जिससे कार्यस्थल की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।

18.2.3 (iii) डॉक्टर टेली-कंसल्टेशन सेवाएँ

बैंक ने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चौबीसों घंटे टेली-परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु मेसर्स आर्कोफेमी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (मेडिकली) को सूचीबद्ध किया है।

यह प्लेटफॉर्म ई-प्रिस्क्रिप्शन, निवारक स्वास्थ्य परामर्श, पोषण सलाह तथा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ-साथ फोन, वीडियो तथा चैट-आधारित इंटरफेस के माध्यम से सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस पहल ने समय पर और सुविधाजनक चिकित्सा सहायता तक कर्मचारियों की पहुंच में काफी वृद्धि की है, जिससे शारीरिक परामर्श की आवश्यकता को कम करते हुए प्रारंभिक निदान और उपचार संभव हुआ है। इसने विभिन्न स्थानों पर उपचार की निरंतरता को बेहतर बनाया है, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ किया है, कार्य-समय-सारणी में व्यवधान को कम किया है तथा समग्र कल्याण और कार्यस्थल उत्पादकता में वृद्धि में योगदान दिया है।

18.2.3 (iv) ऑनलाइन योग एवं ध्यान कार्यक्रम

बैंक ने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए संरचित ऑनलाइन योग, ध्यान एवं माइंडफुलनेस कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मेसर्स हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट को शामिल किया है। इस कार्यक्रम में लाइव एवं रिकॉर्डेड सत्र, शुरुआती-अनुकूल मॉड्यूल, विषयगत वेलनेस कैलेंडर तथा विशेष सत्र शामिल हैं, जिनमें दिव्यांग कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए सत्र भी शामिल हैं। यह पहल एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाती है और तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन एवं चिंतनशील प्रथाओं पर केंद्रित है, जिससे समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है तथा मानसिक स्पष्टता, सुदृढ़ता और कर्मचारियों की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

18.2.3 (v) “यूनियन धारा,” “यूनियन सृजन” और “बैंकिंग अपडेट” जैसी प्रकाशनों सहित विभिन्न आंतरिक संचार मंचों तथा “यूनियन रेडियो” और “यूनियन पॉडकास्ट” जैसे ऑडियो-विजुअल माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर्मचारी संलग्नता एवं कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु किया गया। इन प्लेटफॉर्मों ने समयबद्ध सूचना प्रसार, ज्ञान साझा करने तथा संगठनात्मक संरिखण को प्रोत्साहित किया, साथ ही कर्मचारियों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया तथा कार्यबल में समावेशन और अपनापन की भावना को सुदृढ़ किया।

18.3 कर्मचारियों का सम्मान

“समर्पण और मूल्यों के लिए कर्मचारियों को सम्मान देना न केवल मनोबल को सुदृढ़ करता है, बल्कि संस्थान को भी मजबूत बनाता है।”

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कर्मचारियों को सम्मानित करना एक सहभागितापूर्ण, समावेशी और मूल्य-आधारित संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण का अभिन्न हिस्सा है। बैंक का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के योगदान, सेवा-उपलब्धियों (माइलस्टोन्स) और सामूहिक सफलताओं को सम्मान देने से प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है, संगठनात्मक मूल्यों को मजबूती मिलती है और अपनेपन की मजबूत भावना विकसित होती है। वित्तीय वर्ष 2022-26 के दौरान की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

18.3(i) परिवार एवं खेल दिवस

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खेल प्रतियोगिताओं और परिवार दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से सहभागिता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखा। इन पहलों ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को औपचारिक कार्य वातावरण से परे आपस में जुड़ने



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

के लिए मूल्यवान मंच प्रदान किए, जिससे व्यक्तिगत संबंध मजबूत हुए और संगठन के भीतर अपनत्व की भावना को बढ़ावा मिला। खेल प्रतियोगिताओं ने शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित किया, जबकि परिवार दिवस समारोह ने कर्मचारियों की पेशेवर जिम्मेदारियों के समर्थन में उनके परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। ऐसी पहलें बैंक की कर्मचारी मनोबल को बढ़ाने, संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करने और संतुलित एवं समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

18.3 (ii) एचआर सप्ताह

एचआर सप्ताह का आयोजन बैंक की निरंतर सफलता में मानव संसाधन की कार्यनीतिक महत्ता को रेखांकित करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारी सहभागिता को बढ़ाना, एचआर नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना, तथा कर्मचारियों और नेतृत्व के बीच रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना था—जिससे ऐसे अनुभव सृजित हों जिन्हें प्रतिभागी लंबे समय तक याद रखें और संजो कर रखें।

18.3 (iii) महिला दिवस

महिला दिवस के आयोजन ने विविधता, समानता और समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया। इस पहल ने महिला कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित किया और सशक्तिकरण, समान अवसरों तथा लीडरशिप विकास के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिससे ऐसे सार्थक क्षण निर्मित हुए जिन्हें कर्मचारी लंबे समय तक संजो कर रखेंगे।

18.3 (iv) हिंदी दिवस

हिंदी दिवस का आयोजन आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। यह पहल बैंक की राजभाषा नीति के प्रगतिशील कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है, साथ ही कर्मचारियों के बीच सांस्कृतिक गौरव की भावना को बढ़ावा देती है, जिसे कर्मचारी संजोते रहेंगे।

18.3 (v) स्टाफ बैठक

स्टाफ बैठक संवाद, सहभागिता और संगठनात्मक प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रभावी मंच के रूप में कार्य किया। इन बैठकों ने खुला संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच बेहतर जुड़ाव की सुविधा प्रदान की—ऐसे अनुभव

जो विश्वास को मजबूत करते हैं और कर्मचारियों द्वारा मूल्यवान माने जाते हैं।

18.3 (vi) माइलस्टोन पुरस्कार – दीर्घकालीन सेवा एवं अधिवर्षिता

बैंक ने कर्मचारियों को उनकी दीर्घकालिक और समर्पित सेवा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसे 15 एवं 25 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर, तथा अधिवर्षिता के समय सम्मानित किया। ये सम्मान उनके निरंतर समर्पण का उत्सव हैं और ऐसे गौरवपूर्ण क्षण निर्मित करते हैं जिन्हें कर्मचारी और उनके परिवार लंबे समय तक संजोकर रखेंगे।

18.3 (vii) सम्मान एवं प्रशंसा समारोह

व्यक्तियों तथा टीमों द्वारा अनुकरणीय कार्यनिष्पादन एवं महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने हेतु सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जिससे उत्कृष्टता की संस्कृति को और सुदृढ़ किया गया तथा स्थायी मान्यता अनुभव सृजित किए जिन्हें कर्मचारी लंबे समय तक संजोकर रखेंगे।

इन पहलों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी-अनुकूल कार्य वातावरण को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है, जहाँ समर्पण को महत्व दिया जाता है, उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाता है, और कर्मचारी स्वयं को सम्मानित एवं संगठन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सेवा और कार्यनिष्पादन दोनों को मान्यता प्रदान करके, बैंक अपनी मानव पूंजी नींव को और मजबूत कर रहा है, साथ ही ऐसे अनुभवों का सृजन कर रहा है जिन पर कर्मचारी गर्व करते हैं और जिन्हें वे संजोकर रखते हैं, जिससे संगठन की दीर्घकालिक सुदृढ़ता एवं विकास को समर्थन मिलता है।

18.4. मानव संसाधन रूपान्तरण एवं डिजिटल सक्षमता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कर्मचारी सुविधा, पहुंच और प्रक्रिया दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित ध्यान के साथ अपने एचआर रूपांतरण एजेंडा को आगे बढ़ाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण ने एचआर प्रक्रियाओं के सरलीकरण, मैनुअल हस्तक्षेप कम करने और प्रमुख कर्मचारी जीवनचक्र सेवाओं में पारदर्शिता में सुधार करने में सक्षम बनाया। इन पहलों ने कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए सूचना, सहायता और एचआर सेवाओं तक समय पर और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करके सेवा प्रदायगी को और मजबूत किया है, जिससे विश्वास, सहभागिता और परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने प्रमुख कर्मचारी-केंद्रित प्लेटफॉर्म—**यूनियन परिवार (एचआरएमएस), एकम (कार्यनिष्पादन प्रबंधन)**

और यूनियन विद्या (ज्ञानार्जन एवं विकास) की पहुंच और समावेशिता को वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डबल्यूसीएजी) के अनुरूप बनाकर और सुदृढ़ किया। यह पहल विभिन्न कर्मचारी समूहों में एचआर सेवाओं, ज्ञानार्जन संसाधनों और आंतरिक संचार प्रणालियों तक निरंतर, उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं बाधारहित पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे पहुंच की आवश्यकता वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।

डबल्यूसीएजी मानकों को अपनाने से सिस्टम की उपयोगिता में वृद्धि हुई, पहुंच-संबंधित निर्भरताएँ कम हुईं तथा बड़े स्तर पर एकरूप अपनाने को सक्षम बनाया गया। यह दृष्टिकोण बैंक की अपने डिजिटल एचआर इकोसिस्टम में समावेशन को शामिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही गवर्नेंस को मजबूत करता है, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित करता है।

18.5 प्रतिभा अर्जन एवं विकास

बैंक ने अपने प्रतिभा अर्जन एवं विकास फ्रेमवर्क को निरंतर सुदृढ़ किया, यह मानते हुए कि एक कुशल, विविधतापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल निरंतर विकास, बेहतर ग्राहक अनुभव और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटलीकृत एवं सुव्यवस्थित किया गया, जिससे व्यापक पहुंच, बेहतर चयन दक्षता और विविध प्रतिभा पूल तक पहुंच संभव हो सकी। इसने कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार, तेजी से ऑनबोर्डिंग अवधि और कारोबारी आवश्यकताओं के साथ संरेखण को बढ़ाने में योगदान दिया है।

स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) की भर्ती - क्षेत्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता रखने वाले **1,455 स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ)** की भर्ती की। इस पहल से ग्राहक सहभागिता में वृद्धि हुई, स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ विकसित हुई तथा सेवा प्रदायगी के परिणामों में सुधार हुआ। बैंक अपनी पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने तथा समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की लक्षित भर्ती को निरंतर प्राथमिकता देता है।

डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती - बैंक ने प्रमुख क्षेत्रों में कार्यात्मक विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने के लिए मध्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर डोमेन विशेषज्ञों

की नियुक्ति जारी रखी। इससे निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई, परिचालन दक्षता में सुधार हुआ तथा बैंक के विकसित होते कारोबार, डिजिटल और विनियामक परिदृश्य को समर्थन मिला।

प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुरूप, बैंक ने पूरे भारत में अपने प्रशिक्षु कार्यक्रम का विस्तार किया। यह कार्यक्रम बैंकिंग परिचालन तथा बीएफएसआई उत्पादों में संरचित, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए एक कार्यनीतिक प्रतिभा आपूर्ति श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। यह न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ाता है, बल्कि बैंक की दीर्घकालिक कार्यबल योजना और प्रतिभा संवहनीयता के उद्देश्यों को भी समर्थन करता है।

18.6. विविधता, समानता एवं समावेशन (डीईआई) को बढ़ावा देना

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक विविध, समानतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध है, यह मानते हुए कि विचारों, पृष्ठभूमियों और अनुभवों की विविधता संगठनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करती है और संवहनीय विकास को बढ़ावा देती है। बैंक निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा पर आधारित संस्कृति को बढ़ावा देता रहा है, जिससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, संवर्गों और कर्मचारी समूहों के बीच समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

सुश्री छोजिम अंगमों, जो बैंक की 100% दृष्टिदिव्यांग कर्मचारी हैं, दृढ़ता, संकल्प और उत्कृष्टता की भावना का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लिपिकीय से अधिकारी संवर्ग तक की अपनी प्रगति के साथ, वे वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर), विजय नगर शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त करने के अटूट संकल्प से प्रेरित, सुश्री अंगमों ने वर्ष 2025 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। उनकी पर्वतारोहण उपलब्धियों में माउंट एल्ब्रस (यूरोप), माउंट किलिमंजारो (अफ्रीका) तथा माउंट एकोकागुआ (दक्षिण अमेरिका) पर सफल अभियान भी शामिल हैं।

उनकी यह यात्रा बैंक के कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करती है तथा समावेशन, सशक्तिकरण और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है।

सुश्री रुतुजा पिसाल, भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी, जिन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, को एशियन कप 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर लिपिकीय से अधिकारी संवर्ग में आउट ऑफ टर्न पदोन्नति प्रदान की गई।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

बैंक ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश), समान अवसर और विविधता, समानता एवं समावेशन (डीईआई) पर सुदृढ़ नीतियों को संस्थागत रूप दिया है। इन नीतियों को नियमित जागरूकता कार्यक्रमों और संवेदनशीलता पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्यान्वयन किया जाता है, जिससे दैनिक कार्यप्रणाली में समावेशी व्यवहारों को समाहित किया जा सके और अपनत्व की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके।

बैंक सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से दिव्यांगजन के लिए, युक्तिसंगत कार्यस्थल सुविधाओं के माध्यम से एक समावेशी कार्य वातावरण सृजित करने का प्रयास करता है। दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए स्क्रीन-रीडिंग सॉफ्टवेयर (जेएडबल्यूएस) जैसी सहायक तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे पहुंच क्षमता में वृद्धि होती है और संगठनात्मक प्रक्रियाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो पाती है।

अपने समावेशी कर्मचारी सहायता फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, बैंक दिव्यांग कर्मचारियों को अतिरिक्त परिवहन भत्ता भी प्रदान करता है,

समावेशन मेट्रिक्स (31.03.2026)

विवरण	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ-कर्मचारी		कुल	
कुल कर्मचारी	45722		22768		5395		73885	
जिनमें से								
अनुसूचित जाति (एससी)	7947	17.38	4327	19.00	1999	37.05	14273	19.32
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	3534	7.73	1806	7.93	453	8.40	5793	7.84
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	14302	31.28	7374	32.39	1818	33.70	23494	31.80
पूर्व-सैनिक	861	1.95	3147	13.21	404	6.71	4412	5.97
महिला	12635	27.63	7335	32.22	1807	33.49	21777	29.47
अल्पसंख्यक समुदाय	3273	7.16	1597	7.01	387	7.17	5257	7.12

जिनमें से		
श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
ईडबल्यूएस	1216	1.65
सामान्य	29109	39.40
अन्य पिछड़ा वर्ग	23494	31.80
अनुसूचित जाति	14273	19.32
अनुसूचित जनजाति	5793	7.84
दृष्टि दिव्यांग	920	1.25
मूक एवं बधिर	357	0.48
बौद्धिक रूप से दिव्यांग	50	0.07
आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग	1361	1.84
पूर्व-सैनिक	4158	5.63
कुल	73885	

जिससे आवागमन में सुविधा मिलती है और पहुंच से संबंधित बाधाओं में कमी आती है। यह पहल कर्मचारी कल्याण, उत्पादकता और सहभागिता को बढ़ाने में योगदान देती है।

बैंक महिलाओं तथा आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को स्थानांतरण, पदोन्नति और कल्याणकारी नीतियों में सक्षम प्रावधानों के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। महिला कर्मचारियों को जीवनसाथी के आधार पर सुविधाजनक स्थानों पर पदस्थ और स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कार्य-जीवन संतुलन और पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु शीर्ष स्तर पर समर्पित **एससी/एसटी और ओबीसी कक्ष** स्थापित किए गए हैं। बैंक ने इन श्रेणियों के लिए सांविधिक और विनियामकीय प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी एवं सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

18.7 एक कार्यनीतिक कारोबार प्रवर्तक के रूप में ज्ञानार्जन एवं विकास

बैंक का ज्ञानार्जन एवं विकास (एल एवं डी) कार्य संगठनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कार्यनीतिक उद्देश्यों और विकसित कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप, एल एवं डी इकोसिस्टम ने सभी स्तरों पर सतत सीखने, कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता और लीडरशिप तत्परता की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे मानव पूंजी विकास को समर्थन मिला।

बैंक ने कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए निरंतर निवेश किया, जिसमें सुदृढ़ संकाय नेटवर्क, समकालीन सामग्री, प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण प्लेटफॉर्म, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम तथा प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी शामिल है। इन पहलों ने कार्यात्मक, प्रबंधकीय, लीडरशिप और डिजिटल क्षमताओं को पूरे कार्यबल में सुदृढ़ किया।

बैंक की शिक्षण पहलों ने कर्मचारियों की क्षमता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और लीडरशिप पाइपलाइन के विकास को मजबूत बनाने में योगदान दिया। डिजिटल लर्निंग और प्रशिक्षण तक समावेशी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने से भौगोलिक क्षेत्रों और कर्मचारी वर्गों में कौशल विकास की समानता को सुनिश्चित किया। ये प्रयास अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के तहत उत्तरदायी कार्यबल विकास, निरंतर कौशल उन्नयन और दीर्घकालिक प्रतिभा संवहनीयता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

18.8 क्षमता निर्माण

यूनियन ज्ञानार्जन अकादमी (यूएलए) और अंचल ज्ञानार्जन केंद्रों (जेडएलसी) ने मिलकर समग्र क्षमतावर्धन के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण पहलों का संचालन किया। वर्ष के दौरान, बैंक ने ब्लेंडेड डिलीवरी मॉडल के माध्यम से बड़े पैमाने पर ज्ञानार्जन की पहुंच प्राप्त की। यूएलए द्वारा 629 कक्षा-आधारित एवं स्थान-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 19,386 कर्मचारी सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त, 160 वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 9,108 कर्मचारियों तक पहुंच बनाई गई, जबकि 350 वेबिनारों के माध्यम से 64,912 प्रतिभागियों तक व्यापक ज्ञान का प्रसार किया गया। इन प्रयासों को अंचल ज्ञानार्जन केंद्रों (जेडएलसी) द्वारा और सुदृढ़ किया गया, जिन्होंने 1,080 कक्षा-आधारित कार्यक्रम (26,683 प्रतिभागी), 574 स्थान-आधारित कार्यक्रम (22,016 प्रतिभागी), 194 वर्चुअल कार्यक्रम (11,395 प्रतिभागी) तथा 290 वेबिनार (24,927 प्रतिभागी) आयोजित किए, इससे बैंक में प्रशिक्षण की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

बैंक ने वर्ष के दौरान 23.10 लाख से अधिक शिक्षण घंटे प्रदान किए, जिसमें प्रति कर्मचारी प्रति तिमाही औसत शिक्षण घंटे 31.24 रहे, जो निरंतर कौशल-विकास और कार्यबल विकास के प्रति बैंक की मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्नत और क्षेत्र-विशिष्ट क्षमताओं के निर्माण हेतु, आईआईएम इंदौर, आईएसबी हैदराबाद और एमडीआई गुरुग्राम जैसे प्रमुख संस्थानों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 346 अधिकारियों को पाँच केंद्रित क्षेत्रों - जोखिम प्रबंधन, कार्यनीति एवं वित्त, बिक्री एवं विपणन, परिचालन उत्कृष्टता, तथा डिजिटल वित्तीय समावेशन, फिनटेक एवं को-लेंडिंग में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों द्वारा आयोजित ट्रेन-द-ट्रेन कार्यक्रमों के माध्यम से 100 आंतरिक संकाय सदस्यों को भी सशक्त किया गया, जिससे बैंक की इन-हाउस प्रशिक्षण क्षमता और मजबूत हुई।

लीडरशिप विकास एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रही, जिसमें 42 लीडरशिप विकास कार्यक्रमों में 867 वरिष्ठ कार्यपलक (वेतनमान V से वेतनमान

VII) शामिल हुए, जिनसे कार्यनीतिक लीडरशिप, निर्णय-निर्माण और प्रबंधन दक्षताओं को बदलने में वृद्धि हुई।

बैंक ने बाह्य एवं अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर को भी प्रोत्साहित किया, जिसमें 1,212 कर्मचारियों ने बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें 26 अधिकारी विदेशी कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, जिससे वैश्विक दृष्टिकोण और बैंचमार्किंग संबंधी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

18.9 ज्ञान सृजन एवं संकाय उपलब्धियाँ

बैंक ने अनुसंधान एवं संकाय विकास में केन्द्रित निवेश के माध्यम से वर्ष के दौरान संस्थागत ज्ञानार्जन को सुदृढ़ करना जारी रखा। अनुसंधान अधिकारियों ने 40 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया, जबकि 350 केस स्टडीज़ विकसित किए गए, जिससे बैंक के आंतरिक ज्ञान भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शैक्षणिक और शिक्षण क्षमताओं को और मजबूत करते हुए, 140 संकाय सदस्यों एवं रिसर्च अधिकारियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित संकाय विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। वर्ष के दौरान संकाय उपलब्धियों में 1,039 बाह्य प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 307 लेखों का प्रकाशन, एक अकादमिक पुस्तक की समीक्षा, तथा एनआईबीएम, नाबार्ड, फोर (एफओआरई) स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और बीआईआरडी (बर्ड) जैसे प्रमुख संस्थानों में 216 शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सत्रों का संचालन शामिल रहा।

कर्मचारी स्तर पर, निरंतर पेशेवर विकास एक प्रमुख फोकस बना रहा। 2,916 कर्मचारियों ने 4,043 बाह्य प्रमाणन पाठ्यक्रम पूर्ण किए, जबकि 3,460 कर्मचारियों ने 9,038 आंतरिक प्रमाणन पाठ्यक्रम पूर्ण किए, जिससे पूरे संगठन में कार्यात्मक विशेषज्ञता और पेशेवर क्षमता को मजबूती मिली।

18.10 डिजिटल ज्ञानार्जन सक्षमता एवं कार्यबल आउटरीच

वर्ष के दौरान, ज्ञानार्जन एवं विकास प्रभाग ने ज्ञानार्जन गवर्नेंस को मजबूत करने, गुणवत्ता में वृद्धि करने और कारोबारी प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने हेतु कई कार्यनीतिक पहलें कार्यान्वित की हैं। सभी एल एवं डी इकाइयों को आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 21001:2018 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया, जिससे मानकीकृत एवं शिक्षार्थी-केंद्रित गुणवत्ता प्रणालियाँ सुदृढ़ हुईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए “एआई, जेन एआई तथा बैंकिंग में जेन एआई के उपयोग-प्रकरण” पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

एक कार्यनिष्पादन सुधार योजना (पीआईपी) ढांचे को मापनीय कारोबारी प्रभाव के साथ ज्ञानार्जन परिणामों को संरेखित करने के लिए शुरू किया जाना है, जबकि वरिष्ठ लीडरशिप और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए संरचित लर्निंग मार्ग को व्यवस्थित उत्तराधिकार आयोजना का समर्थन करने हेतु अंतिम रूप दिया गया था।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

डिजिटल मेंटरशिप कार्यक्रम के शुभारंभ से ज्ञान का आदान-प्रदान और लीडरशिप विकास को बढ़ावा मिला, और प्रमुख फील्ड परिचालन के लिए विकसित जॉब कार्ड ने एसओपी तथा विनियामक अनुपालन को दैनिक निष्पादन में एकीकृत करने में सक्षम बनाया।

पाठ्यक्रम पश्चात मूल्यांकन (पीसीई) एवं मात्रात्मक कारोबार मानदंडों (क्यूबीपी) सहित ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) में संवर्द्धन, व्यापक संकाय एवं पाठ्यक्रम लेखापरीक्षा तंत्र द्वारा समर्थित ज्ञानार्जन प्रभाव के मूल्यांकन को मजबूत किया गया।

बैंक ने सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण जैसी पहलों के माध्यम से समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया।

वैश्विक एक्सपोजर एवं सुदृढ़ ज्ञानार्जन का विकल्प प्रदान करने के लिए, कौरसेरा एवं आईआईबीएफ के साथ साझेदारियों का नवीकरण किया गया, जिससे कर्मचारियों को विश्व-स्तरीय प्रमाणों तक पहुँच मिली तथा जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के इच्छुक उम्मीदवारों को ई-लर्निंग सहायता प्राप्त हुई।

ई-लर्नार्थन अभियान के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को अपनाने में तेजी आई, नए और अद्यतन मॉड्यूल के शुभारंभ के सहयोग से अधिकारियों के बीच अनिवार्य ई-लर्निंग को 94% से अधिक पूर्णता प्राप्त की गई।

बैंक ने पॉडकास्ट और रेडियो ब्रॉडकास्ट, आंतरिक प्रमाणन पाठ्यक्रम, माइक्रो-बाइट्स, लघु वीडियो, जॉब कार्ड्स, तथा महत्वपूर्ण वेबिनार रिकॉर्डिंग के माध्यम से माइक्रो-लर्निंग की पहुँच का विस्तार किया, साथ ही प्रगतिशील कौशल विकास को सक्षम बनाने हेतु कार्यक्रमों को स्तर-1 (बेसिक) और स्तर-11 (एडवांस्ड) प्रारूप में पुनर्गठित किया गया।

18.11 समावेशी क्षमता एवं सेवा उत्कृष्टता के लिए विशेष ज्ञानार्जन पहल

वर्ष के दौरान, बैंक ने समावेशिता, परिचालन तत्परता और सेवा उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई विशेष ज्ञानार्जन एवं क्षमतावर्धन पहलें कार्यान्वित किया है। इनमें “री-कनेक्ट” कार्यक्रम शामिल है, जिसे मातृत्व अवकाश के पश्चात कार्य पर लौटने वाली महिला कर्मचारियों को संरचित पुनःएकीकरण और क्षमता संवर्धन के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

स्थानीय बैंक अधिकारियों के लिए छह बैचों में इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिससे भूमिकाओं के प्रति शीघ्र तत्परता और संगठनात्मक प्रक्रियाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित किया गया था। करियर प्रगति के समर्थन हेतु, अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ओटीपी) के अंतर्गत 6,780 अधिकारियों एवं 3,027 लिपिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे कार्यात्मक दक्षता और पदोन्नति-संबंधी तैयारी को मजबूत किया गया।

संकाय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए गो बियॉड के सहयोग से ट्रेन-द-ट्रेनर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और ग्राहक संवाद में उत्कृष्टता पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषाओं में हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से 2,800 से अधिक कारोबार प्रतिनिधि को प्रशिक्षित किया गया, जिससे आउटरीच की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई।

अपने भाषायी क्षेत्रों के बाहर पदस्थ कर्मचारियों को स्थानीय भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि ग्राहक सहभागिता और सेवा वितरण में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय कर्मयोगी (सीबीसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम – ‘सेवा भाव’ के अंतर्गत, 33,300 से अधिक कर्मचारियों को स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिससे सेवा-उन्मुखता को और सुदृढ़ किया गया।

बैंक के संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ सेवा उत्कृष्टता को संरचित करते हुए, फ्रंटलाइन अधिकारियों और ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए भी सक्सेस (SUCCESS) कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18.12 भविष्य-केंद्रित ज्ञानार्जन - बैंक ने दूरदर्शी ज्ञानार्जन एवं विकास रोडमैप तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सीखने की प्रभावशीलता और कार्य-स्थल पर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुदृढ़ करना है। इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग का विस्तार, उन्नत प्रमाणन, महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना, बेहतर ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, और मानकीकृत जॉब सहायता के माध्यम से फील्ड सशक्तिकरण को मजबूत करना शामिल है।

18.13 पुरस्कार एवं सम्मान

नाम/श्रेणी	प्रदानकर्ता (संगठन का नाम)	वर्ष
नेशनल बेस्ट एम्प्लोयर ब्रांड 2025	वर्ल्ड एचआरडी काँग्रेस	फरवरी 2026
इन्नोवेटिव एचआर प्रैक्टिस 2025		
एक्सिलेन्स इन ट्रेनिंग अवार्ड		
एक्सिलेन्स इन कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपस्किलिंग	इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस द्वारा एशिया	फरवरी 2026
बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म	एल एंड डी एम्प्लोयर ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड	

नाम/श्रेणी	प्रदानकर्ता (संगठन का नाम)	वर्ष
एपेक्स इंडिया एचआर एक्सिलेन्स अवार्ड 2025	एपेक्स इंडिया फ़ाउंडेशन	नवंबर 2025
एपेक्स इंडिया ट्रेनिंग एक्सिलेन्स अवार्ड 2025		
डिजिटल लर्निंग एंड अपस्किलिंग इनिशिएटिव ऑफ़ द इयर	इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ़्रेंस द्वारा पीपल टेक सम्मिट अवार्ड	अगस्त 2025
बेस्ट एचआर डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनिशिएटिव		
एक्सिलेन्स इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट	इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ़्रेंस	मई 2025
एक्सिलेन्स इन एचआर डिजिटल इजेशन		
कीर्ति पुरस्कार – पत्रिका - प्रथम	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कीर्ति पुरस्कार	सितंबर 2025
कीर्ति पुरस्कार – कार्यान्वयन – तृतीय		
भारत सरकार से प्राप्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - कार्यालय श्रेणी- प्रथम, द्वितीय, तृतीय(2)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,	जनवरी 2026
भारत सरकार से प्राप्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - नराकास श्रेणी - द्वितीय, तृतीय(2)		फरवरी 2026
33वां आशीर्वाद भाषा-सेतु पुरस्कार, 2025	उत्कृष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक, श्रेष्ठ हिंदी पत्रिका तथा राजभाषा गौरव सम्मान	फरवरी 2026

18.14 राजभाषा

➤ राजभाषा एवं पत्रिका प्रकाशन

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अपने समस्त कार्यों में हिंदी के प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार एवं उपयोग पर निरंतर ज़ोर दे रहा है, जिससे राजभाषा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिले। राजभाषा हिंदी के संवर्धन के लिए की गई पहलों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

➤ बैंकिंग परिचालन में हिंदी को प्रोत्साहन

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक परिपत्रों, सूचनाओं और रिपोर्टों सहित सभी आधिकारिक संचार में हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए। बैंक कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे एक द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

➤ बहुभाषीय प्रकाशन

बैंक व्यापक पाठक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी में विभिन्न प्रकाशन को प्रकाशित करता है। उल्लेखनीय प्रकाशनों में त्रैमासिक द्विभाषी कॉर्पोरेट आंतरिक पत्रिका 'यूनियन धारा' तथा हिंदी पत्रिका 'यूनियन सृजन' शामिल हैं। इन प्रकाशनों में कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेख, कहानियाँ और कविताएँ प्रकाशित होती हैं, जो संगठन के भीतर साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहित करती हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की कॉर्पोरेट पत्रिका 'यूनियन धारा' ने 50 वर्ष पूर्ण किए, इसकी स्वर्ण जयंती पर विशेष अंक और विकसित भारत, ईज, खेल और खेलभावना, राजभाषा तथा जीआई उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषांक प्रकाशित किए गए।

➤ कर्मचारी सहभागिता एवं प्रशिक्षण

यूनियन बैंक अपने कर्मचारियों की हिंदी दक्षता को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन सत्रों में आधिकारिक दस्तावेजों, संचार तथा ग्राहक संपर्क में हिंदी के प्रभावी उपयोग को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। बैंक ने 'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष कार्यक्रम' के अंतर्गत 500 से अधिक कर्मचारियों को दक्षिण भारतीय भाषाओं में व्यावहारिक भाषा कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

➤ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का समन्वय

बैंक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सौंपे गए नराकास के समन्वय की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने पूरे देश में 34 नराकास के समन्वय की जिम्मेदारी संभाली है। ये नराकास समय पर बैठकों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

➤ सम्मान एवं पुरस्कार

हिंदी के प्रोत्साहन में यूनियन बैंक के प्रयासों को अनेक पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता मिली है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को कुल 668 राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान बैंक को राजभाषा के क्षेत्र का सर्वोच्च संस्थागत सम्मान 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक को हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्यनिष्ठादन के लिए बैंक के 3 नराकास संयोजक कार्यालयों तथा 4 अन्य कार्यालयों को कुल 7 'क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार' प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग ने बैंक को 'द्वितीय पुरस्कार' से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, बैंक के 11 नराकास संयोजक कार्यालयों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा बैंक की विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों को नराकास से 97 शील्ड प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में बैंक के 35 कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्राप्त हुए। बैंक की कॉर्पोरेट गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' को पीआरसीआई द्वारा 'रजत पुरस्कार' तथा 'यूनियन धारा' को 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया। साथ ही 'यूनियन सृजन' को 'आशीर्वाद श्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया।

➤ डिजिटल एवं बहुभाषीय समर्थन

यूनियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुभाषीय समर्थन उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है:

- मोबाइल बैंकिंग: 13 भाषाओं में उपलब्ध है, जो ग्राहकों की विस्तृत श्रृंखला के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है।
कॉर्पोरेट वेबसाइट एवं इंटरनेट बैंकिंग:
2 भाषाओं में उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। बैंक की वेबसाइट को भाषिणी एआई के सहयोग से 22 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है।
- कॉल सेंटर: 11 भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध, जिससे ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है।
- एसएमएस सुविधा: 13 भाषाओं में उपलब्ध, जिससे ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित होता है।
- चयनित एसटीपी प्रक्रिया: हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, जिससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ऋण स्वीकृति

प्रक्रिया सरल होती है।

- यूवीकॉन: बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा 6 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो हितधारकों को बैंक से जुड़ने का नया अनुभव प्रदान करती है।
- धन्यवाद पत्र: 11 भाषाओं में मुद्रित

➤ राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

हिंदी के उपयोग की निगरानी और प्रोत्साहन के लिए, यूनियन बैंक ने विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (ओएलआईसी) की स्थापना की है। ये समितियाँ नियमित रूप से हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं तथा बैंक के कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ाने के उपाय बताती हैं।

➤ प्रकाशन एवं ज्ञान प्रसार

यूनियन बैंक अपने प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करता है, जो विभिन्न कर्मचारियों और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों में बैंकिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी, उद्योग अंतर्दृष्टि तथा कर्मचारियों के योगदान शामिल होते हैं, जो ज्ञान-साझाकरण और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहक संवाद को सुदृढ़ करने के लिए ओड़िया और तमिल भाषाओं में उपयोगी पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं हैं। साइबर सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों और ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु "डिजिटल अरेस्ट" नामक एक कार्टून पुस्तिका हिंदी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और गुजराती भाषाओं में प्रकाशित की गई है। अनुपालन एवं नैतिकता सप्ताह 2026 के अवसर पर "यूनियन सिद्धांत" पत्रिका 10 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई। कर्मचारियों की सुविधा के लिए "यूनियन गिस्ट ऑफ सर्फुलर्स" हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 9 भारतीय भाषाओं में जारी किए जाते हैं। दो विषयों अर्थात ईज़ और यूनियन सपोर्ट पर प्रक्रियात्मक साहित्य भी 9 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। बैंक ने "यूनियन भाषा वैभव" तथा "@2047 - विकसित भारत की संकल्पना में बैंकों की भूमिका" शीर्षक से हिंदी पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है।

19. नेटवर्क

- बैंक का शाखा नेटवर्क देशभर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 तक 8,695 घरेलू शाखाएँ तथा 2 विदेशी शाखाएँ (सिडनी, दुबई डीआईएफ़सी) शामिल हैं। इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

- यथा 31.03.2025 तक, बैंक की कुल 8,619 घरेलू शाखाएँ तथा 2 विदेशी शाखाएँ थीं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 24 शाखाओं का पुनर्गठन किया गया और 100 नई शाखाएँ खोली गईं।

यथा 31 मार्च, 2026 तक श्रेणीवार शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है: -

पंक्ति लेबल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	मेट्रो	कुल योग
यथा दिनांक					
01.04.2025 तक कुल शाखाएँ	2597	2521	1735	1766	8619
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पुनर्गठित की गई	0	-8	-8	-8	-24
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खोली गई	27	44	20	9	100
आरबीआई द्वारा श्रेणी में परिवर्तन	-1	-4	-12	-1	-18
	+5	+9	+4		+18
यथा दिनांक					
31.03.2026 तक कुल शाखाओं की सं.	2628	2562	1739	1766	8695

यथा 31.03.2026 तक, बैंक के पास पूरे देश में 8,656 एटीएम का नेटवर्क उपलब्ध है। बैंक उच्चतम अपटाइम बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

20. सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यात्मक परिनियोजन विभाग सभी कारोबारी इकाइयों में प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रियाओं के निर्बाध कार्यान्वयन और अनुकूलन को सुनिश्चित करके संगठन के डिजिटल रूपांतरण एजेंडा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी पहलों को परिचालन ढांचे में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार होता है तथा विनियामकीय अनुपालन को समर्थन मिलता है। यह समाधान तत्परता सुनिश्चित कारणों के लिए अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण की निगरानी भी करता है तथा मजबूत नियंत्रण, अनुमोदन और गवर्नेंस मानकों को बनाए रखने के लिए परिवर्तन अनुमोदन समिति (सीएसी) और परिवर्तन अनुमोदन बोर्ड (सीएबी) की

प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। समाधान परिनियोजन, अंतर-विभागीय एकीकरण और प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के साथ, विभाग स्केलेबल विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसकी स्थापना भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के निर्माण के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहक उत्कृष्टता और निरंतर निवेशक विश्वास को सक्षम बनाती है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, जिसके पास नवीनतम तकनीक पर आधारित सुदृढ़ आईटी प्रणाली हैं। बैंक निर्बाध, लचीले और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग समाधान हेतु, आधुनिक तकनीक का उपयोग मूल सक्षमकर्ता के रूप में करता है। जैसे-जैसे कारोबारी परिदृश्य विकसित हो रहा है, संस्थाएं उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेटा अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर, प्रक्रियाओं को स्वचालित और डिजिटल करके, विस्तार करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म के उपयोग से और कर्मचारी एवं ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर सहभागिता बढ़ाकर रूपांतरण को अपना रहे हैं। ये बदलाव तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में संगठनों के संचालन, प्रतिस्पर्धा और मूल्य प्रदान करने के तरीके को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।

इन बदलते परिदृश्यों के अनुरूप और उभरते अवसरों का लाभ उठाकर, कारोबार संवृद्धि को समर्थन देने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक व्यापक डिजिटल, एनालिटिक्स और आईटी कार्यनीति तैयार की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की डिजिटल, एनालिटिक्स और आईटी कार्यनीति को कारोबारी उद्देश्यों के साथ प्रौद्योगिकी पहलों को संरचित करने, संवृद्धि को गति देने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक ने उत्पाद-केंद्रित दृष्टिकोण से ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए। इस रूपांतरण को प्राप्त करने के प्रयास में, बैंक ने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं और उत्पाद तैयार करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक अंतर्दृष्टि का उपयोग किया। डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल चैनलों को बेहतर बनाकर, सहज और सुगम ग्राहक संपर्क सुनिश्चित किए गए।

प्रमुख फोकस क्षेत्रों में डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से ग्राहक अनुभव और सेवा को बेहतर बनाना, जोखिम नियंत्रण और साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना, डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा प्रबंधन में सुधार करना और विस्तार और सुदृढ़ता के लिए आईटी बुनियादी ढांचे

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

का आधुनिकीकरण करना शामिल रहा। इन कार्यनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक का उद्देश्य कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रतिस्पर्धी बने रहने और हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जो उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया, जिससे परिचालन की बदलती मांगों को पूरा करने की इसकी सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

20.1 नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान:

बैंक ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाकर ग्राहक अनुभव और समग्र अनुभूति को समृद्ध बनाने में अपनी विशिष्टता साबित की है। बैंक ने ग्राहक सुविधा और अनुभव को प्राथमिकता देने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

विभिन्न नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान/पहलें निम्नलिखित हैं:

20.1.1 बेहतर ग्राहक अनुभव हेतु

ए) यूनियन वर्चुअल कनेक्ट (यूवीकॉन) – व्हाट्सएप बैंकिंग: बैंक ने ग्राहकों के लिए संवादात्मक बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में, यूवीकॉन - व्हाट्सएप बैंकिंग पहल शुरू की थी।

यूवीकॉन निवासी और अनिवासी, दोनों ग्राहकों को व्हाट्सएप नंबर 9666606060 के माध्यम से 7 अलग-अलग भाषाओं में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यूवीकॉन में एआई आधारित सर्च विकल्प भी सक्षम किया गया है, जिससे ग्राहक "शेष राशि", "डेबिट", "क्रेडिट", "स्टेटमेंट" आदि जैसे सेवा नामों को खोजकर आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

बी) वीआर आधारित अनुभववात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल: बैंक ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यस्थल से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने, सोशल मीडिया पर सुरक्षित उपस्थिति बनाए रखने आदि विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए, वीआर आधारित अनुभववात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किए हैं। सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल में मूल्यांकन के लिए संबंधित मॉड्यूल पर प्रश्नोत्तर एवं प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए वास्तविक

जीवन आधारित एप्लिकेशन पर केंद्रित, आकर्षक एवं इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्र से, कर्मचारियों के निरंतर सीखने और सुधार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सी) हाइपरऑटोमेशन: बैंक ने मैन्युअल प्रयासों को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और परिचालन में मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हाइपरऑटोमेशन को अपनाया है।

डी) भारत कनेक्ट (पूर्व में बीबीपीएस): बैंक द्वारा वेक्टर फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।

ई) पाम अटेंडेंस सॉल्यूशन: कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं की उपस्थिति को भी पाम अटेंडेंस सॉल्यूशन पर लाइव किया गया है।

एफ) यूनी पे प्लस: यूनी पे प्लस को कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ एकीकृत करके स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूनी पे प्लस पोर्टल कॉर्पोरेट ग्राहकों को भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, और सीआरसी कई कॉर्पोरेट ग्राहकों से कारोबार प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। 150+ कॉर्पोरेट्स दिनांक 31-03-2026 तक यूनी पे प्लस पर ऑन-बोर्ड हैं।

जी) अकाउंट एग्रीगेटर: बैंक सरकारी डिजिटल पहलों के अंतर्गत ऋण वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों के अंतर्गत, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) दोनों के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर सक्रिय होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता था। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ऋणदाताओं को ग्राहक की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाकर भौतिक दस्तावेज़ीकरण के बिना निर्बाध सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। कोई भी वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) अपने अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पर ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के आधार पर डेटा का अनुरोध कर सकता है। बैंक ने रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आरईबीआईटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी स्टैक को लागू किया है।

एच) समावेशी और सुलभ बैंकिंग: बैंक ने 2025-26 में समावेशी बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना जारी रखा, और सुलभ वित्तीय सेवाओं के एक सुशासन-संचालित, संस्था-व्यापी मॉडल की स्थापना के लिए अपनी प्रमुख पहल 'यूनियन एक्सेस' को आगे बढ़ाया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहक और कर्मचारी संपर्क बिंदुओं पर व्यापक डिजिटल सुगम्यता अनुपालन प्राप्त किया, जिसे विशेषज्ञ के नेतृत्व में की गई लेखा-परीक्षा के माध्यम से सत्यापित किया गया, जिससे निर्बाध डिजिटल अनुभव सुनिश्चित हुए। भारतीय मानक (आईएस 17802) और वैश्विक डब्ल्यूसीएजी 2.1 दिशा-निर्देशों को, पुनर्रचित कॉर्पोरेट वेबसाइट और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेसी (सीबीडीसी) मोबाइल एप्लिकेशन की संरचना में समाहित किया गया, जिससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए 'डिजाइन में निहित समावेशन' का मानक स्थापित हुआ।

उत्पाद नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बैंक ने "स्पर्श" ब्रेल क्रेडिट कार्ड और सुलभ टचस्क्रीन प्वाइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल लॉन्च किए हैं - ये बाजार में अपनी तरह के पहले समाधान हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक और स्वतंत्र बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं।

सुगम्य बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक के नेतृत्व को सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिली। यूनियन बैंक को 16वें एनसीपीईडीपी-एम्प्रेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स में 'रोल मॉडल संगठन' के रूप में सम्मानित किया गया। बैंक ने इंटरनेशनल पर्सनल फेस्ट 2025, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 और आईबीए एक्सपो 2026 में अपने मॉडल सुलभ बुनियादी ढांचे का भी प्रदर्शन किया, जिससे सार्वभौमिक डिजाइन के लिए उद्योग में एक अग्रणी संगठन के रूप में इसकी स्थिति और सुदृढ़ हुई।

समावेशी बैंकिंग को बैंक की ईएसजी कार्यनीति में मजबूती से अंतर्निहित किया गया है - जिससे सुगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) को अनुपालन की अनिवार्यता से बदलकर, संवहनीय संवृद्धि के एक स्केलेबल संचालक के रूप में स्थापित किया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा के अनुरूप है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, समावेशी बैंकिंग एक लीडरशीप प्रतिबद्धता है जो इस विश्वास पर आधारित है, कि सच्चे वित्तीय समावेशन का अर्थ है, बैंक द्वारा सेवा प्राप्त प्रत्येक ग्राहक के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और समान पहुंच।

डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म: बैंक ने एक व्यापक डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, जिससे कई डिजिटल और सहायक चैनलों पर निर्बाध और स्केलेबल इंटरैक्शन संभव हो सका और बदलते डिजिटल परिदृश्य की गति में काफी वृद्धि हुई।

इस पहल के अंतर्गत, बैंक के मौजूदा ग्राहकों (ईटीबी) के लिए विभिन्न एंड-टू-एंड देयता प्रक्रियाएं और वाहन ऋण, वैयक्तिक ऋण जैसी ऋण प्रक्रियाओं को ओपन वेब और सहायक पोर्टल दोनों पर उपलब्ध कराया गया, जो तेज, अधिक निर्बाध और ग्राहक-अनुकूल डिजिटल ऑनबोर्डिंग और लेन-देन अनुभव प्रदान करते हैं।

आई) डेटा लेक: बैंक ने उन्नत विश्लेषण का समर्थन करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटा लेक के रूप में एक नेक्स्ट-जेनरेशन, अत्याधुनिक डेटा बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक स्थापित किया। डेटा लेक ने आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से संरचित और असंरचित डेटा को एकीकृत किया, जिससे बेहतर डेटा-संचालित निर्णय लेना और बेहतर ग्राहक अनुभव सक्षम हुए।

बैंक ने ग्राहक जुड़ाव को सुदृढ़ करने, सूचित निर्णय लेने में सहायता करने और खुदरा, एमएसएमई और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वर्णनात्मक विश्लेषण और कई मशीन-लर्निंग-आधारित उपयोग के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

जे) डिजिटल संपर्क केंद्र: बैंक ने निर्बाध और सुचारू बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल संपर्क केंद्र को सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस पहल से उन्नत तकनीकों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क, कॉल का त्वरित समाधान, बेहतर ग्राहक संबंध और त्वरित प्रतिक्रिया समय संभव हो पाया।

डिजिटल संपर्क केंद्र ने व्यापक ग्राहक आधार को समर्थन देकर बैंक की पहुंच का भी विस्तार किया और बड़ी मात्रा में ग्राहक संवाद को शाखा-आधारित सेवाओं से सफलतापूर्वक, एक केंद्रीकृत संपर्क केंद्र मॉडल में परिवर्तित किया, जिससे सेवा दक्षता और ग्राहक सुविधा में सुधार हुआ।

के) ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) सबसे बड़े फिनटेक सम्मेलनों में से एक है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कंवर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) द्वारा किया जाता है। जीएफएफ वैश्विक नीति निर्माताओं, विनियामकों, केंद्रीय बैंकों और फिनटेक आदि के लिए एक प्रमुख मंच है। बैंक ने प्रदर्शक के रूप में भाग लेते हुए एक स्टॉल बुक किया और 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2025 के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

(जेडबल्यूसीसी), बीकेसी, मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2025 में विभिन्न बैंकिंग उत्पादों का प्रदर्शन किया। जीएफएफ 2025 का विषय था - “एम्पावरिंग फ़ाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड – पावर्ड बाय एआई”। बैंक ने मेटावर्स, यूवीकॉन, इंटरनेट बैंकिंग, सीबीडीसी, सुगम्य पीओएस, स्पर्श डेबिट एवं अन्य नवाचारों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शित किया।

20.1.2 बेहतर गवर्नेंस हेतु

बैंक प्रभावी निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक गवर्नेंस ढांचे और प्रथाओं की स्थापना कर रहा है, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बैंक में सूचना सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और गोपनीयता के लिए सुदृढ़ मानक स्थापित हैं, जिनका उल्लेख बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति और डेटा गवर्नेंस नीति में किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक को आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 27001; गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) आईएसओ 27701; कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301 और उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएम) आईएसओ 31000 मानकों का प्रमाणन प्राप्त है। आईएसओ मानक सुपरिभाषित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को लागू करके निरंतर सुधार और परिचालन उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, हमारी सूचना आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

सूचना सुरक्षा के उच्चतम मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने और ग्राहकों, साझेदारों और विनियामक निकायों के बीच विश्वास और भरोसा बनाए रखने के बैंक के कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ इसे संरेखित करने के लिए, बैंक ने आईएसओ 27001 प्रमाणन को इसके नवीनतम संस्करण आईएसओ 27001:2022 में अपग्रेड किया है। मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीआईएसओ) और राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र (एनपीसी) को शामिल करने के लिए आईएसएमएस प्रथाओं के दायरे को भी बढ़ाया गया है।

20.1.3 सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे हेतु

मजबूत, अनुकूलनीय और सुदृढ़ अवसंरचना की ठोस नींव का निर्माण किया गया है, जिससे अप्रत्याशित चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद निर्बाध संचालन और निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

(ए) डेटा सेंटर का आधुनिकीकरण

• ग्रीन डेटा सेंटर

बैंक ने एक ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है, जो संवहनीय प्रौद्योगिकियों और संसाधन प्रबंधन का उपयोग कर अधिकतम ऊर्जा दक्षता के साथ काम कर सकता है, कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालता है।

• सीबीएस के लिए मल्टीपल आर्किटेक्चर

डीआर साइट पर आपदा की स्थिति में शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने और कारोबारी निरंतरता बनाए रखने के लिए निकटवर्ती डिज़ास्टर रिकवरी साइट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इससे बैंक को डीआर साइट पर आपदा की स्थिति में अधिकतम उपलब्धता और डेटा हानि को कम करके, बेहतर ग्राहक सेवा के माध्यम से बैंक को लाभान्वित करता है।

• सीबीएस आधुनिकीकरण

बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को फिनेकल वर्जन 10.2.18 से 10.2.25 में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम का कार्य-निष्पादन बेहतर होगा, सुरक्षा सुविधाएँ सुदृढ़ होंगी और बदलते कारोबारी आवश्यकताओं के लिए बेहतर समर्थन मिलेगा।

(बी) नेक्स्ट-जेनरेशन सुरक्षा परिचालन केंद्र

बैंक ने नेक्स्ट जेनरेशन एसओसी लागू करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सफलतापूर्वक उन्नत किया है, जिसके अंतर्गत उन्नत सिक्वोरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (एसआईएम) क्षमताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के साथ एकीकृत किया गया।

नेक्स्ट-जेनरेशन एसओसी ने नेटवर्क ट्रैफिक और सुरक्षा घटनाओं की निरंतर, वास्तविक समय (रियल-टाइम) अनुश्रवण को सक्षम किया है, जिससे पैटर्न का बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण कर प्रारंभिक चरण में असामान्यताओं और संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान की जा सके। इस उन्नयन से बैंक की खतरा पहचानने की क्षमता, घटना प्रतिक्रिया की गति और परिचालन सुदृढ़ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे सुरक्षा घटनाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सका और समग्र साइबर सुरक्षा को और सुदृढ़ किया गया।

(सी) सुदृढ़ सीबीएस और क्लाउड अवसंरचना

बैंक ने डीआर ऑटोमेशन टूल का उपयोग करके सुरक्षित बीसीपी के लिए डीआर स्विचिंग कार्य को स्वचालित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक एक व्यापक क्लाउड अवसंरचना का उपयोग करता है जिसमें प्राइवेट, हाइब्रिड और पब्लिक क्लाउड वातावरण शामिल हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण बैंक को संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, डेटा सुरक्षा बढ़ाने और एप्लिकेशन और सेवाओं का विनियोजन करने में लचीलापन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इन उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके, बैंक बेहतर ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और बदलते बाजार की मांगों के अनुकूल बनने की क्षमता सुनिश्चित करता है।

(डी) एपीएम टूल के माध्यम से रियल टाइम कार्य-निष्पादन का अनुश्रवण

केंद्रीय कार्यालय उपभवन, हैदराबाद में स्थित आईटी रेजिलिएंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आईटीआरसीओई), सभी सर्वर/डिवाइसों और एप्लिकेशन अनुश्रवण की आवश्यकताओं के लिए एक एकीकृत एप्लिकेशन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समाधान है - जिसमें एंड-यूजर एप्लिकेशन और अंतर्निहित इंफ्रास्ट्रक्चर घटक जैसे एप्लिकेशन सर्वर, डेटाबेस, वेब सर्वर, वर्चुअल सिस्टम और क्लाउड संसाधन शामिल हैं।

बैंक अपने एप्लिकेशन और उसके बुनियादी ढांचे के रियल-टाइम अनुश्रवण के लिए एचईएल एपीएम टूल का उपयोग कर रहा है।

(ई) सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क:

बैंक ने नेटवर्क परिचालन को सुगम बनाने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए अपने डीसी, एनडीसी और डीआर को पारंपरिक नेटवर्क संरचना से एसडीएन फैब्रिक में माईग्रेट कर दिया है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं:

- नेटवर्क उपकरणों/राउटरों का केंद्रीकृत अनुश्रवण और नियंत्रण।
- डेटा ट्रैफ़िक का अनुश्रवण और विश्लेषण करने की क्षमता।

20.2 बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु अन्य प्रमुख पहलें: ऐप आधुनिकीकरण

सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, एजाइल कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए, बैंक ने अपने ऑन-प्रीमाइसेस प्राइवेट क्लाउड पर, कंटेनर ऑर्किस्ट्रेशन लेयर (कुबर्नेट्स प्लेटफॉर्म) के साथ एकीकृत, एक एंड-टू-एंड डेवसेकऑप्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। बैंक ने माइक्रोसर्विसेज आधारित बैंकिंग एप्लिकेशन के विकास और परिनियोजन के लिए,

कुबर्नेट्स और डेवसेकऑप्स सिद्धांतों पर आधारित एक एप्लिकेशन आधुनिकीकरण प्लेटफॉर्म अपनाया है। माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर, विस्तारक्षमता, सुदृढ़ता, तेजी से बाजार में उत्पाद लॉन्च करने की क्षमता और एप्लिकेशन घटकों के स्वतंत्र जीवनचक्र प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

माइक्रोसेवाओं को अपनाने से बैंक को निम्नलिखित में सक्षम बनाया है:

- मौजूदा मोनोलिथिक एप्लिकेशन का आधुनिकीकरण
- क्लाउड-नेटिव क्षमताओं का लाभ उठाना
- नवीनतम सॉफ्टवेयर विकास पद्धतियों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बाजार मानक एप्लिकेशन का विकास।

21. जोखिम प्रबंधन

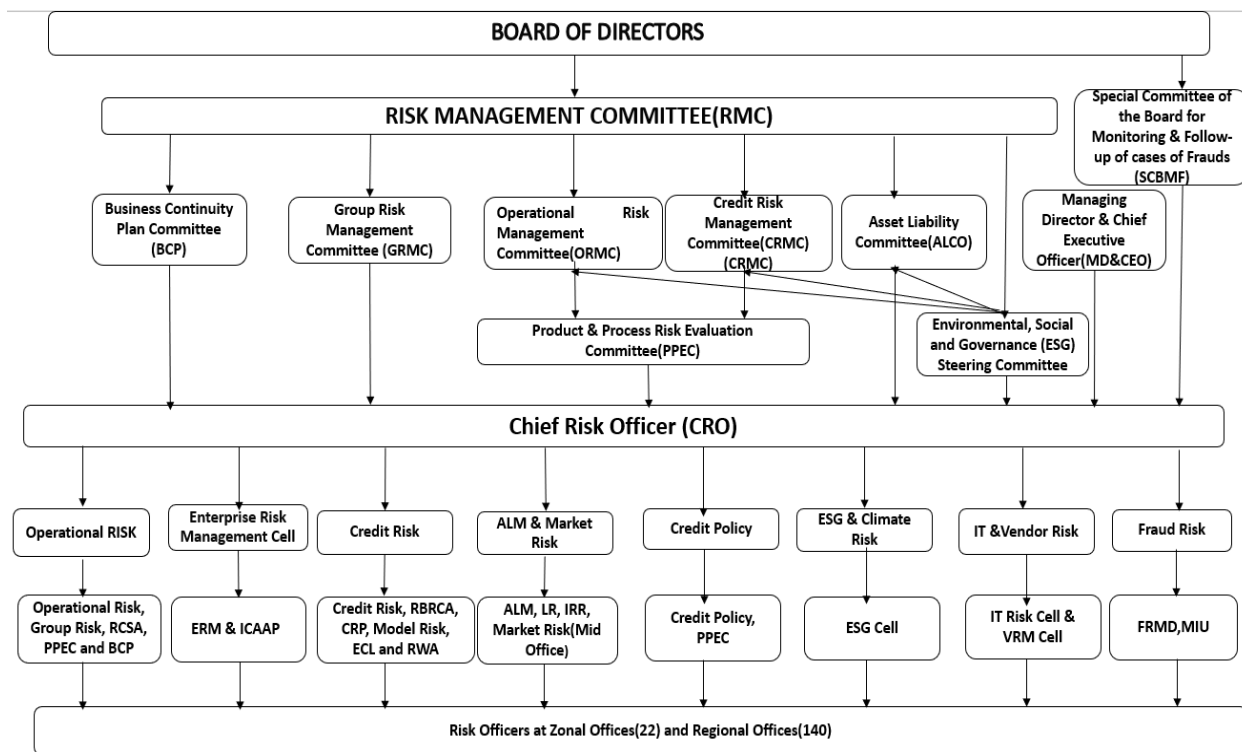
जोखिम प्रबंधन एक कार्यनीति प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संगठन के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं की पहचान, मूल्यांकन और निवारण किया जाता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों के विकास के साथ-साथ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भी स्पष्ट हो गई, जिससे जटिलता और अस्थिरता में वृद्धि हुई।

बैंक जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। इसकी जोखिम नीति में जोखिम सहनशीलता और विनियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो विकसित करना और बनाए रखना शामिल है। बैंक शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कारोबारी कार्यों और जोखिम प्रबंधन कार्यों के बीच निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

निदेशक मंडल बोर्ड की उप-समितियों अर्थात् बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्तन के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) के साथ शीर्ष निकाय है, जो विभिन्न जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की देखरेख करती हैं। बैंक में शीर्ष अधिकारियों की अलग-अलग समितियाँ भी हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति एवं देयता समिति (एएलसीओ), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी), बीसीपी समिति, एफएमजी (धोखाधड़ी निगरानी समूह) और ईएसजी संचालन समिति आदि, जो क्रमशः क्रेडिट, बाजार, परिचालन, समूह जोखिम, बीसीपी, धोखाधड़ी जोखिम एवं ईएसजी से संबंधित कार्यों को संभालती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों में स्थित इकाइयों के साथ एक स्थापित जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना है। जोखिम कार्यनीति और नीतियों को बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाता है। बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण



बैंक उचित नीतियों, संगठनात्मक संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्रों के माध्यम से ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों का समाधान करता है। बैंक ने कार्यनीतियों और उद्देश्यों में ईएसजी जोखिमों से संबंधित विचारों को शामिल करने, गवर्नेंस संरचनाओं में ईएसजी जोखिमों को एकीकृत करने और विभिन्न ईएसजी पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए एक समर्पित ईएसजी कक्ष बनाया है। बैंक ने विभिन्न कार्यों के आउटसोर्सिंग के कारण तृतीय पक्ष वेंडरों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए एक समर्पित वेंडर जोखिम प्रबंधन कक्ष भी बनाया है। आईटी जोखिमों के विरुद्ध बैंक की परिचालन सुदृढ़ता और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना की गई है।

बैंक में जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों की तैनाती के माध्यम से फील्ड स्तर की इकाइयों तक भी विस्तारित किया गया है। इन जोखिम अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने क्षेत्र/ अंचल में जोखिम की पहचान करना, उसका आकलन करना, निगरानी करना और रिपोर्ट करना तथा उसे कम करने के उपाय सुझाना है।

बैंक के पास एक सुस्पष्ट जोखिम वहन क्षमता विवरण और एक स्वतंत्र जोखिम विभाग है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी जोखिम वहन क्षमता के दायरे में रहकर काम करे।

बैंक के सभी कार्यों और परिचालनों में जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत और प्रक्रियाएं आईएसओ 31000:2018 - जोखिम प्रबंधन - सिद्धांत और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

21.1 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम प्रबंधन में उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में विफलता या संविदात्मक दायित्वों को पूरा न कर पाने के कारण होने वाली वित्तीय हानि के जोखिम की पहचान करना, उसका आकलन करना और उसे कम करना शामिल है। यह प्रभावी जोखिम नियंत्रण और अनुश्रवण के माध्यम से आस्ति की गुणवत्ता और पूंजी की पर्याप्तता को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

बैंक में ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, अनुश्रवण और नियंत्रण के लिए सुव्यवस्थित ऋण मूल्यांकन तंत्र और जोखिम प्रबंधन ढाँचे मौजूद हैं। बैंक में, ऋण जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) की है। सीआरएमसी पोर्टफोलियो विश्लेषण,

एक्सपोजर सीमा निर्धारण और अनुश्रवण करने, रेटिंग एवं स्कोरिंग मॉडल की समीक्षा करने, दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने आदि के लिए नियमित रूप से बैठक करती है।

बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, बड़े ऋणों के लिए ऋण मूल्यांकन की जोखिम आधारित समीक्षा (आरबीआरसीए) और ऋण जोखिम/ पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न साधन हैं। बैंक में सभी अग्रिमों के लिए एक मानकीकृत और सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया है। यह ऋण मंजूरी के लिए समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसके विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां हैं।

बैंक में ऋण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार करने, कार्यान्वित करने और अद्यतन करने के लिए एक समर्पित ऋण नीति कक्ष भी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक की ऋण देने की प्रक्रिया विनियामक और सांविधिक आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों और बैंक के कार्यनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। ऋण नीति टीम उत्पाद विकास और नवाचार का भी अभिन्न अंग है। यह बाजार की जरूरतों और ऋण रुझानों के आधार पर नए ऋण उत्पादों को डिजाइन करने और मौजूदा उत्पादों में संशोधन करने के लिए अन्य वर्टिकल के साथ सहयोग करती है।

बैंक ने आंतरिक उपयोग के लिए शीर्ष अनुसंधान कंपनियों से उद्योग अनुसंधान/ विश्लेषण रिपोर्ट की सदस्यता भी ली है। जोखिम भरे क्षेत्रों का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है और जहां आवश्यक हो, संबंधित जोखिम की तुरंत समीक्षा की जाती है।

बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो पर प्रत्येक तिमाही में दबाव-परीक्षण भी करता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यापक आर्थिक कारकों में बदलाव के अनुसार दबाव परिदृश्यों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बैंक ने एक पूर्वानुमानित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली स्थापित की है, जो दबाव के संकेतों को पहले से ही पहचानने में मदद करती है और उधारकर्ताओं की वांछित ऋण गुणवत्ता को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए उचित निवारण उपाय करने में सहायता करती है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। बैंक में एक 'डायनामिक रेटिंग फ्रेमवर्क' भी है, जो दबाव और उत्प्रेरक की शीघ्र पहचान और उचित निवारण तंत्र अपनाने में सहायक है। बैंक ने ऋण हामीदारी अंकन को मजबूत करने के लिए बड़े खातों के लिए 'जोखिम आधारित ऋण मूल्यांकन समीक्षा फ्रेमवर्क' भी शुरू किया है।

बैंक ने ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए लेंडिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस (एलएएस) के माध्यम से एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है। आंतरिक रेटिंग मॉडल इन प्लेटफॉर्मों पर होस्ट किए जाते हैं, जो सीआईबीएल, आरबीआई चूककर्ताओं की सूचियों आदि से जुड़े होते हैं।

बैंक के सीआरएआर की गणना करते समय, ऋण जोखिम पर पूंजीगत प्रभार की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। बैंक ने इष्टतम जोखिम-लाभ संतुलन के लिए आरएआरओसी फ्रेमवर्क अपनाया है, जिसके तहत कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट प्रस्तावों की सभी नई मंजूरीयों/ समीक्षाओं/ नवीकरणों के लिए एक निश्चित सीमा से ऊपर आरएआरओसी गणना अनिवार्य है। ब्याज दर (आरओआई) में रियायत से संबंधित ऋण निर्णय आरएआरओसी फ्रेमवर्क से जुड़े होते हैं, जो बैंक की लाभप्रदता बनाए रखने और हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में सहायक होते हैं। ऋण मूल्य निर्धारण का निर्णय लेते समय, प्रत्येक लेनदेन से जोखिम-समायोजित लाभप्रदता का आकलन करने के लिए आरएआरओसी फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है, जो बैंक को हितधारकों के लिए संवहनीय लाभप्रदता और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने में मदद करता है।

21.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। प्रभावी प्रबंधन में जोखिमों की पहचान करना, नियंत्रण लागू करना और वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए अनुश्रवण करना शामिल है।

परिचालन संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए, बैंक ने एक व्यापक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ़) स्थापित किया है, जिसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा किया जाता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। ओआरएमसी का प्राथमिक लक्ष्य बैंक के भीतर एक संरचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करके परिचालन जोखिम को कम करना है।

एक स्वतंत्र परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष इस ढांचे को लागू करता है। इस ढांचे के अंतर्गत, बैंक के पास तीन सुरक्षा स्तर हैं। पहला सुरक्षा स्तर कारोबारी इकाई (सहायता और परिचालन सहित) है, जो मुख्य रूप से दैनिक आधार पर परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा सुरक्षा स्तर जोखिम प्रबंधन विभाग और अनुपालन विभाग है, जो जोखिम का आकलन करने और बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का अनुश्रवण करने के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं और तकनीकें विकसित करता है। लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण तीसरा सुरक्षा स्तर है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

टीम बैंक के भीतर गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है। व्यापक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा परिचालन जोखिम प्रबंधन के प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर आधारित बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति लागू है।

बैंक द्वारा शुरू किए गए सभी नए उत्पाद/ प्रक्रियाएँ, उत्पाद और प्रक्रिया जोखिम मूल्यांकन समिति (पीपीईसी) से होकर गुजरती हैं, यह प्रक्रिया परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करती है।

बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी गणना के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच (बीआईए) का पालन कर रहा है। बैंक का ओआरएमएफ़ आंतरिक एवं बाह्य हानि डेटा, नजदीकी चूक की घटनाओं, प्रमुख जोखिम संकेतकों तथा नियंत्रणों के गुणात्मक आकलन के माध्यम से परिचालन जोखिम को निर्धारित करता है।

बैंक ने पिछले अठारह वर्षों के दौरान हुई परिचालन हानियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया है, और यह विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाता है कि ऐसी हानियों को न्यूनतम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल परिचालन हानि ₹49.19 करोड़ रही। प्रमुख मामले खुदरा बैंकिंग में दर्ज की गई, जो कुल हानि राशि का 98.86% तथा कुल मामलों का 95.25% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी सेवाओं का योगदान हानि राशि में 0.84% तथा कुल मामलों में 4.40% रहा। हानि मामलों के प्रकार के आधार पर, हानि राशि की दृष्टि से बाह्य धोखाधड़ी (50.55%) और आंतरिक धोखाधड़ी (25.94%) का योगदान सर्वाधिक रहा, जबकि मामलों की संख्या के आधार पर निष्पादन, वितरण एवं प्रक्रिया प्रबंधन (59.15%) तथा बाह्य धोखाधड़ी (20.60%) प्रमुख योगदानकर्ता रहे। बैंक के उत्पादों/प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने हेतु जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) की पहचान की गई है तथा उनके लिए सीमा निर्धारित की गई है।

बैंक ने धोखाधड़ी की रोकथाम तथा मौजूदा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए ऋण और गैर-ऋण दोनों क्षेत्रों में अनेक निवारक उपाय लागू किए हैं। इनमें अग्रिम पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए अली वॉर्निंग सिग्नल (ईडबल्यूएस) पैकेज की स्थापना, लेन-देन की निगरानी हेतु एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफ़आरएमएस), तथा ऑफ-साइट अनुश्रवण कक्ष के माध्यम से लेन-देन अनुश्रवण शामिल है। इसके अतिरिक्त, यूपीआई और ईपीएस चैनलों के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी की निगरानी के लिए, बैंक प्रभावी निगरानी हेतु एनपीसीआई के ईएफ़आरएम समाधान का उपयोग कर रहा है।

पूरे संगठन में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक कर्मचारियों को उभरते एवं वास्तविक जोखिम घटनाओं के प्रति जागरूक बनाने हेतु एक द्विभाषी जोखिम जागरूकता बुलेटिन 'यूनियन सचेत' प्रकाशित कर रहा है। इस बुलेटिन में जोखिम से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे प्रमुख परिचालन जोखिम घटनाएँ, धोखाधड़ी के मामले, साइबर घटनाएँ, परिचालन हानियाँ, भारतीय बैंक संघ द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाएँ, तथा प्रासंगिक विनियामकीय टिप्पणियाँ शामिल हैं।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने और पूरे संगठन में एक मजबूत जोखिम संस्कृति स्थापित करने के लिए एक संरचित, भूमिका-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण ढांचा भी लागू किया है। इसमें नए जोखिम अधिकारियों के लिए एक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, चयनित फील्ड जोखिम अधिकारियों के लिए व्यावहारिक अनुभव वाला एक जोखिम अधिकारी अभिविन्यास कार्यक्रम और केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों और कार्यपालकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, जिसमें विनियामक और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के साथ-साथ जोखिमों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया गया है। वैचारिक समझ को व्यावहारिक अनुप्रयोग और विनियामक फोकस के साथ मिलाकर, ये कार्यक्रम जोखिम स्वामित्व को मजबूत करते हैं, जोखिम मूल्यांकन में निरंतरता में सुधार करते हैं और कर्मचारियों की क्षमताओं को बैंक की कार्यनीति जोखिम वहन क्षमता और गवर्नेंस मानकों के अनुरूप बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने जोखिम अधिकारियों और अन्य फ्रंट-लाइन अधिकारियों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। ये पहले, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के सक्रिय प्रसार और जोखिम-सूचित कार्यों के साथ मिलकर, पूरे संगठन में एक मजबूत, संवहनीय और परिपक्व जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ करती हैं।

21.3 कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)

बैंक के पास एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी योजना (डीआरपी) है, जिसका समय-समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी भी परिचालन संबंधी आपात स्थिति का सामना कर सके। एक सुव्यवस्थित, दस्तावेजीकृत और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना मौजूद है, जो किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटना या परिस्थिति के दौरान कारोबार में व्यवधान और सिस्टम की विफलता को कम करने और बैंक, कर्मचारियों और ग्राहकों पर संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई है। यह योजना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

बैंक ने आईटी और गैर-आईटी संबंधी व्यवधानों के लिए एक बीसीपी त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का गठन किया है। क्यूआरटी व्यवधान का अनुश्रवण करता है और विभिन्न वर्टिकल / क्षेत्रों को आवश्यक

निर्देश देता है तथा स्थिति सामान्य होने तक अनुश्रवण करता है। इसके अतिरिक्त, क्यूआरटी बीसीपी लागू करने के संबंध में निर्णय लेता है और तदनुसार उचित निर्णय लेने के लिए बीसीपी समिति की बैठक बुलाई जाती है।

बैंक में बीसीपी समिति है जो बीसीपी के अभ्यास, रखरखाव और आवश्यकतानुसार उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। समिति बीसीपी तैयारियों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक रूप से बैठक करती है। समीक्षा के परिणाम बाद में आरएमसी और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

21.4 आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) एक प्रमुख कार्यनीतिक अनुशासन है, जो बैंक को अपनी आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की संरचना, अवधि और संरचना को गतिशील रूप से समन्वित करके चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। एएलएम का प्रमुख उद्देश्य एक सुदृढ़ और एकीकृत ढांचा स्थापित करना है, जो बैंक के जोखिम-प्रतिफल प्रोफाइल का अनुकूलन करते हुए सामान्य तथा तनावपूर्ण बाजार परिस्थितियों में भी उसकी दृढ़ता सुनिश्चित करे।

बैंक एक सुविविधकृत और स्थिर वित्त पोषण आधार बनाए रखता है, जो मजबूत जमा आधार पर आधारित है, जिससे अस्थिर या अल्पकालिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता न्यूनतम रहती है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण तुलनपत्र की स्थिरता को बढ़ाता है और संवहनीय विकास का समर्थन करता है।

आस्ति देयता समिति (अलको) को एएलएम की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलको नियमित रूप से बैठक करती है, ताकि आस्तियों एवं देयताओं के आकार, मिश्रण, अवधि तथा संरचना के इष्टतम स्तर का निर्धारण और समीक्षा की जा सके। यह चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिमों की पहचान, मापन, अनुश्रवण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, अलको आस्तियों और देयताओं के मूल्य निर्धारण का भी अनुश्रवण करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रचलित बाजार परिस्थितियों तथा बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप हों। इसके निर्णय अर्जन कार्य-निष्पादन को बढ़ाने तथा इकिटी के आर्थिक मूल्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं।

बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें बदलती वित्तपोषण लागत और बाजार गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए जमा दरों और बेंचमार्क ऋण दरों की समय-समय पर समीक्षा की गई। इससे ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों का समय पर और प्रभावी संचारण सुनिश्चित होता है, जिससे मार्जिन की रक्षा होती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहती है। वर्ष के दौरान, आरबीआई द्वारा रेपो

दर में संचयी 125 बेसिस पॉइंट की कमी के प्रत्युत्तर में, बैंक ने सक्रिय रूप से अपनी बाहरी बेंचमार्क से संबद्ध ऋण दर (ईबीएलआर) को समान स्तर तक समायोजित किया। इससे प्रभावी मौद्रिक नीति संचारण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं को समर्थन मिला और प्रतिस्पर्धी स्थिति भी बनी रही।

बैंक के पास एक व्यापक एएलएम नीति फ्रेमवर्क है, जो बैंकिंग तथा ट्रेडिंग बहियों दोनों में चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन एवं न्यूनीकरण को नियंत्रित करता है। यह सुदृढ़ अनुश्रवण प्रणालियों, विभिन्न परिदृश्यों के तहत दबाव परीक्षण, आस्तियों एवं देयताओं के व्यावहारिक विश्लेषण तथा एक सुव्यवस्थित आकस्मिक वित्तपोषण योजना के माध्यम से सक्रिय चलनिधि प्रबंधन पर जोर देता है।

बासेल III फ्रेमवर्क तथा आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन के मानकों को लागू किया है, जिनमें इंटरडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने एकल तथा समेकित दोनों आधारों पर एलसीआर और एनएसएफआर को लगातार विनियामकीय सीमा से काफी ऊपर बनाए रखा, जो इसकी सुदृढ़ चलनिधि स्थिति और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को रेखांकित करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसत एलसीआर 124.13% रहा। यथा दिनांक 31 मार्च 2026 तक के अनुसार एनएसएफआर 115.34% रहा। व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि जोखिम की निरंतर निगरानी स्टॉक-आधारित तथा फ्लो-आधारित दोनों दृष्टिकोणों से की जाती है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) दर-संवेदनशील आस्तियों एवं देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, जो बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इकिटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को प्रभावित कर सकता है। आईआरआरबीबी के मापन एवं प्रबंधन के लिए बैंक विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें पारंपरिक अंतराल विश्लेषण, जोखिम पर आय (ईएआर) तथा ड्यूरेशन गैप विश्लेषण शामिल हैं।

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों का अल्पकालिक प्रभाव आय पर जोखिम पर आय दृष्टिकोण के माध्यम से आंका जाता है, जिसमें विभिन्न ब्याज दर परिदृश्यों को शामिल किया जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन इकिटी के बाज़ार मूल्य के संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ब्याज दरों में संभावित प्रतिकूल परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से निर्धारित और प्रबंधित किया जा सके।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

समग्र रूप से, बैंक का सुव्यवस्थित और दूरदर्शी एएलएम फ्रेमवर्क वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करता है, संवहनीय लाभप्रदता का समर्थन करता है तथा तुलनपत्र जोखिमों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करता है।

21.5 बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम से आशय उन संभावित जोखिमों से है, जो बाजार दरों या वित्तीय साधनों के मूल्यों में प्रतिकूल बदलाव के कारण आय में कमी या आर्थिक मूल्य में हास उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न बाजार-सम्बद्ध उत्पादों के आर्थिक मूल्य में उतार-चढ़ाव मुख्यतः मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों में परिवर्तन के कारण होता है, जिनमें ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा दरें, आर्थिक विकास संकेतक तथा प्रचलित कारोबारी विश्वास के स्तर शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं।

बाजार जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है, जिसमें निवेश नीति और बाजार जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं। ये नीतियां निवेश पोर्टफोलियो और विभिन्न आस्ति वर्गों में स्पष्ट रूप से परिभाषित जोखिम मानकों को स्थापित करती हैं, जिसमें जोखिम सीमाओं और ट्रिगर्स को निर्धारित किया जाता है, ताकि निवेश निधियों का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

बैंक में, बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए समग्र जवाबदेही आस्ति देयता प्रबंध समिति (अलको) के पास है। मिड ऑफिस बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो अनुमोदित सीमाओं के सापेक्ष स्थिति जोखिम की लगातार निगरानी करता है। मिड ऑफिस सीधे मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करता है और बाजार जोखिम पर आवश्यक डेटा और इनपुट के साथ अलको को प्रस्तुत करता है।

बैंक का जोखिम नियंत्रण फ्रेमवर्क विभिन्न उपायों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को सम्मिलित करता है। जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में, मिड-ऑफिस ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करता है, जिसमें पोज़िशन सीमाएं, गैप सीमाएं तथा संवेदनशीलता आधारित सीमाएं जैसे पीवी01, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जोखिम पर मूल्य (वीएआर), स्टॉप लॉस ट्रिगर स्तर, नेट ओपन ऑप्शन्स पोज़िशन (एनओओपी), विदेशी मुद्रा डेलाइट सीमाएं तथा समेकित/व्यक्तिगत गैप सीमाएं (एजीएल/आईजीएल) शामिल हैं। इन सभी मानकों की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। जोखिम सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है, ताकि उन्हें आईसीएएपी नीति में निर्धारित बैंक की प्रचलित जोखिम स्वीकार्य सीमा के अनुरूप बनाए रखा जा सके।

जोखिम पर मूल्य (वीएआर) दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) के पूरक

एक मात्रात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो बैंक की ट्रेडिंग पोज़िशनों में निहित संभावित हानियों का अतिरिक्त आकलन प्रदान करता है। इसकी दैनिक आधार पर बैंक-टेस्टिंग भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस्ड वीएआर की गणना प्रतिदिन की जाती है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण नीति और फ्रेमवर्क द्वारा सुदृढ़ किया गया है। यह फ्रेमवर्क विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है, ताकि दबाव की स्थिति में संभावित हानियों का आकलन किया जा सके तथा समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें।

बाजार जोखिम पूंजी प्रभार का निर्धारण, आरबीआई द्वारा निर्धारित विनियामकीय जोखिम कारकों को लागू करते हुए, मानकीकृत मापन दृष्टिकोण (एसएमएम) के अनुरूप किया जाता है। बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो का तिमाही आधार पर जोखिम विश्लेषण तथा विस्तृत मूल्यांकन करता है। सुदृढ़ जोखिम गवर्नंस के अंतर्गत, भविष्य उन्मुख विश्लेषण भी किए जाते हैं, जिनमें संभावित ब्याज दर जोखिम परिदृश्यों का समुचित मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है।



21.6 आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)

बैंक एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) भी संचालित करता है, जिसमें बैंक के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों को सूचीबद्ध किया जाता है और उनके मापन और प्रबंधन पद्धतियों का विवरण दिया जाता है। स्तंभ-1 जोखिमों के अलावा, स्तंभ-2 जोखिमों का भी आकलन किया जाता है। सामान्य और दबावपूर्ण परिस्थितियों में भविष्य की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता का भी आकलन किया जाता है।

बैंक प्रत्येक वर्ष आईसीएएपी फ्रेमवर्क की समीक्षा करता है, यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि बैंक जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखे। आईसीएएपी का सत्यापन वार्षिक रूप से एक सत्यापन समिति द्वारा

किया जाता है। आईसीएपी के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जोखिम जो स्तंभ 1 के अंतर्गत आंशिक रूप से या पूरी तरह से शामिल नहीं हैं।
- विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए मूल्यांकन विधियाँ।
- दबावपूर्ण परिस्थितियों में पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुमान लगाना (दबाव परीक्षण)।
- भविष्य के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकताएं (जोखिम वहन क्षमता विवरण)

बैंक के पास पूंजी आवश्यकताओं, वांछित स्तरों, उपयोग और आकस्मिक उपायों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना है। बैंक पूंजी नियोजन को व्यवसायिक विकास के साथ एकीकृत करता है, जिससे इष्टतम उपयोग और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होता है। कर्मचारियों को पूंजी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है और संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण किया जाता है। अनुमानित कारोबारी आवश्यकताओं के आधार पर सक्रिय रूप से पूंजी जुटाई जाती है।

21.7 ईएसजी और जलवायु जोखिम

ईएसजी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी कारकों से है जो किसी वित्तीय संस्थान के दीर्घकालिक कार्यनिष्पादन और दृढ़ता को प्रभावित कर सकते हैं और इन जोखिमों के प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन, विनियामक बदलाव और प्रतिष्ठा संबंधी प्रभावों जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए जोखिम ढांचे में स्थिरता संबंधी विचारों को एकीकृत करना शामिल है।



बैंक के बोर्ड ने ईएसजी और जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को संबोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के सभी ईएसजी और जलवायु जोखिम संबंधी मामलों का अनुश्रवण करती है। बैंक ने ईएसजी संक्रमण की देखरेख के लिए

ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया है। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम ढांचा और जलवायु जोखिम नीति तैयार की है। बैंक ने संसाधन जुटाने और वित्तपोषण ढांचे तथा आश्वासन से संबंधित पहलुओं को शामिल करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संवहनीय वित्तपोषण ढांचा भी तैयार किया है।

बैंक ने ईएसजी से संबंधित जोखिमों और अवसरों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करने हेतु एक अलग ईएसजी कक्ष की स्थापना की है। बैंक ने ईएसजी से संबंधित कार्यों और समय-सीमाओं को वर्टिकलवार निर्धारित किया है। बैंक परिसर, सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन से संबंधित वर्टिकल को मिलाकर एक उप-समिति का गठन किया गया है, जो बैंक के स्वयं के संचालन में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कार्य-बिंदुओं को तैयार करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के ऋण वर्टिकल के अंतर्गत एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया है, जो बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को संवहनीय/ हरित वित्त की ओर ले जाने में प्रेरक शक्ति होगी। यह समिति कार्बन-गहन क्षेत्रों में ऋण जोखिम के प्रतिशत को मापकर और कम करके संवहनीय वित्त के लिए नए रास्ते और अवसर तलाशने पर काम कर रही है। बैंक ने ऋण अंडरराइटिंग में वित्तपोषित उत्सर्जन का उपयोग करके भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम का आकलन शुरू कर दिया है, जिला स्तर पर संपार्श्विकों के भौतिक जोखिम की पहचान की है और विभिन्न जलवायु परिदृश्यों के तहत ग्राहक स्तर पर कॉरपोरेट्स के भौतिक और संक्रमण जोखिम का भी मूल्यांकन किया है।

ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरण में पारदर्शिता, सुलभता और एकरूपता बढ़ाने के लिए, बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक के ईएसजी प्रकटीकरण, नीतियों, ढांचों, संवाहनीयता पहलों, जलवायु जोखिम दृष्टिकोण और प्रमुख उपलब्धियों के लिए एक समर्पित ईएसजी अनुभाग बनाया है।

मूडीज रेटिंग्स ने बैंक के संवहनीय वित्तपोषण ढांचे को सस्टेनेबिलिटी क्वालिटी स्कोर (एसक्यूएस) पर दूसरी सबसे उच्च रेटिंग यानी एसक्यूएस2 प्रदान की है, जो "उत्कृष्ट संवहनीय गुणवत्ता" और अंतरराष्ट्रीय बाजार सिद्धांतों के साथ संरेखण को इंगित करता है।

इसके अलावा, बैंक को केयरएज ईएसजी रेटिंग्स से इसके ईएसजी कार्यनिष्पादन के लिए स्वतंत्र मान्यता प्राप्त हुई है, जिसने बैंक को 'केयरएज ईएसजी 1+' रेटिंग प्रदान की है, जो पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण, नीतियों और कार्यनिष्पादन के माध्यम से ईएसजी जोखिमों के प्रबंधन में 'नेतृत्व' की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

बैंक भारत का पहला प्रमुख बैंक बन गया है जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल (पीसीएएफ) के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इससे बैंक को पीसीएएफ डेटाबेस और कार्यप्रणाली तक पहुंच प्राप्त हुई है। बैंक ने काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सीईईडब्ल्यू द्वारा विकसित उन्नत मॉडलिंग और परिरक्ष्य विश्लेषण उपकरण, ग्लोबल चेंज एनालिसिस मॉडल (जीसीएएम) इंडिया मॉडल तक पहुंच प्राप्त हुई है। बैंक ने तकनीकी सहायता और क्षमता विकास के लिए ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनार्बीट (जीआईजेड) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ ये साझेदारियां बैंक की मजबूत ईएसजी और जलवायु प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बैंक ने अपने ऋण परिचालन में क्लाइमेट रिस्क सॉल्यूशन को एकीकृत करना भी शुरू कर दिया है। बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएसजी से संबंधित विषयों को शामिल करना भी शुरू कर दिया है।

हितधारकों के साथ जुड़ाव की गतिविधि के हिस्से के रूप में, बैंक ने मुंबई जलवायु सप्ताह - 2026 के उद्घाटन के दौरान "यूनियन बैंक जलवायु संवाद" का आयोजन किया, जिसमें जलवायु विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन के मार्गों और भारत के निम्न कार्बन परिवर्तन में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।

बेंगलुरु स्थित बैंक के प्रशिक्षण केंद्र "यूनियन बैंक ज्ञानार्जन केंद्र" को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बैंक ने संवहनीय विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनियन ग्रीन होम, यूनियन ग्रीन व्हीकल और यूनियन ग्रीन डिपॉजिट जैसे कई उत्पाद लॉन्च किए हैं।

बैंक जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और रिपोर्टिंग को शामिल करते हुए एक एंड टू एंड जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान लागू कर रहा है। बैंक उत्सर्जन/उत्सर्जन तीव्रता में कमी और कार्बन तटस्थता के लिए समयबद्ध मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैंक ने 2035 तक अपने स्वयं के परिचालन में नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंक राष्ट्र के सामूहिक रूप से कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है।

21.8 वेंडर जोखिम प्रबंधन कक्ष

तृतीय-पक्ष वेंडर बैंकिंग परिचालन का अभिन्न अंग बन गए हैं। समय के साथ, बैंक ने यह महसूस किया है कि आउटसोर्सिंग बैंक के भीतर एक

महत्वपूर्ण कार्य है। किसी वेंडर से जुड़े जोखिम और विफलताएं बैंक के परिचालन, वित्तीय स्थिति, ग्राहकों और प्रतिष्ठा को सीधे प्रभावित कर सकती हैं।

बैंक ने आउटसोर्सिंग गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरएमडी के भीतर एक समर्पित वेंडर जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किया है। आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित वेंडर जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया है।



बैंक द्वारा "केंद्रीकृत वेंडर जोखिम प्रबंधन प्रणाली" (सीवीआरएमएस) नामक आंतरिक पोर्टल के माध्यम से वेंडरों का केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधित किया जाता है। बैंक ने वेंडरों की प्रभावी अनुश्रवण के लिए सीवीआरएमएस में आउटसोर्सिंग लाइफसाइकिल को लागू किया है। बैंक नियमित रूप से अपने वेंडरों और उनकी सेवाओं की समीक्षा करता है, एक बार प्री-ऑनबोर्डिंग चरण में और उसके बाद पोस्ट-ऑनबोर्डिंग के दौरान आवधिक आधार पर। सेवा प्रदाताओं की समीक्षा में गतिविधि वर्गीकरण, अंतर्निहित जोखिम मूल्यांकन, समुचित सावधानी, उन्नत डिलिजेंस साइबर जोखिम मूल्यांकन, वेंडर कर्मचारियों का ड्यू डिलिजेंस और पुलिस सत्यापन, प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक, कारोबार निरंतरता योजना और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस) मूल्यांकन शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेंडर परिचालन वातावरण में पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाए रखता है और आवश्यक बीसीपी लागू है, बैंक के पास वेंडर साइट का नियमित रूप से निरीक्षण करने की प्रणाली है।

21.9 आईटी जोखिम आकलन कक्ष

बैंक में जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आईटी जोखिम मूल्यांकन कक्ष है, जिसका उद्देश्य तकनीकी परिवर्तनों, नए कार्यान्वयन और अनुकूलन का मूल्यांकन करके बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य को सहयोग

प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद विकास के प्रारंभिक चरण में ही आईटी संबंधी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन हो सके। यह कक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

बैंक का आईटी जोखिम मूल्यांकन कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), अनुपालन, लेखापरीक्षा और डिजिटलीकरण विभागों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है और आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंक की आंतरिक नीतियों और आईटी गवर्नेंस ढांचे का अनुपालन करता है।

आईटी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम का प्राथमिकता निर्धारण, जोखिम का शमन, नियंत्रण की प्रभावशीलता, परिवर्तन की पहचान और मूल्यांकन, और कारोबारी प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा शामिल है।

21.10 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग परिचालन, अपनी अंतर्निहित प्रकृति और परिचालन परिवेश के कारण, विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि सुदृढ़ गवर्नेंस मानकों और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्रों द्वारा समर्थित न हो तो तीव्र कारोबार विस्तार, धोखाधड़ी की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। इन जोखिमों को पहचानते हुए, बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रवृत्तियों के अनुरूप एक मजबूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है।

बैंक लगातार अपनी परिचालन प्रक्रियाओं, नियंत्रण संरचना, अनुश्रवण प्रणालियों और समीक्षा तंत्रों को सुदृढ़ करता रहता है ताकि धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिमों और उभरते खतरों से निपटा जा सके। जागरूकता बढ़ाने, जवाबदेही को सुदृढ़ करने और आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए लक्षित उपाय किए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाना, जांच, अनुश्रवण और रिपोर्टिंग शामिल है।

इस रूपरेखा का उद्देश्य मजबूत आंतरिक नियंत्रण, सक्रिय जोखिम प्रबंधन प्रवृत्तियों और समय पर सुधारात्मक उपायों के माध्यम से बैंक की संपत्ति, प्रतिष्ठा और हितधारकों के हितों की रक्षा करना है, जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित वित्तीय और परिचालन नुकसान को कम किया जा सके।

धोखाधड़ी के जोखिम प्रबंधन कार्य का अनुश्रवण धोखाधड़ी के मामलों की अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गठित बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) द्वारा की जाती है। एससीबीएमएफ धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और अनुश्रवण करती है, जिसमें मूल कारण विश्लेषण भी शामिल है, और आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए निवारक उपायों का सुझाव देगी।

बैंक का धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण निवारक सतर्कता, प्रारंभिक चेतावनी और पहचान प्रणाली, जांच और वसूली तंत्र, कर्मचारियों की जवाबदेही, निरंतर अनुश्रवण, विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएं और विनियामक रिपोर्टिंग को समाहित करता है, जिससे धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने की दिशा में एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

21.11 समूह जोखिम प्रबंधन

बैंक, अपनी समूह इकाइयों के माध्यम से, आस्ति पुनर्गठन, आस्ति प्रबंधन, बैंकिंग, बीमा और खुदरा आस्ति कारोबारों सहित विविध वित्तीय सेवाओं में भाग लेता है। ये इकाइयाँ बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और समग्र कार्यनीति उद्देश्यों में योगदान करती हैं। समूह जोखिम समिति समूह इकाइयों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करती है, मूल बैंक के लिए संभावित संक्रामक जोखिमों की पहचान करती है और समेकित स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण और पूंजी नियोजन सुनिश्चित करती है।

बैंक ने सामान्य और दबावपूर्ण परिस्थितियों में अपने समूह की संस्थाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम कम करने के उपाय और पूंजी मूल्यांकन हेतु एक ढांचा/नीति स्थापित की है। नियामकीय अपेक्षाओं और आंतरिक जोखिम प्रबंधन मानकों के अनुरूप, इन संस्थाओं का समय-समय पर संरचित जोखिम मूल्यांकन किया जाता है और महत्वपूर्ण जोखिमों की रिपोर्ट आरएमसी को दी जाती है। समेकित स्तर पर बैंक की वित्तीय स्थिरता और जोखिम वहन क्षमता बनाए रखने के लिए समूह की संस्थाओं का आवधिक और संरचित जोखिम मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक अपने समेकित जोखिम अनुश्रवण ढांचे को सुदृढ़ करना जारी रखेगा और उभरते जोखिमों से निपटने के लिए समूह की संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव सुनिश्चित करेगा।

21.12 उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) पूरे संगठन में जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन और निगरानी के लिए अपनाया गया एक संरचित

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

दृष्टिकोण है। पारंपरिक जोखिम प्रबंधन के विपरीत, जो अक्सर खतरों पर अलग-थलग रूप से ध्यान केंद्रित करता है, ईआरएम एक समग्र ढांचा प्रदान करता है जो जोखिम संबंधी विचारों को कार्यनीतिक निर्णय लेने में एकीकृत करता है। ईआरएम इन जोखिमों को अलग-अलग प्रबंधित करने के बजाय बैंक-व्यापी स्तर पर संबोधित करने की एक प्रक्रिया है।

बैंक ने एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा लागू किया है, जिससे बैंक को अपने समग्र जोखिम स्तर का स्पष्ट आकलन प्राप्त होता है। ईआरएम को वित्तीय, परिचालन, कार्यनीति, विनियामक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों सहित व्यापक श्रेणी के जोखिमों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति लागू है।

21.13 संव्यवहार अनुश्रवण

आपके बैंक में एक समर्पित संव्यवहार अनुश्रवण प्रभाग स्थित है, जो अपनी लेन-देन पर्यवेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करता है, उभरते हुए धोखाधड़ी के पैटर्न और अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न तरीकों की समय रहते पहचान सक्षम बनाता है, तथा प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण के लिए सुदृढ़ नियंत्रण उपायों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

बैंक ने सभी चैनलों में ग्राहक लेन-देन की निरंतर निगरानी के उद्देश्य से वास्तविक समय (रियल टाइम) एवं लगभग वास्तविक समय (नियर रियल टाइम) लेन-देन अनुश्रवण प्रणालियाँ स्थापित की हैं। ये प्रणालियाँ लेन-देन प्रसंस्करण के समय तथा उसके पश्चात विश्लेषणात्मक समीक्षा के माध्यम से लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी जोखिमों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए तैयार की गई हैं, जिससे बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस अनुश्रवण के अंतर्गत, सभी श्रेणी के खातों के साथ-साथ निष्क्रिय स्थिति से पुनः सक्रिय किए गए खातों को भी हर समय (24x7) निरंतर लेन-देन पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा जाता है।

विनियामकीय दिशा-निर्देशों का पालन करने और चल रही कार्यनीतिक पहलों के अतिरिक्त, आपके बैंक ने संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी एवं संभावित मनी मूल खातों की सक्रिय पहचान के लिए इन-हाउस मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने संदिग्ध मनी मूल खातों की पहचान क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आरबीआईएच (रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब) के मशीन लर्निंग मॉडल मूल हंटर के साथ साझेदारी स्थापित की है। आपका बैंक उच्च

जोखिम एवं संदिग्ध खातों की पहचान के लिए डीओटी (दूरसंचार विभाग), एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) तथा एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) जैसी बाहरी एजेंसियों से प्राप्त नियमित इंटेलिजेंस का भी उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के साथ एकीकरण स्थापित किया है, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर (एफआरआई) तथा मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (एमएनआरएल) डेटा प्राप्त किया जाता है और संदिग्ध खातों की पहचान में उपयोग किया जाता है। यह पहल बैंक के ग्राहक संरक्षण ढांचे को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करती है, जिससे मनी मूल खातों की सक्रिय पहचान और शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई संभव होती है, तथा वास्तविक ग्राहकों के अनजाने में साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनने के जोखिम को कम किया जा सकता है।

लेन-देन निगरानी के अंतर्गत हैदराबाद में एक पूर्ण विकसित साइबर अपराध कक्ष भी संचालित है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत 14सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) के एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) पोर्टल के सीएफसीएफआरएमएस (नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली) पर प्राप्त साइबर अपराध शिकायतों के निपटान हेतु 24x7 कार्यरत है। यह ढांचा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है, बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को अनिवार्य बनाता है, तथा ग्राहकों को राहत प्रदान करता है, जिसमें उचित सत्यापन और विनियामकीय अनुपालन के अधीन होल्ड हटाना या सेवाओं की बहाली शामिल है। साथ ही, आवश्यकता होने पर न्यायिक प्राधिकरणों का सहारा लेने की भी व्यवस्था है।

ये पहलें बैंक को भारतीय बैंकिंग उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित करती हैं, जिससे धोखाधड़ी की पहचान, साइबर अपराध शिकायतों के प्रभावी निपटान तथा जोखिम न्यूनीकरण की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

22. अनुपालन

22.1 अनुपालन फ्रेमवर्क और गवर्नेंस को सुदृढ़ करना

बैंक उच्च स्तरीय अनुपालन संस्कृति को बनाए रखते हुए अपने कारोबार के संचालन में सभी विनियामकीय तथा नैतिक मानकों का पालन कर रहा है। प्रमुख अनुपालन मुद्दों, उभरते जोखिमों तथा महत्वपूर्ण विनियामकीय निर्देशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा के लिए आश्वासन

वर्तिकल के प्रमुखों को सम्मिलित करते हुए एक उच्च-स्तरीय आश्वासन मंच का गठन किया गया है। यह समन्वित दृष्टिकोण अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों के प्रति एक समेकित एवं सक्रिय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने फील्ड स्तर पर भी केन्द्रित अनुश्रवण और विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सुदृढ़ करके अपने अनुपालन फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ किया है।

22.2 अनुपालन जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुपालन का आकलन करने, प्रमुख अनुपालन जोखिमों की पहचान करने और उचित शमन उपायों की अनुशंसा करने के लिए वार्षिक अनुपालन जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) करता है, जिससे चल रहे नियामक अनुपालन और जोखिम न्यूनीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। फील्ड स्तर पर अनुपालन का सूक्ष्म मूल्यांकन एवं सुधार सुनिश्चित करने के लिए तिमाही आधार पर अंचलीय अनुपालन जोखिम मूल्यांकन किए जाते हैं।

22.3 एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को समाहित करना

बैंक ने सभी कारोबारी और परिचालन इकाइयों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर पहल की है। विनियामक जागरूकता बढ़ाने और सभी स्तरों पर कर्मचारी क्षमता का निर्माण करने के लिए नियमित रूप से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक में समय-समय पर अनुपालन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे विनियामकीय दिशा-निर्देशों की समझ को और सुदृढ़ किया जा सके। ये पहल सुनिश्चित करती हैं कि फील्ड स्तर के अधिकारी विनियामक आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक रहें और पूर्ण निष्ठा से इसका अक्षरशः पालन करें। जवाबदेही को और सुदृढ़ करने के लिए, अनुपालन से संबंधित प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (केआरए) को कार्य-निष्पादन फ्रेमवर्क में अधिक महत्व दिया गया है। ये पहले "कारोबार सर्वोपरि, अनुपालन निरंतर" के मार्गदर्शक सिद्धांत को सुदृढ़ करती हैं।

22.4 नैतिकता और अनुपालन सप्ताह 2025-26

बैंक ने सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी के साथ दिनांक 01 जनवरी से 07 जनवरी, 2026 तक नैतिकता और अनुपालन सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के साथ जुड़ने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल थी, जैसे कि सोशल मीडिया में जारी कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और अंचल

प्रमुखों के पॉडकास्ट के माध्यम से लीडरशिप प्रबंधन, अनुपालन पत्रिका "यूनियन सिद्धांत" का प्रकाशन, विशेषज्ञों द्वारा संचालित वेबिनार और स्टडी सर्कल, वॉकथॉन, टाउन हॉल बैठकें, निबंध और क्रॉसवर्ड प्रतियोगिताएं आयोजित करना और शीर्ष कार्य-निष्पादन करने वाले अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को पुरस्कृत करना। इन पहलों ने अनुपालन जागरूकता को और सुदृढ़ किया है, कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि की है और बैंक में नैतिक आचरण को सुदृढ़ किया है।

22.5 अनुपालन अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र

बैंक विनियामक अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं में आवधिक अनुपालन परीक्षण जांच करता है। बैंक ने अनुपालन कार्य में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और सभी स्तरों पर प्रभावी अनुपालन सत्यापन की सुविधा के लिए एक सुदृढ़ स्व-प्रमाणन फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। विनियामक और सांविधिक प्राधिकरणों के सभी संचार और निदेशों का डिजिटल अनुपालन पैकेज के माध्यम से केंद्रीय अनुश्रवण किया जाता है।

22.6 प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन

अपनी डिजिटल रूपान्तरण पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने बैंक में एंड-टू-एंड अनुपालन समाधान और अनुश्रवण के लिए व्यापक अनुपालन एप्लिकेशन (सीसीए) लागू किया है। समाधान में अनुपालन ट्रेकिंग, अनुश्रवण, दायित्व प्रबंधन, परीक्षण और प्रमाणन, विनियामक रिटर्न जमा करने और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यापक डैशबोर्ड के लिए एकीकृत मॉड्यूल शामिल हैं। यह प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान पारदर्शिता बढ़ाता है, जवाबदेही को सुदृढ़ करता है और पूरे संगठन में वास्तविक समय के अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

22.7 कारोबार कार्यनीति के साथ अनुपालन का एकीकरण

अनुपालन फ्रेमवर्क और संस्कृति बैंक की मुख्य कारोबारी कार्यनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ अंतर्निहित है। नियामक आवश्यकताओं को उत्पाद डिजाइन, नीति निर्माण, आईटी सिस्टम और डिजिटल ऋण संचालन में एकीकृत किया गया है। सुसंगत और मापनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम-संचालित नियंत्रण और जांच को संस्थागत रूप दिया गया है। पारदर्शिता, गवर्नेंस और प्रकटीकरण पर अधिक जोर हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करना और उभरती विनियामक अपेक्षाओं के साथ संरेखित करना जारी रखता है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

बैंक अपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लगातार सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। चल रहे प्रयास विनियामक आवश्यकताओं और उद्योग क्षेत्र के सर्वोत्तम मानकों के साथ पद्धतियों को संरेखित करने पर केंद्रित हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता, परिचालन सुदृढ़ता और दीर्घकालिक संस्थागत सत्यनिष्ठा का समर्थन होता है।

23. आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक ने एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की स्थापना की है जो विनियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुपरिभाषित प्रक्रियाओं, निर्देशों और प्रणालियों द्वारा समर्थित है। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता और लागू आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के व्यवस्थित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पहचाने गए जोखिमों को स्वीकार्य स्तरों तक कम किया जाए, जिससे बैंक को अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने और सुदृढ़ गवर्नेंस मानकों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

जोखिम प्रोफाइल/मूल्यांकन के अनुरूप लेखा-परीक्षा संसाधनों का आवंटन किया जाता है। प्रशासनिक आंतरिक नियंत्रणों तथा लेखांकन आंतरिक नियंत्रणों सहित सभी आंतरिक नियंत्रणों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाता है।

आरबीआईए का उद्देश्य प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रणों तथा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। आरबीआईए एक प्रणालीबद्ध और अनुशासित दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं गवर्नेंस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करते हुए बैंक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाता है।

बैंक में लेखापरीक्षा कार्यों का अवलोकन:

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की जाती हैं:

1. शाखाओं और अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
2. चयनित शाखाओं और अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा
3. नियंत्रक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय वर्टिकल की प्रबंधन लेखापरीक्षा
4. सूचना सुरक्षा आईटी अनुप्रयोग और प्रक्रिया की लेखापरीक्षा
5. विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा
6. विशेष लेखापरीक्षा और विशेष रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शाखाओं और अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 5,760 शाखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण की गई तथा उनकी रेटिंग का अंतिम निर्धारण किया गया। इन शाखाओं के जोखिम मूल्यांकन से पता चलता है कि 55.10% को निम्न जोखिम, 43.29% को मध्यम जोखिम तथा 1.61% को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जबकि किसी भी शाखा को अत्यंत उच्च जोखिम श्रेणी में नहीं रखा गया, जो समग्र रूप से एक स्थिर जोखिम प्रोफाइल को दर्शाता है।

चिह्नित शाखाओं और अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2,099 समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें 2,095 शाखाएं/वर्टिकल/इकाइयां शामिल हैं। इनमें से दिनांक 31.03.2025 तक 1,569 कारोबारी शाखाओं की कुल जमा राशि का 54.18 प्रतिशत और कुल अग्रिमों का 74.67 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 45 वर्टिकल/सब-वर्टिकल को समवर्ती लेखापरीक्षा ढांचे के अंतर्गत लाया गया था।

बैंक शाखाओं की राजस्व लेखा परीक्षा भी करता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या आय में कोई क्षरण तो नहीं है।

नियंत्रक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के वर्टिकलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने प्रबंधन लेखापरीक्षा (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए) किया, जिसका उद्देश्य एक प्रणालीबद्ध एवं अनुशासित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रबंधकीय प्रभावशीलता, गवर्नेंस प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना था। इस लेखापरीक्षा में 134 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 अंचल कार्यालय, 18 अंचलीय लेखापरीक्षा कार्यालय, 33 केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल तथा 7 अन्य कार्यालय शामिल थे, जिससे समग्र प्रबंधन अनुश्रवण एवं परिचालन दक्षता को सुदृढ़ किया गया।

23.1 सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी आंतरिक लेखा-परीक्षा टीम तथा सीईआरटी-इन द्वारा पैनल में शामिल बाहरी लेखापरीक्षकों के संयोजन के माध्यम से सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षा में 285 आईटी अनुप्रयोगों/प्रक्रियाओं, 74 प्रशासनिक कार्यालयों तथा 3 विदेशी इकाइयों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रणाली के कार्यान्वयन से पूर्व उचित आईटी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए 34 प्री-इम्प्लीमेंटेशन लेखापरीक्षा की गई।

23.2 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा:

बैंक की दुबई, सिडनी में शाखाएं और यूके में सहयोगी कंपनी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, तीनों स्थानों की वार्षिक लेखापरीक्षा समय सारिणी के अनुसार पूर्ण की गई थी। दुबई और सिडनी शाखाओं में आवधिक लेखापरीक्षा भी पूर्ण की गई थी।

23.3 विशेष लेखापरीक्षा और विशेष रिपोर्ट:

बैंक नियंत्रक कार्यालयों के अनुरोधों के आधार पर विशिष्ट मुद्दों की जांच करने के लिए विशेष लेखापरीक्षा करता है और प्रबंधन के ध्यान और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनियमितताओं को तुरंत उजागर करने के लिए विशेष रिपोर्ट जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के ध्यान में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए 100 विशेष लेखापरीक्षा और 69 विशेष रिपोर्ट जारी की गईं।

23.4 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई प्रमुख पहल:

बैंक ने लेखापरीक्षा दक्षता और कवरेज बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित पहल के रूप में रिमोट लेखापरीक्षा की है। इस पहल से लागत और प्रयास को कम करने, लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार करने और सभी स्थानों पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की अपेक्षा है।

बैंक डिजिटल, जोखिम-आधारित और निरंतर लेखापरीक्षा में उभरती पद्धतियों के अनुरूप अपने लेखापरीक्षा और निरीक्षण फ्रेमवर्क में बदलाव के साथ प्रगति कर रहा है। साथ ही, इसने डेटा एनालिटिक्स और ऑफसाइट अनुश्रवण क्षमताओं को सुदृढ़ किया है, जिससे जोखिमों की बेहतर पहचान और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो पाई है। इन पहलों से लेखापरीक्षा प्रभावशीलता में सुधार, टर्नअराउंड समय को कम करने और गवर्नेंस और समग्र जोखिम प्रबंधन को और सुदृढ़ करने की अपेक्षा है।

24. साइबर सुरक्षा

24.1 साइबर सुरक्षा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और कार्यनीतिक पर्यवेक्षण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यापक एवं दूरदर्शी साइबर सुरक्षा गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित किया है, जिसे सुदृढ़ डेटा गवर्नेंस, गोपनीयता प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी जोखिम पर्यवेक्षण पद्धतियों का समर्थन प्राप्त है। बैंक की साइबर सुरक्षा संरचना उसकी सूचना सुरक्षा नीति, साइबर एवं डिजिटल भुगतान सुरक्षा नीति तथा डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित होती है, जो सुरक्षित एवं सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग संचालन सुनिश्चित करती हैं।

बैंक अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को विकसित हो रहे विनियामकीय एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप निरंतर सुदृढ़ करता रहा है, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक का साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क (2016), डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशा-निर्देश (2021), तथा सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस, जोखिम, नियंत्रण एवं आश्वासन पद्धतियों पर मास्टर दिशा-निर्देश (2023) शामिल हैं। बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों जैसे आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 22301 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 27701 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 31000 (एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन), पीसीआई-डीएसएस तथा पीसीआई-पीआईएन सुरक्षा मानक का भी पालन करता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) के लिए आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन प्राप्त किया है, जो व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई), डेटा गोपनीयता, विनियामक अनुपालन और हितधारक विश्वास की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

बैंकिंग अवसंरचना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सीबीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस स्विच, एटीएम स्विच तथा यूपीआई स्विच सहित प्रमुख प्रणालियों को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत “संरक्षित प्रणालियाँ” के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (संरक्षित प्रणालियों के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाएँ) नियम, 2018 का पूर्णतः अनुपालन करता है।

बैंक ने मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) की नियुक्ति के माध्यम से उच्चतम स्तर पर साइबर सुरक्षा नेतृत्व को संस्थागत रूप दिया है। सीसो, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं के लिए समूह सीसो के रूप में भी कार्य करता है, जिससे पूरे इकोसिस्टम में उद्यम-स्तरीय साइबर सुरक्षा गवर्नेंस एवं कार्यनीतिक समन्वय सुनिश्चित होता है।

बैंक के डिजिटल रूपान्तरण की प्रक्रिया में साइबर सुरक्षा एक कार्यनीतिक स्तंभ के रूप में लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो सुरक्षित नवाचार, परिचालन सुदृढ़ता तथा बढ़ते हुए परस्पर जुड़े वित्तीय इकोसिस्टम में ग्राहक विश्वास को सुदृढ़ करने में सहायक है।

24.2 साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, नवाचार और खतरों के प्रति सुदृढ़ता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल अवसंरचना, ग्राहक आस्तियों तथा महत्वपूर्ण बैंकिंग परिचालनों की सुरक्षा के लिए बहु-

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

स्तरीय “डिफेंस इन डेप्थ” साइबर सुरक्षा कार्यनीति अपनाई है। बैंक ने परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एंडपॉइंट सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, पहचान एवं अभिगम प्रबंध, थ्रेट इंटेलिजेंस तथा डेटा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत सुरक्षा नियंत्रण लागू किए हैं।

बैंक डिजिटल पहलों और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में “सेक्युरिटी बाय डिजाइन” दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण से ही प्रणालियों, अनुप्रयोगों तथा डिजिटल उत्पादों में साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को समाहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देता है, साथ ही अनुपालन, सुदृढ़ता तथा ग्राहक विश्वास को भी सुनिश्चित करता है।

बैंक के डेटा सेंटर तथा डिजास्टर रिकवरी सुविधाएँ आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 मानकों के अंतर्गत प्रमाणित हैं, जबकि उसका एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क आईएसओ 31000 मानकों के अनुरूप है। कार्ड भुगतान प्रणालियाँ और एटीएम स्विच अवसंरचना निरंतर पीसीआई-डीएसएस प्रमाणन बनाए हुए हैं।

बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति उद्योग में सबसे सुदृढ़ बनी हुई है, जिसका प्रमाण साइबर सुरक्षा रेटिंग प्रदान करने वाली वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी BitSight द्वारा इसे निरंतर “एडवांस्ड” श्रेणी की रेटिंग प्रदान किया जाना है।

• नेक्स्ट जेनरेशन सिक््योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एनजीएसओसी)

- अपनी दूरदर्शी साइबर सुरक्षा परिकल्पना के अंतर्गत, बैंक ने एक अत्याधुनिक नेक्स्ट जेनरेशन सिक््योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एनजीएसओसी) स्थापित किया है, जो 24x7 आधार पर कार्यरत है और जिसमें निरंतर निगरानी, खतरे का पता लगाना, घटना प्रतिक्रिया एवं साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस हेतु समर्पित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पदस्थ हैं। एनजीएसओसी को महत्वपूर्ण बैंकिंग अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना के विभिन्न स्तरों के साथ सघन रूप से एकीकृत किया गया है, ताकि उभरते साइबर खतरों की सक्रिय पहचान और उनके शमन को सुनिश्चित किया जा सके। एनजीएसओसी वास्तविक समय में सुरक्षा घटनाओं का सह-संबंध, उन्नत खतरा विश्लेषण, साइबर जोखिमों की सक्रिय निगरानी तथा त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को सक्षम बनाता है, जिससे पूरे संगठन में साइबर सुदृढ़ता मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एक केंद्रीकृत थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लागू किया है, जो विभिन्न स्थानीय एवं वैश्विक थ्रेट इंटेलिजेंस स्रोतों को सहज रूप से समाहित करता है।

• साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)

बैंक ने सुरक्षा नवाचार, सक्रिय खतरे के आकलन और उन्नत साइबर सुरक्षा इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साइबर सुरक्षा क्षमता केंद्र के रूप में एक समर्पित साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की है। सीसीओई निरंतर मूल्यांकन, स्वचालन, अनुसंधान-संचालित नियंत्रण, सुरक्षा विश्लेषण और

विशेष साइबर क्षमता विकास के माध्यम से साइबर सुरक्षा समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीसीओई कई उन्नत साइबर सुरक्षा कार्यों और प्लेटफॉर्मों को होस्ट और संचालित करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एंटरप्राइज वल्लरेबिलिटी मैनेजमेंट सेंटर (ईवीएमसी) की स्थापना की गई है, जो वल्लरेबिलिटी असेसमेंट एवं पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीए/पीटी), सोर्स कोड सुरक्षा समीक्षा, सुरक्षित कॉन्फिगरेशन मूल्यांकन तथा एंटरप्राइज-व्यापी भेद्यता प्रबंधन गतिविधियों के लिए कार्य करता है।
- निरंतर विरोधी-सिमुलेशन एवं सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के सत्यापन के लिए कंटीन्यूअस ऑटोमेटेड रेड टीमिंग (कार्ट) फ्रेमवर्क लागू किया गया है।
- विकसित हो रहे साइबर हमलों के परिदृश्यों के विरुद्ध सुरक्षा नियंत्रणों के सतत परीक्षण हेतु ब्रीच एवं अटैक सिमुलेशन (बीएसएस) प्लेटफॉर्म लागू किया गया है।
- फॉरेंसिक तत्परता, मैलवेयर जांच, एटीएम/सीआरएम मैलवेयर विश्लेषण, संदिग्ध ईमेल विश्लेषण तथा साइबर घटनाओं की जांच को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल फॉरेंसिक्स एवं मैलवेयर विश्लेषण (डीएफएमए) क्षमताएँ विकसित की गई हैं, जो प्रभावी साइबर घटना प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- अत्याधुनिक हमले के परिदृश्यों का अनुकरण करने तथा नियंत्रणों, निगरानी तंत्र और प्रतिक्रिया क्षमताओं की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर रेड टीमिंग अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- संगठनात्मक तत्परता, पहचान क्षमता, प्रतिक्रिया समन्वय तथा साइबर घटना प्रबंधन की प्रभावशीलता के परीक्षण हेतु साइबर ड्रिल एवं सिमुलेशन-आधारित तैयारियों के अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- इंटरनेट से जुड़े तथा आंतरिक अनुप्रयोगों और अवसंरचना में कमजोरियों की निरंतर पहचान के लिए एथिकल हैकिंग लैब स्थापित की गई है।
- एक्सपोज्ड एसेट्स, लीक हुए क्रेडेंशियल्स, संवेदनशील डेटा के एक्सपोजर तथा उभरते डिजिटल जोखिमों की पहचान के लिए अटैक सरफेस मैनेजमेंट एवं डिजिटल रिस्क मॉनिटरिंग समाधान लागू किए गए हैं।
- साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण एवं सिमुलेशन-आधारित तैयारियों के अभ्यास के लिए साइबर रेंज सिमुलेशन प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।

24.3 साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं संस्कृति का निर्माण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संरचित जागरूकता पहलों, सतत सहभागिता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों, कर्मचारियों एवं हितधारकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। अपनी कार्यनीतिक जागरूकता पहलों के अंतर्गत, बैंक ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डेक), हैदराबाद तथा पश्चिम बंगाल सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र सहित प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार एवं विशेष प्रशिक्षण पहलों की जाती हैं। बैंक ने साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं को रोचक और सहज तरीके से बढ़ावा देने के लिए “U SuRksha” और “U rKshak” जैसे विशिष्ट साइबर सुरक्षा शुभंकर (mascots) भी प्रस्तुत किए हैं।

- **ग्राहक साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलें**
- बैंक विभिन्न डिजिटल एवं भौतिक माध्यमों के जरिए व्यापक ग्राहक जागरूकता अभियान संचालित करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन में सुरक्षित उपयोग संबंधी सलाह का एकीकरण किया गया है।
- पासबुक, एटीएम लेन-देन पर्चियों तथा क्रेडिट कार्ड विवरण पर साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेश प्रकाशित किए जाते हैं।
- उभरते साइबर धोखाधड़ी के तरीकों एवं सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में ईमेल और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नियमित रूप से ग्राहकों को सलाह प्रदान की जाती है।
- लिंकडइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (X) तथा यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता वीडियो, पोस्टर एवं डिजिटल अभियान संचालित किए जाते हैं।
- शाखाओं में स्थापित नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट्स (नेडु) के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता से संबंधित क्रिएटिव्स प्रदर्शित किए जाते हैं।
- अंचल कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार तथा ग्राहक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित “साइबर जागरूकता दिवस” पहलों में ग्राहक आउटरीच अभियानों, वेबिनार तथा

जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी की जाती है।

- सुरक्षित डिजिटल व्यवहारों तथा साइबर जोखिम निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न लक्षित समूहों—जैसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), बैंक के कारोबार प्रतिनिधि (बीसी), वरिष्ठ नागरिक ग्राहक तथा स्कूल एवं कॉलेज के छात्र—के लिए थीम आधारित साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

ये पहलें साइबर जागरूक ग्राहक इकोसिस्टम के निर्माण तथा डिजिटल बैंकिंग चैनलों में विश्वास को सुदृढ़ करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

24.4 कर्मचारी साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं क्षमता विकास

- बैंक संरचित शिक्षण एवं सतत सहभागिता पहलों के माध्यम से कर्मचारियों के बीच सुदृढ़ साइबर सुरक्षा संस्कृति को निरंतर बढ़ावा देता रहा है। प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:
- वार्षिक स्तर पर सम्पूर्ण संगठन के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्य योजनाएँ
- विभिन्न स्थानों पर साइबर सुरक्षा टाउन हॉल तथा इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- दैनिक स्तर पर साइबर सुरक्षा से संबंधित सलाह एवं सर्वोत्तम व्यवहार से जुड़े संचार जारी किए जाते हैं।
- सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचाव के लिए कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने हेतु नियमित रूप से फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- साइबर सुरक्षा क्विज़, पहेलियाँ एवं जागरूकता अभियानों जैसी इंटरैक्टिव शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) के अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा मासिक सत्र एवं वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1930 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- साइबर सुरक्षा न्यूज़लेटर्स, थ्रेट इंटेलिजेंस अपडेट्स तथा उभरते जोखिमों से संबंधित सलाह का समय-समय पर प्रकाशन किया जाता है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

- नेतृत्व क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने साइबर सुरक्षा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएसईडीपी) भी शुरू किया है, जो एक इन-हाउस प्रमाणन पहल है और वरिष्ठ अधिकारियों एवं नेतृत्व टीमों में साइबर सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी जोखिम से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
- बैंक साइबर सुरक्षा गवर्नेंस, उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा जागरूकता-आधारित संस्कृति निर्माण में निरंतर निवेश के माध्यम से साइबर सुदृढ़ता को मजबूत करने, ग्राहक विश्वास की सुरक्षा करने तथा एक सुरक्षित एवं भविष्य के लिए तैयार डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है।

25. एनालिटिक्स क्षमताएं

बैंक ने नेक्स्ट-जनरेशन के डेटा रिपोर्टिग, एनालिटिक्स एवं रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (एंटरप्राइज़ डेटा लेक) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, जो विभिन्न स्रोतों से विशाल संरचित एवं असंरचित डेटा को समेकित करता है। यह आधुनिक डेटा रिपोर्टिग उन्नत विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाती है, डेटा अन्वेषण में सुधार करती है तथा परिचालन लागतों का अनुकूलन करती है। बैंक इस अभिनव अवसरचनना का उपयोग मशीन लर्निंग आधारित ऋण हामीदारी अंकन, विश्लेषण-आधारित कारोबार सृजन एवं ग्राहक प्रतिधारण के साथ-साथ दवाब-पहचान और धोखाधड़ी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कर रहा है।

वास्तविक-समय डेटा पहुंच को सक्षम करके तथा सुसंगत, उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करके, प्लेटफॉर्म सटीक विश्लेषण और अधिक कारोबारी लचीलेपन का समर्थन करते हुए आंतरिक एवं विनियामक रिपोर्टिंग दोनों को मजबूत करता है। यह बैंक को डेटा-आधारित निर्णय लेने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने तथा अपनी समग्र बाजार प्रतिस्पर्धात्मक को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है।

26. ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख पहलों के माध्यम से अपने संग्रहण प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ किया है:

26.1 बीओटी कॉलिंग पहल

देय राशियों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने और संग्रहण तंत्र को और मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक पूर्ण विकसित कॉल सेंटर स्थापित किया, जो उधारकर्ताओं को ईएमआई और अन्य देयों के समय पर भुगतान के संबंध में अनुस्मारक प्रदान करता है।

जनसंपर्क तथा परिचालन दक्षता में सुधार के लिए, बैंक ने 11 स्थानीय भाषाओं में बीओटी कॉलिंग कार्यान्वित की है, जिससे कम समय-सीमा के भीतर अधिक उधारकर्ताओं के साथ संवाद सक्षम हो गया। इस पहल ने ग्राहक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि की है तथा संग्रहण दक्षता सुधार में योगदान दिया है।

26.2 यूनियन कलेक्शन मैनेजमेंट सॉल्यूशन (यूसीएमएस) का कार्यान्वयन

बैंक ने यूनियन कलेक्शन मैनेजमेंट सॉल्यूशन (यूसीएमएस) नामक एक उन्नत प्लेटफॉर्म विकसित एवं कार्यान्वित किया है, जो आंतरिक एवं बाह्य डेटा स्रोतों से प्राप्त विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टियों और ग्राहक व्यवहार पैटर्न के आधार पर डेटा-संचालित एवं अनुकूलित संग्रहण कार्यनीतियाँ तैयार करने में सक्षम है।

वैयक्तिक उधारकर्ता द्वारा चुकौती की संभावना का आकलन करने हेतु एक स्कोरिंग/ प्रवृत्ति (भुगतान प्रवृत्तियों) मॉडल विकसित करने के लिए ऐतहासिक ऋण डेटा का लाभ उठाया गया है। यह समाधान एआई/ एमएल आधारित पूर्वानुमान एनालिटिक्स का उपयोग करता है, जिसमें वित्तीय संकेतक, जनसांख्यिकीय विवरण, भुगतान एवं लेन-देन व्यवहार, पूर्व चुकौती कार्यानिष्पादन, ब्यूरो डेटा, ग्राहक वर्गीकरण, दबाव संकेतक तथा आस्ति-संबंधी जानकारी शामिल है।

इन विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टियों के आधार पर, यूसीएमएस एक जोखिम वर्गीकरण ढांचा तैयार करता है, जो प्रत्येक उधारकर्ता खंड के लिए सर्वाधिक प्रभावी संचार चैनल और संग्रहण कार्यनीति निर्धारित करने में बैंक की सहायता करता है। समाधान द्वारा उत्पन्न भुगतान प्रवृत्ति स्कोर बैंक को लक्षित एवं प्रभावी वसूली कार्यनीतियों को अपनाने में सक्षम बनाता है, जिससे संग्रहण परिणामों और परिचालन प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

27. सतर्कता

बैंक का सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और तीन अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ) की निगरानी में कार्य करता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं। सीवीओ और एसीवीओ को केंद्रीय कार्यालय में पदस्थ 46 कार्यात्मक सतर्कता कार्यपालकों/ अधिकारियों तथा एपीजीबी सहित 148 क्षेत्र सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो पूरे भारत में क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों से संबद्ध हैं। इस टीम का प्रबंधन केंद्रीय कार्यालय में 2 उप महाप्रबंधक और 5 सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है, साथ ही दिल्ली, मुंबई और एपीजीबी में

प्रत्येक में 3 सहायक महाप्रबंधक पदस्थ होते हैं। सतर्कता कर्मी प्रत्येक स्तर पर एक निवारक कार्यबल के रूप में कार्य करते हैं, जो संवहनीय कारोबार विकास सुनिश्चित करते हैं और बैंक की लाभप्रदता में योगदान करते हैं। आश्वासन कार्यों का एक हिस्सा होने के नाते, इसे बैंक के रक्षा स्तंभों में से एक माना जाता है, जो सभी स्तरों पर पारदर्शिता के साथ सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के वातावरण को प्रख्यापित करता है। इस विभाग के 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं - निवारक, सहभागी और दंडात्मक। इसके अतिरिक्त, विभाग का उद्देश्य संगठन के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के सुधार हेतु व्यवस्थित सुधार की पेशकश करना है। संभावित जोखिमों को सक्रिय रूप से पहचान कर और उनका समाधान करने से, सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े वित्तीय, कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करने में सहायता करता है, जिससे संगठन और उसके हितधारकों के हितों की रक्षा होती है।

सहभागी सतर्कता को प्रभावी बनाने के लिए:

1. सतर्कता जागरूकता दिवस प्रत्येक महीने के प्रत्येक दूसरे गुरुवार को, चल रही धोखाधड़ी, उनकी कार्यप्रणाली और उपचारात्मक निवारक कार्रवाइयों को दूर करने के लिए मनाया जाता है।
2. सटीक जागरूकता के प्रयास के साथ, एक इन-हाउस फिल्म का निर्देशन किया गया, जिसमें स्वयं और संगठन के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के महत्व को दर्शाया गया था, साथ ही बैंक की अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रामाणिकता के मूल मूल्यों - सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 के दौरान बैंक के शीर्ष कार्यपालकों को शामिल करते हुए 01 वीडियो गीत लॉन्च किया गया, जिसमें सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बनाए रखने एवं सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने और सतर्कता को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में आत्मसात करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया था।
4. जागरूकता पैदा करने के लिए, संगठन की सभी इकाइयों में समय-समय पर निवारक सतर्कता दौरे करके सभी स्तरों पर सहभागी सतर्कता अभियान चलाया जाता है। यह भी प्रतिवर्ष आयोजित सतर्कता जागरूकता अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।
5. विभाग ने शाखाओं और नियंत्रण कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए शिक्षाप्रद शृंखला यानी

साप्ताहिक शृंखला- "दृष्टि" के 52 अंक, मासिक शृंखला "सतर्कता से सफलता" - 12 अंक और तिमाही शृंखला "यूनियन विजिल" के 4 अंक भी परिचालित किए हैं।

6. बैंक की सभी कार्यात्मक इकाइयों को कवर करते हुए कुल 8988 निवारक सतर्कता दौरे किए गए, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और कार्यात्मक प्रमुखों को उचित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए सलाह देना था।

निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने के प्रयास में, बैंक के स्थिरता सिद्धांत में योगदान देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न पहलें की गईं। अनुशासनात्मक प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण को "प्रोजेक्ट विश्वास" के रूप में शुरू किया गया जो मानव संसाधन, ईआर और सतर्कता अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म है, जो दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने और संग्रह करने, मामलों की कुशल समीक्षा करने और त्वरित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। इसे मौजूदा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों और कोर बैंकिंग डेटाबेस के साथ एकीकृत करके डिज़ाइन किया गया है ताकि निर्बाध डेटा प्रवाह और अनुशासनात्मक मामलों की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित हो सके।

डिजिटल सतर्कता डैशबोर्ड की अवधारणा विकसित की गई थी, जिसमें सतर्कता के विभिन्न अनुभागों जैसे मामलों की वर्तमान स्थिति, शिकायतें, और उनका निपटान, मामलों का विश्लेषण आदि का विवरण शामिल है। इसे पाक्षिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के अनुसार, 18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अग्रदूत के रूप में निवारक सतर्कता अभियान आयोजित किया गया, जिसका विषय "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" था यह दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक अखिल भारत में सभी शाखाओं/ कार्यालयों में उचित तरीके से मनाया गया।

समारोह के एक भाग के रूप में, संगठन के भीतर विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए, ताकि भारत की आम जनता और युवाओं में भ्रष्टाचार उन्मूलन और उपलब्ध निवारण उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत कुल 14947 कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान 74,000 से अधिक कर्मचारी और 2,77,620

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

नागरिकों ने विभिन्न स्तरों पर भाग लिया। इस अभियान अवधि के दौरान धोखाधड़ी से सीखे गए सबक और बैंक की नीतियों पर शिक्षाप्रद शृंखला का संकलन जारी किया गया।

28. परिचालन

28.1 डिजिटल ग्राहक सेवा एवं बैंकिंग पहलें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने डिजिटल, सहायक एवं समावेशी बैंकिंग चैनलों के विस्तार के माध्यम से अपनी ग्राहक सेवा संरचना को और सुदृढ़ किया। बैंक ने ग्राहक पहुंच में सुधार, सेवा की दक्षता बढ़ाने तथा विभिन्न सेवा संपर्क बिंदुओं पर एकसमान ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया।

बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग, डिजिटल संपर्क केंद्र सेवाओं, शिकायत निवारण तंत्र, स्वयं-सेवा प्रक्रियाओं तथा सुलभता-आधारित पहलों के माध्यम से अपने डिजिटल एवं सहायक सेवा इकोसिस्टम का गतिशील विस्तार किया है। ये पहलें ग्राहक सुविधा में सुधार, शाखा जाने पर निर्भरता कम करने तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम ग्राहक सहभागिता को सुदृढ़ करने के बैंक के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हैं।

• यूवीकॉन 3.0 – व्हाट्सएप बैंकिंग

यूवीकॉन 3.0 बैंक का 24x7 व्हाट्सएप-आधारित डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल नंबर 9666606060 पर उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को एक संवादात्मक बैंकिंग चैनल के रूप में उपयोग करता है, जिससे ग्राहक सरल एवं सुविधाजनक तरीके से बैंकिंग जानकारी, खाता संबंधी सेवाएँ तथा सहायक ग्राहक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में 7 भाषाओं—अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला एवं मराठी—में उपलब्ध है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है। वर्तमान में यूवीकॉन 74 से अधिक गैर-वित्तीय सेवाएँ/सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें खाता जानकारी, सेवा अनुरोध, ऋण एवं जमा उत्पादों का विवरण, स्टेटमेंट्स, ग्राहक सेवा सहायता तथा ग्राहक फीडबैक सेवाएँ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म पर कई नई सेवाएँ/सुविधाएँ जोड़ी गईं, जिनमें शिक्षा ऋण ब्याज प्रमाणपत्र, लेन-देन विवाद, जमा विवरण, डेबिट कार्ड में द्वितीयक खातों को जोड़ना, खाता एवं जमा उत्पाद, खुदरा ऋण उत्पाद, एमएसएमई ऋण

उत्पाद, कृषि कारोबार उत्पाद, स्वर्ण ऋण उत्पाद, यूवीए के साथ चैट, पीपीएफ स्टेटमेंट, एसएसए स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप तथा शाखा फीडबैक शामिल हैं। ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने हेतु अतिरिक्त सुधार भी लागू किए गए, जैसे सेवाओं के विवरण के भीतर ग्राहक सेवा जानकारी का प्रदर्शन तथा एकीकृत फीडबैक तंत्र की शुरुआत।

यूवीकॉन को आगे बढ़ाते हुए 19 देशों में एनआरआई ग्राहकों के लिए भी सक्षम बनाया गया है। नए जुड़े ग्राहकों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं को दर्शाते हुए स्वागत संदेश भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, UVConn पर 75.15 लाख से अधिक ग्राहकों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 476 लाख से अधिक ग्राहक प्रश्नों का निवारण किया गया है, जो संवादात्मक डिजिटल बैंकिंग चैनलों के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

• डिजिटल संपर्क केंद्र

बैंक का डिजिटल संपर्क केंद्र (डीसीसी) एक बड़े स्तर के बहु-चैनल ग्राहक सेवा एवं सहभागिता प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो चुका है, जो इनबाउंड एवं आउटबाउंड वॉइस, चैट, वीडियो बैंकिंग, ईमेल तथा बॉट-सहायता प्राप्त सेवाओं को समर्थन प्रदान करता है। नोएडा, मुंबई और हैदराबाद स्थित केंद्रों के माध्यम से 24x7 संचालित यह डीसीसी वर्तमान में प्रति माह लगभग 30 लाख ग्राहक इंटरैक्शनों को संभालता है, जिनमें लगभग 8-10 लाख एजेंट-सहायता प्राप्त इंटरैक्शन शामिल हैं।

डिजिटल संपर्क केंद्र वर्तमान में 22 भाषाओं में ग्राहक सेवा प्रदान करता है। अंग्रेज़ी और हिंदी के अतिरिक्त, सेवाएँ असमिया, बांग्ला, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली तथा तुलु भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। बहुभाषी डिजिटल सेवाओं और ग्राहक सुविधा को और सुदृढ़ करने के लिए बैंक के चैटबॉट प्लेटफॉर्म को भी सभी 22 भाषाओं में सक्षम बनाया गया है।

बैंक ने पारंपरिक कॉल सेंटर मॉडल को क्रमिक रूप से एक समेकित डिजिटल संपर्क केंद्र (डीसीसी) इकोसिस्टम में परिवर्तित किया है, जिसमें उन्नत स्वयं-सेवा, सहायक सेवाएँ तथा एआई-सक्षम क्षमताएँ शामिल हैं। वर्तमान में, डीसीसी इकोसिस्टम विभिन्न एआई-सक्षम सुविधाओं का समर्थन करता है, जिनमें संवादात्मक

बॉट, चैटबॉट, स्पीच एनालिटिक्स, वॉइस बायोमेट्रिक, स्वचालित गुणवत्ता प्रबंधन, कार्यबल प्रबंधन तथा एजेंट असिस्ट समाधान शामिल हैं। इसके साथ ही, आईवीआर एवं डिजिटल चैनलों के माध्यम से 35 से अधिक एपीआई-सक्षम स्वयं-सेवा प्रक्रियाएँ भी उपलब्ध हैं।

डिजिटल संपर्क केंद्र ने 100% छूटी कॉल पर कॉलबैक तंत्र, बहुभाषी सेवा, ग्राहक वर्गीकरण, सहायक डिजिटल प्रक्रियाएँ तथा ग्राहक ईमेल और सेवा अनुरोधों के केंद्रीकृत प्रबंधन जैसी पहलों के माध्यम से ग्राहक अनुभव और सेवा की निरंतरता को भी सुदृढ़ किया है। यह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी चेतावनी सत्यापन, ग्राहक सुरक्षा सहायता, वसूली संपर्क तथा सक्रिय ग्राहक सहभागिता पहलों को भी समर्थन प्रदान करता है।

28.2 नई परियोजनाएं लागू की गईं

बैंक ने वर्ष के दौरान कई ग्राहक-केंद्रित पहलों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पहुंच में सुधार करना और सेवा चैनलों में ग्राहक सुविधा को बढ़ाना है।

प्री-फिल्ड सेवा अनुरोध फॉर्म तथा सावधि जमा एवं आवर्ती जमा खाता खोलने के फॉर्म को लागू किया गया है, जिससे ग्राहक आईडी या खाता संख्या के आधार पर ग्राहक हेतु सुलभ फॉर्म तैयार किए जा सकते हैं।

इस पहल ने मोबाइल नंबर अद्यतन, पता अद्यतन तथा पहचान संबंधी विवरणों में संशोधन जैसी नियमित सेवा आवश्यकताओं को सरल बना दिया है, साथ ही मैनुअल हस्तक्षेप को कम करते हुए ग्राहक सुविधा में सुधार किया है।

बैंक ने बधिर एवं वाक् बाधित ग्राहकों के लिए सुलभता और समावेशी बैंकिंग सहायता को बेहतर बनाने हेतु डिजिटल संपर्क केंद्र के माध्यम से साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सुविधा शुरू की है। यह सेवा सुरक्षित वीडियो-सहायता प्राप्त सेवा चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और प्रौद्योगिकी-सक्षम समावेशी बैंकिंग के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

28.3 शिकायत निवारण तंत्र

बैंक ने ग्राहक शिकायतों एवं अभ्यावेदन के संरचित, समयबद्ध एवं प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने के लिए अपने शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया है। शिकायत निवारण ढांचे के विभिन्न स्तरों पर

भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा शिकायतों के त्वरित समाधान में सहयोग हेतु मानक परिचालन प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं।

संशोधित शिकायत निवारण नीति एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत शिकायतों की प्रकृति के अनुसार एक संरचित एस्केलेशन मैट्रिक्स तथा निर्धारित टर्नअराउंड समयसीमाएँ तय की गई हैं। इसका उद्देश्य ग्राहक शिकायतों को न्यूनतम करना तथा उनका त्वरित एवं निष्पक्ष निवारण सुनिश्चित करना है।

ग्राहक वर्तमान में अपनी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से दर्ज कर सकते हैं, जिनमें कॉर्पोरेट वेबसाइट, आईवीआर, कॉल सेंटर, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग तथा ईमेल शामिल हैं। शिकायत दर्ज होने पर ग्राहकों को एक शिकायत संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों का निपटारा 24x7 आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्यूआर-कोड आधारित शिकायत पंजीकरण एवं ग्राहक फीडबैक तंत्र भी प्रारंभ किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक का शिकायत निवारण कार्य-निष्पादन निम्नानुसार रहा:

यथा दिनांक 01 अप्रैल 2025 तक के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	11,643
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7,60,545
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	7,55,118
यथा दिनांक 31 मार्च 2026 तक के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	17,070

28.4 बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के खंड 15(1) (b) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध ₹3,97,055.71 (रुपये तीन लाख सत्तानवे हजार पचपन और इकहत्तर पैसे) का एक अवार्ड जारी किया गया है।

28.5 बैंक ऑफिस संचालन के लिए राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र

बैंक के लिए ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया एवं बैंक-ऑफिस संचालन को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने वाला एक प्रौद्योगिकी-संचालित ग्राहक फ्रेमवर्क है।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

28.5.1 एनपीसी के प्रमुख बैंक-ऑफिस कार्य:

• केंद्रीकृत एवं मानकीकृत ग्राहक ऑनबोर्डिंग

बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं के लिए एक केंद्रीकृत प्रोसेसिंग प्रणाली लागू की है, जिसमें एकसमान मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) अपनाई गई हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप और परिचालन त्रुटियों में कमी आई है।

यह मानकीकरण शाखाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा सभी ग्राहक ऑनबोर्डिंग गतिविधियों में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

डी-डुप्लिकेशन जांच और प्रमाणीकरण नियंत्रण ग्राहक डेटा की अखंडता को और सुदृढ़ करते हैं, जिससे मैनुअल सत्यापन की आवश्यकता कम हो जाती है। उन्नत नियंत्रण और स्वचालन धोखाधड़ी के जोखिम और परिचालन त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आती है, बैंक-जिससे बैंक-ऑफिस परिचालन अधिक सुरक्षित और कुशल बनते हैं।

• डिजिटल स्वयं-सेवा एवं वी-सीआईपी

ग्राहक डिजिटल रूप से ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं तथा वीडियो केवाईसी को दूरस्थ रूप से पूर्ण कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए स्व-पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत रूप से शाखा के दौरे और कागजी कार्रवाई की संख्या कम हो जाती है।

29. कार्यनीति वर्टिकल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कार्यनीति वर्टिकल को सुदृढ़ करते हुए इसे “कॉर्पोरेट कार्यनीति एवं कारोबार उत्कृष्टता” वर्टिकल के रूप में पुनर्स्थापित किया गया, ताकि यह बैंक के विकास और परिवर्तन के लिए एक केंद्रीय इंजन के रूप में कार्य कर सके। कार्यनीति निर्माण, विश्लेषण, आर्थिक अनुसंधान, सीआर एवं एमआईएस, ईज सुधारों तथा परियोजना प्रबंधन को एकीकृत एवं एकल रिपोर्टिंग संरचना के अंतर्गत लाकर, बैंक ने अब एक सशक्त संस्थागत मंच विकसित किया है, जो विचारों को क्रियान्वयन में, डेटा को निर्णयों में तथा नीतियों को मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने में सक्षम है।

यह एकीकृत वर्टिकल कारोबारी पहलों का अधिक सटीक प्राथमिकता निर्धारण, डिजिटल प्रक्रियाओं के त्वरित क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण

परियोजनाओं की सख्त निगरानी, बेहतर विनियामकीय तैयारी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न वर्टिकल और फील्ड इकाइयों के बीच सुचारु समन्वय को सक्षम बनाता है। यह परिवर्तन के लिए एक बाटम-अप, कर्मचारी-केंद्रित तथा ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को समाहित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सुधार समयानुकूल हों और परिचालन वास्तविकताओं के अनुरूप हों।

पुनर्गठित कॉर्पोरेट कार्यनीति एवं कारोबार उत्कृष्टता वर्टिकल ने प्रोजेक्ट मुस्कान, यूनियन इनोवेशन लीग आदि जैसी कई पहलें प्रारंभ की हैं, जो एक संरचित बाटम-अप सहभागिता दृष्टिकोण के रूप में कार्य करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य फील्ड समर्थन को सुदृढ़ करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, डिजिटल पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, अनुपालन एवं सुरक्षा फ्रेमवर्क को गहरा करना तथा पूरे बैंक में क्रियान्वयन की गति को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, सभी कारोबारी इकाइयों को समाविष्ट करते हुए कारोबार एवं अनुपालन अभियान भी प्रारंभ किए गए हैं, जो कारोबार विकास एवं अनुपालन मापदंडों पर केंद्रित हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप संवहनीय कारोबार वृद्धि सुनिश्चित हुई है तथा समग्र अनुपालन स्तरों में सुधार देखा गया है।

30. इकोसिस्टम बैंकिंग

बैंक ने अपने संस्थागत कारोबार को मजबूत करने और अधिक स्थिर और संवहनीय जमा आधार बनाने के लिए एक दूरदर्शी कार्यनीतिक कदम के रूप में इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल की शुरुआत की है।

आज के परिवेश में, संस्थाएँ एकाकी रूप से कार्य नहीं करती हैं। प्रत्येक संगठन कर्मचारियों, विक्रेताओं, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों से युक्त एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा होता है। ये परस्पर जुड़े संबंध कई प्रकार के वित्तीय प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जिसमें वेतन और परिचालन शेष से लेकर भुगतान, संग्रह और निवेश गतिविधियां शामिल होती हैं।

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल को बैंक के दृष्टिकोण को वैयक्तिक खाता संबंधों से अधिक व्यापक इकोसिस्टम-आधारित सहभागिता में परिवर्तित कर इस व्यापक अवसर का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक संस्थागत संबंध को सूत्रधार के रूप में माना जाता है, जिसके आसपास बैंक पूरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है। यह बैंक को संबंधों को और अधिक गहरा करने, विभिन्न प्रतिभागियों के साथ जुड़ाव का विस्तार करने तथा दीर्घकालिक, मूल्य-आधारित बैंकिंग साझेदारियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।

यह पहल ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और उद्योग के रुझानों के अनुरूप, संबंध-आधारित और प्रवाह-आधारित बैंकिंग मॉडल बनाने की दिशा में एक कार्यनीतिक कदम को दर्शाती है।

30.1 बैंक की परिकल्पना क्या है?

बैंक ने विशेष रूप से अपने कासा आधार को मजबूत करने और समग्र कारोबार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, संवहनीय विकास के एक प्रमुख संचालक के रूप में इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल की परिकल्पना की है।

इसका मुख्य उद्देश्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों और उभरते कारोबारी समूहों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थानों के साथ गहन जुड़ाव स्थापित करना है।

इस पहल के माध्यम से बैंक के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- ❖ एकीकृत वित्तीय समाधान प्रदान करके संस्थागत ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करना
- ❖ मुख्य खातों से परे कर्मचारियों, विक्रेताओं और संबद्ध प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए सहभागिता का विस्तार करना।
- ❖ परिचालन और लेनदेन आधारित शेष राशि की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।
- ❖ उच्च-गुणवत्ता और आवर्ती वित्तीय प्रवाह में बैंक की उपस्थिति को सुदृढ़ करना

मुख्य जोर एक ऐसे बैंकिंग मॉडल के निर्माण पर है, जहाँ विकास, अस्थायी या अल्पकालिक संसाधन संग्रहण के बजाय संस्थागत इकोसिस्टम के भीतर सतत वित्तीय गतिविधियों से संचालित हो।

समय के साथ, इस दृष्टिकोण से जमा की गुणवत्ता में सुधार होने, ग्राहक जुड़ाव में वृद्धि होने और अधिक सुदृढ़ कारोबारी प्रोफ़ाइल को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

30.2 परिचालन ढांचा

इस पहल को सुव्यवस्थित और व्यापक तरीके से कार्यान्वित करने के लिए, बैंक ने एक समर्पित परिचालन ढांचा स्थापित किया है।

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल एक बहुस्तरीय संरचना के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ कार्यनीति, गवर्नेंस और समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी एक केंद्रीय टीम
- ❖ फील्ड स्तर के 9 इकोसिस्टम हब, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में क्रियान्वयन को समन्वित और मार्गदर्शित करते हैं।
- ❖ समर्पित 118 इकोसिस्टम कारोबार केंद्र, जो संस्थानों और उनके इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव सुदृढ़ करते हैं।

यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि पूरे बैंक में इकोसिस्टम के अवसरों की पहचान, उनका अनुसरण और विकास समन्वित तरीके से किया जाए



इसके अतिरिक्त, यह पहल संस्थागत संबंध प्रबंधन, लेनदेन बैंकिंग और धन समाधान जैसी प्रमुख क्षमताओं को एकीकृत करती है, जिससे ग्राहक जुड़ाव के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण संभव हो पाता है।

30.3 ऑपरेटिंग मॉडल को निम्नलिखित हेतु डिज़ाइन किया गया है:

- ❖ सभी क्षेत्रों में सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
- ❖ बैंक के मौजूदा नेटवर्क और ग्राहक आधार का लाभ उठाना।
- ❖ विभिन्न कारोबारी कार्यों में बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करना।
- ❖ दीर्घकालिक संबंधों के विकास में सहयोग करना

यह सुनियोजित दृष्टिकोण बैंक को कार्यनीतिक दिशा को फील्ड स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन क्षमताओं के साथ संयोजित करने में सक्षम बनाता है।

30.4 इससे बैंक के शेयरधारकों को किस प्रकार लाभ होगा

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल से बैंक के दीर्घकालिक कार्य-निष्पादन और मूल्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होने की उम्मीद है।

- ए. कासा आधार का सुदृढ़ीकरण: परिचालन और लेनदेन प्रवाह से जमा को जोड़कर, बैंक अधिक स्थिर और व्यापक कासा आधार बनाने में सक्षम होगा। इससे अस्थिरता कम होती है और निधियों की लागत कम करने में सहायता मिलती है।

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

- बी. संवहनीय विकास मॉडल : यह पहल वेतन, भुगतान और वसूली जैसे आवर्ती वित्तीय प्रवाहों को एकत्रित करने पर केंद्रित है। इससे एक स्थिर और पूर्वानुमानित विकास पथ का निर्माण होता है, जिससे कारोबार की स्थिरता में वृद्धि होती है।
- सी. संवर्धित शुल्क आय: संस्थागत लेनदेन के साथ बढ़ते एकीकरण से भुगतान और संग्रह सेवाओं और संबंधित पेशकशों के माध्यम से शुल्क-आधारित आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- डी. बेहतर ग्राहक संबंध: व्यापक इकोसिस्टम में सहभागिता, बैंक को प्रत्येक संस्थागत ग्राहक के साथ संबंधों को गहरा करने और कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम बनाती है।
- ई. दीर्घकालिक संबंध स्थिरता: एक अधिक एकीकृत सहभागिता मॉडल ग्राहक की स्थिरता को मजबूत करता है और अल्पकालिक या लेन-देन आधारित संबंधों पर निर्भरता को कम करता है।
- एफ. भविष्य के विस्तार हेतु मंच: इकोसिस्टम बैंकिंग ढांचा भविष्य की वृद्धि के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है, जिससे बैंक नए क्षेत्रों में विस्तार कर सकता है और संस्थागत तथा लेन-देन आधारित बैंकिंग में उभरते अवसरों का लाभ उठा सकता है।

30.5 आगे की राह

इकोसिस्टम बैंकिंग वर्टिकल, बैंक की चल रही परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

संस्थागत संबंधों को व्यापक वित्तीय इकोसिस्टम के साथ संरेखित करके बैंक एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा है जो न केवल विकासोन्मुखी है बल्कि संवहनीय और सुदृढ़ भी है।

यह पहल बैंक की अपने मूल कारोबारी सिद्धांतों को मजबूत करने, ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने और अपने शेयरधारकों को निरंतर दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

31. केंद्रीय समाधान.

समाधान विभाग ने विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से उत्पन्न लेन-देन के लिए एक सुदृढ़ समाधान प्रक्रिया स्थापित की है। सभी डिजिटल लेन-देन का समाधान टी+1 दिनों के भीतर/या एनपीसीआई द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समाधान वर्टिकल ने 2,030.04 करोड़ डिजिटल लेन-देन का समाधान किया। औसतन, बैंक ने प्रतिदिन 5.56 करोड़ लेन-देन का प्रबंधन किया।

वर्टिकल ने विफल लेनदेन के समाधान और वापसी से संबंधित सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों और नेटवर्क निर्देशों का भी अनुपालन किया था। डिजिटल लेनदेन पर ग्राहकों द्वारा उठाए गए सभी विवादों का तत्काल समाधान किया गया और एनपीसीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान/ समाधान किया गया।

समाधान विभाग डिजिटल लेनदेन के चक्रवार समाधान को लागू करने की तैयारी में है। यह बैंक को उसी दिन 4 घंटे के भीतर विफल लेनदेन को सक्रिय रूप से वापस करने में सक्षम करेगा। यह परिवर्तन परिचालन उत्कृष्टता और "ग्राहक-प्रथम" कार्यनीति के लिए बैंक की प्रतिबद्धता की आधारशिला है परिचालन विभाग डिजिटल लेनदेन के चक्रवार समाधान को लागू करने की तैयारी में है। यह बैंक को उसी दिन 4 घंटे के भीतर विफल लेनदेन को सक्रिय रूप से वापस करने में सक्षम करेगा। यह रूपांतरण परिचालन उत्कृष्टता और "ग्राहक-प्रथम" कार्यनीति के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का एक आधारशिला है।

32. डिजिटल कारोबार वर्टिकल.

"वर्ष के दौरान, बैंक ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से कारोबार विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित सेटअप के रूप में डिजिटल कारोबार वर्टिकल (डीबीवी) की स्थापना की। डीबीवी का गठन स्केलेबल डिजिटल वितरण क्षमताओं के निर्माण, ग्राहक अनुभव में सुधार और उभरते डिजिटल इकोसिस्टम में बैंक की उपस्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक कदम है।

डीबीवी की परिकल्पना एक केंद्रित कारोबार वर्टिकल के रूप में की गई है, जो गैर-शाखा चैनलों, भागीदारियों और प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिजिटल कारोबार जुटाने और तीव्रता लाने के लिए उत्तरदायी है। यह वर्टिकल ग्राहकों के लिए सुगम और कुशल डिजिटल प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु कारोबार, परिचालन, प्रौद्योगिकी और आश्वासन कार्यों के घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है।

डीबीवी के प्रमुख फोकस क्षेत्र में डिजिटल ऋण, डिजिटल जमा, फिनटेक एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ भागीदारी, प्रक्रिया डिजिटलीकरण और डिजिटल कारोबार की एनालिटिक्स-आधारित अनुश्रवण शामिल हैं। इस वर्टिकल का उद्देश्य डिजिटल परिचालनों में उपयुक्त गवर्नेंस और नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना भी है।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों की बढ़ती प्राथमिकता के साथ, डीबीवी की स्थापना बैंक को भविष्य के डिजिटल विकास एवं नवाचार के लिए एक सुदृढ़ आधार बनाते हुए, उभरती बाजार गतिशीलता एवं ग्राहक अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रखती है।"

33. सहायक सेवाएँ विभाग

सहायक सेवाएँ विभाग(एसएसडी) ने बैंक के सुचारु एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तथा पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराने पर अपना निरंतर ध्यान बनाए रखा। विभाग ने स्थान के इष्टतम उपयोग तथा जलवायु-संवेदनशील डिज़ाइन पर विशेष जोर दिया, जिससे पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस(ईएसजी) सिद्धांतों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

सहायक सेवाएँ विभाग वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं एवं भविष्य की विस्तार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्यालय एवं आवासीय सुविधाएँ प्रदान कर बैंक की वृद्धि का समर्थन करता रहा है। विभाग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, नियोजित पहलों को आगे बढ़ाने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु स्थिरता उपायों के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ ही लागत के अनुकूलन पर भी विशेष ध्यान देता है।

अवसंरचना विकास के अंतर्गत ग्रीन बिल्डिंग पद्धतियों पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में दो नए कार्यालय भवनों के निर्माण की शुरुआत की गई थी, जबकि अतिरिक्त चार कार्यालय भवन विभिन्न पूर्णता चरणों में हैं। सभी परियोजनाओं को ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों तथा संवहनीय निर्माण प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया जा रहा है।

आगामी अवधि में, बैंक सभी परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अपनाने को तेज करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही, निर्धारित समयसीमाओं के भीतर चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा नियोजित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

34. परिदृश्य

34.1 बाहरी चुनौतियों के बीच सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। आर्थिक गतिविधि में तेजी आई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान (एसएई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 7.6% रही, जो निजी अंतिम उपभोग व्यय में सुदृढ़ वृद्धि के कारण थी। आपूर्ति पक्ष में, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वर्ष-दर-वर्ष 7.7% बढ़ा, जिसका कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र रहे। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2025-26 में औसतन 2.1% रही, जो 2024-25 के 4.6% से कम है। उपभोग में सुधार के साथ-साथ सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। निजी उपभोग में सुधार, कृषि गतिविधि में सुधार, सेवा क्षेत्र की निरंतर लचीलापन, उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों और कॉर्पोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट, तथा पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर बल, वृद्धि परिदृश्य के

लिए सकारात्मक संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कई उपाय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले हैं।

34.2 केंद्रीय बजट 2026-27 में छह बिंदुओं की योजना प्रस्तावित की गई है, जो कार्यनीतिक और उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने, पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरोद्धार, अग्रणी एमएसएमई तैयार करने, अवसंरचना को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा शहर आधारित आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। यह, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों में प्रगति के साथ, भारत के समग्र आर्थिक वृद्धि परिदृश्य के लिए अनुकूल है। हालांकि, बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव, बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उत्पन्न वैश्विक जोखिम वृद्धि परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में, बैंक ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रहने की संभावना है। पिछले 10-15 वर्षों में लाभप्रदता स्तरों/मेट्रिक्स के अलावा पूंजी, प्रावधान कवरेज और आस्ति गुणवत्ता अनुपात में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ, बैंकिंग क्षेत्र को भारत के विकास पथ को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक ऋण निर्माण का समर्थन करने हेतु संसाधनों और क्षमता से युक्त है। आगे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दोहराया है कि वह नीतिगत कदमों में सतर्क, सक्रिय और लचीला बना रहेगा, ताकि आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए वैश्विक प्रभावों के घरेलू वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।

35. अवसर

1. भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के वित्तपोषण हेतु बैंकिंग क्षेत्र सुस्थित है।

पिछले 10-15 वर्षों में पूंजी, प्रावधान कवरेज तथा आस्ति गुणवत्ता अनुपातों में उल्लेखनीय सुधार, साथ ही लाभप्रदता के स्तर/मानकों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक ऋण सृजन का समर्थन करने के लिए सुसज्जित और सक्षम हो गया है, जिससे विकास की गति को वित्तपोषित किया जा सके।

भारत सरकार की "विकसित भारत" 2047 की परिकल्पना में बैंकिंग क्षेत्र को देश के विकास वित्त पोषण ढांचे के केंद्र में रखा गया है। इसका प्रमाण केन्द्रीय बजट 2026-27 में बैंकिंग क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति के गठन में देखा जा सकता है। व्यापार समझौते, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ, अवसंरचना को बढ़ावा, तथा आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते औपचारिककरण के परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर बैंकिंग सेवाओं की निरंतर मांग उत्पन्न हो रही है—जिसमें कार्यशील पूंजी, परियोजना वित्त, व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा सेवाएँ, लेन-देन बैंकिंग तथा खुदरा वित्तीय उत्पाद शामिल हैं।



प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

2. वित्तीय वर्ष 2026 में ऋण वृद्धि उच्च दोहरे अंकों तक पहुंची और यह गति वित्तीय वर्ष 27 में भी जारी रह सकती है

बैंकिंग प्रणाली स्तर पर ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष 2025 में ~11% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ~16% तक पहुँच गई है, जिसे मांग और नीतिगत पहलों—दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। निजी क्षेत्र के पूँजीगत व्यय में व्यापक सुधार की धीमी गति के बावजूद, ऋण मांग में वृद्धि विभिन्न ऋण श्रेणियों के मिश्रण में दिखाई दे रही है। इसमें कार्यशील पूँजी ऋण, मांग ऋण तथा अन्य अल्पावधि सुविधाओं की हिस्सेदारी में अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि सावधि ऋण एवं बड़े कॉर्पोरेट एक्सपोज़र की हिस्सेदारी में क्रमिक गिरावट देखी जा रही है। आगे, वित्तीय वर्ष 2027 में भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, पूँजी प्रवाह में मंदी तथा पूँजी निवेश भावना में संभावित व्यवधान के कारण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद, सांकेतिक जीडीपी वृद्धि वित्तीय वर्ष 2026 में ~8.5% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2027 में अनुमानित ~12-14% तक पहुँचने की संभावना के कारण ऋण वृद्धि 13-16% के दायरे में बनी रह सकती है।

3. क्षेत्रवार ऋण अवसर उभर रहे हैं, जिन्हें प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

यह अवसर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, औद्योगिक मशीनरी, चिकित्सा उपकरण, बैटरी सेल, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा सेंटर एवं लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध है, जहाँ विशेष रूप से एमएसएमई -प्रधान क्लस्टरों में नए ऋण एवं शुल्क-आधारित आय के अवसर उभर रहे हैं। इससे निर्यात ऋण, एमएसएमई वित्तपोषण, पूँजीगत व्यय ऋण तथा विदेशी मुद्रा सेवाओं की स्थायी मांग उत्पन्न होगी। अवसर प्री-शिपमेंट क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, सप्लाय चैन फाइनेंसिंग तथा विदेशी मुद्रा हेजिंग समाधानों में भी निहित है। इस प्रकार, दीर्घकाल में पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़कर बैंक एक पूँजीगत व्यय वित्तपोषण एवं परियोजना मूल्यांकन संस्था के रूप में विकसित हो सकते हैं।

36. खतरे

1. भू-राजनीतिक परिस्थितियों से बैंकिंग क्षेत्र की गतिशीलता पर दबाव

वैश्विक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, जहाँ 2025 में ट्रम्प के टैरिफ से संबंधित मुद्दों जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके बाद 2026 से पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत हुई। हम नीति-निर्माताओं—सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक—

के प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र पर भू-राजनीतिक तनावों के प्रभाव को कम करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं। इसके बावजूद, वर्तमान परिस्थिति में व्यवसायिक निर्णय लेते समय सावधानी अपनाना अत्यंत आवश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र पर इन घटनाओं के प्रभाव विभिन्न माध्यमों से दिखाई दिए हैं, जैसे बाजार दरों में वृद्धि, जिसके कारण ट्रेजरी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथा प्रभावित क्षेत्रों—विशेषकर एमएसएमई—में संभावित तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि, नीतिगत उपायों के कारण इन प्रभावों को काफी हद तक संतुलित किया गया है।

2. एआई/डिजिटल प्रगति से उत्पन्न चुनौतियाँ, जिनसे निपटना आवश्यक है

बैंकिंग क्षेत्र स्वयं तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल चैनल अब ग्राहक अर्जन, सेवा प्रदान करने एवं ग्राहक सहभागिता का प्रमुख माध्यम बन गए हैं। ग्राहक अपेक्षाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिसमें गति, सुविधा, पारदर्शिता तथा निर्बाध समेकित अनुभव पर बढ़ता हुआ जोर है। डिजिटलीकरण का प्रभाव जमा वृद्धि पर भी देखा जा रहा है, जहाँ सरकारी जमा में “जस्ट इन टाइम” दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। साथ ही, डिजिटल भुगतान और वेल्थ मैनेजमेंट ऐप्स के उपयोग से कासा खातों में “फ्लोट” समय (अर्थात निष्क्रिय पड़ी राशि की अवधि) में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, जनरेटिव एआई (सामग्री निर्माण) से एजेंटिक एआई (जहाँ एआई एजेंट क्रियात्मक कार्य करते हैं, जैसे खरीद/बिक्री) की ओर हो रहा संक्रमण जवाबदेही, देयता और परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नए गवर्नेंस ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, आईटी, जोखिम प्रबंधन तथा डेटा एनालिटिक्स में विशेष कौशलों की आवश्यकता मिड-लेवल कर्मचारियों के लिए भी बढ़ती जा रही है। यह निकट एवं मध्यम अवधि में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मानव संसाधन चुनौती प्रस्तुत करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह परिवर्तन एक द्वि-आयामी चुनौती प्रस्तुत करता है। एक ओर, प्रौद्योगिकी, ग्राहक अनुभव तथा उत्पाद नवाचार के क्षेत्र में प्रभावी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही “बढ़ते साइबर जोखिम” तथा एआई अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना है। दूसरी ओर, सरकार की योजनाओं, प्राथमिकता क्षेत्रों तथा वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को समर्थन देने की जिम्मेदारी भी बनी रहती है। यह स्थिति एक ऐसी कार्यनीति की मांग करती है, जो विभेदित, केंद्रित और कार्यान्वयन-उन्मुख हो, न कि ऐसी जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से विस्तार करने का प्रयास करे।

3. जमा लागत में संरचनात्मक वृद्धि एक प्रमुख अंतर्निहित प्रवृत्ति बनी हुई है.

वित्तीय वर्ष 2026 में जहाँ ऋण वृद्धि 16.1% तक तेज़ी से बढ़ी, वहीं जमा वृद्धि 13.5% पर अपेक्षाकृत धीमी रही, जिससे बैंकों को क्रेडिट-डिपॉज़िट अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े. यह अंतर दर्शाता है कि बैंकों के बीच जमाओं को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड, इक्विटी तथा डिजिटल वित्तीय उत्पाद जैसे वैकल्पिक निवेश साधनों से भी प्रतिस्पर्धा शामिल है. इसके परिणामस्वरूप, कम लागत वाले कासा जमा पर पूरे

बैंकिंग तंत्र में दबाव आया है, जबकि उच्च लागत वाले बल्क डिपॉज़िट पर निर्भरता बढ़ी है. इसका प्रभाव वित्तपोषण लागत एवं मध्यम अवधि में मार्जिन पर भी पड़ सकता है.

कृत निदेशक मंडल के ओर से

स्थान: मुंबई

(आशीष पाण्डेय)

दिनांक: 17/06/2026

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में बैंक की मान्यता

- 1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।
- 1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनकी संपदा के सृजन करने और उसकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीतियों, सुविचारित कारोबार योजनाओं, प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण तथा अपने विधिक एवं नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के अनुपालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।
- 1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि बोर्ड एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा।
- 1.4 सर्वोत्तम पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए, बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करने में मदद करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बैंक में प्रचलित पद्धतियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा:
 - बोर्ड एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
 - अनुपालन (विनियामक एवं नीतिगत)
 - शेयरधारकों के साथ संबंध
 - बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
 - अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, हिसल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

- 1.5 बैंक एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करता है।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण), अधिनियम 1970, यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।
- 2.2 बोर्ड के उत्तरदायित्वों में बैंक के समग्र कार्य का अनुश्रवण सहित कारोबार संचालन, कारोबार समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण आदि संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 2.3 बोर्ड द्वारा विभिन्न बोर्ड की समितियों का गठन किया गया है और बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए अपने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें आवधिक अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं।
- 2.4 यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) एवं चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त चार गैर-कार्यकारी निदेशक भी शामिल थे, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके समृद्ध एवं बृहद् अनुभव, विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- 2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मकार कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद रिक्त रहे। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए श्रेणी के निदेशक और तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को रिक्त रहे।

2.6 यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
1	श्री आशीष पाण्डेय, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	30.09.2025	एमसीबी एसआरसी आरएमसी आईटीएससी एससीबीएमएफ डीपीसी एसटीसीबी एचआरएससी सीएसी-1 आरईएमसी सीडीआरसीएफ आरसीबीडबल्यूडी बीसीसीएस	4500	1	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, जो पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 30.09.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग एवं विपणन
2	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ बीसीसीएस	6725	1	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 10.03.2021 से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई. आगे, दिनांक 18.09.2023 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, श्री नितेश रंजन के कार्यकाल को, जो दिनांक 09.03.2024 को समाप्त हो रहा था, दो वर्षों की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 09.03.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया. आगे, दिनांक 15.09.2025 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, श्री नितेश रंजन के अधिसूचित कार्यकाल को, जो दिनांक 09.03.2026 को समाप्त हो रहा था, तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है. विशेषज्ञता का क्षेत्र: अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन, बैंकिंग
3	श्री रामसुब्रमणियन एस, कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ बीसीसीएस	शून्य	1	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 21.11.2022 से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई. आगे, दिनांक 15.09.2025 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, श्री रामसुब्रमणियन एस के कार्यकाल को उनकी अधिवर्षिता की तिथि, अर्थात दिनांक 30.06.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया गया है. विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग एवं वित्त



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

क्रम संख्या	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियाँ (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
4	श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक	09.10.2023	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ बीसीसीएस	शून्य	2	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, जो पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 09.10.2023 से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात दिनांक 30.06.2026) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: जोखिम, बैंकिंग एवं वित्त प्रबंधन
5	श्री अमरेश प्रसाद, कार्यपालक निदेशक	24.11.2025	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ बीसीसीएस	शून्य	1	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, जो पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 24.11.2025 से तीन वर्ष की अवधि तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि, अर्थात दिनांक 31.10.2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग एवं वित्त
6	श्री रोहन चंद ठाकुर, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) (दिनांक 13/05/2026 तक)	25.07.2025	एसीबी एसआरसी आईटीएससी एससीबीएमएफ डीपीसी आरईएमसी एचआरएससी बीसीपीई	शून्य	2	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप दिनांक 25.07.2025 से 13.05.2026 तक के लिए नामित किया गया. विशेषज्ञता का क्षेत्र: अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वित्त
7	डॉ. देबाशीष प्रुष्टि, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) (दिनांक 13/05/2026 से)	13.05.2026	एसीबी एसआरसी आईटीएससी एससीबीएमएफ डीपीसी आरईएमसी एचआरएससी बीसीपीई	शून्य	2	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप नामित, जो दिनांक 13.05.2026 से अगले आदेश तक पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: वित्त एवं प्रबंधन, बैंकिंग

क्रम संख्या	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
8	श्री प्रकाश बलियारसिंह, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)	14.07.2023	एमसीबी एसीबी डीपीसी	शून्य	2	शून्य	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नामित, जो दिनांक 14.07.2023 से अगले आदेश तक पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग विनियम एवं पर्यवेक्षण, वित्त
9	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र) (दिनांक 10.04.2026 तक)	11.04.2025	एसीबी एसआरसी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ एसटीसीबी एनआरसी आरसीबीडब्ल्यूडी एचआरएससी सीडीआरसीएफ बीसीसीएस	शून्य	2	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित, जो अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किए और दिनांक 11.04.2026 को निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया. विशेषज्ञता का क्षेत्र: लेखा-परीक्षण, कराधान एवं वित्त
10	डॉ. प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यकारी)	29.07.2021	एसीबी एसआरसी आरएमसी आईटीएससी एनआरसी सीडीआरसीएफ बीसीपीई एसटीसीबी	3000	3	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित, जो दिनांक 29.07.2024 से 28.07.2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगी. विशेषज्ञता का क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
11	श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यकारी)	27.07.2024	एमसीबी आरएमसी एससीबीएमएफ आरसीबीडब्ल्यूडी एसआरसी आईटीएससी एनआरसी एचआरएससी बीसीसीएस	300	3	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित, जो दिनांक 27.07.2024 से 26.07.2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे. विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग, मानव संसाधन, परिचालन, बीमा एवं म्युचुअल फंड

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

\$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

- एसीबी

बीसीपीई

सीएसी - I

सीडीआरसीएफ

आरएमसी

एससीबीएमएफ

एसआरसी

डीपीसी

एसटीसीबी

एचआरएससी

आईटीएससी

एमसीबी

एनआरसी

आरसीबीडबल्यूडी

आरईएमसी

बीसीसीएस

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति

ऋण अनुमोदन समिति -I

पूँजीगत निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति

जोखिम प्रबंधन समिति

धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण एवं अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति

हितधारक संबंध समिति

अनुशासनिक कार्यवाही समिति – सतर्कता/गैर-सतर्कता

बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

इरादतन चूककर्ताओं हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति

बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति

बोर्ड की समझौता निपटान हेतु समिति

2.7 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन:

नियुक्तियां: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड में निम्नलिखित नए निदेशक शामिल किए गए:-

क्रम संख्या	नाम	आयु	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तिथि	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	श्री सूरज श्रीवास्तव	52	11.04.2025	अधिसूचना की तिथि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो.	लेखा-परीक्षण, कराधान एवं वित्त	श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं एवं उन्होंने विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की है. श्री श्रीवास्तव को कराधान तथा लेखा-परीक्षण के क्षेत्र में पेशेवर सनदी लेखाकार के रूप में 16 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है.
2.	श्री आशीष पाण्डेय	54	30.09.2025	तीन वर्ष या अगले आदेश तक	ऋण, ऋण अनुश्रवण, ट्रेजरी एवं मर्चेंट बैंकिंग, विदेशी लेन-देन एवं संयुक्त उद्यम, विपणन एवं ग्राहक संबंध तथा बैंकिंग परिचालन	श्री आशीष पाण्डेय एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक से की. वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया. श्री पाण्डेय के पास विविध पोर्टफोलियो के प्रबंधन का अनुभव है, जिसमें ऋण, ऋण अनुश्रवण, ट्रेजरी एवं मर्चेंट बैंकिंग, विदेशी लेन-देन एवं संयुक्त उपक्रम, विपणन एवं ग्राहक संबंध तथा बैंकिंग परिचालन शामिल हैं. तकनीकी रूप से दक्ष बैंकर होने के कारण, उन्होंने विचारों तथा नवाचारों को अपनाकर सफल डिजिटल बैंकिंग रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने री-इंजीनियरिंग, सामंजस्यकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.,

क्रम संख्या	नाम	आयु	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तिथि	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
3.	श्री रोहन चंद ठाकुर	40	24.07.2025	अगले आदेश तक	वित्त, आईटी एवं कराधान	श्री रोहन चंद ठाकुर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) के अधिकारी हैं, जो हिमाचल प्रदेश कैडर के 2009 बैच से संबंधित हैं। वर्तमान में, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक तथा आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश सरकार में अनुभव: - हमीरपुर एवं शिमला के जिला कलेक्टर. - सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक. - कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रबंध निदेशक. - हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक. - उत्पाद-शुल्क एवं कराधान आयुक्त. - हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक. सिविल सेवा में शामिल होने से पूर्व, उन्होंने टीएस के साथ कार्य किया है। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शेवनिंग गुरुकुल फेलो भी हैं तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं।
4.	श्री अमरेश प्रसाद	57	24.11.2025	पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि, अर्थात् दिनांक 31.10.2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।	कॉर्पोरेट ऋण, ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण, संव्यवहार अनुश्रवण	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व, श्री अमरेश प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक थे, जो कॉर्पोरेट कार्यालय में पदस्थ थे। उनके पास 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें शाखा बैंकिंग, अंचल कार्यालयों से लेकर प्रधान कार्यालय स्तर तक का अनुभव शामिल है, जिसमें कॉर्पोरेट ऋण, ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण, लेन-देन अनुश्रवण आदि शामिल हैं। वे रसायन विज्ञान में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। श्री प्रसाद ने विभिन्न प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है तथा एसबीआईएल, कोलकाता में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान द्वारा संचालित आरोहण 2023 एफएसआईबी कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

क्रम संख्या	नाम	आयु	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तिथि	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
5.	डॉ. देबाशीष प्रुष्टि	49	13.05.2026*	अगले आदेश तक	वित्त एवं प्रबंधन, बैंकिंग	डॉ. देबाशीष प्रुष्टि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं. उनके पास लोक वित्त, संवहनीय विकास, विकास सहयोग तथा पर्यावरण एवं शहरी गवर्नेंस के क्षेत्र में नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने वर्ष 2015 में विभिन्न देशों के साथ सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) मंच के शुभारंभ हेतु भारत की पहल में योगदान दिया, जब वे भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान उन्होंने भारत की वार्ता टीम का प्रतिनिधित्व किया. वे वर्ष 2016 में यूएनएफसीसीसी की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे. उन्हें मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंधन विभाग से दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल. की उपाधि प्राप्त है. उन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मैक्रो-अर्थशास्त्रियों के लिए वित्त के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त है.

*डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को दिनांक 13.05.2026 को श्री रोहन चंद ठाकुर के स्थान पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया.

कार्यकाल समापन: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	कारण
1.	सुश्री ए. मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	02.06.2025	कार्यकाल पूर्ण
2.	श्री पंकज द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक	24.06.2025	केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति निरस्त
3.	श्री समीर शुक्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.07.2025	भारत सरकार द्वारा श्री समीर शुक्ला के स्थान पर श्री रोहन चंद ठाकुर को नियुक्त किया गया
4.	श्री श्रीनिवासन वरदराजन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	06.11.2025	कार्यकाल पूर्ण
5.	श्री सूरज श्रीवास्तव	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र)	11.04.2026@	कार्यकाल पूर्ण

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	कारण
6.	श्री रोहन चंद ठाकुर	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13.05.2026#	भारत सरकार द्वारा श्री रोहन चंद ठाकुर के स्थान पर डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को नामित किया गया #

तदनुसार, श्री रोहन चंद ठाकुर ने दिनांक 13.05.2026 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

@ श्री सूरज श्रीवास्तव ने दिनांक 11.04.2026 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध:

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी परस्पर संबंध नहीं है।

2.9 निदेशकों की समिति की सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता एवं सदस्यता को इस प्रकटीकरण के लिए ध्यान में रखा जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में, जहां वे निदेशक थे, 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे या उन्होंने 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया।

यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक और अन्य सूचीबद्ध/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण, जहां वे निदेशक थे, निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1	श्री आशीष पाण्डेय, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
2	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
3	श्री रामासुब्रमणियन एस, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
4	श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
5	श्री अमरेश प्रसाद, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
6	श्री रोहन चंद ठाकुर, सरकार द्वारा नामित निदेशक (दिनांक 13.05.2026 तक)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी एसीबी	सदस्य सदस्य
7	डॉ. देबाशीष प्रुष्टि, सरकार द्वारा नामित निदेशक (दिनांक 13.05.2026 से)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8	श्री प्रकाश बलियारसिंह, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड	एसीबी एसीबी	सदस्य सदस्य
9	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दिनांक 10.04.2026 तक)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसी	अध्यक्ष सदस्य
10	श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	एसआरसी एसीबी एसआरसी एसीबी	अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष
11	डॉ. प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी एसीबी	सदस्य सदस्य



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिए गए अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का

विवरण: बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशावरत कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशावरत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2.12 बैंक का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमन में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3. वार्षिक महासभा बैठक

बैंक के शेयरधारकों की तेइसवीं वार्षिक महासभा बैठक शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2025 को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित रहे:

नाम	पद
श्री श्रीनिवासन वरदराजन	अध्यक्ष
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक
श्री रामासुब्रमणियन एस	कार्यपालक निदेशक
श्री संजय रुद्र	कार्यपालक निदेशक
श्री सूरज श्रीवास्तव	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल	शेयरधारक निदेशक
डॉ. प्रीति जय राव	शेयरधारक निदेशक

4. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की कुल 22 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	23 अप्रैल, 2025	12.	24 अक्टूबर, 2025
2.	08 मई, 2025	13.	30 अक्टूबर, 2025

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
3.	05 जून, 2025	14.	03 नवंबर, 2025
4.	13 जून, 2025	15.	12 नवंबर, 2025
5.	25 जून, 2025	16.	08 दिसंबर, 2025
6.	19 जुलाई, 2025	17.	06 जनवरी, 2026
7.	25 जुलाई, 2025	18.	14 जनवरी, 2026
8.	14 अगस्त, 2025	19.	28 जनवरी, 2026
9.	29 अगस्त, 2025	20.	05 फरवरी, 2026
10.	15 सितंबर, 2025	21.	23 फरवरी, 2026
11.	29 सितंबर, 2025	22.	17 मार्च, 2026

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों की रेखरेख करने के लिए निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	समिति का नाम	क्र. सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)	9.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
2.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)	10.	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
3.	जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)	11.	इरादतन चूककर्ताओं हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीबीडब्ल्यूडी))
4.	आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)	12.	ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएस- I)
5.	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)	13.	अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता/गैर-सतर्कता (डीपीसी)
6.	धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण एवं अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	14.	पूँजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

क्र. सं.	समिति का नाम	क्र. सं.	समिति का नाम
7.	बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)	15.	बोर्ड की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)
8.	हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)	16.	बोर्ड की समझौता निपटान हेतु समिति (बीसीसीएस)

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	कार्यपालक निदेशकगण
3	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
4	तीन अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों को धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित किया गया और उसके पश्चात उन्हें दो बार प्रत्येक छह माह की अवधि हेतु पुनः नामांकित किया जा सकता है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की।

5.1.2 कार्य:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों जैसे ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/ राइट ऑफ प्रस्ताव, ऋण अनुमोदन समिति-1 के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गई है।

वर्ष 2025-26 के दौरान एमसीबी की 31 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	24 अप्रैल, 2025	17.	16 अक्टूबर, 2025
2.	06 मई, 2025	18.	29 अक्टूबर, 2025

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
3.	23 मई, 2025	19.	13 नवंबर, 2025
4.	31 मई, 2025	20.	26 नवंबर, 2025
5.	09 जून, 2025	21.	08 दिसंबर, 2025
6.	19 जून, 2025	22.	18 दिसंबर, 2025
7.	26 जून, 2025	23.	23 दिसंबर, 2025
8.	08 जुलाई, 2025	24.	30 दिसंबर, 2025
9.	18 जुलाई, 2025	25.	13 जनवरी, 2026
10.	29 जुलाई, 2025	26.	31 जनवरी, 2026
11.	07 अगस्त, 2025	27.	23 फरवरी, 2026
12.	22 अगस्त, 2025	28.	26 फरवरी, 2026
13.	30 अगस्त, 2025	29.	17 मार्च, 2026
14.	09 सितंबर, 2025	30.	24 मार्च, 2026
15.	18 सितंबर, 2025	31.	30 मार्च, 2026
16.	26 सितंबर, 2025		

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं—

क्र. सं.	सदस्य
1	भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
2	तीन अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक

इस बैठक में कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया गया।

श्री सूरज श्रीवास्तव, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

5.2.2 कार्य:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मर्दों के कैलेंडर के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की संगठनात्मक व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित अनुवर्ती कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है:-
 - अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोट्सो खातों में लंबे समय से बकाया प्रविष्टियाँ, जिनका मिलान न हुआ हो।
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाया
 - धोखाधड़ी
 - आंतरिक लेखा रख-रखाव संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र
3. एसीबी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है।
4. सांविधिक लेखापरीक्षाओं के संबंध में, एसीबी लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह वार्षिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय लेखों को अंतिम रूप देने से पहले और बाद में तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करती है।
5. एसीबी, बैंक की लेखांकन नीतियों और पद्धतियों, संबंधित पार्टी संव्यवहार, व्हिसल ब्लोअर प्रणाली, प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।
6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसूची II - कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भाग - सी के अंतर्गत परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में शामिल हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कुल 13 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	08 मई, 2025	8.	17 अक्टूबर, 2025
2.	22 मई, 2025	9.	30 अक्टूबर, 2025
3.	24 जून, 2025	10.	24 दिसंबर, 2025
4.	19 जुलाई, 2025	11.	14 जनवरी, 2026
5.	24 जुलाई, 2025	12.	06 मार्च, 2026
6.	30 अगस्त, 2025	13.	16 मार्च, 2026
7.	18 सितंबर, 2025		

5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

5.3.1 संघटन:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी निदेशकों की एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है, जो अब भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-गवर्नेंस) निर्देश, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार, बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक मंडल एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेंगे। कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दिनांक 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (सीएसआर & एएलएम) का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) कर दिया।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	सदस्य
1	गैर-कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3	तीन गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक

5.3.2 कार्य:

समिति का गठन बैंक में जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए किया गया है। यह समिति बैंक के समग्र जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

वित्त मंत्रालय, सरकार भारत द्वारा पत्र संख्या एफ.सं. 16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से जोखिम के प्रबंधन, माप और नियंत्रण हेतु एक संरचित दृष्टिकोण के लिए एक जोखिम धारणीय ढांचा युक्त संस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल

हों – i. बैंक के लिए जोखिम धारणीय विवरण और जोखिम सीमाएं; ii. भौतिक और प्रतिष्ठा संबंधी दोनों जोखिमों के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और प्रणालियां iii. कार्यान्वयन और अनुश्रवण की देखरेख के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निरूपण.

यह भी परिकल्पना की गई थी कि जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से बैंक के जोखिम धारणीयता ढांचे के अनुपालन की समीक्षा करने और अनुमोदित जोखिम धारणीयता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया जा सकता है.

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं. डॉ. प्रीति जय राव इस समिति की अध्यक्ष हैं.

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	20 जून, 2025	3.	05 जनवरी, 2026
2.	21 अगस्त, 2025	4.	16 मार्च, 2026

5.4 धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण एवं अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ़)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एससीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, आंतरिक लेखा रख-रखाव संबंधी प्रमुख क्षेत्रों आदि की निगरानी अपेक्षित है. एससीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. हालांकि, यह विशेष समिति विशेष रूप से ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एससीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है:

क्र. सं.	सदस्य
1	गैर-कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर बोर्ड के दो अन्य सदस्य

कार्य:

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं उससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना है ताकि:

- यदि कोई प्रणालीगत कमी है, जिसने धोखाधड़ी को संभव बनाया हो, तो उसकी पहचान की जा सके तथा उसे दूर करने हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में यदि कोई देरी हुई हो तथा/ या बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने में कोई विलंब हुआ हो, तो उसके कारणों की पहचान की जा सके.
- सीबीआई/ पुलिस जाँच की प्रगति एवं वसूली की स्थिति का अनुश्रवण किया जा सके.
- धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ जवाबदेही की जाँच सुनिश्चित की जा सके तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे बिना किसी विलंब के तत्काल किया जा सके.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई, जैसे आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करना, की प्रभावकारिता की समीक्षा की जा सके.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय किए जा सकें.

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं. श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल ने इस समिति की अध्यक्षता की.

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	23 मई, 2025	3.	23 दिसंबर, 2025
2.	21 अगस्त, 2025	4.	16 मार्च, 2026

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)

5.5.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गई है और यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संघटन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	कार्यपालक निदेशकगण
3	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय समिति के अध्यक्ष हैं.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

5.5.2 कार्य:

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	24 जून, 2025	3.	05 जनवरी, 2026
2.	29 सितंबर, 2025		

5.6 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.6.1 संघटन:

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रण पर प्रतिभागिता करते हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय समिति के अध्यक्ष हैं।

5.6.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना:

- मानव संसाधन संबंधी बैंक की संपूर्ण कार्यनीति।
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतर की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास हेतु प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
 - उत्तराधिकार आयोजना।
- बैंक के सभी स्टाफ पर लागू कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्रों में पारदर्शी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन
 - सभी स्टाफ से विकास संबंधी फीडबैक प्राप्त करने हेतु प्रणाली
- बैंक की कार्यनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप मानव संसाधन संबंधी नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार एवं प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती
- प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों हेतु सामान्य पुनःप्रशिक्षण/पुनःउन्मुखीकरण

- मानव संसाधन संबंधी सभी गतिविधियों का आईटी स्वचालन।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	23 मई, 2025	3.	21 जनवरी, 2026
2.	22 सितंबर, 2025		

5.7 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसीबी)

5.7.1. संघटन:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसीबी) के गठन में कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों को शामिल किया गया है।

श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, शेयरधारक निदेशक ने रिपोर्ट के तहत समिति की अध्यक्षता की।

5.7.2. कार्य:

हितधारकों से संबंधित:

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रति, घोषित लाभांशों की अप्रति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, महासभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का अनुश्रवण एवं समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों एवं पहलों की समीक्षा करना।

ग्राहक सेवा से संबंधित:

- बैंक में समग्र ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यों की निगरानी करना।
- ग्राहक सेवाओं का अनुश्रवण करना और बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ग्राहकों हितों के संरक्षण हेतु नीतियां तैयार करना और उनकी समीक्षा करना।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित:

- बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा करना।
- यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर की गई गतिविधियों/परियोजनाओं का अनुमोदन और समीक्षा करना।

ईएसजी से संबंधित:

1. ईएसजी से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना;
2. ईएसजी से संबंधित सभी मामलों और गतिविधियों पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उनकी निगरानी करना;
3. ईएसजी से संबंधित पहलों और नीतियों के कार्यान्वयन और निष्पादन का अनुश्रवण करना;
4. विभिन्न ईएसजी पहलों के प्रभाव का आकलन करना;
5. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए ईएसजी मामलों के प्रकटीकरण की समीक्षा करना;
6. ईएसजी से संबंधित उभरते जोखिमों की पहचान करना और बोर्ड तथा बैंक की समितियों को इसकी संस्तुति करना

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं.

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	20 जून, 2025	3.	23 दिसंबर, 2025
2.	22 सितंबर, 2025	4.	16 मार्च, 2026

5.7.3. अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के अनुक्रम में, श्री आशीष मिश्रा को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया, जो दिनांक 28.01.2026 से प्रभावी है.

5.7.4. वर्ष 2025-26 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तुलना में दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.26 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	22	15
सी.	वर्ष के दौरान निस्तारित की गई शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	22	15

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.26 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	वर्ष की समाप्ति पर डी. शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

5.8 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)**5.8.1 संघटन:**

आईटी गवर्नेंस उपायों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी संबंधी कार्यनीतिक दिशा पर सलाह देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा करने के लिए आईटी कार्यनीति समिति के गठन की अनुशंसा की है. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

क्र. सं.	सदस्य
1.	एमडी एवं सीईओ
2.	कार्यपालक निदेशकगण
3.	सरकार द्वारा नामित निदेशक
4.	दो गैर-कार्यकारी निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
5.	एक बाह्य आईटी विशेषज्ञ
6.	मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक)

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं.

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	24 अप्रैल, 2025	3.	23 दिसंबर, 2025
2.	22 अगस्त, 2025	4.	16 मार्च, 2026

श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, शेयरधारक निदेशक ने रिपोर्ट के तहत समिति की अध्यक्षता की.

5.8.2 कार्य:

- आईटी कार्यनीति और नीतिगत दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीति के साथ संरेखित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को लागू किया है जिससे आईटी, कारोबार में वृद्धि कर सके.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहे और इसका बजट स्वीकार करने योग्य हों।
- कार्यनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक आईटी संसाधनों के निर्धारण के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धतियों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करना।
- बैंक की संवहनीय संवृद्धि के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- प्रबंधन के अनुश्रवण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति पर्याप्त शमन सुनिश्चित करना।
- आईटी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- उच्च स्तरीय नीतिगत संबंधी मार्गदर्शन (जैसे - जोखिम, निधीयन या प्राप्ति स्रोत संबंधी) प्रदान करना।
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार तैयार की गई है कि आईटी के माध्यम से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो।
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का अनुश्रवण और यह पता करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी के कार्य-निष्पादन और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ)।
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना।
- बैंक के डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशा-निर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेन-देन संबंधी बोर्ड की उप समिति के रूप में कार्य करना।

5.9 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात् नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी। वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र एफ़. नं. 16/19/2019-बीओ.1, दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सलाह दी है कि बैंक, बोर्ड की अलग-अलग नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति के स्थान पर, उक्त दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नामक एक समिति का गठन कर सकता है एवं उक्त समिति का संघटन भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-गवर्नेंस) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार होगा।

इस प्रकार, उपरोक्त एमओएफ़ दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में, निदेशक मंडल ने दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है।

5.9.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-गवर्नेंस) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, इन निदेशों के पैरा 4.1 के अनुरूप, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने हेतु ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए बैंक द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में समिति का संघटन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य
1	गैर-कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	अधिनियम की धारा 9(3) (एच) के अंतर्गत नामित दो गैर-कार्यकारी निदेशक

5.9.2 कार्य:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (9)(आई) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित जांच-पड़ताल की प्रक्रिया निष्पादित करना।

श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, शेयरधारक निदेशक ने रिपोर्ट के तहत समिति की अध्यक्षता की।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	20 जून, 2025
2.	15 सितंबर, 2025

5.10 अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता/गैर-सतर्कता (डीपीसी)

बैंक में पहले दो अलग समितियां थी, यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V)।

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र एफ़. सं. 16/19/2019-बीओ.1, दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों को बनाए रखने की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की समीक्षा अपने बोर्ड में करने की सलाह दी थी।

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और दिनांक 24.10.1990 के वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा आधारभूत संघटन को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 06.12.2019 से निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को समामेलित करने का निर्णय लिया।

5.10.1 संघटन:

निदेशक मंडल ने समिति के संघटन को निम्न रूप में अनुमोदन प्रदान किया है –

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्यों / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की।

5.10.2 कार्य:

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति की प्रक्रिया का संचयन करना, टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना।
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है।
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जाँच की समीक्षा करना।
- प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के अंदर अभ्यावेदन के आधार पर उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा करना।
- महाप्रबंधकों के लिए प्रमुख दंड हेतु की गई नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	15 सितंबर, 2025
2.	21 जनवरी, 2026

5.11 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.11.1 संघटन:

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
2	दो गैर-कार्यकारी निदेशक

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की।

5.11.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में किए जा रहे लेन-देन को और आसान बनाने के उद्देश्य से, सेबी ने दिनांक 25.01.2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से केवल निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही डिमटीरियलाइज्ड मोड में शेयर जारी करेंगी:

ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना

बी. अदावी उचित खाते से दावा

सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनिमय

डी. अनु-समर्थन

ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना

एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन

जी. संचरण

एच. स्थानांतरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	20 जून, 2025	3.	23 दिसंबर, 2025
2.	29 अगस्त, 2025	4.	17 मार्च, 2026

5.12. इरादातन चूककर्ता हेतु बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीबीडब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थीं अर्थात "असहयोगी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के इरादातन चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीबीडब्ल्यूडी). एमओएफ ने अपने पत्र एफ. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों को बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और उपर्युक्त दो समितियों के संघटन के आधार पर उनका विलय करने का निर्णय लिया तथा इरादातन चूककर्ताओं की पहचान तथा असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए, दिनांक 06.12.2019 से प्रभावी,



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

असहयोगी उधारकर्ता तथा इरादातन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति नामक समिति का गठन निम्न संघटन के साथ करने का निर्णय लिया है:

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	कोई दो स्वतंत्र निदेशक

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की।

5.12.1 कार्य:

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर. बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा करना ताकी यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके ऋण अनुशासन पालन पुनः करने एवं सहयोगी व्यवहार के कारण उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- इरादातन चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं.

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	25 जून, 2025	3.	24 मार्च, 2026
2.	18 जुलाई, 2025		

5.13 पूँजीगत निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति (सीडीआरएफसी)

5.13.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूँजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण शामिल हैं.

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की.

5.13.2 कार्य:

बोर्ड / शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूँजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने और ऐसे सभी कार्य, कृत्य तथा काम करने के लिए प्राधिकार हैं, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन

के अंतर्गत प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मौ) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है.

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई.

5.14 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

5.14.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र एफ. सं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को सलाह दी है कि वह बैंक के प्रबंध निदेशकों एवं सीईओ, आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों और आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड समिति का गठन करे.

इसके अलावा, एमओएफ के दिनांक 14.11.2019 के संचार के अनुसार, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाना है-

क्र. सं.	सदस्य
1	गैर-कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3	बोर्ड में सबसे लंबे समय से सेवारत शेयरधारक निदेशक

एनईसी के कार्यालय में रिक्ति के मामले में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष एनईसी के स्थान पर समिति का सदस्य होगा.

5.14.2 कार्य:

प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों और जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करना, उनकी समीक्षा करना और उनको स्वीकार करना.

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 22 सितंबर, 2025 को आयोजित गई.

5.15 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

5.15.1 संघटन:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति ₹800 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते, जिनकी वैध रेटिंग है) तथा और अन्य खातों के मामले में ₹600 करोड़ तक और ₹800 करोड़ तक के समूह एक्सपोजर के मामले में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा यदि एक्सपोजर ऐसी सीमाओं से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा.

सीएसी-1 का संघटन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	कार्यपालक निदेशकगण
3	ऋण के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक
4	वित्त के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/मुख्य वित्तीय अधिकारी
5	जोखिम प्रबंधन के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने समिति की अध्यक्षता की।

5.15.2 कार्य:

अनुमोदन/ समीक्षा-नवीनीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय के अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराए पर लेना आदि सहित ऋण संबंधी सभी मामले, जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, सीएसी-1 के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 25 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	क्र. सं.	बैठक की तिथि
1.	09 अप्रैल, 2025	14.	20 अक्टूबर, 2025
2.	24 अप्रैल, 2025	15.	29 अक्टूबर, 2025
3.	07 मई, 2025	16.	19 नवंबर, 2025
4.	19 मई, 2025	17.	10 दिसंबर, 2025
5.	09 जून, 2025	18.	16 दिसंबर, 2025
6.	21 जून, 2025	19.	24 दिसंबर, 2025
7.	14 जुलाई, 2025	20.	05 जनवरी, 2026
8.	29 जुलाई, 2025	21.	17 जनवरी, 2026
9.	12 अगस्त, 2025	22.	11 फरवरी, 2026
10.	28 अगस्त, 2025	23.	05 मार्च, 2026
11.	19 सितंबर, 2025	24.	23 मार्च, 2026
12.	25 सितंबर, 2025	25.	25 मार्च, 2026
13.	17 अक्टूबर, 2025		

6. महासभा की बैठकें

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की महासभा की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम स्थल	विशेष संकल्प
21 ^{वाँ} वार्षिक महासभा बैठक	4 अगस्त, 2023 प्रातः 11 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से	बासेल III दिशा-निर्देशों के अनुसार नए इकटि शेर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि ₹10,100 करोड़ से अधिक न हो। श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएन: 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति। श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) की बैंक के अंश-कालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

5.16 समझौता निपटान हेतु बोर्ड समिति (बीसीसीएस)

5.16.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्प्रेषण RBI/2023-24/40- DOR.STR. REC.20/21.04.048/2023-24 दिनांक 08 जून 2023 के अनुसार, समझौता निपटानों के अनुमोदन के लिए समझौता निपटान हेतु बोर्ड समिति (बीसीसीएस) नामक एक नई समिति का गठन किया गया है। ऐसे अनुमोदनों से संबंधित प्रत्यायोजन अधिकार उस प्राधिकारी में निहित होंगे, जो ऋण/निवेश जोखिम को मंजूर करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊपर होगा।

5.16.2 संघटन: समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क्र. सं.	सदस्य
1	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्थायी सदस्य)
2	सभी कार्यपालक निदेशकगण (स्थायी सदस्य)
3	अधिनियम की धारा 9(3)(जी)/(एच)/(आई) के अंतर्गत नामित दो गैर-कार्यकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

5.16.3 कार्य:

- एमसीबी द्वारा मंजूर ऋण प्रस्ताव, जो समझौता निपटान एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने से संबंधित हों, इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
- एमडी एवं सीईओ/बीसीसीएस द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने का तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं सीईओ होंगे।

5.16.4 आवृत्ति: आवश्यकता अनुसार

5.17 निदेशकों का विवरण, वर्ष के दौरान बोर्ड एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम स्थल	विशेष संकल्प
22वीं वार्षिक महासभा बैठक	26 जुलाई, 2024 प्रातः 11:00 बजे.	केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से.	बासेल III दिशा-निर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी समग्र राशि ₹10,000 करोड़ से अधिक न हो. केंद्र सरकार को छोड़कर बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए
23वीं वार्षिक महासभा बैठक	01 अगस्त, 2025 प्रातः 11:00 बजे.	केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से.	बासेल III दिशा-निर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना. श्री सूरज श्रीवास्तव (डीआईएन: 09444372) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति. श्री रोहन चंद ठाकुर (डीआईएन: 07944078) की बैंक के केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति. मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, कंपनी सचिव की वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति.

7. प्रकटीकरण

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों से नियंत्रित होता है.

यह बताया जाता है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है.

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां बैंक के बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनिवार्य रूप से आवश्यक है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत बैंक पर बाध्यकारी ऐसा कोई समझौता दर्ज नहीं किया गया है.

इस रिपोर्ट में गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी दी गई है. सूचीबद्धता विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं.

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं. इनके विस्तृत विवरण लेखों पर नोट्स में दिए गए हैं.

बैठक शुल्क (फीस):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) की उप धारा (3) के खंड (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ. सं. 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 28 अक्टूबर, 2025, राष्ट्रीयकृत बैंक योजना के खंड 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु नीचे उल्लेखित बैठक शुल्क के पात्र हैं, साथ ही वे बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भी पात्र हैं.

निदेशक मंडल ने दिनांक 05 फ़रवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 से ₹90,000 एवं बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु ₹45,000 के बैठक शुल्क के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया गया. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹1,00,000 एवं बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹50,000 के अतिरिक्त शुल्क को भी अनुमोदन प्रदान किया गया.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है: <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>

यात्रा एवं विराम भत्ता:

शुल्क के अतिरिक्त, जिसके लिए निदेशक भुगतान प्राप्त करने के हकदार है, बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले प्रत्येक ऐसे निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार उनके यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, की समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी.

7.2 पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	स्थान
1	श्री बिरजा प्रसाद दास	मुख्य महाप्रबंधक	अंचल प्रमुख, मुंबई
2	श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल	मुख्य महाप्रबंधक	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3	श्री अनिल कुरील	मुख्य महाप्रबंधक (सीसो)	सीसो
4	श्री जी के सुधाकर राव	मुख्य महाप्रबंधक	कृषि एवं एफआई
5	श्री विपन सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण
6	श्री मंगेश मांद्रकर	पूर्व-कंपनी सचिव	बोर्ड सचिवालय
7	श्री आशीष मिश्रा	कंपनी सचिव	बोर्ड सचिवालय
8	श्री अविनाश वसंत प्रभु	पूर्व-मुख्य वित्तीय अधिकारी	वित्त एवं लेखा
9	श्री धीरेन्द्र जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी	वित्त एवं लेखा
10	श्री सर्वेश रंजन	मुख्य महाप्रबंधक	केंद्रीय समाधान, संव्यवहार अनुश्रवण एवं एएमएल

7.3 महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण:

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया है, जिसके बड़े स्तर पर बैंक के हितों के विपरीत होने की संभावना हो।

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फ़र्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है।

7.4 आर्थिक संबंध या लेन-देन का प्रकटीकरण:

बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेन-देन तथा बैंक के बोर्ड एवं बोर्ड की समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति हेतु बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है।

7.5 सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशि /उपयोग:

2025-26 के दौरान, बैंक ने कोई भी इक्विटी पूंजी नहीं जुटाई, परंतु निजी प्लेसमेंट आधार पर नकद में सममूल्य पर, प्रत्येक बॉण्ड ₹1.00 लाख के अंकित मूल्य के अधिमानी, श्रेणीकृत, सूचीबद्ध, प्रतिभूति-रहित, परिशोधनीय, करयोग्य, अंतरणीय दीर्घकालिक पूर्णतः चुकता, डिबेन्चर की प्रकृति के (श्रृंखला-I), अपरिवर्तनीय बॉण्ड, जो बैंक के अवसंचना एवं किफायती आवास के वित्तपोषण हेतु पात्र हैं, का कुल ₹3,000 करोड़ के समग्र मूल्य का निर्गम तथा आवंटन किया।

बैंक ने निर्गम की आय का उपयोग भारत में बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों और किफायती आवास में दीर्घकालिक परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वित्त के लिए किया है। बैंक द्वारा उपर्युक्त बॉण्ड के माध्यम से जुटाई

गई निधियों के अंतिम उपयोग पर बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।

7.6 अर्थदंड या आक्षेप:

विगत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

7.7 व्हिसल ब्लोअर नीति:

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है और इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है- <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है।

7.8 प्रमुख सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति तैयार की है तथा इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

<https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures> हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक कंपनी नहीं है।

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट****7.9 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:**

बैंक ने संबंधित पक्ष संव्यवहार के प्रबंधन हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति तैयार की है। उक्त नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिससे वृहद स्तर पर बैंक का हित प्रभावित होने की संभावना हो।

7.10 लाभांश वितरण नीति:

बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है। उक्त नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

7.11 अधिग्रहण संहिता:

बैंक ने समय-समय पर सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन, 2011 यथा संशोधित के प्रावधानों का भी अनुपालन किया है।

7.12 सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध) विनियमन, 2015 का अनुपालन:

विनियमन के अनुसार बैंक के शेयर में लेन-देन करने में नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध हेतु बैंक ने एक आचार संहिता तैयार की है। इन विनियमों के संदर्भ में अपेक्षित विभिन्न प्रपत्रों को तैयार किया गया है, जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेन-देन के लिए व्यापार विंडो को बैंक के निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बंद रखा गया था:

व्यापार विंडो बंद होने की तिथि	बंद होने का कारण
01 अप्रैल, 2026 से 25 अप्रैल, 2026 तक	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
01 जुलाई, 2025 से 21 जुलाई, 2025 तक	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
01 अक्टूबर, 2025 से 01 नवंबर, 2025 तक	30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
01 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।

7.13 प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

वार्षिक रिपोर्ट में इसका अलग से उल्लेख किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया है।

7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रसार:

बैंक ने सूचीबद्धता विनियमन के उप – विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को अपनी वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in पर प्रदर्शित किया है।

7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹90.27 करोड़ के शुल्क का भुगतान किया गया है।

7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

- यथा दिनांक 31.03.2025 को लंबित शिकायतों की संख्या: 3 (तीन)
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या: 08 (आठ)
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या: 10 (दस)
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या: 1 (एक)

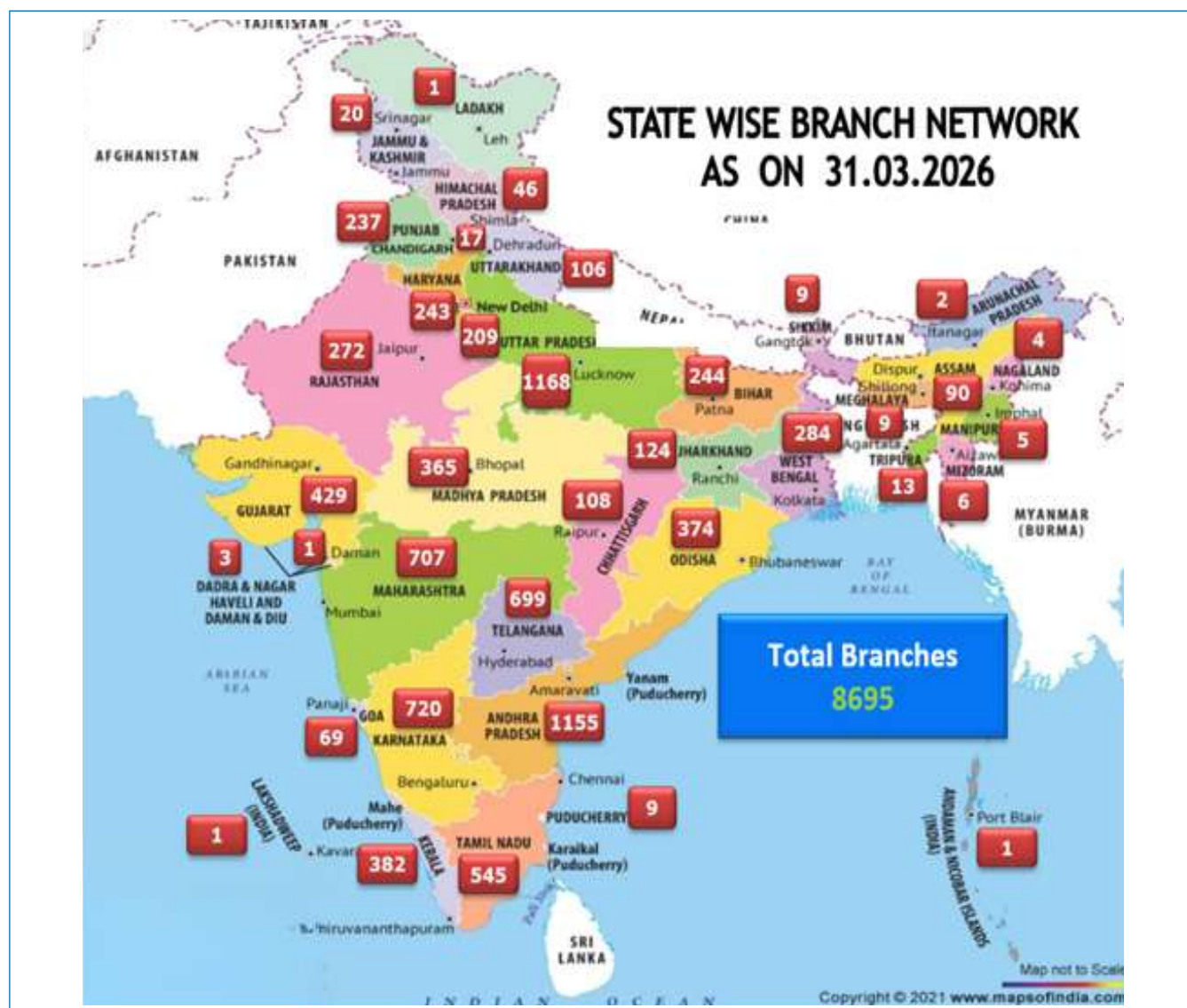
7.17 शाखा नेटवर्क:

- यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक का शाखा नेटवर्क 8,695 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ देश भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में हैं।
- यथा दिनांक 31.03.2025 को बैंक की कुल 8,619 शाखाएं और 2 विदेशी शाखाएं थीं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 24 शाखा का पुनर्गठन किया गया और 100 नई शाखाएं खोली गईं।

यथा दिनांक 31.03.2026 तक श्रेणी-वार शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:-

पंक्ति लेबल	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	कुल योग
यथा दिनांक 01.04.2025 तक कुल शाखाएं	2597	2521	1735	1766	8619
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पुनर्गठित	0	-8	-8	-8	-24
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खोली गईं	27	44	20	9	100
आरबीआई द्वारा श्रेणी में परिवर्तन	-1	-4	-12	-1	-18
	+5	+9	+4		+18
यथा दिनांक 31.03.2026 तक कुल	2628	2562	1739	1766	8695

भारत में यथा दिनांक 31.03.2026 तक शाखाओं की राज्यवार स्थिति नीचे दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित की गई है।





कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत या विदेश में सभी ऋण लिखतों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या निधि संग्रहण हेतु बैंक के किसी प्रस्ताव या योजना के लिए प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एवं उनके संशोधन की सूची निम्नानुसार है:

रेटिंग एजेंसी	बासेल III		जमा प्रमाणपत्र	अवसंरचना बॉण्ड	आउटलुक	ईएसजी
	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2				
ब्रिकवर्क	BWR AA+	BWR AAA	-	-	स्थायी	-
क्रिसिल	CRISIL AA+	CRISIL AAA	-	-	स्थायी	-
केयर	CARE AA+	CARE AAA	-	CARE AAA	स्थायी	CareEdge ESG+1
इंडिया रेटिंग	IND AA+	IND AAA	IND A1+	-	स्थायी	-
इकरा लिमिटेड	-	ICRA AAA	ICRA A1+	CARE AAA	स्थायी	-

एफआईटीसीएच रेटिंग लिमिटेड:

श्रेणी	रेटिंग
दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	"BBB" - आउटलुक स्थायी
अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	F3
व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर)	bb

स्टैंडर्ड एवं पूअर ग्लोबल रेटिंग

श्रेणी	रेटिंग
जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग (दीर्घकालिक/अल्पावधि)	BBB/सकारात्मक/A-2
एसएसीपी	bbb-
आउटलुक: स्थायी	

7.19 बैंक की प्रमुख सहायक कंपनियों का विवरण: बैंक की कोई भी सहायक कंपनी प्रमुख सहायक कंपनी नहीं है।

8. संप्रेषण के माध्यम

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), द फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारिता पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए हैं।

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 वित्तीय वर्ष – दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉण्ड की सूचीबद्धता - बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हैं तथा बॉण्ड एनएसई में सूचीबद्ध है। स्टॉक स्क्रिप कोड का विवरण निम्नानुसार है: -

नाम	कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज़ जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNIONBANK-EQ UBI-AT/BB

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इक्विटी शेयरों हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान एनएसई को दिनांक 17-04-2026 को तथा बीएसई को दिनांक 30-04-2026 को किया गया है।

बैंक ने समय-समय पर अवसंरचना एवं किफ़ायती आवास के वित्तपोषण के लिए प्रॉमिसरी नोट (टियर I एवं टियर II पूंजी) एवं दीर्घकालिक बॉण्ड के रूप में प्रतिभूति-रहित अपरिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं। यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 तक इसके प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड विवरण	शृंखला	राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता की तिथि	कूपन दर (% प्रति वर्ष)
1	INE692A08029	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XX	1,000	15-सितंबर-16	स्थायी	9.50
2	INE692A08169	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XXXII	2,000	22-नवंबर-21	स्थायी	8.70
3	INE692A08177	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XXXIII	1,500	20-दिसंबर-21	स्थायी	8.40
4	INE692A08185	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XXXIV	1,500	02-मार्च-22	स्थायी	8.50
5	INE692A08193	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XXXV	1,320	25-जुलाई-22	स्थायी	8.69
6	INE692A08227	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I	बॉण्ड शृंखला XXXVII	663	23-दिसंबर-22	स्थायी	8.40
7	INE692A08045	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXII	750	24-नवंबर-16	24-नवंबर-26	7.74
8	INE112A08051	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला II	1,000	08-नवंबर-19	08-नवंबर-29	8.93
9	INE692A08102	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXVI	1,000	26-नवंबर-20	26-नवंबर-35	7.18
10	INE692A08144	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXX	850	24-जून-21	24-जून-31	7.19
11	INE692A08151	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXXI	1,150	09-जुलाई-21	09-जुलाई-36	7.25
12	INE692A08219	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXXVI-A	1,500	29-नवंबर-22	29-नवंबर-37	7.85
13	INE692A08201	बासेल III अनुपालन टियर-II	बॉण्ड शृंखला XXXVI-B	700	29-नवंबर-22	29-नवंबर-32	7.80
14	INE692A08235	अवसंरचना बॉण्ड	बॉण्ड शृंखला I	3000	24-मार्च-26	24-मार्च-36	7.16
कुल				17,933.00			

9.3 लाभांश:

निदेशक मंडल ने लागू करें (यदि कोई हो) की कटौती के उपरांत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंकित मूल्य ₹10/- के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹5.00 के लाभांश की संस्तुति की है।

वार्षिक महासभा बैठक का विवरण:

लेखों पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026
वार्षिक महासभा बैठक की तिथि, समय और स्थान	शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2026, प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) में
बही बंदी की तिथियां	शनिवार, दिनांक 04 जुलाई, 2026 से शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2026 (दोनों दिन सहित)
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	मंगलवार, दिनांक 07 जुलाई, 2026 (पूर्वाह्न 09:00 बजे भारतीय मानक समय) से गुरुवार, दिनांक 09 जुलाई, 2026 (अपराह्न 5:00 बजे भारतीय मानक समय)



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

9.4 वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष 2026-27 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	परिणामों के संभावित प्रकाशन
दिनांक 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए	दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक
दिनांक 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए	दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक
दिनांक 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए	दिनांक 31 जनवरी, 2027 तक
दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक

9.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशा-निर्देशों एवं सेबी की दिनांक 03.12.2018 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक अंतरण की अनुमति नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि डीमैट खाता खोलकर अपनी भौतिक शेयर धारिता को डिमैटरियालाइज करा लें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डिमैटरियालाइज मोड में ही शेयर जारी करेंगी:

- ड्यूप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा
- प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनिमय
- अनु-समर्थन
- प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- संचरण
- स्थानांतरण

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर - 4 (संचरण हेतु आईएसआर - 5) प्रस्तुत करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, यदि कोई आपत्तियां हों तो उनको दूर कर, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी।

पुष्टिकरण पत्र, जारी होने की तिथि से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके भीतर शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डिमैटरियालाइज करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी से अनुरोध करेगा।

आरटीए, पुष्टिकरण पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध प्रस्तुत करने की सूचना देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" की मुहर लगाएगा।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टिकरण पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध जनेरेट करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था/आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टिकरण पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को संस्था के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन में बैंक द्वारा शेयरों के अंतरण, लाभांश, शेयरधारकों के आवेदनों को रिकॉर्ड करने, शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ शेयर जारी करने से जुड़ी अन्य गतिविधियों को संसाधित करने हेतु केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए को नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं प्रभाग की स्थापना भी की है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) केफिन टेक्नालजी लिमिटेड यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32, गच्चीबावली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकमगुडा, हैदराबाद - 500032 टोल फ्री / फोन नंबर: 1800 309 4001 वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर: 1800 309 4006 व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com निवेशक सहायता केंद्र: https://kprism.kfintech.com केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://kfintech.com आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com केप्रिस्म (KPRISM) (मोबाइल एप्लिकेशन): https://kprism.kfintech.com/signup	डिबेंचर ट्रस्टी 1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001. फोन - (022) 40807001 फैक्स - (022) 66311776 ईमेल: itsl@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com 2. कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड यूनिट सं.-901, 9वां तल, टावर-बी, पेनीसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेले (पश्चिम), मुंबई - 400013 फोन नं. +91 22 4922 0555 वेबसाइट: www.catalysttrustee.com ई-मेल: compliancectl-mumbai@ctltrustee.com	कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं प्रभाग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन -(022) 2289 6636 फैक्स -(022) 22025238 ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.bank.in
---	--	---

9.6 अन्य सूचनाएं:

शेयरधारकों के प्रश्नों का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक सक्रिय रूप से शेयरधारकों को एक अर्द्ध-वार्षिक पत्र प्रेषित करता है ताकि निवेशकों के साथ अच्छे संबंध को बढ़ावा दिया जा सके।

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्द्ध-वार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत है।

9.7 शेयरों का डिमैटरियालाइज़ेशन:

बैंक ने दोनों डिपॉजिटरिज अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का डिमैटरियालाइज़ेशन करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आर्बिट्रि आईएसआईएन (ISIN) कोड **INE692A01016** है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का डिमैटरियालाइज्ड करा लें, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत चलनिधि (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जाता है। इससे लाभांश भुगतान का संग्रहण भी सुगमतापूर्वक एवं शीघ्रता से हो सकेगा।

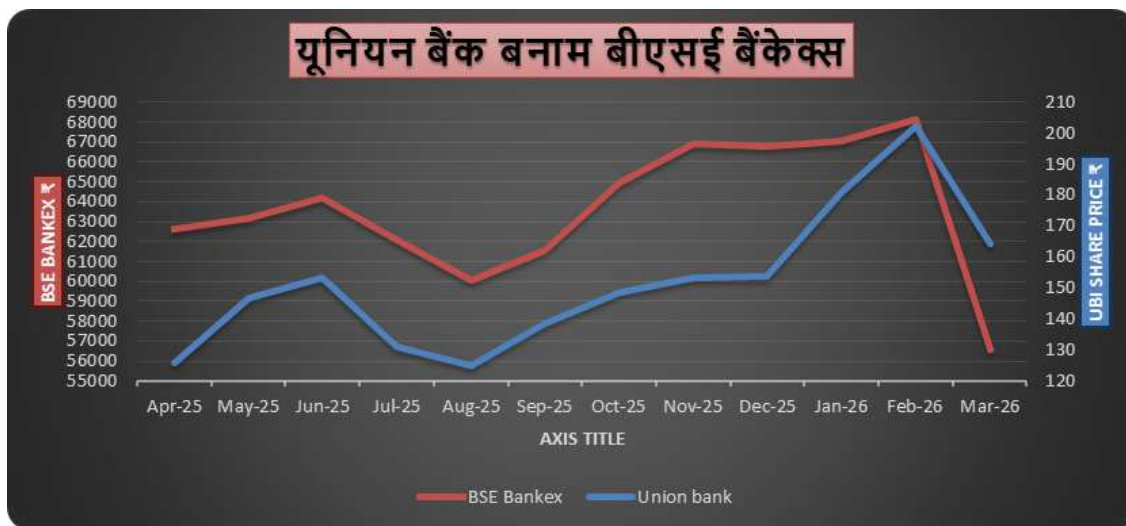
यथा दिनांक 31.03.2026 तक शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	77,427	1,44,29,265	0.19
डीमैट			
एनएसडीएल	3,13,105	1,73,52,02,156	22.73
सीडीएसएल	5,37,965	5,88,39,74,186	77.08
कुल	9,28,497	7,63,36,05,607	100.00

नोट: बैंक के प्रमोटर की पूरी शेयरधारिता डिमैटरियालाइज्ड रूप में है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट





* स्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

9.9 शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारिता	यथा 31.03.2026				यथा 31.03.2025			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	807635	88.96	77514735	1.02	907881	87.19	93887381	1.23
501 से 1000	49263	5.43	37052199	0.49	64063	6.15	48862161	0.64
1001 से 2000	23775	2.62	35034670	0.46	31786	3.05	47226698	0.62
2001 से 3000	10961	1.21	27507486	0.36	14503	1.39	36521078	0.48
3001 से 4000	5278	0.58	18434446	0.24	7195	0.69	25257791	0.33
4001 से 5000	3065	0.34	14263459	0.19	4327	0.42	20188514	0.26
5001 से 10000	4504	0.50	31810422	0.42	6705	0.64	47775274	0.63
10001 एवं इससे अधिक	3429	0.38	7391988190	96.83	4751	0.46	7313886710	95.81
कुल	907910	100.00	7633605607	100.00	1041211	100.00	7633605607	100.00

बैंक के प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है.

9.10 शेयरधारिता का पैटर्न:

दिनांक 31.03.2025 के सापेक्ष दिनांक 31.3.2026 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2026		यथा 31.03.2025	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %
प्रोमोटर				
भारत सरकार	5,70,66,60,850	74.76	5,70,66,60,850	74.76
सार्वजनिक				
संस्थागत निवेशक				
म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	30,74,67,235	4.03	28,43,86,885	3.73
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान)	57,11,19,048	7.48	60,44,26,977	7.91
एफआईआई एवं विदेशी म्यूचुअल फंड	66,73,70,900	8.74	54,26,92,426	7.11

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2026		यथा 31.03.2025	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %
अन्य				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	2,68,72,617	0.35	2,18,81,598	0.29
भारतीय जनता	29,70,82,907	3.89	44,50,82,581	5.83
एनआरआई/ओसीबी/अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	5,70,32,050	0.75	2,84,74,290	0.37
कुल	7,63,36,05,607	100.00	7,63,36,05,607	100.00

9.11 बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची:

यथा दिनांक 31.03.2026 को शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	शेयर	पूँजी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	570,66,60,850	74.76
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	40,94,66,133	5.36
3	एचडीएफसी म्यूचुअल फंड	10,85,31,204	1.42
4	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-	6,64,17,726	0.87
5	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,78,11,951	0.49
6	एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,56,07,072	0.39
7	कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ	2,97,85,906	0.39
8	एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ	2,45,78,088	0.32
9	एनपीएस ट्रस्ट - ए/सी एलआईसी पेंशन फंड स्कीम - राज्य सरकार	2,43,04,422	0.31
10	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	2,24,18,678	0.29

9.12 अदावाकृत/अदत्त लाभांश:

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह राशि निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. वर्तमान विभिन्न लाभांश खातों हेतु अंतरण की प्रस्तावित तिथि निम्नानुसार दी गई है:

क्र. सं.	संबंधित लाभांश खाते	अदत्त लाभांश बैंक खाता संख्या	वित्तीय वर्ष	लाभांश का दर	आईईपीएफ को अंतरण की प्रस्तावित तिथि	यथा 31.03.2026 को शेष (₹)
1.	यूबीआई	0662210900000005	2021-22	₹1.90 प्रति शेयर	11-08-29	3,39,11,423.00
2.	यूबीआई	317901090049834	2022-23	₹3.00 प्रति शेयर	15-09-30	4,99,14,133.00
3.	यूबीआई	0662210900000026	2023-24	₹3.60 प्रति शेयर	01-09-31	7,77,61,609.60
4.	यूबीआई	0662210900000054	2024-25	₹4.75 प्रति शेयर	01-08-32	9,88,31,766.00
कुल						26,04,18,931.60

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट या बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग को प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.bank.in) पर भी उपलब्ध है.

9.13 अदावाकृत शेयर:

ए) भौतिक रूप में:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 की अनुसूची VI अर्थात् 'अदावाकृत शेयरों के प्रबंधन का तरीका' के अनुसार बैंक ने सेबी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मार्च, 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय भौतिक रूप से जारी किए गए शेयर, जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में रखे गए शेयरों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
यथा 31.03.2026 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

बी) डीमैट रूप में:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के प्रबंधन का तरीका के अनुसार बैंक ने सेबी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मार्च, 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में रखे गए शेयरों के विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण (यूबीआई-एफ़पीओ)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष	213	25809
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
यथा 31.03.2026 को डीमैट उचंत खाते में शेष	213	25809

विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13089
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
यथा 31.03.2026 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13089

विवरण (यूबीआई – पुष्टिकरण पत्र)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2025 को डीमैट उचंत खाते में शेष	45	17146
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	8	1974
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	8	1974
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर पीएचवाई से डीमैट उचंत खाते में अंतरित किए गए	14	6264
यथा 31.03.2026 को डीमैट उचंत खाते में शेष	43	21436

ऊपर दिए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक अपने संबंधित डीमैट खाते में इनका दावा नहीं करते हैं।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

10. सूचीबद्धता विनियमन की विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	बोर्ड एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध संस्था के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र होता है तथा उसे कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति है।	अनुपालन किया गया है।
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए।	बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्द्ध-वार्षिक सूचना भेजी गई है।
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित अभिमत नहीं है।
4.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे मुख्य महाप्रबंधक, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करते हैं। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17.06.2026

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

5.17 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों का विवरण, उनकी बोर्ड तथा अन्य समिति बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड और बोर्ड की समितियों के सदस्य													
			बोर्ड		एससीबी		एससीबी		एससीबी		एससीबी		एससीबी		एससीबी	
			अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति	अयोजित*	उपस्थिति
1	श्री अश्वी पांडेय दिनांक 30.09.2025 से	एमडी एवं सीईओ	11	11	15	15	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
2	श्री नितिश रंजन दिनांक 10.03.2021 से	ईडी	22	22	31	31	-	-	4	4	-	-	4	4	1	-
3	श्री रामभुद्राणिम एस दिनांक 21.11.2022 से	ईडी	22	21	31	31	-	-	4	4	-	-	4	4	-	2
4	श्री सेलय रंज दिनांक 09.10.2023 से	ईडी	22	21	31	30	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-
5	श्री अमरेश प्रसाद दिनांक 24.11.2025 से	ईडी	7	6	12	12	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
6	श्री रीतन चंद्र ठाकुर केंद्र सरकार द्वारा नामित दिनांक 24.07.2025 से	एमडी	16	10	-	-	8	2	3	2	-	-	3	3	2	2
7	श्री प्रकाश बलियारसिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक दिनांक 14.07.2023 से	एमडी	22	21	31	28	13	13	-	-	-	-	-	-	3	-
8	सुश्री प्रीति जय राव एसडी दिनांक 29.07.2021 से	आईडी/एसडी	22	21	-	-	13	13	3	3	4	4	4	4	-	2
9	श्री प्रकाश चंद्र केदपाल दिनांक 27.07.2024 से	आईडी/एसडी	22	22	31	28	-	-	2	2	4	4	-	-	4	2
10	श्री सूरज श्रीवास्तव दिनांक 11.04.2025 से	आईडी/एमडी	22	22	-	-	13	13	4	4	4	4	4	4	-	4
वे निदेशक जो वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान दिनांक 31.03.2026 से पहले बैंक के बोर्ड में थे उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:																
1	श्री श्रीनिवासन वरदराजन दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025	एमडी	14	14	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-
2	सुश्री ए. मणिमल्ल दिनांक 03.06.2022 से 02.06.2025 तक	एमडी एवं सीईओ	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3	श्री पंकज द्विवेदी दिनांक 27.03.2024 से 24.06.2025	ईडी	4	4	6	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
4	श्री समिर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित दिनांक 08.11.2021 से 23.07.2025	एमडी	6	2	-	-	5	1	1	0	-	-	1	0	1	-

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** शेयर अंतरण समिति को विभिन्न अंतरालों पर परिपत्र संकल्प के रूप में 23 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इन्हें अनुमोदित कराया गया.

एमडी एंड सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ईडी- कार्यालय निदेशक

एमडी - गैर-कार्यकारी निदेशक

आईडी - स्वतंत्र निदेशक

एसडी - शेयरधारक निदेशक

एमडीसी- गैर-कार्यकारी अध्यक्ष



5.17 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों का विवरण, उनकी बोर्ड तथा अन्य समिति बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड और बोर्ड की समिति(यों) के सदस्य											
			आरसीएनसीबी और डब्ल्यूडी		एनआरसी		एचआरएससी		सीएसी-1		आरईएमसी		सीडीआरसीएफ	
			आयोजित*	उपस्थिति	आयोजित*	उपस्थिति	आयोजित*	उपस्थिति	आयोजित*	उपस्थिति	आयोजित*	उपस्थिति	आयोजित*	उपस्थिति
1	श्री आशीष पाण्डेय दिनांक 30.09.2025 से	एमडी एवं सीईओ	1	1	1	1	13	13	1	1	1	1		
2	श्री नितेश रंजन दिनांक 10.03.2021 से	ईडी	-	-	-	3	3	25	24	3	3	1	1	-
3	श्री रामसुब्रमणियन एस दिनांक 21.11.2022 से	ईडी	2	2	-	3	3	25	25	3	3	1	1	-
4	श्री संजय रुद्र दिनांक 09.10.2023 से	ईडी	-	-	-	3	3	25	20	3	3	1	1	-
5	श्री अमरेश प्रसाद दिनांक 24.11.2025 से	ईडी				1	1	9	9	1	1			
6	श्री रोहन चंद्र ठाकुर केंद्र सरकार द्वारा नामित दिनांक 24.07.2025 से	एमईडी				2	1	-	-	2	0	1	1	1
7	श्री प्रकाश बलियारसिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक दिनांक 14.07.2023 से	एमईडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	सुश्री प्रीति जय राव दिनांक 29.07.2021 से	आईडी/ एसडी	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
9	श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल दिनांक 27.07.2024 से	आईडी/ एसडी	3	3	2	1	1							
10	श्री सूरज श्रीवास्तव दिनांक 11.04.2025 से	आईडी/ एमईडी	3	3	2	3	3	-	-	-	-	1	1	-
वे निदेशक जो वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान, दिनांक 31.03.2026 से पहले बैंक के बोर्ड में थे, उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:														
1	श्री श्रीनिवासन वरदराजन दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025	एमईसी	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1
2	सुश्री ए. मणिमैखलै दिनांक 03.06.2022 से 02.06.2025 तक	एमडी एवं सीईओ				1	1	4	4					
3	श्री पंकज द्विवेदी दिनांक 27.03.2024 से 24.06.2025	ईडी				1	1	6	4	1	0	-	-	-
4	श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित दिनांक 08.11.2021 से 23.07.2025	एमईडी	-	-	-	1	0	-	-	1	0	-	-	-
* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या														

सीईओ और सीएफओ प्रमाणपत्र

{भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015,
यथा संशोधित, के विनियम 17(8) तथा विनियम 62डी(14) के प्रावधान अनुसार}

प्रति
निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ए. हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- (1) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं.
- (2) ये विवरण सामूहिक रूप से सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और प्रचलित लेखांकन मानकों, लागू विधियों तथा विनियमनों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन कपटपूर्ण, अवैध या सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या परिचालन में हमारी जानकारी में आई कमियाँ, यदि कोई हों और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या प्रस्तावित किए हैं, उनका प्रकटीकरण किया है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित का संकेत दिया है:

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन.
- (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा यह कि इन्हें वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकट किया गया है.
- (3) महत्वपूर्ण कपट की घटनाएँ जिनके बारे में हमें जानकारी हुई है तथा उनमें प्रबंधन या ऐसे कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

[धीरेन्द्र जैन]
मुख्य वित्तीय अधिकारी

[अशीष पाण्डेय]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.06.2026

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट****आचार संहिता संबंधी घोषणा**

बोर्ड द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया गया है। निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17.06.2026

(आशीष पाण्डेय)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपेक्षाओं के अनुपालन पर)

सेवा में,
सदस्यगण
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. यह प्रमाणपत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2025 के हमारे नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
2. इस प्रमाणपत्र में दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), यथा संशोधित, के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी, डी एवं ई में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों के अनुपालन का विवरण शामिल है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

3. बैंक का निदेशक मंडल और प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करें, जिसमें सूचीबद्धता विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है ताकि सूचीबद्धता विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

4. हमारी जांच केवल उन प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें बैंक द्वारा उपर्युक्त सूचीबद्धता विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा है और न ही उन पर किसी प्रकार के अभिमत की अभिव्यक्ति है।
5. सूचीबद्धता विनियमन की अपेक्षाओं के अनुसार, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम एक युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करें कि क्या बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीबद्धता विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।
6. हमने अपनी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "विशेष प्रयोजनों हेतु रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट [संशोधित 2016] (मार्गदर्शन नोट) के अनुसार की है। यह मार्गदर्शन नोट अपेक्षा करती है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
7. हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी तथा अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवाओं का लेखापरीक्षा एवं समीक्षा करने वाले फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण की प्रासंगिक एवं लागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अभिमत

8. उपर्युक्त हमारी जांच तथा हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी, स्पष्टीकरणों एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतियों के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:
 - i. बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) एवं (एफ) के अनुसार क्रमशः बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-एक निदेशक नहीं थे, धारा 9(3) (जी) के अनुसार एक ऐसा निदेशक नहीं था जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक सनदी लेखाकार रहा हो तथा धारा 9(3)(एच) के अनुसार चार निदेशक उपलब्ध नहीं थे।
9. हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट****उपयोग पर प्रतिबंध**

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को केवल इस उद्देश्य से संबोधित एवं प्रदान किया गया है, ताकि बैंक को सूचीबद्धता विनियमन की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाया जा सके, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया जाए या जिसके हाथों में यह आ जाए, किसी भी प्रकार की देयता या सावधानी संबंधी किसी दायित्व को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं.. 091007
यूडीआईएन: 26091007DIZLZU7539

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.. 136169
यूडीआईएन: 26136169EMOWMK1036

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाढा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

सीए पी. चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं.. 026037
यूडीआईएन: 26026037DMXBDY3122

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं.. 071378
यूडीआईएन: 26071378GVHCNX3868

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियमन, 2015 के विनियम 24ए के अंतर्गत]

हमने परीक्षण किया है :

- ए) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** ("सूचीबद्ध संस्था") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराए गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,
- बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में फ़ाइल/ प्रस्तुत किए गए हैं,
- सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट,
- डी) कोई अन्य दस्तावेज़/ फ़ाइल, जो प्रासंगिक हो सकती है, जिनका इस प्रमाणीकरण को बनाने के लिए विश्वास किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2026 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में:

- ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं
- बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश~

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 और समय-समय पर यथा संशोधित;
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 और समय-समय पर यथा संशोधित;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन, 2011 और समय-समय पर यथा संशोधित;
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियमन, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**
- एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;
- जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध) विनियमन, 2015 और समय-समय पर यथा संशोधित;
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियमन, 2018; **(जहां तक लागू हो)**
और इसके तहत जारी परिपत्र/दिशानिर्देश;

(ए) सूचीबद्ध संस्था ने नीचे निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, उपरोक्त विनियमों और उसके तहत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:-

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विभिष्ट खंड सहित विनियमन/ परिपत्र/दिशानिर्देश)	विनियमन/परिपत्र क्र.	विवरण	क्रिसके द्वारा कार्रवाई की गई	कार्रवाई का प्रकार	उत्पथन का विवरण	अपडेट की राशि	पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा किए गए अवलोकन/ टिप्पणी	प्रवधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
1.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे: (ई) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा. (एफ) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा. (जी) एक निदेशक, जो कम से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, उसे भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा. (एच) खंड (I) के प्रावधानों के अधीन, केन्द्र सरकार द्वारा छह से अधिक निदेशक नामित नहीं किए जाएंगे.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक नहीं है और एक निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत कम से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो.	बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो धारा 9(3) (जी) के अलावा शेषधारकों द्वारा आपस में चुना जाता है. इन 2 शेषधारक निदेशकों को छोड़कर, सभी शेष धर्ता उपबर्धों के अधीन रहते हुए कम 14 निदेशक (पूर्णकालिक और गैर-कार्यकारी) या तो भारत से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, किए जाते हैं. ये नियुक्तियां बोर्ड और अन्य शेषधारकों की बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक छह निदेशक नामित किए जाएंगे.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है. और (एफ) के तहत बैंक के निदेशक मंडल की संरचना उक्त अधिनियम की धारा 9(3) कामगार और गैर-कामगार का के उपबर्धों द्वारा नियंत्रित होती है. प्रतिनिधित्व करने वाला कोई उक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं, बैंक के बोर्ड में 16 निदेशक निदेशक नहीं था और ऐसा होते हैं, जिनमें से 2 शेषधारक निदेशकों को, केन्द्र सरकार निदेशक जो धारा 9(3) (जी) के अलावा शेषधारकों द्वारा आपस में चुना जाता है. और (एच) के अधीन खंड (I) के इन 2 शेषधारक निदेशकों को छोड़कर, सभी शेष धर्ता उपबर्धों के अधीन रहते हुए कम 14 निदेशक (पूर्णकालिक और गैर-कार्यकारी) या तो भारत से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, किए जाते हैं. ये नियुक्तियां बोर्ड और अन्य शेषधारकों की बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक छह निदेशक नामित किए जाएंगे.	प्रवधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियमन/परिपत्र/दिशानिर्देश)	विनियमन/परिपत्र क्र.	विचलन	किसके द्वारा कार्रवाई की गई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	अर्थदंड की राशि	पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा किए गए अवलोकन/टिप्पणी	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
2	जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक होता है, विनियमन, 2015 के निदेशक मंडल का वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम एक-तिहाई भाग में स्वतंत्र निदेशक शामिल होना चाहिए और जहाँ सूचीबद्ध संस्था के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होता है, वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम आधा भाग में स्वतंत्र निदेशक शामिल होना चाहिए.	सेबी (एलओडीआर) 06 नवंबर 2025 से, विनियमन, 2015 के निदेशक मंडल का विनियमन 17 (1)(बी)	06 नवंबर 2025 से, निदेशक मंडल का कम से कम आधा हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	बैंक के पास 06 नवंबर, 2025 से नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हैं. तदनुसार, निदेशक मंडल के निदेशक शामिल होने चाहिए, तथापि, कंपनी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, क्योंकि उसके बोर्ड के कम से कम आधा हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं.	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	बैंक के बोर्ड की भर्ती को भरने हेतु बैंक ने भारत सरकार से संपर्क किया है.
								जवाब - हमारा बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित किया गया है. निदेशक मंडल की संरचना उक्त अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है.		
								उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के बोर्ड में 16 निदेशक होते हैं, जिनमें से 2 शेरधारक निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों द्वारा आपस में चुने जाते हैं.		
								इन 2 शेरधारक निदेशकों को छोड़कर, शेष सभी अर्थात् 14 निदेशक (पूर्णकालिक एवं गैर-कार्यकारी) भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोर्ड में नियुक्त या नामित किए जाते हैं. उक्त नियुक्तियाँ बोर्ड एवं अन्य शेरधारकों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं.		
								यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 तक, बैंक के पास 2 शेरधारक (स्वतंत्र) निदेशक हैं, अर्थात् डॉ. प्रीति जय राव एवं श्री प्रकाश चंद्र कंदपाल, जिन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक के शेरधारकों द्वारा निर्वाचित किया गया है.		
								बैंक में भारत सरकार द्वारा नामित 1 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सूरज श्रीवास्तव भी हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ़.क्र. 6/20/2019-बीओआई/दिनांक 30.08.2019 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक माना गया है. ये सभी 3 निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त 7 अन्य निदेशक भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त/नामित किए गए हैं.		

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियमन/परिपत्र /दिशानिर्देश)	विनियमन/परिपत्र क्र.	विचलन	किसके द्वारा कार्रवाई की गई	कार्रवाई का प्रकार	उत्पन्न का विवरण	अर्थादंड की राशि	पेसेवर कंपनी सचिव द्वारा किए गए अवलोकन/ टिप्पणी	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
								शेष 6 गैर-कार्यकारी निदेशक पदों पर भारत सरकार द्वारा अभी तक नियुक्तियों नहीं की गई हैं, जिसके कारण ये 6 पद रिक्त हैं। परिणामस्वरूप, बोर्ड में 50% स्वतंत्र एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करना बैंक के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। चूंकि ये रिक्त पद बैंक के बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, इसलिए वर्तमान में बैंक 100% अनुपालन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, हम यह अवगत करना चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनमें हमारा बैंक भी शामिल है, के बोर्ड में नियुक्ति हेतु स्वतंत्र निदेशकों की सूची को अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा है। इन नियुक्तियों के होने के पश्चात, हमारा बैंक कॉर्पोरेट गवर्नंस से संबंधित सेबी दिशा-निर्देशों के उक्त प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की स्थिति में होगा।		
3.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों में से कम सेबी (एलओडीआर) समीक्षा से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि किसी सूचीबद्ध संस्था के पास बकाया एसआर इक्विटी शेयर है, तो लेखापरीक्षा समिति पूर्णतः स्वतंत्र निदेशकों से ही गठित होनी चाहिए।	समीक्षा विनियमन, 2015 के दौरेान, विनियम 18 (1) (बी)	अवधि के लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	सूचीबद्ध संस्था की लेखापरीक्षा समिति में कम से कम दो-तिहाई निदेशक होने चाहिए, बैंक की लेखापरीक्षा में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल हलांकि, बैंक की लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।	उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की एसीबी 5 निदेशकों की हो सकती है, जिसमें 1 भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, 1 आरबीआई द्वारा नामित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे, जिन्हें बोर्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओएस क्र. बीसी: 14/ एडमिन /919 /16.13.100 /95 दिनांक 26 सितंबर, 1995 तथा आरबीआई/2021-22/24 डीओआर. जीओबी. आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में नामित किया गया है। चूंकि एसीबी के अधिकांश सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, इसलिए वर्तमान में बैंक 2/3 स्वतंत्र सदस्यों की आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है।	

(बी) विगत रिपोर्टों में पाई गई टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:

क्र. सं.	पिछली रिपोर्टों में पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) की अवलोकन/टिप्पणियां	समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देश)	सूचीबद्ध संस्था पर उल्लंघन/विचलन और की गई कार्रवाई/ लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, का विवरण	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, टिप्पणियां	सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाइयों पर पीसीएस की
1.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के अधीन रहते हुए, कम से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम छह निदेशक नामित किए जाएंगे।	मार्च 31, 2025	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे: (ई) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अधीन कामगार हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे; (एफ़) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अधीन कामगार निदेशक जो धारा 9(3) (जी) के संहिता में स्वतंत्र निदेशक न होने वाले तदनुरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से एक निदेशक, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श के पश्चात् नामित किया जाएगा; (जी) एक निदेशक जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक सनदी लेखाकार रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। (एच) खंड (i) के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा छह से अधिक निदेशक नामित नहीं किए जाएंगे।	सूचीबद्ध संस्था पर उल्लंघन/विचलन और की गई कार्रवाई/ लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, का विवरण	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, टिप्पणियां	सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाइयों पर पीसीएस की



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

I. हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं, कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था की अनुपालन स्थिति निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ है:

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं /लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा टिप्पणी/ कथन
1	सचिवीय मानक: सूचीबद्ध इकाई का अनुपालन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है.	हाँ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक संबंधित बैंक है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं.
2	नीतियों को अपनाना एवं यथासमय अद्यतन करना: - सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनाया जाता है. - सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है तथा इन्हें यथासमय अद्यतित किया गया है.	हाँ	कोई नहीं
3	वेबसाइट पर रखरखाव एवं प्रकटीकरण: - सूचीबद्ध संस्था एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है. - वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत दस्तावेजों/ सूचना का समय पर प्रसार. - विनियम 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक एवं विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज (जों)/अनुभाग को पुनः निर्देशित करते हैं.	हाँ	कोई नहीं
4	निदेशक की निरर्हता: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत कंपनी का कोई भी निदेशक निरर्हता नहीं है.	हाँ	कोई नहीं
5	सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों की जांच: (ए) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों की पहचान (बी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों की अपेक्षाओं का प्रकटीकरण.	हाँ	कोई नहीं
6	दस्तावेजों का संरक्षण: सूचीबद्ध संस्था सेबी विनियमों के तहत निर्धारित रिकॉर्ड को संरक्षित कर रही है एवं उसका रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के तहत निर्धारित दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार रिकॉर्ड का निपटान कर रही है.	हाँ	कोई नहीं
7	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन: सूचीबद्ध संस्था ने सेबी विनियमों में निर्धारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में/ वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया है.	हाँ	कोई नहीं
8	संबंधित पक्ष लेन-देन: (ए) सूचीबद्ध संस्था ने सभी संबंधित पक्षों के लेन-देन हेतु लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है. (बी) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो सूचीबद्ध संस्था ने पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान किए हैं कि क्या लेनदेन को बाद में लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/अस्वीकृत कर दिया गया है.	हाँ लागू नहीं	कोई नहीं

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं /लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा टिप्पणी/ कथन
9	घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: सूचीबद्ध संस्था ने सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 की अनुसूची III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए गए हैं.	हाँ	कोई नहीं
10	आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध: सूचीबद्ध संस्था विनियम 3(5) एवं 3(6) सेबी (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में है.	हाँ	कोई नहीं
11	सेबी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो: सेबी विनियमों और उसके तहत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रमोटर्स/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के सापेक्ष या तो सेबी द्वारा या स्टॉक एक्सचेंजों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है.	हाँ	कोई नहीं
12	सूचीबद्ध संस्था या इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखापरीक्षकों का त्यागपत्र: वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था या इसकी किसी भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी से सांविधिक लेखापरीक्षक के त्यागपत्र के मामले में, सूचीबद्ध संस्था और/या इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एलओडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुपालन पर मास्टर परिपत्र के अध्याय V की धारा वी-डी के पैराग्राफ 6.1 और 6.2 का अनुपालन किया है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई.
13	अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो: सभी सेबी विनियमन/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि सूचीबद्ध संस्था एलओडीआर विनियमन के विनियम 46 (2) (जेडए) के संदर्भ में कर्मचारी लाभ योजना दस्तावेजों के प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन में है.

कार्यक्षेत्र और समीक्षा की धारणाएं एवं सीमा:

1. लागू कानूनों का अनुपालन और प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी है.
2. हमारी जिम्मेदारी प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं की हमारी जांच के आधार पर रिपोर्ट करना है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है.
3. हमने सूचीबद्ध संस्था के वित्तीय रिकॉर्ड और खाते बहियों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है.
4. यह रिपोर्ट पूरी तरह से सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 24 ए (2) के संदर्भ में अनुपालन के उद्देश्य हेतु है और यह न तो सूचीबद्ध संस्था की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने सूचीबद्ध संस्था के मामलों का संचालन किया है.

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी

(कंपनी सचिव)

रागिनी चोकसी

एफसीएस नं: 2390

सीपी नं: 1436

यूडीआईएन: F002390H000479341

समकक्ष समीक्षा सं. -4166/2023

फर्म पंजीकरण सं. 92897

स्थान: मुंबई

दिनांक: 25.05.2026

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट****फॉर्म नं. एमआर-3****सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

01-04-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक भवन, 239,
विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (जिसे यहाँ के बाद से “बैंक” कहा गया है) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो।

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त की बहियों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने, दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के लेखा-परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो यहाँ और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के लेखा-परीक्षण की अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त की बहियों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:

- i. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970;
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970;
- iii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
- iv. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998;
- v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमन और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;
- vi. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 एवं उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा के संबंध में बनाए गए नियम और विनियमन;
- vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (‘सेबी अधिनियम’) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशा-निर्देश:-
 - ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन 2011;
 - बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार पर प्रतिषेध) विनियमन, 2015;
 - सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018;
 - डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इकिटी) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;
 - एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इकिटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद (बाय-बैक)] विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियमन, 2009;

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमन, 1993

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निरपेक्षागार एवं सहभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु बैंक द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं तंत्र के संबंध में बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा की गई प्रस्तुति पर भरोसा किया है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक. **(लागू नहीं है क्योंकि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित नहीं है).**

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ["सूचीबद्धता विनियमन"].

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कामगार और गैर-कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और न ही कोई ऐसा निदेशक था, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) और (एच) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड (आई) के उपबंधों के अधीन है, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम छह निदेशक नामित किए जाएंगे.
- बैंक के बोर्ड में दिनांक 06 नवंबर, 2025 से कोई अध्यक्ष नहीं था, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी के तहत आवश्यक है.
- बैंक ने दिनांक 06 नवंबर, 2025 से सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1)(बी) का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि इसके बोर्ड में शामिल कम से कम आधे निदेशक, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे.
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक की लेखापरीक्षा समिति में शामिल कम से कम दो तिहाई निदेशक, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है (ऊपर उल्लेखित को छोड़कर). समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम, नियम एवं विनियमन के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई है, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को प्राप्त किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं या कार्य हुए, जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. श्री सूरज श्रीवास्तव की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में दिनांक 11 अप्रैल, 2025 से नियुक्ति.
2. कार्यकाल पूर्ण होने के कारण दिनांक 02 जून, 2025 से सुश्री ए. मणिमेखलै के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
3. 02 जून, 2025 से श्री पंकज द्विवेदी के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु ₹10/- के प्रत्येक इक्किटी शेयर पर ₹4.75/- के लाभांश की घोषणा के लिए वार्षिक महासभा बैठक में बैंक के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया.

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट**

5. श्री रोहन चंद ठाकुर की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में दिनांक 24 जुलाई, 2025 से नियुक्ति.
6. वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 24 जुलाई, 2025 के आदेश के अनुसार श्री समीर शुक्ला के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
7. श्री आशीष पाण्डेय की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दिनांक 30 सितंबर, 2025 से नियुक्ति.
8. कार्यकाल पूर्ण होने के कारण दिनांक 07 नवंबर, 2025 से श्री श्रीनिवासन वरदराजन के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
9. श्री अमरेश प्रसाद की कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 24 नवंबर, 2025 से नियुक्ति.
10. दिनांक 31 जनवरी, 2026 से श्री अविनाश वसंत प्रभु के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
11. श्री धीरेन्द्र जैन की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में दिनांक 02 फरवरी, 2026 से नियुक्ति.
12. दिनांक 28 जनवरी, 2026 से श्री मंगेश मांद्रकर के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्यकाल की समाप्ति.
13. श्री आशीष मिश्रा की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में दिनांक 28 जनवरी, 2026 से नियुक्ति.
14. बैंक ने दिनांक 24 मार्च, 2026 को 3,00,000 सीनियर, रेटेड, सूचीबद्ध, प्रतिभूति-रहित, भुनाने योग्य, कर योग्य एवं हस्तांतरणीय दीर्घकालिक पूर्णतः भुगतान किए गए अपरिवर्तनीय बॉण्ड, डिबेंचर्स के रूप में ("बॉण्ड") आवंटित किए हैं, जिनका प्रति बॉण्ड अंकित मूल्य ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख) है, जिनका कुल निर्गम साइज लगभग ₹7,500 करोड़ है, जिसमें लगभग ₹3,000 करोड़ का आधार निर्गम साइज तथा लगभग ₹4,500 करोड़ का ग्रीन-शू विकल्प शामिल है, जो निजी प्लेसमेंट के आधार पर किया गया है.

कृते रागिनी चोकसी एंड कं.**कंपनी सचिव****फर्म पंजीकरण संख्या: 92897****स्थान: मुंबई****दिनांक: 25.05.2026****रागिनी चोकसी (भागीदार)****एम.सं : F2390****सीओपी सं.: 1436****यूडीआईएन: F002390H000479328****पीएन सं. - 4166/2023**

इस रिपोर्ट को हमारे उक्त तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है.

अनुलग्नक "ए"

सेवा में,
सदस्यगण,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक भवन, 239
विधान भवन मार्ग
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी उक्त तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है.
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है. यह सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय प्रकट करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, वहां हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं घटी हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है. हमारी परीक्षा, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन करने तक सीमित थी.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते रागिनी चोकसी एंड कं.
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.05.2026

रागिनी चोकसी
(भागीदार)
एम.सं.: F2390
सीओपी सं.: 1436
यूडीआईएन: F002390H000479328
पीआर सं. 4166/2023



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

निवेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक भवन, 239,
विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, (जिसका केन्द्रीय कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में स्थित है), जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर आवश्यक सत्यापन [निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित] तथा बैंक और इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	नितेश रंजन	08101030	10-03-2021
2.	रामसुब्रमणियन एस.	08747165	21-11-2022
3.	संजय रुद्र	09650826	09-10-2023
4.	प्रकाश बलियारसिंह	10864760	14-07-2023
5.	प्रकाश चंद्र कंदपाल	06452437	27-07-2024
6.	प्रीति जय राव	03352049	29-07-2021
7.	आशीष पाण्डेय	09295107	30-09-2025
8.	रोहन चन्द्र ठाकुर	07944078	24-07-2025
9.	सूरज श्रीवास्तव	09444372	11-04-2025
10.	अमरेश प्रसाद	11522143	24-11-2025

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना, बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक अभिमत व्यक्त करें।

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

दिनांक: 25.05.2026
स्थान: मुंबई

रागिनी चोकसी
(भागीदार)
एम. नं.: 2390
सीओपी नं.: 1436
यूडीआईएन: F002390H000479350
पीआर नं.: 4166/2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने संलग्न यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सार सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं

- हमने प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और एक ट्रेजरी शाखा की लेखापरीक्षा की है;
- 2298 शाखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है और
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षकों के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है। तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में 6904 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) से प्राप्त विवरणियाँ भी शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 29.52%, जमा का 53.50%, राजस्व का 22.67%, ब्याज आय का 23.56% और ब्याज व्यय का 48.24% हिस्सा है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं, जैसा कि बैंक के लिए अपेक्षित है एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं और:

ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2026 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

बी. लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा

सी. नकदी प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है। हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले, वो मामले हैं जो, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं।



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण 31 मार्च, 2026 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 88.16% थे, जो आस्तियों का बड़ा एक वर्ग है। उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं। बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, विधिक विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है। बैंक में आईआरएससी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है। चूंकि अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया है।	हमारा लेखापरीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था। हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएससी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं: • आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; • अनर्जक आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है। • हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएससी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है। • हमने परीक्षण जांच के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है। • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में, हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखापरीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है। • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, अधिवक्ताओं, विधिक विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक को सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है। • इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है।

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		- परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर भारिबैं के सेंट्रल रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ('सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों ('एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया। - हमने बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है। - अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन। हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है।
2	वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं। प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं। बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है। सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखापरीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिम्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे। विशेषतः - हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। - हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था। - हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैनुअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूर्क नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
3	आस्थगित करों की पहचान करना एवं मापना बैंक ने 31 मार्च, 2026 को ₹ 3,51,43,061 ('000 में) निवल आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर विधियों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल था. हमारी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया की दोनों जाँचें की हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक यह सीमित नहीं है: - आय पर “करों के लिए लेखांकन” एस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन; - एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया - लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा.
4	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय वाद के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 17 और अनुसूची 18 के नोट सं. 14 ई). प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, विधिक और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं वाद अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए विधि की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है.	हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं. हमने दावों एवं कर वाद के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा विधिक अभिमत पर भरोसा किया है और ऐसे वाद एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/वाद के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में परिवर्तित होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके ऊपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है।

जब हम अन्य सूचना को पढ़ते हैं और यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए और प्रासंगिक विधियों और विनियमनों के तहत लागू उचित कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों के उत्तरदायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के

लिए उत्तरदायी है, प्रकटन, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा अभिमत शामिल करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना एवं जो हमारे अभिमत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचानने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नज़र आती है, तो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे अभिमत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं।

- प्रकटन सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं एवं यह भी कि, क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रस्तुति माना जाए।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभावित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेंस के प्रभारी को भी विवरण देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना की है और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं तथा जहां लागू हो वहां सुरक्षा से संबंधित उचित उपाय भी प्रदान करते हैं।

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेंस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक विधि या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों।

अन्य मामले

- हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2300 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि **31 मार्च, 2026 को** कुल आस्तियां **₹ 3,15,03,50,159.23 (हजार में)** है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **कुल राजस्व ₹ 31,60,28,314.43 (हजार में)** है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को ये शाखाएं और कार्यालय 32.03% अग्रिम, 44.66% जमाओं, 38.60% अनर्जक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 25.20% है। इन शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारे अभिमत में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं;

उपर्युक्त अनुच्छेद 5, 6 एवं 7 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

- “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता” के संबंध में पत्र क्र.डीओएस.एआरजी. क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- ए) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो।
- (बी) वित्तीय लेनदेन या मामले, जिनका बैंक की कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, के संबंध में कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है।
- (सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है।
- (डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबंधित मामलों में, हमारी कोई विशेष या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दी गई है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है।

10. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमारे अभिमत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं। उन लेखों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;
- बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के लेखों बहियों और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं;
- सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबंधित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है; और
- डी) हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं।

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 000580S / S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 101794W

कृते जी एस माथुर एंड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
 भागीदार
 सदस्य सं. 026037
 यूडीआईएन: 26026037QEUXMV7450

सीए अशोक कुमार डांगीच
 भागीदार
 सदस्य सं. 071378
 यूडीआईएन: 26071378EXZJRR5242

सीए नितेश जैन
 भागीदार
 सदस्य सं. 136169
 यूडीआईएन: 26136169RBTNFBQ3928

सीए राजीव कुमार वाधवन
 भागीदार
 सदस्य सं. 091007
 यूडीआईएन: 26091007SPWGYH9777

दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुलग्नक “ए”-स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(नियत तारीख की हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य विधि विषयक और नियामक अपेक्षाओं’ पर रिपोर्ट के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ई) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) (“आरबीआई संसूचना”) की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.

हमने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए यूनिन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (“मार्गदर्शी नोट”) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है. इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है.

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना अभिमत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी नोट (“मार्गदर्शी नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) को ध्यान में रखकर हमने अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं.

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक विसंगतियों के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हो सकते हैं.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण, तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

अभिमत

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, बैंक के पास

सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे।

अन्य मामले

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह विदेशी शाखाओं सहित 2300 शाखाओं एवं कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी अभिमत में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन 000580S / S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन 101794W

कृते जी एस माथुर एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ़आरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन

भागीदार

सदस्य सं. 026037

यूडीआईएन: 26026037QEUXMV7450

सीए अशोक कुमार डांगीच

भागीदार

सदस्य सं. 071378

यूडीआईएन: 26071378EXZJRR5242

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्य सं. 136169

यूडीआईएन: 26136169RBTNFBQ3928

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्य सं. 091007

यूडीआईएन: 26091007SPWGYH9777

दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

स्थान: मुंबई



स्टैंडअलोन तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2026

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	7,63,36,056	7,63,36,056
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	1,20,94,13,916	1,05,34,16,007
जमा राशियाँ	3	13,06,89,14,125	12,72,24,68,934
उधार	4	77,19,01,665	64,84,44,124
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	56,69,80,495	49,78,91,960
कुल		15,69,35,46,257	14,99,85,57,081
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	66,47,28,189	89,50,34,824
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	29,23,18,684	41,33,47,846
निवेश	8	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963
अग्रिम	9	10,53,27,74,852	9,53,51,33,435
अचल आस्तियां	10	11,60,79,764	9,78,18,765
अन्य आस्तियां	11	78,52,82,603	51,34,08,248
कुल		15,69,35,46,257	14,99,85,57,081
आकस्मिक देयताएं	12	6,37,39,58,914	5,08,86,90,187
संग्रहण के लिए बिल		58,79,78,332	50,91,34,855
प्रमुख लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखों पर नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037QEUXMV7450

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378EXZJRR5242

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169RBTNFQ3928

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007SPWGYH9777

दिनांक: 23.04.2026
स्थान: मुंबई

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	1,05,99,22,240	1,05,90,89,396
अन्य आय	14	19,43,47,856	19,81,29,144
कुल		1,25,42,70,096	1,25,72,18,540
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	69,33,33,974	68,69,52,629
परिचालन व्यय	16	27,47,41,151	25,93,65,486
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		9,92,23,648	13,10,28,963
कुल		1,06,72,98,773	1,07,73,47,078
III. अर्वाधि/वर्ष का लाभ/(हानि)		18,69,71,323	17,98,71,462
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि से/में अंतरण			-
जोड़ : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		58,32,008	58,32,008
कुल		19,28,03,331	18,57,03,470
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		4,67,42,831	4,49,67,865
पूंजी आरक्षित में अंतरण		57,36,728	33,97,295
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण		32,00,000	-
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		8,65,59,994	8,84,13,653
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण		27,46,940	68,33,022
निवेश आरक्षित खाता		-	-
प्रस्तावित लाभांश		3,81,68,028	3,62,59,627
पीएनसीपीएस पर लाभांश हेतु प्रावधान		-	-
लाभांश कर		-	-
लाभ एवं हानि खाते में शेष		96,48,811	58,32,008
कुल		19,28,03,331	18,57,03,470
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹10)		24.49	23.56
प्रमुख लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा पर नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग हैं

(मुनीश कुमार चोपड़ा)

उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)

महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अमरेश प्रसाद)

कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)

कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)

निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 008744N

सीए पी चंद्रशेखरन

भागीदार

सदस्यता सं. 026037

यूडीआईएन: 26026037QEUXMV7450

सीए अशोक कुमार डांगीच

भागीदार

सदस्यता सं. 071378

यूडीआईएन: 26071378EXZJRR5242

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्यता सं. 136169

यूडीआईएन: 26136169RBTNFQ3928

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्यता सं. 091007

यूडीआईएन: 26091007SPWGYH9777

दिनांक: 23.04.2026

स्थान: मुंबई



स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2026

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
₹10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं चुकता:		
i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर)	1,92,69,447	1,92,69,447
घटा: अप्रदत्त मांग	-	-
जोड़: जब्त शेयर	-	-
कुल	7,63,36,056	7,63,36,056

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :		
I. सांविधिक आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	24,64,60,727	20,14,92,862
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	4,67,42,831	29,32,03,558
		4,49,67,865
		24,64,60,727
II. पूंजी आरक्षित:		
i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	5,46,52,615	5,64,44,174
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	1,68,98,903	2,06,150
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	17,34,620	19,97,709
	6,98,16,898	5,46,52,615
ii) पूंजी आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	6,49,00,206	6,15,02,911
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	57,36,728	33,97,295
	7,06,36,934	6,49,00,206
iii) पूंजी आरक्षित - ट्रेजरी		
प्रारंभिक शेष	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	-	-
iv) समामेलन समायोजन आरक्षित	1,30,95,979	15,35,49,811
	1,30,95,979	13,26,48,800

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2025	
III. शेयर प्रीमियम :				
प्रारंभिक शेष	25,51,31,787		25,51,31,787	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	-	25,51,31,787	-	25,51,31,787
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित:				
i) राजस्व आरक्षित:				
प्रारंभिक शेष	30,53,24,383		21,18,22,302	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	8,82,94,614		9,37,08,232	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	-		2,06,150	
कुल	39,36,18,997		30,53,24,384	
ii) राजस्व आरक्षित - ट्रेजरी:				
प्रारंभिक शेष	1,59,33,407		-	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	-		1,59,33,407	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	-		-	
कुल	1,59,33,407		1,59,33,407	
iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	7,98,10,811		7,29,77,789	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	27,46,940		68,33,022	
कुल	8,25,57,751		7,98,10,811	
iv) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	-25,63,533		-21,15,587	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	9,34,652		7,358	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	17,08,415		4,55,303	
कुल	-33,37,296		-25,63,532	
v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित:				
प्रारंभिक शेष	1,38,14,014		1,38,14,014	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	32,00,000		-	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	-		-	
कुल	1,70,14,014		1,38,14,014	
vi) निवेश आरक्षित खाता				
प्रारंभिक शेष	-		32,96,872	
अवधि/वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
अवधि/वर्ष के दौरान कमी	-		32,96,872	
कुल	-		-	
V. एफ़एक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित लाभ	58,485	50,58,45,358	58,485	41,23,77,569
VI. एफ़एक्स आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	9,65,116		-	-
अवधि/ वर्ष के दौरान वृद्धि	-		9,65,116	
अवधि/ वर्ष के दौरान कमी	89,30,525	-79,65,409	-	9,65,116
VII. लाभ हानि खाते में शेष		96,48,811		58,32,008
कुल		1,20,94,13,916		1,05,34,16,007



स्टैंडअलोन तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
ए.		
I. मांग जमाराशियां		
i) बैंकों से	1,47,73,182	1,01,66,991
ii) अन्य से	82,60,94,128	84,08,67,310
II. बचत बैंक जमाराशियां	3,75,98,99,425	85,39,28,924
III. मीयादी जमाराशियां		86,40,95,915
i) बैंकों से	10,03,04,740	59,20,962
ii) अन्य से	8,36,78,42,650	8,46,81,47,390
कुल	13,06,89,14,125	12,72,24,68,934
जमाराशियों में ₹1,03,31,860 लाख की लियन मार्क की गई जमाराशियां शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹99,40,717 लाख)		
बी.		
i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	13,06,28,80,772	12,71,75,04,355
ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	60,33,353	49,64,579
कुल	13,06,89,14,125	12,72,24,68,934

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 4 - उधार :		
I) भारत में उधार		
ए. भारतीय रिजर्व बैंक	4,00,00,000	-
बी. अन्य बैंक	-	-
सी. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	23,89,60,135	6,16,19,425
डी. स्थायी बॉण्डस- टियर I	7,98,30,000	9,68,80,000
ई. गौण बॉण्डस- टियर II	6,95,00,000	7,95,00,000
एफ. इफ्रा बॉण्डस	3,00,00,000	-
II) भारत से बाहर उधार	45,82,90,135	23,79,99,425
कुल	77,19,01,665	64,84,44,124
उपर्युक्त I & II में सम्मिलित जमानती उधार	4,00,00,000	-

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,99,00,397	2,73,65,011
II. उपचित ब्याज	5,07,23,894	6,25,66,044
III. अन्य* (प्रावधान सहित)	48,63,56,204	40,79,60,905
कुल	56,69,80,495	49,78,91,960

*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित ₹7,90,33,464 (पिछले वर्ष ₹6,04,27,264)

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:		
I. धारित नकदी		
(विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	1,94,09,641	1,73,93,979
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष		
ए) चालू खाते में	38,49,88,548	47,63,30,845
बी) अन्य खातों में	26,03,30,000	40,13,10,000
कुल	66,47,28,189	89,50,34,824

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए) चालू खातों में	1,06,177	8,00,278
बी) अन्य जमा खातों में	69	75
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
ए) बैंकों से	2,00,000	-
बी) अन्य संस्थाओं से	15,30,03,551	49,95,224
कुल (i और ii)	15,33,09,797	57,95,577
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	89,42,684	90,07,988
ii) अन्य जमा खातों में	13,00,66,203	39,85,44,281
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-
कुल (i, ii और iii)	13,90,08,887	40,75,52,269
कुल योग (I और II)	29,23,18,684	41,33,47,846

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 8 - निवेश:		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,61,38,67,715	2,83,07,39,588
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
iii) शेयरों में	4,42,94,927	3,83,09,403
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड में	52,73,61,514	55,03,64,850
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	61,59,958	52,68,212
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	7,20,94,138	7,99,30,598
कुल	3,26,37,78,252	3,50,46,12,651



स्टैंडअलोन तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	2,85,23,841	2,77,53,425
ii) विदेश में सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	1,00,54,500	1,14,42,315
iii) अन्य निवेश	5,572	5,572
कुल	3,85,83,913	3,92,01,312
कुल (I और II)	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	3,30,67,55,131	3,55,80,96,301
मूल्य हास हेतु प्रावधान	4,29,76,879	5,34,83,650
निवल मूल्य	3,26,37,78,252	3,50,46,12,651
ii) भारत से बाहर निवेश		
सकल मूल्य	3,87,24,722	3,93,28,284
मूल्य हास हेतु प्रावधान	1,40,809	1,26,972
निवल मूल्य	3,85,83,913	3,92,01,312
कुल (III)	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
ए.		
i) खरीदे और भुनाए गए बिल	5,55,37,388	3,66,35,915
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती-योग्य ऋण	4,68,64,86,080	4,84,73,49,758
iii) मीयादी ऋण	5,79,07,51,384	4,65,11,47,762
कुल	10,53,27,74,852	9,53,51,33,435
बी.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*	8,24,04,17,027	7,87,40,16,588
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	7,86,84,622	10,94,66,032
iii) प्रतिभूति-रहित	2,21,36,73,204	1,55,16,50,815
कुल	10,53,27,74,853	9,53,51,33,435
* बही ऋण के सापेक्ष के अग्रिम सहित		
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
सी.1. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3,53,42,76,588	3,16,37,65,065
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,11,66,19,859	1,01,80,99,768
iii) बैंक	1,70,134	1,29,342
iv) अन्य	5,50,87,71,122	5,02,63,01,981
कुल	10,15,98,37,703	9,20,82,96,156

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
सी.II. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्त	17,98,56,588	6,24,67,883
ii) अन्य से प्राप्त	-	-
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	2,03,235	5,24,875
बी) सिंडीकेटेड ऋण	-	-
सी) अन्य	19,28,77,327	26,38,44,521
कुल सी.(I) + सी.(II)	37,29,37,150	32,68,37,279
कुल	10,53,27,74,853	9,53,51,33,435

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां:		
I. परिसर		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	9,55,40,727	9,41,07,688
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,66,15,447	14,35,351
वर्ष के दौरान कमी	1,769	2,312
	11,21,54,405	9,55,40,727
आज की तारीख तक मूल्यहास	3,34,87,912	7,86,66,493
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)		
ए. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	5,76,356	3,47,034
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,32,974	5,58,797
वर्ष के दौरान कमी	2,84,484	6,24,846
		3,29,475
बी. भूमि		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	37,09,841	35,19,663
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,93,658	1,90,177
वर्ष के दौरान कमी	-	-
	43,03,499	37,09,840
घटा: आज की तारीख तक परिशोधित	14,18,073	28,85,426
सी. पट्टे पर दी गई आस्तियां		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	77,973	2,65,352
आज की तारीख तक मूल्यहास	77,973	-
		2,65,352
डी. अन्य		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	9,33,74,047	8,51,92,180
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,10,72,797	1,08,00,394
वर्ष के दौरान कमी	1,40,05,419	26,18,526
	9,04,41,425	9,33,74,048
आज की तारीख तक मूल्यहास	6,19,55,061	2,84,86,364
		6,71,83,971
		2,61,90,077



स्टैंडअलोन तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
ई. कंप्यूटर साफ्टवेयर		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	1,56,69,029	1,23,36,473
वर्ष के दौरान वृद्धि	35,35,143	37,59,686
वर्ष के दौरान कमी	2,75,697.00	4,27,130
	1,89,28,475	1,56,69,029
घटा: आज की तारीख तक परिशोधन	1,35,11,840	54,16,635
		1,10,18,428
कुल (I और II)		46,50,601
	11,60,79,764	9,78,18,765

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ :		
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	4,66,30,917	2,93,44,287
II. उपचित ब्याज	11,65,16,034	10,98,09,146
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल)	4,27,60,825	3,45,56,335
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	61,792	64,823
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियाँ	1,334	1,334
VI. अन्य*	54,41,68,640	31,22,38,494
VII.आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	3,51,43,061	2,73,93,829
VIII.एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	78,52,82,603	51,34,08,248

*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि ₹ 34,53,16,455 (पिछले वर्ष ₹ 660,62,870)

(₹ 000 में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं:		
I. बैंक के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	12,69,727	10,67,392
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	5,01,66,32,439	3,68,03,02,111
IV. घटकों की ओर से दी गयी गारंटी		
ए) भारत में	73,05,73,179	70,73,94,487
बी) भारत से बाहर	69,33,187	73,75,06,366
		1,04,51,784
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	31,77,93,914	35,13,49,062
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देय है		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	24,23,45,626	29,36,49,416
ii) पूँजी प्रतिबद्धता	42,75,805	35,74,605
iii) डी ई ए फंड योजना - 2014 में अंतरित राशि	5,41,35,037	4,09,01,330
कुल	6,37,39,58,914	5,08,86,90,187
* इसमें मुद्रा स्वैप, प्राप्य और देय राशि के लिए देयता भी शामिल है		
समाहरण के लिए बिल	58,79,78,332	50,91,34,855

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000 में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों पर ब्याज/बिलों पर बट्टा	79,90,74,262	79,06,69,113
II. निवेशों से आय	22,30,94,790	23,18,41,928
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	3,13,23,363	3,27,13,353
IV. अन्य	64,29,825	38,65,002
कुल	1,05,99,22,240	1,05,90,89,396

(₹ 000 में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,72,70,366	2,70,78,690
II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	2,47,59,359	2,10,33,652
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	47,59,410	1,17,54,139
IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	70,311	22,124
V. विनिमय लेनदेन से लाभ (निवल)	1,12,15,656	82,57,656
VI. विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और /या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	9,863	20,419
VII. विविध आय	12,62,62,891	12,99,62,464
कुल	19,43,47,856	19,81,29,144

(₹ 000 में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	65,20,98,594	64,55,89,397
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	2,73,02,499	2,59,60,862
III. अन्य	1,39,32,881	1,54,02,370
कुल	69,33,33,974	68,69,52,629

(₹ 000 में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय:		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	15,29,04,176	14,66,76,421
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	1,37,84,804	1,18,00,083
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	13,57,805	13,35,117
IV. विज्ञापन और प्रचार	13,61,240	12,38,412
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	1,18,78,846	1,07,10,161
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	32,152	20,465
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	8,30,872	6,47,450
VIII. विधिक प्रभार	15,00,117	16,25,917
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	47,63,105	42,74,509
X. मरम्मत एवं रखरखाव	50,47,194	41,00,556
XI. बीमा	1,57,25,578	1,73,80,883
XII. अन्य व्यय	6,55,55,262	5,95,55,512
कुल	27,47,41,151	25,93,65,486

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची 17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

पृष्ठभूमि:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई या बैंक) एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने में लगा हुआ है। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा नियंत्रित होता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नलिखित हैं अर्थात्, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत और बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नलिखित हैं।

1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक सम्मेलन, लेखांकन के संचयी आधार के अंतर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और कार्यशील संस्था की अवधारणा का पालन किया गया हो। वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य प्रथाओं के अनुरूप हैं।

विदेशी कार्यालयों के मामले में, यदि संबंधित विदेशी देश के स्थानीय कानूनों के सांविधिक प्रावधान और प्रथाएं अधिक विवेकपूर्ण हैं तब उनका पालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान लगाएं और आकलन करें। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है।

3. राजस्व की पहचान

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की जाती है।
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से संबंधित आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार वसूल की गई सीमा तक की जाती है। पिछले वर्ष में हुई आय और शेष अप्राप्त आय की वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में मान्यता रद्द कर दी जाती है।

- साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी और सरकारी कारोबार पर कमीशन की गणना अवधि के दौरान उपचय एवं आनुपातिक आधार पर की जाती है।
- अर्जित विनिमय एवं ब्रोकरेज, सेफ जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम शेष शुल्क आदि का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
- निम्नलिखित निवेशों के लिए आय का निर्धारण उपचय के आधार पर किया जाता है:
 - सरकारी प्रतिभूतियां, बांड और कॉर्पोरेट निकायों के डिबेंचर, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो और बकाया न हो।
 - लाभांश प्रदान करने वाले कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों को कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक महासभा में घोषित किया गया है और भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वामी का अधिकार स्थापित किया गया है।
 - म्यूचुअल फंड की यूनितों, वैकल्पिक निवेश फंडों और ऐसे अन्य पूल/ सामूहिक निवेश निधि से होने वाली आय को नकद आधार पर निर्धारित किया जाता है।
 - उपर्युक्त उपखंड (3.5.2) के अधीन, एएफएस/एफवीटीपीएल/ एफवीएचएफटी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभ और हानि खाते में किया जाता है।
 - खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन:

बैंक लागत के भाग के रूप में विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज का पूंजीकरण नहीं करेगा और इसे प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिब्री को लेखांकित किया गया है।
- आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है।
- ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट/प्रीमियम को कम कूपन बॉण्ड (ऋण को प्रतिभूतियों में बदलना) को छोड़कर लिखतों के शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है क्योंकि यह एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

4. वसूली का विनियोजन

ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से की गई वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

- 4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच ऐसा कोई करार नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा:

मियादी ऋण हेतु

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि को प्रत्यावर्तित वसूल न किए गए ब्याज के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए
- मूलधन के लिए.

चल खातों हेतु:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए होने के समय प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज सहित छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए.
- रनिंग लेजर बकाया के लिए

- 4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का निर्धारण करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

- 4.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, समाधान/ परिसमापन के माध्यम से वसूली:

वसूली का विनियोजन नीचे वर्णित के अनुसार या मंजूरी शर्तों के अनुसार किया जाएगा.

- मूलधन के लिए
- एनपीए होने के समय प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज सहित छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए.
- व्यय और लागत आदि के लिए.

एनपीए खाते में उपर्युक्त निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त की गई किसी भी वसूली का निपटान बैंक की 'वसूली प्रबंधन नीति' के अनुसार किया जाता है.

- 4.4. अनर्जक निवेशों के मामले में, वसूली को नीचे उल्लिखित के अनुसार विनियोजित किया जाता है:

- ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- बी. एनपीआई की तिथि को प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज के लिए.
- सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए.
- डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- ई. रनिंग लेजर बकाया के लिए

- 4.5. असफल ओटीएस के मामले में:

यदि कोई ओटीएस असफल/निरस्त हो जाता है, तो निरस्तीकरण से पहले प्राप्त वसूली को इस नीति के बिंदु संख्या 4.3 के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए, लेकिन ओटीएस निरस्त होने के बाद प्राप्त वसूली को इस नीति के उपरोक्त बिंदु संख्या 4.1 के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए.

5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण, एएस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- 5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में परिचालन संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न या उनमें प्रयुक्त नकदी प्रवाह शामिल होते हैं.
- 5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में निवेश संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न या उनमें प्रयुक्त नकद प्रवाह शामिल होते हैं.
- 5.3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों/साधनों से उत्पन्न या उनमें प्रयुक्त नकदी प्रवाह शामिल होते हैं.
- 5.4. नकद और नकद समतुल्य में आरबीआई के साथ नकदी और शेष, बैंकों के साथ मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल होते हैं.

6. निवेश

6.1. निवेश का वर्गीकरण

ए) बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों, अर्थात्-परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत करेगा. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप श्रेणी है. निवेश की श्रेणी का निर्धारण बैंक द्वारा अधिग्रहण से पूर्व या अधिग्रहण के समय किया जाता है तथा इस निर्णय का उचित रूप से प्रलेखन किया जाता है.

बी) बैंक बीआर अधिनियम (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- (iii) शेयर
- (iv) डिबेंचर और बॉन्ड
- (v) सहायक कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम
- (vi) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)



**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

सी) मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ से, निवेश निम्नलिखित में से कोई एक है:

- किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 1" वे इनपुट होते हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन्हें बैंक मापन तिथि पर एक्सेस कर सकता है। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।
- किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 2" वे इनपुट होते हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अतिरिक्त हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।
- किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 3" अप्राप्य इनपुट होते हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है।

6.1.1. एचटीएम

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य के साथ प्राप्त किया जाता है, अर्थात्, वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर बकाया मूलधन ('एसपीपीआई मानदंड') पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान होती हैं।

बी) इस आशय के बावजूद कि निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ किस उद्देश्य से अधिग्रहित की गई हैं, ये एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, अतः ये एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

- अनिवार्य, वैकल्पिक या आकस्मिक परिवर्तनीय सुविधाओं वाले लिखत।
- संविदात्मक हानि अवशोषण सुविधाओं वाले लिखत जैसे कि बासेल III पूँजी विनियमों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए पात्र लिखत।
- ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई के "मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025" दिनांक 28-11-2025 के खंड 4(18) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति में नहीं हैं, जिसका उल्लेख यहां "आरबीआई मास्टर परिपत्र" के रूप में किया गया है।
- अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर।

सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने के लिए माना जाता है यदि वह अंश जिसमें निवेश किया गया है निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जोकि बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान मात्र हैं।
- वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है।
- अंश का ऋण जोखिम आस्तियों के संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

6.1.2. एएफएस

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रतिभूति एक उद्देश्य के साथ प्राप्त की जाती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने, दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं जैसा कि आरबीआई मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 6.1(ए)(ii) में दिया गया है।

बशर्ते कि प्रारंभिक निर्धारण पर, एक बैंक एक इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकता है जो एएफएस के अंतर्गत कारोबार के उद्देश्य से धारित नहीं है (अर्थात्, आरबीआई मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 41 (3) में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए धारित नहीं किया गया है)।

बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां परिपक्वता तक धारित करने या परिपक्वता से पहले बिक्री करने के संबंध में बैंक की मंशा लचीली है।

6.1.3. एफवीटीपीएल:

ए) जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के लिए पात्र नहीं होती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- इक्विटी शेयर, निम्नलिखित को छोड़कर (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर और (बी) इक्विटी शेयर, जहां प्रारंभिक निर्धारण पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।
- म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, अवसंरचना निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन की इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंश में निवेश की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 6.1 (सी) में दिए गए एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन में हों।

(iv) बॉन्ड, डिबेंचर आदि जहां भुगतान किसी विशेष सूचकांक में उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है जैसे कि ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय इक्विटी सूचकांक।

(v) उप-खंड 36 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, आरबीआई मास्टर परिपत्र के उप-खंड 40 (1) में निर्दिष्ट इक्विटी के अपवाद के अधीन।

6.1.4. एचएफटी:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन में एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के तहत निवेश का वर्गीकरण।

6.1.5. सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों में किए गए सभी निवेश 'सूई जेनरिस' अर्थात् एक पृथक श्रेणी में रखे जाते हैं, जो अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग होती है।

6.2. प्रारंभिक निर्धारण

6.2.1. सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियां यह संकेत न दें कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

जिन स्थितियों में अनुमान का परीक्षण किया जाता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ए) लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच है।
- बी) लेन-देन दबाव में हो रहा है जहां एक पक्ष को लेनदेन में कीमत स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है।
- सी) लेनदेन प्रतिभूतियों के उस वर्ग के लिए मूल बाजार के बाहर किया जाता है।
- डी) अन्य परिस्थितियां, जहां पर्यवेक्षक की राय में उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियां इस अनुमान की जाँच करना आवश्यक बनाती हैं।

6.2.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (गतिविधि सहित), स्विच परिचालनों और खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से अर्जित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आर्बिट्रिट की जाती है वह प्रारंभिक निर्धारण प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होता है।

6.2.3. जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य, बाजार अवलोकन योग्य इनपुट (जैसे उपज वक्र, क्रेडिट प्रसार, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी प्रथम दिन लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया किया जाता है, जो अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत: उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के भीतर, जैसा भी मामला हो, दर्शाया जाता है।

6.2.4. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रथम दिन हानि को तुरंत पहचाना जाता है।

6.2.5. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रथम दिन लाभ को आस्थगित कर दिया जाता है। ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन लाभ को परिपक्वता तिथि (या स्थायी लिखतों के लिए सबसे पहली कॉल की तारीख) तक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि अनकोटेड इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध नहीं की जाती अथवा उसकी मान्यता समाप्त नहीं हो जाती है।

6.3. अनुवर्ती मापन

6.3.1. एचटीएम

ए) एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों को लागत पर वहन किया जाता है और उन्हें प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाजार में चिह्नित (एमटीएम) नहीं किया जाता है। तथापि, वे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अध्याय X में यथा विनिर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अधीन हैं।

बी) एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है, तथा इसके समतुल्य प्रविष्टि अनुसूची 8 'निवेश' में दर्शाई जाती है।

6.3.2. एएफएस

ए) एएफएस में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर एक बार अवश्य किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है, तथा इसके समतुल्य प्रविष्टि अनुसूची 8 'निवेश' में दर्शाई जाती है।

बी) एएफएस के अंतर्गत धारित वर्गीकरण (यानी, सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांड और डिबेंचर, आदि) के बावजूद सभी निष्पादनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास सीधे लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना एएफएस-रिज़र्व नामक आरक्षित निधि में जमा या डेबिट किया जाता है।

**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

- सी) एफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियां, आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं।
- डी) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के खंड 87 के अधीन एफएस-रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाता है। एफएस-रिजर्व को अंतरित अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- ई) एफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ / हानि को एफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में 'अनुसूची 14-अन्य आय' के अंतर्गत 'मद II-निवेश की बिक्री पर लाभ' में दर्शाया जाता है।
- एफ) प्रारंभिक निर्धारण के समय एफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इस तरह के लाभ या हानि को एफएस-रिजर्व से आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया जाता है।

6.3.3. एफवीटीपीएल

- ए) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल की अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि प्रायः नहीं तो कम से कम त्रैमासिक आधार पर अवश्य किया जाता है।
- बी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है, तथा इसके समतुल्य प्रविष्टि अनुसूची 8 'निवेश' में दर्शाई जाती है।
- सी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियां आरबीआई मास्टर निर्देश में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं।

6.3.4. सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश

- ए) सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाते हैं, जो आरबीआई मास्टर निर्देश की आवश्यकताओं के अधीन हैं।

- बी) सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है।

- सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही एक संस्था में निवेश है जो एक सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशकर्ता संस्था एक सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बन जाती है, वहाँ ऐसी निवेशकर्ता संस्था के सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख के अनुसार संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

- (i) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत धारित किया जाता है, वहां संशोधित वहन मूल्य किसी भी स्थायी हानि को कम करने के बाद का मूल्य होता है।
- (ii) जहां एफएस के अंतर्गत एक निवेश धारित किया जाता है, एफएस-रिजर्व में पूर्व निर्धारित संचयी लाभ और हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य प्राप्त करने के लिए निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाता है।
- (iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशकर्ता के सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख के अनुसार उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाता है।

- डी) जब एक निवेशकर्ता, एक सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:

- (i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता है और परिणामस्वरूप लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
- (ii) जहां निवेश को एफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होता है। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर का क्रमशः एफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

- ई) किसी सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम में किसी निवेश के पुनर्वर्गीकरण/विक्रय पर उत्पन्न होने वाले किसी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया

जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि करों से मुक्त होती है और राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित कर दी जाती है।

एफ) बैंक सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों में हानि के लिए निवेश का मूल्यांकन यदि प्रायः नहीं तो कम से कम त्रैमासिक आधार पर करता है। संभावित हानि के संकेतकों की एक गैर-व्यापक सूची निम्नानुसार है:

- संस्था ने अपने ऋण दायित्वों के चुकौती में चूक की है।
- किसी बैंक के साथ संस्था की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- संस्था की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- संस्था को लगातार तीन वर्ष तक घाटा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए “महत्वपूर्ण” शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाती है। बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन के साथ और भी अधिक परिमित प्रारंभिक सीमा लागू कर सकते हैं।
- संस्था की किसी भी या सभी बकाया प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कर दिया गया है, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने का खतरा है।

किसी नई संस्था / परियोजना के मामले में जहां ब्रेक-ईवन बिंदु प्राप्त करने की मूल अनुमानित तारीख बढ़ा दी गई है अर्थात् संस्था/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या हानि सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम के संबंध में हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करता है और हानि, यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान करता है। इस तरह की कमी, लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाई जाती है। यदि कमी का प्रत्यावर्तन होता है तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

6.4. श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

जहां कहीं भी बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, वह आरबीआई के बोर्ड और डीओएस के अनुमोदन के अधीन नीचे दी गई तालिका में दिए गए लेखांकन उपाय को लागू करेगा:

क्र.	पूर्व श्रेणी	पुनर्वर्गीकृत श्रेणी	लेखांकन उपाय
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होता है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में दर्शाया जाता है।
बी		एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होता है। निवेश के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
सी	एएफएस	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों को उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, एएफएस-रिजर्व में पहले निर्धारित संचयी लाभ/ हानि को उसमें से वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य के निर्धारण के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित किया जाता है। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वही होगा जैसे बैंक ने एचटीएम में निवेश को शुरू से ही वर्गीकृत किया था।
डी		एफवीटीपीएल	निवेश को उचित मूल्य पर आकलित करना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से निर्धारित संचयी लाभ या हानि को उसमें से वापस ले लिया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
ई		एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वहन राशि अपरिवर्तित रहती है।
एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	



**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

6.5. निवेश की बिक्री

6.5.1. एफएएस इक्विटी निवेश को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ/ हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है। एफएएस इक्विटी निवेश पर प्राप्त लाभ या हानि को एफएएस-रिजर्व में निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, एचटीएम निवेशों की बिक्री, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं में निवेश और इक्विटी एफएएस निवेश, करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण से प्राप्त लाभ को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार "आरक्षित पूँजी" में अंतरित किया जाता है।

6.5.2. एचटीएम से कोई भी बिक्री, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होती है। एचटीएम से बिक्री का विवरण, आरबीआई के दिनांक 12 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट प्रारूप में वित्तीय विवरणों के लेखों पर नोट्स में प्रकट किया जाता है।

6.5.3. किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बिक्री किए गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से अधिक बिक्री के लिए डीओएस, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

6.5.4. नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री को आरबीआई मास्टर निर्देशों के खंड 20 में निर्धारित पांच प्रतिशत की विनियामक सीमा से बाहर रखा गया है:

- ए) आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत आरबीआई को बिक्री।
- बी) वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- सी) वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
- डी) जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, वापसी खरीद या कॉल विकल्प का प्रयोग।
- ई) क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।
- एफ) वित्तीय विपदा का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।
- जी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

6.5.5. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' की मद II के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूँजी आरक्षित खाता' में विनियोजित किया जाता है। इस

प्रकार विनियोजित राशि कर घटाकर प्राप्त होती है तथा इस राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक होता है।

6.5.6. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां)	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा दिए गए कोटेशन के अनुसार
बी)	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल पर
सी)	इक्विटी शेयर	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा ब्रेक-अप मूल्य पर। दोनों की अनुपस्थिति में, ₹1/- प्रति कंपनी की दर से। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाती है।
डी)	अधिमान शेयर	बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अथवा परिपक्वता आधार पर उचित प्रतिफल पर एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई)	डिबेंचर/ बांड	बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल पर
एफ)	म्यूचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो। अन-उद्धृत इकाईयों के मामले में, संबंधित एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार। ऐसे मामलों में जहां नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार।
जी)	ट्रेजरी बिल/ जमा का प्रमाण पत्र/ वाणिज्यिक पत्र	वहन लागत पर
एच)	उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, के अनुसार घोषित एनएवी या ब्रेकअप एनएवी पर। यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ की दर पर।

आई	प्रतिभूति रसीदें	इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों (आरबीआई/डीओआर2021-22/81 डीओआर. एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जाता है। सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाता है, जो आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर किया जाता है।
----	------------------	---

6.5.7. अंतर-बैंक/ आरबीआई रेपो और अंतर-बैंक/ आरबीआई रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

6.5.8. प्रतिभूतियों पर कमीशन, ब्रोकरेज, खंडित अवधि का ब्याज आदि लाभ-हानि खाते में नामे / जमा किए जाते हैं।

6.5.9. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान की गई ब्रोकरेज और एसटीटी को मूल्य निर्धारण पर लेखांकित किया जाता है।

6.5.10. बैंक निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए भारित औसत मूल्य (डब्ल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है।

6.5.11. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश लेनदेन के लेखांकन के लिए 'निपटान तिथि' का पालन करता है।

6.6. अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त मानदंड का प्रयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसी तरह, एक एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा, जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

I. बांड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/ किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।

II. ऊपर उप-खंड (ए) (i), यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसे अधिमानी शेयरों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। यदि अधिमान शेयरों पर लाभांश (संचयी या गैर-

संचयी) किसी भी वर्ष में घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया राशि में देय/भुगतान न किया गया माना जाता है और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता के तुलन पत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए नियत तारीख के रूप में माना जाता है। ऐसे निवेश को गैर-संचयी अधिमान शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और बकाया में लाभांश के भुगतान पर और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में वर्तमान अवधि के लिए बाद में उन्नयन किया जा सकता है।

III. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 26.3 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य ₹ 1 प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाता है। बाद में लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई का उन्नयन किया जाता है।

IV. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा, बैंक की बहियों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और इसका उल्टा माना जाएगा। तथापि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निष्पादन प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादन ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है।

V. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में बदलने के मामले में, ऐसे लिखतों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि ऋण और प्रावधान मानदंडों के अनुसार किया जाता है। परिवर्तन के बाद के मामले में, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय III की आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे बाकी पोर्टफोलियो से अलग किया जाना चाहिए और लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के लिए उसपर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जाती है।

डी) श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, (अर्थात्, एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) जिसमें निवेश रखा गया है, हानि के प्रावधान के लिए



**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा. एनपीआई पर धारित प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होती है:

- I. एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना किए गए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; और
- II. एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तारीख को निवेश का उसके वहन मूल्य के संदर्भ में मूल्यहास.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर विनिर्दिष्ट एनपीआई के प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है.

बशर्ते, एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके सापेक्ष एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-रिजर्व को प्रभारित करके आवश्यक प्रावधान किया जा सकता है.

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके सापेक्ष एएफएस-रिजर्व में संचयी हानियां हैं, संचयी हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं.

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार किसी खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से निर्धारित किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि का सममित निर्धारण फिर से शुरू हो सकता है.

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश:

- I. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा.
- II. केंद्र सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में तब तक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार गारंटी को लागू करने पर इसे अस्वीकार नहीं कर देती है. एएफएस और एफवीटीपीएल में धारित ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एमटीएम लाभ/ हानि को क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में निर्धारित करना जारी रखेगा. तथापि, कोई भी आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है.
- III. जब मूलधन (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय किसी अन्य राशि का ब्याज/ किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तब राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड को लागू करेगा.

जी) एनपीआई विनियोजन प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है.

6.7. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

ए) जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो, बैंक सतत् आधार पर, आईएफआर को वह राशि अंतरित करके, जो निम्नलिखित से कम न हो, एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि(आईएफआर) बना सकता है:

- I. वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ .
- II. अनिवार्य विनियोजन को कम करने के पश्चात वर्ष के लिए निवल लाभ.

बी) आईएफआर, टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र है. टियर II पूंजी के रूप में सामान्य प्रावधानों और हानि आरक्षित निधियों के निर्धारण पर लागू सीमा, आईएफआर पर लागू नहीं होती है.

सी) बैंक को आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आहरित करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में यथा प्रकट लाभ/ हानि के शेष में जमा किया जा सके.

डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्रा डाउन की अनुमति है:

- I. निकाली गई राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो मुक्त आरक्षित निधियों के लिए विनियोजन या हानि के संतुलन को कम करता है.
- II. आहरित राशि उस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां तक उपर्युक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधान/ हानियां उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक हों.

6.8. डेरिवेटिव

6.8.1. बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 63 को छोड़कर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा. बैंक अपनी व्युत्पन्न संपत्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य संपत्ति' और अनुसूची 5: 'अन्य देनदारियों' के अंतर्गत अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करेगा. बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट की रक्षित (हेज) लेखांकन आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकते हैं.

6.8.2. बैंक अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा अर्थात आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और प्रकटीकरण टेम्पलेट में निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों के लेखों पर नोट्स में इसका प्रकटीकरण करें।

6.8.3. बैंक अपने तुलन पत्र पर स्तर 3 डेरिवेटिव्स आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल अवास्तविक लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में निर्धारित स्तर 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ सीईटी 1 पूंजी से घटाए जाते हैं।

7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1. मानक

7.1.2. अवमानक

7.1.3. संदिग्ध एवं

7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों पर आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई / 2025-2026 / 164 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.83/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के माध्यम से जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार किए जाते हैं, जो निम्नानुसार हैं।

7.2. आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां, अनर्जक आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मीयादी ऋणों के संबंध में, जब ब्याज और/ अथवा मूलधन के किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता “अनियमित रहता” है यथा

7.2.2.1. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो।

7.2.2.2. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो, लेकिन 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं हो, या

7.2.2.3. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त न हो।

7.2.3. खरीदे गए/ रियायती बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं।

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां मूलधन की किस्त या ब्याज दो मौसमी फसलों के लिए अतिदेय रहते हैं।

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां मूलधन या ब्याज एक मौसमी फसल के लिए अतिदेय रहते हैं।

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा, यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो, भले ही इकाई कार्यशील हो, या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

7.2.7. एक खाता जहां नियत तिथि / तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिनों के भीतर नियमित / तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा / नवीकरण नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा।

7.2.8. भारतीय रिजर्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निर्देश, 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

7.2.9. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, यदि भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है।

7.2.10. ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी हुई है / उधारकर्ता द्वारा धोखाधड़ी की गई है।

7.2.10.1. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों से वसूली के लिए संभावित खतरे हैं उन खातों को आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरना विवेकपूर्ण नहीं होगा। ऐसी गंभीर ऋण हानि के मामलों में आस्ति को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप में संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

7.2.10.2. प्रतिभूति के मूल्य में कमी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य अंतिम निरीक्षण के समय बैंक द्वारा मूल्यांकित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार्य, जैसा भी मामला हो, मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

7.2.10.3. यदि बैंक / अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे तौर पर हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।



**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

7.2.11. एमएसएमई खातों के संबंध में, जिन्हें परिपत्र क्र. डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में आरबीआई परिपत्र क्रमांक डीओआर. सं. बीपी. बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 के अनुसार पुनर्गठित किया गया है एवं जिन्हें मानक श्रेणी में रखा गया है, बैंक को पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान करना होगा. इस प्रावधान का प्रत्यावर्तन उक्त परिपत्र के अनुसार किया गया.

7.2.12. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.नं.बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र. डीओआर.नं. बीपी. बीसी /4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर. एसटीआर.आरईसी.12/ 21.04.048/2021-22 एवं डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगा.

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है:

7.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है.

7.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों से अधिक अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी हुई है.

7.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

7.4. विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए किए जाने वाले न्यूनतम प्रावधान निम्नानुसार है:

अवमानक आस्तियां: i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15%
ii. आरंभ से ही अप्रतिभूत एक्सपोजर के लिए 10% अतिरिक्त प्रावधान,
iii. तथापि, अवसंरचना ऋण खातों के संबंध में आरंभ से ही अप्रतिभूत एक्सपोजर जहां एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट रक्षोपाय उपलब्ध हों - 20% (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)

संदिग्ध-प्रतिभूत भाग i. एक वर्ष तक- 25%
ii. एक से तीन वर्ष- 40%
iii. तीन वर्ष से अधिक- 100%

संदिग्ध - अप्रतिभूत भाग 100%

हानि आस्ति 100%

7.5. अतिरिक्त प्रावधान:

कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद और उभरते आर्थिक परिदृश्य में, बैंक कुछ विशिष्ट आस्तियों/आस्तियों के पोर्टफोलियो (अर्जक/अनर्जक) के सापेक्ष विवेक के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करता है, जो विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम से अधिक हो या जैसा कि बैंक उचित समझे और प्रत्येक तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है.

7.6. अग्रिमों में विशेष ऋण हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा अनर्जक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएफ)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई जाती है.

7.7. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय नियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, जो भी अधिक उपयुक्त हो, के अनुसार किए जाते हैं.

7.8. पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारण आस्तियों के लिए प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है.

7.9. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता विनियामक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.10. राइट ऑफ किए गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि, वसूली के वर्ष में आय के रूप में दर्शायी जाती है.

7.11. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा जाता है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया जाता है तथा निवल एनपीए व निवल अग्रिमों के निर्धारण में इन पर विचार नहीं किया जाता है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई/2024-2025/12 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.8/21.04.048/2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार किए जाते हैं.

7.12. छह महीने से अधिक समय से बकाया उच्चतम खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राप्य पेंशन आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है.

8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का निवल और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत तथा आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी लागतें शामिल होती हैं, जिनमें से व्यापारिक छूट और रियायतें घटा दी जाती हैं. उपयोग में लाई गई आस्तियों पर किया गया परवर्ती-व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों

या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है। भूमि और इमारतों का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसके पुनर्मूल्यांकन राशि को दर्शाया जाता है। बैंक प्रत्येक तीन वर्ष में अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति को आस्ति के शेष उपयोगी अवधि पर मूल्यहास किया जाता है जैसा कि पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन किया जाता है।

- 8.2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास, बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोगी अवधि (वर्ष)	% में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; अतः, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फिक्सचर	10	10.00
4	स्टाफ फर्नीचर सहित फर्नीचर	5	20.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टबल)	10	10.00
6	स्प्लिट एवं विंडो (एकल इकाइयां) एयर कंडीशनर	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत संचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोगी अवधि (वर्ष)	% में दर
16	कार्यालय उपस्कर/उपकरण	5	20.00
17	एसडीवी लॉकर, स्टॉंग रूम, कैश सेफ, गोल्ड सेफ आदि.	20	5.00
18	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
19	कम्प्यूटर - अंतिम प्रयोक्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर आदि	3	33.33
20	एटीएम एवं संबद्ध मर्दे	5	20.00
21	यूपीएस एवं संबद्ध मर्दे	5	20.00
22	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66

- 8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यहास समिश्र लागत पर लगाया जाता है।

- 8.4. पट्टे की आस्तियों और लीजहोल्ड सुधारों पर मूल्यहास को पट्टे की प्राथमिक अवधि के संदर्भ में निर्धारित दरों का उपयोग करके स्ट्रेट-लाइन आधार पर दर्शाया जाता है।

- 8.5. विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

9. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्ति सहित) पर क्षति हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा "आस्तियों की क्षति" पर जारी एएस-28 के अनुरूप होता है एवं उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। आंतरिक/ बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर क्षति हानि मानी जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से अधिक होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दिया जाता है, इसके लिए कर-पूर्व छूट दर का उपयोग किया जाता है, जो धन के समय मूल्य तथा आस्ति से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाज़ार आकलन को प्रतिबिंबित करती है। हास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षति हानि बढ़ाई या प्रत्यावर्तित की जाती है। लेकिन प्रत्यावर्तन के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो कोई क्षति न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती है।



**स्टैंडअलोन आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

10. प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी नीति है। वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का आकलन किया जाता है। प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में केवल आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेन-देन

विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव” पर जारी एएस-11 के अनुसार किया जाता है। एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, विदेशी सहायक कंपनियों को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी एक्सचेंज और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

ए. एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन:

- मौद्रिक और गैर-मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत में एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।
- आय एवं व्यय मदों को लेन-देन की तिथि पर, वर्तमान विनिमय दरों पर निर्धारित किया जाता है।
- वायदा विनिमय संविदाओं को, प्रतिबद्धता की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर तथा ‘मध्यवर्ती’ परिपक्वताओं वाले संविदाओं के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।
- गारंटी, स्वीकरण, समर्थन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया जाता है।

बी. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन:

- राजस्व निर्धारण:
आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण:
आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशा-निर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं।

➤ अचल आस्ति और मूल्यहास:

अचल आस्ति का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

अचल आस्ति पर मूल्यहास संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

➤ आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक के साथ आकस्मिक देयताएं) का निर्धारण वर्ष के अंत में एफईडीआई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

➤ आय एवं व्यय का निर्धारण, संबंधित तिमाही के अंत में, एफईडीआई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत समापन दरों पर किया जाता है।

➤ सभी परिणामी विनिमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व में संचित किया जाता है।

12. कर्मचारी लाभ:

12.1. अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान निर्धारित की जाती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कारों की प्रकृति के अल्पावधि कर्मचारी लाभ का निर्धारण पुरस्कार के वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।

12.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

12.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है, चूंकि ऐसे नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी पुराने पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% का अंशदान करते हैं, साथ ही बैंक द्वारा 14% का अंशदान किया जाता है। संबंधित कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक, ये अंशदान बैंक के पास ही सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस वर्ष में निर्धारित करता है, जिससे वे संबंधित होते हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) प्राप्त होने पर, अंशदान की समेकित राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

12.2.2. निर्धारित लाभ योजना:

उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनका प्रावधान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल दर्ज किया जाता है।

13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17-“खंडवार रिपोर्टिंग” के अनुपालन में, बैंक कारोबार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में निर्धारित करता है। कारोबार खंडों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

- 13.1. ट्रेजरी परिचालन,
- 13.2. कॉर्पोरेट व थोक बैंकिंग,
- 13.3. खुदरा बैंकिंग परिचालन और
(जिसमें डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट है)
- 13.4. अन्य बैंकिंग परिचालन

14. लीज लेन-देन

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर खर्च के रूप में निर्धारित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

बैंक एस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर के डायल्यूटेड अर्जन की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है।

16. कराधान:

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी “आय पर करों के लिए लेखांकन” पर एस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या ऋण (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया जाता है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक ‘उचित निश्चितता’ न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो, जिससे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जाती है। अनवशोषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल “आभासी निश्चितता” होने पर ही निर्धारित किया जाता है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार, बैंक प्रावधान का निर्धारण तभी करता है, जब उसके पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसा संभाव्य है कि देयताओं के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता हो और जब देयता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

तुलन पत्र की तारीख पर देयता का निपटान करने के लिए आवश्यक प्रबंधन आकलन के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, जो समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब वहाँ निम्नलिखित होते हैं;

- किसी पिछली घटना से उत्पन्न होने वाली कोई संभावित देयता, जिसके अस्तित्व की पुष्टि बैंक के नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के होने अथवा न होने से होती है; अथवा
- किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसे निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह संभाव्य नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता है या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं की जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय निर्धारित हो सकती है जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

18. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

19. डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट्स:

बैंक के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर रिवाइड पॉइंट्स के उपचय और मोचन की प्रणाली है। बैंक एक बीमांकिक पद्धति का उपयोग करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट्स और लागत प्रति पॉइंट के संभावित मोचन का अनुमान लगाता है और बकाया रिवाइड पॉइंट्स पर देयताओं के लिए प्रावधान करता है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन) :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन

1. विनियामक पूंजी

बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अधीन है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूंजी, सामान्य इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर-I पूंजी (एटी 1) से बनी है।

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2026 तक पूंजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम 8.00% सीईटी I के और न्यूनतम 9.50% टियर I सीआरएआर के (दोनों में 2.50% पूंजी संरक्षण बफर को शामिल करते हुए) तक बनाए रखना आवश्यक है। इसके आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

ए. विनियामक पूंजी का संघटन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों का निवल)	1,19,435.41	1,05,464.73
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	7,121.13	8,871.18
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	1,26,556.54	1,14,335.91
iv.	टियर 2 पूंजी	11,201.54	12,489.05
v.	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	1,37,758.08	1,26,824.96
vi.	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	7,61,160.39	7,03,919.88
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1)	15.69%	14.98%
viii.	टियर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1)	16.63%	16.24%
ix.	टियर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2)	1.47%	1.77%
x.	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.10%	18.02%
xi.	लीवरेज अनुपात	7.41%	6.99%
xii.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	ए. भारत सरकार	74.76	74.76
	बी. राज्य सरकार	--	--
	सी. प्रायोजक बैंक	--	--
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता पूंजी की राशि	--	--
xiv.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए. बासेल III अनुपालक स्थायी गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी. बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखतें	--	--
	सी. अन्य कोई	--	--
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से		
	ए. स्थायी संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	सी. बासेल III अनुपालक प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉण्ड	--	--

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹2,705 करोड़ के बासेल-III अनुरूप बॉण्ड (₹1,705 करोड़ टियर-I बॉण्ड और ₹1,000 करोड़ टियर-II बॉण्ड) को भुनाने के लिए कॉल ऑप्शन का उपयोग किया।

बी. आरक्षित निधियों से आहरण:

वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आरक्षित निधियों से कोई राशि आहरित नहीं की है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न

यथा 31 मार्च, 2026

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
जमा राशि	23,960.06	49,870.25	35,638.41	20,386.83	74,805.67	68,009.36	1,06,639.70	1,54,065.17	1,25,853.87	77,921.10	5,69,740.98	13,06,891.40
अग्रिम	14,142.11	15,544.47	12,726.79	27,437.80	23,185.69	51,591.20	67,327.06	1,20,831.58	4,07,342.69	1,11,049.86	2,02,098.24	10,53,277.49
निवेश	44,441.25	1,956.23	408.04	4,309.34	2,424.48	14,869.86	4,008.65	11,623.34	35,714.45	49,340.15	1,61,140.43	3,30,236.22
उधार	334.75	569.01	530.20	7,176.97	3,456.71	4,384.51	9,818.26	17,703.46	11,593.30	5,392.28	16,230.73	77,190.17
विदेशी मुद्रा की आस्तियाँ	7,231.38	7,696.13	1,233.07	5,970.94	3,300.51	7,896.46	9,700.51	12,155.95	9,400.84	6,181.12	1,697.47	72,464.38
विदेशी मुद्रा की देयताएँ	605.49	1210.90	619.67	5,215.90	4,873.87	7,088.44	5,933.56	11,658.19	5,270.02	5,523.79	3,462.40	51,462.23

यथा 31 मार्च, 2025

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
जमा राशि	23,914.44	42,644.14	24,317.18	31,783.67	50,667.54	51,179.82	1,34,796.20	2,11,132.91	1,32,442.94	75,426.77	4,93,941.29	12,72,246.89
अग्रिम	12,903.67	21,775.32	13,291.13	25,011.78	37,646.00	47,720.37	80,590.91	90,288.04	3,46,062.79	97,175.66	1,81,047.67	9,53,513.34
निवेश	69,461.83	8,153.22	250.01	156.14	2,191.50	20,634.69	3,728.29	22,655.66	42,046.56	33,955.70	1,51,147.81	3,54,381.40
उधार	437.39	1,709.50	21.76	2,444.59	3,713.00	5,205.04	7,144.14	10,893.57	10,932.53	6,440.01	15,902.89	64,844.41
विदेशी मुद्रा की आस्तियाँ	4,612.86	11,748.42	980.88	6,216.13	6,934.67	10,509.04	14,128.09	11,889.51	7,332.49	15,082.23	5,178.38	94,612.70
विदेशी मुद्रा की देयताएँ	871.34	2,441.41	219.07	3,213.85	5,099.82	5,818.45	9,264.51	11,682.65	8,493.59	7,031.03	4,257.41	58,393.13

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर चलनिधि दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का निवल नकदी बहिर्वाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{30 \text{ दिनों में निवल नकद बहिर्वाह}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 के बाद के लिए 100% है. एलसीआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है.

उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार-रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं. एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को चलनिधि एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में पुनः विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्थायी सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताओं का 2%) एवं एफएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताओं का 16%) शामिल है.

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद मार्जिन लागू है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भार के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% मार्जिन लागू है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रूप से 20% से ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिनका जोखिम भार अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है.

निवल नकदी बहिर्वाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्वाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह को घटाने पर कुल निवल नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूँजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे खुदरा (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधीयन रु. 7.5 करोड़ तक है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को अलग करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्वाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह का आकलन किया जाता है.

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्ति तीन महीने के दौरान बैंक ने रु. 2,29,841 करोड़ औसत एचक्यूएलए बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. एचक्यूएलए के कुल स्टॉक 98% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2026 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए इनका अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 77% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि की सुविधा हेतु उपलब्ध है. स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, 40% की अधिकतम स्वीकार्य /अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 2% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूपए में है. कुल निधीयन स्रोतों का बड़ा भाग बेजमानती थोक निधीयन से बना है. खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्वाह का क्रमशः लगभग 21% और 4% है. कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 30% गैर वित्तीयन कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल हैं. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 77% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्वाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2026 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 123.64% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 113.83% है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता 100% से काफी अधिक है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन (₹ करोड़ में)

अवधि	तिमाही				वर्ष	
	जून 2025	सितंबर 2025	दिसंबर 2025	मार्च 2026	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
एलसीआर अनुपात	131.72	127.33	123.64	113.83	124.13	135.84

मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तक		30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही तक		30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक		31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक		31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तक	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	2,85,488.99	2,84,439.29	3,04,382.67	3,03,379.13	2,83,313.30	2,82,261.03	2,67,224.16	2,66,142.32	2,60,818.10	2,59,840.73
	7,32,918.63	63,012.35	7,53,131.66	67,387.45	7,58,318.19	67,873.66	7,69,168.90	68,961.68	7,86,866.61	70,606.48
	2,05,590.31	10,279.52	1,58,514.30	7,925.72	1,59,163.17	7,958.16	1,59,104.19	7,955.21	1,61,603.52	8,080.18
	5,27,328.32	52,732.83	5,94,617.36	59,461.74	5,99,155.02	59,915.50	6,10,064.71	61,006.47	6,25,263.08	62,526.31
	2,77,289.57	1,58,676.28	2,86,483.01	1,56,977.13	2,77,633.91	1,50,807.87	2,74,996.18	1,56,923.55	2,81,569.73	1,66,213.43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,77,289.57	1,58,676.28	2,86,483.01	1,56,977.13	2,77,633.91	1,50,807.87	2,74,996.18	1,56,923.55	2,81,569.73	1,66,213.43
	3,075.97	5.04	603.25	-	5,126.30	-	3,325.48	18.30	2,314.57	10.09
	2,00,018.74	24,388.14	2,51,293.12	32,979.30	2,19,592.00	31,098.15	2,54,331.73	30,113.78	2,44,987.98	27,648.20
	151.22	151.22	126.65	126.65	136.32	136.32	137.94	137.94	170.23	170.23
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,99,867.52	24,236.92	2,51,166.47	32,852.65	2,19,455.69	30,961.83	2,54,193.79	29,975.83	2,44,817.74	27,477.96

उच्च गुणवत्ता वाली तरल अस्तियां

1. कुल उच्च गुणवत्ता युक्त चल अस्तियां (एचक्यूएलए)

नकदी बहिर्वाह

2. खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से:

- i. स्थिर जमा राशियां
- ii. कम स्थिर जमा राशियां

3. बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से:

- i. परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षी निधीयन)

- ii. गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षी निधीयन)

- iii. बेजमानती ऋण

4. जमानती थोक निधियां

5. अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से

- i. डेरीवेटिव एक्सचेंज एवं अन्य समर्थित आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह

- ii. ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्वाह

- iii. ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं



(₹ करोड़ में)

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

	31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तक		30 जून 2025 को समाप्त तिमाही तक		30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक		31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक		31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तक	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
6. अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	13,615.25	13,615.25	20,587.22	20,587.22	16,475.94	16,475.94	14,760.78	14,760.78	16,430.51	16,430.51
7. अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	93,706.21	2,811.19	95,597.23	2,867.92	94,354.63	2,830.64	94,386.33	2,833.18	1,02,561.82	3,261.45
8. कुल नकदी बहिर्वाह	13,20,624.37	2,62,508.25	14,07,695.50	2,80,799.02	13,71,500.97	2,69,086.26	14,10,969.41	2,73,611.25	14,34,731.21	2,84,170.16
नकदी अंतर्वाह										
9. जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	3,375.17	0.00	4,698.40	0.00	30,246.43	0.00	7,412.60	0.00	2,608.72	0.00
10. पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	47,405.36	35,626.41	49,945.34	39,426.10	45,543.23	35,434.21	59,285.08	44,758.46	57,960.18	44,192.83
11. अन्य नकद अंतर्वाह	9,208.66	9,208.66	11,045.98	11,045.98	11,969.01	11,969.01	13,591.51	13,591.51	11,699.64	11,699.64
12. कुल नकद अंतर्वाह	59,989.19	44,835.07	65,689.71	50,472.08	87,758.67	47,403.22	80,289.19	58,349.97	72,268.55	55,892.47
		Total adjusted value								
13. कुल एक्स्पूलाए		2,84,439.29		3,03,379.13		2,82,261.03		2,66,142.32		2,59,840.72
14. कुल निवल नकद बहिर्वाह		2,17,673.19		2,30,326.94		2,21,683.04		2,15,261.28		2,28,277.69
15. चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		130.67%		131.72%		127.33%		123.64%		113.83%

सी. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफ़ाइल की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है। एनएसएफ़आर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के विन्यास संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधीयन प्रोफ़ाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है।

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{एनएसएफ़आर}}{\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़)}}} > 100\%$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधीयन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया। यह कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफ़आर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर इसका परिचालन किया जाता है।

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 100 % भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक भारांकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोज़रों के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधीयन की आवश्यकता है। स्थिर निधीयन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं पर आधारित है।

बैंक के एनएसएफ़आर का संक्षिप्त परिचय:

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं। उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) के मुख्य घटक पूंजी आधार, खुदरा जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधीयन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधीयन है। संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधीयन का पूंजी आधार लगभग 12%, खुदरा जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 71% तथा थोक निधीयन 16% हुआ है।

आवश्यक स्थिर निधीयन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, खुदरा ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ़ का 88% होता है। उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित निधि शेषराशि भी शामिल हैं। सरकारी ऋण निर्गम उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधीयन को आकर्षित करती है। तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधीयन का केवल 1% शामिल है। आवश्यक स्थिर निधीयन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधीयन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 10% शामिल हैं।

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधीयन के रु. 11,09,824 करोड़ के सापेक्ष समेकित स्तर के रु. 9,62,195 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधीयन सहित संतोषजनक स्थिर निधीयन बफर को बनाए रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2026 तक समेकित एनएसएफ़आर 115.34% हुआ है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष 2025-26

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण - मार्च, 2026 तक समेकित				
	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारांकित मूल्य
एएसएफ़ मद					
1. पूंजी: (2+3)	1,23,210.40	-	750.00	18,274.29	1,41,859.69
2. विनियामक पूंजी	1,23,210.40	-	-	1,091.29	1,24,301.69
3. अन्य पूंजी लिखतें	-	-	750.00	17,183.00	17,558.00
4. छोटे कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशि: (5+6)	3,68,788.90	2,25,444.50	1,52,973.39	95,093.49	7,67,585.34
5. स्थिर जमा	79,733.61	50,692.15	57,064.41	1,169.28	1,79,284.95



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण - मार्च, 2026 तक समेकित				
	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारांकित मूल्य
6. कम स्थिर जमा	2,89,055.29	1,74,752.35	95,908.98	93,924.21	5,88,300.39
7. थोक निधीयन: (8+9)	91,603.52	2,40,193.52	1,32,515.94	4,035.69	1,75,868.96
8. परिचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-
9. अन्य थोक निधीयन	91,603.52	2,40,193.52	1,32,515.94	4,035.69	1,75,868.96
10.अन्य देयताएं:(11+12)	62,388.98	26,270.40	16,953.46	16,033.31	24,510.04
11.एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	-	-
12.उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	62,388.98	26,270.40	16,953.46	16,033.31	24,510.04
13.कुल एसएफ़ (1+4+7+10)					11,09,824.03
आरएसएफ़ मद					
14.उच्च गुणवत्ता युक्त चलनिधियां एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)					13,299.98
15.परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	931.66	-	-	-	465.83
16.अर्जक ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	2,137.15	2,62,757.69	1,00,407.33	8,62,458.17	8,47,230.09
17.स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	-	15,200.36	-	-	1,520.04
18.गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	-	1,16,325.38	16,842.02	1,20,814.17	1,42,779.04
19.गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	-	1,25,951.95	71,174.37	5,78,446.71	5,73,664.87
20.ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	-	31,116.77	516.02	1,10,948.24	87,932.75
21.अर्जक आवसीय बंधक, जिनमें से:	-	2.68	8.86	91,431.65	59,436.34
22.ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	-	2.68	8.86	91,431.65	59,436.34
23.एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	2,137.15	5,277.31	12,382.08	71,765.65	69,829.80
24.अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	78,046.52	25,259.90	214.40	390.39	86,264.01
25.स्वर्ण सहित भौतिक रूप से खरीदे-बेचे गए उत्पाद	-				-
26.व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के चूक निधि को अंशदान		8,168.64	-	-	6,943.34

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण - मार्च, 2026 तक समेकित				
	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
27. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		189.08	-	-	189.08
28. पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		587.48	-	-	587.48
29. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	78,046.52	16,314.70	214.40	390.39	78,544.10
30. तुलन पत्रेतर मदें		3,37,067.22	11.32	-	14,934.91
31. कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)					9,62,194.82
32. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					115.34%

मात्रात्मक प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष 2024-25

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण - मार्च, 2026 तक समेकित				
	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारांकित मूल्य
एसएफ़ मद					
1. पूंजी: (2+3)	1,08,430.91	--	--	18,602.11	1,27,033.02
2. विनियामक पूंजी	1,08,430.91	--	--	964.11	1,09,395.02
3. अन्य पूंजी लिखतें	--	--	--	17,638.00	17,638.00
4. छोटे कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमा तथा जमाराशि: (5+6)	3,43,565.17	1,87,586.21	1,60,183.72	96,579.75	7,18,218.95
5. स्थिर जमा	73,310.78	44,317.37	60,061.25	1,848.27	1,70,653.20
6. कम स्थिर जमा	2,70,254.39	1,43,268.85	1,00,122.48	94,731.48	5,47,565.75
7. थोक निधीयन: (8+9)	82,803.91	2,41,245.60	1,90,003.91	10,660.95	1,64,480.14
8. परिचालनात्मक जमा	--	--	--	--	--
9. अन्य थोक निधीयन	82,803.91	2,41,245.60	1,90,003.91	10,660.95	1,64,480.14
10. अन्य देयताएं:(11+12)	68,561.20	1,592.05	1,556.76	6,554.97	7,333.35
11. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं	--	--	--	--	--
12. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	68,561.20	1,592.05	1,556.76	6,554.97	7,333.35
13. कुल एसएफ़ (1+4+7+10)					10,17,065.46
आरएसएफ़ मद					
14. कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता युक्त चलनिधियां (एचक्यूएलए)					14,254.77



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण - मार्च, 2026 तक समेकित				
	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारांकित मूल्य
15. परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	1,503.05	--	--	--	751.53
16. अर्जक ऋण तथा प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	1,837.18	2,78,751.02	75,390.74	7,36,037.35	7,23,150.86
17. स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	--	499.52	--	--	49.95
18. गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	--	1,61,066.20	17,204.84	82,089.12	1,08,831.82
19. गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	--	1,13,930.10	51,517.09	6,01,671.95	5,64,449.61
20. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	--	29,611.69	2,119.77	1,46,712.09	1,11,228.59
21. अर्जक आवसीय बंधक, जिनमें से:	--	0.96	7.78	--	4.37
22. ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	--	0.96	7.78	--	4.37
23. एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे इक्विटियों सहित प्रतिभूतियाँ जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	1,837.18	3,254.23	6,661.03	52,276.27	49,815.11
24. अन्य आस्तियाँ: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	33,046.90	36,732.45	157.42	291.36	59,821.68
25. स्वर्ण सहित भौतिक रूप से खरीदे-बेचे गए उत्पाद	--	--	--	--	--
26. व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियाँ तथा सीसीपी के चूक निधि को अंशदान	--	22,467.05	--	--	19,096.99
27. एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियाँ	--	212.02	--	--	212.02
28. पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियाँ	--	138.04	--	--	138.04
29. उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियाँ	33,046.90	13,915.34	157.42	291.36	40,374.63
30. तुलन पत्रेतर मदें	--	3,37,064.13	--	2.19	14,966.97
31. कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)	--	--	--	--	8,12,945.81
32. निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)	--	--	--	--	125.11%

३. निवेदन

ए. निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

यथा 31.03.2026 तक निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24						वित्तीय वर्ष 2024-25						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर- एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य	एचएफटी	गैर- एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश													
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	2,12,311.71	2,06,806.04	43,756.72	5,318.33	-			2,55,001.95	2,56,646.09	13,677.43	14,394.58	-	
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	--	--	-	-	-			-	-	-	-	-	
(iii) शेयर	--	--	56.73	664.51	5,948.80			-	-	56.73	290.18	6,007.70	
(iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	47,047.44	47,096.57	3,960.37	1,361.14	1,442.43			49,123.65	48,999.96	5,412.96	154.99	2,183.86	
(v) सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम						616.00	616.00						526.82
(vi) अन्य	-	-	5,187.25	-	3,004.07			-	-	6,270.87	-	2,707.89	
कुल	2,59,359.15	2,53,902.61	52,961.08	7,343.98	10,395.30	616.00	616.00	3,04,125.60	3,05,646.05	25,418.00	14,839.76	10,899.46	526.82
घटाएं: एनपीआई/हानि के लिए प्राक्धान	(218.45)	(218.45)	(887.63)	-	(3,191.61)	-	-	(218.45)	(218.45)	(1,563.90)	-	(3,566.02)	-
निवल	2,59,140.70	2,53,684.16	52,073.45	7,343.98	7,203.69	616.00	616.00	3,03,907.15	3,05,427.60	23,854.10	14,839.76	7,333.44	526.82
II. भारत के बाहर निवेश													
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	-	-	2,852.39	-	-			-	-	2,775.33	-	-	
(ii) सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम						1,005.45	1,005.45						1,144.23
(iii) अन्य निवेश	-	-	-	-	14.64			-	-	-	-	13.26	
कुल	-	-	2,852.39	-	14.64	1,005.45	1,005.45	-	-	2,775.33	-	13.26	1,144.23
घटाएं: एनपीआई/हानि के लिए प्राक्धान	-	-	-	-	(14.08)	-	-	-	-	-	-	(12.70)	-
निवल	--	--	2,852.39	-	0.56	1,005.45	1,005.45	-	-	2,775.33	-	0.56	1,144.23
कुल निवेश (I+II)	2,59,140.70	2,53,684.16	54,925.84	7,343.98	7,204.25	1,621.45	1,621.45	3,03,907.15	3,05,427.60	26,629.43	14,839.76	7,334.00	1,671.05



(₹ करोड़ में)

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26										वित्तीय वर्ष 2024-25									
	एएफएस					एफवीटीपीएल					एएफएस					एफवीटीपीएल				
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	
I. भारत में निवेश																				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	27,251.80	16,504.93	0.00	43,756.72		(131.24)	5,449.58	0.00	5,318.33		10,560.62	3,116.81	--	13,677.43		158.77	14,235.81	0.00	14,394.58	
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	--	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) शेयर	0.00	56.73	0.00	56.73		2,258.38	135.26	4,219.67	6,613.31		0.00	56.73	--	56.73		1,900.74	265.64	4,131.51	6,297.89	
(iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,110.41	2,570.10	279.86	3,960.37		638.68	2,095.86	69.03	2,803.57		2,298.05	3,114.92	--	5,412.96		1,061.73	1,277.13	0.00	2,338.85	
(v) सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम													--	--						
(vi) अन्य	0.00	5,187.25	0.00	5,187.25		536.99	0.00	2,467.08	3,004.07		0.00	6,270.87	--	6,270.87		386.68	0.00	2,321.21	2,707.89	
कुल	28,362.21	24,319.02	279.86	52,961.08		3,302.81	7,680.70	6,755.78	17,739.29		12,858.67	12,559.32	--	25,417.99		3,507.92	15,778.57	6,452.72	25,739.21	
													--	--						
													--	--						
II. भारत के बाहर निवेश																				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	2,852.39	0.00	0.00	2,852.39		0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.33	0.00	--	2,775.33		0.00	0.00	0.00	0.00	
(ii) सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम													--	--						
(iii) अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14.64	14.64		0.00	0.00	--	0.00		0.00	0.00	13.26	13.26	
कुल	2,852.39	0.00	0.00	2,852.39		0.00	0.00	14.64	14.64		2,775.33	0.00	--	2,775.33		0.00	0.00	13.26	13.26	
कुल निवेश (I+II)	31,214.60	24,319.02	279.86	55,813.47		3,302.81	7,680.70	6,770.42	17,753.93		15,634.00	12,559.32	0.00	28,193.32		3,507.92	15,778.57	6,465.98	25,752.47	

नोट: इसमें एनपीआई प्रावधान को छोड़कर निवेश पोर्टफोलियो का सकल तुलन पत्र मूल्य शामिल है।

सी. एएफएस-रिजर्व एवं लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
एएफएस-रिजर्व में निर्धारित	--	--
लाभ और हानि खाते में निर्धारित	1,812.98	1,385.88

नोट: स्तर 3 आस्तियां शामिल नहीं है जहां आस्तियों का मूल्यांकन उन आस्तियों हेतु एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य है।

नोट: इसमें एएफएस श्रेणी के तहत ₹126.22 करोड़ का प्राप्त लाभ, एफवीटीपीएल श्रेणी के तहत ₹421.45 करोड़ का लाभ, सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम श्रेणी के तहत ₹5.15 करोड़ की हानि और एफवीटीपीएल श्रेणी पर ₹1,270.46 करोड़ का अप्राप्त लाभ शामिल है।

डी. एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
ए. एचटीएम में प्रतिभूतियों का वहन मूल्य खोलना	3,03,907.15	2,75,642.20
बी. वर्ष के दौरान बिक्री की गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	62,601.25	37,610.16
सी. घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट दी गई स्थितियों के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	47,613.53	23,885.23
डी. बिक्री की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी)	14,987.72	13,724.93
ई. एचटीएम (ई = डी-ए) में प्रतिभूतियों के खोलने के वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बिक्री की गई प्रतिभूतियां	4.93%	4.98%
एफ. लाभ पर बिक्री की गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में आरक्षित पूंजी में अंतरित राशि	--	--

ई. निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के डिबेंचर को एफवीटीपीएल श्रेणी से सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है, जिसका अंकित मूल्य ₹50.00 करोड़ है। बैंक लागत पर उक्त निवेश कर रहा है।

एफ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) एवं निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
i.	एनपीआई के धारित प्रावधान का विचलन		
	ए. प्रारम्भिक शेषराशि	5348.37	5,597.16
	बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	211.67	279.41
	सी. घटाएँ: वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधान को बढ़े खाते डालना/प्रतिलेखन	1262.35	528.20
	डी. अंतिम शेष	4297.69	5,348.37
ii.	निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन		
	ए. प्रारम्भिक शेषराशि	1381.40	1,381.40
	बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	320.00	--
	सी. घटाएँ: आहरण	--	--
	डी. अंतिम शेष	1701.40	1,381.40
iii.	एएफएस एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेषराशि	2.31	2.70
iv.	निवेश आरक्षित का विचलन		
	ए. प्रारंभिक शेष	--	329.69
	बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	--	--
	सी. घटाएँ: आहरण	--	329.69
	डी. अंतिम शेष	--	--



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

जी. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
ए. प्रारंभिक शेष	5,572.77	5,873.53
बी. 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	142.76	247.28
सी. उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	1,262.34	548.04
डी. अंतिम शेष	4,453.19	5,572.77
ई. उपरोक्त पर कुल धारित प्रावधान	4,297.69	5,348.37

ii) गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संयोजन

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संयोजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंटन की मात्रा		निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियों की मात्रा		‘गैर- निर्धारित’ प्रतिभूतियों की मात्रा		‘गैर सूचीबद्ध’ प्रतिभूतियों की मात्रा	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
ए.	पीएसयू	4,339.74	3,883.37	2,930.13	2,332.36	--	--	1,990.71	2,303.37	139.18	0.58
बी.	वित्तीय संस्थाएं	2,694.57	2,528.81	1,969.17	1,799.19	--	--	--	--	--	--
सी.	बैंक	5,998.97	6,195.90	1,123.94	1,445.40	--	--	5.00	5.00	--	--
डी.	निजी कॉर्पोरेट	10,022.88	12,588.01	6,407.13	9,591.64	39.04	24.34	141.47	226.80	112.09	369.45
ई.	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,621.45	1,671.05	1,621.45	1,671.05	--	--	--	--	--	--
एफ.	अन्य	48,469.52	49,801.34	45,080.16	45,611.23	--	--	--	--	--	--
जी.	घटाएँ: एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(4,297.69)	(5,361.07)	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल	68,849.44	71,307.43	--	--	--	--	--	--	--	--

एच. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में लेनदेन सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत खरीदी एवं बेची गई प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		दिनांक 31.03.2026 को बकाया	
	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
ए. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
i. सरकारी प्रतिभूतियां	1.00	0.99	19,424.12	19,545.13	1,535.27	1,549.12	3,942.80	3,981.24
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--	--	--	--
बी. रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
i. सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	5.00	53,222.65	52,811.55	9,979.63	9,949.89	2,966.92	2,926.68
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--	--	--	--

#एमवी बाजार मूल्य के लिए

##एफ़वी अंकित मूल्य के लिए

वित्तीय वर्ष 2024-25

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		दिनांक 31.03.2025 को बकाया	
रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां									
ए.	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
	i. सरकारी प्रतिभूतियां	--		13,810.74	14,086.83	1,050.64	1,068.37	--	
	ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--		--	--	--	--	--
	iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--	--	--	--
बी.	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी	एफ़वी	एमवी
	i. सरकारी प्रतिभूतियां	--		30,377.14	30,377.14	3,799.22	3,743.38		--
	ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--		50.00	49.99	1.05	1.05		--
	iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां	--		--	--	--	--		--

#एमवी बाजार मूल्य के लिए

###एफ़वी अंकित मूल्य के लिए

आई. सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के अनुसार)

वित्तीय वर्ष 2025-26

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	यथा दिनांक 31.03.2026 को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--

वित्तीय वर्ष 2024 -25

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	यथा दिनांक 31.03.2025 को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	--	--	--	--	--



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

- I) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹1,024.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹605.32 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया.
- II) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹344.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹496.30 करोड़) हुआ है.
- III) आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2023-24/90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19 दिसंबर, 2023, आरबीआई परिपत्र द्वारा यथा संशोधित/स्पष्ट और आरबीआई/2023-24/140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2023-24 दिनांक 27 मार्च, 2024 और आरबीआई/2025-26/138 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.43/21.04.048/2025-26 दिनांक 29 जुलाई, 2025 के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2026 तक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश के संबंध में ₹10.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.20 करोड़) का प्रावधान किया है.
- जे. केंद्र सरकार ने 07 अप्रैल, 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई07042025-262339 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित), आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित), सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय करने की अधिसूचना जारी की, जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजक के तहत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा जाएगा. तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) में समामेलित किया गया, जो 01 मई, 2025 से प्रभावी है.
- के. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किया गया था.

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. अग्रिम एवं धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2025-26	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेष	9,47,544.05	8,616.42	19,807.64	6,926.32	35,350.38	9,82,894.43
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि					8,450.95	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी*					13,400.56	
अंतिम शेष	10,48,210.21	5,341.43	20,022.76	5,036.58	30,400.77	10,78,610.97
* सकल एनपीए में कमी के कारण:					13,400.56	
I. उन्नयन					2,429.64	
II. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					4,403.87	
III. तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े-खाते डालना					4,907.72	
IV. उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अतिरिक्त अन्य को बढ़े खाते में डालना					1,659.33	
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधान का प्रारंभिक शेष	6,042.73	3,355.94	18,965.70	6,894.68	29,216.32	35,259.05
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	1,845.63				2,337.17	4,182.80
घटाएँ: वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान/ बढ़े खाते में डाले गए ऋण	(14.99)				6,353.09	6,338.10
धारित प्रावधान का अंतिम शेष	7,903.35	1312.08	18,903.61		25,200.40	33,103.75
विविध जमा में रखी गई राशि – ईसीजीसी दावा प्राप्त / वाद दायर खातों में वसूली						133.08
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		5,260.14	709.15	-	5,969.29	5,969.29
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि					6,113.78	6,113.78
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी					7,015.79	7,015.79
अंतिम शेष		4,018.72	1,048.56	-	5,067.28	5,067.28

अग्रिम एवं धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2024-25	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेष	8,61,786.17	7,900.42	24,833.99	10,363.31	43,097.73	9,04,883.90
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					12,073.93	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी*					19,821.28	
अंतिम शेष	9,47,544.05	8,616.42	19,807.64	6,926.32	35,350.38	9,82,894.43
* सकल एनपीए में कमी के कारण:					19,821.28	
I. उन्नयन					3,262.63	
II. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					4,925.27	
III. तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े-खाते डालना					8,792.52	
IV. उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अतिरिक्त अन्य को बढ़े खाते में डालना					2,840.86	
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधान का प्रारंभिक शेष	5,977.38	2,181.45	21,392.83	10,214.69	33,788.97	39,766.35
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	81.28				7,308.49	7,389.77
घटाएँ: वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान/ बढ़े खाते में डाले गए ऋण	15.93				11,881.14	11,897.07
धारित प्रावधान का अंतिम शेष	6,042.73	3,355.94	18,965.70	6,894.68	29,216.32	35,259.05
विविध जमाराशि में रखी गई राशि - प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंचित छोड़ी गई राशि						164.76
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		5,702.09	3,287.83	-	8,989.92	8,989.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					4,765.44	4,765.44
घटाए: वर्ष के दौरान कमी					7,786.07	7,786.07
अंतिम शेष		5,260.14	709.15	-	5,969.29	5,969.29

अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
प्रारंभिक शेष	--	--
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान	--	--
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि	--	--
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेष	--	--

तकनीकी कारणों से बढ़े-खाते में डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
तकनीकी कारणों से बढ़े-खाते में डाले गए/विवेकपूर्ण बढ़े-खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	75,414.97	79,837.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण कारणों से बढ़ेखाते में डालना	4,907.72	8,792.52
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण कारणों से बढ़ेखाते में डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ	7,393.06	13,214.98
अंतिम शेष	72,929.65	75,414.97



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

आस्ति गुणवत्ता अनुपात (प्रतिशत में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों	2.82%	3.60%
निवल एनपीए से निवल अग्रिमों	0.48%	0.63%
प्रावधान कवरेज अनुपात	95.03%	94.61%

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र *	वि.व. 2025-26			वि.व. 2024-25		
	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,78,089.31	13,639.26	7.66	1,68,978.17	13,914.93	8.23
बी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को अग्रिम	67,961.47	2,603.07	3.83	42,705.68	2,017.38	4.72
सी. सेवाएं	94,117.53	4,383.94	4.66	96,414.80	3,698.75	3.84
डी. वैयक्तिक ऋण	30,374.47	928.28	3.06	28,386.55	1,030.89	3.63
उप-योग (1)	3,70,542.77	21,554.55	5.82	3,36,485.20	20,661.95	6.14
2. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	5,304.32	319.44	6.02	9,501.17	440.62	4.64
बी. उद्योग	1,15,770.74	674.32	0.58	1,15,612.50	1,961.20	1.70
सी. सेवाएं	3,17,552.92	4,114.57	1.30	2,86,940.85	4,736.72	1.65
डी. वैयक्तिक ऋण	2,69,440.22	3,737.79	1.39	2,34,354.71	7,549.89	3.22
उप-योग (2)	7,08,068.20	8,846.22	1.25	6,46,409.23	14,688.43	2.27
कुल (1+2)	10,78,610.97	30,400.77	2.82	9,82,894.43	35,350.38	3.60

*उद्योग/सेवाओं का विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग/सेवा क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2025-26		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	एनबीएफ़सी (सेवा)	1,64,798.00	45.38	0.03
II.	अवसंरचना (उद्योग)	1,11,003.85	3,935.93	3.55
III.	खाद्य प्रसंस्करण (उद्योग)	30,331.27	1,703.03	5.61
IV.	मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद (उद्योग)	28,902.46	312.58	1.08

क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	एनबीएफसी (सेवा)	1,33,988.00	34.90	0.03
II.	अवसंरचना (उद्योग)	1,04,051.94	4,776.78	4.59
III.	खाद्य प्रसंस्करण (उद्योग)	26,209.14	1,605.32	6.13

सी. विदेशी आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
कुल आस्तियां	50,121.55	57,780.41
कुल एनपीए	1,134.15	2,353.28
कुल राजस्व	2,748.69	2,938.26

डी. भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबाबग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के तहत समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	निवेश मूल्य	धारित प्रावधान
संदर्भित परिपत्र के आधार पर, चालू वर्ष के दौरान ऋण का इकटि में परिवर्तन – पूंजी बाज़ार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतः-समूह एक्सपोजर से संबंधित है	4	32.16	100%

नोट: उपर्युक्त डाटा में डिबेंचर का इकटि में रूपांतरण शामिल नहीं है।

ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निदेश – प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी. आरईसी.सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

- i) समनुदेशन/नोवेशन एवं ऋण सहभागिता के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें चूक में शामिल नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
अर्जित ऋणों की कुल राशि*	2,133.63	4,849.49
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता(माह में)	147.91	156.79
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारित अवधि (माह में)	13.79	29.00
प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	210.10	180.70

* प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है।

नोट: बाध्यताकारी खातों की रेटिंग लागू नहीं है, क्योंकि बाध्यताकारी समूहों में अधिकतम एक्सपोजर ₹. 25 करोड़ है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

- ii) बैंक ने वित्तीय वर्ष वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है।
- iii) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी ऋण जो चूक और एसएमए श्रेणी में नहीं है, उनका अंतरण नहीं किया है।
- iv) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2025-26	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को (**)	अन्य अंतरिती को
खातों की संख्या	10*	05	--
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	969.82	533.86	--
अंतरित किए गए ऋणों के भारित औसत अवशिष्ट अवधि (माह)	0.00	0.00	--
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	0.00	0.00	--
कुल प्रतिफल	359.47	171.28	--
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	301.61(@)	--	--

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से	एआरसी से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	--	--
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	--	--
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	--	--

दवाबग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस ली गई अतिरिक्त प्रावधानों की राशि शून्य है।

बैंक ने दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान कोई भी दवाबग्रस्त ऋण प्राप्त नहीं किया है।

* कुल 10 खातों में से 6 खातों को ₹146.66 करोड़ की बिक्री के साथ एआरसी को अंतरित किया गया और 4 खातों को ₹212.81 करोड़ की कुल बिक्री के साथ एनएआरसीएल को अंतरित किया गया।

** अनुमत अंतरिती एनबीएफसी को संदर्भित करता है

(@) दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए संचयी।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2024-25	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को
खातों की संख्या	17*	1	--
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	1,544.02	9.14	--
अंतरित किए गए ऋणों के भारित औसत अवशिष्ट अवधि (माह)	16.83	--	--
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	--	--	--
कुल प्रतिफल	773.50	14.74	--
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	--	--	--

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से	एआरसी से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	--	--
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	--	--
अर्जित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	--	--

* 4 खाते ₹76.91 करोड़ की कुल बिक्री राशि के साथ एनएआरसीएल को अंतरित किए गए।

v) 31 मार्च, 2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

ए) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्राप्त प्रतिभूति:

(₹ करोड़ में)

	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2025-26	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2024-25	वि.व. 2024-25
आरआर 1+	0.02	0.02	-	-	-	-
आरआर 1	697.53	805.66	66.77	614.82	723.40	0.00
आरआर 2	-	-	-	-	-	-
आरआर 3	-	-	-	-	-	-
आरआर 4	-	-	-	-	-	-
आरआर 5	-	-	-	-	-	-
अनरेटेड	108.70	108.70	108.70	64.00	64.00	0.00
कुल	806.25	914.38	175.47	678.82	787.40	0.00

बी) भारत सरकार द्वारा गैर गारंटीकृत नहीं दी गई प्राप्त प्रतिभूति रसीदें:

(₹ करोड़ में)

	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2025-26	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2024-25	वि.व. 2024-25
आरआर 1+	0.95	-	-	139.31	0.00	0.00
आरआर 1	-	-	-	57.22	0.00	0.00
आरआर 2	-	-	-	262.02	0.00	0.00
आरआर 3	26.94	-	-	75.36	0.00	0.00
आरआर 4	-	-	-	48.14	0.00	0.00
आरआर 5	69.53	-	56.55	258.88	0.00	94.60
अनरेटेड	1,454.14	-	810.36	920.57	0.00	776.10
कुल	1,551.56	-	866.91	1,761.50	0.00	870.70

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होगी। प्रतिभूति रसीद के बही मूल्य पर 100% प्रावधान किया गया है।

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 दिनांक 12 सितंबर, 2023 और बाद में आरबीआई मास्टर निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार, मानक प्रतिभूति प्राप्ति @ ₹. 1.00 पर नियंत्रित की जाती हैं, जो 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

*आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29.03.2025 के अनुसार, सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके समय-समय पर किया जाएगा, जो ऐसे उपकरणों के लिए 29.03.2025 से प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होगा.

हम आगे सूचित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान एसआर पोर्टफोलियो में चार नई प्रतिभूति प्राप्ति जोड़ी गई हैं.

जी. सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रकटीकरण मद (समग्र आधार पर)	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1	सीएलए (बकाया) की कुल मात्रा	2,451.80	2,224.96
2	सीएलए पोर्टफोलियो पर भारित औसत ब्याज दर (डबल्यूएआईआर)	8.32%	9.25%
3	सीएलए से अर्जित कुल शुल्क	0.44	1.51
4	सीएलए भागीदारों को भुगतान की गई कुल फीस	4.21	2.60
5	व्यापक क्षेत्र जिनके तहत सीएलए आस्तियां मौजूद हैं	खुदरा (गृह, शिक्षा) एमएसएमई (एलएपी)	खुदरा (गृह, शिक्षा) एमएसएमई (एलएपी)
6	सीएलए (समग्र) के तहत ऋणों का कार्यानिष्पादन		
	• मानक आस्तियां	2,428.62	2,210.78
	• एसएमए 0	47.26	30.26
	• एसएमए 1	37.57	33.01
	• एसएमए 2	8.51	9.52
	• सीएलए के तहत जीएनपीए	23.18	14.18
	• जीएनपीए %	0.95%	0.63%
	• सीएलए के तहत एनएनपीए	11.65	9.91
	• एनएनपीए %	0.48%	0.45%
7	चूक हानि गारंटी (डीएलजी), यदि कोई हो आदि	डीएलजी का %: कोई नहीं कवर किए गए डीएलजी राशि: कोई नहीं अवधि के दौरान डीएलजी सक्रियण: कोई नहीं	डीएलजी का %: कोई नहीं कवर किए गए डीएलजी राशि: कोई नहीं अवधि के दौरान डीएलजी सक्रियण: कोई नहीं

एच. धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या (संख्या)	290	282
धोखाधड़ी में शामिल राशि #	2,274.46	4,598.71
धोखाधड़ी खातों में बकाया राशि	2,004.04	2,784.20
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि	2,004.04	2,784.20
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षित" से आहरित की गई अपरिशोधित प्रावधान की गई राशि.	--	--

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹560.44 करोड़ के 259 नए मामलों को धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया गया और शेष 31 मामलों की ₹1,714.02 करोड़ की पुनः जांच की गई.

आई. परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण:

क्र.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित खाते	410	27,975.96
2	तिमाही के दौरान मंजूर कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित खाते	332	2,514.74
3	तिमाही के दौरान वे कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित खाते, जिनमें डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	52	2,533.14
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित खाते (1+2-3)	690	31,359.66
5	'4' में से – वे खाते, जिनके संबंध में मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में विस्तार शामिल करते हुए समाधान प्रक्रिया लागू की गई है.	227	4,883.24
5.1	'5' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है.	110	2,237.20
5.2	'5' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है.	117	2,646.04
5.3	'5' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है.	0	0.00
6	'5' में से – वे खाते, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में विस्तार शामिल करते हुए समाधान प्रक्रिया लागू की गई है.	0	0.00
7	'5' में से – वह खाता, जिसके संबंध में मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में विस्तार से जुड़े लागत वृद्धि का वित्तपोषण किया गया है	0	0.00
7.1	'7' में से – वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया था और इसे लगातार नवीनीकृत किया गया	0	0.00
7.2	'7' में से – वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया था और इसे लगातार नवीनीकृत किया गया	0	0.00
8	'4' में से – वे खाते, जिनके संबंध में मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में विस्तार शामिल किए बिना ही समाधान प्रक्रिया लागू की गई है.	0	0.00
8.1	'8' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है.	0	0.00
8.2	'8' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	0	0.00
8.3	'8' में से – वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है.	0	0.00

नोट: यह 1 अक्टूबर, 2025 से आरंभ होने वाला तिमाही प्रकटीकरण है. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के माध्यम से.



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

जे. आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अनुसार कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2025-26

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	(ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) – 30.09.2025 तक स्थिति	(बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण	(सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बढ़ेखाते डाली गई राशि	(डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि#	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर – 31.03.2026 तक स्थिति
वैयक्तिक ऋण	2,991.92	26.26	-	160.79	2,804.87
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	176.18	0.00	-	27.15	149.03
जिसमें से, एमएसएमई	49.50	0.00	-	7.76	41.74
अन्य	31.77	7.38	-	2.07	22.32
कुल	3,199.87	33.64		190.01	2,976.22

वित्तीय वर्ष 2024-25

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	(ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) – 30.09.2024 तक स्थिति	(बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण	(सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बढ़ेखाते डाली गई राशि	(डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि#	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर – 31.03.2025 तक स्थिति
वैयक्तिक ऋण	3,555.76	67.33	--	312.65	3,175.78
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1,747.05	--	--	1,494.61	252.44
जिसमें से, एमएसएमई	120.70	--	--	64.67	56.03
अन्य	61.65	3.61	--	9.70	48.34
कुल	5,364.46	70.94	--	1,816.96	3,476.56

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

* निवेश एक्सपोजर शामिल है।

#इसमें मौजूदा खातों, बंद खातों और अवधि के दौरान पुनर्संरचना से बाहर आ चुके खातों के एक्सपोजर में निवल परिवर्तन शामिल है।

के. “अग्रिमों की पुनर्संरचना- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनर्संरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर. बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.सं.बीपी.बीसी./4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्संरचित किए गए खातों की संख्या	पुनर्संरचित किए गए उधारकर्ता की संख्या	राशि
2025-2026	77,098	60,705	1,405.76
2024-2025	93,118	72,485	2,027.16

एल. वैयक्तिक तथा लघु कारोबार के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	यथा दिनांक 31.03.2026 तक की स्थिति		यथा दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति	
	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
वैयक्तिक तथा लघु कारोबार	16,067	2,657.09	20,425	3,223.60
कृषि/संबद्ध	1,552	93.68	1,858	120.06
कुल	17,619	2,750.77	22,283	3,343.66

एम. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2026 तक खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	(बी) में से यथा 31.03.2026 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	(ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान	31.03.2026 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
8,497.43	3,737.86	3,737.86	2,850.21	2,850.21

एन. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआरक्र.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआरक्र.बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹7,821.17 करोड़ (तकनीकी रूप से बढ़े खाते में डाले गए ₹7,821.17 करोड़ के खातों सहित) का प्रावधान किया है।

5. एक्सपोजर

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है जो आस्ति मूल्य में अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है।

ए. रियल एस्टेट में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	वि. व. 2025-26 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)	वि. व. 2024-25 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)
ए. प्रत्यक्ष एक्सपोजर	1,32,950.21 (1,32,950.21)	1,19,444.30 (1,19,444.30)
i. आवासीय बंधक - आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं; - उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण. गैर निधि आधारित सीमाएं एक्सपोजर में शामिल हैं.	1,17,849.00 (1,17,849.00) 24,016.00 (24,016.00)	1,03,175.00 (1,03,175.00) 23,651.00 (23,651.00)
ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट - वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं.	15,101.21 (15,101.21)	16,269.30 (16,269.30)



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

श्रेणी	वि. व. 2025-26 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)	वि. व. 2024-25 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)
iii. बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर		
ए. आवासीय	--	--
बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	--	--
बी. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	43,334.90 (43,246.17)	34,590.73 (34,547.14)
रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर – अधिग्रहण लागत	1,76,285.11	1,54,035.03
– वहन लागत	(1,76,196.38)	(1,53,991.44)

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	वि. व. 2025-26 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)	वि. व. 2024-25 अधिग्रहण लागत (वहन लागत)
i. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	758.67 (966.61)	767.67 (974.34)
ii. शेयरों/ बॉन्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम;	2.48 (2.48)	1.56 (1.56)
iii. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	290.06 (290.06)	292.39 (292.39)
iv. शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स /परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है	418.91 (418.91)	1,908.99 (1,908.99)
v. स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	1,481.34 (1,481.34)	2,670.13 (2,670.13)
vi. शेयरों/ बॉन्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण;	--	--
vii. संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण;	--	--
viii. शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना;	--	--
ix. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण;	--	--
x. वेंचर पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा**	1,026.52 (974.52)	967.53 (954.79)
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर – अधिग्रहण लागत	3,977.98	6,608.27
– वहन लागत	(4,133.92)	(6,802.20)

** ₹310.84 करोड़ राशि की अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताओं सहित.

नोट: बिंदु सं. (i) एवं (x) के लिए अधिग्रहण लागत क्रमशः ₹758.67 करोड़ एवं ₹1,026.52 करोड़ है।

- पूंजी बाजार में ₹4,133.92 करोड़ का एक्सपोजर ₹41,824.74 करोड़ (अर्थात 31 मार्च, 2025 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹1,04,561.86 करोड़ का 40% है) की सीमा के भीतर है।
- पूंजी बाजार में ₹1,941.13 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹20,912.37 करोड़ (अर्थात 31 मार्च, 2025 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹1,04,561.86 करोड़ का 20% है) की सीमा के भीतर है।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी की इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका विवरण निम्नानुसार है: लागू नहीं।
- कार्यनीति ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का विवरण जिनको सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त है, दिनांक 31.03.2026 तक निम्नानुसार है:

खातों की संख्या	राशि करोड़ में (31.03.2026 तक बही मूल्य)
14	2,114.49

सी. जोखिम श्रेणी वार देश का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	निवल एक्सपोजर	धारित प्रावधान	निवल एक्सपोजर	धारित प्रावधान
अपर्याप्त	39,395.34	--	41,393.64	--
अल्प	7,271.71	--	11,853.41	--
सामान्य रूप से अल्प	148.30	--	1,423.78	--
सामान्य	1,894.59	--	174.17	--
सामान्य रूप से उच्च	588.42	--	471.48	--
उच्च	1.05	--	72.42	--
अत्यधिक उच्च	80.60	--	27.40	--
कुल	49,380.01	--	55,416.30	--

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति 2025-26 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी देश जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है।

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही देश जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है।

डी. प्रतिभूति-रहित अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि. व. 2025-26	वि. व. 2024-25
बैंक के कुल प्रतिभूति-रहित अग्रिम	2,21,367.32	1,55,165.08
उपर्युक्त में से, अग्रिम राशि जिसके लिए, अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार लिया गया है।	--	--
उक्त अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का कल्पित मूल्य	--	--

सड़क / राजमार्ग / परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र ओडी.बीपी.बीसी.न. 83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सुरक्षित माना गया है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

ई. फैक्टरिंग एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि. व. 2025-26	वि. व. 2024-25
डीबीआर.नं.एफ़एसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर.	2,346.23	1,408.72

एफ़. इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि. व. 2025-26	वि. व. 2024-25
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	553.90	653.72
20 बड़े इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	553.90	653.72
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.04	0.05
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं विनियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई. यदि कोई हो	--	--

जी. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

यूएफ़सीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया को अनुमोदित किया है. बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली ऋण जोखिमों को भी ध्यान में रखा है एवं तदनुसार बैंक ने अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण ढांचे को शामिल कर जोखिम शमन उपाय किए हैं.

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा दिनांक 31.03.2026	यथा दिनांक 31.03.2025
प्रावधान	62.15	90.11
पूँजी	44.35	209.36

एच. सोने एवं चाँदी के संपार्श्विक के सापेक्ष ऋण

(ए) पात्र सोने एवं चाँदी के संपार्श्विक के सापेक्ष दिए गए ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण बकाया		औसत ऋण मात्रा (₹ करोड़ में)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़ में	कुल ऋणों का % के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष [(ए)+(बी)]	79,851.23	100.00	0.017	0.68	0.19
(ए) उपभोग ऋण	26,384.08	33.04	0.015	0.59	0.16
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	26,372.75	33.03	0.015	0.59	0.16
(बी) आय जनरेटिंग ऋण	53,467.15	66.96	0.019	0.69	0.21
2. वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूर एवं संवितरित किए गए नए ऋण [(सी)+(डी)]	1,16,617.35	100.00	0.023	0.60	लागू नहीं
(सी) उपभोग ऋण	47,585.80	40.81	0.016	0.52	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	47,585.80	40.81	0.016	0.52	लागू नहीं
(डी) आय जनरेटिंग ऋण	69,031.55	59.19	0.033	0.68	लागू नहीं
3. वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूर एवं संवितरित किए गए नवीकरण	0	0	0	0	लागू नहीं
4. वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूर एवं संवितरित किए गए टॉप-अप ऋण	0	0	0	0	लागू नहीं

विवरण	ऋण बकाया		औसत ऋण मात्रा (₹ करोड़ में)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़ में	कुल ऋणों का % के रूप में			
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(ई)+(एफ)]	1,09,268.00	100.00	0.019	लागू नहीं	लागू नहीं
(ई) उपभोग ऋण	40,708.23	0.37	0.015	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	40,679.48	0.37	0.015	लागू नहीं	लागू नहीं
(एफ) आय जनरेटिंग ऋण	68,559.77	0.63	0.022	लागू नहीं	लागू नहीं
6. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए अनर्जक ऋण [(जी) + (एच)]	72.06	100.00	0.014	लागू नहीं	लागू नहीं
(जी) उपभोग ऋण	16.73	0.23	0.017	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	16.69	0.23	0.016	लागू नहीं	लागू नहीं
(एच) आय जनरेटिंग ऋण	55.33	0.77	0.013	लागू नहीं	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाले गए ऋण [(आई) + (जे)]	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
(i) उपभोग ऋण	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
(जे) आय जनरेटिंग ऋण	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
8. वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष [(के) + (एल)]	90,330.07	100.00	0.023	0.61	0.13
(के) उपभोग ऋण	35,448.59	39.24	0.017	0.51	0.12
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण	35,448.55	39.24	0.017	0.51	0.12
(एल) आय जनरेटिंग ऋण	54,881.48	60.76	0.033	0.69	0.14

नोट: वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने चांदी के सापेक्ष कोई ऋण प्रदान नहीं किया है. अतः चांदी के संपार्श्विक के संबंध में उपरोक्त जानकारी शून्य है.

(i) औसत एलटीवी अनुपात की गणना मंजूरी के समय ऋणों के एलटीवी के कुल योग को ऐसे ऋणों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है..

(बी) सोने एवं चांदी के संपार्श्विक तथा नीलामी का विवरण

क्र. सं.	विवरण	
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में अदावी सोना या चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)	77,957.12*
(बी)	ऋण खाते की संख्या, जिनमें नीलामी आयोजित की गई	623
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि	₹7.31 करोड़
(डी)	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों में चूक के कारण अधिग्रहित सोने या चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)	88,000.29
(ई)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए सोने या चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)	14,194.44
(एफ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली	₹13.62 करोड़
(जी)	वसूली प्रतिशत:	
(एच)	सोने या चांदी के संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	94.98%
(आई)	बकाया ऋण के % के रूप में	186.38%

नोट:

संपार्श्विक के भार और मूल्य की गणना भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 के अनुसार की गई है.

अदावी सोना या चांदी का संपार्श्विक से अभिप्राय वह है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है.

*उपरोक्त में से 28,484.08 ग्राम का मिलान लंबित है.



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

आई. संबंधित पक्षों का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
(ए) संबंधित पक्षों को ऋण			
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को मंजूर किए गए ऋणों का समग्र मूल्य		
2	यथा 31 मार्च तक कुल ऋण एक्सपोजर के अनुपात में संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का समग्र मूल्य	--	--
3	यथा 31 मार्च तक कुल ऋण एक्सपोजर के अनुपात में संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का समग्र मूल्य	--	--
4	संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का समग्र मूल्य, जो निम्नानुसार श्रेणीबद्ध है:		
	(i) यथा 31 मार्च तक विशेष उल्लेख खाते	--	--
	(ii) यथा 31 मार्च तक अनर्जक आस्तियां	--	--
5	यथा 31 मार्च तक संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में धारित प्रावधानों की राशि	--	--
बी. संबंधित पक्षों को शामिल करने वाले संविदाएं एवं व्यवस्थाएँ			
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए संविदाएं एवं व्यवस्थाओं का समग्र मूल्य	--	--
7	यथा 31 मार्च तक संबंधित पक्षों को शामिल करने वाले बकाया संविदाएं एवं व्यवस्थाओं का समग्र मूल्य	--	--

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

ए. जमाराशियों का केन्द्रीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (₹ करोड़ में)	67,797.79	87,108.19
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत.	5.19%	6.65 %

बी. अग्रिमों का केन्द्रीकरण *

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	1,88,669.60	1,55,012.76
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	12.94%	11.75%

*ऋण एक्सपोजर के आधार पर गणना की जाने वाली अग्रिम अर्थात् निधिक एवं गैर-निधिक सीमाएँ, जिसमें डेरिवेटिव एक्सपोजर शामिल है, जहाँ लागू हो. मंजूर सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी. हालांकि, पूर्ण रूप से आहरित सावधि ऋण के मामले में, जहाँ मंजूर सीमा के किसी भी हिस्से को पुनः आहरित करने की गुंजाइश नहीं होती, बैंक बकाया राशि को ऋण एक्सपोजर के रूप में मान सकता है.

सी. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	1,93,131.96	1,57,809.54
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	12.62%	11.31%

डी. एनपीए का केन्द्रीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	5,360.07	7,690.61
कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत	17.63%	21.76%

ए. भारतीय रिजर्व बैंक के वृहद एक्सपोजर ढांचा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण.

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक का विवरण;

क्र. सं.	उधारकर्ता	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की अधिकतम सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूंजी निधि के % के रूप में एक्सपोजर	31.03.26 को स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
1.	एकल उधारकर्ता	--	--	--	--	--	--
2.	समूह उधारकर्ता	--	--	--	--	--	--

- आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन निर्देश) 2025 दिशानिर्देशों दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर सीमा बैंकों के टियर-1 पूंजी निधि के क्रमशः 20% और 25% के रूप में परिभाषित किया गया है. असाधारण मामलों में, बैंकों का बोर्ड एकल उधारकर्ता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर (बैंकों के उपलब्ध टियर-1 पूंजी निधि का) की अनुमति दे सकता है.
- यथा दिनांक 31.03.2026 तक, किसी भी एकल/समूह उधारकर्ता की निर्धारित सीमा को पार नहीं किया है.

7. डेरिवेटिव्स

ए. डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो का विवरण

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर डेरिवेटिव्स						
एमटीएम-आस्तियां	321.23	0.00	0.00	212.64	0.00	0.00
एमटीएम – देयताएं	(330.79)	0.00	0.00	(211.61)	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए निवल लाभ/हानि	(9.55)	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
विनियम दर डेरिवेटिव्स						
एमटीएम-आस्तियां	10,710.86	0.00	0.00	2,145.05	0.00	0.00
एमटीएम – देयताएं	(10,801.93)	0.00	0.00	(2,010.67)	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए निवल लाभ/हानि	(91.07)	0.00	0.00	134.38	0.00	0.00
ऋण जोखिम डेरिवेटिव्स						
एमटीएम-आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य डेरिवेटिव्स (स्पष्ट करें)						
एमटीएम-आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

बी. वायदा दर अनुबंध (एफ़आरए) / ब्याज दर स्वैप(आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
i. स्वैप अनुबंध का कल्पित मूलधन	60,082.43	41,780.69
ii. अनुबंध के तहत प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के कारण होने वाली हानि	321.23	212.64
iii. स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	--	--
iv स्वैप के कारण उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	--	--
V. स्वैप बही का उचित मूल्य	(9.55)	1.02

नोट:

- भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.
- बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए अस्थिर से स्थायी अथवा स्थायी से अस्थिर ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

सी. विनियम ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
i. वर्ष के दौरान किए गए विनियम-ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का कल्पित मूलधन (लिखत-वार) ब्याज दर फ्यूचर्स				
ए. 726GS2032	--	--	--	--
बी. 726GS2033	--	--	--	--
सी. 718GS2033	--	--	--	--
डी. 710GS2034	--	--	300.20	20.22
ई. 718GS2037	--	--	50.00	50.00
एफ. 723GS2039	--	--	175.00	175.00
ii. 31 मार्च, 2025 तक बकाया विनियम-ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का कल्पित मूलधन (लिखत-वार)	--		--	
iii. विनियम-ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का बकाया कल्पित मूलधन और जो 'अत्यंत प्रभावी' नहीं हैं (लिखत-वार)	--		--	
iv. विनियम-ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का बकाया का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो 'अत्यंत प्रभावी' नहीं है (लिखत-वार)	--		--	

डी. डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

I) गुणात्मक प्रकटन:

ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है.

- काउन्टर पर डेरीवेटिव
- विनियम ट्रेडेड डेरीवेटिव

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव समूह में, बैंक मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्याज दर फ्यूचर्स पर व्यापार करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है। विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है।

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है। स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स में की जाती है। हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम हेजिंग के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमों भी बढ़ जाती है। बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं।

संरचना के संदर्भ में, ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रदान किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है।

- I) फ्रंट ऑफिस (डीलिंग रूम) - बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- II) मिड ऑफिस- जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैंक ऑफिस - निपटान, मिलान और लेखांकन।

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है। मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। अस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करार आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान एक्सपोजर पद्धति अपनाई है।

- बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है। ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी कार्यनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी तत्काल रिपोर्ट की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव अनुबंध से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के भीतर रहे।

- सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव संव्यवहारों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज संव्यवहारों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इन संव्यवहारों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह अस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

- डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हेज संव्यवहारों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग अनुबंध मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की सीमा तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए वर्तमान एक्सपोजर पद्धति अपनाता है। डेरीवेटिव सीमा मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण सीमाओं के साथ ही डेरीवेटिव सीमाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

II) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
		वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
ए.	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	(i) हेजिंग के लिए	4,741.75	6,665.31	380.00	380.00
	(ii) ट्रेडिंग के लिए	5,12,654.62	3,70,271.28	59,702.43	41,400.69
बी.	बी. मार्केट टू मार्केट पोजीशन				
	(i) आस्तियां (+)	10,710.86	2,145.05	321.23	212.64
	(ii) देयताएं (-)	(10,801.93)	(2,010.67)	(330.79)	(211.61)
सी.	ऋण एक्सपोजर *	22,677.11	10,462.99	857.86	606.31
डी.	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	(i) हेजिंग डेरीवेटिव पर	(0.87)	(2.09)	(0.07)	(0.06)
	(ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	0.03	0.01	(0.01)
ई.	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01				
	I. अधिकतम				
	(i) हेजिंग पर	(86.80)	2.63	78.76	41.45
	(ii) ट्रेडिंग पर	0.32	1.48	174.20	25.97
	II. न्यूनतम				
	(i) हेजिंग पर	(239.25)	(372.74)	4.85	0.32
	(ii) ट्रेडिंग पर	(0.36)	(227.60)	0.13	0.03

*मुद्रा डेरीवेटिव्स एवं ब्याज दर डेरीवेटिव्स के ऋण एक्सपोजर में हेजिंग लेन-देन भी शामिल हैं।

ई. क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (विगत वर्ष- शून्य) के दौरान कोई क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप लेनदेन दर्ज नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:

यथा 31 मार्च, 2026 तक, बैंक के पास प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए कोई विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) नहीं है (विगत वर्ष-शून्य)

9. बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी:

बैंक ने कोई भी ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी को जारी नहीं किया है।

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	4,090.13	3,459.91
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित की गयी राशि	1,650.39	792.92
घटाया : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	327.02	162.70
डीईएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	5,413.50	4,090.13

डीईए फंड में अंतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को भी 'अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएँ की अन्य मदें हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है।

11. शिकायतों का प्रकटन:

ए. बैंकों को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय (ओबीओ) से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	11,643	6,331
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)#	7,60,545	5,66,215
3.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	7,55,118	5,60,903
3.1	जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए	1,43,383	99,083
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	17,070	11,643
ओबीओ से बैंक को प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें			
5.	बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या @	7,146	6,081
5.1	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	2,694	2,401
5.2	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या	4,064	3,673
5.3	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें.	1	7
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा)	0	5

@ 5. में से यथा 31.03.2026 तक लंबित शिकायतों की संख्या - 387

नोट:

ग्राहक सेवा पर मास्टर निर्देशों के संदर्भ में, जिन शिकायतों का निवारण अगले कार्यदिवस के भीतर किया जाता है उन्हें शिकायत विवरण में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. अतः शिकायतों का विश्लेषण करते समय T+1 दिन के भीतर निवारण किए गए शिकायतों को विवरण से बाहर रखा जाता है.



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

बी. बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के शीर्ष 5 मुख्य आधार (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	उक्त 5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6

वि.व. 2025-26

	01.04.2025	2025-26	31.03.2026	31.03.2026	
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	646	4,14,128	522.84%	13,291	4,144
खाता खोलना/ खातों के परिचालन में कठिनाई	984	99,077	63.73%	850	189
एटीएम/डेबिट कार्ड	7,314	43,114	-87.09%	181	16
क्रेडिट कार्ड	439	29,586	149.50%	184	14
चेक/ड्राफ्ट/बिल	137	10,192	117.13%	113	4
अन्य	2,123	1,64,448	90.33%	2,451	2,181
कुल	11,643	7,60,545	34.32%	17,070	6,548

वि.व. 2024-25

	01.04.2024	2024-25	31.03.2025	31.03.2025	
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,744	3,34,069	58.19%	7,314	477
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	1,160	66,490	44.50%	646	59
बिना पूर्व सूचना के प्रभार/अत्यधिक प्रभार/ समय पूर्व बंद करने पर प्रभार लगाना	189	8,130	11.19%	135	18
चेक/ड्राफ्ट/बिल	147	4,694	8.11%	137	15
क्रेडिट कार्ड	567	11,858	503.15%	439	4
अन्य	2,524	1,40,974	183.78%	2,972	655
कुल	6,331	5,66,215	76.67%	11,643	1,228

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28.11.2025, जो वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय विवरण: प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण निदेश, 2025 से संबंधित है, के अनुसार शिकायतों के लिए 16 आधार प्रदान किए गए हैं। इनमें से, बैंक द्वारा शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर शीर्ष 5 आधारों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए माना गया है।

शीर्ष 5 आधारों में परिवर्तन होने के कारण, प्रतिशत में परिवर्तन तुलनीय नहीं है।

12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के अंतर्गत लगाए गए दंड:	वि.व. 2025-26		वि.व. 2024-25	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	2	1.59	1	1.06
भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस हेतु)	-	-	-	-
रिवर्स रेपो लेनदेन में चूक करने वाला प्रतिभागी	-	-	-	-
अन्य विनियामक	1	0.37	1	0.54

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को आरबीआई एवं एफआईयू-आईएनडी को दंड भुगतान करने के संबंध में निम्नलिखित विवरण सहित तीन संचार प्राप्त हुए हैं:

1. एफआईयू-भारत, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से, बैंक पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अध्याय IV तथा संबंधित पीएमएल नियमों के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के उल्लंघन के लिए ₹37,00,000/- (रुपये सैंतीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन विभाग ने अपने आदेश संदर्भ संख्या के.आईएनएफडी.डीसीबी.सं. एस111/02.01.018/2025-26 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से, विनियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए समय पर डीईए फंड अंतरित करने में विफल रहने तथा ₹1.60 लाख तक के कृषि ऋणों के लिए संपार्श्विक प्राप्त करने के कारण बैंक पर ₹63,60,000/- (रुपये तिरसठ लाख साठ हजार मात्र) का दंड लगाया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन विभाग ने अपने आदेश संदर्भ संख्या के.आईएनएफडी.डीसीबी.सं. एस820/02-01-018/2025-26 दिनांक 27.03.2026 के माध्यम से, बैंक पर ₹95,40,000/- (रुपये पचानवे लाख चालीस हजार मात्र) का दंड लगाया है, यह दंड विनियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया, जिनमें ग्राहक द्वारा सूचित किए जाने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से संबंधित राशि को ग्राहकों के खातों में जमा (शैडो रिवर्सल) करने में विफलता, ग्राहकों को अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए 24x7 बहु-चैनल माध्यमों तक पहुंच उपलब्ध न कराना, तथा कुछ केसीसी खातों में प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप करना शामिल हैं।

तदनुसार, दिनांक 21.04.2025 को ₹37,00,000/- का भुगतान, दिनांक 02.06.2025 को ₹63,60,000/- का भुगतान और दिनांक 04.04.2026 को ₹95,40,000/- का भुगतान किया गया।

13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	पदनाम	वि.व. 2025-26
श्री आशीष पाण्डेय	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30.09.2025 से)	0.22
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.45
श्री रामसुब्रमणियन एस	कार्यपालक निदेशक	0.56
श्री संजय रुद्र	कार्यपालक निदेशक	0.37
श्री अमरेश प्रसाद	कार्यपालक निदेशक (24.11.2025 से)	0.16
कुल		1.76



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

14. अन्य प्रकटीकरण

ए. कारोबार अनुपात:

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
I.	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत #	7.06%	7.44%
II.	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत #	1.29%	1.39%
III.	जमा राशि की लागत	5.39%	5.53%
IV.	निवल ब्याज मार्जिन *	2.70%	2.91%
V.	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत #	1.91%	2.18%
VI.	आस्तियों पर प्रतिफल \$	1.25%	1.26%
VII.	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड़ में) @	29.45	28.02
VIII.	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	0.25	0.24

कार्यशील निधि को वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई को फॉर्म X में रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (संचित हानि को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में माना जाएगा.

* निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय / औसत ब्याज अर्जित आस्तियां, जहाँ निवल ब्याज आय = ब्याज आय – ब्याज व्यय.

\$ आस्तियों पर रिटर्न की गणना औसत कार्यशील निधि के संदर्भ में की जाएगी (अर्थात् संचित हानियों को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हों).

@ प्रति कर्मचारी कारोबार की गणना (जमा + अग्रिम) के उद्देश्य से, अंतर-बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा.

बी. बैंक-बीमा कारोबार:

बैंक -बीमा कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आय का स्वरूप	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1. जीवन बीमा पॉलिसी	396.72	445.73
2. गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	38.09	36.24
3. स्वास्थ्य बीमा	40.64	50.85

सी. विपणन एवं वितरण:

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंक-बीमा कारोबार को छोड़कर):

(₹ करोड़ में)

आय का स्वरूप	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
म्यूचुअल फंड कारोबार का संवितरण	29.66	27.48
व्यापारी बैंकिंग अनुभाग	6.00	7.45

डी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

बैंक की अन्य आय में अन्य विषयों के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पीएसएलसी-एसएफएमएफ़ श्रेणी के तहत बिक्री से ₹133.87 करोड़ (विगत वर्ष ₹955.08 करोड़) की कमीशन आय और पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से ₹0.50* करोड़ (विगत वर्ष ₹236.70 करोड़) का व्यय शामिल है।

वर्ष के दौरान पीएसएलसी प्रमाणपत्र व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

पीएसएलसी-श्रेणी	बिक्री किए गए पीएसएलसी	खरीदे गए पीएसएलसी	उपार्जित कमीशन	भुगतान किए गए कमीशन*
पीएसएलसी-एसएफएमएफ़	10,000	--	133.87	--
पीएसएलसी-कृषि	--	--	--	--
पीएसएलसी-सूक्ष्म	--	--	--	--
पीएसएलसी-सामान्य	--	5,000	--	0.50*
कुल	10,000	5,000	133.87	0.50*

*जीएसटी छोड़कर

ई. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप - लाभ एवं हानि खाते में डेबिट:	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(रिवर्सल)	123.53	(101.28)
एनपीए पर प्रावधान	2,337.25	7,308.49
मानक आस्तियों पर प्रावधान/(रिवर्सल)	1,145.63	81.28
आय कर (आईटी)/आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान	5,483.91	5,491.92
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	--	--
- पुर्नसंचित अग्रिम	(2.02)	(26.61)
- अन्य	834.06	349.10
कुल	9,922.36	13,102.90

एफ़. आईएफ़आरएस के अनुरूप भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी-एस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था। इसके बाद भारिबैं द्वारा परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से आईएनडी-एस के कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया।

तदनुसार, बैंक द्वारा आईएनडी-एस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, बैंक ने आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी-एस) के सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु वेंडर को शामिल किया है। बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर, 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्म प्रस्तुत किया है। तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्म आईएनडी एस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्म वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 26 नवंबर, 2025 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

जी. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित)	1,763.09	1,688.47
डीआईसीजीसी प्रीमियमके भुगतान हेतु बकाया (जीएसटी सहित)	--	--

एच. बैंकों के कर्मचारियों की वर्धित पेंशन के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण:

पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में कोई परिशोधित व्यय नहीं है।

आई. बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
वर्ष की शुरुआत में बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट	--	--
जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत	--	--
घटाएँ: वर्ष के दौरान अवधि-समाप्त	--	--
वर्ष के अंत में बकाया	--	--

आरबीआई/2017-18/139 ए.पी.(डीआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार, भारत में आयात के लिए व्यापार क्रेडिट के लिए वचन पत्र (एलओयू) और लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी करना बंद कर दिया है।

जे. हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी

हरित जमा

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	संचयी
जुटाई गई कुल हरित जमा (ए)	0.24	29.05	29.29
हरित जमा निधि का उपयोग			
1. नवीकरणीय ऊर्जा	0.24	29.05	29.29
2. ऊर्जा दक्षता	--	--	--
3. स्वच्छ परिवहन	--	--	--
4. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	--	--	--
5. संवहनीय जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन	--	--	--
6. प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण	--	--	--
7. हरित बिल्डिंग	--	--	--
8. जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन	--	--	--
9. स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	--	--	--
आबंटित कुल हरित जमाराशि निधि (बी = 1 से 9 का योग)	0.24	29.05	29.29
आबंटित नहीं की गई हरित जमा निधि की राशि (सी = ए - बी)	--	--	--
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित हरित जमाराशि आय के अस्थायी आवंटन का विवरण	--	--	----

नोट – वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान कुल हरित जमाराशि ₹0.24 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹29.05 करोड़) है। यथा दिनांक 31.03.2026 तक यूनियन ग्रीन डिपॉजिट योजना के तहत कुल बकाया शेष ₹8.21 करोड़ (बकाया यथा 31.03.2025 तक ₹11.99 करोड़) है।

15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

ए. अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस 5)

- वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण और पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।
- पिछले वित्तीय वर्ष में अपनाई गई नीतियों की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बी. राजस्व निर्धारण (एएस 9)

आय और व्यय का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया गया है, आय की कुछ मदों को छोड़कर जिनको लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.4 के अनुसार वसूली के आधार पर माना जाता है।

सी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

I. अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है, उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

II. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

ए. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें शामिल किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान करते हैं तथा बैंक का 14% अंशदान जमा किया जाता है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक में 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में प्रोटियन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीस (पूर्व में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड) को नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में ₹767.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹704.53 करोड़) का अंशदान किया है।

बी. निर्धारित लाभ योजना:

उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल शामिल किया जाता है।

निर्धारित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और उपदान योजना:

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए लेखांकन किया है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल तक प्रारंभिक निर्धारित लाभ दायित्व	33,363.67	31,555.91	3,981.38	3,602.00
ब्याज लागत	2,352.14	2,284.65	272.72	259.70
चालू सेवा लागत	241.81	242.52	212.41	227.54
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	--	--	--	--
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	--	--	--	--
देयता अंतरण आवक	--	--	--	--
देयता अंतरण जावक	--	--	--	--
प्रदत्त लाभ	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
परिवर्तन के कारण - दायित्वों पर बीमांकिक (अर्जन)/ हानि				
वित्तीय धारणा में	(2,699.80)	572.70	(377.77)	143.13
भौगोलिक धारणा में	2,241.03	--	--	--
दायित्वों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि	1,759.08	1,275.89	310.24	76.74
31 मार्च तक अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व	34,675.04	33,363.67	4,140.09	3,981.38
योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
1 अप्रैल तक प्रारंभिक योजना आस्तियों का उचित मूल्य	33,346.51	31,140.21	3,994.75	3,457.68
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
अंशदान	1,816.21	2,240.99	461.61	574.37
अन्य कंपनी से अंतरण	--	--	--	--
अन्य कंपनी को अंतरण	--	--	--	--
प्रदत्त लाभ	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
31 मार्च को अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य	34,844.97	33,346.51	4,447.17	3,994.75
अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/ दायित्वों पर हानि	1,300.31	1,848.59	(67.53)	219.87
योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	85.79	(278.76)	23.94	(41.13)
कुल चिन्हित बीमांकिक (अर्जन)/हानि	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
संक्रमणकालीन देयता का निर्धारण:				
1 अप्रैल को संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--
वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--
31 मार्च को संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2,265.14	2,533.31	249.70	290.43
आय विवरण में चिन्हित व्यय:				
वर्तमान सेवा लागत	241.81	242.52	212.41	227.54
ब्याज लागत	1.21	30.10	(0.92)	10.40

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	--	--	--	--
निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	--	--	--	--
निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5)	--	--	--	--
संक्रमण देयता का निर्धारण	--	--	--	--
बीमांकिक (लाभ) या हानि	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
लाभ एवं हानि खाते में चिह्नित व्यय	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
तुलन पत्र मिलान:				
प्रारंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिह्नित निवल राशि)	17.16	415.70	(13.37)	144.32
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल)		--	--	--
अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल)		--	--	--
(नियोक्ता का अंशदान)	(1,816.21)	(2,240.99)	(461.61)	(574.37)
तुलन-पत्र में चिह्नित निवल (आस्ति)/ देयता राशि	(169.93)	17.16	(307.08)	(13.37)
अन्य विवरण:				
तैंतीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है। ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी।				
उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो।				
बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटित वर्ष में किया जाता है।				
वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है।				
सदस्यों की संख्या	16,199	17,644	73,895	73,945
वेतन प्रति माह	177.36	183.07	655.07	621.38
अगले वर्ष के लिए अंशदान	61.38	258.97	--	199.04
आस्तियों की श्रेणी :				
भारत सरकार की आस्तियां	581.75	474.05	62.38	27.95
कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफ़डीआर	3,621.52	3,408.03	559.50	445.02
विशेष जमा योजना	--	--	--	--
राज्य सरकार	4,528.03	4,467.59	667.25	594.51
संपत्ति	--	--	--	--
अन्य	3,427.92	3,033.58	395.95	424.69
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां*	22,685.75	21,963.26	2,762.10	2,502.58
म्युचुअल फंड	--	--	--	--
कुल	34,844.97	33,346.51	4,447.18	3,994.75

*नोट: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर पेंशन देयता और उपदान देयता निर्धारण के लिए एलआईसी में निवेश पर रिटर्न 8.048% है और अन्य बीमा कंपनियों में 7.50% होने की उम्मीद है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में देयताएं	4,140.09	3,981.38	3,602.00	3,225.86	3,197.81
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,447.18	3,994.75	3,457.68	3,262.35	3,367.60
अंतर	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79
अचिन्हित पूर्व सेवा लागत	--	--	--	--	--
अचिन्हित संक्रमण देयता	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में चिन्हित राशि	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	310.24	76.74	179.70	29.55	30.86
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ	(23.94)	41.13	29.34	(17.33)	53.31

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन योजना				
तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में देयताएं	34,675.04	33,363.67	31,555.91	29,170.59	28,650.99
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	34,844.97	33,346.51	31,140.21	28,754.24	27,043.50
अंतर	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)
अचिन्हित पूर्व सेवा लागत	--	--	--	--	1,521.62
अचिन्हित संक्रमण देयता	--	--	--	--	--
तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(85.87)

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	पेंशन योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	1,759.08	1,275.89	4,334.44	614.25	2,452.27
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ	(85.79)	278.76	423.97	49.96	266.31

(₹ करोड़ में)

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	6.85	7.05	7.21	7.24
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.85	7.05	7.21	7.24
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली पलायन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	7.67	7.87	6.85	7.05
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.67	7.87	6.85	7.05
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान पलायन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

III. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

अन्य दीर्घकालिक लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
पेंशन	--	--
अवकाश यात्रा रियायत	24.92	0.33
अवकाश नकदीकरण	157.88	343.33
अस्वस्थता अवकाश प्रावधान*	274.76	281.10

* अस्वस्थता अवकाश के लिए प्रावधान सावधानीपूर्ण आधार पर किया गया है, यद्यपि इसका कोई भुगतान नहीं है।

डी. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	स्टैंडअलोन	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
क्षेत्रवार राजस्व		
ट्रेजरी परिचालन	30,107.49	31,031.42
खुदरा बैंकिंग परिचालन	47,573.99	45,091.87
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	982.42	963.55
(बी) गैर डिजिटल बैंकिंग परिचालन	46,591.57	44,128.32
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	44,378.58	46,021.85
अन्य बैंकिंग परिचालन	1,745.07	2,464.34
गैर आबंटित	1,621.89	1,112.37
कुल क्षेत्रवार राजस्व	1,25,427.02	1,25,721.85
कमी अंतर-क्षेत्रवार राजस्व	-	-
परिचालन से राजस्व	1,25,427.02	1,25,721.85
क्षेत्रवार परिणाम		
ट्रेजरी परिचालन	5,682.63	4,603.06
खुदरा बैंकिंग परिचालन	9,251.22	9,341.56
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	675.48	739.14
(बी) गैर डिजिटल बैंकिंग परिचालन	8,575.74	8,602.42
कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	6,734.98	7,078.51
अन्य बैंकिंग परिचालन	890.33	1,343.55
गैर आबंटित	1,621.89	1,112.37
कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	24,181.05	23,479.06
कर हेतु प्रावधान	5,483.91	5,491.92
कर के बाद निवल लाभ/(हानि)	18,697.14	17,987.14



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	स्टैंडअलोन	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
क्षेत्रवार आस्तियां		
ट्रेजरी परिचालन	4,64,486.77	4,96,469.55
खुदरा बैंकिंग परिचालन	5,07,430.94	4,57,840.87
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	5,187.80	3,228.60
(बी) गैर डिजिटल बैंकिंग परिचालन	5,02,243.14	4,54,612.27
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,68,606.22	5,15,026.76
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	28,830.70	30,518.53
कुल	15,69,354.63	14,99,855.71
क्षेत्रवार देयताएं		
ट्रेजरी परिचालन	4,26,432.03	4,59,073.45
खुदरा बैंकिंग परिचालन	4,65,857.84	4,23,354.43
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	4,762.77	2,985.40
(बी) गैर डिजिटल बैंकिंग परिचालन	4,61,095.07	4,20,369.03
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,22,021.11	4,76,232.87
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	26,468.65	28,219.75
कुल	14,40,779.63	13,86,880.50
नियोजित पूंजी		
ट्रेजरी परिचालन	38,054.74	37,396.10
खुदरा बैंकिंग परिचालन	41,573.10	34,486.43
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	425.03	243.19
(बी) गैर डिजिटल बैंकिंग परिचालन	41,148.07	34,243.24
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	46,585.10	38,793.90
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	2,362.06	2,298.78
कुल	1,28,575.00	1,12,975.21

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, खुदरा, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं और अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है।

2. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 'डिजिटल बैंकिंग' को खुदरा बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है।
 3. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय एवं व्यय, उन्हें प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट योग्य क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं।
 4. क्षेत्र देयताएं एवं क्षेत्र पूंजी को उनके संबंधित क्षेत्र आस्तियों के अनुपात में वितरित किया गया है।
 5. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- IV. आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 (समय-समय पर अद्यतित) के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरण हैं:
- ए. अन्य देयताओं एवं प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,
 - बी. अन्य आस्तियों के मामले में, अन्य शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,
 - सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,
 - डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है

अनुसूची	उप शीर्ष के अंतर्गत मद	₹ करोड़ में	कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान (III-अन्य (प्रावधान सहित))	--	--	--
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां (VI-अन्य)	--	--	--
	अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क	1,753	1.40
अनुसूची 14 – अन्य आय (VII-अन्य विविध आय)	बट्टे-खाते में वसूली	3,997	3.19
	आयकर रिफंड पर आय	1,622	1.29

ई. संबंधित पक्षों का प्रकटन (एएस - 18)

- I. संबंधित पक्षों की सूची
 - ए) सहायक कंपनियां
 1. यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लि.
 2. यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
 4. आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
 5. यूबीआई सर्विसेस लि.
 - बी) संयुक्त उद्यम
 1. स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
 2. एसआरईसी (इंडिया) लि.
 3. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद (06.11.2025 तक)
 - सी) सहयोगी संस्था
 1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भुगतान किए गए पारिश्रमिक
श्री आशीष पाण्डेय	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30.09.2025 से)	0.22
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.45
श्री रामसुब्रमणियन एस	कार्यपालक निदेशक	0.56
श्री संजय रुद्र	कार्यपालक निदेशक	0.37
श्री अमरेश प्रसाद	कार्यपालक निदेशक (24.11.2025 से)	0.16
सुश्री ए. मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (02.06.2025 तक)	0.08
श्री पंकज द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक (24.06.2025 तक)	0.09

ई) संबंधित पक्षों का लेनदेन एवं शेषराशि

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्ष	संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	कुल	संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	कुल
बकाया यथा	31.03.2026			31.03.2025		
उधार	--	--	--	--	--	--
जमा	--	--	--	--	--	--
जमा का स्थापन	--	--	--	--	--	--
अग्रिम	--	--	--	--	--	--
निवेश	50.00	--	50.00	50.00	--	50.00
गैर-निधिक प्रतिबद्धता	--	--	--	--	--	--
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का उपयोग किया गया	--	--	--	--	--	--
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	--	--	--	--	--	--
अधिकतम बकाया	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
उधार	--	--	--	--	--	--
जमा	--	--	--	--	--	--
जमा का स्थापन	--	--	--	--	--	--
अग्रिम	--	--	--	--	--	--
निवेश	50.00	--	50.00	50.00	--	50.00
गैर-निधिक प्रतिबद्धता	--	--	--	--	--	--
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का उपयोग किया गया	--	--	--	--	--	--
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	--	--	--	--	--	--
अन्य आस्तियां	14.79	--	14.79	14.20	--	14.20
वर्ष के दौरान	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
अचल आस्तियों की खरीद	--	--	--	--	--	--
अचल आस्तियों की बिक्री	--	--	--	--	--	--
ब्याज का भुगतान	--	--	--	--	--	--

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्ष	संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	कुल	संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	कुल
ब्याज अर्जित	3.87	--	3.87	3.87	--	3.87
सेवाएँ प्रदान करना	--	--	--	--	--	--
लाभांश का भुगतान	0.99	--	0.99	2.04	--	2.04
अन्य आय	235.95	--	235.95	256.36	--	256.36
प्रीमियम का भुगतान	917.78	--	917.78	1,037.61	--	1,037.61
ग्राहक हेतु प्राप्त दावे	346.19	--	346.19	684.16	--	684.16
प्रबंधन संविदा	--	--	--	--	--	--

पक्ष, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन किए गए

संबंधित पक्ष के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार “राज्य नियंत्रित उद्यम” हैं। इसके अतिरिक्त, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेनों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी सहायक कंपनियों तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ अपने लेन-देनों का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय विवरण – प्रस्तुति और प्रकटन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है।

एफ़. लीज (एएस 19)

परिचालन लीज पर लिया गया परिसर -

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के पास कोई भी अपरिवर्तनीय परिचालन लीज नहीं है। अतः एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि ₹998.34 करोड़ (विवर्त वर्ष ₹886.04 करोड़) दर्शाई गई है।

जी. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त निवल लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	--	--
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
प्रति शेयर मूल अर्जन परिकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
निवल लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	18,697.14	17,987.15
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	24.49	23.56
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	24.49	23.56
प्रति शेयर सांकेतिक वैल्यू (₹)	10	10



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

एच. कर हेतु प्रावधान (एएस-22)

आस्थगित कर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
आस्थगित कर आस्ति			
1.	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	598.98	559.24
2.	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	300.66	311.69
3.	अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	4,264.21	4,264.21
4.	प्रतिभूतियों पर एएफएस रिजर्व	267.91	(11.20)
5.	अन्य प्रावधान	247.78	268.66
6.	विशिष्ट मानक आस्तियों पर प्रावधान	893.12	445.97
कुल		6,572.64	5,838.57
आस्थगित कर देयताएं			
1.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	881.26	1,010.69
2.	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	2,077.79	2,008.68
3.	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व	99.29	79.82
कुल		3,058.34	3,099.19
निवल आस्थगित कर आस्तियां		3,514.30	2,739.38
निवल आस्थगित कर देयताएं		--	--

प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	5,483.91	5,491.92

कॉर्पोरेट कराधान:

वर्तमान और आस्थगित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है। वर्तमान कर लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर प्रदान किया जाता है। समयान्तर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनका निर्धारण लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है।

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो। वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है।

बैंक की भारत के बाहर दो शाखाएँ, अर्थात् सिडनी और दुबई में परिचालित हैं। दोनों क्षेत्राधिकार में पिलर टू विधायन लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, दुबई शाखा ने पिलर टू विधायन के अंतर्गत कर प्रदान किया है।

आई. संयुक्त उद्यम में निवेश (एएस-27)

संयुक्त उद्यमों में निवेश में ₹281.65 करोड़ (विवृत वर्ष ₹420.43 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक की स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसईआरसी (इंडिया) लिमिटेड में हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
संयुक्त उद्यम			
1.	स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.* (इक्विटी)	253.25	253.25
2.	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड (इक्विटी)	28.40	28.40
3.	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (06 नवंबर, 2025 से समाप्त हो गई) (इक्विटी)	--	138.78
4.	7.75% स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 24-11-2031 (डिबेंचर)	50	50
कुल		331.65	470.43

नोट: बैंक के पास कुआला लमपुर, मलेशिया में निगमित इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहद (आईआईबीएम) में ₹143.28 करोड़ का निवेश था, जो कि तीन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।

बैंक ने "वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (दिशानिर्देश), 2023" संबंधी आरबीआई परिपत्र के कार्यान्वयन के समय ₹4.50 करोड़ का नुकसान सामान्य आरक्षित में ट्रांज़िशन तिथि अर्थात् 01.04.2024 को दर्ज किया, तथा आईआईबीएम में निवेश का मूल्य उचित मूल्य पर घटाकर ₹138.78 करोड़ कर दिया गया।

इसके पश्चात, सभी शेयरधारकों ने आईआईबीएम के परिचालन से बाहर निकलने का निर्णय लिया। तदनुसार, एग्जिट प्लान को यूबीआई और आईआईबीएम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। आईआईबीएम के बैंकिंग लाइसेंस के सरेंडर तथा विनियामकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद, दिनांक 6 नवंबर, 2025 से एक परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंक को अपनी हिस्सेदारी के रूप में ₹133.63 करोड़ प्राप्त हुए और ₹5.15 करोड़ की निवल हानि को बैंक द्वारा वर्ष के दौरान लेखांकित किया गया।

जे. आस्तियों की क्षति (एस-28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात् यथा 31 मार्च, 2026 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षति होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है (विगत वर्ष – शून्य)।

के. आकस्मिक देयताएं (एस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है। वर्ष के दौरान, आकस्मिक देयताओं को बैंक की समीक्षा एवं रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप कॉन्ट्रा मर्दों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया।

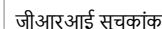
वर्तमान वर्ष के दौरान किसी भी बंद की गई परिचालन गतिविधियां नहीं थीं (एस-24 के अनुसार)।

एल. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स:

वर्ष के दौरान बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के मोचन के लिए अपनी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया है, जिसे पहले 2024-25 तक वास्तविक मोचन आधार पर लेखांकित किया गया था। तदनुसार, शीर्ष प्रावधान और आकस्मिकताओं के तहत ₹ 53,22,18,156 (विगत वर्ष: शून्य) की राशि दर्ज की गई है।

16. संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

वर्ष के दौरान बैंक की भूमि और भवन का उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2026 तक ₹1689.90 करोड़ की मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित (निवल) में जमा किया गया है। एस-10 (संशोधित) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर होने वाले मूल्यहास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में ₹173.46 करोड़ की कमी आई है।



(स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	कर से पहले निवल लाभ	24,18,104	23,47,907
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	1,18,788	1,07,102
	निवेशों के लिए प्रावधान	(1,09,889)	(3,23,672)
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	2,33,725	7,30,849
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,98,141	5,544
	स्टाफ संबंधी व्ययों के लिए प्रावधान	-	-
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	(374)	34,833
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	(703)	(221)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत	1,45,057	1,45,104
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	(3,060)	(2,809)
	आरक्षित से/में अंतरण	(3,09,731)	(1,98,091)
	कुल योग	26,90,058	28,46,546
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	34,64,452	50,71,852
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	8,55,714	5,62,162
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	25,24,406	(13,24,114)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1,02,10,140)	(90,04,574)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(32,34,929)	(1,37,470)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(32,205)	(70,570)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(39,42,644)	(20,56,168)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(3,18,655)	(1,64,150)
	अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के प्राप्ति	17,960	1,358
	अनुषंगी कंपनी में निवेश में (वृद्धि) / कमी	-	-
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	3,060	2,809
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(2,97,635)	(1,59,983)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्ति	-	-
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से आगम राशि प्राप्ति	3,00,000	-



स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	पूँजीगत लिखतों की चुकौती	(2,70,500)	-
	पूँजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	12,05,075	37,89,604
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूँजीगत लिखत	(1,45,057)	(1,45,104)
	वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(3,62,596)	(2,74,810)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	7,26,922	33,69,690
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	(35,13,357)	11,53,539
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,30,83,826	1,19,30,287
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	95,70,469	1,30,83,826
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	89,50,348	52,89,750
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	41,33,478	66,40,537
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,30,83,826	1,19,30,287
ई	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	66,47,282	89,50,348
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	29,23,187	41,33,478
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	95,70,469	1,30,83,826

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

आवश्यकतानुरूप, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037QEUXMV7450

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378EXZJRR5242

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169RBTNFAQ3928

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007SPWGYH9777

दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति/

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक"), इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्था और संयुक्त नियंत्रित इकाइयों (सामूहिक रूप से इसके बाद "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2026 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स सम्मिलित हैं, जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है-

ए. बैंक का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

बी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 विदेशी सहायक कंपनी, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण;

सी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों, 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों एवं 1 सहयोगी संस्था का अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगी संस्था के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्नलिखित समाहित है:

ए. समेकित तुलन पत्र के संदर्भ में, यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के कार्य-व्यवहार की वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति;

बी. उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के संदर्भ में लाभ की वास्तविक स्थिति; एवं

सी. उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में नकदी प्रवाह वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति.

अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ' अनुभाग में दिया गया है. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप समूह से स्वतंत्र हैं एवं हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों पर समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में विचार किया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाया गया है तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह प्रबंधित किया गया है
1	विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधानीकरण तथा निवेश यथा 31 मार्च, 2026 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 88.24% है। वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधानीकरण, विनियमों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित है। बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानीकरण हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है। बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है। चूंकि अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण हेतु प्रबंधन के महत्वपूर्ण स्तर के आकलन, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं को लागू करना और समग्र लेखापरीक्षा के लिए इसके महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	हमारा लेखापरीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित था क्योंकि शेषराशि एवं संबंधित हानि का प्रावधानीकरण महत्वपूर्ण है। हमारे लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में ऋणों के अनुमोदन, संवितरण एवं निगरानी पर नियंत्रण का आकलन और आईआरएसी तथा प्रावधानीकरण मानदंडों एवं इसकी परिचालन प्रभावकारिता के अनुपालन के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा शामिल है। इनमें निम्नलिखित मूल्यांकन और समझ शामिल हैं: • आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; • अनर्जक आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) की समय पर पहचान पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधानीकरण गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीद, बिक्री तथा होल्ड करने के निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण। • हमने यह आकलन करने के लिए ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि क्या उनकी समयानुसार अनर्जक के रूप में पहचान की गई थी, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण किया था। • हमने परीक्षण जांच के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने मैनुअल हस्तक्षेप की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की भी समीक्षा की है। • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में समग्र अनुपालन के संबंध में आश्वस्त होने के लिए हमने 'एसए 600-अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग' के अनुसार अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है। • हमने बैंक को सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, अधिवक्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य पेशेवरों द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की है। • इसके अतिरिक्त, हमने संभावित रूप से कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, की निगरानी करने की बैंक की प्रणाली की भी समीक्षा की है। • परीक्षण जांच के आधार पर, आरबीआई के सेंट्रल रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट ('सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों ('एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया गया। • हमने बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है। • निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा आय निर्धारण का सत्यापन किया गया, जिसमें अंक संबंधी सटीकता, डेटा की शुद्धता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण की जाँच सहित विस्तारपूर्ण परीक्षण किया गया। हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का जांच परीक्षण और मूल्यांकन किया है।

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह प्रबंधित किया गया है
2	वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण	
	वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं। प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं। बैंक के पास एक आंतरिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) का है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है। तदनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण हमारी लेखापरीक्षा प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी एप्लिकेशन, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है। लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली के लिए, हमारी लेखापरीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्वोरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे। विशेषतः - - हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। - हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त की गई रिपोर्ट शामिल है। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए /संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था। - हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैनुअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।
3	आस्थगित कर की पहचान एवं मापन	
	बैंक ने यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹3,52,48,779 ('000 में) के निवल आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है। वस्तुनिष्ठ आकलन के अतिरिक्त, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित निर्णयों एवं अनेक अनुमानों पर आधारित होता है। आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में हुई वृद्धि ने लंबे समय तक लाभ की उपलब्धता एवं पूर्वानुमान को माना है, जिससे अनिश्चितता एवं उक्त आस्ति की अनुचित पहचान के अंतर्निहित जोखिम में वृद्धि हुई है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमों की समझ प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल था। हमारी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों जाँचों का कार्यनिष्पादन किया। हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: - आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन; - एकरूपता, प्रबंधन प्रतिनिधित्व, स्थिरता एवं निरंतरता के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली विधि, मान्यताओं और अन्य मापदंडों का आकलन किया जैसे कि प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट एवं मध्यावधि अनुमान जिसमें आय वृद्धि एवं लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया। - लाभ की उपलब्धता एवं दृश्यता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिसके सापेक्ष बैंक भविष्य में ऐसे आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा।



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह प्रबंधित किया गया है
4	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे	हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। हमने प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के गतिविधियों पर निर्भर करती है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं। हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा विधिक राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/व्यापिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में परिवर्तित होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।
	अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 का नोट सं. 17 और अनुसूची 18 का नोट सं. 9.2). प्रावधानीकरण के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित होता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रदर्शित स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के सापेक्ष कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं वाद अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे। तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अपरिमेय हैं। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर जारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बैंक की निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट का अनुलग्नक, यदि कोई हो, शामिल हैं, जो इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त अन्य जानकारी को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या यह अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किसी महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या अन्यथा यह किसी महत्वपूर्ण त्रुटि का संकेत देती है।

जब हम बैंक के निदेशक की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो, को पढ़ते हैं, तो यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें यह बात गवर्नर्स के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नर्स हेतु प्रभारित व्यक्ति की जिम्मेदारियां

- बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है, जो इसकी सहयोगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश का लेखांकन' तथा लेखांकन मानक 27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रासंगिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व

बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशा-निर्देशों एवं निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

इस जिम्मेदारी में उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव शामिल है ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमित्यताओं की पहचान एवं रोकथाम की जा सके, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं कार्यान्वयन किया जा सके; तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किया जा सके; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन किया जा सके, जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करें, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, ताकि वे सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करें तथा किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हों।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, संबंधित संस्थाओं के निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी होती है कि वे संबंधित समूह इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की क्षमता का आकलन करें, तथा जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करें और लेखांकन का आधार 'कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखना' ही रखें, जब तक कि निदेशक मंडल समूह का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, अथवा उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थ विकल्प न हो।

समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल, संबंधित समूह संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

- हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा ही लेगा। गलत विवरण, धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकता है एवं उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हों।

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। साथ ही:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण गलत विवरण को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन में 'कार्यशील संस्था' के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो समूह संस्था को कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, एवं यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक निष्पक्ष प्रस्तुति हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तथात्मक एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के साथ-साथ, लेखा परीक्षण की नियोजित परिधि और समय-सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में संचार करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षण के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ भी शामिल होती हैं।

हम गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी आश्वस्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनके साथ उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों की जानकारी साझा करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

गवर्नेस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि किसी कानून या विनियमन द्वारा ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणाम, सार्वजनिक हित में उस जानकारी के प्रकटीकरण से होने वाले लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य मामले

- हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 5 सहायक कंपनियों तथा 3 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कुल आस्ति ₹15,75,17,467 (हजार में) तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 3,59,47,906 (हजार में) तथा उसी वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ ₹ 8,34,971 (हजार में) प्रदर्शित है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के निवल लाभ में ₹64,95,811 (हजार में) की हिस्सेदारी भी शामिल है, जो एक सहयोगी संस्था के संबंध में है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें

प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारा अभिमत पूर्णतः उन अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराई गई है, और जहाँ तक इन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारा अभिमत पूर्णतः ऐसे समीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मत में तथा बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों पर हमारे द्वारा किए गए निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
उपर्युक्त पैराग्राफ 5, 6 और 7 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एवं अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्था और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि "अन्य मामले" पैराग्राफ में उल्लेखित है, जहाँ तक लागू हो तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि:
ए) हमारे द्वारा सभी अपेक्षित जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
बी) बैंक के लेन-देन, जो हमारी जानकारी में आए, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा
सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
- जैसा कि आरबीआई द्वारा जारी «सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व» से संबंधित दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 द्वारा अपेक्षित है, जो दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित है, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- ए) हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी है, उन बहियों की जांच एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
- बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित यह रिपोर्ट खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा और कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उनपर समुचित रूप से विचार किया गया है।
- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है तथा आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

- ई) चूंकि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से निरहता बैंक पर लागू नहीं होती है।

भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार यथा दिनांक 31 मार्च, 2026 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरहित नहीं है।

- एफ) लेखों के रखरखाव तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई भी आपत्ति, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

- जी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 000580S / S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 101794W

कृते जी एस माथुर एंड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफ़आरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 026037
 यूडीआईएन: 26026037ZQZQNN9672

सीए अशोक कुमार डांगीच
 भागीदार
 सदस्यता सं. 071378
 यूडीआईएन: 26071378KUFVPF2103

सीए नितेश जैन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 136169
 यूडीआईएन: 26136169HBHZZRW7084

सीए राजीव कुमार वाधवन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 091007
 यूडीआईएन: 26091007YUKADZ5499

दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

स्थान: मुंबई



समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2026

(₹. 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
पूँजी और देनदारियां			
पूँजी	1	7,63,36,056	7,63,36,056
सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूँजी	1ए	10,40,035	10,40,035
शेयर आवेदन राशि	1बी	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	1,25,81,36,766	1,06,09,64,691
अल्पांश हित	2ए	-	-
जमाराशियाँ	3	13,09,75,86,931	12,74,78,87,406
उधार	4	77,79,78,657	64,99,24,182
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	66,39,48,486	57,71,41,863
कुल		15,87,50,26,931	15,11,32,94,233
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	66,47,66,347	89,50,84,967
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	29,56,67,225	41,67,95,258
निवेश	8	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568
अग्रिम	9	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
अचल आस्तियां	10	11,65,98,140	9,82,40,935
अन्य आस्तियां	11	78,98,89,505	51,68,52,748
समेकन पर साख		-	-
कुल		15,87,50,26,931	15,11,32,94,233
आकस्मिक देयताएं	12	6,38,90,63,451	5,09,86,99,593
संग्रहण के लिए बिल		58,79,78,332	50,91,34,855
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
लेखा से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037ZQZQNN9672

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378KUFVPF2103

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169HBHZRW7084

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007YUKADZ5499

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.04.2026

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹. 000' में)

विवरण	अनुसूची क्र.	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	1,06,79,88,991	1,06,60,02,317
अन्य आय	14	21,60,06,243	21,56,19,834
कुल		1,28,39,95,234	1,28,16,22,151
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	69,47,73,321	68,91,62,784
परिचालन व्यय	16	30,20,57,295	28,04,41,964
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		9,93,58,324	13,28,05,779
कुल		1,09,61,88,940	1,10,24,10,527
III. सहायक कंपनियों में (I-II) अल्पांश हित से पूर्व समेकित निवल लाभ/(हानि) एवं अर्जन में हिस्सेदारी		18,78,06,294	17,92,11,624
जोड़ें : सहायक कंपनियों में लाभ की हिस्सेदारी		64,95,811	10,57,884
अल्पांश हित का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि)		19,43,02,105	18,02,69,508
(घटाएँ):- अल्पांश हित समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)		19,43,02,105	18,02,69,508
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण			
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		58,32,043	58,32,043
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		20,01,34,148	18,61,01,551
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		5,51,67,450	4,49,67,865
आरक्षित पूंजी में अंतरण		57,36,728	33,97,295
निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षित में अंतरित		32,00,000	-
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		8,49,97,070	8,88,11,699
पौएनसीपीएस पर लाभांश के लिए प्रावधान		-	-
लाभांश कर		-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)]		27,46,940	68,33,022
निवेश आरक्षित खाते में अंतरण		-	-
प्रस्तावित लाभांश		3,81,68,028	3,62,59,627
लाभ हानि खाते में शेष		1,01,17,932	58,32,043
कुल		20,01,34,148	18,61,01,551
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) अंकित मूल्य रु.10 प्रत्येक		25.45	23.62
प्रमुख लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखों पर नोट्स	18		

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037ZQZQNN9672

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378KUFVPF2103

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169HBHZZRW7084

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007YUKADZ5499

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.04.2026



समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2026

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
₹10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्किटी शेयर	10,00,00,000	10,00,00,000
II निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता:		
i. भारत सरकार द्वारा धारित, ₹10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्किटी शेयर (विगत वर्ष 570,66,60,850 इक्किटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. जनता द्वारा धारित, ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्किटी शेयर (विगत वर्ष 1,92,69,44,757 इक्किटी शेयर)	1,92,69,447	1,92,69,447
कुल	7,63,36,056	7,63,36,056

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शेयर पूंजी :		
17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग्स इंक (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा निर्गत) को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹10/- के 10,40,03,544 सहभागी अमोचनीय अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर	10,40,035	10,40,035
कुल	10,40,035	10,40,035

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :		
I. सांविधिक आरक्षित :		
प्रारंभिक शेष	24,71,57,980	20,21,90,115
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,51,67,450	4,49,67,865
वर्ष के दौरान कमी	6,97,252	-
	30,16,28,178	24,71,57,980
II. आरक्षित पूंजी :		
ए) आरक्षित पूंजी :		
प्रारंभिक शेष	6,49,08,606	6,15,11,311
वर्ष के दौरान वृद्धि	57,36,728	33,97,295
वर्ष के दौरान कमी	8,400	-
	7,06,36,934	6,49,08,606
बी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
प्रारंभिक शेष	5,46,52,615	5,64,44,174
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,68,98,903	2,06,150
वर्ष के दौरान कमी	17,34,620	19,97,709
	6,98,16,898	5,46,52,615

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2025	
सी) समामेलन आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	1,30,95,979		1,30,95,979	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,30,95,979	15,35,49,811	1,30,95,979	13,26,57,200
III) समेकन पर आरक्षित पूंजी				
प्रारंभिक शेष	1,66,015		1,20,151	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,67,01,619		45,864	
वर्ष के दौरान कमी	29,467	2,68,38,167	-	1,66,015
IV. शेयर प्रीमियम :				
प्रारंभिक शेष	25,72,82,681		25,59,48,045	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		13,34,636	
वर्ष के दौरान कमी	13,34,636	25,59,48,045	-	25,72,82,681
V. आरक्षित निधि राजस्व :				
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
प्रारंभिक शेष	30,75,24,702		21,32,94,527	
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,51,93,548		9,44,36,325	
वर्ष के दौरान कमी	-4,413		2,06,150	
	40,27,22,663		30,75,24,702	
घटाएँ:- अल्पांश ब्याज	-		-	
	40,27,22,663		30,75,24,702	
ii) राजस्व आरक्षित - ट्रेजरी :				
प्रारंभिक शेष	1,59,33,407		-	
अवधि / वर्ष के दौरान वृद्धि	-		1,59,33,407	
अवधि / वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,59,33,407		1,59,33,407	
iii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	7,98,10,811		7,29,77,789	
वर्ष के दौरान वृद्धि	27,46,940		68,33,022	
अवधि / वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	8,25,57,751		7,98,10,811	
iv) एफ़एक्स स्वेप पर विशेष आरक्षित लाभ				
प्रारंभिक शेष	58,485		60,346	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		1,861	
	58,485		58,485	
v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	1,38,14,015		1,38,14,015	
वर्ष के दौरान वृद्धि	32,00,000		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,70,14,015		1,38,14,015	



समेकित तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2025	
vi) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	-1,73,155		-16,273	
वर्ष के दौरान वृद्धि	15,91,355		2,98,432	
वर्ष के दौरान कमी	17,07,403		4,55,314	
	-2,89,203		-1,73,155	
vii) डिबेंचर मोचन आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	31,375		31,375	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	31,375	51,80,28,493	31,375	41,69,99,640
VI. निवेश आरक्षित खाता				
प्रारंभिक शेष	-		32,96,872	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-	-	32,96,872	-
VII. एएफएस आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	8,69,132		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	87,532		8,69,132	
वर्ष के दौरान कमी	89,30,525	-79,73,861	-	8,69,132
VII. लाभ हानि खाते में शेष				
लाभ हानि खाते में शेष	1,01,17,932	1,01,17,932	58,32,043	58,32,043
कुल		1,25,81,36,765		1,06,09,64,691

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2025	
अनुसूची 2 ए अल्पांश हित				
प्रारंभिक शेष				
(मूल-कंपनी-सहायक कंपनी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पांश ब्याज)				
जोड़े/(घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/(घटाएँ)				
कुल अल्पांश ब्याज		-		-

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2026	
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	1,47,73,182		1,01,66,991	
ii) अन्य से	82,53,56,291	84,01,29,473	85,28,05,074	86,29,72,065
II. बचत बैंक जमाराशियां		3,75,99,93,881		3,39,92,44,413
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	10,03,04,740		59,20,962	
ii) अन्य से	8,39,71,58,837	8,49,74,63,577	8,47,97,49,966	8,48,56,70,928
कुल		13,09,75,86,931		12,74,78,87,406
भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		13,05,95,98,261		12,71,41,24,689
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,79,88,670		3,37,62,717
कुल		13,09,75,86,931		12,74,78,87,406

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2025	
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) भारत में उधार				
i. भारतीय रिजर्व बैंक	4,00,00,000		-	
ii. अन्य बैंक	-		-	
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	23,94,10,183		6,18,12,879	
iv. बेमीयादी बॉन्ड्स - टियर I	7,98,30,000		9,68,80,000	
v. गौण बॉन्ड्स - टियर II	6,95,00,000		7,95,00,000	
vi 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्ड्स	3,00,00,000	45,87,40,183	-	23,81,92,879
बी) भारत से बाहर उधार		31,92,38,474		41,17,31,303
कुल		77,79,78,657		64,99,24,182
(ए) एवं (बी) में सम्मिलित जमानती उधार		4,00,00,000		-

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2026
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,99,00,397	2,75,02,187
II. उपचित ब्याज	5,17,32,438	6,36,11,186
III. अन्य (प्रावधान सहित)	58,23,15,651	48,60,28,490
IV. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	-	-
कुल	66,39,48,486	57,71,41,863



समेकित तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व में नकदी एवं जमा शेष:		
I. धारित नकदी	1,94,47,797	1,74,41,812
(विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष		
चालू खाते में	38,49,88,550	47,63,30,845
अन्य खाते में	26,03,30,000	40,13,12,310
कुल	66,47,66,347	89,50,84,967

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि :		
I) भारत में		
i) बैंकों में जमा शेष		
ए) चालू खातों में	10,72,898	15,57,141
बी) अन्य जमा खातों में	10,30,111	4,16,522
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
ए) बैंकों से	2,00,000	-
बी) अन्य संस्थाओं से	15,30,03,551	49,95,224
	15,53,06,560	69,68,887
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	92,03,480	92,72,430
ii) अन्य जमा खातों में	13,11,57,185	39,94,91,434
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	10,62,507
	14,03,60,665	40,98,26,371
कुल	29,56,67,225	41,67,95,258

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 8 - निवेश:		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,65,36,91,009	2,85,79,96,563
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	2,06,50,717	1,67,97,932
iii) शेयरों में	5,58,57,608	4,66,33,695
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स में	54,93,72,106	56,94,91,559
v) एसोसिएट में	4,72,49,469	68,22,233
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	7,67,33,261	8,81,97,269
	3,40,35,54,170	3,58,59,39,251

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	3,02,41,777	3,04,57,290
ii) शेयरों में	-	-
iii) अन्य निवेश (बांडों में)	24,34,581	26,37,027
iv) एसोसिएट में	-	-
	3,26,76,358	3,30,94,317
कुल	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568
III. भारत में निवेश		
सकल मूल्य	3,44,65,31,049	3,63,94,22,901
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	4,29,76,879	5,34,83,650
भारत में निवेश का निवल मूल्य	3,40,35,54,170	3,58,59,39,251
IV) भारत से बाहर निवेश		
सकल मूल्य	3,28,17,167	3,32,21,289
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	1,40,809	1,26,972
भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य	3,26,76,358	3,30,94,317
कुल	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
ए.		
i) खरीदे और भुनाए गए बिल	5,55,37,388	3,66,35,915
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकोती योग्य ऋण	4,68,86,91,468	4,84,90,14,895
iii) मीयादी ऋण	5,82,76,46,330	4,68,16,35,947
कुल	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
बी.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*	8,27,41,80,522	7,90,12,05,263
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	7,89,74,343	10,95,68,346
iii) प्रतिभूति-रहित	2,21,87,20,321	1,55,65,13,148
कुल	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
*बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित	-	-
ए. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3,53,42,76,588	3,16,37,65,065
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,11,66,19,859	1,01,80,99,768
iii) बैंक	1,70,134	1,29,342
iv) अन्य	5,50,91,05,369	5,02,64,98,850
	10,16,01,71,950	9,20,84,93,025



समेकित तुलन पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
बी. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्य	18,79,94,948	6,41,94,478
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	2,03,235	5,24,875
बी) सिंडीकेटेड ऋण	-	-
सी) अन्य	22,35,05,053	29,40,74,379
	41,17,03,236	35,87,93,732
कुल	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां		
I परिसर		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	9,57,52,672	9,43,18,359
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,66,59,267	14,41,835
वर्ष के दौरान कमी	12,769	7,522
	11,23,99,170	9,57,52,672
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	3,35,75,620	7,88,23,550
		3,15,25,932
		6,42,26,740
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्ड सहित)	-	-
II (ए) भूमि		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	37,09,840	35,19,663
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,93,659	1,90,177
वर्ष के दौरान कमी	-	-
	43,03,499	37,09,840
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	14,18,073	28,85,426
		13,96,816
		23,13,024
II (बी) अन्य		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	9,38,81,677	8,56,31,311
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,11,59,310	1,08,80,835
वर्ष के दौरान कमी	1,40,19,109	26,30,469
	9,10,21,878	9,38,81,677
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	6,23,64,240	2,86,57,638
		6,75,46,538
		2,63,35,139
II (सी) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	1,61,43,310	1,27,43,864
वर्ष के दौरान वृद्धि	37,71,644	39,34,823
वर्ष के दौरान कमी	3,77,537	5,35,377
	1,95,37,417	1,61,43,310
आज की तारीख तक परिशोधन	1,39,47,529	55,89,888
		1,13,64,559
		47,78,751

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
II (डी) पट्टे पर दी गई आस्तियां		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	2,68,478	2,68,478
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान कमी	1,87,379	2,65,352
	81,099	3,126
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	81,099	3,126
कुल (I और II)	11,59,56,502	9,76,53,654
III. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	5,87,716	3,58,942
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,76,878	6,23,640
वर्ष के दौरान कमी	4,22,956	3,95,301
कुल (I, II और III)	11,65,98,140	9,82,40,935

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :		
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	4,66,30,917	2,93,44,286
II. उपचित ब्याज	11,80,67,434	11,10,10,044
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल)	4,30,23,290	3,48,23,415
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	61,792	64,823
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1,334	1,334
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3,52,48,779	2,74,58,984
VII. अन्य	54,68,55,959	31,41,49,862
VIII. एमएटी क्रेडिट	-	-
कुल	78,98,89,505	51,68,52,748

(₹. 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2025
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं :		
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	13,22,100	11,14,957
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	2,67,689	68,322
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	5,01,67,29,645	3,68,98,53,083
IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी		
i) भारत में	73,05,73,179	70,73,94,487
ii) भारत से बाहर	69,46,618	1,04,77,141
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	33,21,95,178	35,13,58,237
VI. आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	24,26,18,200	29,39,57,431
ii) पूंजी प्रतिबद्धता	42,75,805	35,74,605
iii) डीईएफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	5,41,35,037	4,09,01,330
कुल	6,38,90,63,451	5,09,86,99,593



समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹. 000' में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर बढ़ा	80,09,84,540	79,25,58,271
II. निवेशों से आय	22,87,27,229	23,63,07,856
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	3,16,24,022	3,30,77,552
IV. अन्य	66,53,200	40,58,638
कुल	1,06,79,88,991	1,06,60,02,317

(₹. 000' में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,72,64,269	2,64,94,745
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	2,51,75,185	2,23,23,612
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	37,17,979	1,14,91,455
IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	70,311	22,124
V. विनिमय लेन-देन से लाभ - (निवल)	1,12,16,340	82,59,537
VI. ए) पट्टा वित्त आय	-	-
बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क	-	-
सी) अतिदेय शुल्क	-	-
डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज	-	-
VII. विविध आय	14,85,62,159	14,70,28,361
कुल	21,60,06,243	21,56,19,834

(₹. 000' में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमा राशियों पर ब्याज	65,32,93,863	64,70,81,114
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	2,74,80,286	2,60,34,198
III. अन्य	1,39,99,172	1,60,47,472
कुल	69,47,73,321	68,91,62,784

(₹. 000' में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	15,68,73,138	14,99,63,027
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	1,40,43,185	1,20,08,086
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	13,79,478	13,53,106
IV. विज्ञापन और प्रचार	14,90,141	14,34,981
V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	1,20,38,742	1,08,38,813
बी) पट्टा आस्तियों वाली बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,09,960	83,598
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	9,02,709	7,09,580
VIII. विधिक प्रभार	16,76,127	18,92,973
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	47,80,674	42,91,758
X. मरम्मत एवं रखरखाव	52,26,169	42,68,410
XI. बीमा	1,31,91,086	1,41,63,925
XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	9,03,45,886	7,94,33,707
कुल	30,20,57,295	28,04,41,964



समेकित आधार पर 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची 17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण हेतु)

पृष्ठभूमि:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई या बैंक) एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगा हुआ है। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा नियंत्रित होता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नलिखित हैं अर्थात्, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत और बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नलिखित हैं।

1. प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत और लेखांकन के संचयी आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, कार्यशील संस्था की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है। विदेश में स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है।

3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संस्था है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रकृति	इकाई	हिस्सेदारी
1	सहायक कंपनी	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दार्जिलिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	25.00%
9	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

* 6 नवंबर, 2025 तक

नोट: वित्तीय वर्ष 2026-27 नीति के लिए इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- 1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखापरीक्षित खाते
- 2) **सहायक कंपनियों का समेकन :** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एस21- के क्रम में अन्तःसमूह लेन-देन, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मूल बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं का पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण है।
- 3) **सहयोगी संस्थाओं का समेकन:** सहयोगी संस्थाओं में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इकिटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है।
- 4) **संयुक्त उद्यमों का समेकन:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

बी) घरेलू सहयोगी संस्था/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के मामले में, मूल बैंक और सहयोगी संस्था/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और व्यावहारिक समस्याओं के कारण सहयोगी संस्था/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इन राशियों को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

सी) सहायक कंपनियों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायक कंपनियों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी आरक्षित, जैसा भी मामला हो के रूप में पहचाना गया है।

डी) समेकित सहायक कंपनी के निवल आस्तियों में निम्नलिखित अल्पांश ब्याज शामिल हैं:

- वह इक्विटी की राशि जो सहायक कंपनी में निवेश की तिथि पर अल्पांश से संबंधित होती है, और
- मूल एवं सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आने की तिथि से, अब तक राजस्व आरक्षित निधि / हानि में तथा इक्विटी में हुए परिवर्तनों में अल्पांश शेयर।
- अल्पांश को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुलांश हित के सापेक्ष केवल उस सीमा तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पांश के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुकसानों को पूरा करने में सक्षम है।

4. राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की जाती है।
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से संबंधित आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार वसूल की गई सीमा तक की जाती है। पिछले वर्ष में हुई आय और शेष अप्राप्त आय की वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में मान्यता रद्द कर दी जाती है।
- साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी और सरकारी कारोबार पर कमीशन की गणना अवधि के दौरान उपचय एवं अनुपातिक आधार पर की जाती है।
- अर्जित विनिमय एवं ब्रोकरेज, सेफ जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम शेष शुल्क आदि का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
- “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) का निर्धारण, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार किया गया है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, यह केवल विक्रय/रिडेम्प्शन के समय ही निर्धारित जाती है।

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर आय के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया जाता है।

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचय के आधार पर की जाती है।

vii) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया जाता है।

viii) आयकर रिफंड पर ब्याज का लेखांकन आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया जाता है।

बी) गैर - बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (जीएसटी को हटाकर) देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। लिंकड कारोबार के मामले में, प्रीमियम को तभी आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब संबंधित इकाई का सृजन किया जाता है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाता है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं। पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम दिया जाता है।

ii) लिंकड फंड से आय

लिंकड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, फंड प्रबंधन प्रभार आदि शामिल हैं, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड फंड से वसूल किया गया है।

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत का लेखांकन प्रीमियम आय निर्धारण के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार किया गया है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन को पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के सापेक्ष समायोजित किया जाता है।

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल होते हैं। मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों का लेखांकन सूचना प्राप्त होने पर किया जाता है। उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों का लेखांकन देय होने पर किया जाता है। संबंधित यूनिट्स निरस्त होने पर लिंकड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण का संबंधित योजना में लेखांकन किया जाता है। दावों पर पुनर्बीमा से वसूली का लेखांकन उसी अवधि में किया जाता है जिसमें संबंधित दावे दर्ज किए जाते हैं।



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं और उस अवधि में खर्च होती हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमाकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमाकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम आरक्षित पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमाकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इस्टिम्यूट ऑफ एक्चुरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया जाता है।

आस्ति प्रबंधन

- निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार निर्धारण किया गया है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- निवेश सलाहकार शुल्क का निर्धारण ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर किया जाता है।
- ब्याज आय का निर्धारण समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, लेनदेन में निहित दर के आधार पर किया जाता है
- लाभांश आय का निर्धारण तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

5. वसूली का विनियोजन:

ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से की गई वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

- जब देनदार और लेनदार के बीच ऐसा कोई करार नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा:

मीयादी ऋण हेतु:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए।
- एनपीए की तिथि को प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज के लिए।
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए।
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए।
- मूलधन के लिए।

चल खातों हेतु:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए।
- एनपीए होने के समय प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज सहित छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए।
- रनिंग लेजर बकाया के लिए

5.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का निर्धारण करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा।

5.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, समाधान/ परिसमापन के माध्यम से वसूली:

वसूली का विनियोजन नीचे वर्णित के अनुसार या मंजूरी शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

- मूलधन के लिए
- एनपीए होने के समय प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज सहित छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए।
- व्यय और लागत आदि के लिए।

5.4 अनर्जक निवेशों के मामले में, वसूली को नीचे उल्लिखित के अनुसार विनियोजित किया जाता है:

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए।

बी. एनपीआई की तिथि को प्रत्यावर्तित वसूली न किए गए ब्याज के लिए।

सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अप्रभारित ब्याज) के लिए।

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ ईएमआई की बकाया राशि के लिए।

ई. रनिंग लेजर बकाया के लिए

ऊपर निर्दिष्ट के अतिरिक्त एनपीए के खाते में की गई कोई भी वसूली, बैंक की वसूली प्रबंधन नीति के अनुरूप की जाती है

5.5 विफल ओटीएस के मामले में:

यदि कोई ओटीएस असफल/निरस्त हो जाता है, तो निरस्तीकरण से पहले प्राप्त वसूली को इस नीति के बिंदु संख्या 5.3 के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए, लेकिन ओटीएस निरस्त होने के बाद प्राप्त वसूली को इस नीति के उपरोक्त बिंदु संख्या 5.1 के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए।

6. निवेश

6.1. निवेश का वर्गीकरण

ए) बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों, अर्थात्-परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित

मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत करेगा। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप श्रेणी है। निवेश की श्रेणी का निर्धारण बैंक द्वारा अधिग्रहण से पूर्व या अधिग्रहण के समय किया जाता है तथा इस निर्णय का उचित रूप से प्रलेखन किया जाता है।

बी) बैंक बीआर अधिनियम (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- (iii) शेयर
- (iv) डिबेंचर और बॉन्ड
- (v) सहायक कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम
- (vi) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)

सी) मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ से, निवेश निम्नलिखित में से कोई एक है:

- (i) किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 1" वे इनपुट होते हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन्हें बैंक मापन तिथि पर एक्सेस कर सकता है। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।
- (ii) किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 2" वे इनपुट होते हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अतिरिक्त हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।
- (iii) किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में "स्तर 3" अप्राप्य इनपुट होते हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है।

6.1.1. एचटीएम

ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

- (i) प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य के साथ प्राप्त किया जाता है, अर्थात्, वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और
- (ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर बकाया मूलधन ('एसपीपीआई मानदंड') पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान होती हैं।

बी) इस आशय के बावजूद कि निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ किस उद्देश्य से अधिग्रहित की गई हैं, ये एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, अतः ये एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

- (i) अनिवार्य, वैकल्पिक या आकस्मिक परिवर्तनीय सुविधाओं वाले लिखत।
- (ii) संविदात्मक हानि अवशोषण सुविधाओं वाले लिखत जैसे कि बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए पात्र लिखत।
- (iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई के "मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025" दिनांक 28-11-2025 के खंड 4(a) (xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति में नहीं हैं, जिसका उल्लेख यहां "आरबीआई मास्टर परिपत्र" के रूप में किया गया है।
- (iv) अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर।

सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने के लिए माना जाता है यदि वह अंश जिसमें निवेश किया गया है निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- (i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं, जोकि बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान मात्र हैं।
- (ii) वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है।
- (iii) अंश का ऋण जोखिम आस्तियों के संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

6.1.2. एएफएस

- ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:
- (i) प्रतिभूति एक उद्देश्य के साथ प्राप्त की जाती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने, दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और
 - (ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं जैसा कि आरबीआई मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 6.1(ए)(ii) में दिया गया है।

बशर्ते कि प्रारंभिक निर्धारण पर, एक बैंक एक इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकता है जो एएफएस के अंतर्गत कारोबार के उद्देश्य से धारित नहीं है (अर्थात्, आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 1 के पैराग्राफ 41 (3) में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए धारित नहीं किया गया है)।

- बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां परिपक्वता तक धारित करने या परिपक्वता से पहले बिक्री करने के संबंध में बैंक की मंशा लचीली है।

6.1.3 एफवीटीपीएल

- ए) जो प्रतिभूतियां एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के लिए पात्र नहीं होती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (i) इक्विटी शेयर, निम्नलिखित को छोड़कर (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर और (बी) इक्विटी शेयर, जहां प्रारंभिक निर्धारण पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।
 - (ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, अवसंरचना निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
 - (iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन की इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंश में निवेश की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 6.1 (सी) में दिए गए एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन में हों।
 - (iv) बॉन्ड, डिबेंचर आदि जहां भुगतान किसी विशेष सूचकांक में उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है जैसे कि ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय इक्विटी सूचकांक।
 - (v) उप-खंड 36 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, आरबीआई मास्टर परिपत्र के उप-खंड 40 (1) में निर्दिष्ट इक्विटी के अपवाद के अधीन।

6.1.4 एचएफटी

एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के अंतर्गत निवेश का वर्गीकरण आरबीआई मास्टर परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

6.1.5 सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात् ऐसे निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है।

6.2 प्रारंभिक निर्धारण

6.2.1 सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण के समय उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ से पता चलता है कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

ऐसी स्थितियाँ जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाता है, उनमें शामिल हैं:

ए. संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन।

बी. दबाव में हो रहा लेन-देन, जहां एक पक्ष को लेन-देन में कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा जाता है।

सी. उक्त वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया गया लेन-देन।

डी. अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनुमान का परीक्षण किया जाता है।

6.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (गतिविधि सहित), स्विक परिचालनों और खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से अर्जित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है वह प्रारंभिक निर्धारण प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होता है।

6.2.3 जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य, बाजार अवलोकन योग्य इनपुट (जैसे प्रतिफल वक्र, क्रेडिट प्रसार, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी प्रथम दिन लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है, जो अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत: सबहेड 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के भीतर, जैसा भी मामला हो, दर्शाया जाता है।

6.2.4 स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथम दिन की हानि का तुरंत निर्धारण किया जाता है।

6.2.5 स्तर 3 निवेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रथम दिन लाभ को आस्थगित कर दिया जाता है। ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन लाभ को परिपक्वता तिथि (या स्थायी लिखतों के लिए सबसे पहली कॉल की तारीख) तक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि अनकोटेड इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध नहीं की जाती अथवा उसकी मान्यता समाप्त नहीं हो जाती है।

6.3 अनुवर्ती मापन

6.3.1 एचटीएम

ए) एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों को लागत पर वहन किया जाता है और उन्हें प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाजार में चिह्नित (एमटीएम) नहीं किया जाता है। तथापि, वे भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अध्याय X में यथा विनिर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अधीन हैं।

बी) एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है, तथा इसके समतुल्य प्रविष्टि अनुसूची 8: 'निवेश' में दर्शाई जाती है।

6.3.2 एफएस

ए) एफएस में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर एक बार अवश्य किया जाता है। एफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत मद II 'निवेशों पर आय' में दर्शाया जाता है, तथा इसके समतुल्य प्रविष्टि अनुसूची 8: 'निवेश' में दर्शाई जाती है।

बी) एफएस के अंतर्गत धारित सभी कार्यनिष्पादक निवेशों, वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड और डिबेंचर इत्यादि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एफएस रिजर्व नामक आरक्षित निधि में जमा या उससे डेबिट किया जाता है।

सी) एफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय X में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं।

डी) आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 87 के अधीन एफएस-रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाता है। एफएस-रिजर्व में अंतरित किए गए अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

ई) एफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में निर्धारित होती है।

एफ) प्रारंभिक निर्धारण के समय एफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इस तरह के लाभ या हानि को एफएस-रिजर्व से आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया जाता है।

6.3.3. एफवीटीपीएल

ए) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्य है और ऐसे मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का मूल्य यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है।

बी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि, अनुसूची 8: में एक कोट्टा: 'निवेश' सहित अनुसूची 13: के II मद 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होती है।

सी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आरबीआई मास्टर निर्देश में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं।



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

6.3.4. सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश

- ए) सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारण किए जाते हैं, जो आरबीआई मास्टर निर्देश की आवश्यकताओं के अधीन है।
- बी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': 'अर्जित ब्याज' के अंतर्गत परिलक्षित होती है।
- सी) ऐसे मामले में जहां पहले से ही किसी ऐसी इकाई में निवेश है जो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित इकाई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:
- जहां निवेश एचटीएम के तहत धारण किया जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य ही संशोधित वहन मूल्य होता है।
 - जहां कोई निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पूर्व में प्राप्त संचयी लाभ और हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित कर दिया जाता है, ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त हो सके।
 - जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशग्राही के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि को उचित मूल्य, वहन मूल्य के रूप में लिया जाता है।
- डी) जब कोई निवेशग्राही सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:
- जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है और फलस्वरूप किसी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
 - जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहाँ ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि का उचित मूल्य ही, संशोधित वहन मूल्य होता है। एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

ई) किसी सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और फिर लाभ और हानि खाते से नीचे की रेखा में 'आरक्षित पूंजी खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि, करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर प्राप्त की जाती है।

एफ) बैंक सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर करेगा। संभावित हानि के संकेतकों की एक गैर-व्यापक सूची निम्नानुसार है:

- संस्था ने अपने ऋण दायित्वों के चुकौती में चूक की है।
- किसी बैंक के साथ संस्था की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- संस्था की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- संस्था को लगातार तीन वर्ष तक घाटा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण" शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाती है। बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन के साथ और भी अधिक परिमित प्रारंभिक सीमा लागू कर सकते हैं।
- संस्था की किसी भी या सभी बकाया प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कर दिया गया है, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने का खतरा है।

किसी नई संस्था / परियोजना के मामले में जहां ब्रेक-ईवन बिंदु प्राप्त करने की मूल अनुमानित तारीख बढ़ा दी गई है अर्थात् संस्था/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या हानि सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम के संबंध में हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करता है और हानि, यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान करता है। इस तरह की कमी, लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। यदि कमी का प्रत्यावर्तन होता है तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

6.4 श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

जहां कहीं भी बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, वह आरबीआई के बोर्ड और डीओएस के अनुमोदन के अधीन नीचे दी गई तालिका में दिए गए लेखांकन उपाय को लागू करेगा:

क्र.	पूर्व श्रेणी	पुनर्वर्गीकृत श्रेणी	लेखांकन उपाय
ए		एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होता है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में दर्शाया जाता है।
बी	एचटीएम	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर आकलित उचित मूल्य, संशोधित वहन मूल्य होता है। निवेश के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
सी	एएफएस	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों को उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, एएफएस-रिजर्व में पहले निर्धारित संचयी लाभ/हानि को उसमें से वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य के निर्धारण के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित किया जाता है। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वही होगा जैसे बैंक ने एचटीएम में निवेश को शुरू से ही वर्गीकृत किया था।

क्र.	पूर्व श्रेणी	पुनर्वर्गीकृत श्रेणी	लेखांकन उपाय
डी		एफवीटीपीएल	निवेश को उचित मूल्य पर आकलित करना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से निर्धारित संचयी लाभ या हानि को उसमें से वापस ले लिया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में अनुसूची (III) के अंतर्गत 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत 14: 'अन्य आय' दर्शाया जाता है।
ई		एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वहन राशि अपरिवर्तित रहती है।
एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	

6.5. निवेश की बिक्री

6.5.1. एचटीएम से कोई भी बिक्री, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होती है। एचटीएम से बिक्री का विवरण, आरबीआई के दिनांक 12 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट प्रारूप में वित्तीय विवरणों के लेखों पर नोट्स में प्रकट किया जाता है।

6.5.2. किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बिक्री किए गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से अधिक बिक्री के लिए डीओएस, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

6.5.3. नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री को आरबीआई मास्टर निर्देशों के खंड 20 में निर्धारित पांच प्रतिशत की विनियामक सीमा से बाहर रखा गया है:

- आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत आरबीआई को बिक्री।
- वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- वापसी खरीद या स्विच ऑपरेशन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
- जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, वापसी खरीद या कॉल विकल्प का प्रयोग।
- क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

एफ) वित्तीय विपदा का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

6.5.4. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' की मद 11 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाता' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि कर घटाकर प्राप्त होती है तथा इस राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक होता है।

6.5.5. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां)	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा दिए गए कोटेशन के अनुसार
बी)	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल पर
सी)	इक्विटी शेयर	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा ब्रेक-अप मूल्य पर। दोनों की अनुपस्थिति में, ₹ 1/- प्रति कंपनी की दर से। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाती है।
डी)	अधिमान शेयर	बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अथवा परिपक्वता आधार पर उचित प्रतिफल पर एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई)	डिबेंचर/बॉण्ड	बाजार दरों के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता के आधार पर उचित प्रतिफल पर

एफ) म्यूचुअल फंड (एमएफ)

स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि उद्धृत किया गया हो। अन-उद्धृत इकाईयों के मामले में, संबंधित एमएफ द्वारा धोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार। ऐसे मामलों में जहां नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार।

जी) ट्रेजरी बिल/जमा का प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक पत्र

वहन लागत पर

एच) उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)

लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, के अनुसार घोषित एनएवी या ब्रेकअप एनएवी पर। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ की दर पर।

आई) प्रतिभूति रसीदें

इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों (आरबीआई/डीओआर 2021-22/81 डीओआर. एमजीआर. 42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जाता है। सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाता था, जो आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25 26/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर किया जाता।

6.5.6. अंतर-बैंक/आरबीआई रेपो और अंतर-बैंक/आरबीआई रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

6.5.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, ब्रोकरेज, खंडित अवधि का ब्याज आदि लाभ-हानि खाते में क्रेडिट/डेबिट किए जाते हैं।

6.5.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान की गई ब्रोकरेज और एसटीटी को मूल्य निर्धारण पर लेखांकित किया जाता है।

6.5.9. बैंक निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए भारत औसत मूल्य (डब्ल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है।

6.5.10. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक निवेश लेनदेन के लेखांकन के लिए 'निपटान तिथि' का पालन करता है।

6.6. अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त मानदंड का प्रयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसी तरह, एक एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा, जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

i. बॉन्ड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।

ii. ऊपर उप-खंड (ए) (i), यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसे अधिमानी शेयरों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। यदि अधिमान शेयरों पर लाभांश (संचयी या गैर-संचयी) किसी भी वर्ष में घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया राशि में देय/भुगतान न किया गया माना जाता है और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता के तुलन पत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए नियत तारीख के रूप में माना जाता है। ऐसे निवेश को गैर-संचयी अधिमान शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और बकाया में लाभांश के भुगतान पर और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में वर्तमान अवधि के लिए बाद में उन्नयन किया जा सकता है।

iii. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 26.3 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य ₹ 1 प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाता है। बाद में लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई का उन्नयन किया जाता है।

iv. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा, बैंक की बहियों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और इसका उल्टा माना जाएगा। तथापि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निष्पादन प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादन ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है।

v. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में बदलने के मामले में, ऐसे लिखतों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि ऋण और प्रावधान मानदंडों के अनुसार किया जाता है। परिवर्तन के बाद के मामले में, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई मास्टर परिपत्र के अध्याय III की आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे बाकी पोर्टफोलियो से अलग किया जाना चाहिए और लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के लिए उसपर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जाती है।

डी) श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, (अर्थात्, एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) जिसमें निवेश रखा गया है, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा। एनपीआई पर धारित प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होती है:

I. एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना किए गए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; और

II. एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तारीख को निवेश का उसके वहन मूल्य के संदर्भ में मूल्यहास।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर विनिर्दिष्ट एनपीआई के प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है।

**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

बशर्ते, एफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके सापेक्ष एफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एफएस-रिजर्व को प्रभारित करके आवश्यक प्रावधान किया जा सकता है।

बशर्ते कि एफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश के मामले में, जिसके सापेक्ष एफएस-रिजर्व में संचयी हानियां हैं, संचयी हानि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं।

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार किसी खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से निर्धारित किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि का सममित निर्धारण फिर से शुरू हो सकता है।

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश:

- i. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- ii. केंद्र सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में तब तक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार गारंटी को लागू करने पर इसे अस्वीकार नहीं कर देती है। एफएस और एफवीटीपीएल में धारित ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एमटीएम लाभ/हानि को क्रमशः एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में निर्धारित करना जारी रखेगा। तथापि, कोई भी आय केवल वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- iii. जब मूलधन (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय किसी अन्य राशि का ब्याज/किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तब राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड को लागू करेगा।

जी) एनपीआई विनियोजन प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है।

6.7. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

(ए) जब तक कि आईएफआर की राशि एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो, बैंक सतत् आधार पर, आईएफआर को वह राशि अंतरित करके, जो निम्नलिखित से कम न हो, एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि(आईएफआर) बना सकता है:

- i. वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ।
- ii. अनिवार्य विनियोजन को कम करने के पश्चात वर्ष के लिए निवल लाभ।

(बी) आईएफआर, टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र है। टियर II पूंजी के रूप में सामान्य प्रावधानों और हानि आरक्षित निधियों के निर्धारण पर लागू सीमा, आईएफआर पर लागू नहीं होती है।

(सी) बैंक को आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को अपने एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आहरित करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में यथा प्रकट लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सके।

(डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्राउन की अनुमति है:

- i) निकाली गई राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो मुक्त आरक्षित निधियों के लिए विनियोजन या हानि के संतुलन को कम करता है।
- ii) आहरित राशि उस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां तक उपर्युक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधान/हानियां उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक हों।

6.8. डेरिवेटिव

6.8.1 बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 63 को छोड़कर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बैंक अपनी व्युत्पन्न संपत्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य अस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट की रक्षित (हेज) लेखांकन आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकते हैं।

6.8.2. बैंक अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा अर्थात् आरबीआई मास्टर परिपत्र के खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और प्रकटीकरण टेम्पलेट में निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों के लेखों पर नोट्स में इसका प्रकटीकरण करें।

6.8.3. बैंक अपने तुलन पत्र पर स्तर 3 डेरिवेटिव्स आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल अवास्तविक लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में निर्धारित स्तर 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ सीईटी 1 पूंजी से घटाए जाते हैं।

7. अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

(ए) मानक,

(बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियां।

ऐसे अग्रिमों पर आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र RBI/2025-2026/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार किए जाते हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड अथवा मेजबान देश के स्थानीय कानूनों, जिसमें अग्रिम दिए जाते हैं, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

ii) अग्रिमों को विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान तथा विविध में धारित अप्राप्त ब्याज / अनर्जक आस्तियों से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को समायोजित करने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को “अन्य देयताएँ और प्रावधानों” में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में परिलक्षित किया गया है तथा निवल अनर्जक आस्तियों व निवल अग्रिमों दोनों पर पहुँचने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है। आईआरएसी के मास्टर निर्देशों RBI/2025-2026/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 तथा उसके बाद समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाएगा।

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाता है।

v) सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर, छह महीने से अधिक समय से बकाया उचित खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100 % किया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का निवल और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत तथा आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी लागतें शामिल होती हैं, जिनमें से व्यापारिक छूट और रियायतें घटा दी जाती हैं। उपयोग में लाई गई आस्तियों पर किया गया परवर्ती-व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह

ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है। भूमि और इमारतों का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसके पुनर्मूल्यांकन राशि को दर्शाया जाता है। बैंक प्रत्येक तीन वर्ष में अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति को आस्ति के शेष उपयोगी अवधि पर मूल्यहास किया जाता है जैसा कि पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन किया जाता है।

ii) अचल आस्तियों पर मूल्यहास, बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोगी अवधि (वर्ष)	दर प्रतिशत में
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल)	10	10.00
6	स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं प्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोगी अवधि (वर्ष)	दर प्रतिशत में
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल है.	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपस्कर/ उपकरण	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध मर्दे	5	20.00
19	यूपीएस एवं संबद्ध मर्दे	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	अंतिम यूजर डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि	3	33.33
22	एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉंग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित).	20	5.00
23	स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं सहित फर्नीचर (फर्नीचर/इलेक्ट्रिकल एवं आदि) —यूबीआई के मामले में	5	20.00

iii) परिसर पर मूल्यहास संयुक्त लागत पर प्रदान किया जाता है, जहां भूमि और भवन का मूल्य अलग से पहचान योग्य नहीं है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा लीजहोल्ड सुधारों पर मूल्यहास को पट्टे की प्राथमिक अवधि के संदर्भ में निर्धारित दरों का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर निर्धारित की जाती है.

v) भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/सहयोगी संस्था की अचल सम्पत्तियों पर विनियामक की आवश्यकतानुसार/ अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यहास प्रदान किया जाता है.

9. आस्तियों की क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को आस्तियों की वहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है. वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से अधिक है. उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर- पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य एवं आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है. क्षरण के बाद, आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित वहन लागत पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से निर्धारित क्षरण हानि को बढ़ाया या घटाया जाता है. हालांकि, प्रत्यावर्तन के बाद वहन मूल्य को सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास प्रभारित करने के बाद होता है.

10. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर

बैंक के पास अग्रिम एवं निवेश के लिए अलग से प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के निर्माण और उपयोग हेतु नीति है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सृजित किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का आकलन किया जाता है. प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी लेखांकन

विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी लेनदेनों के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव) के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर-एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी सहायक कम्पनियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में निर्धारण

- आय एवं व्यय मदों का लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारण किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- गारंटी, स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य देयताओं के कारण आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शाया जाता है।
- परिणामी विनिमय अन्तरों का निर्धारण आय अथवा व्यय के रूप में किया जाता है एवं लाभ और हानि खाते के माध्यम से लेखांकित किया जाता है।
- वायदा विनिमय संविदाओं को वचनबद्धता की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर और “अंतरिम” परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर पर किया जाता है। परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में निर्धारण

- आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का अंतरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम स्पॉट दरों पर किया जाता है।
- तुलनपत्र की तिथि पर लंबित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा आकस्मिक देयता बकाया का अंतरण फेडाई द्वारा क्रमशः अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों एवं वायदा दरों पर किया जाता है तथा मध्यवर्ती परिपक्वता वाले अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों का उपयोग किया जाता है।
- आय एवं व्यय का अंतरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।
- परिणामी विनिमय अन्तरों का निर्धारण इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं किया जाता है बल्कि निवल निवेश के निपटान तक उन्हें अलग “विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित” खाते में संचित किया जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

(ए). अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है और उसे उस अवधि के दौरान अल्पकालिक के रूप में माना जाता है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी।

कार्यनिष्पादन आधारित रिवाइस की प्रकृति में अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को अवार्ड के वर्ष में व्यय के रूप में निर्धारित की जाती है।

(बी). दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है, जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% का अंशदान करते हैं तथा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

ii. निर्धारित लाभ योजना:

उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। ये अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वर्ष के अंत में किए गए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि को तत्काल लाभ एवं हानि खाते में ले लिया जाता है।

13. खंडवार रिपोर्टिंग:

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 “खंडवार रिपोर्टिंग” के अनुपालन में कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है। कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:



**समेकित आधार पर 2025-26 के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

- ए) ट्रेजरी परिचालन,
- बी) कॉर्पोरेट व थोक बैंकिंग,
- सी) खुदरा बैंकिंग परिचालन और (जिसमें से, डिजिटल बैंकिंग खंड)
- डी) अन्य बैंकिंग परिचालन

14. लीज़ लेनदेन

परिचालन पट्टे पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। बैंक द्वारा पट्टे/किराये पर ली गयी आस्तियों के पट्टे की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/पट्टे संबंधी विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को निपटान या नवीकरण पर निर्धारित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जब इक्विटी शेयर निर्गम के लिए अनुबंध वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए अथवा परिवर्तित किए गए थे। प्रति इक्विटी शेयर के डाइल्यूटेड अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और डाइल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है।

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी “आय पर करों के लिए लेखांकन” पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या ऋण (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया जाता है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक ‘उचित निश्चितता’ न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो, जिससे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जाती है। अनवशेषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल “आभासी निश्चितता” होने पर ही निर्धारित किया जाता है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार, बैंक प्रावधान का निर्धारण तभी करता है, जब उसके पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसा संभाव्य है कि देयताओं के निपटान के लिए आर्थिक

लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता हो और जब देयता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

तुलन पत्र की तारीख पर देयता का निपटान करने के लिए आवश्यक प्रबंधन आकलन के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, जो समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब वहाँ निम्नलिखित होते हैं:

- किसी पिछली घटना से उत्पन्न होने वाली कोई संभावित देयता, जिसके अस्तित्व की पुष्टि बैंक के नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के होने अथवा न होने से होती है; अथवा
- किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसे निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह संभाव्य नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता है या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं की जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय निर्धारित हो सकती है जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

19. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एसस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में वर्गीकृत है :

- ए) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है।
- बी) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में निवेश गतिविधियों द्वारा उत्पन्न या उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह शामिल हैं।
- सी) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा उत्पन्न या उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह शामिल हैं।
- डी) नकद और नकद समकक्षों में आरबीआई के साथ नकद और शेष राशि, बैंकों के साथ शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर राशि शामिल है।

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स (समेकित)

1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

विवरण	निगमन का देश	यथा 31.03.2026 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	निगमन का देश	यथा 31.03.2026 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दार्जिलिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (6 नवंबर 2025 से बंद कर दिया गया)	भारत	25.00%

3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	निगमन का देश	यथा 31.03.2026 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35%

4 यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक द्वारा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं एसोसिएट में किए गए निवेश का मूल्य ₹1,621.45 करोड़ (पिछला वर्ष 2024-25 ₹1,671.05 करोड़) रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है।

5 केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. CG-DL-E07042025-262339 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के माध्यम से चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित), आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित), सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक कहा गया है।

तदनुसार, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को 01 मई, 2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) में समामेलित किया गया।

6 समेकन के लिए उपयोग किए गए सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31 मार्च 2026 के अनुरूप तैयार किए गए हैं, सिवाय इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के, जिसके वित्तीय विवरण 06 नवंबर 2025 तक बनाए गए हैं (क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी को 06 नवंबर 2025 से बंद कर दिया गया है)।

7 समेकित वित्तीय विवरण 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी अपने अस्तित्व तक की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 06 नवंबर 2025 और एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय, 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टार यूनियन दार्जिलिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के आधार पर तैयार किए गए हैं।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

8 उच्चतम खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रक कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतर-कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर मिलान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

9 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन

9.1 पूंजी

बैंक दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देशों के पालन के अधीन है। 1 अक्टूबर, 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशा-निर्देश में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से सुनिश्चित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीयर 1 पूंजी सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) से बनी है

बासेल III के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2026 तक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-1 8.00% और न्यूनतम टीयर 1 सीआरएआर 9.50% तक (दोनों 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) बनाए रखना आवश्यक है।

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वि.व 2025-26	वि.व. 2024-25
i.	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी (सीईटी 1) (निवल कटौती, यदि कोई हो)	1,25,535.24	1,06,203.65
ii.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	7,121.13	8,871.18
iii.	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	1,32,656.37	1,15,074.83
iv.	टीयर 2 पूंजी	11,201.54	12,489.05
v.	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	1,43,857.91	1,27,563.88
i.	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	7,66,098.83	7,07,869.38
ii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	16.39	15.00
iii.	टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.32	16.26
iv.	टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	1.46	1.76
v.	जोखिम भारित आस्तियों हेतु पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.78	18.02
xi.	लीवरेज अनुपात	7.72	7.03
xii.	निम्नलिखित का शेयरधारिता प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार		
	बी) राज्य सरकार		
	सी) प्रायोजक बैंक	74.76	74.76
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	--	--
xiv.	i. वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें:		
	ए) बासेल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	बी) बासेल III अनुपालन शाश्वत कर्ज लिखत		
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि, जिसमें		
	ए. स्थायी संचयी अधिमान शेयर	--	--
	बी. प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	सी. बासेल III अनुपालित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉण्ड	--	--

9.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
निवेशों पर एनपीआई हेतु प्रावधान / (प्रतिवर्तन)	127.28	(95.96)
एनपीए के लिए प्रावधान	2,327.37	7,426.40
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रतिवर्तन)	1,145.16	81.47
आयकर (आईटी) / आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) के लिए निवल प्रावधान	5,503.87	5,502.71
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	832.15	365.95
कुल	9,935.83	13,280.58

9.3 प्रतिक्र्रीय प्रावधान बफर / अस्थिर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i. प्रारंभिक शेष	--	--
ii. लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	--	--
iii. लेखा वर्ष के दौरान ड्राडाउन की गई राशि	--	--
iv. अंतिम शेष	--	--

10 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित) (मूल बैंक)

10.1 अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी।

10.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

10.2.1 सुनिश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो एक सुनिश्चित अंशदान योजना है, इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का 10% अंशदान जमा करते हैं, जबकि बैंक की ओर से 14% का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में प्रोटीन ई-जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में इसे नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में ₹767.52 करोड़ (विगत वर्ष ₹704.53 करोड़) का अंशदान किया है।

10.2.2 सुनिश्चित अंशदान योजनाएं:

उपदान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण सुनिश्चित लाभ योजनाएं हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

सुनिश्चित लाभ योजनाएं – कर्मचारी पेंशन योजना एवं उपदान योजना:

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
सुनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:				
1 अप्रैल को प्रारंभिक सुनिश्चित लाभ दायित्व	33,363.67	31,555.91	3,981.38	3,602.00
ब्याज लागत	2,352.14	2,284.65	272.72	259.70
चालू सेवा लागत	241.81	242.52	212.41	227.54
विगत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	-	--	-	--
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	--	-	--
देयता अंतरण आवक	-	--	-	--
देयता अंतरण जावक	-	--	-	--
प्रदत्त लाभ	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि - परिवर्तन के कारण				
वित्तीय धारणा में	(2,699.80)	572.70	(377.77)	143.13
जनांकिक धारणा में	2,241.03	--	-	--
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,759.08	1,275.89	310.24	76.74
31 मार्च को अंतिम सुनिश्चित लाभ दायित्व	34,675.04	33,363.67	4,140.09	3,981.38
योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
1 अप्रैल को योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	33,346.51	31,140.21	3,994.75	3,457.68
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
अंशदान	1,816.21	2,240.99	461.61	574.37
अन्य कंपनी से अंतरण	-	--	-	--
अन्य कंपनी को अंतरण	-	--	-	--
प्रदत्त लाभ	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
31 मार्च को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	34,844.97	33,346.51	4,447.17	3,994.75
अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,300.31	1,848.59	(67.53)	219.87
योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.79	(278.76)	23.94	(41.13)
पहचान किया जाने वाला कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
संक्रमणकालीन देयता का निधारण				
1 अप्रैल को संक्रमणकालीन देयता	-	--	-	--
वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	-	--	-	--
31 मार्च को संक्रमणकालीन देयता	-	--	-	--

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2,265.14	2,533.31	249.70	290.43
आय विवरण में चिन्हित व्यय:				
वर्तमान सेवा लागत	241.81	242.52	212.41	227.54
ब्याज लागत	1.21	30.10	(0.92)	10.40
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-	--	-	--
पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	-	--	-	--
पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5)	-	--	-	--
संक्रमण देयता की पहचान	-	--	-	--
बीमांकिक (लाभ) या हानि	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
तुलन पत्र मिलान:				
प्रारंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित निवल राशि)	17.16	415.70	(13.37)	144.32
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
अन्य कंपनियों से अंतरण(निवल)	-	--	-	--
अन्य कंपनियों को अंतरण(निवल)	-	--	-	--
(नियोक्ता का अंशदान)	(1,816.21)	(2,240.99)	(461.61)	(574.37)
तुलन-पत्र में चिन्हित निवल (आस्ति)/देयता राशि	(169.93)	17.16	(307.08)	(13.37)
अन्य विवरण:				
तैंतीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी. उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है. वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
सदस्यों की संख्या	16,199	17,644	73,895	73,945
वेतन प्रति माह	177.36	183.07	655.07	621.38
आगामी वर्ष के लिए अंशदान	61.38	258.97	-	199.04



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
आस्तियों का संवर्ग:				
भारत सरकार की आस्तियां	581.75	474.05	62.38	27.95
कॉर्पोरेट बॉन्ड/ एफ़डीआर	3,621.52	3,408.03	559.50	445.02
विशेष जमा योजना	--	--	-	--
राज्य सरकार	4,528.03	4,467.59	667.25	594.51
सम्पत्ति	--	--	-	--
अन्य	3,427.92	3,033.58	395.95	424.69
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां*	22,685.75	21,963.26	2,762.10	2,502.58
म्यूचुअल फंड	--	--	-	--
कुल	34,844.97	33,346.51	4,447.18	3,994.75

*नोट: एलआईसी में निवेश पर प्रतिफल 8.048% है और अन्य बीमा कंपनियों में 7.50% अपेक्षित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर पेंशन देयता और उपदान देयता का निर्धारण किया गया है।

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	उपदान योजनाएं				
तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में देयता	4,140.09	3,981.38	3,602.00	3,225.86	3,197.81
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,447.18	3,994.75	3,457.68	3,262.35	3,367.60
अंतर	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	--	--	--	--	--
पहचान न की गई संक्रमण देयता	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में दर्शायी की गई राशि	उपदान योजनाएं				
अनुभव समायोजन	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	310.24	76.74	179.70	29.55	30.86
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	(23.94)	41.13	29.34	(17.33)	53.31

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजनाएं				
तुलन-पत्र में दर्शायी की गई राशि	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में देयताएं	34,675.04	33,363.67	31,555.91	29,170.59	28,650.99
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	34,844.97	33,346.51	31,140.21	28,754.24	27,043.50
अंतर	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	--	--	--	--	1,521.62
पहचान न की गई संक्रमण देयता	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(85.87)

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में दर्शायी की गई राशि	पेंशन योजनाएं				
अनुभव समायोजन	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,759.08	1,275.89	4,334.44	614.25	2,452.27
योजना आस्तियों पर (हानि)/लाभ	(85.79)	278.76	423.97	49.96	266.31

(₹ करोड़ में)

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	वि.व. 2025-26		वि.व. 2024-25	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	6.85	7.05	7.21	7.24
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.85	7.05	7.21	7.24
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	7.67	7.87	6.85	7.05
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.67	7.87	6.85	7.05
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

10.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए तैयार किए गए प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
पेंशन	--	--
अवकाश किराया रियायत	24.92	0.33
अवकाश नकदीकरण	157.88	343.33
बीमारी हेतु अवकाश का प्रावधान*	274.76	281.10

* बीमारी हेतु अवकाश का प्रावधान विवेकपूर्ण आधार पर है, हालांकि इसके लिए कोई भुगतान नहीं है।

10.4 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 (समय-समय पर अद्यतित) के अनुसार, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है:

- ए. अन्य देयताओं और प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" हैड के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,
- बी. अन्य आस्तियों के मामले में, "अन्य" हैड के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,
- सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,
- डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है.



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

अनुसूची	सब हेड के अंतर्गत मद	₹ करोड़ में	कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान (III-अन्य (प्रावधान सहित))	-	-	-
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां (VI-अन्य)	-	-	-
अनुसूची 14 – अन्य आय (VII-अन्य विविध आय)	अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क	1,753	1.37%
	बट्टे-खाते में वसूली	3,997	3.11%
	आयकर रिफंड पर आय	1,622	1.26%
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय (XII-अन्य व्यय)	-	--	--

11 क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

11.1. कारोबार क्षेत्र:

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	समेकित	
	समाप्त वर्ष	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	वि.व. 2025-26	वि.व 2024-25
ए. क्षेत्रवार राजस्व		
1. ट्रेजरी परिचालन	30,107.49	31,031.42
2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	47,573.99	45,091.87
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	982.42	963.55
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	46,591.57	44,128.32
3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	44,378.58	46,021.85
4. अन्य बैंकिंग परिचालन	1,745.07	2,464.34
5. अनाबंटित	4,594.38	3,552.74
कुल क्षेत्रवार राजस्व	1,28,399.51	1,28,162.22
अंतर-क्षेत्रवार राजस्व घटाने के बाद	-	-
परिचालन से आय	1,28,399.51	1,28,162.22
बी. क्षेत्रवार परिणाम		
1. ट्रेजरी परिचालन	5,682.63	4,603.07
2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	9,251.22	9,341.56
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	675.48	739.14
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	8,575.74	8,602.42
3. कॉर्पोरेट बैंकिंग	6,734.98	7,078.51
4. अन्य बैंकिंग परिचालन	890.33	1,343.55
5. अनाबंटित	1,725.34	1,057.19
कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	24,284.50	23,423.88
कर हेतु प्रावधान	5,503.88	5,502.71
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	18,780.62	17,921.17
जोड़: एसोसिएट में लाभ शेयर	649.58	105.79
समेकित निवल लाभ/(हानि)	19,430.20	18,026.96

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	समेकित	
	समाप्त वर्ष	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
सी. क्षेत्रवार आस्तियां		
1. ट्रेजरी परिचालन	4,64,486.77	4,96,469.55
2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,07,430.94	4,57,840.87
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	5,187.80	3,228.60
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,02,243.14	4,54,612.27
3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,68,606.22	5,15,026.76
4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5. अनाबंटित	46,978.77	41,992.24
कुल	15,87,502.69	15,11,329.42
डी. क्षेत्रवार देयताएं		
1. ट्रेजरी परिचालन	4,26,432.03	4,59,073.45
2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,65,857.84	4,23,354.43
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	4,762.77	2,985.40
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,61,095.07	4,20,369.03
3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,22,021.11	4,76,232.87
4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5. अनाबंटित	39,640.42	38,834.59
कुल	14,53,951.40	13,97,495.34
ई. नियोजित पूंजी		
1. ट्रेजरी परिचालन	38,054.74	37,396.10
2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	41,573.10	34,486.43
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	425.03	243.19
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	41,148.07	34,243.24
3. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	46,585.10	38,793.90
4. अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5. अनाबंटित	7,338.35	3,157.65
कुल	1,33,551.29	1,13,834.08

नोट:

- बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं, अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य क्षेत्र केवल एक ही है।
- बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है।

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

3. क्षेत्रवार आय और व्यय, जिन्हें सीधे तौर पर आवंटित नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्रबंधन द्वारा उचित उपयुक्त माने गए अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं।
4. क्षेत्र देयताएं और क्षेत्र पूंजी उनके संबंधित क्षेत्र आस्तियों के अनुपात में वितरित की जाती है।
5. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

12 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18) (पेरेंट बैंक)**12.1 संबंधित पार्टियों की सूची****ए) सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड

बी. संयुक्त उद्यम

- स्टार यूनियन दार्ज-इची इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद (06.11.2025)

सी. एसोसिएट

- आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक

12.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान किया गया पारिश्रमिक
श्री आशीष पाण्डेय	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30.09.2025 से)	0.22
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.45
श्री रामसुब्रमणियन एस.	कार्यपालक निदेशक	0.56
श्री संजय रुद्र	कार्यपालक निदेशक	0.37
श्री अमरेश प्रसाद	कार्यपालक निदेशक (24.11.2025 से)	0.16
सुश्री ए मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (02.06.2025 तक)	0.08
श्री पंकज द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक (24.06.2025 तक)	0.09

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो “राज्य नियंत्रित उद्यमों” के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, एएस 18 के पैराग्राफ 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है।

13 आकस्मिक देयताएं (एएस-29)

अनुसूची -12 में निर्दिष्ट आकस्मिक देयताएं क्रम सं 10 (i) और (VI) (i) क्रमश न्यायालय/मध्यस्थता/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणाम, मांग की जा रही राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा मांग उठाना और अंतरण, अपीलों के निपटान पर निर्भर करती हैं। वर्ष के दौरान, कुछ आकस्मिक देयताओं को बैंक की समीक्षा और रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कॉन्ट्रा मदों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

14 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त निवल लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की जाती है। विघटित अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया विघटित संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की जाती है।

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	--	--
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
निवल लाभ/(हानि) ₹करोड़ में	19,430.20	18,026.95
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	25.45	23.62
विघटित अर्जन प्रति शेयर (₹)	25.45	23.62
सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर (₹)	10	10

15 करों के लिए प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	598.98	559.46
2	स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	301.63	311.32
3	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,270.51	4,270.51
4	प्रतिभूतियों पर एएस-22 भंडार	267.91	(11.20)
5	अन्य प्रावधान	251.08	269.02
6	विशिष्ट मानक आस्तियां	893.12	445.97
	कुल	6,583.23	5,845.08
	अस्थगित कर देयताएँ		
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	881.26	1,010.69
2	36(i) (viii) के तहत विशेष आरक्षित	2,077.79	2,008.68
3	विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित	99.29	79.82
	कुल	3,058.34	3,099.19
	निवल आस्थगित कर आस्ति	3,524.89	2,745.89

प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
आय कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	5,503.88	5,502.71



अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

16 आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2026 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

मूल इकाई (पेरेंट) एवं सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारीयों के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और निरंतर संचालन अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

‘पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है. जिन मामलों में आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार पहली बार प्रकटीकरण किया गया है, उन मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.’

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037ZQZQNN9672

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378KUFVPPF2103

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169HBHHRW7084

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007YUKADZ5499

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.04.2026

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	कर से पहले निवल लाभ	24,28,450	23,42,387
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	1,20,387	1,08,388
	निवेशों के लिए प्रावधान	(1,04,554)	(3,37,474)
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	2,32,737	7,30,849
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,98,094	5,544
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	(364)	51,522
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	(703)	(221)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत	1,45,057	1,45,104
	एसोसिएट में लाभ की हिस्सेदारी	64,958	10,579
	आरक्षित से/में अंतरण	28,701	(1,79,054)
	उप-योग	31,12,763	28,77,624
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	34,96,995	50,19,538
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	10,32,932	7,06,100
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	23,36,856	(14,33,191)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1,02,78,621)	(89,95,743)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(32,48,555)	(1,42,463)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(32,205)	(70,570)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(35,79,835)	(20,38,705)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(3,22,378)	(1,66,759)
	अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन की प्राप्ति	19,126	2,165
	सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी	(4,04,273)	(24,383)
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(7,07,525)	(1,88,977)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमान शेयर पूंजी को जारी करने से प्राप्ति	-	-
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्ति	-	-
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्ति	3,00,000	-
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(2,70,500)	-
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	12,51,045	38,01,815
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,45,057)	(1,45,104)
	वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(3,62,596)	(2,74,810)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	7,72,892	33,81,901



समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	(35,14,468)	11,54,219
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,31,18,803	1,19,64,584
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	96,04,335	1,31,18,803
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	89,50,850	52,90,154
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	41,67,953	66,74,430
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,31,18,803	1,19,64,584
ई	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	66,47,663	89,50,850
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	29,56,672	41,67,953
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	96,04,335	1,31,18,803

(मुनीश कुमार चोपड़ा)
उप महाप्रबंधक

(पी कृष्णन)
महाप्रबंधक

(धीरेन्द्र जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(रोहन चंद्र ठाकुर)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(प्रकाश चन्द्र कंदपाल)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000580S/S200066

कृते वी के लाधा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002301C

कृते छाजेड एंड डोसी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101794W

कृते जीएस माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008744N

सीए पी. चंद्रशेखरन
भागीदार
सदस्यता सं. 026037
यूडीआईएन: 26026037ZQZQNN9672

सीए अशोक कुमार डांगीच
भागीदार
सदस्यता सं. 071378
यूडीआईएन: 26071378KUFVPF2103

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 26136169HBHZR7084

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्यता सं. 091007
यूडीआईएन: 26091007YUKADZ5499

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.04.2026

बासेल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल III पूंजी विनियमन पर जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई/2025-26/08 डीओआर.सीएपी.आरईसी.2/21.06.2021/2025-26 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 यथा संशोधित के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी अपेक्षाओं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक द्वारा ये प्रकटीकरण किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://www.unionbankofindia.bank.in/pdf/BASEL-Pillar-III-Disclosure-for-March-2026.pdf>





कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.



INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

To,
The Board of Directors of
Union Bank of India,
Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point,
Mumbai – 400021, India.

Union Bank of India (hereinafter referred to as "UBI" or Reporting Organization) engaged TUV India Private Limited (TUVI) to perform an independent external assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report (hereinafter referred to as "the BRSR") Core disclosures. UBI developed the Annual Report, which also contains the disclosures of BRSR Core ("the 09 attributes") for the period April 01, 2025, to March 31, 2026. The following frameworks and guidelines have been referred to during the assurance process:

- The Industry Standards on Reporting of BRSR Core, as per SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20 December 2024;
- SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562, dated 10 May 2021;
- The SEBI notification SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131, dated 14 June 2023, related to BRSR reporting requirements;
- The BRSR Core – Framework for Assurance and ESG Disclosures for the Value Chain, as stipulated by SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12 July 2023;

The assurance engagement for BRSR Core disclosures was conducted with reasonable assurance engagement, following the requirements of International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised).

Management's Responsibility

UBI developed its sustainability information, forming part of the Annual Report (based on BRSR framework) and holds full responsibility for the collection, analysis, preparation, and disclosure of the information presented in the Annual Report, including its availability in both web-based and printed formats. This responsibility also extends to the maintenance and integrity of the website where the Annual Report is published. Management is responsible for ensuring the disclosed data is accurate, reliable, and free from material misstatements, as per the BRSR criteria. Additionally, UBI is responsible for the archiving and reproduction of the disclosed information and for ensuring that such data is made available to relevant stakeholders and regulatory authorities upon request. The Reporting Organization is responsible for complying with applicable laws.

Scope and Boundary

The scope of this assurance engagement conducted by TUVI covered the verification of BRSR core disclosures made by UBI in its Annual Report. The Annual Report represents key disclosures related to the organization's Environmental, Social, and Governance (ESG) performance, as mandated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The assurance engagement included the following activities:

- Review of General Disclosures, Management and Process Disclosures, and UBI's responses to all nine attributes specified under Annexure I – Format of BRSR Core, as disclosed in the BRSR;
- Assessment of the quality, clarity, and completeness of the reported information; and Verification of supporting evidence on a sample basis, involving: Reasonable assurance for the nine attributes as per the BRSR Core framework.

This approach ensured an assessment aligned with the principles of ISAE 3000 (Revised), providing an independent and objective evaluation of the reliability and accuracy of UBI's ESG disclosures.

TUVI has verified the below 09 attributes as per Annexure I – Format of BRSR Core disclosed in the BRSR

Attributes	KPIs
Green-house gas (GHG) footprint	Total Scope 1 emissions (with breakup by type) - GHG (CO ₂ e) Emission in MT - Direct emissions from organization's owned- or controlled sources (estimated KPI)
	Total Scope 2 emissions in MT - Indirect emissions from the generation of energy that is purchased from a utility provider (estimated KPI)
	GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations – Calculated
	GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP - Calculated
	Total water withdrawal by sources (in kL) (estimated KPI)
Water footprint	Total water consumption (in kL) (estimated KPI)

www.tuv-nord.com/in

Attributes	KPIs
Energy footprint	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations – Calculated
	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated
	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Product or Service – Calculated
	Water Discharge by destination and levels of Treatment (kL) – Reported NIL
	Total energy consumed in GJ (estimated KPI)
	% of energy consumed from renewable sources – In % terms (estimated KPI)
	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations – Calculated
Embracing circularity – details related to waste management by the entity	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated
	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Product or Service – Calculated
	Plastic waste (A) (MT) – Reported as NIL
	E-waste (B) (MT) – Reported
	Bio-medical waste (C) (MT) – Reported as NIL
	Battery waste (D) (MT) – Reported as NIL
	Other Hazardous waste (E)(MT) – Reported as NIL
	Other non-hazardous waste (F)(MT) – Reported as NIL
	Total waste generated (A + B + C + D + E + F) (MT)
	Waste intensity
	• MT /Revenue from Operations – Reported
	• MT /Revenue from Operations adjusted for PPP – Reported
	• MT /Product or Service – Reported
	Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (MT) – Reported
	Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (Intensity)
	✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (MT) – Reported as NIL
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (Intensity)
	✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported as NIL
Enhancing Employee Wellbeing and Safety	Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the company- In % terms – Reported
	Details of safety related incidents for employees and workers (including contract-workforce e.g. workers in the company's construction sites)
	1) Number of Permanent Disabilities – Reported as NIL
	2) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) – Reported
Enabling Gender Diversity in Business	3) No. of fatalities – Reported as NIL
	Gross wages paid to females as % of wages paid – In % terms
	Complaints on POSH
	1) Total Complaints on Sexual Harassment (POSH) – Reported
Enabling Inclusive Development	2) Complaints on POSH as a % of female employees / workers – Reported
	3) Complaints on POSH upheld – Reported
	Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/ small producers and from within India – In % terms – As % of total purchases by value is not Reported
	Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed in smaller towns (permanent or non-permanent /on contract) as % of total wage cost – In % terms – As % of total wage cost – Reported
Fairness in Engaging with Customers and Suppliers	Instances involving loss / breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events – In % terms – Reported as NIL
	Number of days of accounts payable – (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured – Reported as not applicable
Open-ness of business	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with
	1) Purchases from trading houses as % of total purchases
	2) Number of trading houses where purchases are made from
	3) Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses
	1) Sales to dealers / distributors as % of total sales
	2) Number of dealers / distributors to whom sales are made
	3) Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to

www.tuv-nord.com/in

Attributes	KPIs
	related parties: Reported as not applicable
	dealers/distributors Share of RPTs (as respective %age) in
	• Purchases
	• Sales
	• Loans & advances
	• Investments

Green-house gas (GHG) and Energy footprint

- Emissions from Fuel Consumption (Diesel, Petrol, CNG): Fuel consumption was estimated using a spend-based methodology. Where specific fuel types were not specified, average emission factors and fuel prices were applied based on a blended mix of diesel, petrol, and CNG. Fuel prices were sourced from BRSR Industry Standards 2024.
- Emissions from CO₂ Fire Extinguishers: All fire extinguishers were assumed to contain CO₂ (GWP = 1) with an average charge of 3 kg per cylinder.
- Emissions from Refrigerants: For leased properties, cooling tonnage was estimated based on total area and standard sq. ft. per ton assumptions. For 84 owned sites, tonnage was based on employee count per site. A refrigerant charge of 1.35 kg per ton of air conditioning was assumed.
- Emissions from Electricity Consumption (Scope 2): Electricity usage was calculated using a spend-based approach per BRSR Core guidelines. The unit price of electricity was used to derive total consumption in kWh, from which Scope 2 emissions were calculated.

Water footprint: The raw water consumption is estimated based on the per-day per-employee water consumption as per CWGA guidelines.

The reporting boundaries for the above attributes include all the branches and offices of UBI in India. An on-site verification was conducted at UBI Corporate Office, Union Bank Bhavan, Nariman Point, Mumbai on 13th, 14th and 15th May 2026. The assurance activities were carried out together with a desk review as per the reporting boundary.

Limitations

TUVI did not perform any assurance procedures on the prospective information disclosed in the Report, including targets, expectations, and ambitions. Consequently, TUVI draws no conclusion on the prospective information. During the assurance process, TUVI did not come across any limitation to the agreed scope of the assurance engagement. TUVI verified 09 attributes and corresponding KPIs independently, without reference to any ESG targets or goals set by UBI. TUVI has taken reference of the financial figures from the audited financial statements. UBI will be responsible for the appropriate application of the financial data. The application of this assurance statement is limited w.r.t [SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated Jul 12, 2023, and Industry Standards on Reporting of BRSR Core, circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20/12/2024](#). This assurance statement does not endorse any environmental and social claims (related to the product, manufacturing process, packaging, disposal of product, etc.) as well as advertisements by the reporting organization and shall not be used to support misleading environmental or social claims, including greenwashing-related representations. The reporting Organization is responsible for ensuring adherence to relevant laws. The assurance procedures are subject to inherent limitations, including the use of estimates, assumptions, sampling, and reliance on internal controls and data systems maintained by UBI. Accordingly, there is an unavoidable risk that material misstatements or omissions may not be detected, particularly where information is subject to estimation uncertainty or dependent on management judgments. The responsibility for the authenticity of the data is confirmed by UBI. Any reliance placed by any person or third party on disclosed KPIs is entirely at their own risk.

TUVI's Responsibility

TUVI's responsibility in relation to this engagement is to perform a reasonable level of BRSR Core Assurance of the Annual Report and to express a conclusion based on the work performed. Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of UBI's strategy, management of ESG-related issues or the sufficiency of the Report against BRSR reporting principles, other than those mentioned in the scope of the assurance. TUVI's responsibility regarding this verification is in reference to the agreed scope of work, which includes assurance of non-financial quantitative and qualitative information disclosed by UBI. Reporting Organization is responsible for archiving the related data for a reasonable time period. The primary intended user of this assurance statement is UBI; however, the client may use it at their own discretion in accordance with their specific requirements. This assurance engagement is based on the assumption that the data and information provided to TUVI by UBI are complete and true.

Assurance Methodology

During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, focusing verification efforts on disclosures and issues of high material relevance to UBI and its stakeholders. The objective was to assess the reliability and accuracy of the non-financial information disclosed, with emphasis on the robustness of data management systems, internal controls, and information flows. TUVI's assurance activities included:

1. Document and Data Review

- Examination of documents, datasets, and supporting evidence provided by UBI for the BRSR, covering all nine core attributes listed in Annexure I – Format of BRSR Core (non-financial disclosures).
- Evaluation of disclosures related to Management Approach and performance indicators.

www.tuv-nord.com/in

2. Stakeholder Interviews

- i. Conducted interviews with key representatives, including data owners, process managers, and decision-makers across various departments.
- ii. Reviewed UBI's approach to stakeholder engagement and materiality determination to validate qualitative statements included in the Annual Report.
- iii. Interviews were conducted through both onsite visits and remote assessments, as applicable.

3. Process and System Assessment

- i. Review of systems and processes for:
 - a) Implementing ESG and sustainability-related policies, as described in the BRSR; and
 - b) Collecting, managing, and reporting both quantitative data and qualitative information for the reporting period.
- ii. Assessment of the internal controls supporting data accuracy, traceability, and consistency.

4. Sampling Methodology: TÜV applied a risk-based sampling methodology to select representative samples of ESG disclosures, considering materiality thresholds, risk of misstatement, data complexity, estimation uncertainty, nature and scale of operations, and geographical spread of facilities. Sample selection prioritized locations with significant operational impact and KPIs with higher inherent risk, including those relevant to BRSR Core indicators. A materiality threshold of 5% (default as per TÜV guidelines), determined with reference to the inherent estimation risk in environmental KPIs, the materiality of BRSR Core indicators to stakeholder decision-making, and the reasonable assurance level required under ISAE 3000, was applied to the selected samples for the verification of sustainability disclosures as applicable. Sites were selected based on proportionate contribution to total reported values, with the corporate office, Mumbai prioritized as the primary onsite location.

5. Reporting Framework Adherence: Verified UBI's adherence to reporting requirements under SEBI's BRSR guidelines.

Action Plan

UBI is in the process of developing an action plan for the following focus areas, which are well-aligned with the management's existing objectives and programs. These areas have already been identified by UBI, and the assurance team confirms their continued implementation to help advance the organization's sustainability goals.

1. UBI may consider enhancing internal data tracking through periodic cloud-based systems for improved monitoring.
2. Data collection for parameters such as waste disposal (paper, plastic, food, metal, oil, etc.) can be further improved through strengthened engagement with relevant vendors and service providers.
3. UBI may explore implementing a formal system for managing key resources such as emissions and water.

Conflict of Interest

TÜV confirms its independence and the absence of any conflict of interest in relation to this assurance engagement, in accordance with ISAE 3000 (Revised), SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12 July 2023, and the Industry Standards on Reporting of BRSR Core (SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated 20 December 2024). TÜV's independence framework is grounded in the IESBA Code of Ethics, adopting a threats-and-safeguards approach to identify and manage risks, including self-interest, self-review, advocacy, familiarity, and intimidation. Organizational safeguards include segregation of responsibilities, independent technical review, documented conflict-of-interest controls, and a quality management system consistent with ISQM 1 and ISO 17029:2019.

During the reporting period, TÜV confirms that:

- No consulting, advisory, system design, data preparation, or implementation services related to ESG or BRSR were provided to UBI;
- TÜV was not involved in the preparation or drafting of BRSR Core disclosures, development of ESG strategy or targets, design or implementation of ESG data management systems, calculation of GHG emissions inventories, internal audit of ESG data, or consulting on materiality assessment; and
- No relationships, affiliations, or financial interests exist that could compromise the objectivity, independence, or impartiality of TÜV's findings, conclusions, or recommendations.

TÜV solely provides verification and assurance services and maintained professional impartiality towards all personnel interviewed throughout this engagement.

Our Conclusion

In our opinion, and based on the scope of this assurance engagement, the disclosures related to the BRSR Core KPIs, described in the Annual report, along with the referenced information, have been prepared, in all material respects, in accordance with the applicable BRSR Core criteria, for the nine BRSR Core attributes, and meet the content and quality requirements of the BRSR framework.

TÜV affirms its competency to conduct this assurance engagement in alignment with SEBI guidelines. Our team brings relevant expertise in ESG verification, assurance methodologies, and regulatory standards. We uphold the principles of independence, apply robust assurance processes, and are committed to continuous improvement to ensure the delivery of reliable and credible assessments.

Disclosures: TÜV is of the view that the reported disclosures broadly align with the requirements of the BRSR framework. UBI has provided contextual information under the General Disclosures, while the Management and Process section

www.tuv-nord.com/in

outlines the organization's approach to managing each of the nine attributes specified in Annexure I – Format of BRSR Core.

Reasonable Assurance: As per SEBI's reasonable assurance requirements—including defined scope, assurance methodologies (such as risk-based approach and data validation techniques), conflict of interest mitigation, evidence documentation, and communication of findings—TUVI is well-positioned to effectively validate the accuracy and reliability of the information disclosed in the BRSR. This process supports stakeholder confidence and enhances transparency and credibility in ESG reporting practices.

UBI BRSR complies with the below requirements

1. **Governance, Leadership, and Oversight:** The report appropriately presents top management's messages, the business model supporting inclusive growth, environmental strategies, risk management, and organizational priorities.
2. **Connectivity of Information:** UBI has disclosed the nine attributes as per Annexure I of the BRSR Core, along with their interlinkages and dependencies that influence long-term value creation.
3. **Stakeholder Responsiveness:** The report outlines mechanisms for stakeholder engagement, addressing key concerns and informing strategic planning. It also reflects the organization's awareness and responsiveness to the legitimate interests of its stakeholders.
4. **Materiality:** Material issues and corresponding KPIs within the nine attributes are identified and reported in line with BRSR Core requirements.
5. **Conciseness:** The report maintains clarity and brevity while ensuring continuity and completeness of information across disclosures.
6. **Reliability and Completeness:** UBI has internal systems for data aggregation and validation. Data provided to TUVI was reviewed by the concerned authorities and verified on a sample basis, and was found to be transparently reported and free from material misstatement.
7. **Consistency and Comparability:** Information is consistently presented year-on-year, supporting reliable comparison and demonstrating adherence to this principle.

Independence and Code of Conduct: TUVI follows the IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) Code, which adopts a threats and safeguards approach to independence. We recognize the importance of maintaining independence in our engagements and actively manage threats such as self-interest, self-review, advocacy, and familiarity. The assessment team was safeguarded from any type of intimidation. By adhering to these principles, we uphold the trust and confidence of our clients and stakeholders. In line with the requirements of the SEBI [circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12/07/2023](#), TUVI confirms that there is no conflict of interest with UBI. TUVI solely focuses on delivering verification and assurance services and does not engage in the sale of services or the provision of any non-audit/non-assurance services, including consulting.

Quality control: The assurance team complies with quality control standards, ensuring that the engagement partner possesses requisite expertise and the assigned team collectively has the necessary competence to perform engagements in reference with standards and regulations. Assurance team follows the fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality and professional behavior. In accordance with International Standard on Quality Control, TUVI maintains a comprehensive system of quality control, including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Independence and Impartiality Statement

TUVI is an independent and neutral third-party provider of ESG assurance services, supported by a team of qualified environmental and social specialists. We affirm our independence and impartiality in conducting this assurance engagement and confirm that there is no conflict of interest with UBI. During the reporting period, TUVI did not undertake any assignments with UBI that could compromise the integrity, independence, or objectivity of our findings, conclusions, or observations. TUVI was not involved in the preparation of any content or data presented in the BRSR, other than this assurance statement. Throughout the assurance process, TUVI remained fully impartial and objective, including during all interviews conducted as part of the engagement.

For and on behalf of TUV India Private Limited



Manojkumar Borekar
Product Head – Sustainability Assurance Service
TUV India Private Limited



Date: 25/05/2026
Place: Mumbai, India
Project Reference No: 8123989000

www.tuv-nord.com/in



हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संप्रेषण

प्राप्त करने हेतु

डीमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमेट खातों में ई-मेल आईडी पंजीकृत करें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि

कृपया फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर और हस्ताक्षर करके संबंधित दस्तावेजों के साथ, अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिट:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32

फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा

हैदराबाद – 500032

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

टोल फ्री: 1800 309 4001

Website: www.kfintech.com

उक्त फॉर्म आईएसआर-1, बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/shareholders-information>



आईएसआर-1 फॉर्म प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड

लाभांश अधिदेश:

डीमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि:

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, डिपॉजिटरी प्रतिभागी को अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत/ अद्यतन करें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि:

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, संबंधित दस्तावेजों के साथ उक्त फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर, हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत/अद्यतन करें.

What's Inside

About the Bank (Pg. 1-17)	1	What's Inside
	3	Corporate Information
	4	Ratings
	5	Organisation Structure (as on 31.03.2026)
	6	Board of Directors
	12	CVO / KMPs / CRO / SMPs / GMs (as on 31.03.2026)
	17	Message from Managing Director & CEO
Sustainability Strategies (Pg. 20-23)	20	Value Creation Story: Building India's Sustainable Future
	22	Capital Interconnectedness
	23	Bank's Response Strategy — Four Strategic Pillars
Our Capitals (Pg. 24-67)	24	Financial Capital
	32	Natural Capital
	49	Intellectual Capital
	53	Human Capital
	59	Manufactured Capital
	62	Social and Relationship Capital
Disclosure Mapping (Pg. 68-77)	68	GRI Standards Index
	73	Awards and Accolades
	76	Bank's CSR Activities
Notice (Pg. 78-94)	78	Notice of 24 th Annual General Meeting
Statutory Reports (Pg. 95-208)	95	Directors' Report
	106	Management Discussion & Analysis
	160	Corporate Governance Report

**Financial Statements**

(Pg. 209-343)

209	Independent Auditors' Report (Standalone)
218	Standalone Balance Sheet
219	Standalone Profit & Loss Account
220	Standalone Schedules
293	Standalone Cash Flow Statement
295	Independent Auditors' Report (Consolidated)
302	Consolidated Balance Sheet
303	Consolidated Profit & Loss Account
304	Consolidated Schedules
342	Consolidated Cash Flow Statement
344	Disclosures under Basel III Capital Regulations
345	Business Responsibility and Sustainability Report
346	Independent Assurance Statement
351	Green Initiative – Appeal to Shareholders

Forward-Looking Statements

This report contains forward-looking statements regarding Union Bank of India. We caution readers that no forward-looking statement guarantees future performance, and actual results may differ materially from those expressed. Forward-looking statements are identifiable by terms like 'may', 'will', 'seek', 'continue', 'aim', 'anticipate', 'target', 'projected', 'expect', 'estimate', 'intend', 'plan', 'goal', 'believe', 'achieve', or similar words.

By nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty related to future events and circumstances, including changes in legislation, development of standards and interpretations, evolving ESG reporting practices, and external factors beyond our control. These statements are based on current beliefs and expectations of Union Bank of India's management and are subject to significant risks and uncertainties. Actual outcomes may differ materially from those expressed. Factors impacting our future financial

condition and performance are identified in the Union Bank of India Annual Report FY2025-26, available on our website.

Subject to our obligations under applicable laws and regulations, we undertake no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements as a result of new information, future events, or otherwise.



**Scan the QR Code to download
Integrated Annual Report 2025-26**

CORPORATE INFORMATION

Category	Details
Head Office & Central Office	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Global Location Number (GLN)	8904368511166
Legal Entity Identifier (LEI) Code	5493000P4HD6132SQ711
Investor Services Division	Union Bank Bhavan, 12th Floor, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Registrar & Share Transfer Agent	KFin Technologies Limited Unit: Union Bank of India Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032
Debenture Trustees	1. IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 2. Catalyst Trusteeship Limited Unit No-901, 9 th Floor, Tower-B, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013
Company Secretary	CS Ashish Mishra
Secretarial Auditor	M/s Ragini Chokshi & Co, Company Secretaries
Statutory Central Auditors	M/s CHHAJED & DOSHI., Chartered Accountants M/s G.S. MATHUR & CO., Chartered Accountants M/s P. CHANDRASEKAR LLP, Chartered Accountants M/s V. K. LADHA & ASSOCIATES, Chartered Accountants
BRSR Assurance Provider	M/s TUV India Pvt. Ltd.



Ratings

Issuer Rating

S &P Global Ratings

Issuer Credit Rating:

BBB/A-2

Outlook: Stable

SACP

bbb-

Outlook:Stable

Fitch Ratings Ltd

Long Term issuer Default Rating (IDR)

BBB

Outlook-Stable

Short Term issuer Default Rating (IDR)

F3

Outlook-Stable

Viability Rating (VR)

bb

Outlook-Stable

Certificate of Deposit

A1+Stable

ICRA ,INDIA RATING

Additional Tier-1 Bonds

AA+/Stable

CRISIL, CARE, INDIA RATINGS, BRICKWORK

Tier 2 Bonds

AAA/Stable

CRISL, CARE, INDIA RATING, ICRA, BRICKWORK

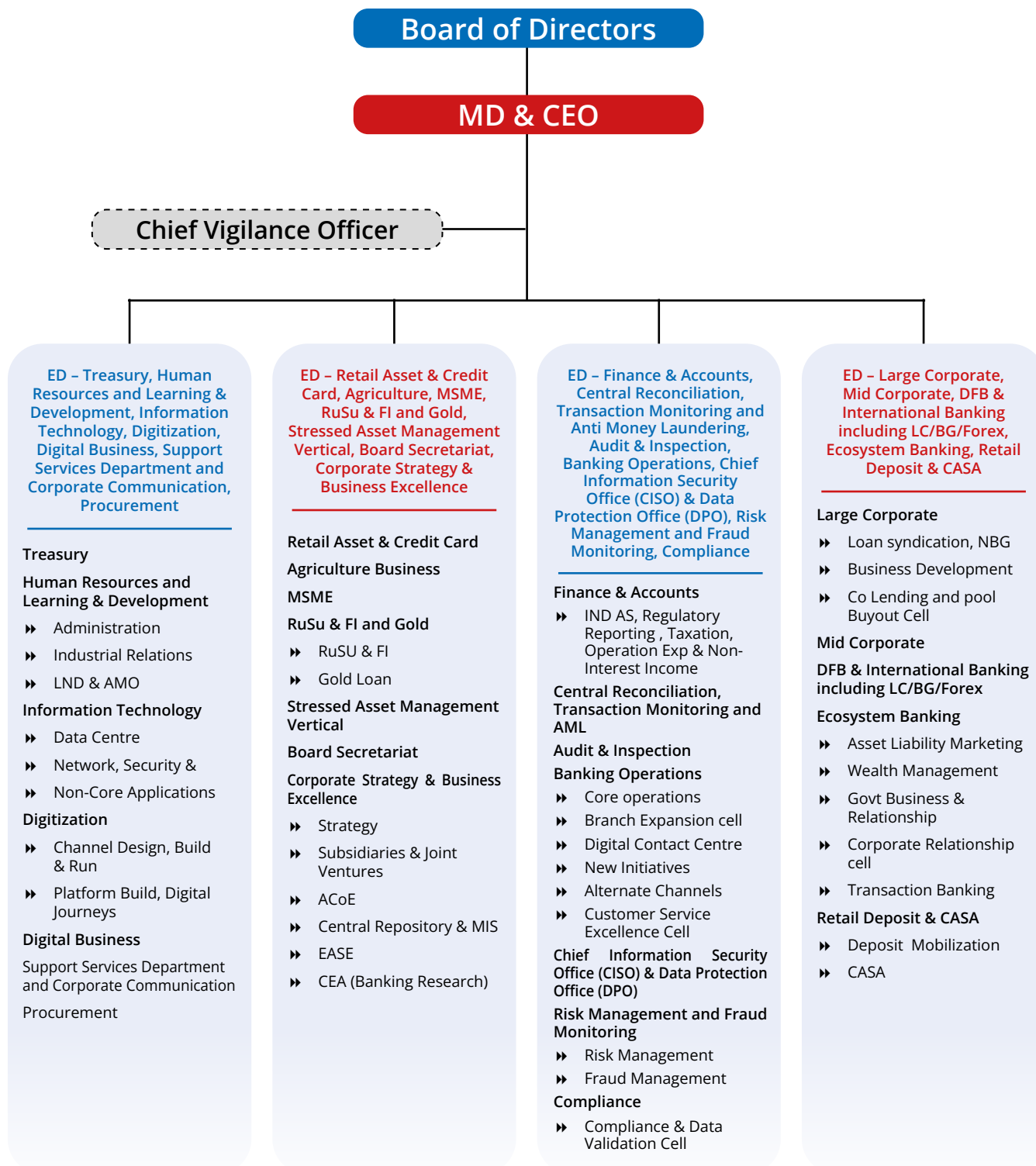
ESG Rating

CareEdge ESG 1+

CARE ESG Ratings Limited.

CRISIL: CRISIL Ratings Ltd. **CARE:** CARE Ratings Limited, **INDIA RATING:** India Ratings & Research Pvt. Ltd
ICRA:ICRA Ltd. **BRICKWORK:** Brickwork Ratings India Pvt Ltd

Organisation Structure (as on 31.03.2026)





SHRI ASHEESH PANDEY
Managing Director & CEO

Shri Asheesh Pandey is a seasoned Banker with experience of more than 27 years. He started his career from erstwhile Corporation Bank. Prior to assuming the current position, he worked as an Executive Director of the Bank of Maharashtra and Chief General Manager of the Union Bank of India.

Shri Pandey has an experience of handling diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He has also played an important role in the re-engineering, harmonization, automation and digitization during amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank with Union Bank of India.

Shri Pandey is a Mechanical Engineer and also holds Post Graduation in Management with specialisation in Finance & Marketing. He is an alumnus of Indian Institute of Management – Bangalore. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Shri Pandey has also completed Executive Program in Strategic Digital Marketing & Analytics - 2023 by IIM, Rohtak and Directors Development Program-2023 by Egon Zehnder in collaboration with Harvard Business Publishing. He has also completed Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted by IIM Bangalore as well as program on IT & Cyber Security for Senior Management conducted by IDRB, Hyderabad.



SHRI NITESH RANJAN
Executive Director

Shri Nitesh Ranjan is Executive Director of Union Bank of India since March 10, 2021. He is driving the Bank's digital transformation and leading strategic initiatives for balance sheet optimization, customer experience, and people development. While steering business outcomes, he emphasizes on continuous strengthening of risk and compliance standards.

Associated with Union Bank of India since 2008, he has held key positions including Head of Treasury Operations & Strategy, Chief Investor Relations Officer, Chief Economist, and Regional Head. He began his career with the Food Corporation of India as a management trainee and later worked with Andhra Bank.

He is a member of the IBA Steering Committee on PSB Reforms. Previously, he served on the boards of NPCI, SUD Life Insurance Company, SWIFT India, SBI Global Factors Ltd, and FIMMDA, and was a founding member of the India Forex Committee (IFXC).

Shri Ranjan holds a postgraduate degree in Economics and has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore. He has also contributed to social initiatives, dedicating 100 days to Teach India's Spoken English Programme for underprivileged youth.



SHRI RAMASUBRAMANIAN S
Executive Director

Shri Ramasubramanian S. assumed office as Executive Director of Union Bank of India w.e.f. from November 21, 2022. Prior to joining Union Bank of India, he was Chief General Manager of Canara Bank. He has to his credit more than 25 years of rich experience in various facets of Banking like Corporate Credit, MSME/Retail Credit, International Credit and forex. He holds a Bachelor degree in Science along with CAIIB qualification.

Throughout his banking career, he has worked at different locations and branch categories including Prime Corporate Credit Wing, Large Corporate, Mid Corporate Branches and Hong Kong Branch of Canara Bank and administrative offices including Head Office.

He is one of the Top Executive Grade officers who underwent Leadership Development Strategy Program organized by Financial Services Institutions Bureau (erstwhile Banks Board Bureau). He is in the standing Committee for Corporate Credit of IBA. He is also nominated to participate in Kamath Committee on COVID related loan Restructuring.

He is well versed in operations and administration equally.



SHRI SANJAY RUDRA
Executive Director

Mr. Sanjay Rudra assumed office as the Executive Director of Union Bank of India with effect from October 09, 2023. Prior to joining Union Bank of India, he served as General Manager and Chief Risk Officer of Bank of Maharashtra. He brings with him over three decades of rich Banking experience across diverse functional areas including Credit, Priority Sector, MSME and Integrated Risk Management. He was also in charge of the Learning & Development (L&D) Vertical and held additional responsibility for Development Testing of Digital Lending initiatives.

Mr. Rudra holds a Post Graduate degree in Physics and a Diploma in Financial Management from Welingkar Institute of Management. He is an Associate Member of the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF). He has undergone the Leadership Development Programme at IIM Bangalore, conducted by FSIB and has also attended the Global Advanced Management Program at ISB Hyderabad in association with the Kellogg School of Management, USA. Additionally, he has earned a Certificate in Public Policy from ISB Hyderabad.

A key member of the senior leadership team at Bank of Maharashtra, Mr. Rudra played an active role in spearheading the Bank's turnaround initiatives. He has served as a Director on the Board of Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited, a subsidiary of Bank of Maharashtra.

Further, Mr. Rudra has served as a Director on the Boards of Union AMC Pvt. Ltd. and PSB Alliance Pvt. Ltd. He is presently continuing as a Director on the Boards of Swift India Domestic Services Pvt. Ltd., IIBM Guwahati and India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), where he contributes to strategic oversight, governance and policy direction at the highest level.



SHRI AMRESH PRASAD
Executive Director

Prior to assuming the office as the Executive Director of Union Bank of India, Shri Amresh Prasad was the Chief General Manager of Punjab National Bank posted at Corporate office.

He has rich banking experience of over 32 years from branch banking, Zonal Offices to Head Office level, which includes Corporate Credit, Credit Review and Monitoring, Transaction Monitoring etc.

He is a graduate in Chemistry and Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Prasad has attended various training and Leadership Development Programs and has taken part in Leadership Development Program at SBIL Kolkata. He has also completed Aarohan 2023 FSIB Program conducted by Financial Services Institution.



SHRI ROHAN CHAND THAKUR
Government Nominee Director
(Till 13.05.2026)

Shri Rohan Chand Thakur is an officer of Indian Administrative Service (IAS) belonging to 2009 batch of Himachal Pradesh Cadre. At present, he is working as Director in Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India.

He is an economics graduate from St. Stephen's College, Delhi and a Postgraduate in Management from IIM Ahmedabad.

Experience in Government of Himachal Pradesh

- District Collector of Hamirpur and Shimla.
- Director of Information Technology.
- Managing Director of Skill Development & Entrepreneurship Department.
- Managing Director of Himachal Pradesh Financial Corporation,
- Excise and Taxation Commissioner.
- Managing Director of Himachal Road Transport Corporation.

He has previously worked with TAS before joining the civil services. He is also a Chevening Gurukul Fellow from the University of Oxford and a Master of Public Administration from Harvard Kennedy School, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.



DR. DEBASISH PRUSTY

Government
Nominee Director (Since 13.05.2026)

Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and Development Cooperation and Environmental and Urban Governance.

He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India.

In the international negotiations in the conference of parties held under the United Nations Conference on Climate Change (UNFCCC) he had represented India's negotiating team. He was a member of the standing committee on Finance of the UNFCCC in 2016.

He has been conferred the Doctor of Philosophy from the Management Department of the Manipal University Jaipur and the Master of philosophy in Environmental sciences from the Jawaharlal Nehru University, Delhi, India. Dr. Prusty is well trained from the International Monetary Fund (IMF) in the field of Finance for Macro-economists



SHRI PRAKASH BALIARSINGH

RBI Nominee Director

Shri Prakash Baliarsingh has been nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 14th July 2023.

Shri Prakash Baliarsingh was Chief General Manager of Department of Regulation, Reserve Bank of India. He was a career central banker and having rich experience of more than 3 decades with various Departments of Reserve Bank of India (majorly with Department of Supervision and Department of Regulation).

He has acted as Principal Inspecting Officer/Senior Supervisory Manager for leading commercial banks. He was also member of various committees/sub committees formed by the Reserve Bank of India related to Asset Quality Review (AQR) of banks, Risk Based Supervision as well as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). He also represented Reserve Bank of India as a member in International Committees.

He is a Post-Graduate in Political Science and also completed M.Sc. (Finance) from Oxford Brookes University, UK. He was also a recipient of Reserve Bank of India's Golden Jubilee scholarship. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.



SHRI SURAJ SRIVASTAVA
Part Time Non-Official Director
(till 10.04.2026)

Shri Suraj Srivastava is a Fellow Member of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and also a Bachelor of Laws (LL.B.).

Shri Srivastava has a rich professional experience of over 19 years as a practicing Chartered Accountant in taxation and audit practice. As a Partner of M/s Batra Sapra & Co., Shri Srivastava has done statutory audits, concurrent audits and branch audits of various Public Sector Banks, Public Sector Undertakings and other Companies.

Shri Srivastava has also completed Information Systems Audit (ISA) Assessment test from ICAI.



DR. PRITI JAY RAO
Shareholder Director

Dr. Priti Jay Rao has been re-elected as a Shareholder Director of the Bank and assumed office of the Director of the Bank on 29/07/2024 for another period of 3 years till 28/07/2027 and she is M.Sc. (Mathematics) from IIT Bombay with specialization in Computer Science. She is a passionate advocate of amplifying business value, leveraging Technology, Human Resources and Process Automation.

She has to her credit, 26 Years of diverse experience in building and delivering range of IT services for customers located across all the five continents. During her stint in various Companies, she played a pivotal role in supporting IT teams, delivering software services and managing large scale recruitment, training and assimilating large employee base.

She is inclined towards a leadership skill that requires both knowledge and vision of technology with the ability to envisage how technology might affect organizational dynamics to help organisations accelerate technology adoption.

She is the member of Board of Directors of Public and Private companies related to various aspects of technology services and products for last several years.

She is also actively engaged in various CSR activities with a mission and objective to provide financial assistance, special coaching, counselling, other requisite support to deserving bright young girls from disadvantaged background to enable them to grow into empowered, confident professionals with strong values.



SHRI PRAKASH CHANDRA KANDPAL
Shareholder Director

Mr. Prakash Chandra Kandpal has been elected as a Shareholder Director of the Bank and assumed office of the Director of the Bank on 27/07/2024 for a period of 3 till 26/07/2027 years and he has extensive experience of over 36 years with State Bank of India and its subsidiaries. He retired as Deputy Managing Director (Retail business - Personal Banking and Real Estate) of SBI. Mr. Kandpal has held multiple leading responsibilities at SBI including MD & CEO of SBI General Insurance and ED&COO at SBI Funds Management Ltd. He has an in-depth expertise in Banking, HR, Operations, Insurance and Mutual funds space and has contributed immensely to the Banking and Financial Services Industry. He has led many renowned initiatives in HR, Training, IT, Business Process Re-engineering and Governance.

Mr. Kandpal has held positions as Nominee Director, SBI Foundation and PSB Alliance Ltd and believes in contributing back to the environment and society with strong governance in place.

He is currently serving on the Board of Tata AIG General Insurance Company Ltd., Nucleus Software Exports Ltd. HDFC Pension Management Company Ltd., Early salary Services Pvt Ltd and Social worth Technologies Pvt Ltd.

Mr. Kandpal has been honoured by prestigious awards such as Business Leader of the Year Award, in 2021 and the Company with Great Managers Award on behalf of SBI GI, in 2021 and secured the Brandon Hall Award in 2018 for SBI for his pathbreaking initiatives in Learning and Development at SBI to name a few.

Mr. Kandpal holds a M.A(Economics) degree from Kumaon University, Nainital and Masters in Financial Management from Jamnalal Bajaj Institute of Management, Mumbai. He also has multiple professional certifications such as an Executive MBA program (curated for SBI) from ISB Hyderabad, and Global Advance Management Program-AIIMA with Berkley University, USA



CVO / KMPs / CRO / SMPs / GMs (as on 31.03.2026)

Chief Vigilance Officer



Shri Ajay Kumar Singh

Key Managerial Personnel (KMP) other than Wholetime Directors



Shri P K Samal
CCO



Shri Avinash Prabhu
CFO upto 31.01.2026



Shri Dharendra Jain
CFO w.e.f. 01.02.2026



Shri Ashish Mishra
CS w.e.f 28.01.2026



Shri Mangesh Mandrekar
CS up to 28.01.2026

Chief Risk Officer



Shri Ashwini Choudhary
Upto 21.05.2026



Smt Sowmya Sridhar
w.e.f. 22.05.2026

Chief General Managers (Senior Management Personnel)



Shri A K Vinod



Shri Pravin Sharma



Shri Abhijit Basak



Shri Suresh Chandra Teli



Shri Vasudevan Biju



Shri Kabir Bhattacharya



Shri Arun Kumar



Shri Anil Kuril

Chief General Managers (Senior Management Personnel)



Shri M Ravindra Babu



Shri Tata Venkat Venugopal



Shri G.K. Sudhakar Rao



Shri Sarvesh Ranjan



Shri Sumit Srivastava
w.e.f. 01.04.2026



Shri Sanjay Narayan



Shri Biraja Prasad Das



Shri Vipin Singh



Shri Pramod Kumar Reddy
w.e.f. 01.04.2026

General Managers



Shri Amarendra Kumar



Shri Santanu Kumar Dash



Shri Alok Kumar



Shri Vikash Kumar



Shri Gokulananda Das



Shri Gyana Ranjan Sarangi



Shri Rajib Lochan Pattanayak



Shri Navneet Kumar



Shri Manoj Kumar



Shri Vithal Banashankari



Shri Vipin Kumar Shukla



Shri Rajiv Kumar Jha



Shri Gugulotu Shankarlal



Shri Girija Bhusan Mishra



Shri P Krishnan



Shri Baij Nath Singh



Smt. Renu K Nair



Shri Ajay Kumar



Shri Hare Krishna Das



Shri Hrishikesh Mishra



Shri Sunil Kumar Jadli



Shri Manoj Kumar



Shri Omprakash Shriniwas Karwa



Shri Maniram Jithender



Shri S Sakthivel



Shri Manoj Kumar Nanda



Shri Guna Nand Gami



Shri Chaganti Venkata Naga Bhaskara Rao



Shri Satyaban Behera



Shri Patri Srinivasa Kumar



Shri Saroj Kumar Dash



Shri K Mahendra Reddy



Smt Archana Shukla



Shri Rajesh Kumar



Shri T Kameswara Rao



Smt. Shalini Menon



Dr. Chetna Pandey



Shri Ravi Shanker



Ms. Juna Roselin



Smt Tajvinder Kaur



Shri Kumar Rahul



Shri Chittari Amaravati Kalyan Varma



Shri Dillip Mishra



Shri Sujit S Tariwal



Shri Sunil Ahuja



Shri Sanjeev Kumar



Shri Akhilesh Kumar



Shri Lokanath Sahoo



Shri Hara Mohan Sahoo



Shri Satyajit Mohanty



Dr. H T Vasappa



Shri Siddharth Kiran Mujumdar



Shri Rajender Kumar



Shri Rajkumar S A



Smt. Valluru Madhavi



Shri Niraj Singh



Shri Prasanta Kumar Sahoo



Shri Shalaj Kumar Sinha



Shri Sunil Kumar



Shri Vikas Babu Chittiprolu



Shri Pranjal Bajpai

Internal Ombudsman



Shri Anthony Juliano Rodrigues



Shri Dharmveer Singh Shekhawat

Head Tbd And Crc



Shri Prasad Ramaswamy

Chief Economic Adviser



Ms. Kanika Pasricha
CEA

Head Digital Call Centre



Shri Hitesh Sindwani Head Digital

Message from Managing Director & CEO



Asheesh Pandey

Managing Director and Chief Executive Officer

1. Bank's 'Business

FY2025-26 was a landmark year for your Bank, reflecting strong business momentum, improved financial strength, and enhanced stakeholder confidence.

The Bank achieved its highest-ever annual net profit of ₹18,697 crore. This performance reflects the Bank's continued focus on profitability, efficiency, quality growth, and prudent balance sheet management.

The Bank's global business reached a historic high of ₹23.86 lakh crore, comprising global deposits of ₹13.07 lakh crore and global advances of ₹10.79 lakh crore.

The focus was on a disciplined approach towards cash management, ensuring profitability, conserving capital and improving key financial metric such as Return on Capital Employed (ROCE) while safeguarding the Bank's financial health. We shed bulk deposits of close to around ₹71,000 crores during the financial year 2025-26. Our CASA ratio jumped to 35.20% in FY2025-26 from 33.51% last year, reflecting the success of our new Ecosystem banking initiative. Also, retail term deposit plus CASA increased by almost ₹1 lakh crores with a YoY growth of close to 11.40%. Hence, we maintain a good strategic mix of CASA & RTD to bulk deposit, which is 79:21 now vs 73:27 in March 2025.

A healthy Credit-Deposit ratio of 83.27% also reflects a balanced growth and prudent liquidity management. Gross advances crossed the significant milestone of ₹10 lakh crore, demonstrating the strength of our franchise and customer trust. The Bank maintained a balanced growth approach with RAM (Retail, Agriculture and MSME) advances reaching ₹5.98 lakh crore. Our strategic goal remains to boost high NIM accretive RAM lending, with the RAM to corporate lending ratio improving to 55:45 in FY2025-26 versus 54:46

Dear esteemed Shareholders,

The Indian economy and banking sector have continued to demonstrate resilience and stability amid persistent global uncertainties. Over the past few years, the world has witnessed multiple disruptions — from the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict to evolving global trade dynamics, tariff-related uncertainties, and geopolitical tensions arising from the West Asia conflict. Despite these persistent global shocks, India has continued to maintain its growth momentum, supported by strong domestic fundamentals, prudent policy measures, financial sector resilience, and the strength of its institutions.

Against this backdrop, Union Bank of India remained focused on delivering sustainable growth while strengthening the foundations of a future-ready institution. Guided by our philosophy of "Business First, Compliance Always", the Bank continued to pursue customer-centric growth, operational excellence, disciplined risk management, and responsible banking.

last year. Retail advances grew by 16.75%, MSME advances by 18.75%, and Agriculture advances by 2.75%, reaffirming our commitment towards inclusive and diversified credit growth. More than 99% of the retail portfolio had CIBIL scores above 700 and over 95% of the corporate portfolio remained rated BBB and above.

Profitability remained stable with Return on Assets at 1.25%, Return on Equity at 15.86%, and Net Interest Margin at 2.70%. Capital strength remained robust with CRAR at 18.10% and CET-I ratio at 15.69%, providing a strong foundation to support future growth.

Asset quality improved further with Gross NPA declining to 2.82%, Net NPA improving to 0.48%, Provision Coverage Ratio strengthening to 95.03%, and credit cost moderating to 0.23%.

The Board has recommended a record dividend of ₹5 per equity share for FY2025-26, reflecting our commitment towards shareholder value creation.

2. Major Milestones Achieved

FY2025-26 witnessed significant progress across business performance, technology, sustainability, and institutional recognition.

The Bank's market capitalization crossed more than ₹1.0 lakh crore, reflecting enhanced confidence among investors and stakeholders. The Bank received prestigious recognitions including Best MSME Bank Award, IBA Best Technology Bank of the Year Award, and recognition for Best Security Practices in the Banking Sector. The Bank was also recognized as a "Role Model Organization" at the NCPEDP-Mphasis Universal Design Awards for its inclusive banking initiatives and accessible digital solutions.



During the year, the Bank witnessed improvement in its external recognition profile with rating upgrades from leading global rating agencies including S&P and Fitch, reflecting enhanced financial strength, improved fundamentals, and institutional resilience.

The Bank further strengthened its sustainability credentials with improvement in ESG ratings, including CARE ESG Rating of CareEdge ESG 1+ and Moody's Sustainability Quality Score of SQS2 under the Sustainable Finance Framework.

These achievements reflect the collective efforts of our employees and the continued trust of our customers and stakeholders.

3. Long term strategy

Union Bank @2031 represents our aspiration to build a future-ready, agile, digitally empowered, and high-performing institution. We prepared a 5-year Strategy document in this regard to define our key aspirations and identify key strategic levers to achieve the same.

Our strategy is anchored around four key pillars:

Digital | Strategy | Reconciliation | Ecosystem Banking

These pillars aim to deepen customer relationships, improve operational efficiency, strengthen execution capabilities, and create sustainable value.

As India progresses towards the vision of Viksit Bharat 2047, the Bank is committed to supporting the country's growth journey across infrastructure, manufacturing, MSMEs, renewable energy, logistics, technology-led sectors, and emerging industries.

As part of the Union Bank @2031 vision, the Bank has identified clear strategic aspirations:

- Doubling the MSME business, reinforcing the Bank's commitment towards entrepreneurship, employment generation, and India's growth engine.
- Achieving a CASA ratio of 38%, strengthening the quality and stability of the deposit franchise through deeper customer relationships and ecosystem-led banking.
- Improving operational efficiency with a target to bring the Cost-to-Income ratio below 45%, supported by Ease of Doing Business, digital transformation by creating a 'Digital Bank within the Bank', process optimisation, automation, and enhanced productivity.
- We stay focused on compliance and assurance as key functions of the Bank.
- In an attempt to bolster investor returns, our target is to achieve Return on Assets of 1.50%

Union Bank @2031 envisions becoming a future-ready, agile, and digitally empowered institution, building on its strong legacy of trust and nation-building.

4. Strategic functions

Ecosystem Banking vertical launched

The launch of the Ecosystem Banking Vertical represents a strategic move towards relationship-led and flow-based banking. Institutions today operate within wider ecosystems comprising employees, vendors, contractors, service providers, customers, and beneficiaries. The Bank is moving

beyond individual relationships to engage with the wider ecosystem around institutional anchors, enabling deeper relationships and stronger CASA mobilisation.

The focus remains on Government entities, public sector organisations, corporates, educational institutions, healthcare organisations, MSMEs, and emerging business clusters. The efforts have already begun to bear fruit with the spike seen in our CASA ratio in 2025-26 and threshold shift in absolute CASA levels.

Strategy and Business Excellence

The Corporate Strategy and Business Excellence Vertical has been strengthened as the central platform for transformation by integrating strategy, analytics, business excellence initiatives, project management, and execution monitoring. By integrating key functions such as Research, Analytics, CR&MIS, and EASE into a unified framework, the Bank aims to enable data-driven decision-making, improve coordination, and enhance operational efficiency. This transformation is expected to support faster execution, better customer experience, and sustainable business growth..

Revamped Corporate Strategy and Business Excellence Vertical, has taken several initiatives such as Project Muskaan, Union Innovation League etc. as structured Bottom-up engagement approach to strengthen field support, streamline processes, enhance digital oversight, deepen compliance & security posture and accelerate execution across the Bank. The Bank undertook several transformative initiatives during the year to strengthen branch productivity, operational resilience, and workforce capabilities. Simultaneously, branch workload was reduced through centralization, automation, digital sourcing, and streamlined workflows.

Digital Transformation – At the Core of Business Strategy

Technology, data, and innovation continue to support the Banks transformation journey while maintaining strong cyber security, data governance, and customer protection frameworks. During FY2025-26, the Bank enhanced its digital acquisition and servicing capabilities through digital onboarding journeys, ecosystem-led banking solutions, process automation, and scalable digital platforms. Investments in AI-enabled solutions, advanced analytics, hyper-automation, reconciliation systems, and data-driven decision making are helping improve customer experience, operational efficiency, and risk management capabilities. The Bank also continued to strengthen its digital payments and transaction banking ecosystem in line with India's rapidly expanding UPI-led digital economy.

Digital transformation remains central to the Bank's business strategy, enabling scalable growth, enhanced customer experience, and operational efficiency. The establishment of the Digital Business Vertical has strengthened the Bank's focus on digital distribution, customer journeys, analytics-driven decision making, automation, and next-generation banking solutions.

Recovery Transformation

Strengthening asset quality and improving recovery outcomes remained key priorities. The Bank enhanced recovery mechanisms through focused monitoring, accountability, faster resolution, and greater engagement across recovery channels.

During FY2025-26: 2,013 properties were sold under SARFAESI with sale value of approximately ₹1,414 crore. 68,702 accounts involving around ₹2,000 crore were settled through Lok Adalat.

MSME Clusters

MSMEs continue to remain a key growth engine. Through MSME Processing Centres, MSME-focused branches, and cluster-based financing initiatives, the Bank continues to provide customised solutions and strengthen support for entrepreneurship and inclusive growth. We have formulated specialised cluster-specific schemes tailored to the unique requirements, opportunities and challenges of each cluster, ensuring that we move beyond a “one-size-fits-all” approach.

Reconciliation Excellence

The Bank has established Reconciliation Vertical to strengthen timely reconciliation/ resolution of transactions and improve the customer satisfaction. During FY2025-26, the Bank reconciled over 2,030 crore digital transactions, handling approximately 5.56 crore transactions daily.

Human Resources Transformation

The Bank continued to invest in capability building, leadership development, employee engagement, and creation of a future-ready workforce.

5. Strengthening assurance function –

Strengthening assurance functions remains a strategic priority as the Bank continues its transformation journey. The Bank has enhanced governance frameworks across Risk Management, Compliance, Internal Audit, Cyber Security, Transaction Monitoring, ESG, Credit Monitoring, and Vigilance. The function is evolving from traditional control-based approaches to data-driven, analytics-enabled systems that improve transparency, enhance decision-making, and support sustainable growth, while reinforcing customer trust and regulatory alignment.

The three lines of defence model ensures effective risk ownership, independent monitoring, and objective assurance. The Bank continues to strengthen credit risk management, operational controls, market risk oversight, fraud prevention, ESG risk management, and regulatory compliance. Technology-enabled transaction monitoring, analytics-driven supervision, and machine learning-based solutions support fraud detection and customer protection.

The Internal Audit function continues to provide independent assurance on controls and governance. During FY2025-26, Risk Based Internal Audit was completed across 5,760 branches and units, strengthening operational discipline.

Cyber Security remains a strategic priority, with robust security frameworks supporting safe and resilient digital banking operations. Together, these assurance functions provide a strong foundation for responsible growth, resilience, and stakeholder confidence. The Bank remains

committed to strict underwriting discipline, stronger early warning systems, enhanced transaction monitoring, reconciliation strengthening, and proactive control of slippages and stress formation. Integrated verticals for reconciliation, AML, fraud monitoring, audit, compliance, and risk management reflect the Bank's forward-looking approach toward governance and assurance.

6. Social responsibility

Union Bank of India remains committed to inclusive banking and nation-building through initiatives in financial inclusion, accessibility, digital empowerment, education, healthcare, and community development. The Bank continues to align its efforts with national priorities of inclusive growth, sustainability, and empowerment. The Bank's CSR initiatives through Union Bank Social Foundation Trust (UBISFT) focused on inclusive growth across health, education, and community development.

Women empowerment remained a key pillar of the Bank's agenda. During Q4FY26 alone, the Bank sanctioned 3,080 applications amounting to Rs 560 crore under the Union Nari Shakti scheme. Through its 42 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), the Bank has cumulatively trained over 4.33 lakh individuals with a settlement ratio of 73%, supporting entrepreneurship and livelihood generation. Financial inclusion remained another key focus area. Under PMJDY, the Bank expanded outreach to 3.40 crore accounts with balances of Rs 15,964 crore as on March 31, 2026. The Bank also recorded strong participation under PMJJBY, PMSBY, APY, PM Mudra Yojana, PM Vishwakarma, PM SVANidhi, and PM Surya Ghar schemes.

During FY26, the Bank strengthened its sustainability and ESG agenda through enhanced green financing, robust climate risk governance, and responsible banking practices. The green finance portfolio reached ₹37,435 crore, including ₹33,572 crore in renewable energy financing, reflecting the Bank's commitment to sustainable and responsible growth.

7. Outlook

The Bank remains focused on sustainable growth, customer excellence, digital transformation, strong governance, and responsible banking. With a strong balance sheet, robust capital position, improving asset quality, and a clear strategic roadmap, Union Bank of India is well positioned to support India's growth journey. I express my sincere gratitude to our shareholders, customers, regulators, Government of India, Reserve Bank of India, and all stakeholders for their continued trust and support. I also acknowledge the dedication of every employee of Union Bank of India whose commitment continues to strengthen our institution. Together, we remain committed to building a stronger Union Bank of India and contributing to a stronger India.

With heartfelt best wishes,

Asheesh Pandey
Managing Director & CEO



Value Creation Story: Building India's Sustainable Future

Executive Summary: Bank's Value Creation Journey

Union Bank of India's FY 2025–26 performance exemplifies how integrated thinking transforms banking from transactional relationships to sustainable value creation. The Bank delivered a Net Profit of ₹18,697 crore, representing a growth of 3.95% over the prior year's ₹17,987 crore. This sustained earnings momentum — achieved even as operating profit moderated on account of a declining interest rate environment — demonstrates how strategic integration across all six capitals drives inclusive growth, environmental stewardship, and digital innovation simultaneously.

FY 2025–26 was a landmark year in the Bank's transformation journey. Global advances crossed the ₹10 lakh crore milestone for the first time, touching ₹10,78,611 crore. Asset quality reached its best level in more than a decade, with the Gross NPA ratio declining to 2.82% — an improvement of 78 basis points over FY25 and 194 basis points over FY24. The Provision Coverage Ratio strengthened to 95.03%, providing a robust buffer against future credit losses. Capital adequacy remained strong at a CRAR of 18.10%, well above the Basel III regulatory minimum of 11.5%.

Bank's Core Value Proposition: Union Bank of India is India's catalyst for sustainable economic transformation, leveraging its extensive network of 8,697 branches and 28,035 Business Correspondent Points to deliver financial inclusion while pioneering climate-positive financing and digital innovation. The Bank's 107-year legacy of service to millions of individuals, farmers, small businesses, and communities continues to guide its purpose as a responsible public sector institution.

Bank's Value Creation Model

Union Bank of India's value creation model is premised on the integrated deployment of its six capitals — Financial, Manufactured, Intellectual, Human, Social and Relationship, and Natural — across its core business activities. The interplay of these capitals through banking operations generates sustainable financial, social, and environmental value for all stakeholders.

The Bank's inputs comprise financial capital in the form of equity, deposits, and borrowings; manufactured capital in the form of its branch, ATM, and BC network; intellectual capital comprising digital platforms, technology systems, and cybersecurity capabilities; human capital in the form of 73,885 trained and motivated employees; social and relationship capital built through customer trust, government partnerships, and community engagement; and natural capital aligned with the Bank's commitment to climate-positive finance and net-zero operational goals by 2035.

These inputs are transformed through the Bank's business activities — corporate and retail credit delivery, financial inclusion, digital banking, treasury operations, and ESG-linked financing — to generate outcomes that create value across all stakeholder groups. The Bank's outcomes include a Net Profit of ₹18,697 crore, digital business mobilisation of ₹1,18,000+ crore, a green finance portfolio of ₹37,435 crore, priority sector lending of 41.04% of ANBC, and training of 4.33 lakh individuals through RSETIs.

Our Six Capitals — Inputs at a Glance (March 2026)

Capital	Key Inputs / Resources
Financial Capital	Global Deposits ₹13,06,891 Cr CRAR 18.10% Strong retained earnings Govt equity (74.76%)
Manufactured Capital	8,697 branches 8,656 ATMs 28,035 BC Points Overseas presence (Dubai, Sydney)
Intellectual Capital	15+ end-to-end digital journeys AI/ML platforms Cybersecurity CoE Finacle CBS
Human Capital	73,885 employees 31.24 learning hrs/employee/quarter ISO 30414:2025 framework
Social & Relationship Capital	Customer trust Priority sector commitment Government partnerships 42 RSETIs UBSFT
Natural Capital	₹37,435 Cr green portfolio PCAF signatory Net-Zero 2035 ESG governance framework

Value Creation Outcomes FY 2025-26

Outcome Category	Key Achievements	Stakeholder Impacted
Financial Value	Net Profit ₹18,697 Cr RoA 1.25% RoE 15.86% EPS ₹24.49 GNPA2.82%	Shareholders
Digital Value	₹1,18,000+ Cr digital business 15+ digital journeys 75+ lakh UVConn users	Customers
Inclusive Value	PSL 41.04% ₹1,83,394 Cr agri credit UV 3.40 cr accounts SHGs ₹33,212 Cr	Communities
Social Value	CSR ₹61.69 Cr approved RSETI 4.33 lakh trained PM Vishwakarma 15,191 artisans	Society
Environmental Value	Green portfolio ₹37,435 Cr Renewable energy ₹33,572 Cr Net-Zero 2035	Environment
Human Value	23.10 lakh learning hours 42 leadership programs 867 executives trained	Employees
Economic Value	₹10,78,611 Cr credit 9.74% advances growth ₹5,484 Cr tax provision	Economy/Govt

Materiality & Stakeholder Priorities

In the Bank's recent ESG materiality assessment, 15 key ESG topics were examined, reflecting the evolving expectations of Union Bank of India and its stakeholders, and the shift from perception-based to impact-driven materiality. Based on the resultant Materiality Matrix, ESG topics on Business Ethics & Corporate Governance, Risk Management, Regulatory Compliance, Climate Change Risk & Resilience, and Data Privacy, Cybersecurity & Digitization and Employee Health, Well-being, Attracting & Retaining talent are identified as being of highest importance to both the business and stakeholders.

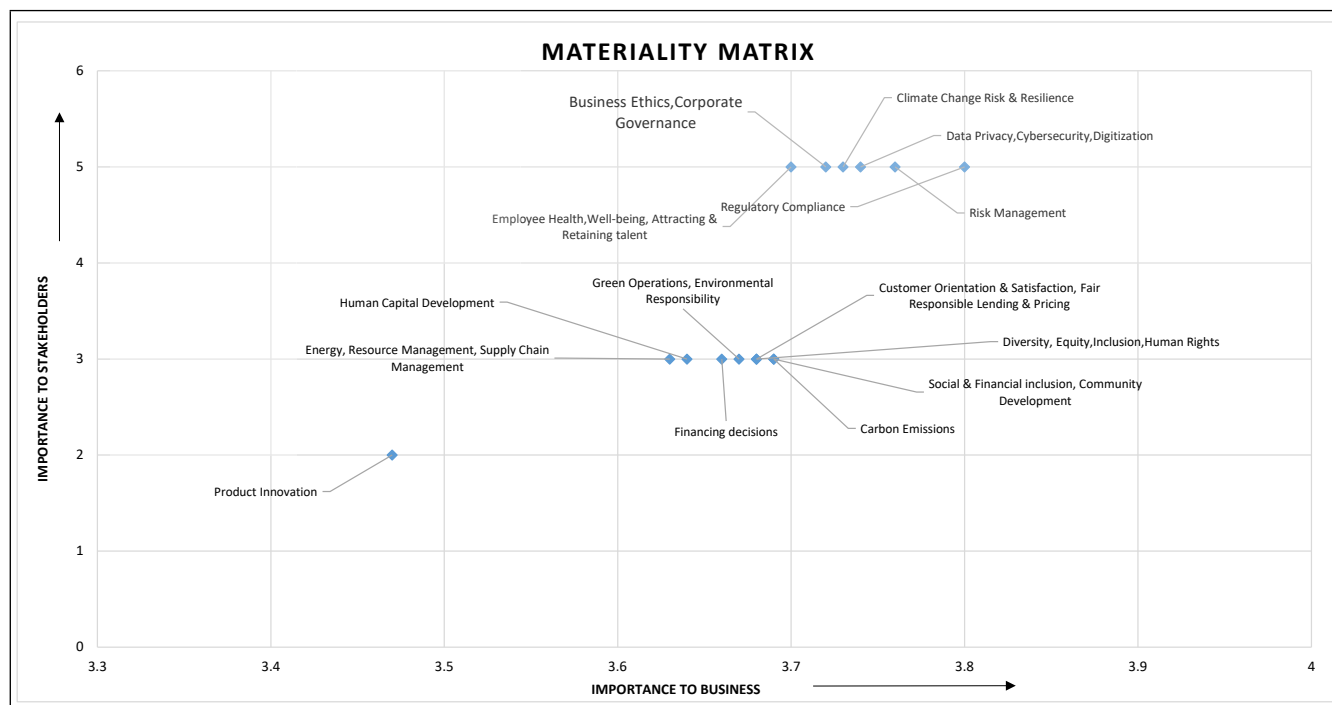
Materiality Priority	ESG Topics	Stakeholder Importance
Most Material	Business Ethics & Corporate Governance Data Privacy & Cybersecurity Climate Change Risk & Resilience Risk Management Regulatory Compliance Employee Health & Well-being, Attracting & Retaining talent	Very High
Highly Material	Customer Orientation & Fair Lending	High
Material	Green Operations Social & Financial Inclusion Diversity, Equity & Inclusion	Medium-High
Moderately Material	Human Capital Development Carbon Emissions	Medium
Emerging	Energy & Resource Management Supply Chain Management Product Innovation	Moderate

Stakeholder Value Propositions

Stakeholder	Value Delivered
Customers	Enhanced digital experience through 15+ digital journeys Inclusive access to banking services Sustainable products aligned with lifestyle choices
Shareholders	Superior risk-adjusted returns Net Profit ₹18,697 Cr EPS ₹24.49 Book Value ₹154.41/ share Transparent governance
Employees	Career development 23.10 lakh learning hours Inclusive workplace ISO 30414:2025 human capital reporting
Communities	Economic development Financial inclusion Environmental stewardship RSETI training for 4.33 lakh rural youth
Regulators	Compliance excellence Risk management leadership Market stability 100% regulatory compliance maintained
Environment	Climate-positive financing ₹37,435 Cr Net-Zero 2035 commitment PCAF signatory ESG integration in credit decisions



Materiality Matrix



Capital Interconnectedness

Union Bank of India's six capitals are deeply interconnected, with value created in one capital reinforcing and amplifying value creation across others. This integrated approach distinguishes the Bank's model from a purely financial profit-maximisation framework and positions it as a driver of holistic, long-term stakeholder value.

Capital	How It Enables Other Capitals
Financial Capital	Funds technology and digital transformation (Intellectual Capital) Finances branch expansion and modernisation (Manufactured Capital) Enables CSR investments and RSETI operations (Social Capital) Supports green bond issuance and green finance growth (Natural Capital)
Intellectual Capital	Digital platforms reduce costs and improve efficiency (Financial Capital) Enables scalable customer service delivery (Manufactured Capital) Powers AI/ML-driven learning systems (Human Capital) ESG data analytics enable climate risk assessment (Natural Capital)
Manufactured Capital	Extensive branch/BC network enables financial inclusion (Social Capital) Platform for deploying digital innovations (Intellectual Capital) Green building and renewable energy at offices (Natural Capital) Revenue from banking operations (Financial Capital)
Human Capital	Skilled employees drive credit growth and customer satisfaction (Financial Capital) Employee innovation supports digital transformation (Intellectual Capital) Community programs and financial literacy (Social Capital)
Social & Relationship Capital	Customer trust drives business growth (Financial Capital) Market intelligence informs product innovation (Intellectual Capital) Social license for expansion and operations (Manufactured Capital)
Natural Capital	Green finance generates new revenue streams (Financial Capital) Climate risk assessment enhances credit quality (Financial Capital) Green products attract ESG-conscious customers (Social Capital)

Bank's Response Strategy — Four Strategic Pillars

1. Financial Resilience & Profitable Growth

The Bank focused on sustaining profitability through improving asset quality, optimising the cost of funds, growing fee-based income, and deploying capital efficiently. The dramatic decline in provisions from ₹13,103 crore to ₹9,922 crore was the critical driver enabling net profit growth even as operating profit moderated. The GNPA ratio declined to its lowest level in over a decade at 2.82%, and fresh slippages were reduced by 30.8% to ₹7,867 crore.

2. Digital-First Customer Experience

The Bank's shift from a product-centric to a customer-centric model was operationalised through the expansion of 15+ digital lending and deposit journeys. Digital business mobilisation surged to ₹1,18,000+ crore, demonstrating the commercial impact of the Bank's technology investments. The UVConn WhatsApp Banking platform achieved 75+ lakh users with 4.50 crore requests serviced during the year.

3. Inclusive Banking & Priority Sector Excellence

Achieving 41.04% priority sector lending against a 40% benchmark, the Bank maintained its leadership in financial inclusion. Agricultural credit reached ₹1,83,394 crore, with credit to Small and Marginal Farmers at ₹97,787 crore — well above the 10% ANBC benchmark. The Bank's BC network expanded to 28,035 points, serving customers in the remotest geographies.

4. Sustainable Banking & ESG Leadership

The green finance portfolio grew by 30.7% to ₹37,435 crore, with renewable energy financing reaching ₹33,572 crore. As India's first major bank to become a PCAF signatory, Union Bank demonstrated leadership in transparent climate risk reporting. The planned ₹5,000 crore Green Infrastructure Bond issuance is expected to position the Bank among few of India's largest green bond issuers.



Financial Capital

Sustaining Profitability | Preserving Capital | Delivering Stakeholder Returns

Introduction

Financial Capital comprises the pool of funds available to Union Bank of India — equity capital, deposits, borrowings, and retained earnings — that are deployed across business activities to generate financial and non-financial value for all stakeholders. Strong financial capital is the foundation that enables the Bank to invest in digital transformation, expand its branch network, develop its human resources, finance sustainable projects, and fulfil its financial inclusion mandate.

In FY 2025–26, Union Bank of India delivered a sustained financial performance characterised by net profit growth of 3.95% to ₹18,697 crore, a decade-low GNPA ratio of 2.82%, and a strengthened CRAR of 18.10%. While operating profit moderated from ₹31,090 crore to ₹28,620 crore on account of NIM compression in a declining rate environment, the sharp decline in provisions by 24.28% to ₹9,922 crore — reflecting significantly improved portfolio quality — enabled net profit growth. The Bank's balance sheet crossed ₹20 lakh crore in total assets, with global advances crossing the ₹10 lakh crore milestone for the first time.

Financial Performance at a Glance — FY 2025–26

Key Metric	FY 2024–25	FY 2025–26	YoY Change
Net Profit (₹Crore)	17,987	18,697	+3.95%
Operating Profit (₹Crore)	31,090	28,620	-7.95%
Net Interest Income (₹Crore)	37,214	36,659	-1.49%
GNPA Ratio (%)	3.60%	2.82%	-78 bps
NNPA Ratio (%)	0.63%	0.48%	-15 bps
Provision Coverage Ratio (%)	94.61%	95.03%	+42 bps
CRAR (%)	18.02%	18.10%	+8 bps
CET-1 Ratio (%)	14.98%	15.69%	+71 bps
Return on Assets (%)	1.26%	1.25%	-1 bp
Return on Equity (%)	17.20%	15.86%	-134 bps
EPS (₹)	23.56	24.49	+3.9%
Book Value Per Share (₹)	136.98	154.41	+12.7%
Credit Cost (%)	0.77%	0.23%	-54 bps
Price-to-Book Ratio	0.94x	1.06x	+0.12x

Income & Profitability

Profit & Loss Statement — Annual Comparison

Parameter	FY 2024–25 (₹ Crore)	FY 2025–26 (₹ Crore)	YoY Change (%)
Interest Income	1,05,909	1,05,992	+0.08%
Interest Expense	68,695	69,333	+0.93%
Net Interest Income (NII)	37,214	36,659	-1.49%
Non-Interest Income	19,813	19,435	-1.91%
— of which: Fee-Based Income	10,285	9,743	-5.26%
— of which: Recoveries from Written-off Accounts	4,311	3,997	-7.28%
Operating Income(NII+non interest Income)	57,027	56,094	-1.64%
Operating Expenses	25,937	27,474	+5.93%
Operating Profit	31,090	28,620	-7.94%
Provisions	13,103	9,922	-24.28%
Net Profit	17,987	18,697	+3.95%
Tax Provision	5492	5,484	-0.14%
Cost-to-Income Ratio	45.48%	48.98%	+350 bps
Net Interest Margin (NIM)	2.91%	2.70%	-21 bps

Union Bank of India delivered a net profit of ₹18,697 crore in FY 2025–26 — a growth of 3.95% over the prior year — reflecting sustained earnings momentum despite a moderation in operating profit. Net Interest Income remained broadly stable at ₹36,659 crore, with the marginal compression of ₹555 crore driven by a declining yield-on-advances environment as the RBI's easing cycle gathered pace. Provisions declined sharply by 24.28% to ₹9,922 crore from ₹13,103 crore in FY25, reflecting the significant improvement in portfolio quality, dramatically lower fresh slippages, and reduced credit cost of 0.23% — one of the lowest levels the Bank has achieved. Revenue composition remained anchored by Net Interest Income at 64.28% of operating income, complemented by fee-based income of ₹9,743 crore and recoveries from written-off accounts of ₹3,997 crore, demonstrating a well-diversified income architecture.

Quarterly Performance — FY 2025–26

Quarter	NII (₹Cr)	Operating Profit (₹Cr)	Net Profit (₹Cr)	NIM (%)	RoA (%)
Q1 FY26 (Jun-25)	9,113	6,909	4,116	2.76%	1.11%
Q2 FY26 (Sep-25)	8,812	6,814	4,249	2.67%	1.16%
Q3 FY26 (Dec-25)	9,328	6,942	5,017	2.76%	1.35%
Q4 FY26 (Mar-26)	9,406	7,955	5,316	2.64%	1.36%
FY 2025–26 (Full Year)	36,659	28,620	18,697	2.70%	1.25%
Q4 FY25 (Mar-25) (for comparison)	9,514	7,700	4,985	2.87%	1.35%

The Bank's quarterly trajectory demonstrated a robust recovery through FY 2025–26. Q4 FY26 recorded the highest quarterly net profit in five quarters at ₹5,316 crore, and operating profit rebounded sharply to ₹7,955 crore — the strongest result since Q2 FY25. The strong Q4 rebound, driven by credit cost at a record low of 0.16% in the quarter and RoA at 1.36%, validates the sustainability of the Bank's asset quality improvement journey.

Balance Sheet & Business Scale

Business at Scale — Key Balance Sheet Items

Parameter	Mar-25 (₹Crore)	Sep-25 (₹Crore)	Mar-26 (₹Crore)	YoY Growth
Global Deposits	12,72,247	12,34,621	13,06,891	+2.72%
Global Advances	9,82,894	9,75,207	10,78,611	+9.74%
RAM Advances	5,31,679	5,54,306	5,98,484	+12.56%
Large Corporate Advances	4,05,670	3,79,420	4,31,609	+6.39%
Overseas Advances	36,919	32,934	37,657	+2.00%
Others	8,626	8,547	10,861	+25.91%
CASA Deposits	4,26,325	4,01,854	4,60,077	+7.92%
— Savings Deposits	3,39,916	3,38,844	3,75,990	10.61%
CASA Ratio (%)	33.51%	32.56%	35.21%	+170 bps
Total Investments	3,56,954	3,47,965	3,31,682	-7.07%

The Bank's balance sheet expanded meaningfully in FY 2025–26, with global advances crossing the ₹10 lakh crore milestone to reach ₹10,78,611 crore, registering year-on-year growth of 9.74%. Global deposits grew by 2.72% to ₹13,06,891 crore. RAM (Retail, Agriculture, MSME) advances grew strongly by 12.56% to ₹5,98,484 crore, reflecting the Bank's deliberate strategy to grow the higher-yielding RAM book. The CASA ratio improved by 169 basis points to 35.20%, driven by focused deposit mobilisation campaigns and improved current account acquisition. Global Business stood at ₹23.86 lakh crore as on March 2026, a growth of 5.78%.



Deposit Composition & Liquidity Metrics (March 2026)

Deposit Parameter	Value
CASA + Retail Term Deposits (₹ Crore)	10,29,852
Bulk Term Deposits (₹ Crore)	2,76,436
Savings Deposits (₹ Crore)	3,75,990
CASA Deposits (₹ Crore)	4,60,077
Average Liquidity Coverage Ratio (LCR)	113.83%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	115.34%
2-Year CAGR — Global Deposits	3.44%
2-Year CAGR — Domestic Deposits	4.37%
Global Credit-Deposit Ratio	82.53%
Domestic Credit-Deposit Ratio	79.69%

Advances Portfolio — Segment-wise Performance

Diversified Credit Portfolio (₹Crore)

Segment	Mar-25	Sep-25	Dec-25	Mar-26	YoY (%)	QoQ (%)
Retail	2,16,777	2,38,506	2,45,541	2,53,083	16.75%	3.07%
Agriculture	1,78,479	1,68,405	1,75,294	1,83,394	2.75%	4.62%
MSME	1,36,423	1,47,395	1,56,203	1,62,007	18.75%	3.72%
RAM Advances	5,31,679	5,54,306	5,77,038	5,98,484	12.56%	3.72%
Large Corporate	4,05,670	3,79,420	3,94,999	4,31,609	6.39%	9.27%
Overseas Advances	36,919	32,934	36,165	37,657	2.00%	4.13%
Others	8,626	8,547	8,682	10,861	25.91%	25.10%
Global Advances	9,82,894	9,75,207	10,16,884	10,78,611	9.74%	6.07%

Portfolio Mix	Mar-25	Mar-26	Change
RAM Share in Domestic Advances	56.20%	57.49%	RAM dominant
Large Corporate & Others Share	43.80%	42.51%	Balanced portfolio
Domestic Advances 2Y CAGR	—	9.16%	Consistent growth
RAM 2Y CAGR	—	11.36%	Higher-yielding growth

Retail Advances — Product-wise (₹Crore)

Product	Mar-25 (₹ Cr)	Mar-26 (₹ Cr)	Growth (₹ Cr)	% Growth
Home Loans	94,825	1,07,687	12,862	13.56%
Vehicle Loans	22,462	28,415	5,953	26.50%
Education Loans	15,912	18,166	2,254	14.17%
Mortgage Loans	16,152	18,023	1,871	11.58%
Personal Loans	11,225	11,505	280	2.49%
Others	56,202	69,288	13,086	23.28%
Total Retail Advances	2,16,777	2,53,083	36,306	16.75%

Retail lending delivered an outstanding performance in FY 2025–26, with total retail advances growing by 16.75% to ₹ 2,53,083 crore. Vehicle Loans recorded the highest growth at 26.50%, driven by the launch of digital vehicle loan journeys for both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) customers. Home Loans grew strongly by 13.56% to ₹ 1,07,687 crore, supported

by builder tie-ups, festive campaigns, and the Business Retention Discount scheme. Education Loans grew 14.17% to ₹ 18,166 crore, with 721 digital education loan accounts sanctioned, including 192 loans to female students of premier institutions. PAN India, Retail Loan Points (RLPs/CPCs) sanctioned retail loans of ₹ 50,064 crore during FY 2025–26. Additionally, 51,700 digital PM Surya Ghar (rooftop solar) loans were sanctioned out of a total 69,601 sanctioned under this initiative.

MSME Advances — Category-wise (₹ Crore)

MSME Category	Mar-25 (₹ Cr)	Mar-26 (₹ Cr)	% Growth
Micro Enterprises	68,416	87,029	27.21%
Small Enterprises	43,896	43,947	0.12%
Medium Enterprises	24,111	31,031	28.70%
Total MSME Advances	1,36,423	1,62,007	18.75%

MSME advances registered an impressive growth of 18.75% to ₹ 1,62,007 crore in FY 2025–26, driven by expanded credit guarantee coverage, digital MSME journeys, and the Bank's proactive outreach programmes. The Credit Guarantee coverage was significantly expanded: CGTMSE sanctions reached 2,13,516 accounts with a guarantee amount of ₹ 22,589 crore, while CGFMU (including Agri Allied) covered 4,14,113 accounts with ₹ 29,549 crore — totalling 6,27,629 accounts and ₹ 52,138 crore in guarantee coverage.

Capital

Yield, Cost & Margin Metrics

Ratio	FY 2023–24	FY 2024–25	FY 2025–26	Change (FY25→FY26)
Yield on Advances (YoA)	8.73%	8.74%	8.27%	-47 bps
Yield on Investments (Yol)	6.70%	6.87%	6.79%	-8 bps
Yield on Funds (YoF)	7.51%	7.44%	7.06%	-38 bps
Cost of Deposits (CoD)	5.22%	5.52%	5.39%	-13 bps
Cost of Funds (CoF)	4.76%	4.83%	4.62%	-21 bps
Net Interest Margin (NIM)	3.10%	2.91%	2.70%	-21 bps

Profitability & Efficiency Ratios

Ratio	FY 2023–24	FY 2024–25	FY 2025–26	Change (FY25→FY26)
Return on Assets (RoA)	1.03%	1.26%	1.25%	-1 bp
Return on Equity (RoE)	15.58%	17.20%	15.86%	-134 bps
EPS (₹)	18.95	23.56	24.49	+3.9%
Book Value per Share (₹)	114.76	136.98	154.41	+12.7%
Cost-to-Income Ratio	46.42%	45.48%	48.98%	+350 bps
Credit Cost	0.74%	0.77%	0.23%	-54 bps
Price-to-Book Value	1.34x	0.94x	1.06x	+0.12x
Price-to-Earnings (P/E)	8.10	5.46	6.70	+

Asset Quality — Preservation of Financial Capital

Asset quality directly determines the durability of the Bank's financial capital stock. Union Bank of India has demonstrated sustained improvement across all asset quality parameters over the four-year period FY23–FY26, reflecting strengthened credit underwriting, active resolution of legacy stressed assets, and prudent provisioning. The GNPA ratio has improved by 471 basis points from 7.53% in FY23 to 2.82% in FY26 — one of the sharpest turnarounds among large public sector banks.



NPA Movement — FY 2025–26 vs FY 2024–25

NPA Parameter	FY 2024–25 (₹ Crore)	FY 2025–26 (₹ Crore)	Change
Gross NPA — Opening	43,098	35,350	-₹ 7,748 Cr
Fresh Slippages	12,073	8,451	-₹ 3,505 Cr
Cash Recovery	4,924	4,404	-₹ 520 Cr
Upgradation	3,263	2,430	-₹ 833 Cr
Write-offs	11,634	6,567	-₹ 5,067 Cr
Gross NPA — Closing	35,350	30,401	-₹ 4,949 Cr
Net NPA (₹ Crore)	5,969	5,067	-₹ 902 Cr
GNPA Ratio (%)	3.60%	2.82%	-78 bps
NNPA Ratio (%)	0.63%	0.48%	-15 bps
Provision Coverage Ratio (%)	94.61%	95.03%	+42 bps
Slippage / Delinquency Ratio (%)	1.40%	0.89%	-51 bps
Credit Cost (%)	0.77%	0.23%	-54 bps

Asset Quality Multi-Year Trend

Asset Quality Metric	FY 2022–23	FY 2023–24	FY 2024–25	FY 2025–26
GNPA Ratio (%)	7.53%	4.76%	3.60%	2.82%
NNPA Ratio (%)	1.70%	1.03%	0.63%	0.48%
Provision Coverage Ratio (%)	90.34%	92.69%	94.61%	95.03%
Credit Cost (%)	1.64%	0.74%	0.77%	0.23%
Slippage Ratio (%)	1.97%	1.59%	1.40%	0.89%

Gross NPA declined from ₹ 43,098 crore in March 2024 to ₹ 30,401 crore in March 2026 — a reduction of ₹12,697 crore in two years. Fresh slippages declined sharply from ₹12,073 crore in FY25 to ₹ 8,451 crore in FY26 (-30.01%), indicating significant improvement in credit underwriting and early-warning systems. Net NPA reduced to ₹ 5,067 crore, with the NNPA ratio at 0.48%. Credit Cost declined dramatically to 0.23% — one of the lowest levels the Bank has achieved — reflecting both the quality of fresh underwriting and strong recovery momentum from existing stressed assets.

Capital Adequacy & Capitalisation

Capital Parameter	Mar-25	Mar-26	Change
CRAR (Total Capital Adequacy Ratio)	18.02%	18.10%	+8 bps
Common Equity Tier-1 (CET-1) Ratio	14.98%	15.69%	+71 bps
Tier-2 Capital Ratio	1.77%	1.47%	-30 bps
Total Capital — Tier I + II (₹ Crore)	1,26,825	1,37,758	+10,933 Cr
RBI Minimum CRAR Requirement	11.50%	11.50%	—
Buffer above RBI Minimum	6.52%	6.60%	+8 bps

CRAR at 18.10% is well above the regulatory minimum of 11.5% prescribed under Basel III, providing a capital buffer of 660 basis points. The CET-1 ratio improved by 71 basis points year-on-year to 15.69%, reflecting strong internal capital generation through retained profits. Total Capital (Tier I + II) rose to ₹1,37,758 crore from ₹ 1,26,825 crore in the prior year, providing ample headroom for credit expansion and absorbing potential stressed assets.

Revenue Diversification & Treasury Operations

Non-Interest Income Composition (FY 2025–26)

Income Head	FY 2025–26 (₹ Crore)
Fee-based Income	9,743
Recoveries from Written-off Accounts	3,997
Other Non-Interest Income	5,695
Total Non-Interest Income	19,435

Treasury — Target vs Achievement (FY 2025–26)

Treasury Parameter	Target (₹ Crore)	Actual (₹ Crore)	Achievement
Profit on Sale of Investments	2,900	2,929	Achieved ✓
Exchange Profit (Forex)	950	1,064	Exceeded ✓
Total Treasury Income	3,850	3,993	Exceeded ✓

Treasury operations continued to support overall profitability through prudent investment management, active participation in financial markets, and efficient liquidity management. The Finacle Treasury Software was upgraded to Version 11.20, incorporating SWIFT-MX (ISO 20022) support for international messaging standards, INDAS support for EIR method of securities accounting, and online real-time accounting through API integration. Treasury also upgraded its Dealing Room Trading System to enhance operational efficiency, faster decision-making, and improved trade execution capabilities.

Financial Capital Enablers — How Financial Capital Powers Other Capitals

Capital	How Financial Capital Enables It
Natural Capital	Planned ₹5,000 crore Green Bond issuance Green finance portfolio ₹37,435 crore Climate risk investments
Manufactured Capital	Funding 8,697 branch network and 100 new branch additions ATM, CBS, and digital infrastructure investment
Intellectual Capital	Technology R&D DevSecOps platform Finacle upgrades Cybersecurity infrastructure investments
Social Capital	₹61.69 crore CSR through UBSFT RSETI funding Priority sector credit allocations
Human Capital	Employee training investments ISO 30414 implementation Leadership development program funding

Financial Capital — Forward Strategy (FY 2026–27 & Beyond)

The Bank's financial capital strategy for FY 2026–27 and beyond is anchored on three pillars: accelerating growth, sustaining profitability, and optimising capital efficiency. Credit growth is targeted to remain in double digits, driven by retail, MSME, and agriculture segments. The green finance portfolio is planned to become the largest contributor of incremental business growth. Fee income enhancement is targeted at 25% of total operating income. The cost-to-income ratio is to be optimised below 45% through process automation and digital channel migration.

- Advances growth through digital channels, with continued expansion of the 15+ digital lending journeys
- Expand green finance as flagship portfolio, targeting ₹5,000 crore Green Bond issuance in FY 2026–27
- Maintain GNPA below 3% and sustain PCR above 94% through proactive NPA management
- Maintain CRAR comfortably above regulatory requirement — targeting headroom of at least 600 bps above RBI minimum
- Achieve consistent ROA above 1.20% through operational efficiency improvements
- Set up dedicated structured derivatives desk for real-time hedging of interest rate risks for clients



Risk Management Framework

Union Bank of India has established an Integrated Risk Management Framework covering credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, and climate risk. The framework is anchored by a Board-approved Risk Appetite Statement that articulates the quantum and type of risk the Bank is willing to accept in pursuit of its strategic objectives. Three lines of defence — business units, risk management and compliance functions, and internal audit — ensure comprehensive risk coverage across all operations.

Credit Risk Management: Enhanced underwriting standards and rigorous monitoring systems have contributed to the dramatic improvement in asset quality. Sector-wise exposure limits and concentration risk management ensure portfolio diversification. Early warning systems and proactive intervention mechanisms have resulted in fresh slippages declining from ₹12,073 crore in FY25 to ₹ 8,451 crore in FY26, a reduction of 30.01%. The Bank's credit rating profile for the corporate loan book (above ₹ 25 crore) reflects strong quality, with 86% of the portfolio rated 'A & Above' as of March 2026, up from 85% in March 2025.

Market Risk Management: Treasury operations are conducted within a well-defined risk appetite framework with prescribed limits for interest rate risk, foreign exchange risk, and investment portfolio concentration. Interest rate risk is managed through duration analysis, VaR measurement, and use of interest rate futures and overnight index swaps. Foreign exchange risk is managed through daily mark-to-market positions and stop-loss limits, with the dealing room supported by advanced trading systems upgraded during FY 2025-26.

Operational Risk Management: Process automation has significantly reduced operational errors and improved service consistency. The Bank's cybersecurity framework, including 24x7 NGSOC operations and ISO 27001 certification, protects digital assets from cyber threats. Business continuity planning ensures service reliability across all channels. The Unified Assurance Framework integrates risk, compliance, monitoring, and audit, providing real-time visibility over critical systems and enabling faster corrective action.

Liquidity Risk Management: The Bank's liquidity position remained robust throughout FY 2025-26. Average LCR stood at 113.83% against the minimum requirement of 100%, and NSFR at 115.34%, well above the prescribed threshold. Calibrated liquidity management through strategic asset-liability matching, Certificates of Deposit issuance, and active participation in the money market ensured adequate funding at all times. CASA deposits, at ₹4,60,077 crore and a ratio of 35.20%, provide a stable and low-cost funding base.

Corporate Credit Rating Profile — FY 2025-26

Rating Category	Mar-25 (%)	Mar-26 (%)
A & Above	85%	86%
BBB	10%	9%
BB & Below	5%	5%
NBFC Portfolio — AAA	62%	65%
NBFC Portfolio — AA	33%	30%
NBFC Portfolio — A & Below	5%	5%

Sectoral Credit Exposure — Key Industries (March 2026)

Sector	Mar-25 (₹ Cr)	Mar-25 % Share	Mar-26 (₹ Cr)	Mar-26 % Share
Infrastructure	93,034	9.83%	1,04,441	10.03%
NBFCs and HFCs	1,33,973	14.16%	1,64,839	15.84%
Basic Metals	23,745	2.51%	28,183	2.71%
Petroleum / Coal / Nuclear	17,269	1.83%	17,374	1.67%
Food Processing	25,353	2.68%	4,648	0.45%
Chemical & Chemical Products	12,751	1.35%	14,212	1.37%
Textiles	16,397	1.73%	16,118	1.55%
Total (Sectors 1 to 7)	3,22,522	34.09%	3,49,815	33.61%

Infrastructure Sub-sector Exposure (March 2026, ₹ Crore)

Infrastructure Sub-sector	Mar-25 (₹ Cr)	Mar-26 (₹ Cr)	YoY Change
Power — Total	39,904	48,323	+8,419
— Renewable Energy	13,394	18,694	+5,300
— Wind Energy	309	718	+409
— Solar Energy	8,192	13,736	+5,544
— Thermal Power	13,957	15,779	+1,822
— Govt. PSU Power	24,854	23,271	-1,583
— Non-PSU Power	15,049	25,052	+10,003
Road (incl. HAM: ₹ 9,508 Cr)	31,786	41,692	+9,906
Others	21,344	14,426	-6,918

EASE Framework Performance — FY 2025-26

The Enhanced Access and Service Excellence (EASE) programme, introduced by the Government of India, benchmarks public sector banks on technology adoption, customer service, responsible banking, and financial inclusion. Union Bank of India has been a consistent high performer under EASE 8.0, recording 2nd position in Q1 and Q2 bank-wise rankings, and 1st position in Theme 3 (Socio-economic Impact) in Q3.

EASE 8.0 Quarter	Overall Bank Ranking	Theme-wise Performance
Q1 FY 2025-26	2nd Position	Top 3 in 3 out of 4 themes
Q2 FY 2025-26	2nd Position	1st position in 2 out of 4 themes
Q3 FY 2025-26	—	1st position in Theme 3 (Socio-economic Impact)

Under EASERise (Pillar-II) — the Bank's bank-specific 3-year strategic roadmap — six priority initiatives are being pursued: (1) Sustainable Growth in MSME, (2) Sustainable Growth in Mid Segment Corporate, (3) Expanding Agriculture Investment Credit, (4) Strengthening Compliance & Enhancing Compliance Culture, (5) Enhancing Retail Deposit Mobilisation, and (6) Enhancing Customer Experience. These initiatives cover 37 measurable metrics and are reviewed quarterly by senior management.



Natural Capital

Leading India's Climate-Positive Banking Transformation

Natural Capital Overview

Natural Capital encompasses the renewable and non-renewable environmental resources and processes that provide goods and services supporting the Bank's products and operations while creating value for stakeholders. At Union Bank of India, we recognise that climate change poses both significant risks and unprecedented opportunities for the banking sector. Our approach integrates environmental stewardship into core business strategy, creating a comprehensive climate-positive banking framework that aligns banking activities with India's national climate goals and the global net-zero transition.

In FY 2025–26, Union Bank significantly strengthened its environmental capital position. The green finance portfolio grew by 30.7% to ₹37,435 crore, with renewable energy financing reaching ₹33,572 crore — supporting India's ambitious 500 GW renewable energy target. The Bank's EV financing surged by 167.5% to ₹2,084 crore, reflecting the rapid acceleration of India's EV transition. As India's first major bank to become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), Union Bank demonstrated thought leadership in transparent climate risk reporting and financed emissions tracking.

Our Natural Capital Philosophy

Pillar	Description
Climate Leadership	Pioneering sustainable finance solutions that support India's net-zero ambitions and the global energy transition
Risk Integration	Embedding physical and transition climate risks into all lending, investment, and business decisions through systematic ESG assessment
Innovation Drive	Developing green financial products — loans, deposits, bonds — that create new market opportunities and attract ESG-conscious customers
Operational Sustainability	Achieving net-zero in own operations by 2035, through renewable energy adoption, green building certifications, and waste reduction
Transparency	PCAF-based financed emissions tracking and disclosure, consistent with global climate reporting standards

Governance & Strategic Framework

Board-level ESG oversight ensures that environmental considerations are embedded at the highest governance levels of the Bank. The Environmental, Social & Governance Steering Committee (ESGSC) coordinates strategic ESG direction across all business verticals. The Risk Management Committee of the Board (RMC) oversees climate and ESG risks. The Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), and Asset Liability Committee (ALCO) integrate climate risk considerations into their respective mandates. Day-to-day implementation is managed by the ESG Cell within the Risk Management Department (RMD), supported by all business and control verticals.

The Bank has established a dedicated Sustainable Finance Framework using BSR (Banking Sector Reference) codes as the starting point for categorising loans into green and social financing categories. Tagging of green loans is done at account level to improve transparency in reporting and enable precise tracking of the Bank's climate finance impact.

ESG Strategic Roadmap

Timeframe	Strategic Goals	Key Milestones	Value Creation
Short-term (2027)	Foundation Building	Employee capacity, green products, bonds	Market positioning
Medium-term (2030)	Risk Integration	End-to-end climate risk solution, customer ESG assessment	Competitive advantage
Long-term (2035)	Leadership Position	Net-zero operations, industry benchmark	Sustainable leadership

Green Finance Portfolio — FY 2025–26

Green Product Suite — FY25 vs FY26 Comparison

Green Product	FY 2025–26 (₹ Crore)	FY 2024–25 (₹ Crore)	YoY Growth	Environmental Impact
Renewable Energy Projects	33,572	27,668	+21.3%	Massive carbon footprint reduction Market leadership
Union Green Vehicle (EV)	2,084	779	+167.5%	Sustainable transportation transition First-mover advantage
Union Green Home	1,779	197	+803.0%	Energy-efficient housing Customer awareness building
Total Green Finance Portfolio	37,435	28,644	+30.7%	Comprehensive climate-positive portfolio
Green Deposits	29.29	29.05	+0.8%	Retail ESG investment facilitation

The Bank's green finance portfolio demonstrated exceptional momentum in FY 2025–26. The Union Green Home product recorded the most dramatic growth at 803.0%, from ₹197 crore to ₹1,779 crore, reflecting the Bank's successful market penetration in energy-efficient housing finance. Union Green Vehicle (EV) financing grew by 167.5% to ₹2,084 crore, driven by rapidly growing EV adoption in India. Renewable Energy financing remained the cornerstone of the portfolio at ₹33,572 crore — supporting utility-scale solar, wind, and hybrid energy projects across the country.

Planned Green Bond Issuance

Bond Category	Amount (₹ Crore)	Purpose	Climate Impact
Green Infrastructure Bonds	5,000	Environmental / Sustainable projects	Direct and indirect climate action

The planned ₹5,000 crore Green Infrastructure Bond issuance positions Union Bank among India's few largest green infra bond issuers. The proceeds will be deployed exclusively into eligible green and sustainable projects, consistent with the Bank's Sustainable Finance Framework, and will be independently verified and reported against agreed use-of-proceeds criteria.

Sustainable Finance Classification System

The Bank has developed a comprehensive Sustainable Finance Classification System using BSR (Banking Sector Reference) codes as the basis for categorising loans into green and social financing categories. The classification system follows an account-level tagging approach, enabling precise tracking and transparent reporting of green and social loan portfolios. The system aligns with internationally recognised frameworks including the ICMA Green Bond Principles, EU Taxonomy principles, and India's regulatory guidance on sustainable finance.

Building upon the BSR framework, the Bank has further refined its classification system to distinguish between climate mitigation and adaptation financing. This enhanced categorization enables precise measurement of climate-related financial flows and their environmental impact.



To address overlapping BSR codes and enhance classification accuracy, the Bank is developing machine learning algorithms that analyze the purpose of lending from the credit appraisal system. This innovative approach leverages artificial intelligence to ensure precise categorization based on actual lending intent rather than broad sectoral classifications. The Bank has used such Large Language Model successfully for select credit underwriting cases and is in the process of scaling up the same.

Finance Category	Sub-category	Eligible Activities	FY26 (₹ Cr)
Renewable Energy	Solar / Wind / Hydro / Biomass	Power generation projects — clean energy	33,572
Green Buildings	Energy-Efficient Housing	Green Home Loans, Green certified buildings	1,779
Clean Transportation	Electric Vehicles	EV two-wheelers, four-wheelers, commercial EVs	2,084
Total Green Finance	—	Comprehensive climate-positive portfolio	37,435
Sustainable Deposits	Retail Green Deposits	Deposits earmarked for green project funding	29

Just Transition Finance Framework

The Bank is actively working to identify industrial hotspots that are particularly vulnerable to transition risks as part of developing a comprehensive just transition finance framework. In these identified hotspots, the Bank is analyzing its lending portfolio to map loans extended to individuals & businesses directly and indirectly related to transition risk sector and other MSME loans. This approach will enable the Bank to understand the cascading impact of climate transition on its broader lending portfolio and develop targeted support mechanisms to ensure equitable transition for affected borrowers whose livelihoods depend on carbon-intensive industries.

Current Climate Risk Capabilities

Union Bank of India has built a comprehensive climate risk management framework that integrates physical and transition risk assessment into credit decisions, portfolio monitoring, and strategic planning. The Bank's approach is aligned with the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) and the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Physical Risk Assessment

Flood, Cyclone, Drought Impact Analysis

Branch-level geographic vulnerability mapping

Climate data & precipitation projections

Risk Scores: 0-100 scale for all locations

Transition Risk Assessment

High-Emission Sector Identification & analysis

Mining, Steel, Cement, Petroleum, Infrastructure focus

Customer-level transition risk evaluation

Policy & technology change impact assessment

Financed Emissions Tracking

PCAF methodology implementation

Account level calculation

Qlik dashboard for real-time monitoring

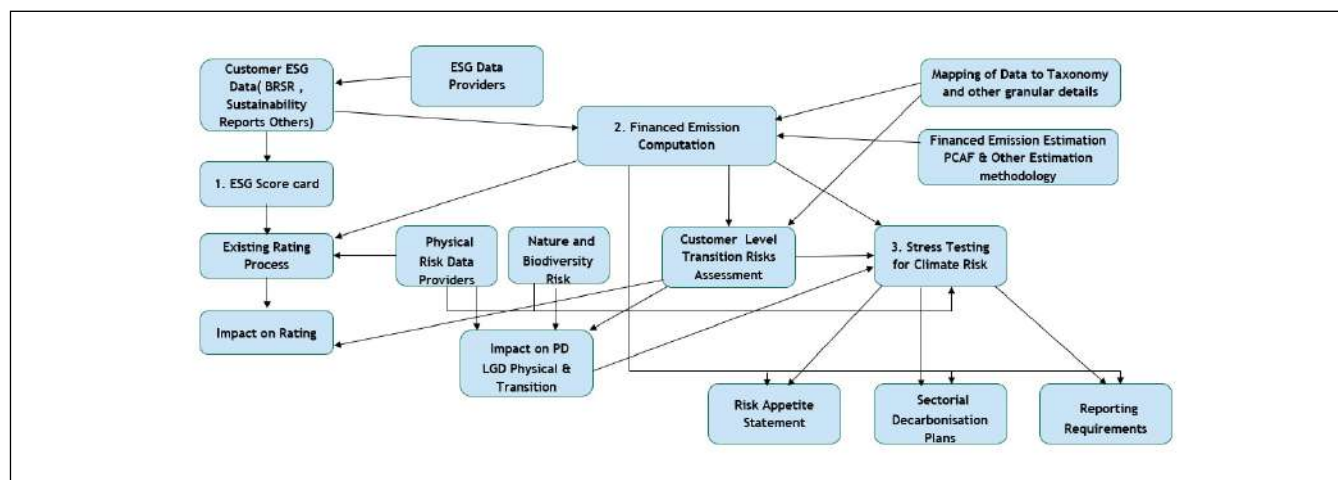
Comprehensive portfolio emissions mapping

Environmental Social Due Diligence

The Bank has implemented a comprehensive Environmental and Social Due Diligence (ESDD) framework for green loans exceeding specified thresholds. This systematic approach ensures that all significant green financing transactions undergo rigorous environmental and social impact assessment before approval.

The ESDD process evaluates potential environmental risks, social impacts, and alignment with international sustainability standards. This framework strengthens the Bank's commitment to responsible financing while mitigating environmental and social risks in the lending portfolio.

Innovation in Climate Risk - End-to-End Climate Risk Solution



Climate Risk Management Solution

Customer ESG Scorecard System

Listed companies assessment

Unlisted entities evaluation

MSME borrower ESG

Risk Monitoring dashboard

Integrated System Capabilities

Financed Emission calculation

Physical risk assessment

Transition risk evaluation

Biodiversity and nature risk assessment

Climate Stress testing & Scenario Analysis (Impact on PD and LGD)

Decarbonization plan

Credit rating impact analysis



System Integrations

CRISIL ICON (Internal Rating System)

LAS (Loan Automated Solution)

Finacle Core Banking

Risk Monitoring Dashboard and Reporting

Technology Innovation: Our implementation of end-to-end climate risk solution will enable comprehensive customer-level ESG assessments, integrating transition and physical risks with our existing systems.

Nature & Biodiversity Risk Assessment

Assessment Framework	Implementation	Strategic Value
TNFD LEAP Approach	Bank is integrating Nature and Biodiversity Risk assessment in project loan underwriting	Comprehensive risk coverage
Locate Interfaces	Geographic and sector mapping	Enhanced due diligence
Evaluate Dependencies	Nature impact assessment	Risk mitigation strategies
Assess Opportunities	Sustainable project identification	New business development
Prepare Responses	Risk management integration	Competitive advantage

Governance and Strategy

Bank is integrating Nature and Biodiversity Risk assessment in project loan underwriting by applying TNFD LEAP methodology as part of our commitment to nature-positive financing. This initiative aligns with emerging regulatory frameworks and positions the Bank at the forefront of nature-related financial risk management in the Indian banking sector.

Risk Management Framework

Our nature and biodiversity risk assessment framework operates across four key phases:

Locate (L): Geographic mapping of project locations to identify proximity to sensitive biodiversity areas and protected zones using tools such as WDPA and Google Earth Engine.

Evaluate (E): Assessment of nature-related dependencies and impacts, including ecosystem services dependencies, biodiversity impacts on local flora and fauna, and effects on water, air, and soil quality.

Assess (A): Quantification of nature-related risks including operational, regulatory, reputational, and financial risks from potential environmental impacts.

Prepare (P): Development of risk mitigation strategies including biodiversity management plans, habitat restoration commitments, and ongoing monitoring frameworks.

Key Risk Categories Assessed:

- Physical risks: Direct impacts on biodiversity through habitat destruction, deforestation, water pollution, and soil degradation
- Transition risks: Regulatory changes related to biodiversity protection, evolving compliance requirements, and shifting stakeholder expectations
- Systemic risks: Dependencies on ecosystem services that may be disrupted by climate change or environmental degradation

Metrics and Targets

The Bank assigns nature-related risk ratings (low, medium, high) based on comprehensive assessment across seven key areas: project location sensitivity, ecosystem impact potential, regulatory compliance status, biodiversity dependencies, mitigation measures adequacy, monitoring framework robustness, and overall risk profile.

Financed Emissions & PCAF Methodology

As India's first major bank to become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), Union Bank demonstrated its commitment to transparent climate risk reporting. PCAF methodology provides standardised guidance for measuring and disclosing financed emissions — the greenhouse gas emissions attributable to the Bank's loans and investments. This enables the Bank to set science-based targets, engage borrowers on decarbonisation pathways, and identify high-impact sectors for green finance transition.

Financed Emissions Portfolio

Asset Class	FY2026		FY2025*		FY2024*		Strategic Response
	Outstanding (₹ Cr)	Emissions (tCO2e)	Outstanding (₹ Cr)	Emissions (tCO2e)	Outstanding (₹ Cr)	Emissions (tCO2e)	
Loans & Advances	10,41,105	6,24,09,582	9,45,952	5,17,26,871	8,73,664	4,71,50,172	Green transition support
Sovereign Debt	2,62,434	9,83,924	2,82,969	10,60,916	2,73,372	10,24,936	Climate policy alignment
Other Investment	69,248	10,17,674	67,492	9,91,866	-	-	ESG investment criteria
Total Portfolio	13,72,787	6,44,11,180	12,96,413	5,37,79,653	11,47,036	4,81,75,108	Comprehensive management
PCAF Data Quality	3.70		3.62		3.54		

* **Note:** Differences in financed emissions for earlier years primarily reflect ongoing improvements in data quality, methodological enhancements, expanded portfolio coverage, and alignment with evolving industry standards. Historical figures have been recalculated where appropriate to ensure consistency and comparability, including updates to emission factors, client data, and financial exposure inputs.

RBI's proposed RB-CRIS (Reserve Bank – Climate Risk Information System) will significantly improve the availability, consistency, and standardisation of climate-related datasets, including emissions and physical risk data, which are key inputs for financed emissions calculation and climate risk assessment. The Bank is implementing integrated climate risk solution and the same is capable of integration with RB-CRIS.

PCAF Partnership — Financed Emissions Disclosure

Union Bank of India became the first major Indian bank to become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) — a global industry-led initiative providing standardised methodologies for measuring and disclosing financed greenhouse gas emissions. PCAF membership enables the Bank to: measure financed emissions using asset class-specific methodologies; disclose emissions data enabling investor and stakeholder comparison; set science-based targets aligned with Paris Agreement pathways; and engage borrowers on decarbonisation plans.

The Bank's PCAF implementation roadmap covers the key asset classes in its lending portfolio including corporate loans, project finance (particularly renewable energy), real estate finance, motor vehicle loans, and SME finance. For each asset class, PCAF-prescribed calculation methodologies are applied using borrower data, third-party databases, and national and sector emission factor databases. The Bank is progressively improving data quality and coverage, with an objective of full portfolio coverage within three years.

Financed Emissions — High-Impact Sector Framework

Sector	Contribution to Financed Emissions	Emission Intensity	Transition Risk	Engagement Strategy	Bank's FY26 Exposure
Power Generation	35% of financed emissions	Very High	Structural	Transition finance for renewable energy shift	₹48,323 Cr
Iron & Steel	18% of financed emissions	Very High	Structural	Green steel financing — DRI/EAF technology	Included in Basic Metals ₹28,183 Cr
Cement	6% of financed emissions	Very High	Structural	Blended cement & energy efficiency loans	Included in sectors
Chemicals	1% of financed emissions	High	Significant	Green chemistry & circular economy financing	₹14,212 Cr
Mining & Quarrying	0.30% of financed emissions	High	Significant	ESG due diligence & sustainable mining	Included in sectors



These five sectors contributed 60.30% of the Bank's financed emissions in FY2025-26, making them primary targets for client engagement, green lending transformation, and transition finance opportunities. The Bank conducts regular borrower-level climate dialogues and integrates ESG scorecards into credit decision-making for high-emission sectors.

Bank has already implemented ESG score card for MSME segment.

Transition Planning Excellence

High-Emission Sector Transformation Strategy

Sector	Current Challenge	Transition Support	Financial Opportunity
Mining & Quarrying	High financed emissions	Clean extraction technologies	Green mining finance
Cement Production	Process emissions	Carbon capture & alternative materials	Sustainable cement projects
Petroleum & Coal	Fossil fuel dependency	Renewable energy transition	Clean energy infrastructure
Basic Metals	Energy-intensive processes	Efficiency & renewable power	Green steel financing
Chemicals	High carbon footprint	Green chemistry & recycling	Circular economy solutions

Customer Transition Support Framework

Decarbonization Strategies:

- **Clean Energy Adoption:** Solar, wind, clean hydrogen financing
- **Energy Efficiency:** Process optimization and waste heat recovery
- **Carbon Capture:** Technology implementation for hard-to-abate sectors
- **Circular Economy:** Material recycling and sustainable resource use
- **Innovation Finance:** R&D support for breakthrough technologies

Industry Collaboration:

- Active participation in sector transformation initiatives
- Partnership development for circular economy solutions
- Technology provider connections for customer decarbonization
- Best practice sharing across industry verticals

Transition Plan of the Bank

Industry	Mining and Quarrying	Cement and Cement Products	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	Infrastructure	Basic Metal and Metal Products	Chemicals and Chemical Products
Key transition technologies and Strategies	❖ Gradual phase-out of thermal coal ❖ Transition Metals ❖ Decarbonization of on-site operations ❖ Clean Electricity ❖ CCS (Carbon capture and storage) ❖ Alternative beneficiation and extraction	❖ Clean Electricity ❖ Clean Fuels ❖ Clinker substitutes ❖ CCS ❖ Recycling ❖ Energy Efficiency	❖ Clean Fuels ❖ Clean electricity ❖ CCS ❖ Thermal coal phase-out ❖ Storage and flexibility	❖ Renewable energy ❖ Smart Grids ❖ Advanced building materials ❖ Modular construction ❖ Lifecycle management ❖ Enhanced efficiency	❖ Recycling and secondary production ❖ Clean Electricity ❖ CCS ❖ Inert Anodes ❖ Clean fuels ❖ Upgraded raw materials	❖ Alternative feedstocks ❖ Clean hydrogen ❖ Elimination of single-use plastics ❖ CCS ❖ Recycling

Industry	Mining and Quarrying	Cement and Cement Products	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	Infrastructure	Basic Metal and Metal Products	Chemicals and Chemical Products
Industries requirement from Bank & financial opportunities arising to the Bank	❖ Bank can support customers by engaging with customers on their transition plan by providing transition solutions. ❖ Bank can partner for systematic change by collaborating with policymakers and participate in public-private partnerships with aim to finance transition plan. ❖ Bank can identify commercial opportunities to support customers in the decarbonization effort. ❖ Bank can also aim to implement innovative financing solutions and blended finance partnerships.					

Bank's current approach for Transition Planning

The Bank has used the GCAM model in its transition planning process to estimate various futuristic data points (like estimating production, emissions, raw materials, energy consumption & technology changes) in the hard to abate sectors under two different scenarios run on the GCAM model thereby trying to determine various risks & opportunities arising in the hard to abate sectors on account of the decarbonization process.

The two different scenarios run on the GCAM model are as follows:

- ❖ Scenario 1(BAU): India becoming a developed nation i.e. "Viksit Bharat" by 2047.
- ❖ Scenario 2 (Net Zero): India becoming both a developed nation by 2047 and achieving net zero by 2070.

Technology Integration Roadmap — Climate & ESG

Innovation Area	Current Status	FY 2026–27 Plans	Strategic Impact
ESG Data Integration	Operational	Full operational use in credit	ESG assessment embedded in credit decisions
Physical Risk Assessment (Lat/Long)	Under Implementation	Pilot implementation	Detailed physical risk monitoring at asset level
Financed Emission Assessment	Operational	Improve data quality	More precise and granular emissions reporting
Transition Risk Assessment	Under Implementation	Customer-level detailed assessment	Opportunities for transition finance identification
TNFD Nature Assessment	For project loan underwriting	For all sectors	Biodiversity & ecosystem risk integration

Operational Sustainability

The Bank has committed to achieving net-zero in its own operations by 2035, ahead of global banking industry targets. This commitment encompasses three dimensions: transitioning 100% of operational energy consumption to renewable sources, eliminating waste to landfill, and embedding green building certification standards in all new and renovated infrastructure. These operational sustainability commitments are tracked through a centralised environmental management system and reported to the Board ESG Governance framework.

- Net-Zero Operations target by 2035 — carbon neutrality in own operations (Scope 1 & 2 emissions)
- Green building certifications for Bank's owned and leased premises — standardised rollout under guidance from ESGSC
- Renewable energy installations at Bank offices — reducing operational costs while lowering carbon footprint
- Sustainable procurement practices — embedding environmental criteria in vendor selection and supply chain management
- Digital-first operations — reducing paper consumption, travel, and associated emissions through digital banking platforms



Operational Sustainability Initiative	Status	Target
Net-Zero Operations	Committed by 2035	Scope 1 & 2 carbon neutrality
Renewable Energy Procurement	In progress — PPAs for select facilities	100% renewable by 2035
Green Building Certification	New branches under implementation	All new premises certified
LED Lighting Retrofit	Advanced implementation	100% of branches
Paper Reduction	Digitisation of internal processes	Zero paper target
Travel Emission Reduction	Video conferencing adoption	50% travel reduction by FY28
E-Waste Management	Certified e-waste recycling partners	100% compliant disposal

Net-Zero Commitment 2035

Emissions Profile (tCO ₂ e)		
Financial Year	2026	2025
Scope 1 (Vehicle fuel, DG sets, AC)	11,143	11,166
Scope 2 (Electricity consumption)	1,60,565	1,66,961
Scope 3 (Supply chain, business travel)	2,18,069	2,34,734
Total Emissions	3,89,777	4,12,861

Baseline & Target
FY2024 baseline for net-zero journey
1.5°C pathway alignment (Paris Agreement)
Science-based target methodology adoption

Reduction Initiatives
Renewable energy transition (solar installations)
Green building certification (IGBC standards)
Energy efficiency improvements
Waste management optimization
Water Recycling and Conservation Measures

Scope 3 Emission – Other than Category 15 Financed Emission

Scope 3 Category	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Category 1 – Purchased Goods & services	tCO ₂ e	34,305	37,837
Category 2 – Capital Goods & services	tCO ₂ e	14,132	18,817
Category 3 – Fuel & energy other than scope 1 and 2	tCO ₂ e	35,827	41,347
Category 5 – Waste generated in operations	tCO ₂ e	10,656	10,590
Category 6 – Business travel	tCO ₂ e	19,242	23,292
Category 7 – Employee commuting	tCO ₂ e	1,00,732	1,00,677
Category 8 – Upstream leased asset	tCO ₂ e	3,175	2,173
Total		2,18,069	2,34,734

Renewable Energy Infrastructure

Solar Installation Status	Capacity	Environmental Benefit
Commissioned & Working	1,137 KW (22 locations)	Immediate emission reduction
Net Metering Awaited	78 KW (3 locations)	Grid integration benefits
Work Under Progress	80 KW (2 locations)	Expansion momentum
Tendered	50 KW (1 location)	Future capacity addition
Total Planned	1,345 KW	Significant carbon savings

Green Building Initiative

Certification Progress	FY2026	FY2025	Impact
Energy Efficiency Gain	Measurable	Measurable	Operational cost reduction
Carbon Footprint Reduction	Significant	Significant	Emission intensity improvement

Comprehensive Environmental Management

Initiative	FY2026	FY2025	Environmental Impact
E-Waste Recycling	4.93 metric tons	18.09 metric tons	-
Energy Consumption	879,550 GJ	892,585 GJ	Efficiency optimization
Renewable Energy	17,208 GJ	16,542 GJ	4% increase

Operational Excellence: Our increase in renewable energy demonstrates systematic approach to integrate renewable energy in own operations.

Value Chain ESG Assessment

The Bank has developed a comprehensive ESG assessment framework for monitoring vendor performance across environmental, social, and governance parameters. This systematic approach enables continuous evaluation of sustainability practices throughout the value chain ecosystem. Through this monitoring framework, the Bank assigns ESG performance ratings to vendors based on their ongoing performance across key sustainability metrics including environmental management systems, social responsibility practices, and governance standards.

The ESG monitoring process is fully integrated with vendor risk management processes, ensuring that sustainability performance is continuously tracked and any emerging risks are promptly identified and addressed.

Climate Risk Integration in Business

Scenario Analysis Framework

Physical Risk Assessment:

- **Short-term (2030):** Acute weather event impact on operations
- **Medium-term (2040):** Chronic climate change effects on asset values
- **Long-term (2050):** Systemic climate impact on business model

Bank has assessed physical risk caused by flood by utilizing climate data and precipitation projections. The precipitation projections used for physical risk assessment are based on climate data from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6), specifically the MIROC model.

For physical risk caused by cyclone, Bank has used CLIMADA (open-source package used for assessment of physical risk) provided impact and damage function. For each of the Bank locations, based on latitude and longitude Bank has arrived at Expected Annual Impact (EAI).



Bank is implementing 17 Physical Risk Hazards (Heatwave, Cold wave, Extreme Precipitation, Drought, Riverine Flood, Coastal Flood, Water Stress, Water Demand, Water Variability, Wildfire, Landslide, Earthquake, Sea Level Rise, Soil Liquefaction, Soil Erosion, and Ocean Acidification) from the current 2 (Flood & Cyclone) through the climate risk management solution.

Transition Risk Evaluation:

- **Policy Risk:** Carbon pricing and regulatory changes impact
- **Technology Risk:** Stranded asset evaluation in high-carbon sectors
- **Market Risk:** Customer preference shifts toward sustainable options
- **Reputation Risk:** ESG performance impact on stakeholder relationships

Bank has assessed Transition Risk through various approaches like bottom-up approach, usage of PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) model and CBAM (Carbon Border adjustment mechanism) analysis for export borrowers operating in hard-to-abate sectors with exposure to European markets.

The integrated climate risk solution implemented by the Bank has a Transition Risk Assessment module which includes coverage, sector and asset scope, scenario and time-horizon treatment, high level outputs, functional coverage, and treatment of simplified approaches for MSME & unlisted portfolios. The module is designed primarily as an asset-level transition risk assessment framework for corporate exposures, with subsequent aggregation to borrower-level and portfolio-level views. It covers the full computational chain required to translate transition pathways into operational impacts, financial stress, and downstream credit-risk outputs such as PD, LGD, and Expected Loss.

Stress Testing Implementation

Stress Test Category	Methodology	Business Application
Climate Physical Risk	Geographic vulnerability mapping	Branch network resilience planning, Collateral vulnerability, Impact on cash flow of corporates
Transition Risk	Sector emission intensity analysis	Credit portfolio optimization, Impact of carbon tax on revenue and profitability of customers
Combined Scenario	Integrated climate impact modelling	Strategic business planning

ICAAP Integration: Climate risk is embedded in our Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), ensuring regulatory compliance and strategic risk management.

Avoided Emissions & Positive Impact: Financed Avoided Emissions Calculation

Positive Climate Impact

Renewable Energy Projects		
Particulars	FY2026	FY2025
Financing	₹33,572 cr	₹27,668 cr
Avoided Emissions	35 million tCO ₂ e	30 million tCO ₂ e
Annual Financed Avoided Emissions	6 million tCO ₂ e	3 million tCO ₂ e*
Equivalent to removing cars from road	2.4 million	1.2 million

*Note: As per revised computations.

Green Transportation		
Particulars	FY2026	FY2025
EV Financing	₹2,084 cr	₹779 cr
Vehicles Financed	15,859	8204
Annual Financed avoided emissions	10,866 tCO ₂ e	10,204 tCO ₂ e
Supporting India's EV adoption goals		

Energy-efficient Housing		
Particulars	FY2026	FY2025
Green Home Loans	₹1,779 cr	₹197 cr
Homes Financed	1,082	116
Annual Financed avoided emissions	4178 tCO ₂ e	163 tCO ₂ e
Promoting sustainable urban development		

Climate Positive Impact: Our green financing portfolio potentially avoids **6+ million tCO₂e annually**, making us a significant contributor to India's climate goals.

Sustainable Finance Framework

Board-Approved Framework Components

Framework Element	Validation	Strategic Purpose
Resource Mobilization	Moody's Second Party Opinion	Market credibility
Financing Framework	Independent validation	Transparent allocation
Assurance Mechanisms	External verification	Stakeholder confidence
Impact Reporting	Regular monitoring	Accountability framework

UN SDG Alignment

SDG Target	Our Contribution	Financial Allocation		Measured Impact
		FY2026	FY2025	
SDG 7 (Clean Energy)	Renewable energy financing	₹33,572 Cr	₹27,668 Cr	Capacity addition tracking
SDG 13 (Climate Action)	Green product portfolio	₹3,863+ Cr	₹975+ Cr	Emission reduction metrics
SDG 11 (Sustainable Cities)	Green home financing	₹1,779 Cr	₹197 Cr	Energy efficiency promotion
SDG 9 (Innovation)	Clean technology support	Integrated		Innovation financing

Partnership Ecosystem

Strategic Climate Partnerships

Partner	Collaboration Area	Strategic Value
PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)	Financed Emission Ecosystem	Global best practices
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)	Steel & cement capacity building	Sector expertise
CEEW (Council on Energy, Environment and Water)	GCAM India model use cases	Policy insights

Global Recognition:

- Our PCAF signatory status and international partnerships position us as a thought leader in sustainable banking practices.
- In Jan 2026, M/s. Moody's Ratings has assigned a rating of SQS2 "Very Good Sustainability Quality" to Bank's Sustainable Financing Framework, which is the second-best rating on Moody's SQS (Sustainability Quality Score) scale.

Domestic Recognition:

- On 17th February 2026, M/s. CARE ESG Ratings Limited had assigned an ESG rating of "CareEdge-ESG 1+" ESG Rating to the Bank. The assigned rating is defined as leadership position in managing ESG Risk through best-in-class disclosures, policies and performance.



- **India's Most Sustainable Companies (IMSC) by Business World:**

Union Bank of India has been felicitated by Business World as one of the top 60 India's Most Sustainable Companies for 2024–25, underscoring the Bank's steadfast commitment to sustainable banking practices and responsible growth.

Global Event:

- Union Bank of India played a prominent leadership role at Mumbai Climate Week (MCW) 2026, positioning itself as one of India's most proactive public-sector banks on climate finance, ESG integration, and transition planning. The event was held during 17th –19th February 2026 at the Jio World Convention Centre, BKC, Mumbai, a flagship Global South platform for accelerating climate action.
- The Bank hosted the "Union Bank Climate Dialogue" at the MCW (2026), a high-level multi-stakeholder forum focusing on hard-to-abate sectors transition, bringing together:

- » Industry leaders
- » Regulators and policymakers
- » Financial institutions and investors
- » ESG rating agencies and think tanks

Discussions covered low-carbon technologies, data gaps, regulatory evolution, demand-side pressures, and innovative transition finance instruments.

- Union Bank unveiled three knowledge papers, developed jointly with leading national and international institutions, aimed at converting climate ambition into bankable and investable pathways for Indian industry at the MCW (2026):
 - » **Decarbonising the Steel & Cement Sectors:**
Co-developed with GIZ (Germany), this paper outlines technology pathways, sector readiness, and financing mechanisms for decarbonising two of India's most carbon-intensive industries.
 - » **Climate Scenario Modelling for Transition Planning:**
Developed with CEEW, the document highlights Union Bank's pioneering use of the GCAM (Global Change Analysis Model) to create India-specific climate scenarios, integrating climate risks and opportunities into credit and portfolio decision-making.
 - » **Operational Decarbonisation & Net-Zero Roadmap:**
Co-created with Ernst & Young (EY), this roadmap details how the Bank is embedding its Net-Zero 2035 commitment (Scope 1 & 2) into governance, strategy, and internal processes.
- Union Bank launched an industry-first "ESG Certification Program for Indian Banks", in partnership with Climate Policy Initiative (CPI) at the MCW (2026).

The programme focuses on capacity building for bank officers in:

- » ESG risk management
- » Green & transition finance
- » Sustainability reporting and governance

This initiative aims to strengthen ESG integration across India's banking ecosystem.

Natural Capital Risk & Opportunity Matrix

Risk Assessment & Mitigation

Risk Category	Impact Level	Mitigation Strategy	Business Opportunity
Physical Climate Risk	Low	Geographic diversification	Climate-resilient infrastructure financing
Transition Risk	Medium	Sector exposure management	Green transition financing
Regulatory Risk	Low	Proactive compliance	First-mover advantage
Reputational Risk	Medium	ESG leadership positioning	Brand differentiation
Stranded Assets	Low-Medium	Portfolio monitoring	Asset transformation financing

Opportunity Identification & Capture

Opportunity Area	Market Size	Our Position	Capture Strategy
Renewable Energy Finance	\$100+ Bn (India)	Market leader	Expand portfolio to ₹50,000 Cr
Green Bond Market	\$50+ Bn (India)	Early entrant	₹5,000 Cr issuance
Climate Tech Financing	\$25+ Bn (India)	Explorer	Leverage RBI proposed Climate Tech Sandbox
Carbon Credit Trading	\$5+ Bn (India)	Explorer	Market entry preparation

Performance Measurement & Reporting

Natural Capital KPIs

KPI Category	FY2026 Performance	FY2025 Performance	Long-term Goal
Green Finance Portfolio	₹33,572 Cr renewable	₹27,688 Cr renewable	Be a market leader
Financed Emissions Intensity	46.92	41.35	Set sector wise emission reduction target
Own Operations Emissions	0.40 Mn tCO ₂ e	0.41 Mn tCO ₂ e	Net-zero (2035)
Renewable Energy Capacity	1.3+ MW planned	1.3+ MW planned	Install Solar at all feasible premises with roof rights by 2030

Climate Risk Dashboard Metrics

Climate Risk Metrics

Transition Risk Exposure		
Particulars	FY2026	FY2025
High-emission sectors of financed emissions	60.30%	67.36%
Customer Transition Plans	Under development	
Sector-specific risk assessment and monitoring		
Physical Risk Vulnerability		
Branch risk scores scale mapping: 0-100		
Climate data integration: Operational Planning		
Collateral risk assessment: Geographic Vulnerability		
Comprehensive physical risk evaluation framework		
Portfolio Decarbonization		
Particulars	FY2026	FY2025
Baseline Financed Emissions	64.4 Mn tCO ₂ e	53.8 Mn tCO ₂ e
Financed Avoided Emissions	6+ Mn tCO ₂ e	3 + Mn tCO ₂ e
Systematic decarbonization measurement and tracking		



Market Development Strategy

Green Finance Expansion

- Make renewable energy financing the flagship and largest portfolio segment — targeting ₹50,000 crore by FY28
- Develop sector-specific green financing products for agriculture, MSME, and retail customers
- Create integrated green MSME and retail product suites addressing the full lifecycle of business operations

Climate Risk Leadership

- Become India's benchmark institution for climate risk management in the banking sector
- Develop proprietary climate risk assessment tools integrated into core banking processes
- Offer climate advisory services to large corporate clients on transition pathways and green financing structures
- Lead industry standards development through active participation in RBI and other industry-led climate-related working groups
- Conduct regular UBI Climate Dialogues — structured engagement with borrowers on climate change adaptation

Sustainable Innovation

- Partner with climate tech startups for developing next-generation sustainable banking solutions
- Pioneer carbon credit trading and financing solutions in collaboration with exchange and regulatory bodies
- Develop nature-positive financing frameworks addressing biodiversity and ecosystem risks
- Establish international climate finance partnerships to access global green capital markets

Stakeholder Value Creation Through Natural Capital

Stakeholder	Natural Capital Value Delivered	Scale
Climate & Environment	Renewable energy financing supporting India's 500 GW target Net-zero operations commitment by 2035	₹33,572 Cr renewable
Society & Communities	Clean energy access in rural areas Air quality improvement through EV & renewable energy financing	₹2,084 Cr EV loans
Shareholders	New revenue streams from green products Climate risk mitigation protecting asset values	₹37,435 Cr portfolio
Customers	Sustainable finance products aligned with ESG values Green Home and EV loan products	₹3,863 Cr new green retail
Regulators	Proactive TCFD/TNFD compliance PCAF signatory RBI climate framework readiness	First-mover leadership

Regulatory Leadership & Compliance

Regulatory Framework Alignment

Regulation/Guideline	Our Implementation	Compliance Status	Strategic Advantage
Draft RBI Climate Risk Guidelines	Comprehensive framework	Under implementation	Early implementer benefit
SEBI ESG Disclosure Norms	Detailed reporting	Meets requirements	Stakeholder confidence
International Standards	PCAF, TCFD, ISSB S2 alignment	Leading practice	Global recognition
Taxonomy Development	Active participation	Influence development	Thought leadership

Regulatory Excellence: Our proactive approach to climate risk regulation positions us as an industry leader and preferred partner for regulators.

Integration with Other Capitals

Natural Capital Value Creation Connections

Enabling Financial Capital:

- ₹37,435 Cr green portfolio generating superior risk-adjusted returns
- Climate risk mitigation protecting asset values and reducing provisions
- New market opportunities creating diversified revenue streams
- Cost optimization through operational sustainability initiatives

Leveraging Intellectual Capital:

- Climate risk technology enhancing assessment and monitoring capabilities
- Data analytics for emission tracking and portfolio optimization
- Digital platforms for green product delivery and customer engagement
- Innovation partnerships for sustainable solution development

Supporting Manufactured Capital:

- Green building certification improving operational efficiency
- Renewable energy installations reducing operational costs
- Sustainable infrastructure enhancing long-term asset value
- Climate-resilient facilities ensuring business continuity

Strengthening Social & Relationship Capital:

- Community climate benefits enhancing social license to operate
- Customer engagement through sustainable finance solutions
- Stakeholder trust through transparent climate action
- Regulatory relationships through proactive compliance leadership

Future Vision: Climate-Positive Banking Leader

Strategic Pillars for Climate Leadership

1. Portfolio Transformation (2026-2030)

- Set sector specific emission reduction target
- Make green portfolio as largest contributor of incremental business

2. Operational Excellence (2026-2035)

- Achieve net-zero operations by 2035 (ahead of global banking targets)
- 100% renewable energy for operations
- Zero waste to landfill

3. Innovation Leadership (2026-2030)

- Implement comprehensive climate risk assessment solution
- Create integrated ESG advisory services for corporates
- Pioneer carbon credit trading and financing solutions



4. Market Development (2026-2030)

- Lead India's green bond market with major share in issuances
- Create climate tech financing ecosystem
- Develop nature-positive financing frameworks
- Establish international climate finance partnerships

Conclusion: Natural Capital as Strategic Differentiator

Union Bank of India's natural capital strategy represents more than environmental responsibility—it's a comprehensive business transformation that creates competitive advantage, generates new revenue streams, and builds long-term resilience. Our **₹37,435 Cr green portfolio, comprehensive climate risk framework, and net-zero operational commitment** position us as India's climate-positive banking leader.

Key Natural Capital Achievements FY2026:

- **Market Leadership** in renewable energy financing
- **Risk Integration Excellence** through PCAF-based emissions tracking and scenario analysis
- **Innovation Pioneering** with end-to-end climate risk solution and nature assessment

Strategic Value Creation: Our natural capital investments generate measurable returns across all stakeholder groups while contributing to India's climate goals. The integration of environmental considerations into core banking operations creates a sustainable competitive advantage that drives long-term value creation.

Future-Ready Positioning: As climate considerations become central to banking regulations and customer expectations, our comprehensive natural capital framework ensures we remain ahead of market evolution, capturing opportunities while mitigating risks in India's transition to a sustainable economy.

Natural Capital acts as a key strategic lever that boosts financial performance, fosters innovation, deepens stakeholder engagement, and positions Union Bank of India at the forefront of sustainable banking in India.

Intellectual Capital

Driving Innovation Through Knowledge-Based Assets

Introduction

Intellectual Capital represents the intangible, knowledge-based assets embedded within the Bank's systems, processes, relationships, and organisational culture that enable sustainable value creation. At Union Bank of India, intellectual capital comprises digital banking platforms, technological innovations, robust cybersecurity frameworks, institutionalised employee knowledge systems, and customer-centric digital solutions. Together, these capabilities are transforming traditional banking operations into a digitally enabled, secure, resilient, and customer-focused service delivery model — strengthening the Bank's competitiveness in a rapidly evolving financial ecosystem.

In FY 2025–26, the Bank formulated a comprehensive Digital, Analytics & IT Strategy aligned with its business objectives of driving growth, enhancing operational efficiency, and fostering innovation. A key transformation initiative was the Bank's shift from a product-centric to a customer-centric approach, leveraging data analytics and customer insights to offer personalised products and superior experiences. The Bank's strategic focus areas encompassed: enhancing customer experience through digital transformation, strengthening risk governance and cybersecurity frameworks, advancing data management for evidence-based decision-making, and modernising IT infrastructure for scalability and resilience.

Digital Product Portfolio & Business Impact

Digital Performance Indicator	FY 2025–26 Achievement
Business Mobilised through Digital Lending Journeys	₹1,18,000+ crore (15+ digital journeys)
Digital Deposit Mobilisation	₹21,290+ crore
UVConn (WhatsApp Banking) Users	75+ lakh users
UVConn Requests Serviced	4.50 crore requests
Digital MSME Loan Journeys	1,10,270 accounts ₹4,505 crore
Digi Renewal of MSME Accounts (up to ₹25 Lakh)	11.95 lakh accounts (98% of total in the slab)
PM Surya Ghar Digital Sanctioning	51,700 accounts sanctioned out of 69,601 total
Digital Education Loans (Premier Institutes, Female Students)	192 accounts out of 721 total
Digital Insurance Products on Platform	44 products (including PMJJBY, PMSBY, Bajaj products)

MSME Digital Journey Performance (FY 2025–26)

Digital Journey	Accounts	Sanctioned Amount (₹ Crore)
STP Shishu Mudra	21,519	104
STP Kishore & Tarun Mudra	66,267	3,061
Nari Shakti STP	10,733	621
MSME Superfast STP	801	324
Union Digital Ease	10,902	391
Working Capital Enhancement	48	4
Total	1,10,270	4,505



Digital Journeys Implemented — FY 2025–26

During FY 2025–26, the Bank implemented and expanded multiple digital journeys across asset, liability, and service segments, substantially reducing turnaround time and improving customer convenience:

Asset Journeys

- Digital Personal Loan: Collateral-free unsecured loan through an end-to-end digital journey for both ETB and NTB customers, without manual intervention.
- Digital Vehicle Loan (4-Wheeler): Digital and paperless sanctioning for purchase of new four-wheelers for personal use, covering both ETB and NTB customers — significantly reduced turnaround time.
- Home Loan Digital Journey: Launched for single owners and select property types for ETB and NTB customers, bringing down TAT and enhancing processing office efficiency.
- Union Nari Shakti STP: Digital journey for women entrepreneurs, with 10,733 accounts sanctioned and ₹621 crore disbursed.
- Digital Kisan Tatkal: Digital KCC journey enabling farmers to obtain credit digitally — winner of Infosys Finacle Product Innovation Award.
- Debt Swap STP: Agri Term Loan up to ₹0.50 lakh for farmers to mitigate debt burden from non-institutional sources.
- Digital Rooftop Solar Journey (PM Surya Ghar): 51,700 accounts sanctioned, winner of Infosys Finacle Process Innovation Award.

Liability & Service Journeys

- Savings Account Journey for ETB Customers: Branch-assisted digital savings account opening for existing customers without individual savings accounts.
- National Pension Scheme (NPS) Digital Journey: Generates and activates PRAN instantly with built-in KYC compliance, photo/signature upload, and initial contribution facility.
- Re-KYC Journey: Digital re-KYC process for existing customers, reducing branch burden and improving compliance efficiency.
- Digital Insurance Platform: Integration of Jan Suraksha schemes (PMJJBY and PMSBY) through Union Ease and 'Unisure' portal. 44 products available including Bajaj Union Suraksha Kavach and Bajaj Sookshma Udyam Suraksha.

Innovative Banking Solutions — FY 2025–26

Innovation	Achievement	Impact
UVConn — WhatsApp Banking	Multilingual (7 languages) conversational banking with AI-based search; 70+ services enabled	75+ lakh users; 4.50 crore requests serviced
CBDC — Retail & Wholesale	Active participation in both Retail CBDC Cohort and Wholesale CBDC	Digital currency ecosystem advancement
App Modernisation — DevSec-Ops	Microservices architecture on Kubernetes platform / Private Cloud — DevSecOps principles	Scalability, resilience, faster time-to-market
Finacle Treasury v11.20	SWIFT-MX (ISO 20022), INDAS EIR method, real-time accounting via API integration	Enhanced treasury efficiency & compliance
Digital SHG Management	End-to-end digital Self Help Group management platform	Infosys Finacle Business Model Innovation Award

Innovation	Achievement	Impact
Digital Document Execution (DDE)	Digital document execution for PM Surya Ghar loans — enabled direct disbursement	Infosys Finacle ESG Innovation Award
ITRCoE	IT Risk Centre of Excellence implementation	Infosys Finacle Transformation Excellence Award
Hyper-Automation	AI/ML based process automation across banking operations	Finnoviti Awards 2025 — Banking Frontiers
Digital Insurance Platform	Integration of 44 insurance products including Jan Suraksha schemes	Expanded insurance cross-sell ecosystem
Digital NPS Journey	PRAN activation with KYC compliance, instant photo/signature upload	Reduced NPS onboarding time significantly

Technology Awards & Recognitions — FY 2025–26

Awarded by	Award	Category
IBA	IBA 21st Annual Banking Technology Awards 2025–26	Best Technology Bank — Winner Best Digital Financial Inclusion — Runner Up Best Tech Talent — Runner Up Best Digital Sales — Special Mention
Infosys	Infosys Finacle Innovation Award 2025	Business Model Innovation — Digital SHG ESG Innovation — Digital Document Execution Transformation Excellence — ITRCoE Product Innovation — Digital KCC STP Process Innovation — Digital Rooftop Solar Journey
Capgemini	IBEX India BFSI Tech Award 2025	IT Risk & Management — Winner Excellence in Operational Efficiency — Special Mention Enhanced Customer Service — Special Mention
Banking Frontiers	Finnoviti Awards 2025	HyperAutomation
Quorus	Quorus Finacle Infosystem Banking Innovation Awards	Union Advith

Cybersecurity & Digital Resilience

Union Bank of India has implemented a multi-layered cybersecurity architecture supported by continuous monitoring and response mechanisms. The Bank's cybersecurity approach is built on the principles of Defence-in-Depth, Zero Trust Architecture, and continuous threat intelligence. The Bank maintains a 24x7 operational Security Operations Centre (SOC/NGSOC) with advanced threat detection and automated response capabilities.

Cybersecurity Indicator	FY 2025–26 Outcome
SOC / Next-Gen SOC (NGSOC)	24x7 Operational
Cybersecurity Certifications	ISO 27001 ISO 31000 PCI-DSS
Cyber Security Insurance	Implemented (comprehensive coverage)
BitSight Cyber Rating	Advanced Category (top tier)
Data Protection Office	Operational — DPDP Act compliant
Cyber Awareness SMS Sent (Q4 FY26)	~571.56 crore SMS
Multilingual Customer Cyber Awareness Communications	~5.77 crore communications
Awareness Sessions (RSETIs, Schools, SHGs)	48+ sessions in Q4 FY26
Senior Citizen Cyber Awareness Programs	2 focused programs conducted
Systemic Cyber Incidents Impacting Service	Zero reported incidents



Employee training and awareness programmes reinforce cyber resilience by promoting secure behaviours and risk awareness across the organisation. The Bank has strengthened its Data Protection framework in compliance with the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act requirements. The Unified Assurance Framework implemented across vendor operations has reduced reconciliation gaps and audit exceptions, while automated reconciliation and fraud monitoring systems have improved control coverage and response time.

Strategic Outlook — Intellectual Capital

Future Innovation Roadmap

Union Bank's intellectual capital strategy focuses on Artificial Intelligence and Machine Learning integration across credit assessment, fraud detection, and customer analytics; Blockchain adoption for enhanced transaction security and trade finance; and API-first architecture development enabling open banking and fintech partnerships. The Bank's roadmap includes advanced analytics implementation for predictive risk management, comprehensive cyber resilience enhancement through AI-powered threat intelligence, and expansion of the digital journeys portfolio to cover additional retail and MSME segments.

- AI-powered Knowledge Discovery Platforms — enhancing institutional learning and decision-making
- Predictive Training Systems — personalised employee development using AI analytics
- Innovation Labs — continuous R&D for emerging banking technologies including GenAI applications
- Expand digital journeys — new retail loan variants (SRLGE Prime for government officials), Loan Against Mutual Fund, Vehicle Loan Against FD
- Co-lending model expansion — partnerships with NBFCs and HFCs for housing loans and MSME credit
- Analytics-driven cross-selling — using customer analytics to identify and fulfil unmet financial needs

Human Capital

Empowering Growth Through People

Introduction: The Role of Human Capital in Value Creation

In the evolving landscape of global finance, human capital has transformed from being a supportive resource to a strategic enabler of value creation. At Union Bank of India, we recognise that our employees are the cornerstone of our mission to become a next-generation, digitally enabled universal bank. Our approach to managing human capital is fully aligned with the Integrated Reporting Framework, which identifies human capital as one of the six key capitals essential for sustainable value creation.

Our holistic human capital strategy addresses every stage of the employee journey — from onboarding to specialisation and leadership development. This strategy integrates business objectives with people practices, enabling long-term value creation for both the organisation and its stakeholders while building a high-performance culture supported by inclusive policies, employee-centric systems, and leadership nurturing.

In FY 2025–26, the Bank strengthened its human capital governance significantly by transitioning from ISO 30414:2018 to ISO 30414:2025 — the globally recognised standard for Human Capital Reporting and Disclosure. A dedicated ISO data-capture module was deployed, enabling centralised, auditable, and secure management of human capital data aligned with evolving ESG and sustainability disclosure requirements.

Workforce Profile — FY 2025–26

Workforce Parameter	FY 2025–26
Total Employees	73,885
Specialised Employees	6,198
Sports Persons	88
Local Bank Officers (LBOs) — recruited for regional coverage	Multiple batches — Induction programs conducted
Business Correspondents trained during FY26	2,800+

Learning & Development Excellence

The Bank made sustained and focused investments in the Learning & Development (L&D) ecosystem during FY 2025–26, ensuring that every Unionite has access to best-in-class learning resources. Aligned with the Bank's strategic vision and evolving business priorities, the L&D ecosystem continued to foster a culture of continuous learning, performance excellence, and leadership readiness across all levels.

All L&D units were certified under ISO 9001:2015 and ISO 21001:2018, reinforcing standardised and learner-centric quality systems. A Performance Improvement Plan (PIP) framework was introduced to align learning outcomes with measurable business impact. Structured learning pathways for senior leadership and critical roles were finalised to support systematic succession planning. The launch of a Digital Mentorship Program facilitated knowledge transfer and leadership grooming, while job cards developed for key field operations enabled the integration of SOPs and regulatory compliance into day-to-day execution.



Learning & Development — Key Metrics (FY 2025–26)

L&D Metric	FY 2025–26 Achievement
Total Learning Hours Imparted	23.10 Lakh+
Average Learning Hours per Employee per Quarter	31.24 hours
ISO Certification of L&D Units	ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018
Human Capital Reporting Standard	ISO 30414:2025 (upgraded from 2018)
E-Learnathon Completion Rate (Mandatory eLearning)	94%+ among officers
Coursera Partnership	Renewed — access to global certifications
IIBF Partnership	Renewed — JAIB and CAIB e-learning support
Rashtriya Karmayogi Program ('Seva Bhav')	33,300+ employees trained
Sign Language Training	Conducted — reinforcing inclusive learning

Capacity Building — Training Delivery Matrix (FY 2025–26)

Training Channel	Programs / Sessions	Participants / Beneficiaries
ULAs — Classroom & Locational Programs	629 programs	19,386 employees
ULAs — Virtual Training Programs	160 programs	9,108 employees
ULAs — Webinars	350 webinars	64,912 participants
ZLCs — Classroom Programs	1,080 programs	26,683 participants
ZLCs — Locational Programs	574 programs	22,016 participants
ZLCs — Virtual Programs	194 programs	11,395 participants
ZLCs — Webinars	290 webinars	24,927 participants
External Training Programs	—	1,212 employees (incl. 26 overseas)
Business Correspondent Training (Hybrid / Local Languages)	Multiple sessions	2,800+ BCs

Leadership & Specialised Development Programs

Leadership Development

Leadership development remained a key priority in FY 2025–26, with 42 Leadership Development Programs attended by 867 senior executives at Scale V to Scale VII. These programs enhanced strategic leadership capabilities, decision-making competencies, and change management skills at the highest levels of the Bank's management hierarchy. The Bank also launched a Digital Mentorship Program to facilitate structured knowledge transfer and leadership grooming across levels — pairing experienced leaders with high-potential talent.

Leadership Initiative	Details
Leadership Development Programs	42 programs 867 senior executives (Scale V to Scale VII)
Institution Collaborations	IIM Indore, ISB Hyderabad, MDI Gurgaon — 5 focused domains
Officers Trained at Premier Institutions	346 officers across Risk Management, Strategy & Finance, Sales & Marketing, Operational Excellence, Digital Financial Inclusion / FinTech / Co-lending

Leadership Initiative	Details
Train-the-Trainer (TTT) Programs	100 internal faculty — upskilled by premier institutions
Digital Mentorship Program	Launched — knowledge transfer & leadership grooming
Gen AI Training for Senior Executives	Conducted — AI, Gen AI and Use Cases in Banking
Orientation Training Programs (OTP)	6,780 officers 3,027 clerical staff
Reconnect Program (Women — Maternity Return)	Structured reintegration and capability enhancement
Local Language Training (Employees Outside Linguistic Regions)	Provided to improve customer engagement
SUCCESS Programs (Frontline Officers & CSAs)	Aligning service excellence with organisational goals

Knowledge Creation & Faculty Development

Knowledge Activity	FY 2025-26 Achievement
Research Projects Completed	40 research projects
Case Studies Developed	350
Faculty Development Programs Attended	312 faculty members at reputed institutions
External Certification Courses (Faculty)	1,039 courses completed
Articles Published in Reputed Journals	307 articles
Academic & Training Sessions at NIBM/NABARD/FORE/BIRD	216 sessions
Review of Academic Books	1 book reviewed
Employees — External Certification Courses	2,916 employees 4,043 courses
Employees — Internal Certification Courses	3,460 employees 9,038 courses
Post-Course Evaluation (PCE) Framework	Implemented in LMS
Quantitative Business Parameters (QBP)	Integrated into LMS for impact assessment

Key HR Strategic Initiatives — FY 2025-26

ISO 30414:2025 — Human Capital Reporting

During FY 2025-26, the Bank strengthened its human capital governance by transitioning from ISO 30414:2018 to ISO 30414:2025 — the globally recognised standard for Human Capital Reporting and Disclosure. This transition enables standardised, consistent, and comparable reporting of workforce metrics across key human capital areas, aligned with evolving ESG and sustainability disclosure requirements. A dedicated ISO data-capture module was deployed, enabling centralised, auditable, and secure management of human capital data.

Performance Management & Recognition

The Performance Management System (PMS) was further refined to ensure fair, transparent, and objective assessment of employee performance, with a direct link between individual contributions and organisational goals. The Rewards & Recognition framework was actively utilised to acknowledge employee contributions, reinforcing a culture of high performance and meritocracy.



Digital Learning Enablement

The Bank significantly expanded digital learning outreach during the year through the ELearnathon Campaign, achieving over 94% completion of mandatory e-learning among officers. New and updated modules were launched across KYC/AML, cybersecurity, climate risk, and ethics in banking. The Bank expanded micro-learning outreach through podcasts, radio broadcasts, micro-bytes, short videos, and recordings of important webinars, while restructuring programs into Level I (Basic) and Level II (Advanced) formats to enable progressive skill development.

Awards & Recognition — Human Capital FY 2025–26

Award / Category	Awarded by	Date
National Best Employer Brand 2025	World HRD Congress	February 2026
Innovative HR Practices 2025	World HRD Congress	February 2026
Excellence in Training Award	World HRD Congress	February 2026
Excellence in Continuous Learning & Upskilling	Asia L&D Employer Branding Conf. (IBC)	February 2026
Best Learning Experience Platform	Asia L&D Employer Branding Conf. (IBC)	February 2026
Apex India HR Excellence Award 2025	Apex India Foundation	November 2025
Apex India Training Excellence Award 2025	Apex India Foundation	November 2025
Digital Learning & Upskilling Initiative of the Year	People Tech Summit Awards (IBC)	August 2025
Best HR Digital Transformation Initiative	People Tech Summit Awards (IBC)	August 2025
Excellence in Learning & Development	International Business Conferences	May 2025
Excellence in HR Digitisation	International Business Conferences	May 2025
Keerthi Puraskar — Patrika (First)	Rajbhasha Vibhag, MHA, Gol	September 2025
Keerthi Puraskar — Karyaniayan (Third)	Rajbhasha Vibhag, MHA, Gol	September 2025
Regional Rajbhasha Award — Office Category (1st, 2nd, 3rd)	Rajbhasha Vibhag, MHA, Gol	January 2026
Regional Rajbhasha Award — Narakas Category (2nd, 3rd×2)	Rajbhasha Vibhag, MHA, Gol	February 2026
33rd Aashirwad Bhasha-Setu Puraskar 2025	Utkrisht Rashtriyakrut Bank category	February 2026

Strategic Outlook — Building the Workforce of Tomorrow

Union Bank's human capital roadmap emphasises digital HR transformation, AI-powered learning systems, and predictive analytics for talent management. The Bank will continue expanding its leadership development programs, enhancing employee wellness initiatives, and strengthening its diversity and inclusion framework. Key priorities for FY 2026–27 include expanded digital learning, advanced certifications, succession planning for critical roles, improved learning management systems, and strengthened field enablement through standardised job aids.

- SDG 3 (Good Health and Well-being): Comprehensive wellness programs and mental health support
- SDG 4 (Quality Education): Continuous learning initiatives and skill development programs — 23.10 lakh hours
- SDG 5 (Gender Equality): Women leadership programs, Reconnect initiative, inclusive workplace policies
- SDG 8 (Decent Work and Economic Growth): Meaningful employment and career development for 73,885 employees
- SDG 10 (Reduced Inequalities): Inclusive hiring, support for differently-abled employees, Sign Language Training
- SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions): Ethical governance frameworks and transparent practices

Employee Wellness & Well-being Framework

Union Bank of India recognises that employee well-being is foundational to sustained organisational performance and to delivering the high levels of customer service that are integral to the Bank's brand. The Bank's comprehensive wellness framework addresses physical health, mental health, financial security, and work-life balance for all employees and their families.

Wellness Dimension	Initiative	Description
Physical Health	Health Check-up Camps	Regular medical camps at branches and offices across zones
Mental Health	Employee Assistance Program	Confidential counselling and mental wellness support
Financial Security	Group Insurance Coverage	Health, accident, and life insurance for employees and dependents
Housing	Employee Home Loan Concessions	Concessional interest rates on housing loans
Work-Life Balance	Flexible Work Arrangements	For women returning from maternity leave (Reconnect program)
Nutrition	Subsidised Canteen Facilities	At select offices and processing centres
Childcare	Crèche Facilities	At select high-density employee locations

Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

Union Bank of India is committed to creating a diverse and inclusive workplace where all employees have equal opportunities for growth and advancement regardless of gender, region, religion, caste, or differently-abled status. DEI initiatives are embedded across the entire employee lifecycle — from recruitment to career development, promotion, and leadership.

Women's Leadership & Empowerment

The Bank has actively supported women's career progression through dedicated leadership programs, flexible work arrangements for women returning from maternity leave, and the establishment of 6 Nari Shakti branches led by and serving women entrepreneurs. The Reconnect Programme provides structured support for women officers returning from maternity leave, helping them reintegrate smoothly. Women constitute a significant proportion of the Bank's branch-level frontline staff, and targeted career development programs aim to increase the share of women in senior management roles.

Differently-Abled Employees

The Bank has taken specific steps to support differently-abled employees through infrastructure accessibility improvements at branches and offices, provision of assistive technologies, and Sign Language Training for staff to better serve hearing-impaired customers. The Bank's Digital Accessible Library — the largest accessible online digital library for visually impaired users in the banking sector — was maintained and expanded during FY 2025-26 through partnerships with DAISY Forum of India and Sugamya Pustakalaya.

Regional Representation & Language Access

The Bank recruits Local Bank Officers (LBOs) from different linguistic regions to improve service quality in local languages and strengthen regional market penetration. Employees posted outside their home linguistic regions receive local language training to improve customer engagement. The Bank's communications — both customer-facing and internal — are progressively being made available in multiple regional languages, consistent with Rajbhasha policy.



Industrial Relations & Employee Engagement

Union Bank of India maintains constructive and cooperative industrial relations with employee unions and associations. Regular bipartite forums, staff meetings, and structured communication channels ensure employee concerns are heard, addressed, and resolved promptly. Key engagement platforms include Union Manch (cross-functional knowledge sharing), UBIQUE (employee innovation submissions), structured town halls, and MD's communication sessions that keep employees aligned with the Bank's strategic vision.

Engagement Platform	Purpose	Frequency
Union Manch	Cross-functional knowledge sharing and collaboration	Ongoing
UBIQUE	Employee innovation and problem-solving submissions	Annual
MD's Communication Sessions	Strategic vision alignment and two-way communication	Quarterly
Town Halls (Zonal/Regional)	Local performance updates and employee engagement	Quarterly
Bipartite Forums (Union Consultations)	Wage negotiations, policy issues, employee welfare	As required
E-Learnathon	Mandatory e-learning campaign for compliance and knowledge	Annual (94%+ completion)
Rashtriya Karmayogi (Seva Bhav)	National public service ethos training	Throughout year (33,300+ trained)

Manufactured Capital

Promoting Environmentally Conscious Financial Practices

Introduction

Manufactured Capital at Union Bank of India represents the physical, digital, and operational infrastructure that enables delivery of safe, reliable, scalable, and inclusive banking services. It includes the Bank's branch and ATM network, digital platforms, data centres, cybersecurity systems, business continuity arrangements, and outsourced service infrastructure. Manufactured Capital plays a strategic role in value creation, supporting enhanced customer experience and service accessibility, operational efficiency, scalability and cost optimisation, financial inclusion across rural, semi-urban, and underserved regions, and resilience against operational, cyber, and systemic risks.

During FY 2025–26, Union Bank's Manufactured Capital directly enabled global business growth of 10.24% to ₹24.86 lakh crore, reflecting the capacity of physical and digital infrastructure to scale operations. Sustained digital transaction growth, with volume of digital transactions rising steadily through FY26, reaching approximately 37,420 lakh transactions by March 2026. Improved productivity metrics — Business per Branch at ₹274.29 crore and Business per Employee at ₹32.28 crore — highlight the increasing efficiency, scalability, and output intensity of the Bank's Manufactured Capital base.

Physical Infrastructure — Branches, Offices & ATMs

Domestic Branch & ATM Network — FY 2025–26

Infrastructure Parameter	FY 2023–24	FY 2024–25	FY 2025–26
Total Branches (Domestic)	8,462	8,619	8,695
Overseas Branches	2	2	2
Total Branches	8,464	8,621	8,697
Total ATMs	—	8,910	8,656
BC Points	—	23,500+	28,035
New Branches Added in FY26	—	—	100
Planned Branch Additions FY 2026–27	—	—	200

Branch Distribution by Area Category (Domestic — March 2026)

Area Category	FY 2023–24	Share	FY 2024–25	Share	FY 2025–26	Share
Rural	2,540	30%	2,597	30%	2,628	30%
Semi-Urban	2,436	29%	2,521	29%	2,562	30%
Urban	1,728	20%	1,735	20%	1,739	20%
Metro	1,760	21%	1,766	21%	1,766	20%
Total Domestic	8,462	100%	8,619	100%	8,695	100%



Geographical Region-wise Branch Distribution (March 2026)

Zone	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Total	Share
Central	709	420	331	294	1,754	20%
Eastern	331	301	277	128	1,045	12%
North Eastern	35	48	47	—	130	1%
Northern	224	292	262	267	1,037	12%
Southern	1,045	1,198	654	621	3,519	40%
Western	284	303	168	456	1,210	14%
Total	2,628	2,562	1,739	1,766	8,695	100%

With 60% of the branch network located in rural and semi-urban areas, the Bank's infrastructure continues to enable proximity-based access to banking services while supporting local economic activity and financial inclusion mandates. The Southern Zone accounts for the largest share of branches at 40% (3,519 branches), followed by the Central Zone at 20% (1,754 branches). The overseas branch network spans Dubai and Sydney, supporting international banking requirements.

Specialised Processing Centres & Branches

Type of Branch/Centre	Purpose	FY 2024-25	FY 2025-26
MSME Loan Points (MLP)	Specialised credit underwriting for MSME	135	138
Union MSME First Branches (UMFB)	Specialised branches for MSME customers	114	117
Mid Corporate Branches (MCB)	Mid-segment corporate customers	38	38
Large Corporate Branches (LCB)	Large corporate customers	12	12
Retail Loan Points (RLP)	Specialised retail loan cells	137	143
Agriculture Loan Points (ALP)	Specialised agriculture credit cells	54	76
Gold Loan Points (GLP)	Specialised gold loan outlets	1,685	1,675
Stressed Asset Management Branches (SAMB)	Managing stressed asset portfolio	3	3
Asset Reconstruction Branches (ARB)	Managing NPA portfolio	30	28
Nari Shakti Branches	Services for women entrepreneurs	—	6

During FY 2025-26, the Bank launched the Nari Shakti branches, extending a specialised women-focused banking model to underserved segments. Currently 6 Nari Shakti branches are operational, offering loan and deposit products suitable for women entrepreneurs, advisory services, workshops for startups, skill development programs, and mentorship & networking events. Total business under Nari Shakti Branches: ₹436 crore (Advances: ₹312 crore | Deposits: ₹124 crore). Additionally, 4 new MSME First Branches and 3 new MSME Loan Points were established during FY 2025-26, and 62 Customer Relationship Executives were posted at potential locations to deepen MSME relationships.

Digital & Technology Infrastructure

Union Bank of India has made sustained investments in strengthening its digital and technology infrastructure, recognising it as a core pillar of Manufactured Capital and a key enabler of scalable, customer-centric banking. The Bank's operations are supported by a robust Core Banking System (CBS) and integrated digital platforms that enable real-time processing, scalability, and system reliability. The technology architecture is designed to support high transaction volumes across digital channels — including CBS, mobile banking (Union Ease and Union eBiz), internet banking, UPI, BBPS, and API-enabled services — while ensuring data integrity and service availability.

The Bank adopted an Application Modernisation platform based on Kubernetes and DevSecOps principles for the development and deployment of microservices-based banking applications. Microservices architecture enables scalability, resilience, faster time-to-market, and independent lifecycle management of application components. This has enabled the Bank to modernise existing monolithic applications, leverage cloud-native capabilities, and develop market-standard applications aligned with latest software development best practices.

Inclusion-Enabling Infrastructure Performance Metrics (FY 2025–26)

Financial Inclusion Indicator	FY 2025–26 Performance
PMJDY Accounts	3.40 crore (Balance: ₹15,964 crore)
PM SVANidhi Accounts	11.14 lakh accounts
Union Guaranteed Emergency Credit Line (UGECL)	3.92 lakh accounts
Self-Help Groups (SHGs) Outstanding (₹ Crore)	₹33,212 crore 5,11,000 SHGs
BC Points (as on March 2026)	28,035 points

Manufactured Capital Productivity & KPIs

Productivity Indicator	Mar-25	Mar-26	Change
Business per Branch (₹ Crore)	261.59	274.29	+4.9%
Business per Employee (₹ Crore)	30.50	32.28	+5.8%
Operating Profit per Branch (₹ Crore)	3.57	3.66	+2.5%
Operating Profit per Employee (₹ Crore)	0.42	0.43	+2.4%
Digital Transactions Volume (Lakh) — March Quarter	—	37,420	—
Global Business (₹ Lakh Crore)	22.55	23.85	+5.78%

The improvements in Business per Branch and Business per Employee reflect better utilisation of Manufactured Capital rather than expansion-led growth alone. Zero major operational disruptions were reported despite rising transaction volumes and digital adoption. Integrated assurance visibility across zones and regions enabled faster decision-making and tighter control over infrastructure-related risks.

Vendor & Outsourced Infrastructure Management

Union Bank relies on a network of third-party vendors and service providers for certain technology and operational functions. The Bank follows a structured framework for managing outsourced infrastructure, covering vendor due diligence and risk assessment, clearly defined service level agreements (SLAs), ongoing performance monitoring and audits, and data security and confidentiality obligations. Vendor management practices are designed to minimise operational dependency risks and ensure service continuity.

A Unified Assurance Framework was implemented across vendor operations, reducing reconciliation gaps and audit exceptions. Automated reconciliation and fraud monitoring systems improved control coverage and response time. Strong data governance ensured compliance with emerging Digital Personal Data Protection (DPDP) Act requirements.

Forward-Looking Investments — FY 2026–27

Looking ahead, the Bank will continue to invest in strengthening its Manufactured Capital through technology modernisation and digital scalability, enhanced cybersecurity and resilience capabilities, branch modernisation and green infrastructure initiatives, and data and analytics capabilities. These investments are aligned with regulatory expectations, national digital public infrastructure initiatives, and the Bank's ESG roadmap.

- 200 new branch additions planned for FY 2026–27
- Bond FRA/Future Desk: Dedicated structured derivatives desk for real-time hedging of interest rate risks
- Enhanced digital payment infrastructure — UPI, BBPS, and API-enabled service expansion
- Green building certifications for new and renovated branch infrastructure
- Expanded BC network to further deepen last-mile financial inclusion coverage



Social & Relationship Capital

[Inclusive Growth](#) | [Community Development](#) | [Financial Empowerment](#) | [Stakeholder Trust](#)

Introduction

Social and Relationship Capital encompasses the relationships, trust, shared values, and networks that Union Bank of India builds and maintains with communities, customers, government bodies, and society at large. Under the IIRC <IR> Framework, social capital reflects the Bank's ability to create shared value through inclusive financial services, CSR investments, community development, and its role as a responsible corporate citizen. Union Bank of India's social capital is anchored in its foundational commitment to financial inclusion, its statutory mandate to serve priority sectors, and its voluntary investment in community development through the Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT).

In FY 2025–26, the Bank achieved Priority Sector Lending of 41.04% of ANBC — exceeding the 40% regulatory benchmark — with agricultural credit at ₹1,83,394 crore, MSME credit at ₹1,62,007 crore, and retail credit at ₹2,53,083 crore. The Bank trained 4.33 lakh individuals through its 42 RSETI centres with a settlement ratio of 73%, approved ₹61.69 crore in CSR projects across 147 initiatives, and maintained 3.70 crore PMJDY accounts with a balance of ₹15,964 crore.

Social Capital at a Glance — FY 2025–26

Social Capital Indicator	FY 2025–26 Achievement
CSR Donations Approved (UBSFT)	₹61.69 crore 147 Projects
CSR Amount Disbursed	₹35.88 crore
PMJDY Accounts	3.40 crore (₹15,964 crore balance)
RSETIs — Persons Trained	4.33 lakh 42 RSETI Centres 73% settlement ratio
SHGs Sanctioned	5,11,000 SHGs ₹33,212 crore outstanding
Union Nari Shakti (Q4 FY26)	3,080 applications sanctioned ₹560 crore
Women Beneficiary Outstanding (₹ Crore)	₹1,51,258 crore (+8.5% YoY)
Small & Marginal Farmers Outstanding (₹ Crore)	₹90,018 crore
Green Finance Portfolio (₹ Crore)	₹37,435 crore (Renewable: ₹33,572 crore)

Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) — CSR

Union Bank of India established the Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) on 2nd March 2006 as its dedicated CSR arm for uplifting underprivileged communities and significantly improving the living standards of the poor and marginalised. UBSFT is registered under Section 12AA of the Income Tax Act, 1961, and holds a certificate under Section 80G, enabling tax-efficient philanthropy for donors.

CSR Parameter	FY 2025–26
Total CSR Donations Approved by UBSFT	₹61.69 crore
Amount Disbursed	₹35.88 crore
Total Projects / Programmes Approved	147
CSR Focus Areas	Healthcare Education Sanitation Disaster Relief
Disaster Relief Geographies	Punjab, J&K, Uttarakhand, HP & Gujarat
Regulatory Basis	Section 135 of Companies Act 2013 up to 1% of prior year net profits

Priority Sector Lending — FY 2025–26

Bank remains deeply committed towards extending credit facility to the needy segments of society. The Bank's Priority Sector Advance stood at ₹ 3,74,078 crore for FY 2025–26, with 41.04% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the statutory target of 40%, after netting PSLC sales/purchases and including investments in RIDF and other funds with NABARD, SIDBI, MUDRA, and NHB.

Particulars (Post PSLC sale/purchase & incl. RIDF)	FY 2025–26 (₹ Crore) — Avg of 4 Qtrs	% to ANBC — Avg of 4 Qtrs	Benchmark FY 2025–26
Priority Sector Credit	3,74,078	41.04%	40%
Agriculture Priority Sector	1,77,205	19.44%	18%
Small & Marginal Farmers (# post PSLC sales ₹10,000 Cr)	97,787	10.73%	10%
Micro Enterprises	82,161	9.01%	7.50%
Weaker Section (incl. net PSLC-SMF sales)	1,15,921	12.72%	12%

The Bank sold ₹10,000 crore under PSLC-Small & Marginal Farmer in FY 2025–26, earning ₹133.87 crore as non-interest income. PSLC sales and purchases are an integral part of the Bank's priority sector management strategy, enabling it to meet specific sub-targets while optimising capital deployment.

Agricultural Credit — FY 2025–26

Agriculture lending has always been the priority area for the Bank. Agricultural credit constitutes 18% of Gross Domestic Advances and 17% of Gross Global Advances of the Bank as on 31.03.2026. Bank achieved 19.44% of ANBC under Agriculture Priority for FY 2025–26 against a statutory target of 18%. Credit to Agriculture stood at ₹1,83,394 crore as on 31.03.2026.

Agriculture Indicator	FY 2025–26
Total Agricultural Credit (₹ Crore)	₹1,83,394 crore
% to Gross Domestic Advances	18%
% to ANBC (Agriculture Priority)	19.44% vs benchmark of 18%
Credit to Small & Marginal Farmers (₹ Crore) — Post PSLC sale	₹97,787 crore
SMF as % of ANBC	10.73% vs benchmark of 10%
PSLC-Small & Marginal Farmer Sales (₹ Crore)	₹10,000 crore
Non-Interest Income from PSLC Sales (₹ Crore)	₹133.87 crore
Fresh Kisan Credit Cards Issued (Lakh)	2.58 lakh cards
KCC Amount Sanctioned (₹ Crore)	₹6,462 crore
Weaker Section Finance (₹ Crore)	₹1,15,921 crore (12.72% to ANBC vs benchmark of 12%)

Specific Lending for Social Upliftment — FY 2025–26

Women Beneficiaries

With a view to promoting entrepreneurship among women and making them self-reliant, the Bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2025–26, total outstanding loans to women beneficiaries increased from ₹1,39,406 crore as of 31st March 2025 to ₹ 1,51,258 crore in March 2026 — a growth of 8.5%.

Minority Communities

The Bank extends finance to minority communities — Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, and Jains — in line with Government of India directives on welfare of minority communities. As on March 31, 2026, outstanding credit to minority communities stood at ₹ 53,334 crore.



Weaker Section

The Bank has been actively financing weaker sections of society. Finance to weaker sections, including net sale of PSLC-SFMM, stood at ₹ 1,15,921 crore for FY 2025–26, constituting 12.72% of ANBC against the benchmark of 12%.

Government Schemes — FY 2025–26

Scheme	Beneficiaries/Accounts	Amount (₹ Crore)
PMMY (Pradhan Mantri Mudra Yojana)	6,94,138 applications sanctioned	20,311
PMEGP (PM Employment Generation Programme)	4,856 individuals enabled	729
PM Vishwakarma	15,191 artisans assisted	138
Union Solar (New Product — Businesses for Greener Energy)	152 units assisted	190
PM SVANidhi (Street Vendors)	11.14 lakh accounts	—
Union Guaranteed Emergency Credit Line (UGECL)	3.92 lakh accounts	—
PMJDY Accounts	3.40 crore accounts	Balance ₹15,964 Cr
Self-Help Groups (SHGs) Sanctioned	5,11,000 SHGs	O/S ₹33,212 Cr
Union Nari Shakti (Q4 FY26)	3,080 applications	560
PM Surya Ghar — Digital Sanctioning	51,700 accounts	—

RSETIs — Rural Skill Development

Union Bank operates 42 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs) across India — one of the most extensive rural skill development networks in the Indian banking sector. RSETIs provide free, residential skill training to rural youth, helping them establish self-employment ventures and access livelihood opportunities. The programmes span traditional crafts, modern technology, healthcare trades, agriculture, and services — catering to diverse regional livelihoods. Post-training outcomes include both independent businesses and wage employment, with a settlement ratio of 73% comparing favourably with national benchmarks.

RSETI Parameter	FY 2025–26
Total RSETI Centres	42 (including 25 in Lead Bank districts)
Persons Trained	4.33 lakh individuals
Settlement Ratio	73% (successful self-employment / employment outcomes)
Training Cost	Free of charge with residential facility
Target Beneficiaries	Rural youth from economically weaker sections

Regional Rural Banks (RRBs) — Andhra Pradesh Grameena Bank (APGB)

Previously, our Bank served as the Sponsor Bank of Chaitanya Godavari Grameena Bank (CGGB). All four Regional Rural Banks (RRBs) in the state of Andhra Pradesh have been amalgamated into a single entity i.e. Andhra Pradesh Grameena Bank, under the sponsorship of our Bank, with Head office at Guntur with effect from 01.05.2025.

It has a network of 1359 CBS Branches, spread over across the Andhra Pradesh state. Andhra Pradesh Grameen Bank, with Deposits of ₹ 64,673 Crore and Advances of ₹ 71,664 Crore, Bank has achieved Total Business of ₹ 1,36,337 Crore with net profit of ₹ 1836 crore as on 31.03.2026. The Gross NPA is 0.91% and Net NPA is 0% as on 31.03.2026.

MSME Social Capital — Schemes & Awards

Credit Guarantee Coverage — FY 2025–26

Credit Guarantee Scheme	Accounts	Guarantee Amount (₹ Crore)
CGTMSE	2,13,516	22,589
CGFMU (including Agri Allied)	4,14,113	29,549
Total	6,27,629	52,138

Award: The Bank received the 1st Position Award in 'Best MSME Bank' category and Runners-Up in 'Best MSME Friendly Bank' category at MSME Banking Excellence Awards FY 2024–25, conducted by Chamber of India Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME) on 22.12.2025.

EASE Framework — FY 2025–26 Performance

Union Bank of India has been an active participant in the Enhanced Access and Service Excellence (EASE) framework introduced by the Government of India for public sector banks. In EASE 8.0:

- Q1 Index: Bank secured 2nd position in bank-wise rankings, featuring in top three in three out of four themes
- Q2 Index: Bank secured 2nd position in bank-wise rankings and 1st position in two out of four themes
- Q3 Index: Bank secured the top position in Theme 3 — 'Socio-economic Impact'

As the nation transitions to EASE 9.0, the progress under EASE 8.0 has laid a strong foundation for building a more resilient, agile, and competitive institution. Under EASERise (Pillar-II) — the Bank's specific 3-year strategic roadmap — six initiatives have been prioritised covering 37 measurable metrics: Sustainable growth in MSME, Sustainable growth in Mid Segment Corporate, Expanding Agriculture Investment Credit, Strengthening Compliance & Enhancing Compliance Culture, Enhancing Retail Deposit Mobilisation, and Enhancing Customer Experience.

Stakeholder Value Created & Distributed — FY 2025–26

Stakeholder Group	Channel of Value Delivery	Scale
Rural Communities & Farmers	Priority sector credit, SHG lending, Agri advances, SMF credit	₹ 90,018 Cr (SMF) 5,11,000 SHGs
Micro Entrepreneurs & Street Vendors	UGECL, PM SVANidhi, Mudra Yojana, PMEGP	₹ 20,311 Cr Mudra 11.14 lakh SVANidhi
Women & Gender Groups	SHGs, Nari Shakti, APY, PMJJBY, Women Beneficiary credit	₹ 1,51,258 Cr 5,11,000 SHGs
Artisans & Traditional Craftspersons	PM Vishwakarma Union Solar	15,191 artisans ₹ 138 Cr
Government Hospitals & Schools	CSR — equipment, infrastructure grants	147 Projects ₹ 61.69 Cr approved
Disaster-Affected Communities	Relief materials across 6 geographies	Punjab, J&K, Uttarakhand, HP, Gujarat
Rural Youth & Skill Seekers	RSETIs — free residential training	4.33 Lakh trained 73% settled
Minority Communities	Dedicated credit under Gol directive	₹ 53,334 Crore outstanding
Small Businesses (MSME)	CGTMSE, CGFMU, digital MSME journeys	₹ 1,62,007 Cr total ₹ 52,138 Cr guaranteed



Stakeholder Engagement Framework

Stakeholder	Engagement Channel	Frequency	Key Topics Addressed
Customers	Digital platforms, branch, call centre, surveys, DCC	Continuous	Product needs, grievances, financial literacy, digital support
Shareholders	AGM, investor presentations, quarterly earnings, disclosures	Quarterly / Annual	Financial performance, strategy, dividend, governance
Employees	PMS reviews, town halls, union forums, e-learning	Ongoing	Career development, wellness, compliance, skill building
Communities	RSETIs, CSR camps, FI drives, BC outreach	Continuous	Skill training, financial inclusion, social welfare
Government / Regulators	EASE, RBI inspections, compliance reporting	Ongoing	Policy compliance, GNPA, PSL, technology, governance
Environment	PCAF platform, ESG working groups, Climate Dialogues	Annual / Ongoing	Financed emissions, climate risk, green targets

Customer Satisfaction & Grievance Redressal

The Bank maintains a multi-channel customer grievance redressal mechanism: branch-level complaint boxes and dedicated customer service officers; call centre support with 24x7 availability; Digital Contact Centre providing AI-powered personalised service; Union Ease app-based complaint registration and tracking; an online grievance portal; and RBI Integrated Ombudsman Scheme escalation. The Bank tracks resolution times, turnaround metrics, and customer satisfaction scores — using feedback to continuously improve service quality and product design. Internal audit reviews the quality and timeliness of complaint resolution on a quarterly basis.

Financial Literacy & Digital Education

Union Bank of India recognises that sustainable financial inclusion requires not only access to banking services but also the financial literacy to use them effectively. The Bank conducts regular financial literacy camps — particularly in rural and semi-urban areas — covering savings habits, responsible borrowing, digital payments, cyber safety, and insurance. RSETIs contribute significantly to this effort, with training programmes that equip rural youth with both vocational skills and the financial knowledge to manage their incomes effectively and build sustainable livelihoods.

The Bank's cybersecurity awareness programme is a critical component of its consumer protection mandate. During Q4 FY 2025-26, approximately 571.56 crore cyber awareness SMS were sent to customers, and approximately 5.77 crore multilingual customer communications were dispatched. 48+ awareness sessions were conducted at RSETIs, schools, and SHGs during the quarter. Two focused senior citizen cybersecurity awareness programs were held — a segment particularly vulnerable to digital fraud — and 2 programs specifically addressing differently-abled community members were also conducted.

Financial Literacy Initiative	Target Audience	Coverage — FY 2025-26
Cyber Awareness SMS Campaigns	All bank customers	571.56 crore SMS (Q4 FY26)
Multilingual Awareness Communications	Regional language customer base	5.77 crore communications
Awareness Sessions at RSETIs/Schools/SHGs	Rural communities, students	48+ sessions in Q4 FY26
Senior Citizen Cyber Safety Programs	Elderly account holders	2 dedicated programs
RSETI Skill + Financial Training	Rural youth — economically weaker sections	4.33 lakh trained 73% settled
BC Agent Training (Financial Literacy)	Business Correspondents	2,800+ BCs trained

Corporate Governance & Ethics

Union Bank of India's corporate governance framework is anchored by a strong Board of Directors comprising experienced professionals from diverse backgrounds including banking, finance, law, economics, and public policy. The Board oversees the Bank's strategic direction, risk management, financial performance, regulatory compliance, and ESG commitments. Key Board committees provide specialised oversight — the Audit Committee on financial controls and reporting, the Risk Management Committee on credit and market risks, the Stakeholders Relationship Committee on customer and employee welfare, and the ESG Steering Committee on environmental and social commitments.

The Bank's Code of Conduct and Ethics applies to all employees, officers, and directors, setting clear expectations for integrity, transparency, and accountability. A robust whistleblower policy encourages employees to report suspected violations without fear of retaliation. Anti-money laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and anti-bribery controls are embedded in all customer-facing and operational processes, with mandatory e-learning modules ensuring that every officer is trained on these critical compliance areas.

The compliance culture has been systematically strengthened through the EASE framework's Compliance theme, which benchmarks compliance quality across public sector banks. Regular internal audits, concurrent audits, and RBI inspections provide independent assurance on the effectiveness of controls. The Unified Assurance Framework integrates risk, compliance, monitoring, and audit across all zones and regions, enabling centralised visibility and faster remediation of control exceptions.

Board Committees & ESG Governance Structure

Committee	Composition	ESG / Risk Mandate
Board of Directors	MD & CEO, Executive Directors, Independent Directors, Government Nominee Director	Overall strategic oversight including ESG, risk, and financial performance
Risk Management Committee (RMC)	Board Sub-committee with independent directors	Oversight of credit, market, operational, liquidity, and climate risks
Audit Committee	Independent Directors — majority	Financial reporting integrity, internal controls, statutory compliance
Stakeholders Relationship Committee	Board members	Customer grievance, employee welfare, and social responsibility
ESG Steering Committee (ESGSC)	Senior management with Board oversight	Strategic coordination of ESG agenda across all verticals
Credit Risk Management Committee (CRMC)	Senior management committee	Credit risk policy, sector limits, NPA management
ALCO (Asset-Liability Committee)	Senior management committee	Liquidity, interest rate, and market risk management



GRI Standards Index

Disclosure Against GRI Standards | ISSB S1 & S2 | TNFD Reporting Index

Union Bank of India's Integrated Annual Report 2025-26 has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. The report also draws on the ISSB S1 (General Requirements) and ISSB S2 (Climate-related Disclosures) frameworks, as well as the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) recommendations. The Bank is committed to progressive improvement in the quality, completeness, and comparability of its sustainability disclosures.

GRI 2: General Disclosures

Disclosure	Requirement	Section/Sub-section	Page Reference
2-1	Organizational details	Value Creation Story Infrastructure Overview — Manufactured Capital	Financial & Manufactured Capital
2-2	Entities included in sustainability reporting	Subsidiaries and Joint Ventures	Manufactured Capital
2-6	Activities, value chain and business relationships	Bank's Value Creation Model Capital Interconnectedness	Value Creation Story
2-22	Statement on sustainable development strategy	Our Natural Capital Philosophy Value Creation Story	Natural Capital
2-23	Policy commitments	ESG Governance Structure Sustainable Finance Framework	Natural Capital
2-29	Approach to stakeholder engagement	Stakeholder Value Propositions Social Capital	Value Creation Story & Social Capital

GRI 3: Material Topics

Disclosure	Requirement	Section/Sub-section
3-1	Process to determine material topics	Materiality & Stakeholder Priorities — Value Creation Story
3-2	List of material topics	Most Material Issues Materiality Matrix — Value Creation Story

Economic Performance

GRI Standard	Disclosure Topic	Section	Key Metric
GRI 201	Economic Performance	Financial Capital — P&L, Balance Sheet, Key Ratios	Net Profit ₹18,697 Cr RoA 1.25%
GRI 203	Indirect Economic Impacts	Social Capital — Community Investment, PSL	PSL 41.04% CSR ₹61.69 Cr
GRI 204	Procurement Practices	Manufactured Capital — Vendor Management	Unified Assurance Framework
GRI 205	Anti-Corruption	Governance Framework — Code of Ethics	Zero tolerance policy

Environmental Performance

GRI Standard	Disclosure Topic	Section	Key Metric
GRI 302	Energy	Natural Capital — Operational Sustainability	Net-Zero 2035 Target
GRI 305	Emissions	Natural Capital — PCAF, Financed Emissions	PCAF Signatory Emissions Tracking
GRI 308	Supplier Environmental Assessment	Natural Capital — ESG Due Diligence	Environmental Social Due Diligence
GRI 306	Waste	Natural Capital — Zero Waste to Landfill goal	Under Implementation

Social Performance

GRI Standard	Disclosure Topic	Section	Key Metric
GRI 401	Employment	Human Capital — Workforce Profile	73,885 employees
GRI 402	Labour/Management Relations	Human Capital — HR Initiatives	PMS, Rewards & Recognition
GRI 403	Occupational Health & Safety	Human Capital — Employee Wellness	Comprehensive wellness programs
GRI 404	Training & Education	Human Capital — L&D	23.10 lakh learning hours
GRI 405	Diversity & Equal Opportunity	Human Capital — Inclusive Workplace	ISO 30414:2025 Sign Language Training
GRI 413	Local Communities	Social Capital — CSR, RSETIs, Inclusion	4.33 lakh trained ₹ 61.69 Cr CSR
GRI 417	Marketing & Labelling	Intellectual Capital — Digital Products	15+ digital journeys Fair lending
GRI 418	Customer Privacy	Intellectual Capital — Cybersecurity	DPDP Act Data Protection Office

ISSB S1 — General Requirements for Sustainability-related Financial Information

Disclosure Requirement	Section/Sub-section	Page Reference
Governance processes, controls & procedures	Board-level ESG Oversight ESG Governance Structure	Natural Capital
Board oversight of sustainability-related risks & opportunities	Risk Management Committee of the Board (RMC) ESG Steering Committee (ESGSC)	Natural Capital
Management's role in governance processes	ESG Cell, Risk Management Department (RMD)	Natural Capital
Sustainability-related risks & opportunities	Value Creation Themes Strategic Context & External Environment	Value Creation Story
Business model and value chain	Bank's Value Creation Model Capital Interconnectedness	Value Creation Story
Strategy and decision-making	Bank's Response Strategy — Four Strategic Pillars	Value Creation Story
Financial position, performance and cash flows	Financial Capital — Performance at a Glance	Financial Capital
Risk management processes	Risk Management Framework Integrated Risk Approach	Financial Capital
Metrics used to measure progress	Natural Capital KPIs Financial Capital KPIs GRI Standards Index	All Capitals
Targets set by the entity	Net-Zero Commitment 2035 Future Strategic Priorities	Natural & Financial Capital



ISSB S2 — Climate-related Disclosures

Disclosure Requirement	Section/Sub-section	Key Metric
Climate-related risks & opportunities	Natural Capital — Climate Risk Management Framework	Physical & Transition risks
Climate scenario analysis	Natural Capital — Stress Testing High-Impact Sector Analysis	Five high-emission sectors
Financed emissions (Scope 3 Category 15)	Natural Capital — PCAF Methodology	PCAF First-Mover in India
Transition plan	Natural Capital — Strategic Pillars for Climate Leadership	Net-Zero 2035
Industry-based metrics — Green Finance	Natural Capital — Green Finance Portfolio	₹ 37,435 Crore portfolio
Physical risk metrics	Natural Capital — Lat/Long Physical Risk Assessment	Under Implementation

TNFD — Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

TNFD Pillar	Disclosure Requirement	Bank's Status
Governance	Board oversight of nature-related risks and opportunities	ESG Steering Committee RMC
Strategy	Nature-related dependencies, risks & opportunities	Nature risk assessment under scoping
Risk & Impact Management	Identification, assessment & management of nature-related risks	ESDD (Environmental Social Due Diligence) framework
Metrics & Targets	Metrics to measure, monitor & manage nature-related dependencies	Nature-positive financing frameworks — under development

UN SDG Alignment — FY 2025-26

UN SDG	Goal	Bank's Contribution — FY 2025-26
SDG 1	No Poverty	PMJDY 3.40 crore accounts SHG lending ₹ 33,212 Cr Mudra ₹ 20,311 Cr
SDG 2	Zero Hunger	Agriculture credit ₹ 1,83,394 Cr KCC 2.58 lakh SMF ₹ 97,787 Cr
SDG 3	Good Health	CSR funding for healthcare equipment Employee wellness programs
SDG 4	Quality Education	RSETI 4.33 lakh trained 23.10 lakh employee learning hours Education loans ₹ 18,166 Cr
SDG 5	Gender Equality	Women beneficiary ₹ 1,51,258 Cr 5,11,000 SHGs Reconnect Nari Shakti
SDG 7	Affordable Energy	Renewable energy financing ₹ 33,572 Cr EV loans ₹ 2,084 Cr Solar ₹ 190 Cr
SDG 8	Decent Work	₹10,78,611 Cr credit MSME ₹ 1,62,007 Cr Employment for 73,885 staff
SDG 10	Reduced Inequalities	PSL 41.04% Minority ₹ 53,334 Cr Weaker Section ₹ 1,15,921 Cr
SDG 11	Sustainable Cities	Green Home ₹ 1,779 Cr PM Surya Ghar 51,700 accounts BC network 28,035 pts
SDG 13	Climate Action	Green portfolio ₹ 37,435 Cr Net-Zero 2035 PCAF signatory
SDG 16	Strong Institutions	Governance framework Regulatory compliance Zero tolerance anti-corruption
SDG 17	Partnerships	CGGB sponsorship RBI framework Global PCAF membership Fintech co-lending

This GRI Standards Index and ISSB/TNFD alignment statement has been prepared based on information available as on the reporting date. Union Bank of India is committed to continuous improvement in sustainability reporting and will progressively enhance its disclosures in line with evolving global standards.

Detailed GRI Topic Disclosures

GRI 201: Economic Performance — Detailed Disclosure

Metric	FY 2024-25	FY 2025-26
Net Profit (₹ Crore)	17,987	18,697
Operating Profit (₹ Crore)	31,090	28,620
Net Interest Income (₹ Crore)	37,214	36,659
Total Non-Interest Income (₹ Crore)	19,813	19,435
Income Tax Provision (₹ Crore)	5,492	5,484
Dividend Paid (₹ Crore)	3,627	As per Board resolution
Employee Cost (included in Operating Expenses)	Included in ₹ 25,937 Cr	Included in ₹ 27,474 Cr
Community Investment (CSR)	—	₹ 61.69 Cr approved ₹ 35.88 Cr disbursed
Capital Retained in Organisation	Retained earnings contributing to ₹ 1,37,758 Cr total capital	Strengthened equity base

GRI 404: Training & Education — Detailed Metrics

Training Metric	FY 2025-26
Total Learning Hours	23.10 lakh+
Average Hours per Employee per Quarter	31.24 hours
Classroom Programs — ULAs	629 programs 19,386 participants
Virtual Programs — ULAs	160 programs 9,108 participants
Webinars — ULAs	350 webinars 64,912 participants
Classroom Programs — ZLCs	1,080 programs 26,683 participants
Locational Programs — ZLCs	574 programs 22,016 participants
Virtual Programs — ZLCs	194 programs 11,395 participants
Webinars — ZLCs	290 webinars 24,927 participants
External Programs (incl. overseas)	1,212 employees 26 overseas
Leadership Programs	42 programs 867 executives (Scale V-VII)
Premier Institution Programs	346 officers 5 domains IIM Indore, ISB, MDI
Research Projects Completed	40 projects
Case Studies Developed	350
Articles Published in Journals	307
Faculty Certification Courses	1,039 courses
Employee External Certification Courses	2,916 employees 4,043 courses
Employee Internal Certification Courses	3,460 employees 9,038 courses

**GRI 413: Local Communities — Detailed Metrics**

Community Programme	Scale	Amount (₹ Crore)
PMJDY — Jan Dhan Accounts	3.40 crore accounts	Balance ₹15,964 Cr
PM SVANidhi (Street Vendors)	11.14 lakh accounts	—
PMMY — Mudra Yojana	6,94,138 applications	20,311
PMEGP (Employment Generation)	4,856 entrepreneurs	729
PM Vishwakarma	15,191 artisans	138
SHGs — Women Credit Linkage	5,11,000 SHGs	33,212 O/S
RSETIs — Free Skill Training	4.33 lakh trained 73% settlement	—
CGGB — Rural Banking (8 districts)	276 branches	₹25,272 Cr business
CSR — UBSFT (147 Projects)	Healthcare, Education, Sanitation	₹61.69 Cr approved
Disaster Relief (6 geographies)	Punjab, J&K, Uttarakhand, HP, Gujarat	Included in CSR
BC Network — Last Mile Access	28,035 BC Points	—
Financial Literacy Sessions	48+ sessions 2 Sr. Citizen programs	571.56 Cr SMS

GRI 418: Customer Privacy — Data Protection Framework

Union Bank of India has established a comprehensive Data Protection framework in compliance with the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023. The Data Protection Office (DPO) oversees the Bank's data privacy policies, consent management processes, data minimisation practices, and data subject rights mechanisms. All customer data collected through digital channels is processed under clearly defined consent frameworks, stored with encryption, and retained only as long as required for the stated purpose.

The Bank's cybersecurity framework — ISO 27001 certified, PCI-DSS compliant — ensures the confidentiality, integrity, and availability of customer data. BitSight Advanced rating reflects the Bank's strong external cybersecurity posture. A 24x7 Next Generation Security Operations Centre (NGSOC) monitors all digital channels for anomalous activity and potential data breaches. Cyber Security Insurance provides financial protection against residual risks. Zero major customer data breaches were reported during FY 2025-26.

Awards and Accolades

Union Bank of India received 1st prize in advance SOC category in National Critical Information Infrastructure Security Exercise (NCIIPC CII SECEX)



Winner of Operational Cyber Readiness platform and Cyber Range at UBSF CISO conclave & awards





DSCI Excellence Awards 2025: Winner of “Best Security Practices in the Banking Sector” at the DSCI Excellence Awards held in the month of Dec 2025



Runner up in 4th IBA CISO Summit & Citations 2025 awards held in the month of June 2025







Bank's CSR Activities







NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **24th (Twenty Forth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on **Friday, 10th July, 2026 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) **through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** facility to transact the following business:

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2026**, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare Dividend of ₹ 5/- per Equity Share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2025-26.

Special Business:

Item No. 3

Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("**Act**"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("**Scheme**"), the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("**Regulations**") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject

to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**the SEBI (ICDR) Regulations**] as amended, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**the SEBI (LODR) Regulations**] as amended, the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 as amended, the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of **the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/prospectus or such other document(s), in India or abroad **for an aggregate amount not exceeding ₹ 8,000 Crore (Rupees Eight Thousand Crore only) subject to:**

- such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) **for an amount not exceeding ₹ 3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore only)** which together with the existing Paid-up Equity share

capital of ₹ 7633.60 crore (Rupees Seven Thousand Six Hundred Thirty Three Crore and Sixty Lakh only) will be within the total authorized capital of ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, whichever is higher, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Share Capital of the Bank.

- such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital (including Green/Infrastructure/Foreign Currency Denominated Additional Tier-1/Tier-2 Bonds) as identified and classified by RBI, for an amount not exceeding ₹5,000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only) as **Additional Tier- 1 Bonds and / or Tier- 2 Bonds**, to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs")/ Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Further Public Offer, Rights Issue to public shareholders with or without promoter/promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR, Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Schemes or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and

allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Ministry of Commerce and Industry (DPIIT), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the

**Notice of 24th Annual General Meeting**

SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.
- The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of SEBI (ICDR) Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.
- The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs/FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the

securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s), Arrangers(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item No. 4:

Reappointment of Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a and Regulation 17(1D) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, reappointment of Shri Nitesh Ranjan vide Government of India's Notification eF.No. 4/4 (xi)/2024-BO.I dated 15th September 2025 as Executive Director of the Bank for a period of three years beyond his notified term which ended on 09th March 2026 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 5:

Reappointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with

Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, reappointment of Shri Ramasubramanian S vide Government of India's Notification eF.No. 4/4 (ii)/2024-BO.I dated 15th September 2025 as Executive Director of the Bank beyond his notified term which ended on 20th November 2025 till the date of his superannuation on 30th June 2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 6:

Appointment of Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) as Managing Director and CEO of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Asheesh Pandey vide Government of India's Notification eF.No. 4/3 (i)/2024-BO.I dated 30th September 2025 as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 30th September 2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 7:

Appointment of Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Amresh Prasad vide Government of India's Notification eF.No. 4/4(iii)/2024-BO.I dated 24th November 2025 as Executive Director of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 24th November 2025 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e., 31st October 2028 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**Notice of 24th Annual General Meeting****Item No. 8:****Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Dr. Debasish Prusty vide Government of India's Notification eF.No. 6/2(v)/2022-BO.I dated 13th May 2026 as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 13th May 2026 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA**

Place : Mumbai

(Ashish Mishra)

Date: 17.06.2026

COMPANY SECRETARY

NOTES**1. EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- a. Pursuant to General Circular No. 03/2025 dated 22th September 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10th July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business Item Nos. 3 being unavoidable, be transacted at the 24th AGM of the Bank through VC/OAVM.

- b. The Bank is adhering to and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. KFin Technologies Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.bank.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at <https://evoting.kfintech.com>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- f. Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 16 (vii). The helpline toll free no. 1800.309.4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.
- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 24th AGM through VC/OAVM Facility.

- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Wednesday, 8th July 2026**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.bank.in. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.
- j. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>
- k. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s KFin Technologies Limited before the cut-off date i.e. **Friday, 3rd July 2026**, in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will

not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to mail@csraginichokshi.com, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Saturday, 4th July 2026**.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 4th July 2026 to Friday, 10th July 2026** (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend, if declared by the Shareholder at the Annual General Meeting.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/ unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2015-16 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2021-22, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.bank.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomedList.aspx>

*Notice of 24th Annual General Meeting*

Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE / NOMINATION

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

- a. For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs).
- b. For shares held in physical form: to the Bank /Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed **Form ISR-1** and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_POD-1/P/ CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The Bank has sent letters along with Business Reply Envelopes (BRE) for furnishing the required details.
- c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting **Form No. SH-13**. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in **Form ISR-3 or SH-14** as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Bank's RTA in case the shares are held in physical form.

The address of Bank's RTA:

KFin Technologies Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032.
Tel. No.: 040 – 67162222.

- d. The said forms are available on the website of the Bank at <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>
- e. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

- f. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. ISSUANCE OF SECURITIES IN DEMATERIALIZED FORM IN CASE OF INVESTOR SERVICE REQUESTS AND SIMPLIFICATION OF PROCEDURES FOR TRANSMISSION OF SHARES

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 read with HO/38/13(3)2026-MIRSD-POD/I/3763/2026 dated January 30, 2026 has mandated the Listed Entities to issue securities in dematerialized form only while processing the following service requests viz.

- Issue of duplicate securities certificate;
- claim from unclaimed suspense account;
- renewal/ exchange of securities certificate;
- endorsement;
- sub-division/splitting of securities certificate;
- consolidation of securities certificates/folios;
- transmission and transposition.

Accordingly, Members are requested to make the said service requests by submitting a duly filled and signed **Form ISR – 4**, the format of which is available on the Company's website at <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant. Shareholders are also requested to follow the procedure as simplified by SEBI with regard to transmission of shares.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – KFin Technologies Limited immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. COPIES OF ANNUAL REPORT

As allowed by the authorities, copies of the Annual Report 2025-26 in physical form shall not be dispatched

and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the Stock Exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

11. CUT OFF/ RECORD DATE

FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1 to 5 shall be reckoned as on cut-off date i.e., **Friday, 3rd July 2026**.

12. PAYMENT OF DIVIDEND

If the dividend, as recommended by the Board of Directors, is declared at the AGM, payment of such dividend subject to Tax Deduction at Source will be made from **Monday, 20th July 2026** onwards as under:

- To all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited ("NSDL") and the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), collectively "Depositories", as of end of day on **Friday, 3rd July 2026**.
- To all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Bank as of the close of business hours on **Friday, 3rd July 2026**.

Pursuant to the Finance Act, 2026, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2026 and the Bank is required to deduct tax at source under section 393 (1) of the Income Tax Act, 2025 from dividend paid to shareholders (except exempt category of shareholders) at the prescribed rates against payment of Dividend more than ₹ 10,000 per shareholder (for resident individual shareholder) on PAN basis. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 2025 and the amendments thereof. The shareholders are requested to update their valid PAN with the DPs (if shares held in dematerialized form) and the Bank/Bank's RTA (if shares are held in physical form).

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights

in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 3rd July 2026** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible to vote.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.bank.in which should reach the Bank before the date of the AGM latest **by 5 PM on Wednesday, 8th July 2026** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members' questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **Friday, 3rd July 2026**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com> and click on **"post your queries here"** to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on Wednesday, 8th July 2026**

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

16. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on

**Notice of 24th Annual General Meeting**

General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.

- ii. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.
- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 7th July 2026 (9:00 am IST)** and ends on **Thursday, 9th July 2026 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the

Cut-Off Date of **Friday, 3rd July 2026** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1 to 5. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Friday, 3rd July 2026**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.bank.in along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at evoting@kfintech.com sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on Thursday, 9th July 2026**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility:	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest
I. URL: https://eservices.nsdl.com	I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login
II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.	or URL: www.cdslindia.com
III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"	II. Click on New System Myeasi
IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	III. Login with user id and password.
	IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.
	V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e- Services	2. User not registered for Easi/Easiest
I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com	I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration
II. Select "Register Online for IDeAS"	II. Proceed with completing the required fields.
III. Proceed with completing the required fields.	
3. User not registered for IDeAS e-Services	3. By visiting the e-Voting website of CDSL

- I. To register click on link :
<https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
- II. Proceed with completing the required fields.
- I. URL: www.cdslindia.com
- II. Provide demat Account Number and PAN No.
- III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.
- IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.



4. By visiting the e-Voting website of NSDL

- I. URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
- IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.
- V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.



Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL

Members facing any technical issue - NSDL

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 2244 30

Members facing any technical issue - CDSL

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-62343626, 022-62343624 or 022-62343611.

**Notice of 24th Annual General Meeting****Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.**

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form

- a. Initial Password is provided in the body of the email.
- b. Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFinTech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login

multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

- j. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at mail@csraginichokshi.com and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN.....'
- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800.309.4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFinTech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800.309.4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Friday, 3rd July 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFinTech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. Ms. Ragini Chokshi or Mr Uma Shankar Hegde of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman/Chairperson of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those

shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman/Chairperson of the Meeting or any other person authorised by him/her in writing.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM along with the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.bank.in and on the website of Kfintech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

18. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, Ms. Ragini Chokshi or Mr. Uma Shankar Hegde of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

19. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

20. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.bank.in under Investor Relations section as soon as possible.

Notice of 24th Annual General Meeting

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO.3:

Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 10,000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2026 was ₹ 7,633.60 Crore.

Shareholding of Government of India in the Bank is **74.76%** of the total paid-up capital of the Bank. The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2026 was as under:

Capital Adequacy Ratios - Basel III			
(₹ in Crore)			
Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2026	March 31, 2026	March 31, 2025
Total Risk Weighted Assets		7,03,920	7,03,920
Total Capital Funds		1,26,825	1,26,825
CET 1 Capital	NA	1,05,465	1,05,465
Tier 1 Capital		1,14,336	1,14,336
CRAR (%)	11.50	18.02	18.02
CET 1 (%)	8.00	14.98	14.98
Tier 1 (%)	9.50	16.24	16.24
Tier 2 (%)	NA	1.77	1.77

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 2.50 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to ₹ **8,000 Crore (Rupees Eight Thousand Crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. Further Public Offer) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Employee Stock Purchase Scheme and/or Preferential Allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities / Green Bonds etc. on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares/ Bonds at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 01st August 2025.

The proposed issuance of Equity Shares and or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 4:

Reappointment of Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) as Executive Director of the Bank

Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/3/2020-BO.I dated 10th March 2021 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 10th March 2021 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India notification dated 18th September 2023, the term of

Shri Nitesh Ranjan has been extended for a period of two years beyond his term expired on 09.03.2024, i.e. upto 09.03.2026 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India Notification no. eF. No. 4/4(xi)/2024 dated 15th September 2025, the term of office of Shri Nitesh Ranjan has been extended for a period of three years beyond his notified term ended on 09.03.2026 i.e. upto 09.03.2029 or until further orders, whichever is earlier.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a and Regulation 17(1D) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment or reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for reappointment of Shri Nitesh Ranjan as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

As Executive Director of the Bank, Shri Nitesh Ranjan currently looks after Treasury, Human Resources and Learning & Development, Information Technology, Digitization, Digital Business, Support Services Department & Corporate Communication and Procurement Department. He is driving the Bank's digital transformation and leading strategic initiatives for balance sheet optimization, customer experience and people development. While steering business outcomes, he emphasizes on continuous strengthening of risk and compliance standards.

Associated with Union Bank of India since 2008, he has held key positions including Head of Treasury Operations & Strategy, Chief Investor Relations Officer, Chief Economist, and Regional Head. He began his career with the Food Corporation of India as a management trainee and later worked with Andhra Bank.

He is a member of the IBA Steering Committee on PSB Reforms. Previously, he served on the boards of NPCI, SUD Life Insurance Company, SWIFT India, SBI Global Factors Ltd, and FIMMDA and was a founding member of the India Forex Committee (IFXC).

Shri Ranjan holds a postgraduate degree in Economics and has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore. He has also contributed to social initiatives, dedicating 100 days to Teach India's Spoken English Programme for underprivileged youth.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL

- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: 6725 equity shares
- The skills/expertise/capabilities of Shri Nitesh Ranjan as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Nitesh Ranjan, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 5:

Reappointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank

Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 21st November 2022 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India Notification no. eF. No. 4/4(ii)/2024 dated 15th September 2025, the term of office of Shri Ramasubramanian S has been extended beyond his notified term which was on 20th November 2025, till the date of his superannuation i.e. 30th June 2027 or until further orders, whichever is earlier.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment or reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the reappointment of Shri Ramasubramanian S as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

As Executive Director of the Bank, Shri Ramasubramanian S currently looks after Retail, MSME, Agriculture, RuSu & FI and Gold, Stressed Asset Management Vertical, Board Secretariat, Strategy, Subsidiaries & Joint Ventures including ACoE, Central Repository & MIS, EASE and CEA (Banking Research) Department.

**Notice of 24th Annual General Meeting**

Prior to joining Union Bank of India, Shri Ramasubramanian S was Chief General Manager of Canara Bank. He has to his credit more than 28 years of rich experience in various facets of Banking like Corporate Credit, MSME/Retail Credit, International Credit and forex. He holds a Bachelor degree in Science along with CAIIB qualification.

Throughout his banking career, he has worked at different locations and branch categories including Prime Corporate Credit Wing, Large Corporate, Mid Corporate Branches and Hong Kong Branch of Canara Bank and administrative offices including Head Office.

He is one of the Top Executive Grade officers who underwent Leadership Development Strategy Program organized by Financial Services Institutions Bureau (erstwhile Banks Board Bureau). He was in the standing Committee for Corporate Credit of IBA. He is also nominated to participate in Kamath Committee on COVID related loan Restructuring. He is well versed in operations and administration equally.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Ramasubramanian S. as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Ramasubramanian S, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 6:**Appointment of Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) as Managing Director and CEO of the Bank**

Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) was appointed by the Govt. of India as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/3 (i)/2024-BO.I dated 30th September 2025 for a period of three years from the date of assumption of charge of the office i.e. 30th September 2025

or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Asheesh Pandey holds the position of Managing Director & CEO on the Board of the Bank effective 30th September 2025.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Asheesh Pandey as Managing Director & CEO of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Asheesh Pandey is a seasoned Banker with experience of more than 27 years. He started his career from erstwhile Corporation Bank. Prior to assuming the current position, he worked as an Executive Director of the Bank of Maharashtra and Chief General Manager of the Union Bank of India.

Shri Pandey has an experience of handling diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He has also played an important role in the re-engineering, harmonization, automation and digitization during amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank with Union Bank of India.

Shri Pandey is a Mechanical Engineer and also holds Post Graduation in Management with specialisation in Finance & Marketing. He is an alumnus of Indian Institute of Management – Bangalore. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Shri Pandey has also completed Executive Program in Strategic Digital Marketing & Analytics - 2023 by IIM, Rohtak and Directors Development Program-2023 by Egon Zehnder in collaboration with Harvard Business Publishing. He has also completed Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted by IIM Bangalore as well as program on IT & Cyber Security for Senior Management conducted by IDBRT, Hyderabad.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: 4500 equity shares

- The skills/expertise/capabilities of Shri Asheesh Pandey as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Asheesh Pandey, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 7:

Appointment of Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) as Executive Director of the Bank

Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. eF.No. 4/4(iii)/2024-BO.I dated 24th November 2025 for a period of three years from the date of assumption of charge of the office i.e. 24th November 2025 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31st October 2028 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Amresh Prasad holds the position of Executive Director on the Board of the Bank effective 24th November 2025.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Amresh Prasad as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Prior to assuming the office as the Executive Director of Union Bank of India, Shri Amresh Prasad was the Chief General Manager of Punjab National Bank posted at Corporate office.

He has rich banking experience of over 32 years from branch banking, Zonal Offices to Head Office level, which includes Corporate Credit, Credit Review and Monitoring, Transaction Monitoring etc.

He is a graduate in Chemistry and Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Prasad has attended various training and Leadership Development Programs and has taken part in Leadership Development Program at SBIL Kolkata. He has also completed

Aarohan 2023 FSIB Program conducted by Financial Services Institution.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Amresh Prasad as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Amresh Prasad, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 8:

Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Bank

Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) was nominated by the Govt. of India as the Government Nominee Director of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF. No. 6/2(v)/2022-BO. I dated 13th May 2026 from the date of notification i.e. 13th May 2026 and until further orders. Accordingly, Dr. Debasish Prusty holds the position of Government Nominee Director on the Board of the Bank effective 13th May 2026.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Dr. Debasish Prusty as Government Nominee Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and

**Notice of 24th Annual General Meeting**

Development Cooperation and Environmental and Urban Governance.

He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India.

In the international negotiations in the conference of parties held under the United Nations Conference on Climate Change (UNFCCC) he had represented India's negotiating team. He was a member of the standing committee on Finance of the UNFCCC in 2016.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL

- The skills/expertise/capabilities of Dr. Debasish Prusty as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Dr. Debasish Prusty, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Special Resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

**By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA**

**Place : Mumbai
Date: 17.06.2026**

**(Ashish Mishra)
Company Secretary**

Directors' Report

Dear Shareholders,

The Board of Directors are pleased to present the 107th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2025-26 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2025-26.

Indian economy has demonstrated remarkable resilience. Despite a succession of unprecedented global shocks in recent years—including the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine conflict, escalating tariff measures led by the US, and ongoing tensions in West Asia. Strong domestic demand dynamics have served as a critical growth anchor, cushioning the economy from external headwinds. Equally, policymakers deserve significant credit. Both the Government and the Reserve Bank of India (RBI) have adopted a proactive and forward-looking approach, putting in place appropriate guardrails and undertaking timely policy interventions to preserve macroeconomic stability. These measures have helped contain the transmission of global shocks to the domestic economy, strengthened financial sector resilience, and ensured that the banking system remains well-capitalised, liquid, and capable of supporting the country's growth aspirations.

1. Global Developments:

The global economy held up well in 2025 despite facing multiple headwinds including heightened trade protectionism, geopolitical tensions, elevated public debt levels, and policy uncertainty. Global growth improved marginally to 3.4% from 3.3% in 2024, supported by strong investment in artificial intelligence and technology sectors, accommodative financial conditions, and adjustments in global supply chains. Inflation moderated significantly from 5.8% to 4.1% as energy prices softened and supply chain bottlenecks eased, although services inflation remained sticky across major advanced economies. Global trade volumes expanded by 5.1%, outperforming global GDP growth, partly due to front-loading of imports ahead of anticipated tariff increases.

The outlook for 2026, however, has weakened. Following the outbreak of the West Asia conflict in early 2026, global growth projections have been revised downward to 3.1%, while inflation expectations have been revised

upward to 4.4%. Rising energy prices, disruptions in shipping routes, and heightened risk aversion are expected to create a more challenging environment for global growth, trade, and financial stability.

The RBI in its 2025-26 Annual report identifies "the West Asia conflict as the most significant risk to the Indian economic outlook.

2. India: Macroeconomic Overview

Against a difficult global backdrop, India remained the fastest-growing major economy, with GDP growth accelerating to 7.6% in 2025-26 from 7.1% in the previous year. Growth was driven primarily by robust domestic demand, strong private consumption, sustained investment activity, and supportive policy measures. The services sector remained the principal engine of growth, contributing nearly 69% of overall GVA growth, while manufacturing recorded a strong expansion of 11.5%, aided by industrial credit growth and policy initiatives such as the Production Linked Incentive (PLI) scheme. Agricultural growth moderated to 2.4% from 4.2% due to weather-related disruptions, although record foodgrain and horticulture production helped cushion the impact. Fiscal management also remained prudent, with the Centre achieving its fiscal deficit target of 4.4% of GDP through higher revenues and controlled revenue expenditure growth while staying focused on capex push.

Inflation dynamics improved significantly during the year. Headline CPI inflation declined sharply to 2.1% from 4.6% in 2024-25, primarily reflecting lower food inflation and favourable base effects. Core inflation remained benign due to GST rationalisation, softer commodity prices, and muted input cost pressures.

From external sector perspective, the merchandise trade deficit widened to US\$333 billion from US\$283 billion a year earlier. Nevertheless, strong services exports and remittance inflows kept the current account deficit contained at around 1.0% of GDP. More importantly, lagging capital flows amid global uncertainty and geopolitical tensions, led to second consecutive Balance of Payments (BoP) deficit in FY2025-26. Despite this, foreign exchange reserves remained robust at US\$691 billion, providing import cover of approximately 11 months and reinforcing external sector resilience.

**Directors' Report**

Several measures announced in the Union Budget 2026-27 were growth supportive. The Budget has proposed a six-point plan which focuses on scaling up domestic manufacturing in several strategic and frontier sectors, rejuvenating legacy industrial sectors, creating champion MSMEs, boosting infrastructure, ensuring long-term energy security and stability, and developing city economic regions. This, coupled with further progress on trade deals with major economies, bodes well for India's overall growth outlook. Global headwinds stemming from rising geopolitical tensions, elevated commodity prices and supply-chain disruptions, however, pose downside risks to the growth outlook.

3. Monetary Policy developments

The significant moderation in inflation provided space for monetary easing during 2025-26. The Monetary Policy Committee (MPC) reduced the policy repo rate by a cumulative 100 basis points during the year and 125 basis points in the overall rate cut cycle starting February 2025. The MPC shifted to neutral stance in June 2025 to preserve flexibility amid evolving global conditions. The policy approach reflected a calibrated balance between supporting growth and maintaining vigilance against emerging inflationary risks.

Simultaneously, liquidity conditions remained comfortably surplus. The RBI actively supported liquidity injection of more than Rs 10 lakh crore through multiple channels, including open market purchases, foreign exchange swaps, longer-term repo operations, and a cumulative 100-basis-point reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR). As a result, average surplus liquidity increased substantially, with average daily absorption under the Liquidity Adjustment Facility rising to ₹1.86 lakh crore compared to flat in the previous year.

4. Transmission of Rate Moves into Lending and Deposit Rates

Monetary transmission strengthened considerably during the current easing cycle. The increasing dominance of External Benchmark Linked Rate (EBLR)-based loans improved the speed and effectiveness of policy transmission compared with earlier cycles. As repo rates declined, lending rates adjusted downward more quickly, while the share of MCLR-linked loans continued to fall.

The policy transmission has become more efficient due to structural changes in the banking system, allowing monetary policy actions to influence borrowing costs more directly and support credit expansion. This improvement in transmission is an important

development in enhancing the effectiveness of monetary policy. Deposit rates also responded to the easing cycle, supported by abundant banking system liquidity even as persistent wedge between credit and deposit growth led to the downward rigidity in deposit rates.

5. Market Trends

Financial markets experienced periods of volatility during 2025-26 amid tariff-related uncertainties, geopolitical tensions, and fluctuating capital flows. Government securities and corporate bond yields generally hardened during the year due to concerns regarding global inflation, fiscal sustainability, and geopolitical risks. However, RBI's liquidity injections, repo rate cuts and continued fiscal consolidation helped prevent excessive increases in yields.

Equity markets witnessed a two-phase movement. Strong gains in the first half of FY2025-26, supported by domestic growth and technology-related optimism, were followed by corrections in the second half as investors reassessed AI-related valuations and responded to escalating tensions in the Middle East. The Indian rupee traded with a depreciating bias, reflecting foreign portfolio outflows and global uncertainty, although India's external position remained comfortable.

6. Banking Sector Developments

The banking sector continued to demonstrate strong performance and resilience. Bank credit to the commercial sector expanded around 16% in 2025-26, a significant acceleration from 10.9% in the previous year. Credit growth was broad-based across sectors, reflecting healthy economic activity and strong demand for financing. Non-bank sources of credit also remained important, growing by 13.3%.

Industrial credit growth remained above its long-term average, thereby supporting overall credit expansion. Although personal loans growth remained below its long-term average, it has accelerated recently. Personal loans and services sector continued to drive the overall credit growth. Within the industrial sector, credit to MSMEs segment remained buoyant, recording a marked acceleration and contributing significantly to overall credit growth in 2025-26.

The flow of credit to MSMEs was supported by regulatory measures such as the enhanced limit under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme, introduction of customized credit card scheme for micro enterprises, expansion of digital and fintech lending through the co-lending framework with banks, and the updated definition of MSMEs, among others.

Deposit growth remained healthy at 13.5% but lagged the pace of credit expansion, resulting in a further increase in the credit-deposit ratio. While this trend underscores robust credit demand, it also highlights the increasing importance of deposit mobilisation for the banking system.

The sector's financial health continued to strengthen. Gross non-performing assets declined to a multi-decadal low, profitability remained robust, and capital adequacy ratios stayed comfortably above regulatory requirements. RBI stress tests confirmed that banks possess sufficient capital buffers to withstand severe adverse scenarios. Similar improvements were observed among non-banking financial companies and urban cooperative banks, reflecting broad-based strengthening of India's financial system.

7. Impact of the West Asia Conflict on the Economy and Banking Sector

The West Asia conflict has already led to a reassessment of global growth and inflation projections, with rising energy prices emerging as the principal transmission channel for economies worldwide. Disruptions to shipping routes and logistics networks may increase freight costs and affect trade competitiveness. Financial markets could also face heightened volatility, leading to fluctuations in capital flows, exchange rates, and bond yields. Consequently, risks to both growth and inflation have become more pronounced.

For the Indian economy, higher crude oil prices and supply disruptions could increase imported inflation, raise transportation and production costs, apart from widening external imbalances via deterioration in merchandise trade deficits and lagging capital flows. These developments have adversely affected macro-outlook for 2026-27 with the Monetary Policy Committee in April 2026 indicating upside risks to its inflation forecast of 4.6% and downside risks to growth projection of 6.9%.

For the banking sector, the impact is expected to be largely indirect. Higher input costs and weaker global demand could affect corporate profitability, especially in energy-intensive and export-oriented industries. Persistent volatility in bond markets may also exert mark-to-market pressures on investment portfolios. However, banking system is well positioned to absorb such shocks. Strong capital buffers, historically low NPAs, healthy profitability, and robust regulatory oversight provide substantial resilience against potential spillovers from geopolitical events.

Conclusion: While the West Asia conflict has increased external risks and introduced fresh uncertainty into the global economic landscape, India's strong domestic demand, prudent macroeconomic management, and resilient banking sector provide significant safeguards against adverse outcomes.

8. Digitization

The Bank continued its Digital Transformation Journey by leveraging contemporary digital technologies to deliver seamless, secure and inclusive banking services. The rapid evolution of digital financial services and regulatory reforms has reshaped the banking landscape, necessitating scalable, customer-centric and compliant digital solutions.

The Bank's digital initiatives focused on expanding straight-through-processing (STP), enhancing customer experience, and strengthening digital platforms across Retail, MSME, Agriculture and Payments segments.

During FY 2025-26, the Bank implemented and expanded multiple digital journeys across asset, liability and service segments. These initiatives substantially reduced turnaround time and improved customer convenience. Key initiatives during the FY 2025-26 are:

#	Key Initiatives	Description
1.	Union ease App	Revamped Mobile Banking Application for Retail Banking customers.
2.	Union eBiz App	Business Banking App exclusively for business customers (individual and sole-proprietor)
3.	Digital Personal Loan	Fully digital collateral free loan to meet personal needs for customers
4.	Digital Vehicle Loan	Digital Loan for purchase of New Four-Wheeler Loan for personal use
5.	National Pension System	One Step Digital NPS Journey via Branch Assist Portal
6.	Savings Accounts Journey	Savings Account opening for Existing to Bank customers
7.	Debt Swap Scheme	STP flow of Debt Swap Scheme for Farmers
8.	Online Re-KYC	Re-KYC service for customers without visiting the branch
9.	Digital Title Search & Digital Valuation	Digital interface for Title Search and Valuation Report by service providers.

**Directors' Report**

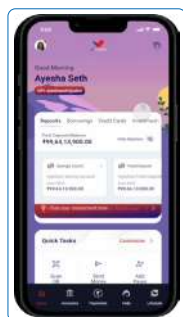
The Bank has achieved comparable capability in mobile banking, digital lending and payment innovation, supported by its nationwide branch network and inclusive design philosophy.

8.1 Union Ease App

The Bank's mobile and web-based platforms form the foundation of customer engagement strategy. The Bank launched its revamped mobile banking application 'Union ease' with 350+ features covering payments, deposits, loans, investments, insurance, Account Aggregator and service requests etc. Union ease offers enhanced UI/UX, dynamic interface, accessibility-compliant features, integrated UPI capabilities and biometric authentication. Union Ease provides customers with a unified digital interface and enables one-point access to lending and non-lending services

Union Ease serves as a unified digital channel, supporting the Bank's objective of delivering a seamless end-to-end digital banking experience.

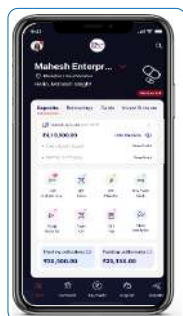
The Bank implemented extensive enhancements across payment channels, including increased UPI Lite limits, enabling UPI Global transactions across multiple geographies, pre-sanctioned credit lines on UPI, OS Native Biometric based Authentication, UPI mandate Service (UPI Autopay or e-mandate) with single block multiple debit services etc.



Union ease App

8.2 Union eBiz App: Bank has launched new Business App – Union eBiz for MSME Customers on the 107th Foundation Day of the Bank for individual and sole proprietor business customers with a comprehensive set of journeys covering payments, collections, user access exclusively for business accounts.

The app is equipped with a wide array of robust features designed to simplify business operations. It offers Access Rights Management, enabling customers to add users with restricted permissions, along with fund transfer capabilities, including individual and bulk payments through group or



file upload. Customers can seamlessly manage collections by generating and sharing Merchant QR codes and payment links, applying for POS machines and monitor transactions through a live collection dashboard.

8.3 Digital Personal Loan:

Collateral free unsecured loan that can be used for variety of purpose to meet personal needs. End to End servicing of personal Loan digitally for both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) customers without manual intervention.

8.4 Digital Vehicle Loan:

A Digital and paperless approval of Vehicle Loans for the purchase of new four-wheelers for personal use, covering both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) customers, resulting in significantly reduced turnaround time.

8.5 National Pension Scheme

The Digital NPS journey generates and activates PRAN instantly. The Journey consists of built in KYC compliance, duplicate PRAN checks, photo and signature upload and facility for initial contribution offers a secure, seamless experience to customers in just a few steps.

8.6 Savings Accounts Journey

A seamless Digital journey for Savings Account opening for Existing to Bank customers, for 23 schemes of Savings Bank Account.

8.7 Debt Swap STP

Debt Swap Scheme (Agri Term loan upto ₹ 0.50 lakh) is digitized fully wherein Agri sector customers can avail the loan online.

8.8 Online Re-KYC

Customers can now complete their Re-KYC online without visiting the branch.

8.9 Digital Title Search and Digital Valuation

The Bank has introduced Digital Title Search Report (TSR) and Digital Valuation as added capabilities to streamline collateral securities assessment process. The platform enables end-to-end process of valuation report and legal report digitally through Panel Service Provider

8.10 Other Initiatives

- **Digital Rupee by Union Bank of India (₹) App**
During the FY26, the Bank introduced key CBDC

features including PIN-less retail transactions for small-value payments, programmable CBDC (p-CBDC) for specific purpose payments, and merchant onboarding through the Digital Rupee Merchant App. The Bank successfully implemented and operationalized multiple p-CBDC projects in collaboration with State Governments. These initiatives are aimed at enabling targeted and conditional disbursement of funds to beneficiaries through Digital Rupee wallets.

The Bank also implemented wholesale CBDC (w-CBDC) initiatives, including tokenization of Certificates of Deposit, supporting efficient and secure interbank settlements.

The Bank in collaboration with various State Governments has implemented p-CBDC initiatives aimed at enabling targeted and conditional disbursement of funds to beneficiaries through Digital Rupee wallets. The initiatives undertaken during the FY 2025-26:

S No.	State	Initiatives
1	Odisha	Disbursement of Subsidy under Subhadra Yojana to women beneficiaries.
2	Uttarakhand	Implemented p-CBDC use case for disbursement of horticulture subsidies under Mission Kiwi.
3	Telangana	Implemented p-CBDC use cases for Information & Public Relations (I&PR) in coordination with Society for Elimination of Rural Poverty (SERP), with a special initiative for women journalists during International Women's Day and a subsidy program for SERP women employees, where Digital Rupee was credited to beneficiary wallets and programmed for use at selected handloom outlets

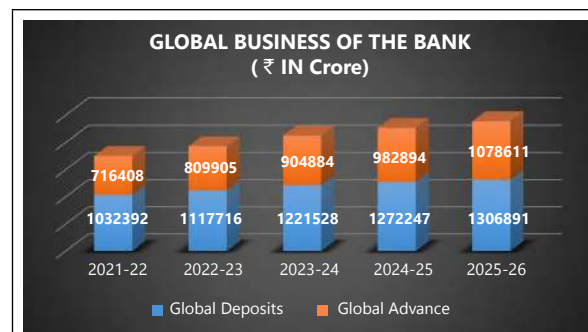
• **Digital Document Execution**

Digital Document Execution (DDE) through the Lending Automation System (LAS) was progressively expanded during the year for

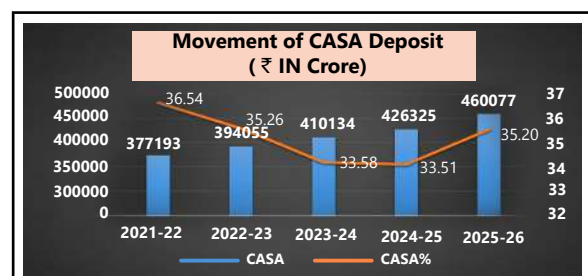
Retail, MSME and Agriculture loans for individual customers across a wide geographical footprint viz. 17 States/UTs for MSME Journeys, 18 States/UTs for Retail Journeys, 19 States/UTs for Agri Journeys

9 **Business Highlights:**

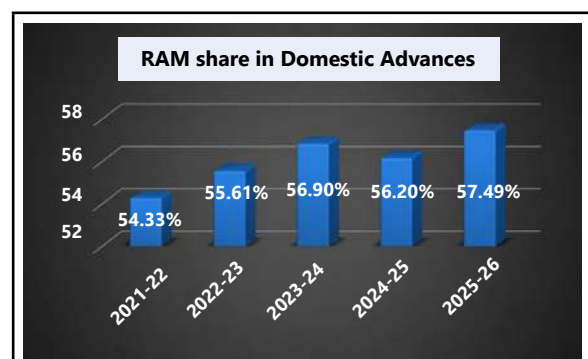
9.1 The global business of your Bank stood at ₹ 23,85,502 crore as on March 31, 2026



9.2 Total Deposits stood at ₹13,06,891 crore as on March 31, 2026. Out of this, CASA share (current account and saving account) stood at 35.20 % as on March 31, 2026.



9.3 Gross Advances stood at ₹ 10,78,611 crore as on March 31, 2026. RAM segment of your Bank stood at ₹ 5,98,484 Crore. 16.75% growth in Retail, 2.75% growth in Agriculture, and 18.75% growth in MSME advances are achieved on a YoY basis. RAM advances as a percent of Domestic RAM Advances stood at 57.49%.



**Directors' Report**

9.4 Overseas business of your Bank stood at ₹ 38,260 Crores as March 31, 2026, compared to ₹ 37,415 Crore as on March 31, 2025. Your Bank has two overseas branches in DIFC (Dubai) and Sydney (Australia) and operates in London, United Kingdom, through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd. The Gross Advance portfolio of the foreign branches stood at ₹ 37,657 crore as on 31st March 2026, compared to ₹36,919 crore as on 31st March 2025 and Net Profit of the foreign branches stood at ₹ 240 crore for FY 2025-26, compared to ₹ 190 crore for FY 2024-25.

10 Income and Expenditure:**Table 1: Income and Expenditure Statement****(Amt. ₹ in crore)**

Sl.	Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Interest Earned	1,05,992	1,05,909
2	Other Income	19,435	19,813
3	Total Income (1+2)	1,25,427	1,25,722
4	Interest Expended	69,333	68,695
5	Net Interest Income (1-4)	36,659	37,214
6	Operating Expenses	27,474	25,937
	w/w Establishment Expenses	15,290	14,668
7	Total Expenditure	96,808	94,632
8	Operating Profit (3-7)	28,620	31,090
9	Provisions	9,922	13,103
10	Net Profit/Loss	18,697	17,987
11	Earnings per share (in ₹)	24.49	23.56

11 Profitability and Efficiency:

11.1 Your Bank reported an Operating Profit of ₹ 28,620 crore in FY 2025-26 as compared to ₹ 31,090 crore in FY2024-25 with a growth of -7.95%.

11.2 Net profit of your Bank stood at ₹ 18,697 crore in financial year 2025-26 as compared to ₹ 17,987 crore for financial year 2024-25 with a growth of 3.95%.

11.3 Cost-to-income ratio of your Bank stood at 48.98% in FY 2025-26.

11.4 During FY 2025-26, Return on Average Assets stood at 1.25%, whereas Return on Equity stood at 15.86%.

Table 2: Efficiency Ratios

Parameter (%)	FY 2025-26	FY 2024-25
Return on Average Assets	1.25	1.26
Return on Equity	15.86	17.20

11.5 The following are the key productivity ratios of your Bank for FY 2025-26.

Table 3: Productivity

Parameter	FY2025-26	FY2024-25
Business per Employee (Amt ₹ in crore)	32.28	30.50
Business per Branch (Amt. ₹ in crore)	274.29	261.59
Gross Profit per Employee (Amt. ₹ in lakh)	38.73	42.04

11.6 During the Q4 FY2025-26, the Bank proactively strengthened standard assets provisioning coverage and has made additional provision of ₹ 700 Crore as contingency provision.

11.7 Dividend:

The Board of your Bank has recommended a dividend of ₹ 5/- per equity share of face value ₹ 10/- each for FY 2025-26 as compared to ₹ 4.75 for FY 2024-25.

12 Shareholders' Return:

12.1 Your Bank's net worth was ₹ 1,17,871.07 crore as on March 31, 2026.

13 Asset Quality:

13.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of your Bank stood at ₹ 30,401 crore as on March 31, 2026 as compared to ₹ 35,350 crore as on 31st March 2025. GNPA as a percent of gross advances stood at 2.82 % as on March 31, 2026 as compared to 3.60 % as on 31st March 2025.

13.2 Net NPA of your Bank stood at ₹ 5,067 crore as on 7 March 31, 2026 as compared to ₹ 5,969 crore as on 31st March 2025 and the Net NPA ratio stood at 0.48% as on March 31, 2026 as compare to 0.63 % as on 31st March 2025.

14 Capital Adequacy:

14.1 The Capital Adequacy Ratio, as per BASEL III norms, stood at 18.10% as on March 31, 2026. Common Equity Tier I (CET I) capital of your Bank stood at 15.69% in March 31, 2026.

(Amt. ₹ in crore)

Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III

Parameters	RBI Benchmark March 31, 2026	March 31, 2026	March 31, 2025
Total Risk-Weighted Assets		7,61,160	7,03,920
Total Capital Funds	NA	1,37,758	1,26,825
CET 1 Capital		1,19,435	1,05,465
Tier 1 Capital		1,26,557	1,14,336
CRAR (%)	11.50	18.10	18.02
CET 1 (%)	8.00	15.69	14.98
Tier 1 (%)	9.50	16.63	16.24
Tier 2 (%)	2.00	1.47	1.77

14.2 Capital Raised by your Bank

14.2.1 During the year 2025-26, the Bank has not raised any equity capital due to good internal accruals and comfortable capital position.

14.2.2 Bank has issued and allotted Senior, rated, listed, unsecured, redeemable, taxable, transferable long term fully paid-up non-convertible bonds in the nature of Debentures (Series I) eligible for financing of infrastructure & affordable housing of the Bank, of face value ₹1.00 Lakh each for cash at par aggregating ₹ 3,000 Crore on private placement basis.

15 Network

The branch network of your Bank is widely spread across the country with 8,695 branches and 2 overseas branches (Sydney, Dubai DIFC) as on March 31, 2026. Out of these 59 percent of the branches are in rural and semi-urban centres.

16 Awards & Accolades:

During FY 2025-26, your Bank received awards for various initiatives taken under the areas of Digitization, Financial Inclusion, HR management, Customer Service, MSME etc.

- Received the 1st Position Award in the category of “Best MSME Bank” and Runners up in the category “Best MSME Friendly Bank” on 22.12.2025 in the event MSME Banking Excellence Awards FY 24-25 conducted by Chamber of India Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME).
- Received 1st prize in advance SOC category in National Critical Information Infrastructure Security Exercise (NCIIPC CII SECEX

- Runner up in 4th IBA CISO summit & Citations 2025 awards held in the month of June 2025
- Winner of Operational Cyber Readiness platform and Cyber Range at UBSF CISO conclave & awards
- DSCI Excellence Awards 2025: Winner of “Best Security Practices in the Banking Sector” at the DSCI Excellence Awards held in the month of Dec 2025
- Award for Best Technology bank of the year by IBA during 21st Annual Banking Technology Award 2025 in the event held on 09.01.2026.
- Received Straight Through Processing Excellence Award from CITI Bank for processing of cross border remittances

17 Branding and Marketing

In an ever-changing business landscape, branding has emerged as a key driver of identity and value creation. It is now a dynamic process shaped by customer experiences, digital interactions, and shared values. Effective branding is essential for building credibility, setting products and services apart, and accelerating growth in a competitive environment. Throughout the year, your Bank has demonstrated strong commitment to branding and marketing efforts, leveraging a wide mix of channels including print, television, radio, digital platforms, out-of-home advertising, and social media.

17.1 Traditional Media

Traditional media like print, television, radio, out of home advertising has played a central role in shaping public opinion, spreading information and building brand awareness. It is known for its wide reach, credibility and structured presentation of content, making it especially effective for reaching large and diverse audiences. During the years this medium was effectively utilized by spreading awareness of Bank's products and Services including Branding.

Advertisements of the Bank were released in national and regional dailies, magazines, radio stations, TV Channels, Out of Home Media connecting with audiences through Branding, new initiatives and disseminating the information on Products and Services.

17.2 Social Media

Your Bank disseminates information related to products and services through its social media platforms by publishing dynamic, engaging content in the form of static creatives and videos, aimed at enhancing customer awareness.

**Directors' Report**

Your Bank Social Media Followers data as on 31.03.2026 is as follows:

Social Media Followers Data

Social Media Handle	No. of Followers as on 31st March 2026
X	6,50,106
Facebook	40,29,339
Instagram	2,23,064
YouTube	3,59,000
LinkedIn	3,06,247
Threads	51,434
Grand Total	56,19,190

In addition, awareness is generated through posts on social engineering, social causes, commemorative days, notable personalities, and public interest themes.

Your Bank has undertaken sustained efforts to promote cybersecurity awareness through the campaign “Cyber Security With U” and to encourage safe digital payment practices through “Pay Digital Stay Smart” across its social media platforms. Regular campaigns, informative posts, and digital safety advisories are disseminated to educate customers on secure transaction methods, fraud prevention, and responsible digital banking behaviour.

As part of these initiatives, the Bank actively shares guidance on identifying phishing attempts, safeguarding personal and financial information, and avoiding fake applications or fraudulent links. Your Bank has also released cybercrime awareness videos under the “Jamkar Phenko campaign”, which encourages stakeholders to remain calm during suspicious calls or messages, refrain from sharing sensitive information, and promptly report fraud attempts through authorised cybercrime reporting channels.

Customers are consistently educated on the importance of not sharing sensitive credentials such as OTPs, UPI PINs, passwords, and card details.

These initiatives reflect the Bank’s commitment to fostering a secure and well-informed digital banking environment, aligned with regulatory guidelines and evolving customer needs.

Your Bank maintains a 24x7 presence across all social media handles and ensures prompt responsiveness to customer queries. During the year, social media interactions were addressed efficiently through

timely guidance, structured redirections, and robust grievance resolution mechanisms, contributing to enhanced customer service and satisfaction. Your Bank’s brand presence has been well received, as reflected in 1415.77 lakh impressions and 118.98 lakh engagements during the period. Your Bank has built a strong social media presence, with the follower base increasing to 56.20 lakhs as on 31st March 2026.

Your Bank continues to monitor overall sentiment, gather feedback on initiatives, and assess customer interests to align product offerings and services with customer expectations.

17.3 Website

Your Bank has strengthened its digital presence by migrating its website domain from co.in to bank.in, in compliance with RBI guidelines aimed at enhancing customer trust in digital banking. Key enhancements include the introduction of a dedicated “Unauthorized Transaction” facility for prompt reporting of fraudulent activities, along with a strengthened grievance redressal mechanism to improve customer support.

Website content is regularly reviewed and updated to ensure relevance, accuracy, and clarity.

Further, timely updates regarding both planned and unplanned service disruptions are published on the website to ensure transparency and seamless customer communication.

18 Changes in the Directors on the Board of your Bank:

The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2025-26.

- Shri Suraj Srivastava has been renominated as Part Time Non-Official Director on the Board of your Bank w.e.f. 11.04.2025 and completed his tenure on 10.04.2026.
- Ms. A. Manimekhalai, MD & CEO of your Bank, ceased to be MD&CEO on completion of her tenure w.e.f.03.06.2025.
- Shri Pankaj Dwivedi, Executive Director of your Bank, ceased to be Director as Central Government cancelled his appointment w.e.f. 24.06.2025.
- Shri Rohan Chand Thakur has been appointed as Government Nominee director on the Board of your Bank w.e.f. 24.07.2025 vice Shri Sameer Shukla.
- Shri Asheesh Pandey has been appointed as MD & CEO of your Bank w.e.f. 30.09.2025.

- Shri Srinivasan Varadarajan, Non-Executive Chairman and Part Time Non-Official Director of your Bank, ceased to be Director w.e.f. 07.11.2025.
- Shri Amresh Prasad has been appointed as the Executive Director on the Board of your Bank w.e.f. 24.11.2025.
- Dr. Debasish Prusty has been nominated as Government Nominee Director on the Board of your Bank w.e.f. 13.05.2026 vice Shri Rohan Chand Thankur.

19 Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2026:

- The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- Accounting Policies had been selected and applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of your Bank for that period.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Annual Accounts were prepared on a going-concern basis.
- Internal financial controls had been laid down to be followed by your Bank, and such Internal Financial Controls were adequate and were operating effectively. Explanation.— For the purposes of this clause, the term "Internal Financial Controls" means the policies and procedures adopted by your Bank to ensure the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to your Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information.
- Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20 Market capitalization of the Bank as published by Stock Exchanges*

Particulars	Market Capitalisation as on 31.12.2025 (Amt. in ₹ Crore)	Rank among listed entities as on 31.12.2025
National Stock Exchange of India Ltd.	1,08,951.30	95 (among top 100)
BSE Ltd.	1,08,930.04	95 (among top 100)

* Vide Regulation 3(2) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Union Bank of India has been included in T+0 rolling settlement cycle by stock exchanges in equity cash markets.

Further, the top management of the Bank have held more interactions with the stakeholders of the Bank to enhance Bank's market perception.

21 Corporate Governance

The Board of your Bank is committed to adopting good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Integrated Annual Report. The Corporate Governance report for the financial year 2025-26 has no audit qualifications.

22 Corporate Social Responsibility (CSR):

22.1 Empowering Inclusive Growth:

Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral part of a company's commitment to managing the social, environmental, and economic impacts of its operations in a responsible manner, aligned with public expectations. It encompasses the company's efforts to give back to the community, participate in philanthropic causes, and provide positive social value. Today, companies increasingly recognize the importance of CSR to make a difference and build a positive brand image. CSR can be categorized into different types, including environmental responsibility, ethical responsibility, philanthropic responsibility, and economic responsibility.

Union Bank focuses on inclusive growth, rural development, and supporting government initiatives. Your Bank drives projects that uplift marginalized communities and improve access to healthcare, education, and livelihood opportunities. Our rural development initiatives aim to empower rural areas and promote sustainable agriculture and skill development. The Bank actively collaborates with the government to support social progress and economic growth. Union banks remain dedicated to making a lasting social impact and fostering a more inclusive and prosperous society.



Directors' Report

Union Bank allocates up to 1% of the previous year's published net profits towards voluntary CSR/charitable activities, though it is not mandatory being a Public Sector Bank.

To facilitate and manage its CSR/charitable activities, your Bank established the Union Bank Social Foundation (UBSFT) on 2nd March, 2006.

The primary object of UBSFT is to uplift underprivileged communities and significantly improve the living standards of the poor and marginalized.

During FY 2025-26, total donation of ₹ 61.69 crore for 147 projects was approved by Union Bank Social Foundation & an amount of ₹ 35.88 crore was disbursed.

These initiatives span various areas of social responsibility and aim to make a meaningful impact on the communities we serve.

₹ 61.69 crores	147
Donations approved by Union Bank Social Foundation (UBSFT) during FY 2025-26.	The number of projects/programmes approved

22.2 Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT)

To uplift underprivileged communities and significantly improve the living standards of the poor and marginalized, as an extended arm for carrying out CSR/charitable activities, the Bank set up Union Bank Social Foundation (UBSFT) as a Trust on 2nd March, 2006. UBSFT is registered under section 12AA and have obtained certificate under section 80G of the Income Tax Act, 1961.

The vision of UBSFT is to foster public-private initiatives and act as a catalyst for socioeconomic development. UBSFT aim to collaborate with other agencies to fulfil its obligations as a corporate citizen. The focus areas of UBSFT include improving healthcare, providing infrastructure and tools for education, and promoting continuous and sustainable skill development.

The mission of UBSFT is to launch, implement, participate in, fund, or otherwise assist programs and projects that contribute to the socio-economic development of individuals and communities.

The UBSFT Board is led by Bank's MD & CEO, with Executive Directors serving as Vice Chairman Trustees. Other trustees include Union Bank's 9 General Managers and an independent trustee. The UBSFT Board provides strategic direction aligned with Union Bank's CSR priorities and conducts

regular reviews of activities. The Chief Executive of UBSFT oversees the execution of the Board's directives.

Union Bank has also established a Stakeholders Relationship Committee (SRC) at the apex level, comprising members of the Board of Directors, which inter alia monitor's the CSR activities of your Bank so also of UBSFT on a quarterly basis.

Some of the key activities carried out by Union Bank/UBSFT in the field of social responsibility during FY 2025-26 include:

- **Education and Skill Development:** Supporting programs to enhance access to quality education, promote skill development, and empower individuals for a better future.
- **Healthcare and Sanitation:** Partnering with organizations to provide healthcare facilities, medical camps, sanitation infrastructure, and initiatives to promote general well-being.
- **Livelihood Enhancement:** Undertaking initiatives to promote livelihood opportunities, entrepreneurship, and economic empowerment of individuals and communities.
- **Environmental Conservation:** Engaging in activities that contribute to environmental sustainability, such as tree plantation drives, waste management programs, and promoting renewable energy.
- **Rural Development:** Implementing projects focused on rural infrastructure development, access to clean water, agriculture and farming techniques, and rural livelihood improvement.
- **Natural calamities, disasters:** Distribution of relief materials to flood affected victims & relief activities under disaster management.

22.3 Welfare measures for Girl Child Development

- **Scholarships** – bridging the financial gap and act as a vital safety net, ensuring that academic merit is not stifled by poverty. A donation of ₹ 2,000/- per year to one girl child studying in 5th Standard in a Govt./Govt. aided school under the service area of each of the rural branches of Union Bank of India including the rural branches to be opened in future, towards education till 12th standard. The project has benefitted about 1718 girl children all across India the amount of scholarship disbursed stood at ₹ 34.36 lakh.
- **Sanitation:** Infrastructure for Dignity -Construction of one toilet in a Govt./Govt.

aided girls' school in each of the Regions of Union Bank of India as part of Gandhi Jayanthi Celebrations. An amount of ₹ 171.28 lakh has already been spent towards construction of toilets in Govt/Govt. aided girls' schools across the different regions in India.

- Hygiene Management: Breaking the Taboo - Provided Sanitary Pad Vending Machine & a Sanitary Pad Disposal (Incinerator) at Govt/ Govt. aided girls' school/college under the jurisdiction of each of the Regional Offices of Union Bank of India as part of Gandhi Jayanthi Celebrations. An amount of ₹ 17.28 lakh has been spent towards this project.

23 EASE (Enhanced Access and Service Excellence)

The EASE Reforms Agenda, launched in FY 2018–19, aims to improve efficiency, transparency, digital capability, and customer focus in Public Sector Banks. Under EASE 7.0 (FY 2024–25) themed “Economic Development, Customer Delight, and Resilient Banking,” the Bank secured 3rd position overall, ranking 1st in Theme 1 and 2nd in Themes 3 and 4.

EASE 8.0 (FY 2025–26), themed “EASERise – Risk & Resilience, Innovation, Socio Economic Impact, and Excellence,” focuses on strengthening resilience, digital transformation, financial inclusion, customer experience, and support for emerging segments like startups and gig workers.

Under EASE 8.0 (FY 2025–26), the Bank made significant progress in digital banking, financial inclusion, governance, and asset quality by strengthening AI-driven collections, risk and IT resilience frameworks, multilingual and accessible banking services, ESG initiatives, and customer experience management. The Bank also introduced innovative products for salaried customers and gig workers, enhanced analytics and profitability monitoring capabilities, and implemented initiatives supporting financial literacy, inclusion, and employee well-being.

Under EASE 8.0 FY 2025–26, the Bank secured 2nd position in the Q1 and Q2 bank-wise rankings, achieving top-three positions across multiple themes and securing the top position in Q3 under Theme 3, “Socio-economic Impact.

As the Bank transitions to EASE 9.0, the progress achieved has strengthened its resilience, agility, and competitiveness, positioning it to effectively meet evolving economic and banking requirements while reinforcing its long-term strategic role in India's financial ecosystem.

EASERise (Pillar – II): Bank-specific 3-year Roadmap program:

As part of EASERise (Pillar–II) for bank specific strategic initiatives, Bank has prioritized the following 6 initiatives covering 37 measurable metrics with an objective of achieving the financial and non-financial aspirations:

- Sustainable growth in MSME
- Sustainable growth in Mid Segment Corporate
- Expanding Agriculture Investment Credit
- Strengthening Compliance & Enhancing Compliance Culture
- Enhancing Retail Deposit Mobilization
- Enhancing Customer Experience

These initiatives have helped the bank to drive balanced growth, strengthen risk and compliance frameworks, deepen customer relationships, and improve service delivery across segments.

24 Acknowledgements:

24.1The Directors thank the shareholders, customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of your Bank in India and abroad for their goodwill, patronage, and support.

24.2The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance, and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, BSE, NSE, financial institutions, correspondent Banks and Statutory Central Auditors of your Bank, in the functioning of your Bank.

24.3The Directors place on record their deep appreciation for the dedicated service and valuable contribution made by members of staff in the overall performance of your Bank during the year and look forward to their continued cooperation in the realisation of the corporate goals of your Bank in the years ahead.

24.4The Directors also express that the staff members stay safe, healthy and maintain good health.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai

(Asheesh Pandey)

Date: 17.06.2026

Managing Director & CEO



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1 Global Developments: Macroeconomic and Financial Market Environment :

The global economy remained resilient during 2025 despite a challenging backdrop of geopolitical tensions, trade fragmentation, fiscal pressures, and policy uncertainty. Global growth improved marginally to 3.4 per cent from 3.3 per cent in 2024, supported by easing inflation, robust services activity, technological investments, and improving financial conditions. Global trade volumes expanded by 5.1 per cent compared with 3.6 per cent in the previous year, reflecting a gradual recovery in merchandise trade and continued strength in services exports. At the same time, global inflation moderated to around 4.1 per cent, allowing several major central banks to initiate monetary easing cycles after an extended period of restrictive policy settings.

Despite these positive developments, financial markets remained highly volatile. Sovereign debt concerns, tariff measures, rising fiscal deficits in advanced economies, and geopolitical conflicts repeatedly triggered risk-off sentiment. Towards the latter part of FY2025-26, the outbreak of the West Asia conflict significantly worsened the global outlook by disrupting energy supply chains and heightening uncertainty. Crude oil prices rose sharply, sovereign bond yields hardened globally, and investors shifted towards safe-haven assets such as gold and the US dollar. Consequently, the IMF revised down its 2026 global growth forecast to 3.1 per cent. Emerging market economies also witnessed heightened volatility in capital flows, with equity outflows increasing amidst rising geopolitical risks.

2 India Economic Macro Overview:

Against this uncertain global backdrop, India continued to outperform most major economies and retained its position as the fastest-growing large economy globally. Real GDP growth accelerated to 7.6 per cent in FY2025-26 (as per second advance estimate for GDP released in February 2026) from 7.1 per cent in the previous year, reflecting the strength of domestic demand

and the resilience of economic fundamentals. Private consumption, which constitutes nearly 60 per cent of GDP, expanded by 7.7 per cent compared with 5.8 per cent a year earlier, supported by improving rural demand, moderation in inflation, tax relief measures, rising employment, and higher disposable incomes. Government consumption also remained supportive, growing by 6.6 per cent.

Investment activity remained robust with gross fixed capital formation expanding by 7.1 per cent. Public capital expenditure continued to crowd in private investment, while indicators such as capital goods imports, cement production, and steel consumption pointed towards sustained investment momentum. Importantly, despite higher tariffs imposed by the United States and slowing global trade, net exports exerted only a marginal drag of 0.1 percentage point on GDP growth, highlighting the economy's increasing reliance on domestic demand.

On the supply side, Gross Value Added (GVA) grew by 7.7 per cent. Manufacturing emerged as the principal growth engine, expanding by a strong 11.5 per cent, aided by improved corporate profitability, stronger capacity utilisation, and infrastructure spending. Services growth remained robust at 8.7 per cent, led by trade, transportation, financial services, and professional services. Agriculture, while moderating to 2.4 per cent growth, continued to benefit from favourable monsoon conditions and record foodgrain production. Macroeconomic fundamentals strengthened further, with gross domestic savings rising to 34.2 per cent of Gross National Disposable Income (GNDI) from 32.3 per cent a year ago. Household financial savings improved significantly to 7.0 per cent of GNDI, while household financial liabilities declined, indicating stronger balance sheet health.

3 Inflation Trends:

FY2025-26 was marked by a substantial decline in inflationary pressures. Headline Consumer Price Index (CPI) inflation moderated sharply to 2.1 per cent from

4.6 per cent in FY2024-25, remaining well below the Reserve Bank's medium-term target. The decline was largely driven by food prices, which entered deflationary territory due to record agricultural production, favourable weather conditions, higher reservoir levels, and proactive supply-side interventions.

However, inflationary pressures were not entirely absent. Fuel inflation turned positive following LPG price revisions of ₹ 50 per cylinder in April 2025 and ₹ 60 per cylinder in March 2026. Core inflation remained relatively sticky at around 4.3 per cent, although it moderated towards the end of the year. Notably, elevated gold and silver prices accounted for nearly half of core inflation during the second half of the year, reflecting investor demand for safe-haven assets amidst geopolitical uncertainty. This led the RBI to assert that “underlying demand led price pressures are muted”.

4 Stock Market Performance:

Indian equity markets experienced a year of significant volatility. Strong domestic growth, declining inflation, expectations of monetary easing, sovereign rating upgrades, and robust corporate earnings initially supported investor sentiment. However, these gains were subsequently offset by escalating geopolitical tensions, tariff-related uncertainties, foreign portfolio outflows, and concerns regarding global growth.

The BSE Sensex declined by 7.1 per cent during FY2025-26, closing at 71,948 by the end of March 2026. Mid-cap and small-cap segments also witnessed corrections, although domestic institutional investors helped cushion the impact of foreign selling. Foreign portfolio investors withdrew approximately ₹ 2.7 lakh crore from Indian equity markets during the year, while domestic institutional investors infused nearly ₹ 8.5 lakh crore, reflecting growing domestic participation in financial markets.

Despite weakness in secondary markets, primary market activity remained exceptionally strong. Resource mobilisation through IPOs, FPOs, rights issues, qualified institutional placements, and preferential allotments exceeded ₹ 4.5 lakh crore. Monthly systematic investment plan (SIP) inflows reached an average of

₹ 29,100 crore, underscoring the growing role of retail investors in India's capital markets.

5 Yield Movements:

Government securities markets underwent significant repricing during the year. During the first half, declining inflation, policy rate reductions, and substantial liquidity injections by the RBI contributed to a softening bias in bond yields. Market participants anticipated a prolonged easing cycle as inflation fell well below target.

However, the latter half witnessed a reversal. Stronger-than-expected GDP growth, concerns over fiscal implications of GST rationalisation, oversupply of state government securities, rising global crude oil prices, and the outbreak of the West Asia conflict led to a hardening of yields. The benchmark 10-year government bond yield crossed the 7 per cent mark by March 2026, reaching its highest level since mid-2024.

Corporate bond markets also experienced upward pressure on yields, accompanied by wider credit spreads as investors reassessed risk in a more uncertain global environment. This drove a shift in demand for financial resources by commercial sector towards banking sector. Nevertheless, market functioning remained orderly, supported by RBI liquidity operations and active debt market participation.

6 External Sector Developments:

India's external sector demonstrated remarkable resilience despite heightened global uncertainty. The current account deficit remained contained at sub-1.0 per cent of GDP, in 2025-26 during the corresponding period of the previous year. This performance was achieved despite a widening merchandise trade deficit of over US\$330 billion.

Strong services exports and remittance inflows played a crucial stabilising role. Software exports, business services, and professional services continued to record healthy growth, while remittances increased by over 10 per cent. Gross foreign direct investment inflows remained robust at US\$94.5 billion, reflecting sustained investor confidence in India's medium-term growth prospects. However, net FDI flows stayed in single digits on consistent outflows.

While foreign portfolio investment flows turned negative with net outflows of US\$16.5 billion, particularly after the



Management Discussion And Analysis

outbreak of the West Asia conflict, external vulnerability indicators remained comfortable. Foreign exchange reserves continued to provide import cover of nearly eleven months, while external debt remained moderate at 20.4 per cent of GDP. The ratio of reserves to external debt stood close to 90 per cent, highlighting India's strong external balance sheet.

7 Liquidity Conditions:

Liquidity conditions remained largely accommodative throughout FY2025-26. The Reserve Bank undertook a series of measures to ensure adequate liquidity in support of economic growth and policy transmission. Most notably, the Cash Reserve Ratio (CRR) was reduced by 100 basis points from 4.0 per cent to 3.0 per cent through phased implementation, releasing substantial durable liquidity into the banking system.

The RBI also conducted large-scale open market operations and liquidity injections. As a result, reserve money and broad money growth accelerated. Broad money (M3) growth reached 12.0 per cent, while the money multiplier improved from 5.7 to 6.1. Average daily money market turnover increased significantly, reflecting ample liquidity and smooth market functioning.

Currency in circulation expanded by 12.0%, supported by stronger consumption demand and fiscal transfers. At the same time, digital payments continued to grow rapidly, with UPI transaction volumes increasing by nearly 23.86%, demonstrating continued progress in financial digitisation.

8 RBI Policy Decisions and Transmission into Lending and Deposit Rates:

The substantial moderation in inflation enabled the Reserve Bank to pursue monetary easing during FY2025-26. Policy measures included reductions in policy rates, significant liquidity support, CRR cuts, and open market purchases of government securities. These actions helped maintain favourable financial conditions and support economic activity.

Transmission into financial markets was relatively effective. Money market rates, treasury bill yields, and government securities yields responded quickly to policy actions. The weighted average call rate remained closely aligned with the policy repo rate, indicating efficient liquidity management.

However, transmission to bank lending and deposit rates was more gradual. While lending rates softened and supported stronger credit growth, deposit rates remained relatively sticky. This reflected persistent competition for deposits as credit growth continued to outpace deposit mobilisation. The increasing attractiveness of mutual funds and capital market investments also intensified competition for household savings, limiting the pace of deposit rate adjustments.

9 Banking Sector Environment:

The banking sector entered FY2026-27 from a position of considerable strength. Credit growth remained robust at approximately 15.7 per cent, driven by retail loans, services sector financing, and a revival in industrial credit demand. Total financial resources flowing to the commercial sector increased sharply from ₹ 36.2 lakh crore in the previous year to ₹ 47.0 lakh crore, reflecting strong financing requirements across the economy.

Deposit growth remained healthy but continued to lag credit expansion, resulting in a persistent credit-deposit gap. This increased the importance of deposit mobilisation and alternative funding sources. Banks responded by drawing down excess investments in government securities. Excess SLR holdings declined from 10.3 per cent to 8.2 per cent of Net Demand and Time Liabilities, indicating greater deployment of resources towards productive lending.

Sector-wise credit deployment reflected the broad-based nature of India's economic expansion during FY2025-26. Credit growth to the services sector remained the principal driver, supported by lending to NBFCs, trade, transport operators, commercial real estate and professional services. Retail credit growth continued to remain robust, led by housing loans, vehicle loans and other personal loans, although growth in unsecured retail lending moderated following regulatory measures aimed at strengthening risk management. Industrial credit witnessed a notable revival after several years of subdued performance, driven by infrastructure, power, construction, engineering, renewable energy, chemicals, cement and metals sectors.

Credit demand from MSMEs also remained healthy, supported by government initiatives, formalisation of economic activity and improving business confidence. Agriculture and allied activities continued to receive

policy support, with agricultural credit maintaining steady growth to support rural income generation and food security objectives. The broad-based expansion in sectoral credit indicates that bank lending is increasingly aligned with productive investment, infrastructure creation and consumption demand, thereby supporting the economy's medium-term growth trajectory.

Transmission of monetary policy exhibited a mixed pattern. While money market rates, treasury bill yields and government bond yields adjusted relatively quickly to RBI policy actions, transmission to bank lending and deposit rates occurred more gradually. External benchmark-linked loans transmitted policy changes faster, while MCLR-linked loans adjusted with some lag. Lending rates softened as policy easing gained traction, thereby supporting credit demand from households and businesses. Deposit rates, however, remained relatively sticky due to intense competition for deposits and the need to maintain stable funding sources. As a result, the pace of reduction in deposit rates was slower than the decline in policy rates, compressing banks' net interest margins to some extent.

Asset quality indicators remained stable, supported by stronger corporate balance sheets, improving household finances, and prudent risk management. Capital adequacy remained comfortably above regulatory requirements, while profitability continued to improve. From a sectoral risk perspective, banks continue to closely monitor exposures to commercial real estate, unsecured retail lending and MSMEs, particularly in the context of rising global uncertainties and higher energy costs stemming from the West Asia conflict. Nevertheless, stress indicators across most major sectors remain significantly below historical averages.

Public sector banks continued their turnaround story, reporting improved profitability, lower NPAs and stronger capital positions. Their share in incremental credit growth increased for the second consecutive year, reflecting stronger competitiveness and healthier balance sheets. Overall, the banking sector entered FY2026-27 with strong capital buffers, healthy profitability, robust credit growth, improving asset quality and adequate liquidity, placing it in a favourable position to support economic growth even amid heightened global uncertainties arising from the West Asia conflict and evolving global financial conditions.

10 Impact of the West Asia Conflict on the Economy and Banking Sector:

The outbreak of the West Asia conflict towards the end of FY2025-26 represented the most significant downside risk to the macroeconomic outlook. Given India's dependence on imported crude oil, the conflict immediately raised concerns regarding energy security, inflation, external balances, and financial market stability. **The RBI in its 2025-26 Annual report identifies "the West Asia conflict as the most significant risk to the Indian economic outlook".**

The most direct impact was visible through rising crude oil prices, which increased transportation, logistics, manufacturing, and energy costs across sectors. The resulting inflationary pressures threatened to reverse some of the gains achieved through disinflation during the year. Financial markets reacted sharply, with foreign portfolio investors withdrawing approximately US\$13.1 billion in March 2026 alone. Equity markets corrected, bond yields hardened, and the rupee depreciated to around ₹ 94.8 per US dollar.

For the banking sector, the conflict presents multiple transmission channels. Higher energy costs could weaken profitability in energy-intensive industries such as transportation, chemicals, aviation, logistics, and MSMEs. Elevated inflation may delay further monetary easing and increase funding costs. Market volatility could also affect treasury portfolios and investor sentiment. Nevertheless, the banking system's strong starting position provides substantial resilience. Double-digit credit growth, comfortable capital adequacy, adequate liquidity buffers, stable asset quality, and strong provisioning coverage collectively reduce the risk of systemic stress. While the conflict has undoubtedly increased macroeconomic uncertainty, India's robust domestic demand, healthy banking sector fundamentals, contained current account deficit, strong foreign exchange reserves, and improving savings-investment dynamics position the economy well to absorb external shocks and sustain growth momentum.

11 Deposit Mobilization Department

The Deposit Mobilisation Department in the bank plays a crucial role in ensuring the financial health and operational success of the bank. Here's an overview of its key roles and responsibilities:

**Management Discussion And Analysis****11.1 Attracting and Retaining Deposits:**

- Formulates strategies to attract various types of term deposits
- Designs and promotes deposit schemes tailored to different customer segments (individuals, businesses, etc.).

11.2 Customer Relationship Management:

Builds strong relationships with depositors to encourage loyalty and long-term deposits.

11.3 Market Research and Analysis:

Analyses deposit trends, competitor offerings, and customer behaviour to refine deposit products and campaigns.

11.4 Coordinating with Branches:

Provides guidance and targets to branches for deposit mobilization to maintain sustainable growth.

11.5. Product Development and Innovation:

- Develops new deposit products and updates existing ones to meet changing market needs.
- Ensures products in comply with regulatory requirements

11.6 Monitoring and Reporting:

Tracks deposit growth and generate regular reports to bring further improvement.

11.7 Compliance and Risk Management:

Ensures all deposit mobilization activities adhered to banking Regulations.

New Initiatives taken during the year:

- Launched Union wellness Deposit:** The Bank has launched a new term deposit product named as Union Wellness Deposit in the Month of May 2025. Bank has mobilized a business of Rs 2840.00 Crore during FY 2025-26.
- Launched New 5 Current Account Variant :** The Bank has launched 5 New variants of Current account namely Pearl, Emerald, Ruby, Sapphire & Diamond To cater to diverse business requirements and customer profiles in the Month of November 2025. Bank has mobilized a business of Rs 742.00 Crore during FY 2025-26.

- Introduction of Branch Assisted online Saving Account Opening Journey for existing Bank Customers: In order to enhance and digitize the banking services bank has introduced a New and dedicated branch assisted saving account journey for existing customers (ETB) who do not currently hold a saving bank account in the month of January 2026.

- Your Bank has opened 1,87,224 new salary accounts during the FY 2025-26 with outstanding balance of ₹ 347 Crore.

(Amt. ₹ in Crore)

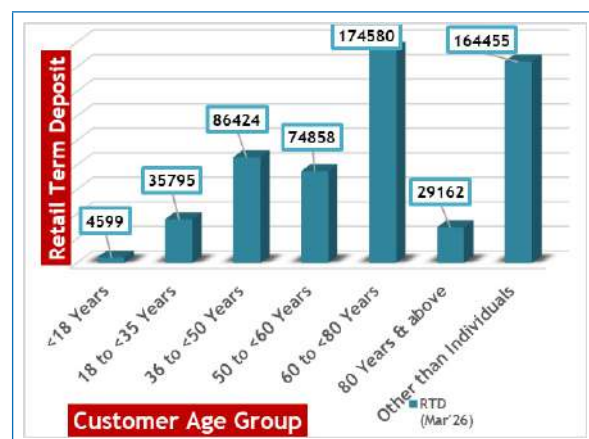
Domestic Term Deposit Performance Y-o-Y					
Parameters	FY 21-22	FY 22-23	FY 23-24	FY 24-25	FY 25-26
Retail Term Deposit	4,47,285	4,41,287	4,58,949	4,98,255	5,69,873
Bulk deposit	2,07,716	2,70,837	3,30,178	3,47,253	2,76,436
Term Deposit	6,55,001	7,12,124	7,89,127	8,45,508	8,46,309
Total Deposit	10,32,102	11,06,090	11,99,197	12,71,750	13,06,288

(Amt. ₹ in Crore)

Parameters	Domestic Term Deposit Growth Y-o-Y				
	FY 21-22	FY 22-23	FY 23-24	FY 24-25	FY 25-26
	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
Retail Term Deposit	53,636	-5,998	17,662	39,306	71,618
Bulk deposit	15,154	63,121	59,341	17,075	-70,817
Term Deposit	68,790	57,123	77,003	56,381	801
Total Deposit	1,10,475	73,988	93,107	72,553	34,538

➤ Age Wise Distribution of RTD (as of Mar'26)

(Amt. ₹ in Crore)



❖ Introduction of Specialized Savings Bank Scheme SBGIG

(Savings Account for GIG and Platform Workers): In alignment with the Bank's strategic focus on financial inclusion and in consideration of evolving workforce patterns within the Indian economy, bank has introduced a specialized Savings Bank Account scheme titled SBGIG. This scheme is designed to cater to gig and platform-based workers registered through the e-Shram Portal and operating across various sectors such as delivery services, ride-hailing, freelancing, e-commerce logistics, and home-service platforms.

Customer Base Growth:

NRE/NRO savings accounts increased from 8,79,967 to 9,04,621, registering a growth of 2.80%.

➤ Amt. Slab Wise RTD (as of Mar'26)

(Amt. ₹ in Crore)



11.8 NRI Deposits:

- ❖ NRI Deposits registered a growth of 10.21% during FY 2025-26, reflecting healthy and sustained expansion in the Bank's NRI business portfolio.
- ❖ To strengthen engagement with the NRI community, the Bank organized 'NRI Carnival' outreach programmes at major centres across India during the festive Christmas and New Year period, providing a platform to connect with and serve its valued NRI customers.

- ❖ FCNR deposits recorded a robust growth of 65.41% during FY 2025-26, demonstrating strong customer confidence and effective deposit mobilization efforts in the foreign currency segment.

11.9 Way Forward:

- ❖ Focus on Granular CASA Growth: Strengthen acquisition of retail and small business customers; deepen balances through targeted campaigns.
- ❖ Leverage Digital Platforms: Scale up the branch-assisted online SB account opening journey and promote digital TD/RD onboarding.
- ❖ Promote New Products Effectively: Drive branch-level mobilisation for new Current Account variants, and the SBGIG scheme.
- ❖ Expand Outreach to New Segments: Target gig workers, professionals, MSMEs, trusts, and institutional entities for stable deposits.
- ❖ Strengthen Branch Execution: Provide clear targets, regular reviews, and capacity-building to improve deposit mobilisation performance.
- ❖ Enhance Monitoring & Market Intelligence: Use MIS dashboards to track trends, competitor pricing, and branch-wise achievements for timely interventions.
- ❖ Improve Customer Retention: Introduce proactive renewal reminders, simplified onboarding, and customer-focused service improvements.
- ❖ Ensure Compliance & Risk Management: Maintain strict adherence to regulatory requirements in all deposit-related activities.

12 Credit Management

12.1 Corporate Credit

The Bank's total advance was ₹ 10,78,611 crore as of 31.03.2026, the corporate & other advance stood at ₹ 4,80,127 Crore. 12 large Corporate Branches (LCBs) and 38 Mid Corporate Branches (MCBs) across country are catering to the needs of corporate clientele. Bank registered growth of 6.80% on YoY basis in Corporate Credit.

Formation of Centralised Credit Processing Cell at Large/ Mid Corporate Vertical:

In order to make Large/ Mid Corporate Vertical more effective by leveraging services of corporate business Centers and streamlining of processing, increased efficiency and enhanced customer satisfaction, Centralised Credit Processing Cell has been implemented. This has helped in business growth and reducing overall TAT.



Management Discussion And Analysis

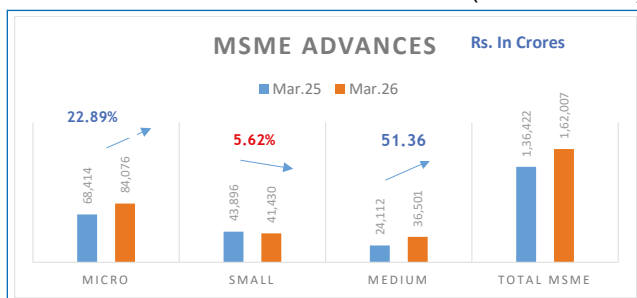
12.2 MSME

Business Growth:

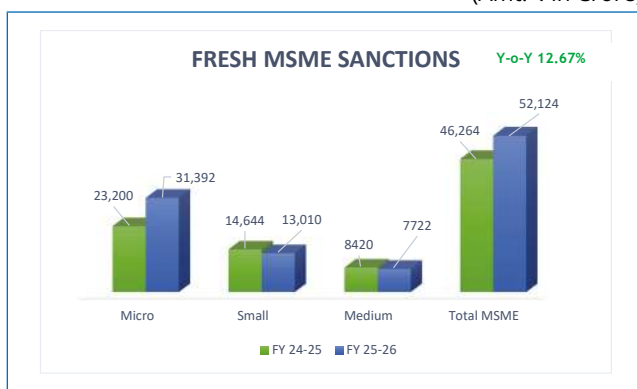
(Amt. ₹ in Crore)

Particulars	March 25	March 26	YOY Growth (%)
Total MSME Advance	1,36,423	1,62,007	18.75%

(Amt. ₹ in Crore)



(Amt. ₹ in Crore)



Performance of Key MSME Schemes: Bank has formulated specific schemes for targeted MSME segment. Detailed below are the performance of the bank under the identified MSME Schemes during the year.

(Amt. ₹ in Crore)

Name of the Scheme	Sanctioned A/c (In Numbers)	Sanctioned Amt.
Union MSME Suvridha	4,671	8,263
Union Nari Shakti	14,046	2,490
Union Equipment Finance	1,207	955
Union Ayushman Plus	428	388
Union Contractor	390	558
Union Textile	908	954
Union MSE Support	427	593
Union MSME Salute	317	1,818

12.2.1 MSME Loan Points:

The Bank continues to strengthen its MSME credit ecosystem through a well-established network of 138 MSME Processing Centers, which collectively appraised and sanctioned credit proposals amounting to ₹ 39,220 crore during FY 2025–26. These centers have been instrumental in ensuring efficient credit assessment, faster turnaround times, and enhanced customer service.

In line with its strategy of deepening MSME penetration and improving service accessibility, the Bank also operationalized three new MSME Loan Points during the year, further augmenting its specialized distribution network and supporting the evolving credit needs of MSME enterprises.

12.2.2 Outreach Camps:

The consistent field engagement of Central Office executives across their respective regions has significantly strengthened the MSME business ecosystem. Enhanced oversight, strategic guidance, and closer monitoring have collectively translated into improved business performance and accelerated growth across the regions.

12.2.3 Cluster Specific Schemes:

Bank has 22 approved cluster specific schemes across Pan India. During the financial year the total sanctions under cluster schemes was ₹ 2,572 Crore.

12.2.4 Union MSME First Branches:

As part of its focused strategy to strengthen MSME financing, the Bank operates 117 Union MSME Focused Branches (UMFBs) nationwide, with a cumulative MSME portfolio of ₹ 17,093 crore. During FY 2025–26, these branches facilitated sanctions amounting to ₹ 9,247 crore, significantly contributing to the Bank's MSME portfolio growth.

To further deepen market penetration and provide dedicated support to MSME customers, the Bank expanded its specialized distribution network by opening four new MSME First Branches during the year, thereby reinforcing its commitment to delivering timely and customized financial solutions to the sector.

12.2.5 Nari Shakti Branch:

Bank has introduced Nari Shakti branches to reflect its commitment towards empowerment of women entrepreneurs in line with the same a new Nari Shakti Branch in Lucknow has been opened during this year. At present, Bank has six Nari Shakti branches. These branches were initially inaugurated by Hon'ble Minister of Finance. Key services offered through these branches are as under:

Loan and deposit products suitable for women entrepreneurs.

- Advisory services.
- Workshops for Startups.
- Skill Development Programs
- Mentorship & Networking

Total business under the Nari Shakti Branches is ₹ 436 Crore (Advances: ₹ 312 Crore & Deposit ₹ 124 Crore).

- 62 Customer Relationship Executives were posted at potential locations to increase the MSME business. These executives are connecting to the existing as well as new MSME clients to deepen the existing relationships along with sourcing new accounts.
- **Sanctions under Credit Guarantee Schemes:** Union Bank of India is at forefront in lending under Credit Guarantee Schemes for encouraging collateral free lending. Details of sanctions during FY 25-26 are as under

(Amt. ₹ in crore)

Scheme	A/cs	Guarantee Amount
CGTMSE	2,13,516	22,589
CGFMU (Including Agri Allied)	4,14,113	29,549
Total	6,27,629	52,138

Digital Transformations: MSME Customers can now apply loans digitally for their business requirements. In this front, Bank has digital journeys through which loans up to ₹ 1.00 Crore can be sanctioned digitally.

Performance of the Bank during FY under each digital product is as below:

Digital journey	No. Accounts	Sanctioned Amount
STP Shishu Mudra	21,519	104
STP Kishore & Tarun Mudra	66,267	3,061
Nari Shakti STP	10,733	621
MSME Superfast STP	801	324
Union Digital Ease	10,902	391
Working Capital Enhancement	48	4
Total	1,10,270	4,505

Other Digital Initiatives undertaken at Bank

- Digi Renewal of the MSME accounts up to ₹ 25.00 Lac: During FY 25-26, 11.95 lac MSME accounts were digitally reviewed which forms 98% of the total account under the slab.
- Upper ceiling of sanction through digital channel is increased to ₹ 1.00 Crore from ₹ 0.25 Crore.

Learning and Development: For comprehensive development of credit officers posted at MSME Loan Points (MLP) including the MLP Heads, training was provided within the existing training structure for improving the knowledge level for better implementation at their job role.

Besides above, Bank is also organizing webinars for creating awareness amongst the Bank officials about various MSME schemes and new developments in the related areas. Bank is circulating "MSME Impact Magazine" monthly which covers latest developments as well as present & future insights related to MSME.

12.3 Retail:

Bank's Performance during FY 2025-26:

- Overall Y-o-Y growth in retail loans outstanding is 16.75 %
- Product wise Y-o-Y growth under Retail Lending is as under:

**Management Discussion And Analysis**

(Amt. ₹ in crore)

Scheme	Actual March' 25	Actual March' 26	Growth over March' 25	% Growth Over March 25
Home	94,825	1,07,687	12,862	13.56
Vehicle	22,462	28,415	5,953	26.50
Education	15,912	18,166	2,254	14.17
Mortgage	16,152	18,023	1,871	11.58
Personal	11,225	11,505	280	2.49
Others	56,202	69,288	13,086	23.28
Total Retail Advance	2,16,777	2,53,083	36,306	16.75

- Total Retail growth of ₹ 36,306 Crore over March'25
- Growth on YOY basis is 16.75 %.
- PAN India basis, RLPs (CPCs) sanctioned Retail loans of ₹ 50 064 Crore during FY 2025-26

New initiatives Taken during FY 2025-26:

- Launching of Digital Vehicle and Personal Loan to ETB and NTB customers.
- Issuance of Rupay Select Debit Card to IIT and IIM Students.
- Bank has sanctioned 192 Digital Education loan to female students of premier institute out of total 721 loan accounts under new digital initiative during FY 2025-26.
- Bank has sanctioned 51,700 Digital Solar rooftop (PM-Surya Ghar) out of total sanction of 69,601 loans under the initiative during FY 2025-26.
- Special Scheme for Category "A" Builder for Builder tie-ups/Project approval for seven Metro Centres.
- Implementation of Digital Documentation Execution (DDE) under Digital Journey of PM Suryaghar - Muft Bijli Yojna for direct disbursement enablement.

12.4 Agriculture:

Agriculture lending has always been the priority area for the Bank. Agricultural credit constitutes 18% of Gross domestic advances and 17% of Gross global advances of the bank as on 31.03.2026.

Bank achieved 19.44% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), against the statutory target of 18% under Agriculture Priority sector for the FY 2025-26.

Credit to Agriculture stood at ₹ 1,83,394 Crore as on 31.03.2026.

Credit to small and marginal farmers stood at ₹97,787 Crore(after sale of PSLC-SFMF ₹ 10,000 Crore) , which constitutes 10.73 % of ANBC against the benchmark of 10% for the FY 2025-2026. Bank sold ₹ 10,000 Crore under PSLC-Small & Marginal Farmer (SFMF) in the FY 2025-26 and earned ₹133.87 Crore as non-interest income. Bank has issued 2.58 lakh fresh Kisan Credit Cards amounting to ₹ 6,462 Crore during FY 2025-26.

12.5 Priority Sector Advances:

Bank remains committed towards extending credit facility to the needy segments of the society. Bank's priority sector advance stood at ₹ 3,74,078 Crore for the FY 2025-26, with 41.04% of ANBC against the statutory target of 40%, after netting the PSLC sales/purchase and including the investments in RIDF & other funds with NABARD, SIDBI, MUDRA and NHB.

(Amt. ₹ in crore)

Particulars*	FY 2025-26 (Avg. of 4 quarters)	% to ANBC (Avg. of 4 quarters)	Benchmark FY 2025-26 (% of ANBC)
Priority Sector Credit	3,74,078	41.04	40%
Agriculture Priority Sector	1,77,205	19.44	18%
Small & Marginal Farmers	97,787	10.73	10%
Micro Enterprises	82,161	9.01	7.50%

(*Post PSLC sale/ purchase & Including RIDF) (# Post PSLC sales of ₹ 10,000 Crore . in SFMF)

12.6 Specific Lending for Social Upliftment

Your Bank has continued to keep its focus on social development and equal opportunities for all segments of the society. Accordingly, the Bank extended credit facilities to various weak and unserved sections of the society specifically women, minority community and self-help group.

- **Women Beneficiaries:** With a view to promote entrepreneurs among the women and to make them self-reliant, bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2025-26, Total outstanding loans to women beneficiaries has increased from

₹ 1,39,406 crore as of 31st March 2025 to ₹ 1,51,258 Crore in March 2026, with a growth of 8.5%.

Minority Communities: Bank is extending finance to the minority communities' viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, and Jains in line with Government of India directives on welfare of minority communities. As on March 31, 2026 the outstanding credit to minority stood at ₹ 53,334 crore.

- **Weaker Section:** Bank has been actively participating in financing for weaker sections of society. Finances to weaker section including net sale of PSLC-SFMF stood at ₹ 1,15,921 Crore for the FY 2025-26 with 12.72% to ANBC against the benchmark of 12 %.
- **Rural Self Employment Training Institute (RSETI):** With an aim to mitigate the employment problem among the rural youth, Bank has established 42 RSETIs, in the districts where the bank has "Lead Bank Responsibility". As of March 31, 2026, Total number of candidates trained in RSETIs are 3,68,241, out of which 2,65,182 candidates have been settled with a settlement ratio of 72%.
- **Regional Rural Banks (RRBs):** Previously, our Bank served as Sponsor Bank to Chaitanya Godavari Grameena Bank (CGGB). In the state of Andhra Pradesh, four Regional Rural Banks (RRBs) have been amalgamated into a single entity i.e., Andhra Pradesh Grameena Bank (APGB), under the sponsorship of our Bank, with Head office located at Guntur with effect from 01.05.2025. APGB has a network of 1359 CBS Branches, spread across the Andhra Pradesh state with Deposits of ₹ 64,673 Crore and Advances of ₹ 66,665 Crore (Net of IBPC of Rs5,000 Crore). APGB has achieved total business of ₹ 1,31,338 Crore with net profit of ₹ 1836 crore as on 31.03.2026. The Gross NPA stood at 0.91% with nil Net NPA as on 31.03.2026.
- **Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):**
Bank is implementing PMFBY for the benefit of farmers who faced climatic adversities very often and suffer a lot. All farmers including sharecropper and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas covered under PMFBY.

- **Area Specific Schemes:** The bank has formulated 16 Area Specific Schemes, based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective areas to augment lending under agriculture.
- **Atmanirbhar Bharat Schemes/Emerging Renewable Sectors:** Bank has started capitalizing on huge investment taking place in Agri Infra Structure, Animal Husbandry and Food Processing through various Atmanirbhar Bharat Schemes like Agri Infrastructure Fund, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund and Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises.

Bank is also leveraging other schemes under renewable energy like Compressed Bio-Gas (CBG) schemes, solar power plant/solarization of pump sets under PM KUSUM Scheme to achieve the sustainable development goals and to improve the Green Financing.

- **Digitization in Agri:**

Digital KCC-Fresh: Digital Kisan Credit Card (KCC STP) for fresh sanction up to ₹ 2.00 lakh rolled out in Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha and Tamil Nadu states.

KCC STP for fresh sanction will be scaled up to ₹ 10.00 lakhs gradually Pan India where land records are digitized.

Digital KCC-Renewal and Enhancements: In order to strengthen digital footprints and utilize internal land records repository, bank has developed simplified digital Kisan Credit Cards (KCC) renewal journey up to ₹ 10 lakhs and made live Pan India.

Digital Kisan Tatkal: To augment digital lending business and instant credit for farming community to meet the emergency requirements for Farm activities, Bank has introduced "Digital Union Kisan Tatkal Loan" Scheme through STP (end to end) journey which is made available Pan India.

Digital Debt-swap: In order to facilitate the farmers to repay their high-cost debts from non-institutional lenders, Bank has introduced "Digital Debt-Swap Loan" scheme through STP (end to end) journey up to ₹ 50000.00 which is made available Pan India.



Management Discussion And Analysis

Digital journeys through Jan Samarth Portal:

- The digital KCC STP through Jan Samarth portal for fresh sanction is made live in Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh states.
- Non STP lead generation journeys such as KCC Fisheries, eNWR, Agri Clinics and Agri Business centers (ACABC), SHG-NRLM and Individual enterprise loans to SHG members (Lakhpati Didi) are available.

12.7 Financial Inclusion:

Union Bank of India has been one of the leading public sector banks to serve the unserved and provide access of banking services to the last mile including opening of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts, Overdraft in PMJDY accounts, enrolments under social security schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY).

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts play a crucial role in the financial inclusion initiatives by providing banking services to the unbanked populations. As of March 31, 2026, the Bank has opened 3.40 crore PMJDY accounts with a balance of Rs 15,964.06 Crores, compared to 3.21 crore PMJDY accounts with balances of ₹ 13,266.06 crores as of March 31, 2025. The average balance in PMJDY accounts has shown a steady progress from ₹ 4,124 as of March 31, 2025 to ₹ 4,692 as of March 31, 2026. Our commitment to financial inclusion is evident with over 1.27 lakh street vendors financed through the PMSVANidhi scheme during FY 2025-26, out of 10.97 lakh applications financed since inception under the scheme. The bank is committed to transforming lives of the street vendors with credit facilities and promoting economic development to underserved communities.

PMJDY Accounts	31 st March 2025	31 st March 2026
Total PMJDY Accounts (In Lakhs)	321.68	340.26
Balances in PMJDY Accounts (Amt. ₹ in Crores)	13,266.06	15,964.06
Average Balances in PMJDY Accounts (Amt. in ₹)	4,124.00	4,692.00

Business Correspondents (BC) as key drivers of financial inclusion initiatives:

The Business Correspondent (BC) led financial inclusion model has evolved as one of the significant growth drivers in promoting access to banking services in the unbanked and underserved segments, creating awareness on social security schemes of the Govt. and promoting digitalization & educating customers on cyber security threats. Union Bank has a robust business correspondent network of 28,035 as of March 31, 2026. These BCs provide 42 banking services uniformly across pan-India including account opening, cash deposits, withdrawals, sourcing loan applications and enrolments under insurance and pension schemes.

The Bank has disbursed ₹ 2,042.85 crores of Retail, Agri & MSME advances as of March 31, 2026 through the leads generated by the Business Correspondents, compared to ₹ 1125.60 crores as of March 31, 2025.

Bank's performance under Social Security Schemes (SSS): The performance of the Bank under Social Security Schemes including micro-insurance and pension schemes of the Govt of India for the financial year 2025-26 is given as under:

Sl. No.	Scheme	No. of accounts enrolled
1.	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	13,22,613
2.	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	42,81,823
3.	Atal Pension Yojana (APY)	9,37,045

PMSVANidhi: Bank has disbursed ₹ 1,733.30 crore across Tranche 1, 2 & 3 under the PMSVANidhi scheme as of 31st March 2026 benefitting over 7.26 lakh beneficiaries till date. To further empower the street vendors, PMSVANidhi Credit Card facility has been introduced for PM SVANidhi beneficiaries by the Bank as per the directions of DFS, GoI and the MoHUA (Ministry of Housing and Urban Affairs). This initiative will provide vendors with on-demand access to credit, offering greater flexibility to meet day-to-day expenses and adapt to changing business needs.

PM SVANidhi		
Application Nos. (in Lakhs)	Amt. ₹ in Crores	
App Sanctioned	11.14	1,781.78
w/w App Disbursed	10.96	1,733.30

Financial Literacy Camps:

As on 31st March 2026, Bank has 79 FLCs and 203 CFLs conducted camps for educating rural & underserved population on Govt. sponsored schemes including social security schemes and digital products with focus on creating awareness on cyber security threats and digital frauds. During FY 2025-26, FLCs have conducted 6820 camps and CFLs have conducted 84,513 camps pan-India.

Bank has conducted financial literacy camps across 20,436 Gram Panchayats in the Saturation Campaign launched by the DFS, Govt of India during the 4-month period July 2025 to October 2025. The key activities carried in the camps included PMJDY account opening, enrolments under PMJJBY and PMSBY, enrolments under APY, Re-KYC of all eligible account holders, activation of in-operative PMJDY accounts, updating nominee in eligible SB accounts, awareness on prevention of digital frauds, ways to access unclaimed deposits and grievance redressals.

Bank has actively participated in RBI's Financial Literacy Week from 9th to 13th February 2026 with the theme "KYC-Your first step to safe banking" and successfully conducted about 1,127 camps.

The camps were given wide publicity and witnessed large scale participation of the customers and visits by the Senior / Top Executives of the bank.

13 International Banking:

Overseas business of your Bank stood at ₹ 38,260 Crores as on March 31, 2026, compared to ₹ 37,415 Crore as on March 31, 2025. Your Bank has two overseas branches in DIFC (Dubai) and Sydney (Australia) and operates in London, United Kingdom, through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd. The Gross Advance portfolio of the foreign branches stood at ₹ 37,657 Crore as on 31st March 2026, compared to ₹ 36,919 Crore as on 31st March 2025 and Net Profit of the foreign branches stood at ₹ 240 Crore for FY 2025-26, compared to ₹ 190 Crore for FY 2024-25.

13.1 Trade Finance:

Your Bank offers a bouquet of Trade Finance products and services to exporters and importers through an extensive, well equipped branch network that operates in India and abroad. There are 121 Authorized Dealing branches spread across the length & breadth of the country, Centralized Trade Finance Processing Centres and Centralized SWIFT Back Office, for orderly growth of the Trade Finance portfolio. Bank offers a bouquet of innovative products & services as per the market demand and changing regulatory norms to suit the customer needs.

Your bank has improved synergies and trade flow between Domestic Offices and Foreign Offices/ Correspondent Banks and the trading community by forming a strong link between them.

13.2 Correspondent Banking Relations:

To facilitate international trade & transactions, your Bank is maintaining RMA relationships with 829 banks in 93 countries and Nostro accounts with 34 Banks, in 14 different currencies.

13.3 Trade Finance Solution – Trade NXT:

In the direction of digitalizing the Forex transactions, your bank has digital platform- "Trade NXT". For processing of these transactions Centralized Trade Finance Processing Centres, at Mumbai & Mangalore are operationalized.

Trade NXT is a Unique Digital Trade Services Platform for our customers to transact Foreign exchange transactions, efficiently & as per their convenience. The platform supports all type of trade transactions including for Exports, Imports, Guarantees and Remittances.

Key Features:

- ❖ **Convenience** - Avail services from your home or office.
- ❖ **24x7 Availability** - Trade related transaction can be initiated round the clock.
- ❖ **Customization**- Personalized dashboards, customized templates.



Management Discussion And Analysis

- ❖ **Paperless Banking via Digitization** - Dedicated portal for managing all trade transactions, Auto mailer intimations of advices and SWIFT messages.
- ❖ **Efficiency** - Substantial improvement in TAT due to Digitization and Centralization
- ❖ **Relationship Manager** - Improved customer service through dedicated Relationship Managers.
- Compliance** - Complying with Regulatory norms & Procedures along with International Best Practices.

Over the time, the Trade Finance Processing Centres(TFPC) have garnered a significant portion of trade finance transactions, with customers migrating to the 'Trade Nxt' digital platform, thereby fortifying the forex back office operations.

Apart from Forex transactions, the TFPCs also carry out centralized processing of domestic LCs and guarantees.

Centralized SWIFT Back office has been set up at Mumbai for handling cross border transactions over the SWIFT network and for ensuring smooth & fully secured transmission of messages.

These enhancements are aimed at optimizing operational processes, enhancing security measures, and providing our customers with a superior banking experience.

13.4 Centralized ODI, FDI & ECB Cell:

Your Bank has set up the nodal office for approval, reporting, and monitoring of regulatory compliance related to ODI, FDI, and ECB transactions handled by the bank. It ensures timely processing of ODI applications with periodic RBI reporting, manages FDI reporting through the RBI portal, and handles new and revised ECB applications while coordinating with branches and RBI on capital account matters.

13.5 Exporters'/ Importers' meet:

Your bank facilitates the growth of Export Credit by actively engaging with branches, trade bodies & other stakeholders. Exporters' / Importers' meets, outreach campaigns were conducted across India at potential centres to increase awareness of the banking products & services offered by your Bank.

During FY 2025-26, 118 new clients have been brought into our export credit portfolio.

13.6 Export Credit:

Your bank's Export Credit portfolio stood at ₹ 22,453 Crore as on 31.03.2026.

Your Bank is consistently maintaining second highest position amongst the PSBs in this segment since last 3 years.

13.7 New initiatives/ products:

- Your Bank has launched dedicated export credit schemes, namely 'Union Niryat Sugam' and 'Union Niryat Protsahan Yojana' offering collateral-free / flexible export finance with simplified processes, competitive pricing, and enhanced accessibility, particularly for MSME & manufacturer exporters.
- Your Bank has become a Special Category Client (SCC) with IIBX, GIFT City, enabling direct access to bullion imports with improved price discovery and reduced cost.

14 Treasury

14.1In the financial year 2025-26, the Treasury function of the Bank continued to play a pivotal and strategic role in ensuring liquidity and profitability. It operated as a prudent liquidity manager, aligning its activities with the Bank's broader corporate objectives, with a clear focus on optimizing returns while maintaining a balanced risk profile. The Treasury effectively managed credit, market, and liquidity risks within the framework of established policy guidelines.

14.2The Treasury adopted a disciplined approach towards cash management, leveraging a range of short-term money market instruments and foreign exchange operations. Treasury maintained an optimal mix of SLR and Non-SLR investments with appropriate maturity duration, ensuring profitability while safeguarding the Bank's financial health. At the same time, conscious efforts were made to conserve capital by reducing reliance on high capital-intensive instruments and

strategically shifting towards less capital-intensive avenues, thereby improving key financial metric such as Return on Capital Employed (ROCE).

14.3 Guided by a forward-looking strategy, the Treasury focused on building a robust investment portfolio during favourable interest rate cycles. Maintaining the maturity duration in alignment with approved policy norms enabled the generation of consistent Treasury income. In addition, the Treasury actively explored various arbitrage opportunities available in the financial markets like foreign exchange, money markets, as well as among government securities, interest rate futures, and overnight index swaps. Such strategic positioning helped the Bank to capitalize on market movements and enhance overall returns.

14.4 Recognizing that human capital is a key enabler of performance, the Treasury also invested in strengthening its manpower capabilities. Through a combination of in-house and external training programs, efforts were made to enhance the skills and efficiency of the team across all operational levels. Parallely, the Treasury focused on strengthening its sales function to onboard new customers while ensuring seamless service delivery to existing clientele. Expansion of the sales team further supported the mobilization of Primary Dealer (PD) business, contributing to business growth.

14.5 The results of these strategic initiatives were reflected in the Treasury's performance during the year. The Bank recorded a profit of ₹ 2,952 crore from investments, supplemented by a forex exchange profit of ₹ 1,076 crore. Together, these contributed to a total Treasury income of ₹ 4,028 crore, underscoring the effectiveness of its operational and strategic approach.

14.6 In addition to operational achievements, the Treasury undertook important initiatives to strengthen its technological capabilities. During the year, the dealing room trading systems were upgraded with advanced software solutions, significantly enhancing operational efficiency and trading capabilities. These upgrades enabled faster decision-making, improved execution of trades, and better client servicing. The implementation of the upgraded Finacle Treasury software further strengthened the Treasury's ability to operate with precision and agility in dynamic market conditions.

14.7 Overall, the Treasury function demonstrated resilience, strategic foresight, and operational excellence during the financial year. Through a balanced approach to risk, innovation, and growth, it continued to contribute meaningfully to the Bank's profitability while reinforcing its position as a key driver of financial performance.

15 Asset Quality

15.1 Performance during FY 2025-26:

GNPA reduced from ₹ 35,350 Crore as of March 2025 to ₹ 30,401 Crore as of March-2026. Your Bank's cash recovery & upgradation and details of other recovery and reduction figures for financial year 2025-26 is as under:

(Amt. ₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26
GNPA as of 31.03.2025	35,350
GNPA as of 31.03.2026	30,401
Cash Recovery	4,404
Dummy Ledger Recovery	1,931
Rec. in written off a/cs	3,997
Gross Cash Recovery	10,464*
Upgradation	2,543
Gross cash recovery + Upgradation	13,007
% Gross NPAs	2.82

* Includes recovery of Expenses during FY 2025-26 amounting to Rs. 132 crores.

15.2 Recovery Strategies initiated during FY 2025-26:

- Strengthening of Review mechanism along with escalation matrix across Specialized Recovery Branches/Regions/Zones/Authorized Officers.
- Enhanced publicity for E-Auction by circulating QR code with link to the properties under auction. During FY 2025-26, 1013 properties with sale price Rs. 1414 crores have been sold by the bank under SARFAESI.
- Holding Mega OTS camps on 1st and 3rd Saturdays of every month attended by executives from Central Office to enable quick decision on OTS and other recovery measures.



Management Discussion And Analysis

- Expeditious examination of Willful Default cases.
- Focused monitoring of NCLT cases and providing timely guidance/support to the field in CIRP matters.
- Periodic review of advocates' performance in handling DRT cases.
- Organizing additional Lok Adalats in coordination with DLSA and DRT authorities. During FY 2025-26, 68702 accounts involving Rs. 2000 crores were settled by the Bank at various Lok Adalats.
- Allocation of regions to individual officers at SAMV CO for regular follow up on recovery matters.
- Regular follow up from Field Functionaries for recovery of OTS overdue amount.
- Maximization of Recovery through assignment of Debt to ARCs/NBFCs/NARCL/Fis. During FY 2025-26, 15 accounts having outstanding balance Rs. 1503.68 crores have been assigned to ARCs/NBFCs/NARCL/Fis.

15.3 Revamped SAM Vertical Structure

- Three General Managers posted in SAM Vertical, with a clear mandate to drive focused recovery efforts. Geographical mapping of zones will be undertaken by assigning specific Zones/regions to each GMs for enhanced accountability and improved monitoring. This is aimed at:
 - Intensifying account-wise follow-up
 - Ensuring time-bound resolution of stressed assets
 - Strengthening on-ground supervision and coordination with zones
- A special strategic focus will be placed on resolution of NPAs across high-impact segments, namely:
 - Pool Buyout and Co-lending Portfolio
 - Housing Loans
 - Vehicle Loans
 - Credit Cards
 - Self Help Group (SHG) Advances

- The targeted approach is expected to **accelerate recovery momentum**, optimize resolution outcomes, and improve overall asset quality in these critical segments.

16 Relationship Banking

Your Bank earned income of ₹ 514.21 Crore through the Wealth Management Vertical, during the year 2025-2026.

16.1 Initiatives during the year

- Wealth Relationship Managers were mapped to HNI customers of the Bank to cater to their investment needs.
- SP (Specified Person) Certified staff for carrying out insurance business increased from 18131 to 19572. Trainings provided to staff for better product knowledge and updated regulatory guidelines.
- EUIN holder staff for carrying out Mutual Fund business increased from 394 to 758.
- During September 2025, Vertical had activated over 97.50% branches under life insurance segment.
- Focus on ensuring adequate insurance penetration to Bank's customers.
- Bima-ASBA process implementation is made live for Life Insurance segment through our business partner SUD Life Insurance Co.

16.2. New Products Launched in 2025-26:

Mutual Fund NFOs: Following four NFOs of Union Mutual Fund were launched:

- Union Diversified Equity All Cap Fund of Fund
- Union Consumption Fund.
- Union Income plus Arbitrage Active Fund of fund
- Union Low Duration Fund

16.3 Digital Initiatives:

- M/s Fintech Blue Solutions Pvt Ltd has developed digital platform on mobile app and branch portal for insurance business. 44 Insurance products from SUD Life, IndiaFirst Life, Care Health, Manipal Cigna, Bajaj General, Chola MS General and United India General Insurance Company are live on the platform.

- Developments under process for services like renewing the policies, raising Insurance claims, Commission reconciliation etc. through the digital platforms.
- Branch portal (Union Invest) with schemes from 20 top AMC's available for Mutual Fund investments.

17 Government Business

During FY 2025–26, Union Bank of India further strengthened its position in the Government Business segment through strategic partnerships and technology-driven banking solutions for Government, Semi-Government and Quasi-Government institutions. The Bank executed and renewed 17 Memorandum of Understanding (MoUs) and approved institutional tie-ups covering salary accounts, pension business and salary portal solutions with prominent organisations. These partnerships are expected to provide substantial opportunities for CASA growth, retail lending and deepening institutional relationships across the country.

Bank achieved significant milestones in financial inclusion and social security initiatives by mobilising 6.55 lakh Small Savings Accounts and 62,065 National Pension System (NPS) accounts during the financial year. To enhance customer convenience and digital accessibility, Union Bank enabled GST payments through Credit Card, Debit Card and UPI channels, facilitated Direct Tax payments through Debit Cards, and introduced a fully digital journey for opening NPS accounts through its Digital Banking Portal. Further, the Bank is designated as the exclusive banking partner by the Ministry of Environment & Forests for managing the centralised consent management system across 36 State Pollution Control Boards (SPCBs), creating a significant business opportunity with an estimated annual transaction flow of approximately ₹ 4,000 crore. These achievements reflect the Bank's continued commitment towards expanding its Government Business portfolio through innovation, institutional collaboration and customer-centric digital solutions.

18 Human Resources Management

18.1 Strategic Role of Human Resources

"A resilient institution is defined not only by its performance, but by how it values, supports, and empowers its people."

At Union Bank of India, employees are recognized as the Bank's most valuable asset and the key drivers of sustainable growth and service excellence. In an increasingly dynamic and complex banking environment, the Human Resources function has continued to evolve as a strategic partner to the business.

Moving beyond traditional administrative roles, the HR function has focused on fostering an enabling ecosystem that supports employees through transparent policies, clearly defined career pathways, and consistent communication. The emphasis remains on cultivating a workplace culture that balances operational priorities with employee well-being and professional development.

During FY 2025–26, the Bank reinforced its commitment to maintaining an employee-centric work environment characterized by respect, inclusivity, care, and opportunities for growth. The Bank continues to believe that a motivated, engaged, and well-supported workforce is fundamental to sustaining customer trust, delivering responsible banking services, and creating long-term value.

The Bank's human resource strategy remains aligned with its vision of becoming a next-generation, digitally enabled institution, while ensuring that its people practices are empathetic, inclusive, and responsive to the evolving needs of its workforce.

18.2 Key Strategic HR Initiatives in FY 2025-26:

18.2.1 ISO 30414:2025 – Human Capital Reporting & Digital Enablement

During FY 2025–26, the Bank advanced its human capital governance framework through the transition from ISO 30414:2018 to ISO 30414:2025, the globally recognized standard for Human Capital Reporting and Disclosure. This transition strengthens the Bank's capability to deliver standardized, reliable, and comparable reporting of workforce metrics across critical human capital dimensions, while aligning with emerging Environmental, Social, and Governance (ESG) and sustainability disclosure expectations.

To operationalize this framework, the Bank implemented a dedicated ISO-aligned digital data capture module, enabling centralized, secure, and auditable management of human capital information. This initiative enhances transparency, supports robust internal analytics and monitoring, and facilitates credible external disclosures consistent with international reporting benchmarks.



Management Discussion And Analysis

18.2.2 Enhancing Performance Management and Recognition

The Bank continues to reinforce a robust, transparent, and objective Performance Management System (PMS), designed to align individual performance with organizational priorities and long-term strategic outcomes.

The PMS framework was further strengthened to promote fairness, consistency, and objectivity in performance evaluations, with enhanced alignment between individual deliverables and institutional goals.

The Rewards and Recognition architecture remained integral to reinforcing a culture of accountability and excellence, with continued emphasis on acknowledging high-impact contributions.

A structured, merit-based performance differentiation and enablement framework has been instituted for Business Unit Heads to reinforce leadership accountability and performance ownership. Leaders are classified as Trailblazers, Accomplishers, or Aspirers based on sustained performance against clearly defined KRAs spanning business growth, asset quality, compliance, customer experience, and strategic priorities. High-performing leaders are recognised through calibrated career-linked incentives, including preferential consideration for advancement, premium postings, enhanced APAR ratings, leadership mentoring, and exposure to strategic and global learning platforms. Concurrently, a structured performance improvement mechanism, encompassing early identification, personalized guidance, focused capability-building interventions, mentoring support, and periodic performance reviews, is in place to facilitate sustained performance enhancement and leadership development.

High-performing leaders are recognized through calibrated career advancement opportunities, leadership visibility, and targeted development interventions. Concurrently, structured support mechanisms comprising early performance flagging, mentoring, focused capability building, and monitored improvement plans ensure that employees are provided with appropriate developmental support to enhance performance outcomes.

The Bank has instituted a structured framework to recognize and incentivize meritorious sportspersons within the organization. Exceptional performers are rewarded through out-of-turn promotions, performance-linked increments, and monetary awards, thereby encouraging excellence beyond professional responsibilities. Top achievers are also honored as “Sports Star of the Zone”, recognizing their accomplishments and positioning them as ambassadors of the Bank. Their engagement in branding and business development initiatives further enhances the Bank’s visibility and outreach. Such measures contribute to fostering a culture of excellence, discipline, and organizational pride.

The Bank has introduced a structured policy to effectively leverage the experience and institutional knowledge of veteran employees in support of transformation initiatives, strengthened governance, and organizational continuity. The policy establishes clearly defined roles and processes to ensure transparency, accountability, and compliance, while enabling informed decision-making in a dynamic environment.

This initiative is beneficial to the Bank by enhancing governance standards, ensuring continuity in critical functions, and facilitating smoother execution of strategic priorities. For employees, it provides opportunities to contribute meaningfully beyond conventional roles, encourages knowledge sharing and mentoring, and enables continued professional engagement, thereby fostering a sense of value, recognition, and organizational belonging. Employee Engagement and Well-being

18.2.3 Employee Engagement and Well-being

“Organizations thrive when employees feel cared for, supported, and understood.”

Employee well-being and engagement remained a central pillar of the Bank’s human resource philosophy during FY 2025–26. The Human Resources function implemented a comprehensive suite of employee-centric initiatives aimed at promoting holistic well-being—encompassing physical, mental, and emotional health—while fostering work-life balance and organizational connectedness.

Particular focus was placed on supporting frontline and field-level functionaries through strengthened institutional support systems, welfare measures, and responsive engagement mechanisms. These initiatives have contributed to enhancing employee morale, resilience, productivity, and overall job satisfaction, thereby reinforcing a positive and inclusive workplace culture across the organisation.

18.2.3 (i) Initiatives under Employee Assistance Programme

- (Supporting Wellness and Resilience) - The Bank introduced a structured Employee Assistance Programme designed to provide employees with accessible and timely support for their physical and psychological well-being. The programme incorporates a range of initiatives such as desk yoga sessions, wellness webinars, and awareness campaigns, including Mental Health Day observances and Suicide Prevention programmes. These interventions have enhanced awareness of mental health, reduced stigma, and encouraged proactive self-care, thereby contributing to improved emotional well-being, focus, and workplace engagement among employees.

18.2.3 (ii) One-to-One Counselling Support

The Bank has empaneled M/s EAP India to provide confidential counselling services to employees and their dependents.

The programme offers multi-modal access (telephonic, video, and in-person) with 24x7 availability and strict confidentiality protocols. It includes specialized services such as crisis intervention, family and maternity counselling, and multilingual support. This initiative has enabled employees to effectively manage personal and professional challenges, improve emotional resilience, and strengthen interpersonal relationships, thereby enhancing overall workplace effectiveness.

18.2.3 (iii) Doctor Tele Consultation Services

The Bank has empaneled M/s Arcofemi Healthcare Pvt. Ltd. (Mediwheel) to provide round-the-clock tele-consultation services to employees and their dependents.

The platform facilitates access to general physicians and specialists through phone, video, and chat-based interfaces, along with e-prescriptions, preventive

healthcare guidance, nutrition counselling, and digital health records. This initiative has significantly enhanced employees' access to timely and convenient medical support, enabling early diagnosis and intervention while reducing the need for physical consultations. It has also improved continuity of care across locations, supported better health management for employees and their families, minimized disruptions to work schedules, and contributed to improved overall well-being and enhanced workplace productivity.

18.2.3 (iv) Online Yoga and Meditation Program

The Bank engaged M/s Heartfulness Education Trust to deliver structured online yoga, meditation, and mindfulness programmes for employees and their dependents. The programme comprises live and recorded sessions, beginner-friendly modules, thematic wellness calendars, and specialized sessions, including those designed for differently-abled employees. Delivered through a dedicated digital platform, the initiative focuses on stress management, emotional balance, and reflective practices, thereby supporting holistic well-being and fostering enhanced mental clarity, resilience, and overall employee effectiveness.

18.2.3(v) Various internal communication platforms, including publications such as "Union Dhara," "Union Srijan," and "Banking Updates," along with audio-visual mediums like "Union Radio" and "Union Podcast," were effectively leveraged to support employee engagement and well-being. These platforms facilitated timely information dissemination, knowledge sharing, and organizational alignment, while also strengthening employee connect, promoting transparency, and fostering a sense of inclusion and belonging across the workforce.

18.3 Celebrating our People

"Recognizing people for their dedication and values strengthens not only morale, but the institution itself."

At Union Bank of India, celebrating our people is an integral part of building an engaged, inclusive, and values-driven organizational culture. The Bank firmly believes that recognizing employee contributions, service milestones, and collective achievements fosters motivation, reinforces organizational values, and nurtures a strong sense of belonging. Key initiatives undertaken during FY 2025-26 include:



Management Discussion And Analysis

18.3 (i) Family & Sports Day

The Bank continued to promote a culture of engagement and inclusivity through the आयोजन of Sports Meets and Family Day events during FY 2025–26. These initiatives provided valuable platforms for employees and their families to connect beyond formal work settings, thereby strengthening interpersonal relationships and fostering a sense of belonging within the organisation. The Sports Meets encouraged physical fitness, teamwork, and a spirit of healthy competition, while the Family Day celebrations recognised the vital role of employees' families in supporting their professional commitments. Such initiatives underscore the Bank's commitment to enhancing employee morale, reinforcing organisational cohesion, and promoting a balanced and inclusive work environment.

18.3 (ii) HR Week

HR Week was observed to highlight the strategic importance of human capital in the Bank's sustained success. The initiative focused on enhancing employee engagement, promoting awareness of HR policies and practices, and fostering constructive interaction between employees and leadership—creating experiences that participants will value and cherish.

18.3(iii) Women's Day

Women's Day celebrations reaffirmed the Bank's commitment to diversity, equity, and inclusion. The initiative recognized the contributions of women employees and promoted awareness around empowerment, equal opportunities, and leadership development, creating meaningful moments of recognition that employees will cherish.

18.3 (iv) Hindi Diwas

Hindi Diwas was observed to encourage the use of Hindi in official work and promote linguistic inclusiveness. The initiative aligns with the Bank's commitment to the progressive implementation of the Official Language Policy while fostering a sense of cultural pride that employees will continue to cherish.

18.3 (v) Staff Meets

Staff Meets served as effective platforms for dialogue, engagement, and alignment with organizational priorities, facilitating open communication, knowledge sharing, and stronger connect between management and employees—experiences that strengthen trust and are valued by employees.

18.3 (vi) Milestone Awards – Long-Term Service and Superannuation

The Bank honoured employees for their long and dedicated service upon completion of key milestones, including 15 and 25 years of service, as well as at superannuation. These recognitions celebrate enduring commitment and create proud moments that employees and their families will cherish.

18.3 (vii) Recognition and Appreciation Ceremonies

Recognition ceremonies were conducted to acknowledge exemplary performance and significant contributions by individuals and teams, thereby reinforcing a culture of excellence and creating lasting recognition experiences that employees will cherish.

Through these initiatives, Union Bank of India continues to foster an employee-friendly environment where dedication is valued, achievements are celebrated, and employees feel respected and connected to the organization. By recognizing both service and performance, the Bank strengthens its human capital foundation with experiences that employees take pride in and cherish, supporting long-term organizational resilience and growth.

18.4. HR Transformation and Digital Enablement

During FY 2025–26, the Bank advanced its HR transformation agenda with a focused emphasis on enhancing employee convenience, accessibility, and process efficiency. The integration of digital platforms enabled simplification of HR processes, minimized manual interventions, and improved transparency across key employee lifecycle services. These initiatives have strengthened service delivery by ensuring timely

and seamless access to information, support, and HR services for employees and managers, thereby enhancing trust, engagement, and operational effectiveness.

Further, the Bank strengthened the accessibility and inclusivity of its key employee-facing platforms—**Union Parivar (HRMS)**, **EKAM (Performance Management)**, and **Union Vidya (Learning and Development)**—by aligning them with **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)**. This initiative ensures consistent, user-friendly, and barrier-free access to HR services, learning resources, and internal communication systems across diverse employee groups, including those with accessibility needs.

The adoption of WCAG standards has enhanced system usability, reduced access-related dependencies, and enabled uniform adoption at scale. This approach reflects the Bank's commitment to embedding inclusion within its digital HR ecosystem, while simultaneously strengthening governance, enhancing user experience, and ensuring long-term sustainability of its digital platforms.

18.5 Talent Acquisition and Development

The Bank continued to strengthen its talent acquisition and development framework, recognizing that a skilled, diverse, and future-ready workforce is critical to delivering sustained growth, superior customer experience, and long-term stakeholder value.

During FY 2025–26, recruitment processes were further digitized and streamlined, enabling wider outreach, improved selection efficiency, and access to a diverse talent pool. This has contributed to improved workforce quality, faster onboarding cycles, and enhanced alignment with business requirements.

Recruitment of Local Bank Officers (LBOs) -To strengthen regional capabilities and improve customer experience, particularly in rural and semi-urban geographies, the Bank recruited **1,455 Local Bank Officers (LBOs)** with proficiency in regional languages. This initiative has enhanced customer engagement, enabled better understanding of local needs, and improved service delivery outcomes. The Bank continues to prioritise such targeted hiring to deepen its outreach and drive inclusive banking.

Domain Expert Hiring- The Bank continued to onboard domain specialists at middle and senior management levels to augment functional expertise in key areas. This has strengthened decision-making capabilities, improved operational efficiency, and supported the Bank's evolving business, digital, and regulatory landscape.

Apprenticeship Hiring- In alignment with the Apprentices Act, 1961, the Bank expanded its apprenticeship programme across India. The programme serves as a strategic talent pipeline by providing structured, hands-on training in banking operations and BFSI products. It not only enhances employability and skill development among youth but also supports the Bank's long-term workforce planning and talent sustainability objectives.

18.6. Promotion diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Union Bank of India remains committed to fostering a diverse, equitable, and inclusive workplace, recognising that diversity of thought, background, and experience strengthens organisational capability and drives sustainable growth. The Bank continues to promote a culture grounded in fairness, respect, and dignity, ensuring equitable opportunities across geographies, cadres, and employee groups.

Ms. Chhonzin Angmo, a 100% visually impaired employee of the Bank, exemplifies resilience, determination, and the spirit of excellence. Having progressed from the Clerical to Officer cadre, she is presently serving as Asst. Manager, Vijay Nagar Branch, Regional Office Delhi (N).

Driven by an unwavering commitment to achieve the extraordinary, Ms. Angmo successfully scale Mount Everest in 2025. Her mountaineering accomplishments also include successful expeditions to Mount. Elbrus (Europe), Mount Kilimanjaro (Africa) & Mount Aconcagua (South America).

Her journey continues to inspire employees across the Bank and reinforce the Bank's commitment to fostering inclusivity, empowerment and excellence.

Ms. Rituja Pisal, India Hockey Team Player, who represented India at various International/National Tournaments was awarded with an out of turn promotion from clerical to Officer Cadre on account of her performance during the Asian Cup 2025.



Management Discussion And Analysis

The Bank has institutionalised robust policies on **Prevention of Sexual Harassment (POSH), Equal Opportunity, and Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)**. These policies are actively implemented through regular awareness programmes and sensitisation initiatives, embedding inclusive practices into day-to-day operations and fostering a culture of belonging.

The Bank endeavours to create an inclusive work environment for all employees, including persons with disabilities, through reasonable workplace accommodations. Assistive solutions such as screen-reading software (JAWS) are provided to visually impaired employees, enhancing accessibility and enabling effective participation in organisational processes.

As part of its inclusive employee support framework, the Bank provides additional conveyance allowance to

employees with disabilities, facilitating ease of travel and reducing accessibility-related constraints. This initiative contributes to improved employee well-being, productivity, and engagement.

The Bank also supports women and employees belonging to reserved categories through enabling provisions in transfer, promotion, and welfare policies. Women employees are provided preferential consideration for convenient postings and transfers on spouse grounds, facilitating work-life balance and family cohesion.

Dedicated **SC/ST and OBC Cells** have been established at the apex level to address employee grievances and ensure policy compliance. The Bank has also appointed Chief Liaison Officers at the level of General Manager at the Central Office to oversee and strengthen the implementation of statutory and regulatory provisions for these categories.

Inclusion Metrics as on (31.03.2026)

Particulars	Officers		Clerks		Sub-staffs		Total	
Total Employees	45722		22768		5395		73,885	
W/w								
Scheduled Castes (SCs)	7,947	17.38	4,327	19.00	1,999	37.05	14,273	19.32
Scheduled Tribes (STs)	3,534	7.73	1,806	7.93	453	8.40	5,793	7.84
Other Backward Classes (OBCs)	14,302	31.28	7,374	32.39	1,818	33.70	23,494	31.80
Ex-Servicemen	863	1.89	2,992	13.14	303	5.62	4,158	5.63
Women	12,635	27.63	7,335	32.22	1,807	33.49	21,777	29.47
Minority Communities	3,273	7.16	1,597	7.01	387	7.17	5,257	7.12

Within which..		
Category	COUNT	Percentage
EWS	1,216	1.65
GEN	29,109	39.40
OBC	23,494	31.80
SC	14,273	19.32
ST	5,793	7.84
Blind	920	1.25
Deaf and Dumb	357	0.48
Intellectually Disabled	50	0.07
Orthopaedically Handicapped	1,361	1.84
Ex-servicemen	4,158	5.63
TOTAL	73,885	

18.7 Learning & Development as a Strategic Business Enabler

The Bank's Learning & Development (L&D) function continued to play a pivotal role in strengthening organisational capability and building a future-ready workforce. Aligned with strategic objectives and evolving business requirements, the L&D ecosystem fostered a culture of continuous learning, performance excellence, and leadership readiness across all levels, supporting sustainable human capital development.

The Bank made sustained investments to provide employees with access to high-quality learning resources, including a robust faculty network, contemporary content, technology-enabled learning platforms, globally recognised certification programmes, and partnerships

with premier academic institutions. These initiatives enhanced functional, managerial, leadership, and digital capabilities across the workforce.

The Bank's learning initiatives contributed to improved employee capability, enhanced productivity, and strengthened leadership pipeline development. The focus on digital learning and inclusive access to training supported equitable skill development across geographies and employee segments. These efforts align with the Bank's commitment to responsible workforce development, continuous upskilling, and long-term talent sustainability under its ESG framework

18.8 Capacity Building

The Union Learning Academies (ULAs) and Zonal Learning Centres (ZLCs) together delivered an extensive range of training interventions aimed at holistic capability enhancement. During the year, the Bank achieved extensive learning outreach through a blended delivery model. ULAs conducted 629 classroom and locational training programs, covering 19,386 employees. In addition, 160 virtual training programs reached 9,108 employees, while 350 webinars enabled large-scale knowledge dissemination to 64,912 participants. These efforts were further strengthened by Zonal Learning Centres (ZLCs), which conducted 1,080 classroom programs (26,683 participants), 574 locational programs (22,016 participants), 194 virtual programs (11,395 participants), and 290 webinars (24,927 participants), significantly enhancing training penetration across the Bank.

The Bank imparted over 23.10 lakh learning hours during the year, with average learning hours per employee per quarter at 31.24 hours, underscoring a strong institutional commitment to continuous upskilling and workforce development.

To build advanced and domain-specific capabilities, specialized programs were rolled out in collaboration with premier institutions such as IIM Indore, ISB Hyderabad, and MDI Gurgaon. 346 officers were trained across five focused domains—Risk Management, Strategy & Finance, Sales & Marketing, Operational Excellence, and Digital Financial Inclusion, FinTech & Co-lending. Additionally, 100 internal faculty members were upskilled through Train-the-Trainer programs conducted by these institutions, further strengthening in-house training capability.

Leadership development remained a key priority, with 42 Leadership Development Programs attended by 867 senior executives (Scale V to Scale VII), enhancing strategic leadership, decision-making, and change management competencies.

The Bank also encouraged external and international exposure, with 1,212 employees participating in external training programs, including 26 officers who attended overseas programs, gaining global perspectives and benchmarking insights.

18.9 Knowledge Creation and Faculty Accomplishments

The Bank continued to reinforce institutional learning during the year through focused investments in research and faculty development. Research Officers completed 40 research projects, while 350 case studies were developed, significantly enriching the Bank's internal knowledge repository. Further strengthening academic and instructional capability, 140 faculty members & research officers participated in Faculty Development Programs conducted by reputed institutions. Faculty achievements during the year also included completion of 1,039 external certification courses, publication of 307 articles in reputed journals, review of one academic book, and delivery of 216 academic and training sessions at leading institutions such as NIBM, NABARD, FORE School of Management, and BIRD.

At the employee level, continuous professional development remained a strong focus. 2,916 employees completed 4,043 external certification courses, while 3,460 employees completed 9,038 internal certification courses, reinforcing functional expertise and professional competence across the organization.

18.10 Digital Learning Enablement and Workforce Outreach

During the year, the Learning & Development Division implemented several strategic initiatives to strengthen learning governance, enhance quality, and ensure alignment with business priorities. All L&D units were certified under ISO 9001:2015 and ISO 21001:2018, reinforcing standardized and learner-centric quality systems. In addition, training on "AI, Gen AI, and Use Cases of Gen AI in Banking" was conducted for senior executives.



Management Discussion And Analysis

A Performance Improvement Plan (PIP) framework to be introduced to align learning outcomes with measurable business impact, while structured learning pathways for senior leadership and critical roles were finalized to support systematic succession planning.

The launch of a Digital Mentorship Program facilitated knowledge transfer and leadership grooming, and job cards developed for key field operations enabled the integration of SOPs and regulatory compliance into day-to-day execution.

Enhancements to the Learning Management System (LMS), including Post-Course Evaluation (PCE) and Quantitative Business Parameters (QBP), strengthened learning impact assessment, supported by comprehensive faculty and course audit mechanisms.

The Bank further reinforced its commitment to inclusivity through initiatives such as Sign Language Training.

To provide global exposure and flexible learning options, partnerships with Coursera and IIBF were renewed, enabling access to world-class certifications and e-learning support for JAIIB and CAIIB aspirants.

Digital learning adoption gained momentum through the E-Learnathon Campaign, achieving over 94% completion of mandatory e-learning among officers, supported by the launch of new and updated modules.

The Bank also expanded its micro-learning outreach through podcasts and radio broadcasts, internal certification courses, micro-bytes, short videos, job cards, and recordings of important webinars, while restructuring programs into Level I (Basic) and Level II (Advanced) formats to enable progressive skill development.

18.11 Special Learning Initiatives for Inclusive Capability and Service Excellence

During the year, the Bank implemented several special learning and capability-building initiatives aimed at inclusivity, operational readiness, and service excellence. These included the “Reconnect” program designed to support women employees returning from maternity leave through structured reintegration and capability enhancement.

Induction training was conducted for six batches of Local Bank Officers, ensuring early role readiness and

alignment with organizational processes. To support career progression, Orientation Training Programs (OTP) were delivered to 6,780 officers and 3,027 clerical staff, strengthening functional and promotional preparedness.

Faculty capability was enhanced through a Train-the-Trainer program conducted in collaboration with Go Beyond, focusing on soft skills and customer interaction excellence. In addition, over 2,800 Business Correspondents were trained through a hybrid model in local languages, enhancing outreach effectiveness.

Employees posted outside their linguistic regions were provided local language training to improve customer engagement and service delivery.

Under the Rashtriya Karmayogi (CBC) Training Program on ‘Seva Bhav’, over 33,300 employees were trained through locational programs, reinforcing service orientation.

The SUCCESS programs were also conducted for frontline officers and Customer Service Associates, aligning service excellence with the Bank’s organizational goals.

18.12 Future-Focused Learning-

The Bank articulated a forward-looking L&D roadmap aimed at enhancing learning effectiveness and on-the-job applicability. Key focus areas include expanded digital learning, advanced certifications, succession planning for critical roles, improved learning management systems, and strengthened field enablement through standardized job aids.

18.13 Awards and Recognition

Name /Category	Presented by (Organization Name)	Year
National Best Employer Brand 2025		
Innovative HR Practices 2025	World HRD Congress	February 2026
Excellence in Training Award		
Excellence in continuous learning & upskilling	Asia L&D Employer Branding Conference & Awards by International Business Conferences	February 2026
Best Learning Experience Platform		

Name /Category	Presented by (Organization Name)	Year
Apex India HR Excellence Award 2025	Apex India Foundation	November 2025
Apex India Training Excellence Award 2025		
Digital Learning & upskilling initiative of the year	People Tech Summit Awards by International Business Conferences	August 2025
Best HR Digital Transformation Initiative		
Excellence in Learning & Development	International Business Conferences	May 2025
Excellence in HR Digitisation		
कीर्ति पुरस्कार – पत्रिका - प्रथम	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कीर्ति पुरस्कार	September 2025
कीर्ति पुरस्कार – कार्यान्वयन – तृतीय		
भारत सरकार से प्राप्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - कार्यालय श्रेणी- प्रथम, द्वितीय, तृतीय(2)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,	January 2026
भारत सरकार से प्राप्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - नराकास श्रेणी - द्वितीय, तृतीय(2)		February 2026
33वां आशीर्वाद भाषा-सेतु पुरस्कार, 2025	उत्कृष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक, श्रेष्ठ हिंदी पत्रिका तथा राजभाषा गौरव सम्मान	February 2026

18.14 Official Language (RAJBHASHA)

➤ RAJBHASHA and Publication of Magazine

Union Bank of India continues to emphasise the promotion & publicity and use of Hindi across its operations, ensuring compliance with the Rajbhasha guidelines and fostering a bilingual work environment. Here is an overview of initiatives and achievements in promoting the official language, Hindi.

➤ Promotion of Hindi in Banking Operations

Union Bank of India actively promotes the use of Hindi in its daily operations. The Bank ensures that Hindi is used extensively in official communications, including internal circulars, notices, and reports. The Bank also encourages employees to use Hindi in their day-to-day work, fostering a bilingual environment.

➤ Multilingual Publications

The Bank publishes various materials in Hindi to cater to a wider audience. Notable publications include the quarterly bilingual corporate in-house journal 'Union Dhara' and the Hindi magazine 'Union Srijan.' These publications feature articles, stories, and poems contributed by employees, promoting literature and culture within the organisation. During the financial year your Bank's house magazine completed 50 years, special issues on its Golden Jubilee and on various important topics like Vikasit Bharat, EASE, Sports and Sportsmanship, Rajbhasha and GI Products were published.

➤ Employee Participation and Training

Union Bank conducts regular training programs to enhance the Hindi proficiency of its employees. These sessions cover the effective use of Hindi in official documentation, communication, and customer interactions. Additionally, the Bank organises competitions and workshops to encourage the use of Hindi among employees. The bank has trained more than 500 staff members under the 'Union Bhasha Sauharda Indradhanush Programme' to impart practical language skills to the staff members in South Indian Languages. The said training will help in establishing cordial relations with the customers.

➤ Coordination of Town Official Language Implementation Committees (TOLIC)

The bank is fulfilling the responsibility of coordinating TOLIC assigned by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language very well. In the Financial year 2025-26, the bank has handled the responsibility of coordinating 34 TOLICs across India. These TOLICs promote the use of official language while organizing meetings and competitions on time.

➤ Recognition and Awards

Union Bank's efforts in promoting Hindi have been recognised with several awards. Bank has received total of 668 Rajbhasha Awards in the financial year. During the year your bank has received 2 Rajbhasha Kirti Puraskar, which is the highest institutional award in the field of Official Language. Your bank

**Management Discussion And Analysis**

has earned the highest honors for Hindi house-magazine 'Union Srijan' and for Official Language Implementation in the bank. Total 7 'Regional Official Language Awards' of the Government of India have been awarded by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for the best performance in implementation of Hindi to 3 TOLIC Convenor Offices of your Bank and 4 offices for excellent performance in Hindi implementation. The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India conferred 'Second Prize' to the bank for its outstanding performance in the implementation of the Official Language Hindi during the financial year 2025-26. 11 TOLIC Convenor Offices of the Bank have been awarded certificates by the Government of India. Various offices and branches of the bank have received 97 shields from TOLICs. As many as 35 staff members of the bank have received awards in Hindi competitions held at the all-India level. The bank's corporate house magazine 'Union Srijan' has received the 'Silver Award' & 'Union Dhara' has received 'Commendation Certificate' from PRCL. 'Union Srijan' has received 'Ashirwad Shrestha Griha Patrika Puraskar'.

➤ **Digital and Multilingual Support**

Union Bank has made significant progress in providing multilingual support across its digital platforms:

- Mobile Banking: Available in 13 languages, ensuring accessibility for a wide range of customers.

Corporate Website and Internet Banking:

Available in 2 languages, enhancing user experience. Bank's website can be read in 22 languages with the support of Bhashini AI.

- Call Centre: Supports 11 languages, offering personalised assistance.
- SMS Facility: Available in 13 languages, ensuring effective communication with customers

- Selected STP Journey: Available in Hindi and Indian languages which eases online loan approval process for customers.
- UVCON: Banks WhatsApp Banking service is available in 06 major Indian languages which gives our stakeholders a whole new experience of connecting with Bank.

Letter of thanks: Printed in 11 languages.

➤ **Official Language Implementation Committees**

To monitor and promote the use of Hindi, Union Bank has established Official Language Implementation Committees (OLICs) at various levels. These committees regularly review the progress of Hindi implementation and suggest measures to enhance its usage in the Bank's operations.

➤ **Publications and Knowledge Dissemination**

Union Bank disseminates knowledge through its publications, which are released in multiple languages to cater different employees and customers. The publications cover banking updates, industry insights, and employee contributions, fostering a culture of knowledge sharing and inclusivity. During the financial year, the Bank has published useful booklets for customer interaction in Odia and Tamil. To increase the awareness of staff members and customers on cyber security a cartoon booklet titled "Digital Arrest" has been published in Hindi, Bangla, Malayalam, Kannada, Telugu & Gujarati. On Compliance and Ethics Week 2026 "Union Siddhant" magazine has been published in 10 Indian languages. Union Gist of Circulars are published in 9 Indian languages in addition to Hindi and English for convenience of reading by staff members. Procedural Literature on 2 topics viz., Ease and Union Support have been printed in 9 Indian Languages. Your Bank has published Hindi books titled "Union Bhasha Vaibhav" and "@2047- Vikasit Bharat ki sankalpna mein bankon ki Bhoomika".

19. Network

- The branch network of your Bank is widely spread across the country with 8,695 branches and 2 overseas branches (Sydney, Dubai DIFC) as on March 31, 2026. Out of these 59 percent of the branches are in rural and semi-urban centres.
- As on 31.03.2025 your bank was having total 8,619 branches and 02 overseas branches. During FY 2025-26 total 24 branches were rationalized and 100 new branches were opened.

The category-wise Branch Network on March 31st 2026 is as follows: -

Row Labels	Rural	Semiurban	Urban	Metro	Grand Total
Total no. of Branches as on 01.04.2025	2,597	2,521	1,735	1,766	8,619
Rationalised during F.Y. 2025-26	0	-8	-8	-8	-24
Opened During F.Y. 2025-26	27	44	20	9	100
Change in Category by RBI	-1 +5	-4 +9	-12 +4	-1	-18 +18
Total no. of branches as on 31.03.2026	2,628	2,562	1,739	1,766	8,695

Bank have a Network of 8656 ATMs across the country as on 31.03.2026. The Bank endeavours to maintain the highest uptime.

20. Information Technology

The Information Technology (IT) Functional Deployment Department plays a critical role in strengthening the organisation's digital transformation agenda by ensuring the seamless implementation and optimization of technology driven processes across all business units. The department is responsible for translating strategic technology initiatives into operational frameworks that enhance system reliability, improve process efficiency and support regulatory compliance. It also oversees end user testing to ensure solution readiness and manages Change Approval Committee (CAC) and Change

Approval Board (CAB) processes to uphold robust control, approval and governance standards. With a structured approach to solution deployment, cross functional integration and technology governance, the department provides a strong foundation for scalable growth and long term value creation. Its establishment underscores the organization's commitment to building a future ready technology ecosystem that enables innovation, operational excellence, customer excellence and sustained investor confidence.

Union Bank of India is a leading public sector Bank with latest technology based robust IT systems. The Bank leverages modern technology as a foundational enabler to create seamless, flexible, and customer-centric banking solutions. As the business landscape continues to evolve, institutions are embracing transformation by harnessing data insights, automating, and digitizing processes to improve productivity, leveraging cloud platforms for scalability, and elevating engagement across employee and customer touchpoints. These shifts are redefining how organizations operate, compete, and deliver value in a rapidly changing digital economy.

In alignment with these evolving dynamics and to support business growth by capitalizing on emerging opportunities, the Bank has formulated a comprehensive Digital, Analytics, and IT Strategy for FY 2025-26.

Digital, Analytics & IT Strategy of FY 2025-26 has been designed to align technology initiatives with business objectives, driving growth, enhancing operational efficiency, and fostering innovation. In FY 2025-26, the Bank took steps to evolve from a product-centric approach to a customer-centric approach. In its quest to achieve this transformation, the Bank leveraged data analytics and customer insights to tailor services and products to individual needs. Enhancing digital channels, such as the Digital Business Platform, ensured seamless and intuitive customer interactions.

Key focus areas included enhancing Customer Experience & Service through digital transformation, strengthening Risk Governance and cybersecurity measures, improving data management for data-driven decision-making, and modernizing IT infrastructure for scalability and resilience. By concentrating on these strategic areas, the Bank aimed to leverage technology



Management Discussion And Analysis

to achieve business goals, remain competitive, and deliver value to stakeholders.

In the fiscal year 2025-26, the organization achieved significant milestones across various domains, demonstrating its commitment to excellence and innovation. The infrastructure was bolstered, ensuring its resilience to meet the evolving demands of operations. The major milestones achieved in FY 2025-26 under various categories are as follows:

20.1 Innovative Banking Solutions:

Bank has distinguished itself through its proactive adoption of emerging technologies, aimed at enriching the customer journey and overall experience. Bank has demonstrated unwavering commitment to prioritizing customer convenience and experience.

Various innovative Banking solutions/initiatives are as follows:

20.1.1 For Improved Customer Experience

- a) **Union Virtual Connect (UVConn)** – WhatsApp Banking: Bank had launched UVConn -WhatsApp banking initiative as a conversational banking platform for its customers.

UVConn offers various services to both resident and non-resident customers through WhatsApp no. 9666606060 in 7 different languages. Additionally, AI based search option has been enabled in UVConn, wherein customers can access the required services by searching for service names e.g. “balance”, “debit”, “credit”, “statement” etc.

- b) **VR based immersive training modules:** Your Bank has also developed VR based immersive training modules to resolve various concerns such as tackling workplace challenges, maintaining secure social media presence etc. to enhance customer service. All the training modules have been inculcated with assessment through Q&A/ feedback pertaining to specific modules for evaluation. The training modules are a testament to bank's commitment to continuous learning and improvement of staff members by leveraging emerging technologies to provide an immersive and interactive training sessions to the employees focusing on real world applications.

- c) **Hyperautomation:** The Bank has adopted Hyperautomation to reduce manual effort, enhance productivity, and enable optimal utilization of human resources across operations.
- d) **Bharat Connect (previously BBPS):** Vector Finance, Shriram Finance, Himachal Pradesh Transport Department have been onboarded onto the Bharat Connect platform by the Bank.
- e) **Palm Attendance Solution:** Staff as well as Vendor attendance has been made live on the palm attendance solution.
- f) **Uni Pay Plus:** Uni Pay Plus is designed to integrate with Corporate Systems for Automatic Payment Processing. Uni Pay Plus portal is developed to provide payment services to Corporate Clients, CRCs are making use of this portal to get business from several Corporate Clients. 150+ Corporates are on-boarded on Uni Pay Plus till 31-03-2026.
- g) **Account Aggregator:** Your Bank was the first public sector lender to go live on the account aggregator ecosystem as financial information user (FIU) & Financial Information Providers (FIP) both, a part of the government's digital initiatives to improve credit delivery. The account aggregator ecosystem helps lenders leverage digital data acquired with the customer's consent to provide seamless service without physical documentation. Any financial information user (FIU) can request data based on a consent given by the customer on their account aggregator handle. Bank has implemented the technology stack as per the Reserve Bank Information Technology (ReBIT) guidelines.
- h) **Inclusive and Accessible Banking:** Bank continued to deepen its commitment to inclusive banking in 2025-26, building on its flagship initiative 'Union Access' to establish a governance-driven, institution-wide model of accessible financial services.

During the year, the Bank attained comprehensive digital accessibility compliance across its customer and employee-facing touchpoints, validated through expert-led audits ensuring zero-barrier

digital journeys. Indian Standard (IS 17802) and global WCAG 2.1 guidelines were embedded into the architecture of the redesigned Corporate Website and the Central Bank Digital Currency (CBDC) mobile application, setting an 'Inclusive by Design' benchmark for the Indian banking sector.

In a significant stride towards product innovation, the Bank launched the SPARSH Braille Credit Card and accessible touchscreen Point-of-Sale terminals — market-first solutions that extend dignified and independent banking access to persons with disabilities.

The Bank's leadership in accessible banking was recognised at the highest levels. Union Bank was honoured as a 'Role Model Organisation' at the 16th NCPEDP-Mphasis Universal Design Awards. The Bank also showcased its model accessible infrastructure at the International Purple Fest 2025, Global Fintech Fest 2025, and IBA Expo 2026, reinforcing its position as an industry advocate for universal design.

Inclusive banking has been firmly embedded within the Bank's ESG strategy — transforming accessibility from a compliance imperative into a scalable driver of sustainable growth, aligned with India's national financial inclusion agenda.

At Union Bank of India, inclusive banking is a leadership commitment rooted in the belief that true financial inclusion means dignity, independence, and equitable access for every customer the Bank serves.

Digital Business Platform: The Bank successfully implemented a comprehensive Digital Business Platform, enabling seamless and scalable interactions across multiple digital and assisted channels, and significantly enhancing agility in the evolving digital landscape.

As part of this initiative, various end-to-end liability journeys for Existing-to-Bank (ETB) customers and lending journeys like Vehicle Loan, Personal Loan were deployed across both Open Web and

Assisted Portals, delivering faster, more seamless, and customer-friendly digital onboarding and transaction experiences.

- i) **Data Lake:** The Bank successfully set up a next-generation, state-of-the-art data infrastructure in the form of a centralized Data Lake to support advanced analytics. The Data Lake integrated structured and unstructured data from both internal and external sources, enabling improved data-driven decision-making and enhanced customer experiences.

The Bank also effectively leveraged data analytics to strengthen customer engagement, support informed decision-making, and reduce risks through descriptive analytics and multiple machine-learning-based use cases across key segments such as Retail, MSME, and Agriculture.

- j) **Digital Contact Center:** The Bank successfully implemented a Digital Contact Center to ensure uninterrupted and seamless delivery of banking services while significantly enhancing customer experience. The initiative enabled personalized interactions, faster call resolution, improved customer connect, and quicker response times through effective use of advanced technologies.

The Digital Contact Center also expanded the Bank's reach by supporting a wider customer base and successfully transitioning a significant volume of customer interactions from branch-based service to a centralized contact center model, thereby improving service efficiency and customer convenience.

- k) **Global Fintech Fest (GFF)**

Global Fintech Fest is one of the largest fintech conferences, organized annually by the Payment Council of India (PCI), the National Payment Corporation of India (NPCI) and the Fintech Convergence Council (FCC). GFF is a preeminent platform for global policymakers, regulators, central bankers, fintech etc. Bank had participated as an exhibitor and booked a stall & showcased various



Management Discussion And Analysis

banking products in Global Fintech Fest (GFF) GFF 2025 at Jio World Conventional Centre, BKC, Mumbai which was held from 7th to 9th October 2025, at the Jio World Convention Centre (JWCC), BKC, Mumbai. GFF2025's theme was "Empowering Finance for a Better World - Powered by AI. Bank showcased Metaverse, UVConn, Internet Banking, CBDC, Accessible POS, Sparsh Debit & other creatives over LED screens.

20.1.2 For Enhanced Governance

Bank is establishing comprehensive governance frameworks and practices to facilitate effective decision-making, risk management, and compliance with regulatory requirements, ensuring transparency and accountability across all levels of the organization.

Bank is having strong information security, data governance and privacy practices in place which are defined in the Information Technology Policy & Data Governance policy of the Bank. Additionally, Bank is certified with ISMS (Information Security management System), ISO 27001; Privacy Information Management System (PIMS) ISO 27701; Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301 and Enterprise Risk management System (RM) ISO 31000 standards. The ISO standard promotes a culture of continuous improvement and operational excellence by implementing well-defined processes and controls, ensure the security of our information assets and reinforce our commitment to excellence.

To demonstrate your bank's commitment to the highest standards of information security and align it with bank's strategic goals of maintaining trust and confidence among the customers, partners, and regulatory bodies, bank has upgraded ISO 27001 certification to its latest version ISO 27001:2022. The scope of ISMS practices has also been enhanced to include Cyber Security Centre of Excellence (CISO) and National Processing Centre (NPC) in addition to the existing IT Systems.

20.1.3 For Resilient Infrastructure

Building a solid foundation of infrastructure that is robust, adaptable, and resilient, ensuring uninterrupted

operations and continuity even in the face of unforeseen challenges and disruptions.

(a) Data Centre Modernization

- **Green Data Centre**

Bank has set up a Green Data Centre, that can operate with maximum energy efficiency, reducing carbon emission and minimum environmental impact by using sustainable technologies and resource management.

- **Multiple Architecture for CBS**

Near Disaster Recovery site is successfully established to ensure zero data loss in case disaster at DR Site and to maintain business continuity. It benefits the Bank through improved customer service by achieving maximum availability and reduced data loss in case of disaster at DR Site.

- **CBS modernization**

The Bank is in the process of upgrading its Core Banking System from Finacle version 10.2.18 to 10.2.25, resulting in enhanced system performance, strengthened security features, and improved support for evolving business requirements.

(b) Next Generation Security Operation Centre

The Bank successfully upgraded its security posture by implementing a Next-Generation SOC, integrating advanced Security Information and Event Management (SIEM) capabilities with Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML).

The Next-Gen SOC enabled continuous, real-time monitoring of network traffic and security events, allowing intelligent analysis of patterns to identify anomalies and potential security threats at an early stage. This enhancement significantly improved the Bank's threat detection, incident response speed, and operational resilience, thereby minimizing the impact of security incidents and strengthening overall cyber defence.

(c) Robust CBS & Cloud Infrastructure

Bank has automated DR Switching Operations for secured BCP using DR Automation tool. Additionally, the Bank leverages a comprehensive cloud infrastructure that includes Private, Hybrid, and Public Cloud environments. This multi-faceted approach allows the Bank to optimize resource utilization, enhance data security, and maintain flexibility in deploying applications and services. By integrating these advanced technologies, the Bank ensures a superior customer experience, operational efficiency, and the agility to adapt to evolving market demands.

(d) Real Time performance Monitoring through APM Tool

IT Resilience Centre of Excellence (ITRCoE) at CO Annex, Hyderabad is a single integrated Application Health & Performance management solution for all servers/devices and application monitoring needs - end user applications and underlying infrastructure components such as application servers, databases, web servers, virtual systems, and cloud resources.

Bank is using HEALAPM Tool for Real time monitoring of the applications and its infrastructure.

(e) Software Defined Network:

Bank has migrated its DC, NDC and DR from traditional network structure to SDN Fabric to ease the network operations and improving security. The following benefits are achieved:

- Centralised Monitoring and control of Network Devices /Routers.
- Capability to monitor and analyse the Data Traffic.

20.2 Other Major Initiatives for Improved Performance: App Modernisation

To adopt Agile methodology while keeping security at the core, Bank has established an end-to-end DevSecOps platform integrated with a Container Orchestration Layer (Kubernetes platform) on Bank's on premises private cloud. Bank has adopted an Application Modernization platform based on Kubernetes and DevSecOps principles

for the development and deployment of microservices based banking applications. Microservices architecture enables scalability, resilience, faster time-to-market, and independent lifecycle management of application components.

The adoption of microservices has enabled Bank to:

- Modernize existing monolithic applications
- Leverage cloud-native capabilities
- Develop market standard applications aligned with the latest software development methodologies and industry best practices.

21. Risk Management

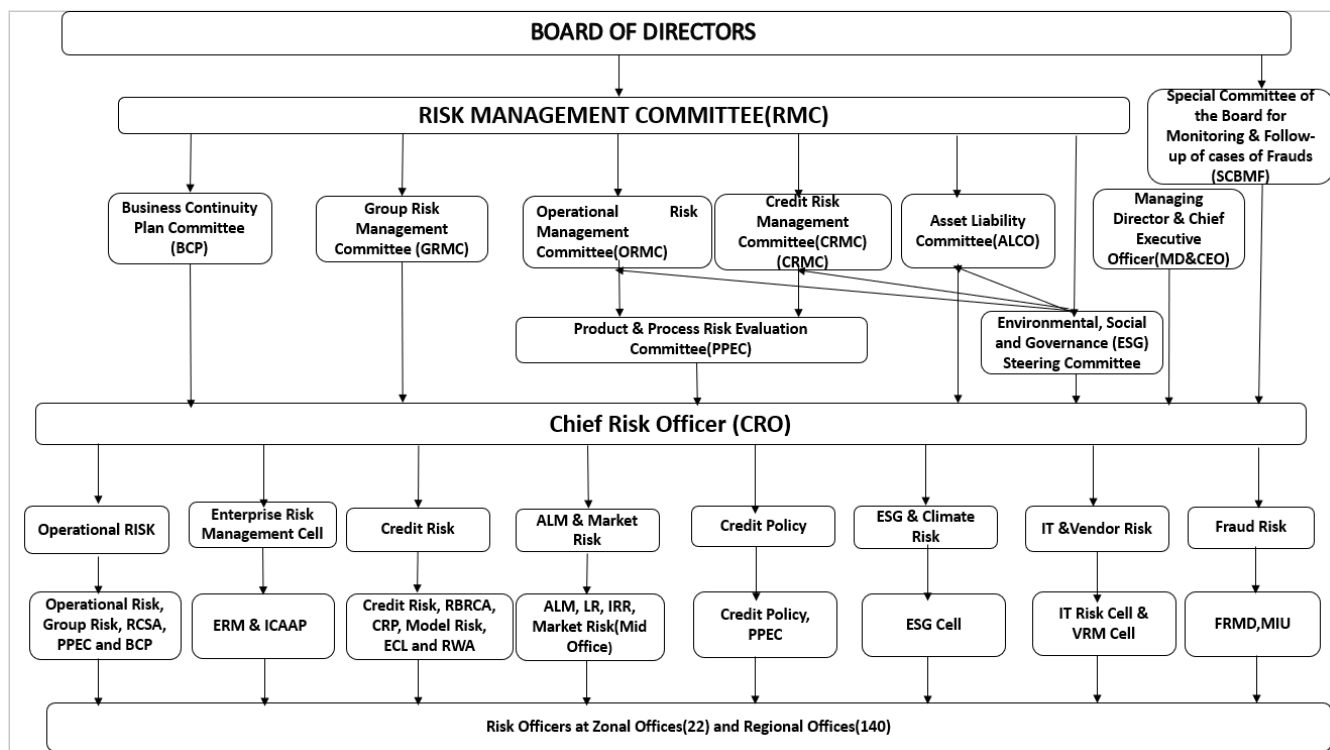
Risk management is the strategic process of identifying, assessing, and mitigating uncertainties that could affect an organization's objectives. Its critical role became increasingly evident as global financial markets evolved, leading to heightened complexity and volatility.

Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. Your Bank constantly endeavours to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and to ensure judicious use of available capital.

The Board of Directors is the apex body with sub-committees of the Board i.e. Risk Management Committee of Board (RMC) and Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up Cases of Frauds (SCBMF) to oversee various Risk Management activities. The Bank also has separate Committees of Top Executives i.e., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset & Liability Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC), Group Risk Management Committee (GRMC), BCP committee, FMG (Fraud Monitoring Group) and ESG Steering Committee to deal with Credit, Market, Operational, Group Risk, BCP, Fraud Risk and ESG respectively. Further, the bank has Risk Management Organizational Structure in place with units at Regional /Zonal Offices. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank. The broad risk management organizational structure of the bank is furnished as under:



Management Discussion And Analysis



Your Bank addresses Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems and procedures, monitoring and reporting mechanisms. Your Bank has created a dedicated ESG Cell to incorporate ESG risks-related considerations in strategies and objectives, integrating ESG risks in governance structures and implementation of various ESG aspects. Your Bank has also created dedicated Vendor Risk Management Cell to mitigate risks arising from third party vendors due to outsourcing of various functions. IT Risk Management Cell has been set up to ensure bank's operational resilience against IT risks and compliance with regulatory guidelines.

Risk management activity in your bank has also been extended to field level units by posting Risk Officers at Zonal Offices and Regional Offices. Primary responsibility of these Risk Officers is to identify, assess, monitor and report risk in their region/Zone and suggest mitigants.

Your Bank has a well-defined risk appetite statement and an independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite.

Your Bank's Risk management principles and processes across all functions and operations are in alignment with ISO 31000:2018 – Risk Management - Principles & Guidelines.

21.1 Credit Risk Management

Credit risk management involves identifying, assessing, and mitigating the risk of financial loss due to borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. It ensures to maintain asset quality and capital adequacy through effective risk controls and monitoring.

Your Bank has well-defined credit appraisal mechanisms and risk management frameworks in place for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures. In your Bank, overall responsibility of managing credit risk lies with the Credit Risk Management Committee (CRMC). The CRMC meets regularly for portfolio analysis, setting and monitoring exposure ceilings, reviewing rating and scoring models, identifying stress sectors etc.

Your Bank has various instruments like Credit Risk Management Policies, Prudential Exposure Limits, Risk

Rating system, Risk Based Review of Credit Appraisal (RBRCA) for big ticket advances and Risk-based pricing for Credit Risk/Portfolio Management. Your Bank has a standardised and well-defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has credit approval committees at various levels.

Your Bank also has dedicated Credit Policy Cell for formulating, implementing, and updating policies and guidelines that govern bank's credit related activities. The primary objective is to ensure that the bank's lending practices align with regulatory and statutory requirements, risk management principles, and the bank's strategic goals. Credit policy team is also an integral part of product development and innovation. It collaborates with other verticals in designing new loan products & for modification in existing products based on market needs and credit trends.

Your bank has also subscribed to industry research/analysis reports from top research companies for internal consumption. Risky sectors are monitored continuously and wherever warranted; exposure concerned is reviewed immediately.

Your Bank also conducts Stress Tests every quarter on its Credit portfolio. Stress Scenarios are regularly updated in line with RBI guidelines, industry best practices and changes in macroeconomic variables.

Your Bank has put in place an Early Warning Signal (EWS) system based on a predictive analytical approach, which helps to identify the stress signals well in advance and helps to take appropriate mitigation measures to maintain the desired credit quality of borrowers on a regular basis.

Your Bank uses various Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrower-wise credit risk. Your Bank also has in place a 'Dynamic Rating framework', which facilitates early identification of stress and triggers and adoption of appropriate mitigation mechanisms. Bank has also introduced the 'Risk Based Review of Credit Appraisal Framework' is in place for large value accounts to strengthen the loan underwriting.

Your Bank has adopted an IT platform for credit appraisal processes through Lending Automation Solutions (LAS).

Internal Rating models are hosted on these platforms, which are interfaced with CIBIL, RBI defaulters' lists etc.

While arriving at Bank's CRAR, capital charge on credit risk is computed based on Standardized approach.

Your Bank has adopted the RAROC Framework for optimal risk-reward considerations, wherein RAROC computation for all fresh sanctions/reviews/renewals of Agriculture, MSME and Corporate proposals above a certain cut-off limit is mandatory. Credit decisions related to the concession in Rate of Interest (ROI) are linked to the RAROC framework which help in maintaining profitability of the bank and value creation for the stakeholders. While taking decision on pricing of loan, RAROC framework is used to assess risk adjusted profitability from individual transaction, which helps the bank in ensuring sustainable profitability and value creation for the stakeholders.

21.2 Operational Risk Management

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events. Effective management involves identifying risks, implementing controls, and monitoring to minimize financial and reputational impact.

To manage operational risks, your bank has put in place a comprehensive Operational Risk Management Framework (ORMF), whose implementation is supervised by the Operational Risk Management Committee (ORMC) and reviewed by the Risk Management Committee of the Board. The primary goal of ORMC is to mitigate operational risk by establishing a structured risk management process within the bank.

An independent Operational Risk Management Cell implements the framework. Under the framework, the Bank has three lines of defense. The first line of defense is the business unit (including support and operations) which is primarily responsible for managing Operational Risk on a day to day basis. The second line of defense is the Risk Management Department and Compliance Department, which develops policies, procedures and techniques to assess the risk and monitor the effectiveness of your Bank's internal controls. Audit & Inspection is the third line of defense.



Management Discussion And Analysis

The team reviews the effectiveness of governance, risk management and internal controls within your Bank. The comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational risk. The bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India guidelines.

All new products/ processes introduced by the Bank pass through a Product & Process Risk Evaluation Committee (PPEC), this process helps to identify and address the operational risk issues.

Your Bank is currently following the Basic Indicator Approach (BIA) for capital computation under Operational Risk. Your Bank's ORMF quantifies Operational Risk through internal and external loss data, near miss events, key risk indicators and qualitative assessment of controls.

Your Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last eighteen years, and it is analyzed for taking corrective measures so that these types of losses can be minimized. For FY 2025-26, the total operational loss amount is ₹ 49.19 Crore. Major incidents were reported in Retail Banking, which accounts for 98.86% of total loss amount and 95.25% of total incidents. Apart from this, Agency Services contributes 0.84% to the loss amount and 4.40% to the total incidents. Based on loss event types, while External Fraud (50.55%) and Internal Fraud (25.94%) contribute the most in terms of loss amount; Execution, Delivery & Process Management (59.15%) and External Fraud (20.60%) are major contributors in terms of number of loss events. The process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the products/ processes of the Bank. Key Risk Indicators (KRIs) have been identified for various processes, and the threshold limits have been fixed.

Your Bank has put in place many mitigants both in credit and non-credit areas for prevention of frauds and strengthening of existing systems. These include setting up of Early Warning Signals (EWS) package for monitoring of advances portfolio, Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for transactions monitoring and transactions surveillance through Off-

site Monitoring Cell. For Monitoring of suspected frauds through UPI and AePS channels, your Bank has been using NPCI's EFRM Solution for effective monitoring.

To strengthen risk culture across the organization, your Bank has been publishing a bilingual risk awareness bulletin, Union Sachet to sensitize staff about the emerging and real-world risk events. The bulletin includes risk events, including major operational risk events, fraud cases, cyber incidents, operational losses, IBA-reported incidents, and relevant regulatory observations.

Your Bank has also implemented a structured, role-based Risk management training framework to systematically enhance risk competencies and embed a strong risk culture across the organization. This includes an Induction Training Program for new Risk Officers, a Risk officers Orientation Program for identified Field Risk Officers with practical, hands-on exposure, and a specialized training program for Officers and Executives at Central Office covering a wide spectrum of risks along with regulatory and supervisory expectations. By combining conceptual understanding with practical application and regulatory focus, these programs strengthen risk ownership, improves consistency in risk assessment, and aligns staff capabilities with the Bank's strategic risk appetite and governance standards. In addition, your Bank has also organised staggered training programmes for risk officers and other front-line officers. These initiatives, combined with proactive escalation of early warning signals and risk-informed actions, reinforce a strong, sustainable, and mature risk culture across the organization.

21.3 Business Continuity Plan (BCP)

Your Bank has a robust Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) that is periodically tested to ensure that it can meet any operational contingencies. A well-documented Board approved Business Continuity plan is in place to minimize business disruptions and system failure, and potential impact on its business, employees and customers during any unforeseen adverse event or circumstances. The plan is designed in accordance with the regulatory guidelines and is reviewed regularly.

Your Bank has also constituted a BCP Quick Response Team (QRT) for IT and Non-IT related Disruptions. QRT

monitors the disruption and gives necessary directions to various Verticals/fields and also monitors the situation till normalcy is restored. Further, QRT shall take decision regarding invocation of BCP and accordingly the BCP Committee meeting is convened to take an appropriate decision.

Your Bank has BCP Committee responsible for exercising, maintaining, and invoking the BCP as required. The Committee meets quarterly to review BCP preparedness. The review outcomes are subsequently placed before the RMC and the Board.

21.4 Asset Liability Management (ALM)

Asset Liability Management (ALM) is a core strategic discipline that enables the Bank to effectively manage liquidity and interest rate risks by dynamically aligning the composition, tenor, and structure of its assets, liabilities, and off-balance sheet exposures. The primary objective of ALM is to establish a robust and integrated framework that optimizes the Bank's risk-return profile while ensuring resilience under both normal and stressed market conditions.

Your Bank maintains a well-diversified and stable funding base, anchored by a strong deposit base, thereby minimizing reliance on volatile or short-term funding sources. This disciplined approach enhances balance sheet stability and supports sustainable growth.

The Asset Liability Committee (ALCO) is entrusted with the overall responsibility for ALM. ALCO meets regularly to review and determine the optimal size, mix, tenor, and composition of assets and liabilities. It plays a pivotal role in identifying, measuring, monitoring, and managing liquidity and interest rate risks. Additionally, ALCO oversees the pricing of assets and liabilities, ensuring alignment with prevailing market conditions and the Bank's strategic objectives. Its decisions are driven by the dual objective of enhancing earnings performance while safeguarding the economic value of equity.

Your Bank adopted a dynamic approach to managing interest rate risk, with periodic review of deposit rates and benchmark lending rates, taking into account

evolving funding costs and market dynamics. This enables timely and effective transmission of interest rate changes, thereby protecting margins and ensuring competitiveness.

During the year, in response to a cumulative 125 bps reduction in the Repo Rate by RBI, Your Bank proactively adjusted its External Benchmark Lending Rate (EBLR) by an equivalent magnitude, reinforcing effective monetary policy transmission while supporting borrowers and maintaining competitive positioning.

Your Bank has a comprehensive ALM Policy framework that governs the management and mitigation of liquidity and interest rate risks across both the banking and trading books. It emphasizes proactive liquidity management through robust monitoring systems, stress testing under multiple scenarios, behavioural analysis of assets and liabilities, and a well-defined contingency funding plan.

In line with regulatory expectations under the Basel III framework and RBI guidelines, Your Bank has implemented liquidity risk management standards, including Intraday Liquidity Management, Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR). During the year, the Bank consistently maintained LCR and NSFR well above regulatory thresholds, on a solo basis as well as on a consolidated basis underscoring its strong liquidity position and prudent risk management practices.

The average LCR for FY2025-2026 is 124.13%. The NSFR Position as on 31st March 2026 is 115.34%. Liquidity risk is also continuously monitored through both stock-based and flow-based approaches to ensure comprehensive coverage.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises from mismatches between rate-sensitive assets and liabilities, which may impact the Bank's Net Interest Income (NII) and the economic value of equity (EVE). The Bank employs a suite of analytical tools to measure and manage IRRBB, including Traditional Gap Analysis, Earnings at Risk (EaR), and Duration Gap Analysis.



Management Discussion And Analysis

The short-term impact of interest rate movements on earnings is assessed using the Earnings at Risk approach, incorporating various interest rate scenarios. The long-term impact is evaluated through sensitivity analysis of the Market Value of Equity, ensuring that potential adverse movements in interest rates are effectively captured and managed.

Overall, the Bank's disciplined and forward-looking ALM framework enhances financial stability, supports sustainable profitability, and strengthens stakeholder confidence by ensuring prudent management of balance sheet risks.

21.5 Market Risk Management

Market Risk denotes the potential risk of diminution in earnings or erosion of economic value arising from adverse movements in market rates or the prices of instruments. The fluctuation in the economic value of various market-linked products is predominantly attributable to changes in key macroeconomic variables, including but not limited to interest rates, foreign exchange rates, economic growth indicators, and prevailing business confidence levels.

Market Risk is governed through a comprehensive framework of Board-approved policies encompassing the Investment Policy, Market Risk Management Policy. These policies establish well-defined risk parameters across investment portfolio and asset classes by instituting risk limits and triggers to ensure the prudent and efficient deployment of investment funds.

In your Bank, overall accountability for managing market risk rests with Asset Liability Committee (ALCO). Mid office serves as the organisational mechanism for Market Risk Management, continuously monitoring position exposures relative to approved limits. Mid office reports directly to the Chief Risk Officer (CRO) and furnishes the ALCO with essential data and inputs on market risk.

Your Bank's Risk control framework incorporates a broad spectrum of measures, Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk including position limits, gap limits and sensitivity-

based limits such as PV01, Modified Duration, Value-at-Risk (VaR), Stop Loss Trigger Levels, Net Open Options Position (NOOP), Foreign Exchange Daylight Limits and Aggregate/Individual Gap Limits (AGL/IGL). All such measures are subject to daily monitoring. Risk limits are further subject to periodic review in alignment with the Bank's prevailing risk appetite set forth in ICAAP Policy.

Value-at-Risk (VaR) serves as a complementary quantitative instrument to stress testing, providing an additional measure of potential losses inherent in the Bank's trading positions, which is being back-tested on a daily basis. In addition, Stressed VaR for Market Risk is calculated daily and is augmented by a Board-approved Stress Testing Policy and Framework, which simulates a range of Market Risk scenarios to assess stress-induced losses and facilitate the timely initiation of remedial measures.

The Market Risk Capital Charge is determined in accordance with the Standardised Measurement Approach (SMM), applying the regulatory risk factors as prescribed by RBI. Your Bank conducts risk analysis and comprehensive assessments of its investment portfolios on quarterly basis. As a matter of sound risk governance forward-looking analyses are also being performed by duly evaluating prospective Interest Rate Risk scenarios and their potential impact on the Bank's trading portfolio.



21.6 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Your Bank also conducts a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) wherein the material risks faced by the Bank are listed, and their measurement and management methodologies are enumerated. Besides the Pillar-I risks, the Pillar-II risks

are also assessed. The adequacy of the capital under normal & stressed conditions to meet future business requirements are also assessed.

Your Bank review ICAAP framework every year, the framework ensures Bank maintain sufficient capital for risks. ICAAP validation is performed annually by a Validation Committee. Scope of ICAAP includes:

- Risks partially or not captured under Pillar 1
- Assessment methods for different types of risks.
- Estimating capital needs under stress scenarios (Stress Testing).
- Capital requirements for future growth (Risk Appetite Statement)

Your bank has board approved capital plan for capital needs, desired levels, utilization and contingency measures. Your Bank integrates capital planning with business growth, ensuring optimal utilization and regulatory compliance. Staff is trained on capital management, and stress testing is conducted to assess potential risks. Capital is raised proactively based on projected business requirements.

21.7 ESG & Climate Risk

ESG refer to environmental, social, and governance factors that can impact a financial institution's long-term performance and resilience and managing these risks involves integrating sustainability considerations into risk frameworks to address issues like climate change, regulatory shifts, and reputational impacts.



Your Bank's Board has acknowledged the need to address the impact of ESG & Climate change risk. Risk

Management Committee looks into all the ESG & Climate Risk related matters of the Bank. The Bank constituted ESG Steering Committee (ESGSC) for overseeing ESG transition in the Bank. The Bank has formulated a Board approved ESG Risk Framework & Climate Risk Policy. The Bank has also formulated a Board approved sustainable financing framework to cover resource mobilisation & financing framework and aspects related to assurance.

Your Bank has established a separate ESG Cell to act as a nodal department for ESG related risk & opportunities. The Bank has identified vertical wise ESG related action points and timelines. A Sub-committee has been formed comprising of verticals looking after the premises of the Bank, Information Technology & Operations to formulate action points to achieve net zero emission in the Bank's own operations. Further, another Sub-committee has been formed under the credit verticals of the Bank which will be the driving force behind transition of the credit portfolio of the Bank towards sustainable/ green finance. The Committee is working on finding out new avenues and opportunities for sustainable finance by measuring & mitigating the percentage of credit exposure to carbon-intensive sectors. The Bank has started assessment of physical risk and transition risk using financed emission in credit underwriting, identified physical risk of collaterals at district level of granularity and has also evaluated physical and transition risk for corporates at customer level under different climate scenarios.

In order to enhance transparency, accessibility and consistency of ESG related disclosures, your Bank has created a dedicated ESG section on its official website for Bank's ESG disclosures, policies, frameworks, sustainability initiatives, climate risk approach and key milestones.

The Moody's Ratings has assigned a second highest rating on Sustainability Quality Score (SQS) i.e. SQS2 to your bank's Sustainable Financing Framework, which indicates a "Very Good Sustainability Quality" and alignment with international market principles.



Management Discussion And Analysis

Further, your Bank has received independent recognition for its ESG performance from CareEdge ESG Ratings, which has assigned the 'CareEdge ESG 1+' rating to the Bank, representing a 'Leadership' position in managing ESG risks through best in class disclosures, policies and performance across Environmental, Social and Governance parameters.

Your Bank has become the first major Bank in India to become signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financial (PCAF), which has provided the bank access to the PCAF database and methodologies. The Bank has also signed MoU with the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), which provides access to advanced modelling and scenario analysis tool namely Global Change Analysis Model (GCAM) India model developed by CEEW. Your Bank has also signed MoU with the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), for technical assistance and capacity development. These partnerships with international organisations demonstrate your bank's strong ESG and climate commitment. Your Bank has also started integrating Climate Risk Solution in its lending operations. The Bank has also started integration of ESG related topics in its training programmes.

As part of stakeholder engagement activity, your Bank has organised the "Union Bank Climate Dialogue" during inaugural Mumbai Climate Week - 2026, by bringing together climate experts, industry leaders and financial institutions to deliberate on climate transition pathways and the role of the banking sector in India's low carbon transition.

Your Bank's training centre at Bangalore "Union Bank Knowledge Centre" has been certified with Platinum rating by Indian Green Building Council (IGBC). Your Bank has launched several products such as Union Green Home, Union Green Vehicle, Union Green Deposits promoting sustainable development

Your Bank is implementing an end-to-end Climate Risk Management Solution covering risk identification, measurement, monitoring and reporting.

Your Bank is working towards setting a time-bound quantitative target for reduction in emissions/ emissions

intensity and carbon neutrality. Your Bank has set Net Zero target in Own Operations by 2035. Your Bank is well aligned to national goals and targets in the nation's collective transition to a low carbon economy.

21.8 Vendor Risk Management Cell

Third-party vendors have become integral part of banking operations. Over time, bank has recognized that outsourcing is a critical function within the bank. Risk and failures at a vendor can directly impact a bank's operations, financials, customers, and reputation.

Bank has established a dedicated Vendor Risk Management Cell within RMD, for managing risks arising from outsourcing activities. To manage outsourcing risk, the Bank has board approved Vendor Risk Management policy in place.



Centralized data base of vendors is managed by Bank through inhouse portal called "Centralized Vendor Risk Management System" (CVRMS). Your bank has deployed outsourcing lifecycle in CVRMS for the effective monitoring of vendors. Your Bank is regularly reviewing its vendors and their services once at pre-onboarding stage and thereafter on periodic basis post-onboarding. Review of Service providers includes Activity Classification, Inherent Risk Assessment, Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Cyber Risk Assessment, Due Diligence and Police Verification of Vendor Employees, Key Performance Indicator, Business Continuity Plan and ESG (Environment, Social and Governance) Assessment. To ensure the vendor maintains adequate security

measures at operating environment and required BCP in place. Your Bank has a system to inspect the vendor site on regular basis.

21.9 IT Risk Assessment Cell

Your Bank has IT Risk Assessment Cell under Risk Management Department to support the bank's Operational Risk Management function by evaluating technological changes, new implementation, and customizations to ensure that IT-related risks are getting identified, assessed, and managed at initial stage of product development. The Cell operates under the direct oversight of the Chief Risk Officer (CRO).

Your Bank's IT Risk Assessment Cell collaborates with key stakeholders, including DIT (Department of Information Technology), CISO (Chief Information Security Officer), Compliance, Audit, and Digitization verticals, to ensure a comprehensive approach to IT risk management and comply with RBI guidelines, banks internal policies and IT Governance framework.

The IT Risk Assessment process includes, Risk Identification, Risk Evaluation, Risk Prioritization, Risk Mitigation, Control Effectiveness, Change Identification and Assessment, Periodic Review of Business Impact Analysis (BIA) reports.

21.10 Fraud Risk Management

Banking operations, by their inherent nature and operating environment, are exposed to various fraud risks. Rapid business expansion, if not supported by robust governance standards and effective internal control mechanisms, may increase vulnerability to fraud incidents. Recognizing these risks, the Bank has established a strong fraud risk management framework aligned with regulatory expectations and industry best practices.

The Bank continuously strengthens its operational processes, control architecture, surveillance systems and review mechanisms to address evolving fraud risks and emerging threats. Focused measures are undertaken to enhance awareness, reinforce accountability and improve resilience against both internal and external frauds. In line with the guidelines

issued by the Reserve Bank of India, the Bank has implemented as comprehensive Board approved Fraud Risk Management Policy covering prevention, detection, investigation, monitoring and reporting of frauds

The objective of the framework is to safeguard the Bank's assets, reputation and stakeholder interests through strong internal controls, proactive risk management practices and timely corrective measures, thereby minimizing potential financial and operational losses arising from fraud incidents.

Oversight of the fraud risk management function is undertaken by the Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of Cases of Frauds (SCBMF). SCBMF reviews and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimizing the incidence of frauds.

The Bank's fraud risk management approach encompasses preventive vigilance, early warning and detection systems, investigation and recovery mechanisms, staff accountability, continuous monitoring, analytics-driven review processes and regulatory reporting, ensuring a comprehensive and proactive approach towards fraud risk mitigation.

21.11 Group Risk Management

Your Bank, through its group entities, participates in diversified financial services including asset reconstruction, asset management, banking, insurance, and retail asset businesses. These entities contribute to the consolidated financials and overall strategic objectives of the Bank. Group Risk assesses the risk profile of group entities, identifies potential contagion risks to the parent bank and ensures effective oversight and capital planning at the consolidated level.

Your Bank has put in place a framework/ policy for assessment of risks for its Group entities, internal controls, mitigants and capital assessment under normal and stressed conditions. In line with regulatory expectations and internal risk governance standards, a structured risk assessment of these entities is undertaken periodically, and significant risks are



Management Discussion And Analysis

reported to the RMC. A periodic and structured risk assessment of group entities is crucial to maintaining the financial stability and risk resilience of the Bank at the consolidated level. Your Bank shall continue to strengthen its consolidated risk monitoring framework and ensure proactive engagement with its group entities to address emerging risks.

21.12 Enterprise Risk Management (ERM)

Enterprise Risk Management (ERM) is a structured approach adopted for identifying, assessing, managing, and monitoring risks across the organization. Unlike traditional risk management, which often focuses on specific threats in isolation, ERM provides a holistic framework that integrates risk considerations into strategic decision-making. ERM is a process of addressing these risks on a bank-wide level instead of managing in silos.

Your Bank has put in place an ERM framework which enables the Bank to gain a clear view of its overall risk level. ERM is designed to address a broad range of risks, including financial, operational, strategic, regulatory, and reputational risks. Your Bank has a Board approved Enterprise Risk Management policy in place.

21.13 Transaction Monitoring

Your Bank has a dedicated Transaction Monitoring Division to strengthen its transaction surveillance capabilities, enable early detection of emerging fraud patterns and typologies employed by perpetrators, and ensure the timely implementation of robust control measures for effective risk mitigation.

Your Bank has deployed real-time and near real-time transaction monitoring systems aimed at the continuous surveillance of customer transactions across channels. These systems are designed to detect and mitigate transaction-related fraud risks both at the point of transaction processing and through post-facto analytical review, thereby strengthening the Bank's fraud risk management and control framework. Under this monitoring framework, all categories of accounts as well as those reactivated from dormant status are subjected to continuous, round-the-clock (24x7) transaction surveillance.

In addition to adhering to regulatory guidelines and ongoing strategic initiatives, your Bank has developed in house machine learning models designed to proactively identify suspected cyber fraud and potential money mule accounts. Furthermore, your Bank has established a partnership with RBIH (Reserve Bank Innovation Hub) Machine Learning Model Mule Hunter to enhance its capability for identifying suspected money mule accounts. Your Bank also leverages regular intel received from external agencies such as DoT (Department of Telecommunications), NPCI (National Payments Corporation of India), and NCRP (National Cybercrime Reporting Portal) etc. for identifying high-risk and suspicious accounts. Additionally, your Bank has established integration with the Department of Telecommunications (DoT) Digital Intelligence Platform (DIP) for ingestion of Financial Risk Indicator (FRI) and Mobile Number Revocation List (MNRL) data, which is being utilized to support the identification of suspected accounts. This measure has significantly strengthened your Bank's customer protection framework by enabling the proactive identification and swift remediation of mule accounts, thereby mitigating the risk of genuine customers inadvertently becoming victims of cyber fraud.

Transaction Monitoring also has a full-fledged cybercrime cell at Hyderabad working on 24*7 basis to handle the cybercrime complaints on the CFCFRMS (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) of the NCRP (National Cybercrime Reporting Portal) Portal of I4C (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre), Ministry of Home Affairs, Government of India. The framework ensures time-bound resolution, mandates coordination between Banks and Law Enforcement Agencies, and provides relief to customers, including removal of holds or restoration of services, subject to due verification and regulatory compliance, while also allowing recourse to judicial authorities wherever required.

These initiatives, positions your Bank as a pioneer in the Indian Banking Industry, enhancing fraud detection, efficient handling of cybercrime complaints and mitigation capabilities.

22. Compliance

22.1 Strengthening Compliance Framework and Governance

The bank is maintaining highest level of compliance culture and adhering to all regulatory and ethical standards of doing its business. A high-level Assurance Forum, comprising the heads of the Assurance Verticals is constituted to periodically review key compliance issues, emerging risks, and implementation of significant regulatory directives. This integrated approach ensures a coordinated and proactive response to compliance and risk management challenges. The Bank also strengthened its compliance architecture across field level through focused monitoring and adherence to regulatory requirements.

22.2 Compliance Risk Assessment Framework

The Bank undertakes annual Compliance Risk Assessment (CRA) to assess adherence to RBI regulations, identify key compliance risks, and recommend appropriate mitigation measures, thereby ensuring ongoing regulatory compliance and risk minimization. Zonal Compliance Risk Assessments are conducted on quarterly basis to enable granular evaluation and improvement of field level compliance

22.3 Embedding a Strong Compliance Culture

The Bank has undertaken sustained initiatives to foster a strong compliance culture across all business and operational units. Structured training programmes are regularly conducted to enhance regulatory awareness and build employee capability at all levels. In addition, compliance awareness programmes are conducted across the bank on a regular basis to strengthen understanding of regulatory guidelines. These initiatives ensure that field-level functionaries remain adequately sensitized to regulatory requirements and adhere to the same in letter and spirit. To further strengthen accountability, compliance-related Key Result Areas (KRAs) have been assigned increased weightage in the performance evaluation framework. These initiatives reinforce the guiding principle of “Business First, Compliance Always.”

22.4 Ethics & Compliance Week 2025–26

The Bank successfully organised Ethics & Compliance Week from January 01 to January 07, 2026, with active participation across all levels. The program included a series of activities for engaging with employees, such as, Leadership Engagement through podcasts of Executive Directors, CGMs and Zonal Heads released in social media, publication of the Compliance Magazine “Union Siddhanta”, conducting expert led Webinars and Study Circles, Walkathons, Town Hall Meetings, Essay & Crossword competitions and rewarding the top performing Zones, Regions and Branches. These initiatives have further strengthened compliance awareness, enhanced employee engagement, and reinforced ethical conduct across the Bank.

22.5 Compliance Monitoring and Control Mechanisms

The Bank conducts periodic compliance test checks across Central Office Departments, Controlling Offices, and branches to assess the effectiveness of regulatory adherence. Bank has clearly defined roles and responsibilities across the Compliance Function and a robust self-certification framework is instituted to facilitates effective compliance validation at all levels. All communications and directives from regulatory and statutory authorities are centrally monitored through a digitized compliance package

22.6 Technology-Enabled Compliance

As part of its digital transformation initiatives, the Bank has implemented Comprehensive Compliance Application (CCA) for end-to end compliance solutions and monitoring across the bank. The solution comprises integrated modules for compliance tracking, monitoring, obligation management, testing & certification, submission of regulatory returns and comprehensive dashboard for the top management. This technology-driven solution enhances transparency, strengthens accountability, and enables real-time monitoring across the organization.

22.7 Integration of Compliance with Business Strategy

The Compliance framework and culture is embedded with the Bank’s core business strategy and decision-making processes. Regulatory requirements are integrated into product design, policy formulation, IT systems, and digital lending operations. System-driven

**Management Discussion And Analysis**

controls and checks have been institutionalised to ensure consistent and scalable compliance. Enhanced emphasis on transparency, governance, and disclosures continues to strengthen stakeholder confidence and align with evolving regulatory expectations.

The Bank remains committed to continuously strengthening its compliance, risk management, and governance frameworks. Ongoing efforts are focused on aligning practices with evolving regulatory requirements and industry best standards, thereby supporting financial stability, operational resilience, and long-term institutional integrity.

23. Internal Audit

The Bank has established an independent Internal Audit mechanism supported by well-defined procedures, instructions, and systems framed in line with regulatory, statutory, and internal guidelines. The Internal Audit function is designed to provide independent and objective assurance on the adequacy and effectiveness of internal controls and compliance with applicable requirements. It facilitates systematic evaluation of risk management processes and ensures that identified risks are mitigated to acceptable levels, thereby supporting the Bank in achieving its stated objectives and maintaining sound governance standards.

Allocating Audit Resources in accordance with Risk Profile/Assessment. Monitor adherence to internal controls – both administrative internal controls and accounting internal Controls.

RBIA aims at adherence to procedures, internal controls and regulations. RBIA enables the Bank to accomplish its objectives by a systemic and disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, control & governance.

Overview of Audit Functions in the Bank:

Following key activities are carried out by the Audit & Inspection vertical:

1. Risk based Internal Audit (RBIA) of Branches and other units
2. Concurrent Audit of select Branches and other units
3. Management audit of controlling offices and CO Verticals

4. Information Security Audit of IT application & Process
5. Foreign Branches' Audits
6. Special Audits and Special Reports

Risk based Internal Audit of Branches and other units for FY 2025-26:

During FY 2025-26, Audit was completed in 5,760 branches, and rating finalization was completed. The risk assessment of these Branches indicates that 55.10% were classified as Low Risk, 43.29% as Medium Risk, and 1.61% as High Risk, while no Branch was categorized under Extremely High Risk, reflecting an overall stable risk profile.

Concurrent Audit of select Branches and other units:

The Bank appointed 2,099 concurrent auditors during FY 2025-26, covering 2,095 branches/verticals/units. Of these, 1,569 business branches accounted for 54.18% of total deposits and 74.67% of total advances as on 31.03.2025, while 45 Verticals/Sub-Verticals were brought under the Concurrent Audit framework.

The Bank also conducts Revenue Audit of branches to evaluate that if there is any leakage of Income.

Management audit of controlling offices and CO Verticals

During FY 2025-26, the Bank conducted Management Audit (for FY 2024-25) to review managerial effectiveness, governance processes, and internal control systems across its operations through a systematic and disciplined approach. The audit covered 134 Regional Offices, 18 Zonal Offices, 18 Zonal Audit Offices, 33 Central Office Verticals, and 7 other offices, strengthening overall management oversight and operational efficiency.

23.1 Information Security Audit:

During FY 2025-26, the Bank carried out Information Systems (IS) Audits using a combination of its internal audit team and CERT-In empaneled external auditors. The audits covered 285 IT applications/processes, 74 administrative offices, and 3 foreign units. In addition, 34 pre-implementation audits were conducted before system go-live to ensure proper IT controls.

23.2 Foreign Branches' Audits:

The Bank is having branches at Dubai, Sydney and subsidiary at UK. During FY 2025-26, annual audit of all

the three places was completed as per time schedule. The periodic audit was also completed at Dubai and Sydney branches.

23.3 Special Audits and Special Reports:

The Bank conducts Special Audits to examine specific issues based on requests from controlling offices, and issues Special Reports to promptly highlight irregularities for management attention and corrective action. During FY 2025-26, 100 Special Audits and 69 Special Reports were issued to find out irregularities for the attention of senior management.

23.4 Key initiatives during FY 2025-26:

The Bank has undertaken Remote Audit as a technology-driven initiative to enhance audit efficiency and coverage. This initiative is expected to reduce cost and effort, improve audit quality, and ensure greater uniformity in the audit process across locations.

The Bank is progressing with the transformation of its Audit & Inspection framework, in line with evolving practices in digital, risk-based, and continuous auditing. Also, it has strengthened data analytics and offsite monitoring capabilities, enabling better identification of risks and timely corrective actions. These initiatives are expected to improve audit effectiveness, reduce turnaround time, and further strengthen governance and overall risk management.

24 Cyber Security

24.1 Cybersecurity Governance Framework and Strategic Oversight

Union Bank of India has established a comprehensive and forward-looking Cybersecurity Governance Framework supported by robust data governance, privacy management, and technology risk oversight practices. The Bank's cybersecurity architecture is guided by its Information Security Policy, Cyber & Digital Payment Security Policy, and Data Governance Framework, ensuring secure and resilient digital banking operations.

The Bank continues to align its cybersecurity posture with evolving regulatory and global standards, including the Reserve Bank of India's Cyber Security Framework (2016), Master Direction on Digital Payment Security Controls (2021), and Master Direction on

Information Technology Governance, Risk, Controls and Assurance Practices (2023). The Bank also adheres to internationally accepted standards such as ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 22301 (Business Continuity Management System), ISO 27701 (Privacy Information Management System), ISO 31000 (Enterprise Risk Management), PCI-DSS, and PCI-PIN Security Standards.

Union Bank of India holds ISO 27701:2019 certification for its Privacy Information Management System (PIMS), reinforcing its commitment to the protection of Personally Identifiable Information (PII), data privacy, regulatory compliance, and stakeholder trust.

In recognition of the criticality of banking infrastructure, key systems including CBS, RTGS, NEFT, IMPSP Switch, ATM Switch, and UPI Switch have been notified as "Protected Systems" under the Information Technology Act by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India. The Bank fully complies with the Information Technology (Information Security Practices and Procedures for Protected Systems) Rules, 2018.

The Bank has institutionalised cybersecurity leadership at the highest level through the appointment of a Chief Information Security Officer (CISO) at the rank of Chief General Manager. The CISO also functions as the Group CISO for subsidiaries, joint ventures, and associate entities, ensuring enterprise-wide cybersecurity governance and strategic alignment across the ecosystem.

Cybersecurity continues to remain a strategic pillar in the Bank's digital transformation journey, enabling secure innovation, operational resilience, and customer trust in an increasingly interconnected financial ecosystem.

24.2 Cybersecurity Infrastructure, Innovation and Threat Resilience

Union Bank of India has adopted a multi-layered "Defence in Depth" cybersecurity strategy to safeguard its digital infrastructure, customer assets, and critical banking operations. The Bank has implemented advanced security controls across perimeter security, network security, endpoint protection, application security, identity and access management, threat intelligence, and data security domains.



Management Discussion And Analysis

The Bank follows a “Security by Design” approach in the implementation of digital initiatives and technology platforms, embedding cybersecurity controls into systems, applications, and digital products from the inception stage itself. This approach supports secure digital transformation while ensuring compliance, resilience, and customer confidence.

The Bank’s Data Centre and Disaster Recovery facilities are certified under ISO 27001 and ISO 22301 standards, while its Enterprise Risk Management framework is aligned with ISO 31000 standards. Card payment systems and ATM switch infrastructure continue to maintain PCI-DSS certification.

The Bank’s cybersecurity posture continues to remain among the strongest in the industry, reflected in its consistent “Advanced” category rating by BitSight, a globally recognised cybersecurity rating agency.

• Next Generation Security Operations Centre (NGSOC)

- As part of its futuristic cybersecurity vision, the Bank has established a state-of-the-art Next Generation Security Operations Centre (NGSOC) operating on a 24x7 basis with dedicated cybersecurity specialists for continuous monitoring, threat detection, incident response, and cyber threat intelligence. The NGSOC is tightly integrated with critical banking applications and infrastructure layers to proactively identify and mitigate emerging cyber threats. The NGSOC enables real-time security event correlation, advanced threat analytics, proactive monitoring of cyber risks, and rapid response mechanisms to strengthen enterprise-wide cyber resilience. Bank implemented Centralised Threat Intelligence Platform ingesting multiple local and global threat intelligence seamlessly

• Cyber Security Centre of Excellence (CCoE)

The Bank has established a dedicated Cyber Security Centre of Excellence (CCoE) as a strategic cybersecurity capability hub to strengthen cyber resilience, security innovation, proactive threat assessment, and advanced cyber defence engineering across the enterprise. The CCoE plays a pivotal role in enhancing cybersecurity maturity through continuous assessment, automation,

research-driven controls, security analytics, and specialised cyber capability development.

The CCoE hosts and operationalises multiple advanced cybersecurity functions and platforms, including:

- Enterprise Vulnerability Management Centre (EVMC) for Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VA/PT), Source Code Security Review, Secure Configuration Assessment, and enterprise-wide vulnerability management activities.
- Continuous Automated Red Teaming (CART) framework for ongoing adversarial simulation and validation of defence effectiveness.
- Breach & Attack Simulation (BAS) platform for continuous testing of security controls against evolving cyberattack scenarios.
- Digital Forensics and Malware Analysis (DFMA) capabilities for forensic readiness, malware investigation, ATM/CRM malware analysis, suspicious email analysis, and cyber incident investigations.
- Periodic Red Teaming exercises through specialised external agencies to simulate sophisticated attack scenarios and assess the resilience of controls, monitoring mechanisms, and response capabilities.
- Cyber drills and simulation-based preparedness exercises for testing organisational readiness, detection capability, response coordination, and cyber incident handling effectiveness.
- Ethical Hacking Lab for continuous identification of vulnerabilities across internet-facing and internal applications and infrastructure.
- Attack Surface Management and Digital Risk Monitoring solutions for identifying exposed assets, leaked credentials, sensitive data exposure, and emerging digital risks.
- Cyber Range Simulation Platform for immersive cybersecurity training and simulation-based preparedness exercises.

24.3 Cybersecurity Awareness and Culture Building

Union Bank of India continues to strengthen cybersecurity awareness and digital safety practices among customers, employees, and stakeholders through structured awareness initiatives, continuous engagement, and capability-building programs. As part of its strategic awareness initiatives, the Bank has collaborated with premier institutions including the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Hyderabad, and the Cyber Security Centre of Excellence, Department of IT & Electronics, Government of West Bengal, for conducting cybersecurity awareness programs, webinars, and specialised training initiatives. The Bank has also introduced unique cybersecurity mascots — “U Suṛ”Ksha” and “U Ṛ”Kshak” to promote cyber hygiene and safe digital banking practices in an engaging and relatable manner.

• Customer Cybersecurity Awareness Initiatives

- The Bank undertakes extensive customer awareness campaigns through multiple digital and physical channels, including:
- Secure usage advisories integrated into Internet Banking and Mobile Banking applications.
- Cybersecurity awareness messages printed on passbooks, ATM transaction slips, and credit card statements.
- Regular customer advisories through emails and SMS alerts on emerging cyber frauds and preventive measures.
- Awareness videos, posters, and digital campaigns across social media platforms including LinkedIn, Facebook, Instagram, X, and YouTube.
- Cybersecurity awareness creatives displayed through Network Electronic Display Units (NEDU) across branches.
- Pan-India cybersecurity awareness webinars conducted through zonal offices and customer engagement programs.
- Participation in “Cyber Jaagrookta Diwas” initiatives of the Ministry of Home Affairs, Government of India, through customer outreach campaigns, webinars, and awareness drives.

- Theme based cybersecurity awareness camps were organized for various target groups, including Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), Self Help Groups (SHGs), Business Correspondents (BCs) of the bank, senior citizen customers, as well as school and college students, with the objective of enhancing awareness on safe digital practices and cyber risk prevention.

These initiatives reflect the Bank’s commitment to building a cyber-aware customer ecosystem and strengthening trust in digital banking channels.

24.4 Employee Cybersecurity Awareness and Capability Development

- The Bank continues to foster a strong cybersecurity culture among employees through structured learning and continuous engagement initiatives. Key programs include:
- Annual enterprise-wide cybersecurity awareness action plans.
- Cybersecurity town halls and interactive awareness sessions across locations.
- Daily cybersecurity advisories and best-practice communications.
- Phishing simulation exercises for employees to enhance awareness against social engineering attacks.
- Interactive learning activities including cybersecurity quizzes, puzzles, and awareness campaigns.
- Celebration of National Cybersecurity Awareness Month (NCSAM) through month-long expert sessions and webinars.
- Dissemination of cybercrime reporting awareness through the National Cyber Crime Reporting Portal and helpline 1930.
- Periodic publication of cybersecurity newsletters, threat intelligence updates, and emerging risk advisories.
- To further strengthen leadership capabilities, the Bank has also launched the Cybersecurity Executive Development Program (CSEDP), an in-house certification initiative designed to enhance



Management Discussion And Analysis

cybersecurity and technology risk awareness among senior executives and leadership teams.

- The Bank remains committed to continuously strengthening cyber resilience, safeguarding customer trust, and building a secure, future-ready digital banking ecosystem through sustained investments in cybersecurity governance, advanced technologies, and awareness-driven culture building.

25 Analytics Capabilities

Your Bank has successfully implemented a next-generation Data Repository, Analytics & Reporting Platform (Enterprise Data Lake), that consolidates voluminous structured and unstructured data from diverse sources. This modern data repository enhances advanced analytics capabilities, improves data exploration, and optimizes operational costs. Bank is leveraging this innovative infrastructure in areas such as ML-based credit underwriting, analytics-led business generation & customer retention, as well as stress-identification and fraud management.

By enabling real-time data access and delivering consistent, high-quality insights, the platform strengthens both internal and regulatory reporting while supporting accurate analysis and greater business agility. It empowers the Bank to make data-driven decisions, elevate customer experience, enhance compliance, risk management and reinforce its overall market competitiveness.

26 Credit Compliance and Monitoring

During FY 2025–26, the Bank strengthened its Collection Management framework through the following key initiatives:

26.1 BoT Calling Initiative

To ensure timely recovery of dues and further strengthen the collection mechanism, the Bank established a full-fledged Call Centre for reminding borrowers regarding timely payment of EMIs and other dues.

In order to improve outreach and operational efficiency, the Bank implemented BoT Calling in 11 vernacular

languages, enabling communication with a larger borrower base within a shorter time frame. This initiative has significantly enhanced customer engagement and contributed to improved collection efficiency.

26.2 Implementation of Union Collection Management Solution (UCMS)

The Bank developed and implemented the Union Collection Management Solution (UCMS), an advanced platform designed to enable data-driven and customized collection strategies based on customer behaviour patterns and analytical insights derived from both internal and external data sources.

Historical loan data has been leveraged to develop a scoring/propensity model for assessing the likelihood of repayment by individual borrowers (Propensity-to-Pay Score). The solution utilizes AI/ML-driven predictive analytics incorporating financial indicators, demographic details, payment and transaction behaviour, historical repayment performance, bureau data, customer segmentation, stress indicators, and asset-related information.

Based on these analytical insights, UCMS generates a risk categorization framework that assists the Bank in identifying the most effective communication channel and collection strategy for each borrower segment. The Propensity-to-Pay Score generated by the solution enables the Bank to adopt targeted and efficient recovery strategies, thereby improving collection outcomes and operational effectiveness.

27 Vigilance

The Vigilance Department of the Bank functions under the supervision of Chief Vigilance Officer (CVO), and three Additional Chief Vigilance Officers (ACVO), who act as an extended arm of Central Vigilance Commission. The CVO & ACVOs are assisted by a team of 46 functional vigilance Executives/officers stationed at Central Office and 148 Field Vigilance Officers including APGB, mapped to Regional/Zonal Offices PAN India. The team is managed by 02 DGMs and 05 AGMs at Central Office, along with 03 AGMs stationed on each at Delhi, Mumbai & APGB. Vigilance functionaries, at each level, act as a

preventive task force, ensuring sustainable business growth and contributing towards profitability of the Bank. Being a part of Assurance Functions, it is marked as one of the defence pillars of the Bank, promulgating the environment of integrity, and accountability with transparency at all stages. The department has 03 major functional areas- Preventive, Participative and Punitive. Moreover, department aims at proffering systemic improvements for reformation of systems and procedures for strengthening the fundamentals of the organization. By proactively evincing and addressing potential risks, the Vigilance Department helps in mitigating financial, legal and reputational risks associated with corruption and fraud, protecting the interests of the organization and its stakeholders.

To effectuate Participative Vigilance:

1. Vigilance Awareness Day is observed on every Second Thursday of each month to address the on-going frauds, their modus operandi and remedial preventive actions.
2. With the endeavour to exact awareness, an In-House film was directed showcasing the significance of holding integrity and rectitude towards oneself and the organisation, reemphasizing the commitment of the Bank to its core values of transparency and authenticity in its procedures- Vigilance- Our Shared Responsibility.
3. Video song involving Top Executives of the Bank, reiterating the commitment towards upholding values of integrity and promoting culture of venerability, and imbibing vigilance as an individual responsibility was launched during Vigilance Awareness Week, 2025.
4. To create awareness, participative vigilance drive is undertaken at all level by conducting periodic preventive vigilance visits at all units of the organisation. This is also a prime objective of observing Vigilance Awareness Campaign every year.
5. The department has also circulated educative series for capacity building of the officials working at

Branches and controlling offices i.e. weekly series- "Drishiti" 52 issues, Monthly series "Satarkata Se Safalta" -12 issues and 4 issues of quarterly series "Union Vigil".

6. A total of 8988 Preventive vigilance visits were Undertaken, covering all the functional units of the Bank, to create awareness, especially pertaining to fraud prone areas and advise Functional Heads to ensure appropriate systems and procedures are put in place.

In the endeavour to leverage IT platforms to strengthen the preventive measures various initiatives were taken in this financial year to contribute towards sustainability principle of the Bank. End-to-end digitization of disciplinary process was launched as "Project Vishwas"- An online user-friendly platform for HR, ER, and Vigilance officers, facilitating online submission and collection of documents, efficient case review, and prompt action-taking. It is designed with integration of existing Human Resource Management Systems and Core Banking Database to ensure seamless data flow and real-time monitoring of disciplinary cases.

A concept of Digital Vigilance Dashboard was devised which comprises of details of the different sections of Vigilance such as current status of the cases, Complaints, and disposal, analysis of cases etc. It is presented to Top Management on fortnightly basis.

As per advisory of Central Vigilance Commission, Preventive Vigilance campaign was observed/ undertaken, as a precursor to Vigilance Awareness Week, 2025, from 18th August 2025 to 17th November 2025 and Vigilance Awareness Week 2025 envisaging the theme "Vigilance: Our Shared Responsibility / सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" was observed in a befitting manner from 27th October to 2nd November 2025 in, across all branches/offices PAN-India.

As a part of the celebrations, various Vigilance Awareness Programmes were conducted within the organization and outreach activities on PAN India basis, to spread awareness among the general public and youth of India on eradicating corruption and remedial measures available to them. A Total of 14947 events were conducted under Vigilance Awareness Week 2025. 74,000+ staff members and 2,77,620 citizens



Management Discussion And Analysis

has participated at different levels in the programs conducted during VAW 2025. Compendium comprising lessons from fraud and educative series on bank's policies were released during the campaign period.

28 Operation

28.1 Digital Customer Service and Banking Initiatives

During FY 2025–26, the Bank continued to strengthen its customer service architecture through expansion of digital, assisted and inclusive banking channels. The Bank remained focused on improving customer accessibility, enhancing service efficiency and enabling consistent customer experience across multiple service touchpoints.

The Bank has progressively expanded its digital and assisted servicing ecosystem through WhatsApp banking, Digital Contact Centre services, grievance redressal mechanisms, self-service journeys and accessibility-driven initiatives. These initiatives are aligned with the Bank's broader objective of improving customer convenience, reducing dependency on branch visits and strengthening technology-enabled customer engagement.

- **UVConn 3.0 – WhatsApp Banking**

UVConn 3.0 is the Bank's 24x7 WhatsApp-based digital banking platform available on mobile number 9666606060. The platform leverages WhatsApp as a conversational banking channel enabling customers to access banking information, account-related services and assisted customer support in a simple and convenient manner.

The platform is currently available in 7 languages — English, Hindi, Kannada, Telugu, Tamil, Bangla and Marathi — thereby supporting wider customer accessibility across regions. UVConn presently offers more than 74 non-financial services/features covering account information, service requests, loan and deposit product details, statements, customer care assistance and customer feedback services.

During FY 2025–26, several new services/features were added on the platform including

Education Loan Interest Certificate, Transaction Dispute, Deposit Details, Addition of Secondary Accounts in Debit Card, Account and Deposit Products, Retail Loan Products, MSME Loan Products, Agri Business Products, Gold Loan Products, Chat with UVA, PPF statement, SSA Statement, Pension Slip and Branch Feedback.

Additional customer experience enhancements such as display of customer care information within service descriptions and integrated feedback mechanism were also introduced.

UVConn has further been enabled for NRI customers across 19 countries. Newly onboarded customers are also provided with a welcome communication highlighting the services available through the platform. As on date, over 75.15 lakh+ customers have been onboarded on UVConn and more than 476 lakh+ customer enquiries have been processed through the platform, reflecting increasing adoption of conversational digital banking channels.

- **Digital Contact Centre**

The Bank's Digital Contact Centre (DCC) has evolved into a large-scale omnichannel customer service and engagement platform supporting inbound and outbound voice, chat, video banking, email and bot-assisted servicing. Operating on a 24x7 basis through centres at Noida, Mumbai and Hyderabad, the DCC presently supports customer outreach of approximately 30 lakh interactions per month, including around 8–10 lakh agent-assisted interactions.

The DCC currently supports customer servicing in 22 languages. In addition to English and Hindi, services are also available in Assamese, Bengali, Bhojpuri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Santhali and Tulu. The Bank's chatbot platform has also been enabled across all 22 languages to strengthen multilingual digital servicing and customer accessibility.

The Bank has progressively transformed the earlier call centre model into an integrated Digital Contact Centre ecosystem with enhanced self-service, assisted servicing and AI-enabled capabilities. Presently, the DCC ecosystem supports multiple AI-enabled capabilities including conversational bot, chatbot, speech analytics, voice biometric, automated quality management, workforce management and agent assist solutions, along with 35+ API-enabled self-service journeys through IVR and digital channels.

- The Digital Contact Centre has also strengthened customer experience and service continuity through initiatives such as 100% abandoned call-back mechanism, multilingual servicing, customer segmentation, assisted digital journeys and centralised handling of customer emails and service requests. The platform additionally supports fraud alert verification, customer protection support, collections outreach and proactive customer engagement initiatives.

28.2 New Projects Implemented

The Bank has implemented several customer-centric initiatives during the year aimed at simplifying banking processes, improving accessibility and enhancing customer convenience across service channels.

Pre-filled service request forms and TD/RD account opening forms has been implemented, enabling generation of customer-ready forms based on Customer ID or account number. This initiative has simplified routine servicing requirements such as mobile number updation, address updation and identity detail modification while reducing manual intervention and improving customer convenience.

The Bank has introduced Sign Language Interpretation support through the Digital Contact Centre to improve accessibility and inclusive banking support for customers with hearing and speech impairments. The service is enabled

through secured video-assisted servicing channels and reflects the Bank's commitment towards technology-enabled inclusive banking

28.3 GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

The Bank has strengthened its Grievance Redressal Mechanism to ensure structured, timely and effective resolution of customer complaints and grievances. Roles and responsibilities at various levels of the grievance redressal framework have been clearly defined and standard operating procedures have been established to support faster complaint resolution.

The revised Grievance Redressal Policy provides a comprehensive framework for handling customer complaints through a structured escalation matrix and defined turnaround timelines depending upon the nature of complaints. The objective is to minimise customer grievances and ensure prompt and fair resolution.

Customer complaints can presently be lodged through multiple channels including corporate website, IVR, call Centre, mobile banking, WhatsApp banking and email. Customers are provided with a complaint reference number upon registration of complaints. Cyber fraud-related complaints are handled on a 24x7 basis. QR-code enabled complaint registration and customer feedback mechanisms have also been introduced.

During FY 2025-26, the grievance redressal performance of the Bank was as under:

No. of Complaints outstanding as of 01 st April 2025.	11,643
No. of Complaints received during the year.	7,60,545
No. of Complaints resolved during the year.	7,55,118
No. of Complaints outstanding as of 31 st March 2026.	17,070

28.4 Disclosure of Award from Banking Ombudsman

One Award of ₹ 3,97,055.71 (Rupees Three Lakh Ninety-Seven Thousand Fifty-Five and Seventy-One Paise) is issued against the Bank under Clause 15(1)(b) of Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2021.



Management Discussion And Analysis

28.5 National Processing Centre for Back Office Operations

Technology driven customer framework that streamlines and secures customer onboarding process and back-office operations for the Bank.

28.5.1 Key NPC back-office functions:

- **Centralized and Standardized Customer Onboarding**

The bank has implemented a centralized processing system with uniform Standard Operating Procedures (SOPs) for customer onboarding processes, reducing manual intervention and operational errors.

This standardization simplifies branch processes and ensures consistency across all customer onboarding activities.

De-duplication checks and authentication controls further strengthen the integrity of customer data, reducing the need for manual verification. Enhanced controls and automation significantly curtail fraud risk and operational errors, supporting more secure and efficient back-office operations

- **Digital Self-Service and V-CIP**

Customers can initiate onboarding digitally, complete video KYC remotely and self-register for Internet Banking, Mobile Banking and WhatsApp Banking reducing the volume of in-person branch visits and paperwork.

This integrated vertical is enabling sharper prioritization of business initiatives, faster rollout of digital journeys, tighter monitoring of mission-critical projects, improved regulatory preparedness, and seamless coordination across verticals and the field. It embeds a bottom-up, employee-centric and customer-focused approach to change for ensuring that reforms are timely, and responsive to operational realities.

Revamped Corporate Strategy and Business Excellence Vertical, has taken several initiatives such as Project Muskaan, Union Innovation League etc. as structured Bottom-up engagement approach to strengthen field support, streamline processes, enhance digital oversight, deepen compliance & security posture and accelerate execution across the Bank. Further, Business & Compliance Campaigns covering all Business Units have been launched focusing on Business Development and Compliance parameters which has resulted in sustained business growth and improvement in overall compliance levels.

30 Eco System Banking

The Bank has initiated the Ecosystem Banking Vertical as a forward-looking strategic step to strengthen its institutional business and build a more stable and sustainable deposit franchise.

In today's environment, institutions do not operate in isolation. Each organisation is part of a larger network comprising employees, vendors, contractors, service providers and beneficiaries. These interconnected relationships generate multiple financial flows, ranging from salaries and operational balances to payments, collections and investment activities.

The Ecosystem Banking Vertical is designed to capture this broader opportunity by shifting the Bank's approach from individual account relationships to a more comprehensive ecosystem-based engagement.

Under this approach, each institutional relationship is treated as an anchor, around which the Bank engages with the entire network. This enables the Bank to deepen relationships, expand engagement across multiple participants and create long-term, value-driven banking partnerships.

29 Strategy Vertical

During FY 2025-26, the Strategy Vertical has been strengthened and repositioned as the unified "Corporate Strategy and Business Excellence" Vertical to serve as the Bank's central engine for growth and transformation.

By bringing together strategy formulation, analytics, economic research, CR & MIS, EASE reforms, joint venture & subsidiary and project management under a unified and single reporting structure, the Bank now has a powerful institutional platform to convert ideas into action, data into decisions, and policies into measurable outcomes.

The initiative reflects a strategic move towards building a relationship-led and flow-based banking model, aligned with evolving customer expectations and industry trends.

30.1 What the Bank is Envisaging

The Bank envisages the Ecosystem Banking Vertical as a key driver of sustainable growth, particularly in strengthening its CASA base and enhancing overall business quality.

The focus is on building deeper engagement with institutions across segments such as Government, public sector entities, corporates, educational institutions, healthcare organisations and emerging business clusters.

Through this initiative, the Bank aims to:

- ❖ Build long-term relationships with institutional clients by offering integrated financial solutions
- ❖ Expand engagement beyond core accounts to include employees, vendors and affiliated participants
- ❖ Increase the share of operational and transaction-linked balances
- ❖ Strengthen the Bank's presence in high-quality and recurring financial flows

The emphasis is on creating a banking model where growth is driven by ongoing financial activity within institutional ecosystems, rather than episodic or short-term mobilisation.

Over time, this approach is expected to improve the quality of deposits, enhance customer engagement and support a more resilient business profile.

30.2 Operating Framework

To implement this initiative in a structured and scalable manner, the Bank has established a dedicated operating framework.

The Ecosystem Banking Vertical functions through a multi-layered structure comprising:

- ❖ A central team responsible for strategy, governance and overall coordination
- ❖ Field-level 9 Ecosystem Hubs that align and guide execution across geographies

- ❖ Dedicated 118 Ecosystem Business Centres that drive engagement with institutions and their ecosystems

This framework ensures that ecosystem opportunities are identified, pursued and developed in a coordinated manner across the Bank.



In addition, the initiative integrates key capabilities such as institutional relationship management, transaction banking and wealth solutions, enabling a comprehensive approach to client engagement.

30.3 The operating model is designed to:

- ❖ Ensure consistent execution across regions
- ❖ Leverage the Bank's existing network and customer base
- ❖ Facilitate better coordination across business functions
- ❖ Support long-term relationship development

This structured approach allows the Bank to combine strategic direction with strong execution capabilities at the field level.

30.4 How it will add value to the Bank's Shareholders

The Ecosystem Banking Vertical is expected to contribute meaningfully to the Bank's long-term performance and value creation.

- a. **Strengthening of CASA Franchise:** By anchoring deposits to operational and transaction flows, the Bank will be able to build a more stable and granular CASA base. This reduces volatility and supports a lower cost of funds.

**Management Discussion And Analysis**

- b. **Sustainable Growth Model:** The initiative focuses on capturing recurring financial flows such as salaries, payments and collections. This creates a steady and predictable growth trajectory, enhancing business stability.
- c. **Enhanced Fee Income:** Increased integration with institutional transactions is expected to drive growth in fee-based income through payment and collection services and related offerings.
- d. **Improved Customer Depth:** Engagement across the broader ecosystem enables the Bank to deepen relationships and increase its share of business within each institutional client.
- e. **Long-Term Relationship Stability:** A more integrated engagement model strengthens customer stickiness and reduces dependence on short-term or transactional relationships.
- f. **Platform for Future Expansion:** The Ecosystem Banking framework provides a scalable platform for future growth, enabling the Bank to expand into new segments and leverage emerging opportunities in institutional and transaction banking.

30.5Way Forward

The Ecosystem Banking Vertical represents an important step in the Bank's ongoing transformation journey.

By aligning institutional relationships with broader financial ecosystems, the Bank is building a model that is not only growth-oriented but also sustainable and resilient.

This initiative reinforces the Bank's commitment to strengthening its core business fundamentals, enhancing customer engagement and delivering consistent long-term value to its shareholders.

31 Central Reconciliation.

Reconciliation department has put in place a robust reconciliation process for transactions emanated through different digital channels. Reconciliation of all the digital transactions are being done in T+1 days/as stipulated by NPCI.

During FY 2025-26, the Recon Vertical had reconciled 2,030.04 Crore digital transactions. On an average Bank had handled 5.56 crore transactions per day.

The Vertical had also complied with Statutory/Regulatory guidelines and Network directives related to reconciliation and refund of failed transactions. All the disputes raised by the customers on digital transactions were attended promptly and disposed/resolved within the timelines stipulated by the NPCI.

The Reconciliation Department is in preparedness to implement Cycle wise reconciliation of the digital transactions. This will enable the Bank to reverse the failed transactions proactively within 4 hours on the same day. This transition is a corner stone of Bank's commitment to operational excellence and "customer-first" strategy.

32 Digital Business Vertical.

"During the year, the Bank established the Digital Business Vertical (DBV) as a dedicated setup to drive business growth through digital channels. The formation of DBV marks an important strategic step towards building scalable digital distribution capabilities, improving customer experience and strengthening the Bank's presence across emerging digital ecosystems.

DBV has been envisaged as a focused business vertical responsible for enabling and accelerating digital business mobilisation through non-branch channels, partnerships and technology-driven platforms. The Vertical works in close coordination with business, operations, technology and assurance functions to develop seamless and efficient digital journeys for customers.

The key focus areas of DBV include digital lending, digital deposits, partnerships with fintechs and digital platforms, process digitisation and analytics-based monitoring of digital business. The Vertical also aims to ensure appropriate governance and control mechanisms in digital operations.

With increasing customer preference for digital banking services, the establishment of DBV positions the Bank to

respond more effectively to evolving market dynamics and customer expectations, while creating a strong foundation for future digital growth and innovation.”

33 Support Services Department

The Support Services Department (SSD) sustained its focus on enabling the smooth and efficient functioning of the Bank by delivering high-quality, environment-friendly infrastructure. The Department emphasized optimal space utilization and climate-responsive designs, ensuring alignment with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

SSD continues to support the Bank's growth by providing adequate office and residential facilities for staff that meet both current operational needs and future expansion requirements. The Department remains committed to the timely completion of projects, advancement of planned initiatives, and implementation of sustainability measures aimed at reducing carbon emissions and enhancing energy efficiency while optimising cost.

Under infrastructure development, a strong emphasis has been placed on green building practices. Construction of two new office buildings was initiated in the previous FY, while four additional office buildings are at various stages of completion. All projects are being developed with a focus on green building certification, energy-efficient systems and sustainable construction practices.

Going forward, the Bank aims to accelerate the adoption of renewable energy solutions and eco-friendly technologies across all projects. Continued focus will be placed on completing ongoing projects within stipulated timelines while ensuring effective execution of planned initiatives.

34 Outlook

34.1 During FY 2025-26, Indian economy recorded robust growth amidst external headwinds. Economic activity gained momentum and the provisional estimates (SAE) of national income released by the NSO placed India's real GDP growth at 7.6% y-o-y in

2025-26 on the back of robust growth in private final consumption expenditure. On the supply side, real gross value added (GVA) expanded by 7.7%, y-o-y, driven by manufacturing and services sectors. The headline consumer price index (CPI) inflation have averaged 2.1% during 2025-26, lower than 4.6% recorded for 2024-25. Economic activity remained strong supported by revival in consumption as well as government's capex push. Pick up in private consumption, upturn in agricultural activity, continuing resilience of the services sector, high capacity utilisation, healthy balance sheets of banks and corporates, and government's continued thrust on capital expenditure augur well for the growth outlook. Moreover, several measures announced in the Union Budget 2026-27 are also growth supportive.

34.2 The Union Budget 2026-27 has proposed a six-point plan which focuses on scaling up domestic manufacturing in several strategic and frontier sectors, rejuvenating legacy industrial sectors, creating champion MSMEs, boosting infrastructure, ensuring long-term energy security and stability, and developing city economic regions. This, coupled with further progress on trade deals with major economies, bodes well for India's overall growth outlook. Global headwinds stemming from rising geopolitical tensions, elevated commodity prices and supply-chain disruptions, however, pose downside risks to the growth outlook.

Bank credit growth is expected to remain double digits in FY 2026-27. With the significant turnaround seen in capital, provision coverage and asset quality ratios apart from profitability levels/ metrics over the last 10-15 years, the banking sector is seen to be well equipped to support the required credit creation to fund India's growth trajectory. Going forward, the RBI has reiterated that it will remain vigilant, agile, and nimble in policy actions so as to support the economic growth while mitigating the impact of global spill overs on domestic financial markets.



Management Discussion And Analysis

35 Opportunities

1 Banking sector well positioned to fund long term India growth story

With the significant turnaround seen in capital, provision coverage and asset quality ratios apart from profitability levels/ metrics over the last 10-15 years, the banking sector is well equipped to support the required credit creation to fund the growth trajectory.

Government's vision of "Viksit Bharat" by 2047 places banking at the centre of India's growth financing framework. This is reflected in the establishment of a High-Level Committee on banking in Union Budget 2026-27. Trade agreements, production-linked incentive schemes, infrastructure push, and increased formalisation of economic activity are creating sustained demand for banking services across the value chain—ranging from working capital and project finance to trade finance, forex services, transaction banking, and retail financial products.

2. Credit momentum has picked up to high double-digit growth in FY26 and momentum may sustain in FY27

Banking system-level credit growth has accelerated to ~16% during FY26 from ~11% in FY25, led by both demand and policy initiatives. The rise in credit demand despite lagging broad based private capex recovery is showing up in the mix of loans, with greater pickup in share of working capital loans, demand loans, and other short-tenor facilities even as gradual decline is underway in the share of term loans and large corporate exposures. Going forward, in FY27, geopolitical uncertainty is likely to adversely impact growth amid spike in commodity prices, slowdown in capital flows, disruption in capex sentiment, yet potential spike in nominal GDP growth from ~8.5% in FY26 to projected ~12-14% in FY27 is likely to sustain credit growth around 13-16% range.

3. Sectoral credit opportunities are emerging with potential to be reaped

Opportunity lies in sectors such as electronics, semiconductors, renewables, electric vehicles, industrial machinery, medical devices, battery cells, food processing, data centres and logistics which are opening new lending and fee income opportunities, particularly in MSME-intensive clusters. This will create sustained demand for export credit, MSME financing, capex loans, and foreign exchange services. The opportunity lies in pre-shipment credit, bill discounting, supply chain financing, FX hedging solutions etc., thus, transitioning from traditional bank to a capex financing and project evaluation institution in the long run.

36 Threats

1. Geopolitics posing pressures on banking sector dynamics

The global environment remains uncertain with consistent disruptions due to global geopolitical events like Trump tariff related issues in 2025 followed by start of West Asian conflict from 2026. We compliment the policymakers, both the Government and the RBI, for undertaking appropriate steps in order to cushion the impact of geopolitical tensions on the economy especially the banking sector, yet the need for a cautious approach in undertaking business decisions is pertinent at the current juncture. The channels of impact on the banking sector have been witnessed via spike in market rates adversely affecting Treasury incomes, potential rise in stress in affected sectors especially MSMEs though policy steps are helping cushion impact among others.

2. AI/Digital advancement also poses challenges that need to be addressed

The banking sector itself is undergoing rapid transformation. Digital channels have become central to customer acquisition, servicing and engagement. Customer expectations have evolved sharply, with increasing emphasis on speed, convenience, transparency and seamless omnichannel experiences. Digitisation is also

weighing on deposit growth via promoting “Just in Time” approach in government deposits and use of digital payment /wealth management apps also reducing “float” time (money sitting idle) in CASA accounts.

Additionally, the shift from generative AI (writing content) to agentic AI (AI agents acting, such as buying/selling) requires new governance structures to manage accountability, liability, and operational risk. Also, there is need for specialized skills in IT, risk management, and data analytics to Mid-level staff. This presents a strategic staffing challenge in near midterm.

For Public sector banks, this transformation presents a dual challenge. On one hand, there is a need to compete effectively on technology, customer experience and product innovation apart from “heightened cyber risks” along with AI adoption related challenges. On the other, there is a responsibility to support Government programme, priority sectors and financial inclusion objectives.

This requires a strategy that is differentiated, focused and execution-driven, rather than one that attempts uniform expansion across all areas.

3. Structural rise in cost of deposit remains key underlying theme

In FY26, while credit growth spiked to 16.1%, deposit growth was lagging at 13.5%, with banks forced to fund Credit-deposit growth wedge is indicative of sustained fight for deposits amongst banks, including increased competition from alternative investment avenues such as mutual funds, equities, and digital financial products. Consequently, low cost CASA deposits have come under pressure for the overall banking system while reliance on high-cost bulk deposit has increased. This has implications for funding costs and hence margins from a medium term perspective as well.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 17/06/2026

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO



Corporate Governance Report

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India is committed to good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interests of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding their wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.
- 1.3 The Bank firmly believes that the self-discipline and sincerity of the Board and other stakeholders in carrying out their responsibilities provide the bedrock for a clean, transparent and trustworthy Corporate Governance regime which in turn will earn continuous support and trust of stakeholders.
- 1.4 To implement the best practices, the Board has framed a Code of Corporate Governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:
 - Functioning of Board and its various Committees
 - Compliance (Regulatory and Policy)
 - Relation with shareholders
 - Disclosures by Bank and its Directors
 - Corporate Social Responsibility and
 - Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct for Directors & Senior Management Personnel, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

- 1.5 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- 2.2 The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.
- 2.3 The Board has constituted various committees of the Board and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its committees meet at periodic intervals.
- 2.4 As on 31st March 2026, the Board comprised of five whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and four Executive Directors appointed by the Government of India besides four Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.5 The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The positions of CA category Director and Three Part-Time Non-Official Director to be nominated by the Central Government were vacant as on 31st March, 2026.

2.6 Composition of the Board of Directors as on 31st March 2026 is as under:

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
1	Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO	30.09.2025	MCB SRC RMC ITSC SCBMF DPC STCB HRSC CAC-I REMC CDRCF RCB WD BCCS	4500	1	Nil	Appointed as a Whole-Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 30.09.2025 or until further orders whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Marketing
2	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	10.03.2021	MCB SRC ITSC REMC HRSC CAC-I CDRCF BCCS	6725	1	Nil	Appointed as a Whole-Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 10.03.2021 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Government Notification dated 15.09.2025, the term of office of Shri Nitesh Ranjan has been extended for a period of three years beyond his notified term ending on 09.03.2026, or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics, Finance & Management, Banking
3	Shri Ramasubramanian S, Executive Director	21.11.2022	MCB SRC ITSC REMC HRSC CAC-I CDRCF BCCS	Nil	1	Nil	Appointed as a Whole-Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 21.11.2022 or until further orders, whichever is earlier. Further as per Government Notification dated 15.09.2025, the term of office of Shri Ramasubramanian S has been extended till the date of his superannuation i.e 30.06.2027 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance



Corporate Governance Report

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
4	Shri Sanjay Rudra, Executive Director	09.10.2023	MCB SRC ITSC REMC HRSC CAC-I CDRCF BCCS	Nil	2	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from the date of assumption of office i.e. from 09.10.2023 and up to date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2026) or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Risk, Banking & Finance Management
5	Shri Amresh Prasad, Executive Director	24.11.2025	MCB SRC ITSC REMC HRSC CAC-I CDRCF BCCS	Nil	1	Nil	Appointed as a Whole-Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years w.e.f. the date of assumption of charge of the office i.e. 24.11.2025 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e., 31.10.2028 or until further orders, whichever is earlier Area of Expertise: Banking & Finance
6	Shri Rohan Chand Thakur, Government Nominee Director (Non-Executive) (till 13-05-2026)	25.07.2025	ACB SRC ITSC SCBMF DPC REMC HRSC BCPE	Nil	2	Nil	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from 25.07.2025 to 13.05.2026. Area of Expertise: Economics, Management & Finance
7	Dr. Debasish Prusty Government Nominee Director (Non-Executive) (w.e.f. 13.05.2026)	13.05.2026	ACB SRC ITSC SCBMF DPC REMC HRSC BCPE	Nil	2	Nil	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from 13.05.2026 to hold the post until further orders Area of Expertise: Finance & Management, Banking

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
8	Shri Prakash Baliarsingh, RBI Nominee Director (Non-Executive)	14.07.2023	MCB ACB DPC	Nil	2	Nil	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from 14.07.2023 to hold the post until further orders. Area of Expertise: Banking Regulations and supervision, Finance
9	Shri Suraj Srivastava Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent) (till 10.04.2026)	11.04.2025	ACB SRC RMC ITSC SCMF STCB NRC RCBWD HRSC CDRCF BCCS	Nil	2	1	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 and ceased to be director on 11.04.2026. Area of Expertise: Audit, Taxation and Finance
10	Dr. Priti Jay Rao Shareholder Director (Independent Non-Executive)	29.07.2021	ACB SRC RMC ITSC NRC CDRCF BCPE STCB	3000	2	Nil	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 29.07.2024 to 28.07.2027. Area of Expertise: Information Technology, HR & CSR
11	Shri Prakash Chandra Kandpal Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27.07.2024	MCB RMC SCBMF RCBWD SRC ITSC NRC HRSC BCCS	300	1	3	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 27.07.2024 to 26.07.2027. Area of Expertise: Banking, HR, Operations, Insurance and Mutual funds

**Corporate Governance Report****\$ Abbreviations of Committee Names**

ACB	-	Audit Committee of the Board
BCPE	-	Board Committee for Performance Evaluation
CAC -I	-	Credit Approval Committee – I
CDRCF	-	Committee of Directors for Raising of Capital Fund
RMC	-	Risk Management Committee
SCBMF	-	Special Committee of the Board for monitoring and follow-up cases of Frauds
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
DPC	-	Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-vigilance
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board
HRSC	-	Human Resource Sub-Committee of the Board
ITSC	-	Information Technology Strategy Committee
MCB	-	Management Committee of the Board
NRC	-	Nomination & Remuneration Committee
RCBWD	-	Review Committee of the Board for Willful Defaulters
REMC	-	Recovery Management Committee of the Board
BCCS	-	Board Committee for Compromise Settlements

2.7 Appointments/Cessations during the Financial Year 2025-26:

Appointments: The following new directors inducted on the Board during the financial year 2025-26: -

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
1.	Shri Suraj Srivastava	52	11.04.2025	One year from the date of notification i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier	Audit, Taxation & Finance	Shri Suraj Srivastava is a Fellow Member of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and a Bachelor of Laws (LL.B.). Shri Srivastava has a rich professional experience of over 16 years as a practicing Chartered Accountant in taxation and audit practice.
2.	Shri Asheesh Pandey	54	30.09.2025	Three years or until further orders	Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations	Shri Asheesh Pandey is a seasoned Banker with experience of more than 27 years. He started his career from erstwhile Corporation Bank. Prior to assuming the current position, he worked as an Executive Director of the Bank of Maharashtra and Chief General Manager of the Union Bank of India. Shri Pandey has an experience of handling diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He has also played an important role in the re-engineering, harmonization.

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
3.	Shri Rohan Chand Thakur	40	24.07.2025	Until further orders	Finance, IT and Taxation	Shri Rohan Chand Thakur is an officer of Indian Administrative Service (IAS) belonging to 2009 batch of Himachal Pradesh Cadre. At present, he is working as Director in Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India. He is an economics graduate from St. Stephen's College, Delhi and a Postgraduate in Management from IIM Ahmedabad. Experience in Government of Himachal Pradesh: i. District Collector of Hamirpur and Shimla. ii. Director of Information Technology. iii. Managing Director of Skill Development & Entrepreneurship Department. iv. Managing Director of Himachal Pradesh Financial Corporation, v. Excise and Taxation Commissioner. vi. Managing Director of Himachal Road Transport Corporation. He has previously worked with TAS before joining the civil services. He is also a Chevening Gurukul Fellow from the University of Oxford and a Master of Public Administration from Harvard Kennedy School, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
4.	Shri Amresh Prasad	57	24.11.2025	Three years from the date of assumption of office i.e., 24 th November 2022 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e., 31.10.2028 or until further orders, whichever is earlier	Corporate Credit, Credit Review and Monitoring, Transaction Monitoring	Prior to assuming the office as the Executive Director of Union Bank of India, Shri Amresh Prasad was the Chief General Manager of Punjab National Bank posted at corporate office. He has rich banking experience of over 32 years from branch banking, Zonal Offices to Head Office level, which includes Corporate Credit, Credit Review and Monitoring, Transaction Monitoring etc. He is a graduate in Chemistry and Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIB). Shri Prasad has attended various training and Leadership Development Programs and has taken part in Leadership Development Program at SBIL Kolkata. He has also completed Aarohan 2023 FSIB Program conducted by Financial Services Institution.

**Corporate Governance Report**

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
5.	Dr. Debasish Prusty	49	13.05.2026*	Until further orders	Finance & Management, Banking	Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and Development Cooperation and Environmental and Urban Governance. He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India. In the international negotiations in the conference of parties held under the United Nations Conference on Climate Change (UNFCCC) he had represented India's negotiating team. He was a member of the standing committee on Finance of the UNFCCC in 2016. He has been conferred the Doctor of Philosophy from the Management Department of the Manipal University Jaipur and the Master of philosophy in Environmental sciences from the Jawaharlal Nehru University, Delhi, India. Dr. Prusty is well trained from the International Monetary Fund (IMF) in the field of Finance for Macro-economists.

*Dr. Debasish Prusty Nominated as Government Nominee Director vice Shri Rohan Chand Thakur on 13.05.2026.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2025-26:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Ms. A. Manimekhalai	Managing Director & CEO	02.06.2025	Completion of Tenure
2.	Shri Pankaj Dwivedi	Executive Director	24.06.2025	Appointment cancelled by the Central Government
3.	Shri Sameer Shukla	Government Nominee Director	24.07.2025	GOI nominated Shri Rohan Chand Thakur in place of Shri Sameer Shukla
4.	Shri Srinivasan Varadarajan,	Non-Executive Chairman and Part-Time Non-Official Director	06.11.2025	Completion of Tenure

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
5.	Shri Suraj Srivastava	Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent)	11.04.2026@	Completion of Tenure
6.	Shri Rohan Chand Thakur	Government Nominee Director	13.05.2026#	GOI nominated Dr. Debasish Prusty in place of Shri Rohan Chand Thakur #

Accordingly, Shri Rohan Chand Thakur completed his tenure on 13.05.2026.

@ Shri Suraj Srivastava completed his tenure on 11.04.2026.

2.8 Inter-se relationship of Directors:

There is no inter-se relationship amongst the Directors.

2.9 Committee Membership of Directors:

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he / she was a director during the year 2025-26.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he /she was a director as on 31st March, 2026 are given here under:

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee	Member/Chairman
1	Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO	Union Bank of India	SRC	Member
2	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
3	Shri Ramasubramanian S, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
4	Shri Sanjay Rudra, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
5	Shri Amresh Prasad, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
6	Shri Rohan Chand Thakur, Govt. Nominee Director (Till 13.05.2026)	Union Bank of India	SRC	Member
			ACB	Member
7	Dr. Debasish Prusty, Govt Nominee Director (w.e.f. 13.05.2026)	Union Bank of India	ACB	Member
8	Shri Prakash Baliarsingh, RBI Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
		UBI Services Limited	ACB	Member
9	Shri Suraj Srivastava, Part-Time Non-Official Director (Till 10.04.2026)	Union Bank of India	ACB	Chairperson
			SRC	Member
10	Shri Prakash Chandra Kandpal Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Chairperson
		Tata AIG General Insurance Company Limited	ACB	Chairperson
		Nucleus Software Exports Limited	SRC	Member
			ACB	Chairperson
11	Dr. Priti Jay Rao, Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Member
			ACB	Member



Corporate Governance Report

2.10 Details of Familiarization Programmes attended by Directors: The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link: <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>

2.11 In terms of requirement of Schedule V of the Listing Regulations, a Practicing Company Secretary has certified that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the SEBI / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority and the certificate from Practicing Company Secretary in this regard forms part of Annual Report.

2.12 The Board of Directors of the Bank confirms that the independent directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Twenty Third Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Friday, 01st August 2025 through VC/OAVM where the following directors were present:

Name	Designation
Shri Srinivasan Varadarajan	Chairman
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director
Shri Ramasubramanian S	Executive Director
Shri Sanjay Rudra	Executive Director
Shri Suraj Srivastava	Part-Time Non-Official Director
Shri Prakash Chandra Kandpal	Shareholder Director
Dr. Priti Jay Rao	Shareholder Director

4. BOARD MEETINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2025-26:

The Board met 22 times during the year 2025-26. Details of meetings are given below:

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	23 April 2025	12.	24 October 2025
2.	08 May 2025	13.	30 October 2025
3.	05 June 2025	14.	03 November 2025
4.	13 June 2025	15.	12 November 2025
5.	25 June 2025	16.	08 December 2025
6.	19 July 2025	17.	06 January 2026
7.	25 July 2025	18.	14 January 2026
8.	14 August 2025	19.	28 January 2026
9.	29 August 2025	20.	05 February 2026
10.	15 September 2025	21.	23 February 2026
11.	29 September 2025	22.	17 March 2026

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

Sl. No.	Name of the Committees	Sl. No.	Name of the Committees
1.	Management Committee of the Board (MCB)	9.	Nomination & Remuneration Committee (NRC)
2.	Audit Committee of the Board (ACB)	10.	Share Transfer Committee of the Board (STCB)
3.	Risk Management Committee (RMC)	11.	Review Committee of the Board for Willful Defaulters (RCBWD)
4.	IT Strategy Committee (ITSC)	12.	Credit Approval Committee-I(CAC-I)
5.	Recovery Management Committee of the Board (ReMC)	13.	Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/Non-vigilance (DPC)

Sl. No.	Name of the Committees	Sl. No.	Name of the Committees
6.	Special Committee of the Board for monitoring and follow-up cases of Frauds (SCBMF)	14.	Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)
7.	HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)	15.	Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
8.	Stakeholders Relationship Committee (SRC)	16.	Board Committee for Compromise settlements (BCCS)

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board consists of -

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO
2	Executive Directors
3	RBI Nominee Director
4	Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of one year and may be re-nominated thereafter for a period of six months each for two times.

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/ review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

During the year 2025-26, 31 meetings of MCB were held.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1	24 April 2025	17	16 October 2025
2	06 May 2025	18	29 October 2025
3	23 May 2025	19	13 November 2025
4	31 May 2025	20	26 November 2025
5	09 June 2025	21	08 December 2025
6	19 June 2025	22	18 December 2025
7	26 June 2025	23	23 December 2025
8	08 July 2025	24	30 December 2025
9	18 July 2025	25	13 January 2026
10	29 July 2025	26	31 January 2026
11	07 August 2025	27	23 February 2026
12	22 August 2025	28	26 February 2026
13	30 August 2025	29	17 March 2026
14	09 September 2025	30	24 March 2026
15	18 September 2025	31	30 March 2026
16	26 September 2025		

5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB at present consists of following members -

Sl. No.	Members
1	Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India
2	Three other Non-Executive Directors / Independent Directors

Executive Directors are the invitees to the meeting.

Shri Suraj Srivastava, Non-Executive Independent Director chaired the Committee.

Company Secretary acts as Secretary to the ACB in terms of Regulation 18(1)(e) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.



Corporate Governance Report

5.2.2 Functions:

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides directions as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. In addition to the above, the functions of the Audit Committee include the role of the Audit Committee and review of information by audit committee as defined under Part - C of Schedule II - Corporate Governance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The Committee met 13 times during the year 2025-26. Details of meetings are given below:

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	08 May 2025	8.	17 October 2025
2.	22 May 2025	9.	30 October 2025
3.	24 June 2025	10.	24 December 2025
4.	19 July 2025	11.	14 January 2026
5.	24 July 2025	12.	06 March 2026
6.	30 August 2025	13.	16 March 2026
7.	18 September 2025		

5.3 Risk Management Committee (RMC)

5.3.1 Composition:

The Bank had constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines, now covered under provisions of Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Board of Directors shall constitute a Risk Management Committee (RMC) in top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization. Considering the similarity in functions, the Board in its meeting dated 06.12.2019 changed the name of Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM) to Risk Management Committee (RMC).

The Committee consists of the following members :

Sl. No.	Members
1	Non-executive Director (Chairman)
2	Managing Director & CEO
3	Three Non-Executive / Independent Directors

5.3.2 Functions:

The Committee is constituted to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

Ministry of Finance, Govt. of India vide letter no. F.No. 16/19/2019-BO. Idated 30.08.2019, envisaged institution of a Risk Appetite Framework for a structured approach to manage, measure and control risk, consisting of - i.

A Risk Appetite Statement and Risk Limits for the Bank;
 ii. Policies, Processes, Controls and Systems for both material and reputational risks iii. Delineation of roles and responsibilities for overseeing implementation and monitoring.

It was further envisaged that the Risk Management Committee may be given a mandate to periodically review adherence to the Risk Appetite framework of the Bank and to fix accountability in the event of breach of approved Risk Appetite

The Committee met 4 times during the year 2025-26. Dr. Priti Jay Rao is the chairperson of this committee.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	20 June 2025	3.	05 January 2026
2.	21 August 2025	4.	16 March 2026

5.4 Special Committee of the Board for monitoring and follow-up cases of Frauds (SCBMF)

5.4.1 Composition:

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of ₹1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

Sl. No.	Members
1	Non-executive Director (Chairman)
2	Managing Director & CEO
3	Two members from the Audit Committee of the Board
4	Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of Rs 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae, if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee met 4 times during the year 2025-26. Shri Prakash Chandra Kandpal chaired the committee under report.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	23 May 2025	3.	23 December 2025
2.	21 August 2025	4.	16 March 2026

5.5 Recovery Management Committee of the Board (ReMC)

5.5.1 Composition:

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO
2	Executive Directors
3	Government of India Nominee Director

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank is the chairperson of the Committee.

**Corporate Governance Report****5.5.2 Functions:**

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

The Committee has held 3 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	24 June 2025	3.	05 January 2026
2.	29 September 2025		

5.6 Human Resources Sub-Committee of the Board (HRSC)**5.6.1 Composition:**

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank is the chairperson of the Committee.

5.6.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

- Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
 - Succession planning.
- Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
- Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - Reward and incentives
 - Promotions
 - Deployment
- Training
 - Specialist business skills training
 - General retraining / reorientation for all staff

5. IT automation of all HR related activities

The Committee has held 3 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	23 May 2025	3.	21 January 2026
2.	22 September 2025		

5.7 Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC)**5.7.1. Composition:**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Shri Prakash Chandra Kandpal, Shareholder Director, chaired the committee under report.

5.7.2. Functions:**Stakeholders related:**

- Monitoring and resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

Customer Service related:

- To oversee the functions of overall customer grievance redressal in the Bank
- To monitor the customer services and guide in improving the customer service in the Bank
- To frame and review the Policies in the interest of customers' interest protection.

Corporate Social Responsibility related:

1. To review the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank
2. To approve and review the activities / projects undertaken by the Union Bank Social Foundation Trust periodically.

ESG related:

1. To exercise oversight over ESG related activities.
2. Provide strategic guidance and oversight over all matters and activities relating to ESG;
3. Monitor implementation and execution of ESG related initiatives and policies;
4. Assess impact of various ESG initiatives;
5. Review disclosure of ESG matters to internal and external stakeholders;
6. Identify and recommend to the Board and the Committees of the Bank, the emerging risks related to ESG

The Committee has held 4 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	20 June 2025	3.	23 December 2025
2.	22 September 2025	4.	16 March 2026

5.7.3. Name & Designation of Compliance Officer:

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Ashish Mishra has been appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances w.e.f. 28.01.2026.

5.7.4. Details of Shareholder Complaints during the year 2025-26:

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2026 vis-à-vis 31.03.2025 is as under: -

Sr. No	Particulars	For F.Y. ended 31.03.26	For F.Y. ended 31.03.25
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	0	0
b.	No. of shareholders complaints received during the year	22	15
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	22	15
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	0	0

5.8 Information Technology Strategy Committee (ITSC)**5.8.1 Composition:**

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

Sl. No.	Members
1.	Managing Director & CEO
2.	Executive Directors
3.	Govt. Nominee Director
4.	Two Non-Executive Directors one of whom shall be independent Director
5.	One Outside IT Expert
6.	Chief Information Officer (CGM/GM heading the IT function of the Bank)

The Committee has held 4 meetings during the year 2025-26

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	24 April 2025	3.	23 December 2025
2.	22 August 2025	4.	16 March 2026

Shri Prakash Chandra Kandpal, Shareholder Director chaired the committee under report.

5.8.2 Functions:

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.

**Corporate Governance Report**

- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advise, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

5.9 Nomination & Remuneration Committee (NRC)

The Bank earlier had two separate Committees viz. Nomination Committee and Remuneration Committee constituted in terms of earlier guidelines issued by RBI and MOF. MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised that in place of separate Nomination Committee of the Board and Remuneration Committee of the Board, the Bank may constitute a single committee named Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions entrusted to the said two committees and having composition as specified Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025 dated 28th November 2025.

Thus, pursuant to the above-mentioned MOF guidelines, the Board of Directors approved the constitution of a single Nomination and Remuneration Committee (NRC) in place of two separate Committees.

5.9.1 Composition:

As per the Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025 dated 28th November 2025, In terms of Para 22 of this directions, the Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of the Committee at present is as under:

Sl. No.	Members
1	Non-executive Director (Chairman)
2	Two Non-Executive Directors nominated under section 9(3)(h) of the Act

5.9.2 Functions:

To undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Prakash Chandra Kandpal, Shareholder Director chaired the committee under report.

The Committee met 2 times during FY 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting
1.	20 June 2025
2.	15 September 2025

5.10 Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-vigilance (DPC)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Directors Promotion Committee (DPC) and Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/Non-Vigilance (DPC-V).

MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and considering the MOF guidelines dated 24.10.1990 and basic composition, decided to merge Directors' Promotion Committee and Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non-Vigilance w.e.f. 06.12.2019.

5.10.1 Composition:

The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below-

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO
2	Government Nominee Director
3	RBI Nominee Director

Independent members / Outside experts to be inducted while conducting interview for the promotion process from Scale VI to VII and Scale VII to VIII.

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.10.2 Functions:

- To conduct Promotion Process from TEGS VI to TEGS VII and TEGS VII to TEGS VIII, consider appeals of Executives in TEGS VI & VII against non-promotions to TEGS VII & VIII respectively,
- to consider promotions to TEGS VII & VIII in cases where Sealed Cover Procedure is adopted
- To review Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.
- To review APAR marks of Top Executives upon their representation within 15 days from the date of disclosure.
- To review the appeal against the Regular Departmental Action for major penalty for General Managers

The Committee has held 2 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting
1.	15 September 2025
2.	21 January 2026

5.11 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

5.11.1 Composition:

The Committee consists of:

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO or in absence, Executive Director in charge of Board Secretariat
2	Two Non-Executive Directors

Shri Asheesh Pandey, MD & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.11.2 Functions:

With a view to affecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25.01.2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialized mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate.
- Claim from Unclaimed Suspense Account.
- Renewal / Exchange of securities certificate.
- Endorsement.
- Sub-division / Splitting of securities certificate.
- Consolidation of securities certificates / folios.
- Transmission.
- Transposition.

The Committee met 4 times during FY 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	20 June 2025	3.	23 December 2025
2.	29 August 2025	4.	17 March 2026

5.12 Review Committee of the Board for Willful Defaulters (RCBWD)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB) and Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCBWD). MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its committees and based on the composition of the above two committees, decided to merge the same and to constitute a single Committee for identification of Willful Defaulters and classification of Non-Cooperative Borrowers namely Review Committee for Non-

**Corporate Governance Report**

Cooperative Borrowers and Willful Defaulters with the following composition w.e.f. 06.12.2019 -

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO
2	Any two Independent Directors

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.12.1 Functions:

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- On a half-yearly basis reviews the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.
- Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Willful Defaulters.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.

The Committee has held 3 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1.	25 June 2025	3.	24 March 2026
2.	18 July 2025		

5.13 Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)**5.13.1 Composition:**

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.13.2 Functions:

The Committee is authorized by the Board / Shareholders, as the case may be to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to

employees, customers, existing shareholders and/ or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

The Committee has held one meeting on 14 August 2025 during the year 2025-26.

5.14 Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)**5.14.1 Composition:**

Ministry of Finance vide communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 advised the Bank to constitute a Board Committee for Performance Evaluation of Managing Directors & CEO, Executive Directors in charge of internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of internal control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the bank.

Further as per MOF communication dated 14.11.2019, the Board Committee for Performance Evaluation is to be constituted with the approval of the Board with following members -

Sl. No.	Members
1	Non-Executive Director (Chairman)
2	Government Nominee Director
3	Longest serving Shareholder Director on the Board

In case of vacancy in the office of NEC, the Chairman of Audit Committee of the Board shall be a member of the Committee in place of NEC.

5.14.2 Functions:

To appraise, review and accept the Annual Performance Appraisal Reports of the Managing Director and CEOs, Executive Directors and Chief General Managers in charge of Risk, Compliance and Audit.

The Committee has held One meeting on 22 September 2025 during the year 2025-26.

5.15 Credit Approval Committee-I (CAC-I)**5.15.1 Composition:**

As per clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 800 crore (in case of A & above externally rated accounts having valid rating) and up to ₹ 600 crores in case of other accounts and group exposure upto ₹ 800 crore and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

Sl. No.	Members
1	Managing Director & CEO
2	Executive Directors
3	Chief General Manager / General Manager in-charge of the Credit
4	Chief General Manager / General Manager in-charge of the Finance/Chief Financial Officer
5	Chief General Manager / General Manager in-charge of Risk Management

Shri Asheesh Pandey, Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.15.2 Functions:

All credit related matters including approval/review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

The Committee has held 25 meetings during the year 2025-26.

Sl. No.	Date of Meeting	Sl. No.	Date of Meeting
1	09 April 2025	14	20 October 2025
2	24 April 2025	15	29 October 2025
3	07 May 2025	16	19 November 2025
4	19 May 2025	17	10 December 2025
5	09 June 2025	18	16 December 2025
6	21 June 2025	19	24 December 2025
7	14 July 2025	20	05 January 2026
8	29 July 2025	21	17 January 2026
9	12 August 2025	22	11 February 2026
10	28 August 2025	23	05 March 2026
11	19 September 2025	24	23 March 2026
12	25 September 2025	25	25 March 2026
13	17 October 2025		

6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
21 st Annual General Meeting	4 th August, 2023 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines for an amount not exceeding ₹ 10,100 Crore. Appointment of Shri Laxman S Uppar (DIN: 02453845) as Part - Time Non-Official (Independent) Director of the Bank. Appointment of Shri Srinivasan Varadarajan (DIN: 00033882) as Part-Time Non-Official (Independent) Director and Non-Executive Chairman of the Bank.

5.16 Board Committee for Compromise Settlements (BCCS)

5.16.1 In terms of RBI Communication RBI/2023-24/40-DOR.STR.REC.20/21.04.048/2023-

24 dated June 8, 2023, a new Committee with the name Board Committee for Compromise Settlements (BCCS) is constituted for approval of Compromise Settlements. The delegation powers for such approvals vest with an authority which is at least one level higher in hierarchy than the authority vested with power to sanction the credit/investment exposure

5.16.2 Composition: The committee shall consist of:

Sl. No.	Members
1	Managing Director & Chief Executive Officer (Permanent Member)
2	All Executive Directors (Permanent Members)
3	Two Non-Executive Directors/Independent Directors nominated under u/s 9 (3) (g) / (h) / (i) of the Act.

5.16.3 Functions:

- The credit proposals sanctioned by MCB, for compromise settlement and Technical write off the proposals shall be placed to this committee.
- The Compromise settlements and technical write offs approved by the MD & CEO/ BCCS would be reported to the Board on quarterly basis.

Managing Director & CEO to be the Chairman of the Committee.

5.16.4 Frequency: As and when required

5.17 The details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during the year is appended at the end of this Corporate Governance Report.



Corporate Governance Report

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
22 nd Annual General Meeting	26 th July 2024 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines for an aggregate amount not exceeding ₹ 10,000 crore. To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government.
23 rd Annual General Meeting	01 st August 2025 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines. Appointment of Shri Suraj Srivastava (DIN: 09444372) as Part-Time Non-Official Director of the Bank. Appointment of Shri Rohan Chand Thakur (DIN: 07944078) as Government Nominee Director of the Bank. Appointment of M/s Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries as a Secretarial Auditor of the Bank for a period of 2 years from FY2025-26 to FY 2026-27.

7. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, Gol and SEBI.

It is stated that the Bank is complying with the applicable mandatory requirements of Listing Regulations.

There is no case where Board of the Bank has not accepted the recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required in the financial year 2025-26.

No such agreement binding on the Bank has been entered as enumerated under Clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 during the FY 2025-26.

Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 Remuneration of Directors:

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time

directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees:

The Directors appointed under clause (e), (f), (g), (h) and (i) of sub-section (3) of section (9) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, are entitled to sitting fees as mentioned below in accordance with circular F.No.15/1/2011-BO.I dated October 28, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, in terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks Scheme for attending meetings of the Board and meetings of the committees of the Board, along with additional fees for chairing the meeting of the Board and for chairing the meeting of committees of the Board, as decided by the Board of Directors.

The Board of Directors in its meeting held on February 05, 2026, approved payment sitting fees of ₹90,000 with effect from October 28, 2025 for attending per meeting of the Board and ₹45,000 for attending per meeting of the committees of the Board. Additional fees of ₹10,000 for chairing per meeting of the Board and ₹5,000 for chairing per meeting of committees of the Board was also approved.

The above information is also available on Bank's website under following link: <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>

Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 Particulars of Senior Management including the changes therein since the close of the previous financial year :

Sl. No.	Name of Person	Designation	Place of Posting
1	Shri Biraja Prasad Das	CGM	Zonal Head - Mumbai
2	Shri Tata Venkat Venugopal	CGM	Deptt. Of Information Technology
3	Shri Anil Kuril	CGM (CISO)	CISO
4	Shri G K Sudhakar Rao	CGM	AGRI & FI
5	Shri Vipin Singh	CGM	Audit & Inspection
6	Shri Mangesh Mandrekar	Ex-Company Secretary	Board Sectt.
7	Shri Ashish Mishra	Company Secretary	Board Sectt.
8	Shri Avinash Basant Prabhu	Ex-Chief Financial Officer	Finance & Accounts
9	Shri Dharendra Jain	Chief Financial Officer	Finance & Accounts
10	Shri Sarvesh Ranjan	CGM	Central Recon, Transaction Monitoring & AML

7.3 Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.4 Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them by the Bank for their attendance in the Board and Committee meetings of the Board of the Bank.

7.5 Proceeds/utilization from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:

During the year 2025-26, the Bank has not raised any equity capital but issued and allotted Senior, rated, listed, unsecured, redeemable, taxable, transferable Long Term fully paid- up Non-Convertible Bonds in the

nature of Debentures (Series I) eligible for financing of infrastructure & affordable housing of the Bank, of face value ₹1.00 Lakh each ("Bonds") for cash at par aggregating ₹ 3,000 Crore on private placement basis.

Bank has utilised the proceeds of the issue for funding/ refinancing long term projects in infrastructure sub-sectors and affordable housing in India. A certificate from Statutory Central Auditor of the Bank on end use of funds raised through aforementioned Bonds has been obtained by the Bank.

7.6 Penalties or Strictures:

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.7 Whistle Blower Policy:

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link - <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.



Corporate Governance Report

7.8 Policy for determining Material Subsidiary:

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures> However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.9 Related Party Transaction Policy:

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

The Bank didn't have any materially significant related party transactions that had potential conflict with the interest of the Bank at large during the FY 2025-26.

7.10 Dividend Distribution Policy:

The Bank has formulated Policy for declaration of dividend for the year 2025-26. The said policy can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-and-disclosures>

7.11 Takeover Code:

The Bank has also complied from time to time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

7.12 Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
1 st April 2025 to 10 th May 2025	Declaration of Financial Results for the year ended 31 st March 2025.
1 st July 2025 to 21 st July 2025	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 th June 2025.

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
1 st October 2025 to 01 st November 2025	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 th September 2025.
1 st January 2026 to 16 th January 2026	Declaration of Financial Results for the year ended 31 st December 2025.

7.13 Management Discussion and Analysis:

The same has been given separately in the Annual Report.

Compliance Reports on Corporate Governance:

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to BSE Ltd. (BSE) & National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) within stipulated timeline.

7.14 Dissemination of Information on Website:

The Bank has disseminated the required information under clauses (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.bank.in.

7.15 Details of Fees paid to Statutory Auditors:

Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis, to Statutory Auditors during Financial Year 2025-26 is ₹ 90.27 Crore.

7.16 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

- number of complaints pending as on 31.03.2025: 3 (Three)
- number of complaints filed during the financial year 2025-26: 08 (Eight)
- number of complaints disposed of during the financial year 2025-26: 10 (Ten)
- number of complaints pending as on end of the financial year 2025-26: 1 (One)

7.17 Branch Network:

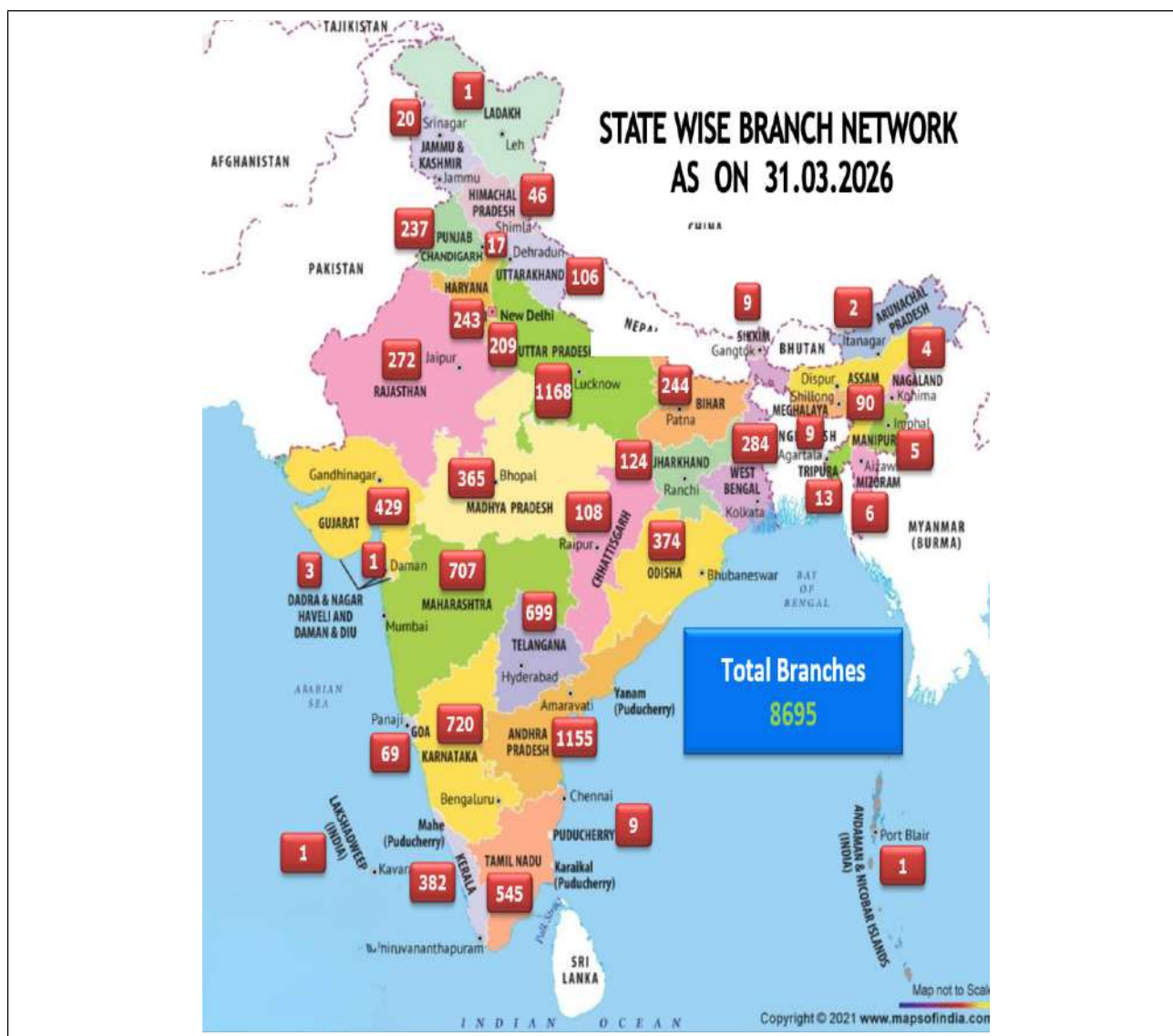
- The branch network of your Bank is widely spread across the country with 8,695 branches and 2 overseas branches (Sydney, Dubai DIFC) as on March 31, 2026. Out of these 59 percent of the branches are in rural and semi-urban centres.

- As on 31.03.2025 your bank was having total 8,619 branches and 02 overseas branches. During FY 2025-26 total 24 branches were rationalized and 100 new branches were opened

The category-wise Branch Network on 31.03.2026 is as follows: -

ROW LABELS	RURAL	SEMIURBAN	URBAN	METRO	GRAND TOTAL
Total Branches as of 01.04.2025	2597	2521	1735	1766	8619
Rationalised during F.Y. 2025-26	0	-8	-8	-8	-24
Opened During F.Y 2025-26	27	44	20	9	100
Change in Category by RBI	-1	-4	-12	-1	-18
	+5	+9	+4		+18
Total As of 31.03.2026	2628	2562	1739	1766	8695

State wise position of branches as on 31.03.2026 in India is shown in the Map Below.





Corporate Governance Report

7.18 Credit Rating

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2025-26, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

Rating Agency	Basel III		Certificates of Deposits	Infrastructure Bond	Outlook	ESG Rating
	Additional Tier 1	Tier 2				
Brickwork	BWR AA+	BWR AAA	-	-	Stable	-
CRISIL	CRISIL AA+	CRISIL AAA	-	-	Stable	-
CARE	CARE AA+	CARE AAA	-	CARE AAA	Stable	CareEdge ESG+1
India Ratings	IND AA+	IND AAA	IND A1+	-	Stable	-
ICRA Ltd	-	ICRA AAA	ICRA A1+	CARE AAA	Stable	-

FITCH Ratings Ltd

Category	Rating
Long Term Issuer Default Rating (IDR)	"BBB-" Outlook Stable
Short Term Issuer Default Rating (IDR)	F3
Viability Rating (VR)	bb

Standard & Poor's Global Ratings

Category	Rating
Issuer Credit Rating (Long term/ Short Term)	BBB/Stable/A-2
SACP	bbb-
Outlook: Stable	

7.19 Details of Material Subsidiaries of the Bank: None of the Subsidiaries of the Bank is a Material Subsidiary.

8. MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), The Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.bank.in Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website under the head "Investor Relations".

9. SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 Financial Year – 1st April 2025 to 31st March 2026

9.2 Listing of Equity Shares & Bonds - The Bank's equity shares are listed on BSE and NSE and Bonds listed on NSE. The details of stock scrip code are as follows: -

Name	Code
BSE Limited (BSE), Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE), Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051	UNIONBANK-EQ UBI-AT/BB

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2026-27 has been paid to NSE on 17-04-2026 and BSE on 30-04-2026.

The Bank has issued Unsecured Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) and long-term bonds for financing of infrastructure & affordable housing from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2026 are as under:

Sl. No.	ISIN	Bond Description	Series	Amount (₹ in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate (% p.a)
1	INE692A08029	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XX	1,000	15-Sep-16	Perpetual	9.50
2	INE692A08169	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXII	2,000	22-Nov-21	Perpetual	8.70
3	INE692A08177	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXIII	1,500	20-Dec-21	Perpetual	8.40
4	INE692A08185	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXIV	1,500	02-Mar-22	Perpetual	8.50
5	INE692A08193	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXV	1,320	25-Jul-22	Perpetual	8.69
6	INE692A08227	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXVII	663	23-Dec-22	Perpetual	8.40
7	INE692A08045	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXII	750	24-Nov-16	24-Nov-26	7.74
8	INE112A08051	Basel III Compliant Tier II	Bond Series II	1,000	8-Nov-19	8-Nov-29	8.93
9	INE692A08102	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXVI	1,000	26-Nov-20	26-Nov-35	7.18
10	INE692A08144	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXX	850	24-Jun-21	24-Jun-31	7.19
11	INE692A08151	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXXI	1,150	9-July-21	9-July-36	7.25
12	INE692A08219	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXXVI-A	1,500	29-Nov-22	29-Nov-37	7.85
13	INE692A08201	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXXVI-B	700	29-Nov-22	29-Nov-32	7.80
14	INE692A08235	Infrastructure Bond	Bond Series I	3,000	24-Mar-26	24-Mar-36	7.16
Total				17,933.00			

9.3 Dividend:

The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 5.00 per equity share of face value ₹ 10/- for FY 2025-26, after deducting applicable taxes (if any).

Particulars of AGM:

Board Meeting for considering Accounts	Thursday, 23 rd April 2026
Date, Time & Venue of AGM	Friday, 10 th July 2026 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) facility at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting)
Dates of Book Closure	Starts on Saturday, 04 th July 2026 and ends on Friday, 10 th July 2026 (both days inclusive)
Opening & Closing of E-Voting	Starts on Tuesday, 07 th July 2026 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 09 th July 2026 (5:00 p.m. IST)

*Corporate Governance Report***9.4 Financial Calendar:**

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2026-27 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2026	By July 31, 2026
For the quarter ending September 30, 2026	By October 31, 2026
For the quarter ending December 31, 2026	By January 31, 2027
For the year ending March 31, 2027	By April 30, 2027

9.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019, thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25.01.2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialized mode only while processing the following service requests:

- i. Issue of duplicate securities certificate;
- ii. Claim from Unclaimed Suspense Account;
- iii. Renewal / Exchange of securities certificate;
- iv. Endorsement;
- v. Sub-division / Splitting of securities certificate;
- vi. Consolidation of securities certificates / folios;
- vii. Transmission;
- viii. Transposition;

The Shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR- 4 (ISR - 5 for Transmission) and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of Confirmation shall be valid for 120 days from the date of its issuance within which the shareholder / claimant shall make a request to the depository participant for dematerializing the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation Issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed KFIN Technologies Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Central Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

Registrar & Share Transfer Agent (RTA) KFIN Technologies Limited Unit: Union Bank of India Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 Toll Free /Phone No: 1800 309 4001 Dedicated Toll Free Number for Senior Citizens : 1800 309 4006 WhatsApp Number: (91) 910 009 4099 Email: einward.ris@kfintech.com Investor Support Centre : https://kprism.kfintech.com KFINTECH Corporate Website : https://kfintech.com RTA Website : https://ris.kfintech.com KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/signup	1. Debenture Trustee IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001 Tel- (022) 40807001 Fax- (022) 66311776 Email: itsl@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com 2.Catalyst Trusteeship Limited Unit No-901, 9th Floor, Tower-B, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel. No. +91 22 4922 0555 Website: www.catalysttrustee.com E-mail: compliancectl-mumbai@ctltrustee.com	Company Secretary Investor Services Division Union Bank of India 12 th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021. Tel-(022) 2289 6636 Fax-(022) 22025238 Email: investorservices@unionbankofindia.bank.in
--	---	---

9.6 Other communications:

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The Bank sent Half-yearly Communication through email to all the shareholders whose email id is registered with the Bank / DP.

9.7 Dematerialisation of shares:

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd.

(CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE692A01016.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/ mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2026 are as under:

Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	77,427	1,44,29,265	0.19
Demat			
NSDL	3,13,105	1,73,52,02,156	22.73
CDSL	5,37,965	5,88,39,74,186	77.08
TOTAL	9,28,497	7,63,36,05,607	100.00

Note: Entire Shareholding of the Promoter of the Bank is in Dematerialized Form.

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Company Secretary has also conducted reconciliation

**Corporate Governance Report**

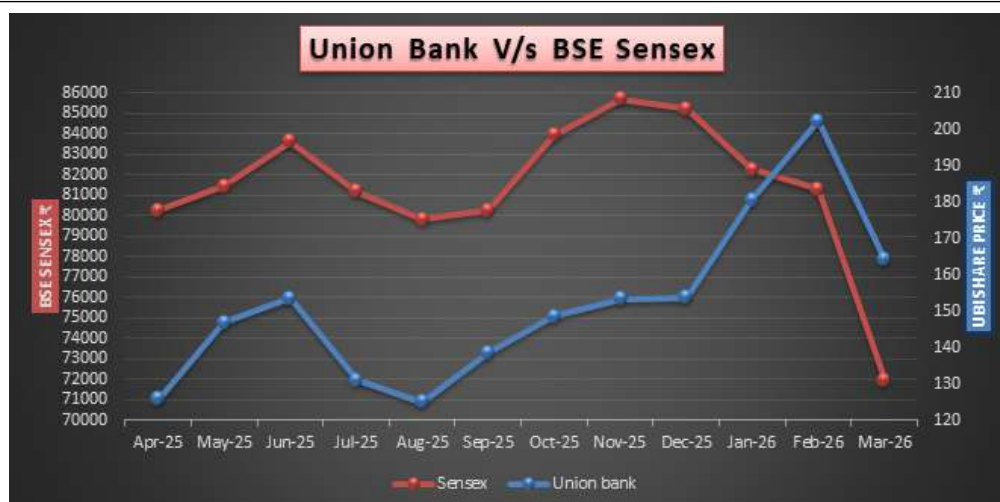
of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit, no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tallied with the issued capital.

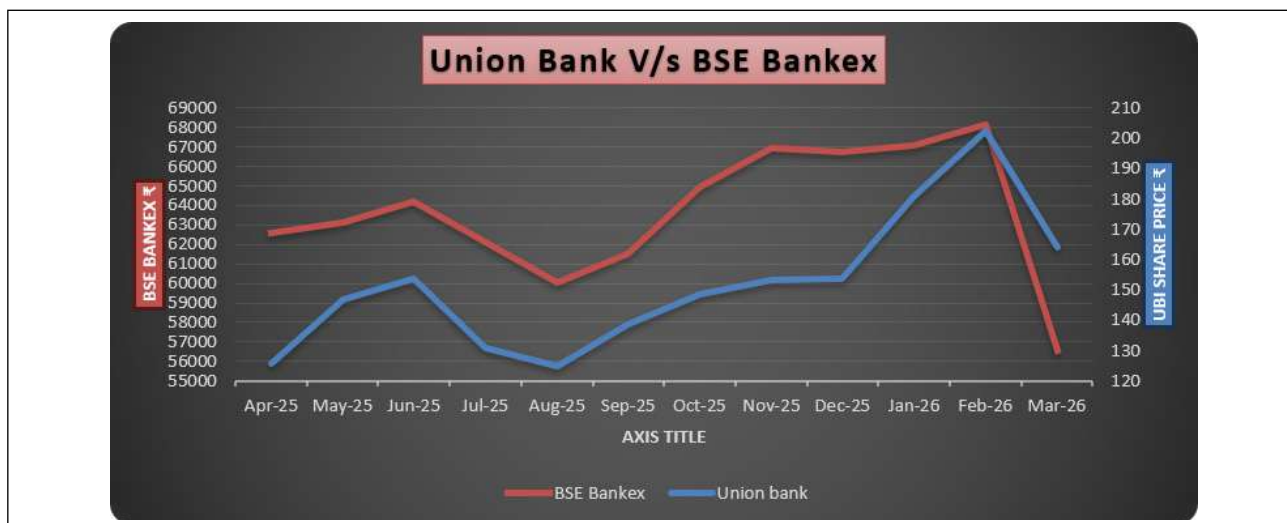
The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 1497 shareholders dematerialized their 3,41,533 shares held in physical form during the year 2025-26.

9.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakhs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakhs)	High	Low
Apr-2025	132.7	111.8	99.69	132.89	112.52	2,675.11	80661.31	71425.01
May-2025	147.9	112.7	138.13	147.90	114.50	3,586.58	82718.14	78968.34
Jun-2025	158.6	138.35	129.45	158.65	138.32	2,902.63	84099.53	80354.59
Jul-2025	155.85	128.0	153.25	155.90	128.00	2,984.40	83935.01	80575.45
Aug-2025	138.55	124.55	101.30	138.55	124.64	1,782.27	82231.17	79741.76
Sep-2025	141.6	125.5	133.51	141.63	125.45	1,998.74	83141.21	79818.38
Oct-2025	152.1	135.3	152.85	152.00	135.29	2,686.33	85290.06	80159.90
Nov-2025	157.6	147.85	88.27	157.51	147.80	2,145.44	86055.86	82670.95
Dec-2025	160.1	145.85	123.86	160.15	145.87	2,625.47	86159.02	84150.19
Jan-2026	183.4	152.75	278.80	183.34	152.70	4,576.07	85883.50	81088.59
Feb-2026	205.45	165.5	144.59	205.49	165.11	3,407.41	85871.73	79899.42
Mar-2026	201.15	161.6	120.46	201.20	163.08	3,716.41	80632.55	71774.13
Closing Price as on 31.03.26	₹ 164.15			₹ 164.20				
Market Cap as on 31.03.2026	₹ 125,305.63 Crore			₹ 125,343.80 Crore				

* Source-BSE Website (www.bseindia.com)





* Source-BSE Website (www.bseindia.com)

9.9 Distribution of Shareholding:

Shareholding	As of 31.03.2026				As of 31.03.2025			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	807635	88.96	77514735	1.02	907881	87.19	93887381	1.23
501 to 1000	49263	5.43	37052199	0.49	64063	6.15	48862161	0.64
1001 to 2000	23775	2.62	35034670	0.46	31786	3.05	47226698	0.62
2001 to 3000	10961	1.21	27507486	0.36	14503	1.39	36521078	0.48
3001 to 4000	5278	0.58	18434446	0.24	7195	0.69	25257791	0.33
4001 to 5000	3065	0.34	14263459	0.19	4327	0.42	20188514	0.26
5001 to 10000	4504	0.50	31810422	0.42	6705	0.64	47775274	0.63
10001 & above	3429	0.38	7391988190	96.83	4751	0.46	7313886710	95.81
Total	907910	100.00	7633605607	100.00	1041211	100.00	7633605607	100.00

The face value of Bank's per Equity share is ₹ 10/-

9.10 Shareholding pattern:

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2026 vis-a-vis 31.03.2025 is as follows:

Category of shareholder	As of 31.03.2026		As of 31.03.2025	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Promoter				
Government of India	5,70,66,60,850	74.76	5,70,66,60,850	74.76
Public				
Institutional Investors				
Mutual Funds & UTI	30,74,67,235	4.03	28,43,86,885	3.73
Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions)	57,11,19,048	7.48	60,44,26,977	7.91



Corporate Governance Report

Category of shareholder	As of 31.03.2026		As of 31.03.2025	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
FIs & Foreign Mutual Funds	66,73,70,900	8.74	54,26,92,426	7.11
OTHERS				
Private Corporate Bodies	2,68,72,617	0.35	2,18,81,598	0.29
Indian Public	29,70,82,907	3.89	44,50,82,581	5.83
NRIs/OCBs/Qualified Foreign Investor	5,70,32,050	0.75	2,84,74,290	0.37
Total	7,63,36,05,607	100.00	7,63,36,05,607	100.00

9.11 List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2026 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	PRESIDENT OF INDIA	570,66,60,850	74.76
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	40,94,66,133	5.36
3	HDFC MUTUAL FUND	10,85,31,204	1.42
4	NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-	6,64,17,726	0.87
5	SBI LIFE INSURANCE CO LTD.	3,78,11,951	0.49
6	HDFC Life Insurance Company limited	3,56,07,072	0.39
7	KOTAK NIFTY PSU BANK ETF	2,97,85,906	0.39
8	SBI BSE PSU BANK ETF	2,45,78,088	0.32
9	NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - STATE GOV	2,43,04,422	0.31
10	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,24,18,678	0.29

9.12 Unclaimed/Unpaid Dividend:

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). The proposed date of transfer for various dividend accounts as on date are given below:

Sr. No	Dividend Account pertaining to	Unpaid Dividend Bank Account No.	Financial Year	Rate of dividend	Proposed Date of Transfer to IEPF	Balance as on 31.03.2026 (₹)
1.	UBI	066221090000005	2021-22	₹ 1.90 per share	11.08.29	3,39,11,423.00
2.	UBI	317901090049834	2022-23	₹ 3.00 per share	15.09.30	4,99,14,133.00
3.	UBI	0662210900000026	2023-24	₹ 3.60 per share	01.09.31	7,77,61,609.60
4.	UBI	0662210900000054	2024-25	₹ 4.75 per share	01.08.32	9,88,31,766.00
TOTAL						26,04,18,931.60

The shareholders who have not claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.bank.in).

9.13 Unclaimed Shares:

a) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank opened an Unclaimed Suspense Account in March 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2025 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2025-26	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2025-26	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2026 lying in Demat Suspense Account	4	600

b) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars (UBI-FPO)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2025 lying in Demat Suspense Account	213	25809
Shareholders approached for transfer during the financial year 2025-26	0	0
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2025-26	0	0
Balance as on 31.03.2026 lying in Demat Suspense Account	213	25809

Particulars (E-AB and E-CB)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2025 lying in Demat Suspense Account	168	13089
Shareholders approached for transfer during the financial year 2025-26	0	0
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2025-26	0	0
Balance as on 31.03.2026 lying in Demat Suspense Account	168	13089

Particulars (UBI – Letter of Confirmation)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2025 lying in Demat Suspense Account	45	17146
Shareholders approached for transfer during the financial year 2025-26	8	1974
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2025-26	8	1974
Shareholders to whom shares are transferred from PHY to Demat Suspense Account during the year 2025-26	14	6264
Balance as on 31.03.2026 lying in Demat Suspense Account	43	21436

The voting rights on above- mentioned all shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same to their respective Demat Account.

*Corporate Governance Report***10. EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS**

Sr. No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his /her duties.	Complied with.
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance, including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Half-yearly communication is sent by way of an email to all the shareholders who registered their email IDs with the Bank / RTA of the Bank.
3.	Modified opinion(s) in Audit Report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review.
4.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the Chief General Manager, Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

5.17 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2025-26 are as follows :

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board																	
			Board		MCB		ACB		SRC		RMC		ITSC		SCMF		DPPC		STCB **	
			Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended
1	Shri Ashish Pandey Since 30.09.2025	MD & CEO	11	11	15	15			2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
2	Shri Nitesh Ranjan Since 10.03.2021	ED	22	22	31	31	-	-	4	4			4	4	-	-	1	1	-	-
3	Shri Ramasubramanian S Since 21.11.2022	ED	22	21	31	31	-	-	4	4			4	4	-	-	-	-	2	2
4	Shri Sanjay Rudra Since 09.10.2023	ED	22	21	31	30	-	-	4	4			4	4	-	-	-	-	-	-
5	Shri Amresh Prasad Since 24.11.2025	ED	7	6	12	12			2	2			2	2						
6	Shri Rohan Chand Thakur Central Govt Nominee Since 24.07.2025	NED	16	10			8	2	3	2			3	3	3	3	2	2		
7	Shri Prakash Ballarsingh RBI Nominee Director Since 14.07.2023	NED	22	21	31	28	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
8	Ms. Priti Jay Rao Since 29.07.2021	ID/SD	22	21	-	-	13	13	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-	2	2
9	Shri Prakash Chandra Kandpal Since 27.07.2024	ID/SD	22	22	31	28			2	2	4	4			4	4			2	2
10	Shri Suraj Srivastava Since 11.04.2025	ID/ NED	22	22	-	-	13	13	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4
The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank during FY 25-26 prior to 31.03.2026																				
1	Shri Srinivasan Varadarajan Since 07.11.2022 till 06.11.2025	NEC	14	14	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-		
2	Ms. A. Manimekhalai Since 03.06.2022 till 02.06.2025	MD & CEO	2	2	4	4	-	-	-	-			1	1	1	1	1	1		
3	Shri Pankaj Dwivedi Since 27.03.2024 till 24.06.2025	ED	4	4	6	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
4	Shri Sameer Shukla Central Govt Nominee Since 08.11.2021 till 23.07.2025	NED	6	2	-	-	5	1	1	0	-	-	1	0	1	0	1	1	-	-

* Number of meetings held during the tenure of the Director

** 23 Proposals was circulated as Circular Resolution at different time intervals to the Share Transfer Committee and got it approved.

MD & CEO - Managing Director & Chief Executive Officer

ED- Executive Director

NED - Non Executive Director

ID - Independent Director

SD - Shareholder Director

NEC- Non Executive Chairman



5.17 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2025-26 are as follows :

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board													
			RCNCB & WD		NRC		HRSC		CAC-I		REMC		CDRCF		BCPE	
			Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended
1	Shri Ashish Pandey Since 30.09.2025	MD & CEO	1	1	1	1	1	1	13	13	1	1	1	1	1	1
2	Shri Nitesh Ranjan Since 10.03.2021	ED	-	-	-	-	3	3	25	24	3	3	1	1	-	-
3	Shri Ramasubramanian S Since 21.11.2022	ED	2	2	-	-	3	3	25	25	3	3	1	1	-	-
4	Shri Sanjay Rudra Since 09.10.2023	ED	-	-	-	-	3	3	25	20	3	3	1	1	-	-
5	Shri Amresh Prasad Since 24.11.2025	ED	-	-	-	-	1	1	9	9	1	1	-	-	-	-
6	Shri Rohan Chand Thakur Central Govt Nominee Since 24.07.2025	NED	-	-	-	-	2	1	-	-	2	0	-	-	1	1
7	Shri Prakash Baliarsingh RBI Nominee Director Since 14.07.2023	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ms. Priti Jay Rao Since 29.07.2021	ID/SD	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
9	Shri Prakash Chandra Kandpal Since 27.07.2024	ID/SD	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Shri Suraj Srivastava Since 11.04.2025	ID/NED	3	3	2	2	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-
The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank during FY 25-26 prior to 31.03.2026																
1	Shri Srinivasan Varadarajan Since 07.11.2022 till 06.11.2025	NEC	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Ms. A. Manimekhalai Since 03.06.2022 till 02.06.2025	MD & CEO	-	-	-	-	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-
3	Shri Pankaj Dwivedi Since 27.03.2024 till 24.06.2025	ED	-	-	-	-	1	1	6	4	1	0	-	-	-	-
4	Shri Sameer Shukla Central Govt Nominee Since 08.11.2021 till 23.07.2025	NED	-	-	-	-	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-
* Number of meetings held during the tenure of the Director																

CEO and CFO Certificate

{As per Proviso to Regulation 17 (8) and Regulation 62D(14) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended}

To
The Board of Directors
Union Bank of India

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit committee
- (1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

[Dhirendra Jain]
Chief Financial Officer

[Asheesh Pandey]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 23.04.2026



Corporate Governance Report

DECLARATION ON CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Directors and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2025-26.

For Union Bank of India

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

Independent Auditor's Certificate

On Compliance with Corporate Governance Requirements under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To
The Members of
Union Bank of India

1. This Certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated December 09, 2025.
2. This certificate contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India ('the Bank'), for the year ended 31 March 2026, as stipulated in the regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D, E of schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") as amended.

Management's Responsibility

3. The Board of Directors and Management of the Bank is responsible for ensuring that the Bank complies with the conditions of Corporate Governance including preparation of Corporate Governance report as stipulated in the Listing Regulations. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal controls and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditors' Responsibility

4. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. Pursuant to the requirements of the Listing Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance whether the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations for the year ended 31 March 2026.
6. We have conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes [Revised 2016] ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. Based on our examination as above and to the best of the information and explanations given to us and representations provided by the management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations during the year ended 31st March 2026 except that:
 - i. The Bank did not have on its Board one Director each representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9 (3) (e) and (f) respectively, a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9 (3) (g) and four directors as provided under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.



Corporate Governance Report

Restriction on use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the requirement of the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

For Chhaged & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007DIZLZU7539

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No.136169
UDIN: 26136169EMOWMK1036

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037DMXBDY3122

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378GVHCNX3868

Place: Mumbai
Date: April 23, 2026

SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF
UNION BANK OF INDIA
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

[Under Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

We have examined:

- (a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **UNION BANK OF INDIA** ("the listed entity"),
- (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,
- (c) website of the listed entity,
- (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

For the year ended March 31, 2026 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:

- (a) The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
- (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as amended from time to time;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended from time to time;
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and as amended from time to time;
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not Applicable to the Company during the Audit Period)**
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and as amended from time to time; **(Not Applicable to the Company during the Audit Period)**
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- (g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as amended from time to time;
- (h) Securities and Exchange Board of India (Depositories & Participants) Regulations, 2018; **(To the extent applicable)** and circulars/ guidelines issued thereunder;



Corporate Governance Report

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below:

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/circulars/ guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action taken by	Type of action	Details of violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary (PCS)	Management Response	Remarks
1.	As per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of the Bank shall include: (e) One Director, from among such of the employees of the corresponding new bank who are workmen under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government; (f) One Director, from among the employees of the corresponding new bank who are not workmen under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank; (g) One Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. (h) subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government	Section 9 (3) (e), (f) and (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	The Bank does not have on its Board a director representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9(3)(e) and (f), and a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	None	None	None	None	During the financial year 2025-26, the Bank did not have on its Board a director representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9 (3) (e) and (f), and a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9(3) (g) and (h) subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	The Bank is a Nationalised Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Govt. of India to fill the vacancy in the Board of the Bank. Pursuant to the said provisions, the Board of the Bank consists of 16 Directors, of which 2 Shareholder directors are elected by the shareholders among themselves, other than the Central Government. Except these 2 Shareholder Directors, all remaining i.e. 14 Directors (Whole-Time and Non-Executive) are either appointed or nominated on the Board by the Government of India and RBI. These appointments are beyond the powers of the Board and other Shareholders.	The Bank has approached the Govt. of India to fill the vacancy in the Board of the Bank.

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/circulars/guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action taken by	Type of action	Details of violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary (PCS)	Management Response	Remarks
2.	Where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors.	Regulation 17 (1) (b) of SEBI LODR Regulations, 2015.	From November 06, 2025, at least half of the Board of Directors did not consist of Independent Directors.	None	None	None	None	The Bank did not have regular non-executive chairperson with effect from November 06, 2025. Accordingly, at least half of the Board of Directors should comprise independent directors. However, the Company does not meet this requirement, as at least half of its Board is not composed of independent directors. Reply – Our Bank is a Nationalised Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the said Act. Pursuant to the said provisions, the Board of the Bank consists of 16 Directors, of which 2 Shareholder directors are elected by the shareholders among themselves, other than the Central Government. Except these 2 Shareholder Directors, all remaining i.e. 14 Directors (Whole-Time and Non-Executive) are either appointed or nominated on the Board by the Government of India and RBI. Said appointments are beyond the powers of the Board and other Shareholders. As on March 31, 2026, the Bank has 2 Shareholder (Independent) Directors i.e., Dr. Priti Jay Rao and Shri Prakash Chandra Kandpal who are elected by the Shareholders of the Bank other than the Central Government. The Bank also has 1 Part-Time Non-Official Directors nominated by the Government of India i.e., Mr. Suraj Srivastava who is considered as Independent Directors vide Ministry of Finance Communication F.No. 6/20/2019-BOI dated 30.08.2019 and all these 3 directors have fulfilled the criteria of Independent Director as per SEBI (LODR) read with Companies Act, 2013. There are 7 other Directors appointed / nominated by the Government of India / RBI. On the remaining 6 posts of Non-Executive Directors, the Government of India has not made any appointments, thus those 6 positions are vacant, resulting into inability of the Bank to ensure compliance with the requirement of 50% of Independent and Non-Executive Directors on the Board.	The Bank did not have regular non-executive chairperson with effect from November 06, 2025. Accordingly, at least half of the Board of Directors should comprise independent directors. However, the Company does not meet this requirement, as at least half of its Board is not composed of independent directors. Reply – Our Bank is a Nationalised Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the said Act. Pursuant to the said provisions, the Board of the Bank consists of 16 Directors, of which 2 Shareholder directors are elected by the shareholders among themselves, other than the Central Government. Except these 2 Shareholder Directors, all remaining i.e. 14 Directors (Whole-Time and Non-Executive) are either appointed or nominated on the Board by the Government of India and RBI. Said appointments are beyond the powers of the Board and other Shareholders. As on March 31, 2026, the Bank has 2 Shareholder (Independent) Directors i.e., Dr. Priti Jay Rao and Shri Prakash Chandra Kandpal who are elected by the Shareholders of the Bank other than the Central Government. The Bank also has 1 Part-Time Non-Official Directors nominated by the Government of India i.e., Mr. Suraj Srivastava who is considered as Independent Directors vide Ministry of Finance Communication F.No. 6/20/2019-BOI dated 30.08.2019 and all these 3 directors have fulfilled the criteria of Independent Director as per SEBI (LODR) read with Companies Act, 2013. There are 7 other Directors appointed / nominated by the Government of India / RBI. On the remaining 6 posts of Non-Executive Directors, the Government of India has not made any appointments, thus those 6 positions are vacant, resulting into inability of the Bank to ensure compliance with the requirement of 50% of Independent and Non-Executive Directors on the Board.	The Bank has approached Govt. of India to fill the vacancy in the Board of the Bank.



Corporate Governance Report

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/circulars/ guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action taken by	Type of action	Details of violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary (PCS)	Management Response	Remarks
3.	At least two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, the audit committee shall only comprise of independent directors.	Regulation 18(1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.	During the period under review, the Audit Committee of the Bank did not comprise of two third of Independent Directors.	None	None	None	None	The Audit Committee of the Listed Entity shall consist of at least two third of directors as Independent Directors. However, the Audit Committee of the Bank did not comprise of two third of Independent Directors.	Since, these vacant positions are beyond the authorities of the Board of the Bank, the Bank currently is not in a position to ensure 100% compliance. However, we would like to inform that the Central Government is expected soon to approve a list of independent directors to be appointed on the Boards of various Public Sector Banks including our Bank. Once these appointments are made, our Bank would be in a position to ensure compliance with the said requirements of SEBI Guidelines on Corporate Governance. In view of those Guidelines, the ACB of the Bank can be of 5 Directors consisting of 1 Government of India Nominee Director, 1 RBI Nominee Director and 3 Independent Directors as nominated by the Board in compliance with RBI circular Ref. no. DOS No. BC: 14/ Admin/919/16.13.100/95 dated September 26, 1995 and RBI/2021-22/24 DOR.GOV. REC.8/29.67.001/2021-22 dated April 26, 2021. Since, majority of the members of the ACB are nominated by the Government of India, the Bank is unable to ensure compliance with the requirement of 2/3 of Independent Members as of now.	The Bank has approached Govt. of India to fill the vacancy in the Board of the Bank.

(b) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

Sr. No.	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary (PCS) in the previous reports	Observations made in the Secretarial Compliance report for the year ended	Compliance Requirement (Regulations/circulars/ guidelines including specific clause)	Details of violation / Deviations and actions taken /penalty imposed, if any, on the listed entity	Remedial actions, if any, taken by the listed entity	Comments of the PCS on the actions taken by the listed entity
1.	During the financial year 2024-25, the Bank did not have on its Board a director representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9 (3) (e) and (f), and a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9(3)(g) and (h) subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	March 31, 2025	As per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of the Bank shall include: (e) One Director, from among such of the employees of the corresponding new bank who are workmen under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government; (f) One Director, from among the employees of the corresponding new bank who are not workmen under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank; (g) One Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. (h) subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government	The Bank does not have on its Board a director representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9(3)(e) and (f), and a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	With the induction of Non- Executive Chairman (Independent), the Board of the Bank is composed of requisite number of independent directors as per SEBI LODR.	

**Corporate Governance Report**

I. We hereby report that, during the review period the compliance status of the listed entity with the following requirements:

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/No/NA)	Observations/ Remarks by PCS
1	Secretarial Standards: The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).	Yes	Union Bank of India is a corresponding bank constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. The provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Bank.
2	Adoption and timely updation of the Policies: - All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities - All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed & timely updated as per the regulations/circulars/guidelines issued by SEBI.	Yes	None
3	Maintenance and disclosures on Website: - The Listed entity is maintaining a functional website - Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website - Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website	Yes	None
4	Disqualification of Director: None of the Director of the Company are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013	Yes	None
5	Details related to Subsidiaries of listed entities have been examined w.r.t: (a) Identification of material subsidiary companies. (b) Disclosure requirements of material as well as other subsidiaries.	Yes	None
6	Preservation of Documents: The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.	Yes	None
7	Performance Evaluation: The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year/during the financial year as prescribed in SEBI Regulations.	Yes	None
8	Related Party Transactions: (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions. (b) In case no prior approval obtained the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ratified/rejected by the audit committee.	Yes NA	None

9	Disclosure of events or information: The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed there under.	Yes	None
10	Prohibition of Insider Trading: The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.	Yes	None
11	Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any: No action(s) has been taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder (or) The actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges are specified in the last column.	Yes	None
12	Resignation of statutory auditors from the listed entity or its material subsidiaries: In case of resignation of statutory auditor from the listed entity or any of its material subsidiaries during the financial year, the listed entity and / or its material subsidiary(ies) has / have complied with paragraph 6.1 and 6.2 of section V-D of chapter V of the Master Circular on compliance with the provisions of the LODR Regulations by listed entities.	N.A.	No such event occurred during the period under review.
13	Additional Non-compliances, if any: No additional non-compliances observed for any SEBI regulation/circular/guidance note etc. except as reported above.	N.A.	No additional non-compliances were found for the period under review.

We further, report that the listed entity is in compliance with the disclosure requirements of Employee Benefit Scheme Documents in terms of regulation 46(2) (za) of the LODR Regulations.

Assumptions & limitation of scope and review:

1. Compliance of the applicable laws and ensuring the authenticity of documents and information furnished, are the responsibilities of the management of the listed entity.
2. Our responsibility is to report based upon our examination of relevant documents and information. This is neither an audit nor an expression of opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of account of the listed entity.
4. This report is solely for the intended purpose of compliance in terms of Regulation 24A (2) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and is neither an assurance as to the future viability of the listed entity nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the listed entity.

Place: Mumbai

Date: 25.05.2026

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)

Ragini Chokshi

FCS No.: 2390

CP No.: 1436

UDIN: F002390H000479341

Peer Review No. 4166/2023

Firm Registration No. 92897

*Corporate Governance Report***Form No. MR-3****SECRETARIAL AUDIT REPORT**

For the period 01-04-2025 to 31-03-2026

To,
The Members,
UNION BANK OF INDIA
Union Bank Bhavan, 239,
Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Union Bank of India** (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering April 01, 2025 to March 31, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the audit period April 01, 2025 to March 31, 2026 according to the provisions of:

- i. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- ii. The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- iii. The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (as amended from time to time);
- iv. The Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998;
- v. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder;
- vi. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
- vii. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;
(Not applicable to the Bank during the period under review)
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

- g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
- h) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009;
- i) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993
- j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act, 2013)**
- b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulation").

During the period under review the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines etc. except mentioned hereunder:

- *During the financial year 2025-26, the Bank did not have on its Board a director representing the workmen and non-workmen of the Bank as provided under Section 9 (3) (e) and (f) and a director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years as provided under Section 9 (3) (g) and (h) subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.*
- *The Bank did not have a Chairman on its Board with effect from November 06, 2025, as required under Section 10B of the Banking Regulation Act, 1949.*
- *The Bank has not complied with Regulation 17(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 with effect from November 06, 2025, as at least half of the Board did not comprise Independent Directors.*
- *During the financial year 2025-26, the Audit Committee of the Bank did not comprise at least two-thirds Independent Directors.*

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors (except as stated above). The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act, Rules and Regulations.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Appointment of Shri Suraj Srivastava as the Part-time Non-Official Director (Independent Director) w.e.f. April 11, 2025.
2. Cessation of Ms. A. Manimekhalai as Managing Director & Chief Executive Officer w.e.f. June 02, 2025, due to Completion of Tenure.
3. Cessation of Shri Pankaj Dwivedi as Executive Director w.e.f. June 02, 2025.

**Corporate Governance Report**

4. Approval sought from the Shareholder of the Bank at the Annual General Meeting for Declaration of Dividend of Rs. 4.75/- per Equity Share of Rs. 10/- each for the Financial Year 2024 – 2025.
5. Appointment of Shri Rohan Chand Thakur as Government Nominee Director w.e.f. July 24, 2025.
6. Cessation of Shri Sameer Shukla as Government Nominee Director w.e.f. July 24, 2025 on order of Dept. of Financial Service dated 24th July 2026.
7. Appointment of Shri Asheesh Pandey as the Managing Director and Chief Executive Officer w.e.f. September 30, 2025.
8. Cessation of Shri Srinivasan Varadarajan as Non-Executive Chairman and Part Time Non-Official Director w.e.f. November 07, 2025 due to Completion of Tenure.
9. Appointment of Shri Amresh Prasad as the Executive Director w.e.f. November 24, 2025.
10. Cessation of Shri Avinash Vasant Prabhu as Chief Financial Officer (CFO) w.e.f. January 31, 2026.
11. Appointment of Shri Dharendra Jain as Chief Financial Officer (CFO) w.e.f. February 01, 2026.
12. Cessation of Shri Mangesh Mandrekar as the Company Secretary and Compliance Officer w.e.f. January 28, 2026.
13. Appointment of Shri Ashish Mishra as the Company Secretary and Compliance Officer w.e.f. January 28, 2026.
14. The Bank on March 24, 2026 has allotted 3,00,000 Senior, rated, listed, unsecured, redeemable, taxable, transferable Long Term fully paid- up Non-Convertible Bonds in the nature of Debentures ("Bonds") having Face Value of Rs.1,00,000/- (Rupees One lakh) per Bond with total issue size of ₹ 7,500 Crore with a base issue size of ₹ 3,000 Crore and Green shoe option of ₹ 4,500 Crore on a Private Placement Basis.

For Ragini Chokshi & Co
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

Place: Mumbai
Date: 25.05.2026

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000479328
PR No.: 4166/2023

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure "A"

To

The Members,

UNION BANK OF INDIA

Union Bank Bhavan, 239,

Vidhan Bhavan Marg,

Nariman Point,

Mumbai - 400 021

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

Place: Mumbai

Date: 25.05.2026

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000479328
PR No.: 4166/2023



Corporate Governance Report

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,

The Members of
Union Bank of India
Union Bank Bhavan, 239,
Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Union Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') having Central Office at Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended March 31, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment in Banks
1.	Nitesh Ranjan	08101030	10.03.2021
2.	Ramasubramanian S	08747165	21.11.2022
3.	Sanjay Rudra	09650826	09.10.2023
4.	Prakash Baliarsingh	10864760	14.07.2023
5.	Prakash Chandra Kandpal	06452437	27.07.2024
6.	Priti Jay Rao	03352049	29.07.2021
7.	Asheesh Pandey	09295107	30.09.2025
8.	Rohan Chand Thakur	07944078	24.07.2025
9.	Suraj Srivastava	09444372	11.04.2025
10.	Amresh Prasad	11522143	24.11.2025

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co.

Company Secretaries

Firm Registration Number: 92897

Place: Mumbai
Date: 25.05.2026

Ragini Chokshi

(Partner)

M. No.: 2390

COP No.: 1436

UDIN: F002390H000479350

PR No.: 4166/2023

Independent Auditors' Report

To

The President of India /

The Members of Union Bank of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Union Bank of India** ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of

- i) The Head Office, 20 branches and 1 Treasury Branch audited by us;
- ii) 2298 domestic branches audited by statutory branch auditors and
- iii) 2 overseas branches audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (the RBI). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement are the returns from 6904 domestic branches (including other accounting units) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 29.52 % of advances, 53.50 % of deposits, 22.67% of revenue, 23.56% of interest income and 48.24% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by the RBI, in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;
- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

*Independent Auditors' Report*

SN.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
1	Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 88.16% of the total assets as on March 31, 2026. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses. The Bank has system-based identification of non-performing assets in accordance with IRAC Norms. Since the identification of Non-performing Advances and provisioning for Non-performing Advances requires considerable level of management estimation, application of various regulatory requirements and its significance to the overall audit, we have identified this as a key audit matter.	Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions. Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. This included evaluation and understanding of the following: • Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments; • System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress.

SN.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
		- On a test check basis, verified the accounts classified by the Bank as Special Mention Accounts ('SMA') in RBI's Central Repository of Information on Large Credits ('CRILC') - We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors and report on audit of automation of IRAC by external expert. - Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. We have test checked and assessed the efficacy of the system-based identification of NPA.
2	Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting	
	Information technology (IT) systems used in financial reporting process - The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the standalone financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: - We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. - We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. - We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the standalone financial statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.

*Independent Auditors' Report*

SN.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
3	Recognition and measurement of Deferred tax	
	The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 3,51,43,061 (in '000) as on March 31, 2026. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to: • Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4	Provisions, Contingent Liabilities and Claims	
	Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 17 of Schedule 17 and Note No. 14 e of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.
	Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.	We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of Other Information. The Other Information comprises the Directors' Report including annexures in Annual Report, but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the above mentioned Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the

accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

**Independent Auditors' Report**

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of 2300 branches and offices including 02 foreign branches included in Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/ information reflects total assets of ₹ 3,15,03,50,159.23 (in thousand) at March 31, 2026 and total revenue of ₹ 31,60,28,314.43 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and offices cover 32.03% of advances, 44.66% of deposits, 38.60% of Non – performing assets as on 31st March 2026 and 25.20% of revenue for the year ended 31st March 2026. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 6 & 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

9. As required by letter No. DOS.ARG No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- (a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- (b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- (c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- (d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

- (e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report expressing an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at 31st March 2026.

10. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXZJRR5242

For Chhajer & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai

*Independent Auditors' Report***ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in paragraph 10(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of Union Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2026, in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to Standalone Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to Standalone Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all

material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2300 branches and offices including foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajer & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXZJRR5242

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Date: 23rd April 2026

Place: Mumbai



Standalone Balance Sheet

as on 31st March ,2026

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	7,63,36,056	7,63,36,056
Reserves and Surplus	2	1,20,94,13,916	1,05,34,16,007
Deposits	3	13,06,89,14,125	12,72,24,68,934
Borrowings	4	77,19,01,665	64,84,44,124
Other Liabilities and Provisions	5	56,69,80,495	49,78,91,960
TOTAL		15,69,35,46,257	14,99,85,57,081
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	66,47,28,189	89,50,34,824
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	29,23,18,684	41,33,47,846
Investments	8	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963
Advances	9	10,53,27,74,852	9,53,51,33,435
Fixed Assets	10	11,60,79,764	9,78,18,765
Other Assets	11	78,52,82,603	51,34,08,248
TOTAL		15,69,35,46,257	14,99,85,57,081
Contingent Liabilities	12	6,37,39,58,914	5,08,86,90,187
Bills for Collection		58,79,78,332	50,91,34,855
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450
Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXJR5242

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Standalone Profit & Loss Account

for the year ended 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31 st March 2026	For the Year Ended 31 st March 2025
I. INCOME			
Interest Earned	13	1,05,99,22,240	1,05,90,89,396
Other Income	14	19,43,47,856	19,81,29,144
TOTAL		1,25,42,70,096	1,25,72,18,540
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	69,33,33,974	68,69,52,629
Operating Expenses	16	27,47,41,151	25,93,65,486
Provision and Contingencies		9,92,23,648	13,10,28,963
TOTAL		1,06,72,98,773	1,07,73,47,078
III. Profit/ (Loss) for the period/year		18,69,71,323	17,98,71,462
Transfer from/ to Investment Fluctuation Reserve		-	-
ADD : PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD		58,32,008	58,32,008
TOTAL		19,28,03,331	18,57,03,470
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer To Statutory Reserve		4,67,42,831	4,49,67,865
Transfer To Capital Reserve		57,36,728	33,97,295
Transfer To Investment Fluctuation Reserve		32,00,000	-
Transfer To Revenue and Other Reserves		8,65,59,994	8,84,13,653
Transfer To Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii)		27,46,940	68,33,022
Investment Reserve Account		-	-
Proposed Dividend		3,81,68,028	3,62,59,627
Provision for Div On PNCPS		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance in Profit and Loss Account		96,48,811	58,32,008
TOTAL		19,28,03,331	18,57,03,470
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV ₹ 10)		24.49	23.56
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 0005805/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXZJRR5242

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai



Schedules Forming Part of the Standalone Balance Sheet

as on 31st March ,2026

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
10,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	10,00,00,000	10,00,00,000
(Previous Year 10,00,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each)		
II. Issued, Subscribed, Called up & Paid up :		
i. 570,66,60,850 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government (Previous Year 570,66,60,850 Equity Shares)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. 1,92,69,44,757 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Public (Previous Year 1,92,69,44,757 Equity Shares)	1,92,69,447	1,92,69,447
Less: Calls unpaid	-	-
Add: Forfeited shares	-	-
TOTAL	7,63,36,056	7,63,36,056

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
Opening Balance	24,64,60,727	20,14,92,862
Addition during the period/year	4,67,42,831	29,32,03,558
		4,49,67,865
		24,64,60,727
II. Capital Reserve :		
i) Revaluation Reserve :		
Opening Balance	5,46,52,615	5,64,44,174
Addition during the period/year	1,68,98,903	2,06,150
Deduction during the period/year	17,34,620	19,97,709
	6,98,16,898	5,46,52,615
ii) Capital Reserve		
Opening Balance	6,49,00,206	6,15,02,911
Addition during the period/year	57,36,728	33,97,295
	7,06,36,934	6,49,00,206
iii) Capital Reserve - Treasury		
Opening Balance	-	-
Addition during the period/year	-	-
	-	-
iv) Amalgamation Adjustment Reserve	1,30,95,979	15,35,49,811
	1,30,95,979	13,26,48,800

Particulars	As on 31 st March 2026		As on 31 st March 2025	
III. Share Premium :				
Opening Balance	25,51,31,787		25,51,31,787	
Addition during the period/year	-		-	
Deduction during the period/year	-	25,51,31,787	-	25,51,31,787
IV. Revenue and Other Reserves :				
i) Revenue Reserves :				
Opening Balance	30,53,24,383		21,18,22,302	
Addition during the period/year	8,82,94,614		9,37,08,232	
Deduction during the period/year	-		2,06,150	
Total	39,36,18,997		30,53,24,384	
ii) Revenue Reserves - Treasury :				
Opening Balance	1,59,33,407		-	
Addition during the period/year	-		1,59,33,407	
Deduction during the period/year	-		-	
Total	1,59,33,407		1,59,33,407	
iii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961				
Opening Balance	7,98,10,811		7,29,77,789	
Addition during the period/year	27,46,940		68,33,022	
Total	8,25,57,751		7,98,10,811	
iv) Foreign Currency Translation Reserve				
Opening Balance	-25,63,533		-21,15,587	
Addition during the period/year	9,34,652		7,358	
Deduction during the period/year	17,08,415		4,55,303	
Total	-33,37,296		-25,63,532	
v) Investment Fluctuation Reserve				
Opening Balance	1,38,14,014		1,38,14,014	
Addition during the period/year	32,00,000		-	
Deduction during the period/year	-		-	
Total	1,70,14,014		1,38,14,014	
vi) Investment Reserve Account				
Opening Balance	-		32,96,872	
Addition during the period/year	-		-	
Deduction during the period/year	-		32,96,872	
Total	-		-	
V. Special Reserve Profit on FX Swap	58,485	50,58,45,358	58,485	41,23,77,569
VI. AFS RESERVE				
Opening Balance	9,65,116		-	-
Addition during the period/year	-		9,65,116	
Deduction during the period/year	89,30,525	-79,65,409	-	9,65,116
VII. Balance in Profit and Loss Account		96,48,811		58,32,008
TOTAL		1,20,94,13,916		1,05,34,16,007



*Schedules Forming Part of
the Standalone Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026		As on 31 st March 2025	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
A.				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	1,47,73,182		1,01,66,991	
ii) From Others	82,60,94,128	84,08,67,310	85,39,28,924	86,40,95,915
II. Savings Bank Deposits		3,75,98,99,425		3,39,91,58,683
III. Term Deposits				
i) From Banks	10,03,04,740		59,20,962	
ii) From Others	8,36,78,42,650	8,46,81,47,390	8,45,32,93,374	8,45,92,14,336
TOTAL		13,06,89,14,125		12,72,24,68,934
Deposits includes Lien Marked deposits of ₹ 1,03,31,860 Lakh (Previous Year ₹ 99,40,717 Lakh)				
B.				
i). Deposits of branches in India		13,06,28,80,772		12,71,75,04,355
ii). Deposits of branches outside India		60,33,353		49,64,579
TOTAL		13,06,89,14,125		12,72,24,68,934

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026		As on 31 st March 2025	
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
I) Borrowings in India				
a. Reserve Bank of India	4,00,00,000		-	
b. Other Banks	-		-	
c. Other Institutions and Agencies	23,89,60,135		6,16,19,425	
d. Perpetual Bonds- Tier I	7,98,30,000		9,68,80,000	
e. Subordinated Bonds - Tier II	6,95,00,000		7,95,00,000	
f. Infra Bonds	3,00,00,000	45,82,90,135	-	23,79,99,425
II) Borrowings Outside India		31,36,11,530		41,04,44,699
TOTAL		77,19,01,665		64,84,44,124
Secured Borrowings included in I and II above		4,00,00,000		-

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills Payable	2,99,00,397	2,73,65,011
II. Interest Accrued	5,07,23,894	6,25,66,044
III. Others* (Including Provisions)	48,63,56,204	40,79,60,905
TOTAL	56,69,80,495	49,78,91,960

*includes provision for Standard Assets ₹ 7,90,33,464 (Previous Year ₹ 6,04,27,264)

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:		
I. Cash in hand		
(Including Foreign Currency Notes)	1,94,09,641	1,73,93,979
II. Balances with Reserve Bank of India		
a) in Current Account	38,49,88,548	47,63,30,845
b) in Other Accounts	26,03,30,000	40,13,10,000
TOTAL	66,47,28,189	89,50,34,824

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY		
AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	1,06,177	8,00,278
b) In Other Deposit Accounts	69	75
ii) Money at Call and short notice		
a) with Banks	2,00,000	-
b) with Other Institutions	15,30,03,551	49,95,224
Total (i and ii)	15,33,09,797	57,95,577
II. Outside India		
i) In Current Accounts	89,42,684	90,07,988
ii) In other Deposit Accounts	13,00,66,203	39,85,44,281
iii) Money at call & Short Notice	-	-
Total (i ,ii and iii)	13,90,08,887	40,75,52,269
Grand Total (I and II)	29,23,18,684	41,33,47,846

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India in		
i) Government Securities	2,61,38,67,715	2,83,07,39,588
ii) Other Approved Securities	-	-
iii) Shares	4,42,94,927	3,83,09,403
iv) Debentures and Bonds	52,73,61,514	55,03,64,850
v) Subsidiaries and joint ventures	61,59,958	52,68,212
vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.)	7,20,94,138	7,99,30,598
Total	3,26,37,78,252	3,50,46,12,651



*Schedules Forming Part of
the Standalone Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
II. Investments outside India in		
i) Govt. Securities (Including Local Authority)	2,85,23,841	2,77,53,425
ii) Subsidiaries and Joint Ventures abroad	1,00,54,500	1,14,42,315
iii) Other Investments	5,572	5,572
Total	3,85,83,913	3,92,01,312
TOTAL (I and II)	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963
III. i) Investments in India		
Gross Value	3,30,67,55,131	3,55,80,96,301
Provision for Depreciation	4,29,76,879	5,34,83,650
Net Value	3,26,37,78,252	3,50,46,12,651
ii) Investments outside India		
Gross Value	3,87,24,722	3,93,28,284
Provision for Depreciation	1,40,809	1,26,972
Net Value	3,85,83,913	3,92,01,312
TOTAL (III)	3,30,23,62,165	3,54,38,13,963

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)		
A.		
i) Bills purchased and discounted	5,55,37,388	3,66,35,915
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	4,68,64,86,080	4,84,73,49,758
iii) Term Loans	5,79,07,51,384	4,65,11,47,762
TOTAL	10,53,27,74,852	9,53,51,33,435
B.		
i) Secured by tangible assets*	8,24,04,17,027	7,87,40,16,588
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	7,86,84,622	10,94,66,032
iii) Unsecured	2,21,36,73,204	1,55,16,50,815
TOTAL	10,53,27,74,853	9,53,51,33,435
*includes advances against book debt		
C. Sectorial Classification of Advances		
C.I. Advances in India:		
i) Priority Sector	3,53,42,76,588	3,16,37,65,065
ii) Public Sector	1,11,66,19,859	1,01,80,99,768
iii) Banks	1,70,134	1,29,342
iv) Others	5,50,87,71,122	5,02,63,01,981
TOTAL	10,15,98,37,703	9,20,82,96,156

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
C.II. Advances Outside India:		
i) Due From Banks	17,98,56,588	6,24,67,883
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	2,03,235	5,24,875
b) Syndicated loans	-	-
c) Others	19,28,77,327	26,38,44,521
TOTAL C.(I)+C(II)	37,29,37,150	32,68,37,279
TOTAL	10,53,27,74,853	9,53,51,33,435

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :		
I. Premises		
At cost as on 31 st March of the preceding year	9,55,40,727	9,41,07,688
Additions during the year	1,66,15,447	14,35,351
Deduction during the year	1,769	2,312
	11,21,54,405	9,55,40,727
Depreciation to date	3,34,87,912	7,86,66,493
		3,14,52,020
		6,40,88,707
II. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
A. Capital Work-in-Progress		
At cost as on 31 st March of the preceding year	5,76,356	3,47,034
Additions during the year	3,32,974	5,58,797
Deductions during the year	2,84,484	6,24,846
		3,29,475
		5,76,356
B. Land		
At cost as on 31 st March of the preceding year	37,09,841	35,19,663
Additions during the year	5,93,658	1,90,177
Deductions during the year	-	-
	43,03,499	37,09,840
Less: Amortisation till date	14,18,073	28,85,426
		13,96,816
		23,13,024
C. Assets given on lease		
At cost as on 31 st March of the preceding year	77,973	2,65,352
Depreciation to date	77,973	-
		2,65,352
		-
D. Others		
At cost as on 31 st March of the preceding year	9,33,74,047	8,51,92,180
Additions during the year	1,10,72,797	1,08,00,394
Deductions during the year	1,40,05,419	26,18,526
	9,04,41,425	9,33,74,048
Depreciation to date	6,19,55,061	2,84,86,364
		6,71,83,971
		2,61,90,077



*Schedules Forming Part of
the Standalone Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026		As on 31 st March 2025	
E. Computer Software				
At cost as on 31 st March of the preceding year	1,56,69,029		1,23,36,473	
Additions during the year	35,35,143		37,59,686	
Deduction during the Year	2,75,697		4,27,130	
	1,89,28,475		1,56,69,029	
Less: Amortisation till date	1,35,11,840	54,16,635	1,10,18,428	46,50,601
Total (I and II)		11,60,79,764		9,78,18,765

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026	As on 31 st March 2025
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-Office Adjustments (Net)	4,66,30,917	2,93,44,287
II. Interest Accrued	11,65,16,034	10,98,09,146
III. Tax Paid/ Tax deducted at source (Net of provision)	4,27,60,825	3,45,56,335
IV. Stationery and stamps	61,792	64,823
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	1,334	1,334
VI. Others*	54,41,68,640	31,22,38,494
VII. Deferred Tax Assets (Net)	3,51,43,061	2,73,93,829
VIII. MAT Credit Entitlement	-	-
TOTAL	78,52,82,603	51,34,08,248

*Includes Deposit placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 34,53,16,455 (Previous Year ₹ 660,62,870)

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March 2026		As on 31 st March 2025	
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :				
I. Claims against the bank not acknowledged as debts		12,69,727		10,67,392
II. Liability for partly paid Investments		-		-
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		5,01,66,32,439		3,68,03,02,111
IV. Guarantees given on behalf of Constituents				
a) In India	73,05,73,179		70,73,94,487	
b) Outside India	69,33,187	73,75,06,366	1,04,51,784	71,78,46,271
V. Acceptances, endorsements and other obligations *		31,77,93,914		35,13,49,062
VI. Other items for which the bank is contingently liable				
i) Disputed Tax demands under appeals		24,23,45,626		29,36,49,416
ii) Capital Commitments		42,75,805		35,74,605
iii) Amt. Transferred to DEA Fund Scheme 2014		5,41,35,037		4,09,01,330
TOTAL		6,37,39,58,914		5,08,86,90,187
* also includes Liability For Currency Swap Receivable & Payables				
Bills for Collection		58,79,78,332		50,91,34,855

Schedules Forming Part of the Standalone Profit & Loss Account

for the year ended 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2026	For the Year Ended 31 st March 2025
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on advances/bills	79,90,74,262	79,06,69,113
II. Income on Investments	22,30,94,790	23,18,41,928
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other Inter Bank Funds	3,13,23,363	3,27,13,353
IV. Others	64,29,825	38,65,002
TOTAL	1,05,99,22,240	1,05,90,89,396

(₹ in 000')

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2026	For the Year Ended 31 st March 2025
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	2,72,70,366	2,70,78,690
II. Profit on sale of investments (Net)	2,47,59,359	2,10,33,652
III. Profit on revaluation of Investments (Net)	47,59,410	1,17,54,139
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings & other assets (Net)	70,311	22,124
V. Profit on exchange transactions (Net)	1,12,15,656	82,57,656
VI. Income earned by way of Dividends, etc from subsidiaries and/or joint ventures abroad/ in India	9,863	20,419
VII. Miscellaneous Income	12,62,62,891	12,99,62,464
TOTAL	19,43,47,856	19,81,29,144

(₹ in 000')

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2026	For the Year Ended 31 st March 2025
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	65,20,98,594	64,55,89,397
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	2,73,02,499	2,59,60,862
III. Others	1,39,32,881	1,54,02,370
TOTAL	69,33,33,974	68,69,52,629

(₹ in 000')

Particulars	For the Year Ended 31 st March 2026	For the Year Ended 31 st March 2025
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	15,29,04,176	14,66,76,421
II. Rent, Taxes and Lighting	1,37,84,804	1,18,00,083
III. Printing and Stationery	13,57,805	13,35,117
IV. Advertisement and Publicity	13,61,240	12,38,412
V. Depreciation on Bank's property	1,18,78,846	1,07,10,161
VI. Directors' fees, allowances and expenses	32,152	20,465
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	8,30,872	6,47,450
VIII. Law Charges	15,00,117	16,25,917
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	47,63,105	42,74,509
X. Repairs and Maintenance	50,47,194	41,00,556
XI. Insurance	1,57,25,578	1,73,80,883
XII. Other expenditure	6,55,55,262	5,95,55,512
TOTAL	27,47,41,151	25,93,65,486



Significant Accounting Policy For FY 2025-26 (Standalone)

(For required disclosures under schedule 17 forming part of Balance Sheet)

Background:

Union Bank of India (UBI or the Bank) is a banking and financial services statutory body engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies, and institutional customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949. Following are the Significant Accounting Policies i.e., the specific accounting principles and methods of applying these principles in the preparation and presentation of financial statements of the Bank.

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention, accrual basis of accounting, unless otherwise stated and following the Going Concern concept. The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

In case of foreign offices, the statutory provisions, and practices of the local laws of the respective foreign country are followed if they are more prudent.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known/materialized.

3. Revenue Recognition

3.1. Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2. Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

3.3. Commission on Letters of Credit (LC), Bank Guarantee (BG), Deferred Payment Guarantee and Government Business are recognised on accrual basis proportionately over the period.

3.4. Exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar cards, Minimum balance charges etc. are accounted for on realization basis.

3.5. Income recognized on accrual basis for the following investments:

3.5.1. Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.

3.5.2. Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.

3.5.3. Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds is recognized on cash basis.

3.5.4. Subject to sub-clause (3.5.2) above, dividend income on equity investments held under AFS/FVTPL/FVHFT is recognised in the Profit and Loss Account.

3.5.5. Accounting for Broken Period Interest:

Bank would not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and would treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

3.6. Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

3.7. Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

3.8. Any discount / premium on the acquisition of debt securities is amortized over the remaining life of the instruments except for low coupon Bonds (conversion of Debt into securities) as the same is not meeting the SPPI criteria.

4. Appropriation of Recovery:

Recoveries other than by way of OTS/NCLT was appropriated as under:

- 4.1. When there is no agreement between the debtor and creditor as to how monies paid by the debtor are required to be appropriated by the creditor, the order of appropriation is as under:

For Term Loans:

- Towards expenses & costs etc.
- Towards unrecovered interest reversed on the date of NPA.
- Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
- Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
- Towards principal.

For Running Accounts:

- Towards expenses & costs etc.
- Towards interest held in dummy ledger (unapplied interest) including unrecovered interest reversed at the time of NPA.
- Towards running ledger balance.

- 4.2. In case borrower stipulates terms of appropriation differently than above and if such different terms of appropriation is accepted by Bank then appropriation of recoveries is as per the sanction terms.

- 4.3. In case of OTS & all NCLT accounts, recovery either through resolution/liquidation:

Appropriation of recovery to be done as discussed here under or as per the sanction stipulations.

- Towards principal.
- Towards interest held in dummy ledger (unapplied interest) including unrecovered interest reversed at the time of NPA.
- Towards expenses & costs etc.

Any recovery made in the NPA account other than prescribed above, is dealt in accordance with the Recovery Management Policy of the bank.

- 4.4. In case of Non-Performing Investment recovery is apportioned as mentioned below:

- a. Towards expenses & costs etc.
- b. Towards unrecovered interest reversed on the date of NPL.
- c. Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
- d. Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
- e. Towards running ledger balance

- 4.5. In case of failed OTS:

In case any OTS is failed/Cancelled, the Recovery Received before the cancellation should be appropriated as per the Point No.4.3 of this policy, but Recovery Received after cancellation of the OTS should be appropriated as per above Point No.4.1 of this policy.

5. Cash Flow Statements:

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

- 5.1. Cash flow from Operating Activities: This activity includes cash flow generated by or used in Operational activities.
- 5.2. Cash Flow from Investing Activities: This activity includes cash flow generated by or used in investing activities.
- 5.3. Cash Flow from Financing Activities: This activity includes the cash flow generated by or used in financing activities/instruments.
- 5.4. Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.

6. Investments

6.1. Categorization of investments

- a) Bank will classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) is a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment is decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision is properly documented.
- b) Bank will continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:
 - (i) Government securities
 - (ii) Other approved securities
 - (iii) Shares
 - (iv) Debentures & Bonds
 - (v) Subsidiaries and / or joint ventures
 - (vi) Others (to be specified)
- c) From the context of inputs used for valuation, the investments is either of the following:



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Standalone Basis

- (i) "Level 1" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs which are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is substantively based on Level 1 inputs and does not have any significant Level 2 or Level 3 inputs.
- (ii) "Level 2" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is based on Level 1 and Level 2 inputs and does not have any significant Level 3 inputs.
- (iii) "Level 3" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation in which there is a significant Level 3 input.

6.1.1.HTM

- a) Securities that fulfil the following conditions is classified under HTM:
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
 - (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are "solely payments of principal and interest" on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they would not meet the SPPI criteria and therefore would not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in clause 4(18) of the RBI's "Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025" dated 28-11-2025 hereon mentioned as "RBI MASTER CIRCULAR".
 - (iv) Preference shares and Equity shares.

- c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, is considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) gives rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
 - (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

6.1.2.AFS

- a) Securities that meet the following conditions is classified under AFS:
 - (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in paragraph 6.1(a)(ii) of the RBI MASTER CIRCULAR.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in paragraph 41 (3) of the RBI MASTER CIRCULAR) under AFS.
- (b) AFS securities would inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

6.1.3.FVTPL:

- a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL. These would inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.

(iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches would need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion explained in clause 6.1(c) of the RBI MASTER CIRCULAR.

(iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

(v) Securities referred to in sub-clause 36, subject to the exception for equity referred to in sub-clause 40 (1) of the RBI MASTER CIRCULAR.

6.1.4.HFT:

Classification of investments under HFT within FVTPL, in compliance with the requirements of RBI guidelines.

6.1.5. Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

6.2. Initial Recognition:

6.2.1. All investments is measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.

Situations where the presumption is tested include where:

- The transaction is between related parties.
- The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

6.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted is the fair value for initial recognition purposes.

6.2.3. Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

6.2.4. Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognised immediately.

6.2.5. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

6.3. Subsequent Measurement

6.3.1. HTM

- Securities held in HTM is carried at cost and would not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in Chapter X of these Directions.
- Any discount or premium on the securities under HTM is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

6.3.2. AFS

- The securities held in AFS is fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- Securities under AFS is subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in Chapter X of the RBI MASTER CIRCULAR.



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Standalone Basis

- (d) The AFS-Reserve is reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 87 of the RBI MASTER CIRCULAR. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve would not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- (e) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- (f) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments would not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss is transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

6.3.3.FVTPL

- (a) The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8:'Investments'.
- (c) Securities under FVTPL is subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in the RBI MASTER DIRECTION.

6.3.4.Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- (a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures is held at acquisition cost, subject to the requirements of the RBI MASTER DIRECTION.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

- (c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture is determined as under:

- (i) Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is the revised carrying value.
- (ii) Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve is reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
- (iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.

- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments is reclassified to the respective category as under:

- (i) Where the investment is reclassified into HTM, there is no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se is required.
- (ii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated below the line from the Profit and Loss account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated is net of taxes and the amount is transferred to Statutory Reserves.

- (f) Bank evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:

- (i) The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
- (ii) The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
- (iii) The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
- (iv) The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
- (v) There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant is interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of Board, may apply even more conservative thresholds.
- (vi) Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.

In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved break-even within the gestation period as originally envisaged.
- (g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank would obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution is provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

6.4 Reclassification between categories

Wherever the bank reclassifies investments from one category to another category, it shall apply the accounting treatment as given in the Table below subject to the approval of the Board & DOS of RBI.

No.	From	To	Accounting Treatment
a	HTM	AFS	The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value is recognised in AFS-Reserve.
b		FVTPL	The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments is recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/ loss previously recognised in the AFS-Reserve is withdrawn therefrom and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. Thus, the revised carrying value is the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.
d		FVTPL	The investments would continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS Reserve is withdrawn therefrom and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
e	FVTPL	HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
f		AFS	



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Standalone Basis

6.5 Sale of investments

6.5.1. Gain/loss on sale of investments except AFS equity investments is recognised in the profit and loss account. The realised gain or loss on AFS equity investments is recognised in AFS reserve. Further, the profit from sale of HTM investments, investments in subsidiaries, joint ventures and associates and equity AFS investments, net of taxes and transfer to statutory reserve is transferred to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

6.5.2. Any sales from HTM is as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM is disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in Annex II of Master directions of RBI dated 12th September 2023.

6.5.3. In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM would not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold would require prior approval from DoS, RBI.

6.5.4. Sales of securities in the situations given below is excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in clause 20 of the RBI master directions:

- Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
- Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.
- Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
- Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
- Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
- Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

6.5.5. Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of

investments in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

6.5.6. Valuation of securities is arrived at as follows:

A	Govt. of India Securities (Central Govt. Securities)	As per Quotation put out by Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL)
B	State Development Loans, State Govt. Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA Guidelines
C	Equity Shares	As per Market rates, if quoted, otherwise at break-up value, as per latest audited balance sheet (not more than 18 months old). In absence of both, at ₹ 1/- per company. The break-up value is computed excluding revaluation reserve.
D	Preference Shares	As per Market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
E	Debentures/Bonds	As per Market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
F	Mutual Funds (MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
G	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
H	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF

I Security Receipts	Valuation of the same is done as per RBI Guidelines on classification, valuation and operation of Investment portfolio of commercial Banks (RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MGR.42/21.04.141/2021-22) dated Aug 25, 2021 and as amended from time to time. "Government Guaranteed Security Receipts (SRs) is valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments as per RBI Circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR. STR.REC. 72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025 and as amended from time to time".	
6.5.7.Interbank/RBI Repo and Interbank/ RBI Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.		
6.5.8.Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.		
6.5.9.Brokerage and STT paid on purchase and sale of Equity is accounted on pricing.		
6.5.10.The Bank is following weighted average Price (WAP) for accounting of investment portfolio.		
6.5.11.As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.		
6.6 Non-Performing Investments (NPI)		
a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances is used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI would only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.		year is reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.
I. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.		III. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with clause 26.3 of the RBI MASTER CIRCULAR, those equity shares is reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.
II. Sub-clause (a)(i) above would apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it is treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular		IV. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation would not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA. V. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments is classified in the same asset classification category as the loan and provision is made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment is categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the requirements of Chapter III of the RBI MASTER CIRCULAR. b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses. c) Bank would not accrue any income on NPIs. Income is recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security is ignored. d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment would always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI is the higher of the following amounts:



*Significant Accounting Policy for 2025-26 on
Standalone Basis*

- I. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and
- II. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation is required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses is transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised is reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
 - I. Investments in Central Government Securities and State Government Securities would not be classified as NPI.
 - II. Investments in Central Government guaranteed securities would also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, bank would continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income is recognised only on realisation basis.
 - III. Investment in State Government guaranteed securities, would attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.
- g) NPI appropriation process remains unchanged.

6.7 Investment Fluctuation Reserve

- a) Bank would create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - I. Net profit on sale of investments during the year.
 - II. Net profit for the year, less mandatory appropriations.
- b) IFR is eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.
- c) Bank would, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- d) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down is permitted subject to the following conditions:
 - I. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.
 - II. The amount drawn down would not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

6.8 Derivatives

- 6.8.1. Bank would comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 of the said Guidance Note. Bank would present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.
- 6.8.2. Bank would categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2,

and Level 3 as defined in Clause 4 of the RBI MASTER CIRCULAR and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements as per template specified in disclosure template.

- 6.8.3. Bank would not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net unrealized gains on Level 3 derivatives recognized in the Profit and Loss Account is deducted from CET 1 capital.

7 Advances

7.1. All advances are classified under four categories:

- 7.1.1. Standard,
- 7.1.2. Sub-standard,
- 7.1.3. Doubtful and
- 7.1.4. Loss assets.

Provisions required on such advances are made as per the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 issued by the RBI vide RBI/2025-2026/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 as under:

- 7.2. Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:
 - 7.2.1. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
 - 7.2.2. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e.
 - 7.2.2.1. the outstanding balance in the CC/OD account remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days.
 - 7.2.2.2. The outstanding balance in the CC/OD account is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days, or
 - 7.2.2.3. the outstanding balance in the CC/OD account is less than the sanctioned limit/drawing power but credits are not enough to cover the interest debited during the previous 90 days period.
 - 7.2.3. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

- 7.2.4. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.
- 7.2.5. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 7.2.6. A working capital borrower account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.
- 7.2.7. An account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction is treated as NPA.
- 7.2.8. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India (Securitization of Standard Assets) Directions, 2021
- 7.2.9. In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
- 7.2.10. Accounts where there is erosion in the value of security/frauds committed by borrowers
 - 7.2.10.1. In respect of accounts where there are potential threats for recovery on account of erosion in the value of security or non-availability of security and existence of other factors such as frauds committed by borrowers it will not be prudent that such accounts should go through various stages of asset classification. In cases of such serious credit impairment, the asset should be straightaway classified as doubtful or loss asset as appropriate.
 - 7.2.10.2. Erosion in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value of the security is less than 50 per cent of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be. Such NPAs may be straightaway classified under doubtful category.
 - 7.2.10.3. If the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/RBI is less than 10 per cent of the outstanding in the borrowal accounts, the existence of security should be ignored and the asset should be straightaway classified as loss asset



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Standalone Basis

7.2.11 In respect of MSME accounts which is restructured in terms of RBI Circular No DOR. No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 February 11, 2020 with reference to Circular No DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019 and kept in standard category, the Bank shall maintain a provision of 5% in addition to the provision already held. Reversal of said provision was made in accordance with the said circular.

7.2.12. In terms of RBI guidelines relating to 'Covid 19 Regulatory Package' on Asset Classification and Provisioning RBI has issued circular no.DOR. No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 & circular no. DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06th August, 2020, DoR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 & DoR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 05th, 2021 with reference to restructuring of Corporate & Retail Loan, Bank shall maintain necessary provision in this regard.

7.3. NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

7.3.1. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months,

7.3.2. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period exceeding 12 months,

7.3.3. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

7.4. Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	i. A general of 15% of the total outstanding. ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio; iii. However, Unsecured Exposure, ab-initio, in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20% (instead of 25% as stated above)
Doubtful-Secured Portion	i. Up to one year - 25% ii. One to three years -40% iii. More than three years - 100%
Doubtful Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

7.5. Additional Provisions:

After the COVID-19 Pandemic Impact and emerging economic scenario, the bank provides additional provisions against certain specific assets/portfolio of assets (Performing /Non-performing) on prudence basis, above the minimum stipulated as per the Regulatory Norms or as Bank May deem fit and is reviewed on every quarter basis.

7.6. Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

7.7. In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

7.8. For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

7.9. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

7.10.Amounts recovered against debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.

7.11.The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances. Standard Assets provision to be made as per IRAC RBI/2024-2025/12 DOR.STR.REC.8/21.04.048/2024-25 dated April 02, 2024 and any subsequent circular issued from time to time.

7.12.Provision on Suspense accounts entries outstanding for more than six months are made at 100% except the claim receivable from Govt./Govt. Bodies like Interest Subsidy on crop loan/export advance, Pension receivable etc.

8. Property, Plant and Equipment

8.1. Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional

capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The Bank revalues immovable assets at every three years. The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Revenue Reserve. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

8.2. Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight-Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

S N	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in %
1	Immovable Property – land	Not stipulated. Hence, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both residential & Non-residential)	60	1.67
3	Fixtures	10	10.00
4	Furniture including Staff Furniture	5	20.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00
6	Split & Window (individual units) Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installation and equipments	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motorcycles, Scooters & other mopeds	10	10.00
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment / Appliances,	5	20.00
17	SDV Lockers, Strong Room, Cash safe, Gold Safe etc.	20	5.00
18	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
19	Computers – End user devices such as desktops, laptops, Printer & Scanner etc.	3	33.33
20	ATM & Allied items	5	20.00
21	UPS and allied items	5	20.00
22	Servers & Networks	6	16.66

8.3. Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

8.4. Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

8.5. In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations/norms of the respective countries.

9. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS-28 on "Impairment of Assets" issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed during the year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations.



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Standalone Basis

All overseas branches, offshore banking units, overseas subsidiaries are treated as non-integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices are treated as integral operations.

A. Accounting for Integral operations:

- Monetary and Non- Monetary Assets and Liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit & Loss Account.
- Income & Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit & Loss account.
- Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

B. Accounting for Non-Integral operations

- Revenue Recognition
Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.
- Asset Classification and Loan Loss Provisioning
Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.
- Fixed Assets and Depreciation
Fixed Assets are accounted for at historical cost. Depreciation on Fixed Assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.
- Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as Contingent Liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.
- Income & Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.
- All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12. Employee Benefits:

12.1.Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the services are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

The Short-term employee benefits in the nature of Performance based Rewards are recognized as expenses in the year of award.

12.2.Long term Employee Benefits:

12.2.1.Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st April,2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

12.2.2.Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefits plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

- 13.1. Treasury Operations,
- 13.2. Corporate and Wholesale Banking,
- 13.3. Retail Banking Operations and
(w/w Digital Banking Segment)
- 13.4. Other Banking Operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

15. Earnings per Share

The Bank reports the basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

16. Taxation:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by the ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income is available against which such Deferred

Tax Assets is realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with AS-29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources

embodying economic benefits is required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

A disclosure of contingent liability is made when there is;

- a possible obligation arising from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not within the control of the Bank; or
- a present obligation arising from a past event which is not recognised as it is not probable that an outflow of resources is required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets, if any, are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account in terms of Section 52 of the Companies Act, 2013.

19. Debit and Credit Cards Reward Points:

The Bank is having a system of accrual and redemption of reward points on debit and credit card. The Bank estimates the probable redemption of debit and credit card reward points and cost per point using an actuarial method and provide for the liabilities on the outstanding reward points.



Schedule 18 – Notes To Accounts (Standalone):

Disclosures in terms of the Reserve Bank Of India guidelines

1. REGULATORY CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I Capital (AT I).

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% and minimum Tier I CRAR of 9.50% (both inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) as at March 31, 2026. The required disclosures are as under:

a. Composition of Regulatory Capital:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	As at 31 st March 2026	As at 31 st March 2025
i.	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions)	1,19,435.41	1,05,464.73
ii.	Additional Tier 1 capital	7,121.13	8,871.18
iii.	Tier 1 capital (i + ii)	1,26,556.54	1,14,335.91
iv.	Tier 2 capital	11,201.54	12,489.05
v.	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1,37,758.08	1,26,824.96
vi.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	7,61,160.39	7,03,919.88
vii.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.69%	14.98%
viii.	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.63%	16.24%
ix.	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.47%	1.77%
x.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.10%	18.02%
xi.	Leverage Ratio	7.41%	6.99%
xii.	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	74.76	74.76
	b) State Government	--	--
	c) Sponsor Bank	--	--
xiii.	Amount of paid-up equity capital raised during the year	--	--
xiv.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:		
	a. Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	--	--
	b. Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	--	--
	c. Any other	--	--
xv.	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which		
	a. Perpetual Cumulative Preference Shares	--	--
	b. Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	--	--
	c. Basel III compliant Redeemable Non-convertible Tier 2 Bonds	--	--

During the year ended March 31, 2026, the Bank has exercised call option for redemption of ₹2,705 crore Basel III compliant bonds (Tier-I bonds of ₹1,705 crore and Tier-II bonds of ₹1,000 crore).

b. Draw down from Reserves:

During the year 2025-26, the Bank has not drawn any amount from the reserves.

2. ASSET LIABILITY MANAGEMENT
a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

As at 31st March 2026

(₹ in Crore)

	Day 1	2-7 DAYS	8-14 DAYS	15-30 DAYS	31 days-2 months	>2-3 months	>3-6 months	>6 months-1 year	>1-3 years	>3-5 years	> 5 years	TOTAL
Deposits	23,960.06	49,870.25	35,638.41	20,386.83	74,805.67	68,009.36	1,06,639.70	1,54,065.17	1,25,853.87	77,921.10	5,69,740.98	13,06,891.40
Advances	14,142.11	15,544.47	12,726.79	27,437.80	23,185.69	51,591.20	67,327.06	1,20,831.58	4,07,342.69	1,11,049.86	2,02,098.24	10,53,277.49
Investments	44,441.25	1,956.23	408.04	4,309.34	2,424.48	14,869.86	4,008.65	11,623.34	35,714.45	49,340.15	1,61,140.43	3,30,236.22
Borrowings	334.75	569.01	530.20	7,176.97	3,456.71	4,384.51	9,818.26	17,703.46	11,593.30	5,392.28	16,230.73	77,190.17
Foreign Currency assets	7,231.38	7,696.13	1,233.07	5,970.94	3,300.51	7,896.46	9,700.51	12,155.95	9,400.84	6,181.12	1,697.47	72,464.38
Foreign Currency liabilities	605.49	1210.90	619.67	5,215.90	4,873.87	7,088.44	5,933.56	11,658.19	5,270.02	5,523.79	3,462.40	51,462.23

As As at 31st March 2025

(₹ in Crore)

	Day 1	2-7 DAYS	8-14 DAYS	15-30 DAYS	31 days-2 months	>2-3 months	>3-6 months	>6 months-1 year	>1-3 years	>3-5 years	> 5 years	TOTAL
Deposits	23,914.44	42,644.14	24,317.18	31,783.67	50,667.54	51,179.82	1,34,796.20	2,11,132.91	1,32,442.94	75,426.77	4,93,941.29	12,72,246.89
Advances	12,903.67	21,775.32	13,291.13	25,011.78	37,646.00	47,720.37	80,590.91	90,288.04	3,46,062.79	97,175.66	1,81,047.67	9,53,513.34
Investments	69,461.83	8,153.22	250.01	156.14	2,191.50	20,634.69	3,728.29	22,655.66	42,046.56	33,955.70	1,51,147.81	3,54,381.40
Borrowings	437.39	1,709.50	21.76	2,444.59	3,713.00	5,205.04	7,144.14	10,893.57	10,932.53	6,440.01	15,902.89	64,844.41
Foreign Currency assets	4,612.86	11,748.42	980.88	6,216.13	6,934.67	10,509.04	14,128.09	11,889.51	7,332.49	15,082.23	5,178.38	94,612.70
Foreign Currency liabilities	871.34	2,441.41	219.07	3,213.85	5,099.82	5,818.45	9,264.51	11,682.65	8,493.59	7,031.03	4,257.41	58,393.13

**Schedule 18 – Notes to Accounts****b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30-calendar daytime horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high-quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value. HQLA is categorized into two : a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1 assets are stock of HQLA without any haircut. Level 1 Assets mainly comprise Cash including excess Cash Reserve Ratio (CRR), Excess SLR (Statutory Liquidity Ratio), Marginal Standing Facility (2% of Net Demand and Time Liability w.e.f. 01st January 2022) & FALLCR (16.00% of Net Demand and Time Liability).

A haircut of 15% is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise of securities with 20% risk weight. A 50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets should not be more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%.

Net Cash Outflows

The total net cash outflows are defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows. In order to determine cash outflows, the Bank, in terms of RBI guidelines, segregates its deposits into various customer segments, viz Retail (which include deposits from Natural Persons), Small Business Customers (those with total aggregated funding upto ₹ 7.5 crore) and deposits from Non-Financial Customers (NFC) and Other Legal Entity Customers (OLE). Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in, up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Brief about LCR of the Bank :

The entities covered are Union Bank of India and Union Bank of India UK Ltd. The Bank during the three months ended 31st Mar 2026 maintained average HQLA of ₹ 2,59,841 Crore. Level 1 assets are the main drivers of HQLA for the bank. They contribute to 98% of the total stock of HQLA. Based on daily averages for the quarter ended 31st March 2026, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 77% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 2% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Unsecured wholesale funding constitutes major portion of total funding sources. Retail deposits and deposits from small business customers contributed around 21% and 4% of the total weighted cash outflows, respectively. Deposits from non-financial corporates contributed around 30% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients. Inflows by various counterparties contribute around 77% of the total weighted cash inflows.

Bank has calculated LCR for all working days over the Mar 2026 quarter. The average LCR for the quarter ended 31st Mar 2026 is 113.83% as against 123.64% for quarter ended 31st Dec 2025 and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100%.

(₹ in Crore)

Movement of Average LCR during Financial Year 2025-26

Period	Quarters				Year	
	June 2025	September 2025	December 2025	March 2026	FY 2025-26	FY 2024-25
LCR Ratio	131.72	127.33	123.64	113.83	124.13	135.84

Quantitative Disclosure (Quarter wise)

	Quarter ended 31 st March 2025			Quarter ended 30 th June 2025			Quarter ended 30 th September 2025			Quarter ended 31 st December 2025			Quarter ended 31 st March 2026		
	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets															
1. Total High-Quality Liquid Assets (HQLA)	2,85,488.99	2,84,439.29	3,04,382.67	3,03,379.13	2,83,313.30	2,82,261.03	2,67,224.16	2,66,142.32	2,60,818.10	2,59,840.73					
Cash Outflows															
2. Retail deposits and deposits from small business customers, of which:															
i. Stable deposits	2,05,590.31	10,279.52	1,58,514.30	7,925.72	7,58,318.19	67,873.66	7,69,168.90	68,961.68	7,86,866.61	70,606.48					
ii. Less stable deposits	5,27,328.32	52,732.83	5,94,617.36	59,461.74	5,99,155.02	59,915.50	6,10,064.71	61,006.47	6,25,263.08	62,526.31					
3. Unsecured wholesale funding, of which:	2,77,289.57	1,58,676.28	2,86,483.01	1,56,977.13	2,77,633.91	1,50,807.87	2,74,996.18	1,56,923.55	2,81,569.73	1,66,213.43					
i. Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ii. Non-operational deposits (all counterparties)	2,77,289.57	1,58,676.28	2,86,483.01	1,56,977.13	2,77,633.91	1,50,807.87	2,74,996.18	1,56,923.55	2,81,569.73	1,66,213.43					
iii. Unsecured debt															
4. Secured wholesale funding	3,075.97	5.04	603.25	-	5,126.30	-	3,325.48	18.30	2,314.57	10.09					
5. Additional requirements, of which	2,00,018.74	24,388.14	2,51,293.12	32,979.30	2,19,592.00	31,098.15	2,54,331.73	30,113.78	2,44,987.98	27,648.20					
i. Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	151.22	151.22	126.65	126.65	136.32	136.32	137.94	137.94	170.23	170.23					
ii. Outflows related to loss of funding on debt products	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
iii. Credit and liquidity facilities	1,99,867.52	24,236.92	2,51,166.47	32,852.65	2,19,455.69	30,961.83	2,54,193.79	29,975.83	2,44,817.74	27,477.96					



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in Crore)

	Quarter ended 31 st March 2025		Quarter ended 30 th June 2025		Quarter ended 30 th September 2025		Quarter ended 31 st December 2025		Quarter ended 31 st March 2026	
	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
6. Other contractual funding obligations	13,615.25	13,615.25	20,587.22	20,587.22	16,475.94	16,475.94	14,760.78	14,760.78	16,430.51	16,430.51
7. Other contingent funding obligations	93,706.21	2,811.19	95,597.23	2,867.92	94,354.63	2,830.64	94,386.33	2,833.18	1,02,561.82	3,261.45
8. TOTAL CASH OUTFLOWS	13,20,624.37	2,62,508.25	14,07,695.50	2,80,799.02	13,71,500.97	2,69,086.26	14,10,969.41	2,73,611.25	14,34,731.21	2,84,170.16
Cash Inflows										
9. Secured lending (e.g. reverse repos)	3,375.17	0.00	4,698.40	0.00	30,246.43	0.00	7,412.60	0.00	2,608.72	0.00
10. Inflows from fully performing exposures	47,405.36	35,626.41	49,945.34	39,426.10	45,543.23	35,434.21	59,285.08	44,758.46	57,960.18	44,192.83
11. Other cash inflows	9,208.66	9,208.66	11,045.98	11,045.98	11,969.01	11,969.01	13,591.51	13,591.51	11,699.64	11,699.64
12. TOTAL CASH INFLOWS	59,989.19	44,835.07	65,689.71	50,472.08	87,758.67	47,403.22	80,289.19	58,349.97	72,268.55	55,892.47
13. TOTAL HQLA		Total adjusted value								
14. TOTAL NET CASH OUTFLOWS		2,84,439.29		3,03,379.13		2,82,261.03		2,66,142.32		2,59,840.72
15. LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		2,17,673.19		2,30,326.94		2,21,683.04		2,15,261.28		2,28,277.69
		130.67%		131.72%		127.33%		123.64%		113.83%

c. Net Stable Funding ratio (NSFR)

Qualitative Disclosure:

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR will require banks to maintain a stable funding profile in the form of Capital & liabilities in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities.

NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} > 100\%$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations and computed at standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank:

The entities covered are Union Bank of India and Union Bank of India UK Ltd. The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 12%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 71% and wholesale funding formed 16% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 88% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 1% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 10% of the Required Stable Funding.

Bank has maintained comfortable stable funding buffers with Available Stable Funding at consolidated level of ₹ 11,09,824 Crores against ₹ 9,62,195 Crores of Required Stable Funding, resulting in a consolidated NSFR of 115.34% as on 31st Mar, 2026.

Quantitative Disclosure: FY 2025-26

(₹ in crore)

Details	NSFR Disclosure - Consolidated March,2026				
	Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item					
1. Capital: (2+3)	1,23,210.40	-	750.00	18,274.29	1,41,859.69
2. Regulatory capital	1,23,210.40	-	-	1,091.29	1,24,301.69
3. Other capital instruments	-	-	750.00	17,183.00	17,558.00
4. Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,68,788.90	2,25,444.50	1,52,973.39	95,093.49	7,67,585.34
5. Stable deposits	79,733.61	50,692.15	57,064.41	1,169.28	1,79,284.95



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in crore)

Details	NSFR Disclosure - Consolidated March,2026				
	Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
6. Less stable deposits	2,89,055.29	1,74,752.35	95,908.98	93,924.21	5,88,300.39
7. Wholesale funding:(8+9)	91,603.52	2,40,193.52	1,32,515.94	4,035.69	1,75,868.96
8. Operational deposits	-	-	-	-	-
9. Other wholesale funding	91,603.52	2,40,193.52	1,32,515.94	4,035.69	1,75,868.96
10.Other liabilities:(11+12)	62,388.98	26,270.40	16,953.46	16,033.31	24,510.04
11.NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-
12.All other liabilities and equity not included in the above categories	62,388.98	26,270.40	16,953.46	16,033.31	24,510.04
13.Total ASF (1+4+7+10)					11,09,824.03
RSF Item					
14.Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					13,299.98
15.Deposits held at other financial institutions for operational purposes	931.66	-	-	-	465.83
16.Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	2,137.15	2,62,757.69	1,00,407.33	8,62,458.17	8,47,230.09
17.Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	15,200.36	-	-	1,520.04
18.Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	1,16,325.38	16,842.02	1,20,814.17	1,42,779.04
19.Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	1,25,951.95	71,174.37	5,78,446.71	5,73,664.87
20.With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	31,116.77	516.02	1,10,948.24	87,932.75
21.Performing residential mortgages, of which:	-	2.68	8.86	91,431.65	59,436.34
22.With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	2.68	8.86	91,431.65	59,436.34
23.Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	2,137.15	5,277.31	12,382.08	71,765.65	69,829.80
24.Other assets:(sum of rows 25 to 29)	78,046.52	25,259.90	214.40	390.39	86,264.01
25.Physical traded commodities, including gold	-				-
26.Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		8,168.64	-	-	6,943.34

(₹ in crore)

Details	NSFR Disclosure - Consolidated March,2026				
	Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
27.NSFR derivative assets		189.08	-	-	189.08
28.NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		587.48	-	-	587.48
29.All other assets not included in the above categories	78,046.52	16,314.70	214.40	390.39	78,544.10
30.Off-balance sheet items		3,37,067.22	11.32	-	14,934.91
31.Total RSF (14+15+16+24+30)					9,62,194.82
32.Net Stable Funding Ratio (%)					115.34%

Quantitative Disclosure: FY 2024-25

(₹ in crore)

Details	NSFR Disclosure - Consolidated March,2025				
	Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value

ASF Item

1. Capital: (2+3)	1,08,430.91	--	--	18,602.11	1,27,033.02
2. Regulatory capital	1,08,430.91	--	--	964.11	1,09,395.02
3. Other capital instruments	--	--	--	17,638.00	17,638.00
4. Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,43,565.17	1,87,586.21	1,60,183.72	96,579.75	7,18,218.95
5. Stable deposits	73,310.78	44,317.37	60,061.25	1,848.27	1,70,653.20
6. Less stable deposits	2,70,254.39	1,43,268.85	1,00,122.48	94,731.48	5,47,565.75
7. Wholesale funding:(8+9)	82,803.91	2,41,245.60	1,90,003.91	10,660.95	1,64,480.14
8. Operational deposits	--	--	--	--	--
9. Other wholesale funding	82,803.91	2,41,245.60	1,90,003.91	10,660.95	1,64,480.14
10. Other liabilities:(11+12)	68,561.20	1,592.05	1,556.76	6,554.97	7,333.35
11. NSFR derivative liabilities	--	--	--	--	--
12. All other liabilities and equity not included in the above categories	68,561.20	1,592.05	1,556.76	6,554.97	7,333.35
13. Total ASF (1+4+7+10)					10,17,065.46

RSF Item

14. Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					14,254.77
--	--	--	--	--	-----------



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in crore)

Details	NSFR Disclosure - Consolidated March, 2025				
	Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
15. Deposits held at other financial institutions for operational purposes	1,503.05	--	--	--	751.53
16. Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,837.18	2,78,751.02	75,390.74	7,36,037.35	7,23,150.86
17. Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	--	499.52	--	--	49.95
18. Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	--	1,61,066.20	17,204.84	82,089.12	1,08,831.82
19. Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	--	1,13,930.10	51,517.09	6,01,671.95	5,64,449.61
20. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	--	29,611.69	2,119.77	1,46,712.09	1,11,228.59
21. Performing residential mortgages, of which:	--	0.96	7.78	--	4.37
22. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	--	0.96	7.78	--	4.37
23. Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,837.18	3,254.23	6,661.03	52,276.27	49,815.11
24. Other assets:(sum of rows 25 to 29)	33,046.90	36,732.45	157.42	291.36	59,821.68
25. Physical traded commodities, including gold	--	--	--	--	--
26. Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	--	22,467.05	--	--	19,096.99
27. NSFR derivative assets	--	212.02	--	--	212.02
28. NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	--	138.04	--	--	138.04
29. All other assets not included in the above categories	33,046.90	13,915.34	157.42	291.36	40,374.63
30. Off-balance sheet items	--	3,37,064.13	--	2.19	14,966.97
31. Total RSF (14+15+16+24+30)	--	--	--	--	8,12,945.81
32. Net Stable Funding Ratio (%)	--	--	--	--	125.11%

3. INVESTMENTS

a. Composition of investments portfolio

Composition of investments portfolio as on 31.03.2026

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26						FY 2024-25					
	HTM		AFS		FVTPL		HTM		AFS		FVTPL	
	At cost	Fair Value			HFT	non-HFT	At cost	Fair Value			HFT	non-HFT
I. Investments in India												
(i) Government securities	2,12,311.71	2,06,806.04	43,756.72	5,318.33	-	-	2,55,001.95	2,56,646.09	13,677.43	14,394.58	-	-
(ii) Other approved securities	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Shares	--	--	56.73	664.51	5,948.80	-	-	-	56.73	290.18	6,007.70	-
(iv) Debentures and Bonds	47,047.44	47,096.57	3,960.37	1,361.14	1,442.43	-	49,123.65	48,999.96	5,412.96	154.99	2,183.86	-
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures												
(vi) Others	-	-	5,187.25	-	3,004.07	-	-	-	6,270.87	-	2,707.89	-
Total	2,59,359.15	2,53,902.61	52,961.08	7,343.98	10,395.30	616.00	3,04,125.60	3,05,646.05	25,418.00	14,839.76	10,899.46	526.82
Less: Provisions for impairment / NPI	(218.45)	(218.45)	(887.63)	-	(3,191.61)	-	(218.45)	(218.45)	(1,563.90)	-	(3,566.02)	-
Net	2,59,140.70	2,53,684.16	52,073.45	7,343.98	7,203.69	616.00	3,03,907.15	3,05,427.60	23,854.10	14,839.76	7,333.44	526.82
II. Investments outside India												
(i) Government securities (including local authorities)	-	-	2,852.39	-	-	-	-	-	2,775.33	-	-	-
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures												
(iii) Other investments	-	-	-	-	14.64	-	-	-	-	-	13.26	-
Total	-	-	2,852.39	-	14.64	1,005.45	-	-	2,775.33	-	13.26	1,144.23
Less: Provisions for impairment / NPI	-	-	-	-	(14.08)	-	-	-	-	-	(12.70)	-
Net	--	--	2,852.39	-	0.56	1,005.45	-	-	2,775.33	-	0.56	1,144.23
Total investments (I+II)	2,59,140.70	2,53,684.16	54,925.84	7,343.98	7,204.25	1,621.45	3,03,907.15	3,05,427.60	26,629.43	14,839.76	7,334.00	1,671.05



Schedule 18 – Notes to Accounts

b. Fair value hierarchy of investments portfolio measured at fair value on Balance Sheet Date (₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26						FY 2024-25					
	AFS			FVTPL			AFS			FVTPL		
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Total
I. Investments in India												
(i) Government securities	27,251.80	16,504.93	0.00	43,756.72	(131.24)	5,449.58	10,560.62	3,116.81	--	13,677.43	14,235.81	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	56.73	0.00	56.73	2,258.38	135.26	0.00	56.73	--	1,900.74	265.64	4,131.51
(iv) Debentures and Bonds	1,110.41	2,570.10	279.86	3,960.37	638.68	2,095.86	2,298.05	3,114.92	--	5,412.96	1,277.13	0.00
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures												
(vi) Others	0.00	5,187.25	0.00	5,187.25	536.99	0.00	0.00	6,270.87	--	6,270.87	386.68	2,321.21
Total	28,362.21	24,319.02	279.86	52,961.08	3,302.81	7,680.70	12,858.67	12,559.32	--	25,417.99	15,778.57	6,452.72
												25,739.21
II. Investments outside India												
(i) Government securities (including local authorities)	2,852.39	0.00	0.00	2,852.39	0.00	0.00	2,775.33	0.00	--	2,775.33	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures												
(iii) Other investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	13.26
Total	2,852.39	0.00	0.00	2,852.39	0.00	0.00	2,775.33	0.00	--	2,775.33	0.00	13.26
Total investments (I+II)	31,214.60	24,319.02	279.86	55,813.47	3,302.81	7,680.70	15,634.00	12,559.32	0.00	28,193.32	15,778.57	6,465.98

Note: It includes gross balance sheet value of Investment portfolio excluding NPI provision.

c. Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Recognised in AFS-Reserve	--	--
Recognised in Profit and Loss Account	1,812.98	1,385.88

Note: Excludes Level 3 assets where the valuation of the assets is the price declared by FBIL / FIMMDA for those assets.

Note: It includes realized profit of ₹ 126.22 Crore under AFS category, profit of ₹ 421.45 Cr under FVTPL category, loss of ₹ 5.15 Crores under SUBS & JV category and unrealized gain on FVTPL category of ₹ 1,270.46 Cr.

d. Details of sales made out of HTM:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
A Opening carrying value of securities in HTM	3,03,907.15	2,75,642.20
B Carrying value of all HTM securities sold during the year	62,601.25	37,610.16
C Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	47,613.53	23,885.23
D Carrying value of securities sold (D=B-C)	14,987.72	13,724.93
E Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	4.93%	4.98%
F Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	--	--

e.Reclassification between categories of investments

During the FY 2025-26, Bank has reclassified the Debenture of Star Union Dai- ichi Life Insurance Company Limited (Joint venture) having face value of ₹ 50.00 Cr from FVTPL category to Subsidiary and Joint Ventures Category. Bank is carrying the said investment at cost.

f. Movements of Provisions for non-performing investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(₹ in crore)

S.No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
i.	Movement of provisions held towards NPIs		
	a. Opening balance	5348.37	5,597.16
	b. Add: Provisions made during the year	211.67	279.41
	c. Less: Write off / Write back of excess provisions during the year	1262.35	528.20
	d. Closing Balance	4297.69	5,348.37
ii.	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a. Opening Balance	1381.40	1,381.40
	b. Add: Amount transferred during the year	320.00	--
	c. Less: Drawdown	--	--
	d. Closing Balance	1701.40	1,381.40
iii.	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS FVTPL (including HFT) category.	2.31	2.70
iv.	Movement of Investment Reserve		
	a. Opening Balance	--	329.69
	b. Add: Amount transferred during the year	--	--
	c. Less: Drawdown	--	329.69
	d. Closing Balance	--	--



Schedule 18 – Notes to Accounts

g. Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
a. Opening Balance	5,572.77	5,873.53
b. Additions during the year since 1 st April	142.76	247.28
c. Reductions during the above period	1,262.34	548.04
d. Closing balance	4,453.19	5,572.77
e. Total provisions held on above	4,297.69	5,348.37

ii) Issuer composition of non-SLR investments

The issuer composition of investments in securities, other than Government and other approved securities is given below:

(₹ in Crore)

Sr. No	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
a.	PSUs	4,339.74	3,883.37	2,930.13	2,332.36	--	--	1,990.71	2,303.37	139.18	0.58
b.	FIs	2,694.57	2,528.81	1,969.17	1,799.19	--	--	--	--	--	--
c.	Banks	5,998.97	6,195.90	1,123.94	1,445.40	--	--	5.00	5.00	--	--
d.	Private Corporates	10,022.88	12,588.01	6,407.13	9,591.64	39.04	24.34	141.47	226.80	112.09	369.45
e.	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,621.45	1,671.05	1,621.45	1,671.05	--	--	--	--	--	--
f.	Others	48,469.52	49,801.34	45,080.16	45,611.23	--	--	--	--	--	--
g.	Less: Provision held towards NPI	(4,297.69)	(5,361.07)	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTAL	68,849.44	71,307.43	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Repo Transactions (in Face Value and Market Value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

FY 2025-26

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2026	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
a. Securities sold under Repo								
i. Government securities	1.00	0.99	19,424.12	19,545.13	1,535.27	1,549.12	3,942.80	3,981.24
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. Any other securities	--	--	--	--	--	--	--	--
b. Securities purchased under Reverse Repo								
i. Government securities	5.00	5.00	53,222.65	52,811.55	9,979.63	9,949.89	2,966.92	2,926.68
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. Any other securities	--	--	--	--	--	--	--	--

#MV stands for Market value

##FV stands for Face value

FY 2024-25

(₹ in crore)

Particulars		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2025	
Securities sold under Repo									
a.	Securities sold under Repo	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
	i. Government securities	--		13,810.74	14,086.83	1,050.64	1,068.37	--	
	ii. Corporate debt securities	--	--		--	--	--	--	--
	iii. Any other securities	--	--	--	--	--	--	--	--
b.	Securities purchased under Reverse Repo	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
	i. Government securities	--		30,377.14	30,377.14	3,799.22	3,743.38		--
	ii. Corporate debt securities	--		50.00	49.99	1.05	1.05		--
	iii. Any other securities	--		--	--	--	--		--

#MV stands for Market value

##FV stands for Face value

i. Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

FY 2025-26

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2026
Securities lent through GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities borrowed through GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities placed as collateral under GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities received as collateral under GSL Transactions	--	--	--	--	--

FY 2024-25

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2025
Securities lent through GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities borrowed through GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities placed as collateral under GSL transactions	--	--	--	--	--
Securities received as collateral under GSL Transactions	--	--	--	--	--



Schedule 18 – Notes to Accounts

- I) Profit of ₹ 1,024.45 Crore (previous year ₹ 605.32 crore) on sale of “Held to Maturity” category securities have been taken to profit and loss account initially.
- II) In respect of “Held to Maturity” category, the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 344.95 crore (previous year ₹ 496.30 Crore).
- III) Pursuant to RBI circular RBI/2023-24/90 DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023, as amended/clarified by RBI circular RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024 and RBI/2025-26/138 DOR.STR.REC.43/21.04.048/2025-26 dated July 29, 2025, Bank has made a provision of ₹ 10.07 Crore in respect of investments in Alternate Investment Funds (AIF) as on March 31, 2026 (Previous Year ₹ 15.20 Crore).
- j. Central Government vide Gazette Notification no. CG-DL-E07042025-262339 dated April 07, 2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank (Sponsored by Union Bank of India), Andhra pragathi Grameena Bank (Sponsored by Canara Bank), Saptagiri Grameena Bank (Sponsored by Indian Bank) and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Sponsored by State Bank of India) into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsor of Union Bank of India. Accordingly, Chaitanya Godavari Grameena Bank, sponsored by our Bank amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank (with Union Bank of India as the sponsor Bank) w.e.f. May 01, 2025.
- k. There is no material impact of changes in Significant Accounting Policies followed by the bank during the financial year ended March 31, 2026 as those followed in the preceding financial year ended March 31, 2025.

4. ASSET QUALITY

a. Classification of advances and provisions held

(₹ in Crore)

FY 2025-26	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	9,47,544.05	8,616.42	19,807.64	6,926.32	35,350.38	9,82,894.43
Add: Additions during the year					8,450.95	
Less: Reductions during the year*					13,400.56	
Closing balance	10,48,210.21	5,341.43	20,022.76	5,036.58	30,400.77	10,78,610.97
*Reductions in Gross NPAs due to:					13,400.56	
I. Upgradation					2,429.64	
II. Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					4,403.87	
III. Technical/ Prudential Write-offs					4,907.72	
IV. Write-offs other than those under (iii) above					1,659.33	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	6,042.73	3,355.94	18,965.70	6,894.68	29,216.32	35,259.05
Add: Fresh provisions made during the year	1,845.63				2,337.17	4,182.80
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	(14.99)				6,353.09	6,338.10
Closing balance of provisions held	7,903.35	1312.08	18,903.61	4,984.71	25,200.40	33,103.75
Amount kept in Sundry Deposits-ECGC Claim received/Recovery in suit filed accounts						133.08
Net NPAs						
Opening Balance		5,260.14	709.15	-	5,969.29	5,969.29
Add: Fresh additions during the year					6,113.78	6,113.78
Less: Reductions during the year					7,015.79	7,015.79
Closing Balance		4,018.72	1,048.56	-	5,067.28	5,067.28

Classification of advances and provisions held

(₹ in Crore)

FY 2024-25	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	8,61,786.17	7,900.42	24,833.99	10,363.31	43,097.73	9,04,883.90
Add: Additions during the year					12,073.93	
Less: Reductions during the year*					19,821.28	
Closing balance	9,47,544.05	8,616.42	19,807.64	6,926.32	35,350.38	9,82,894.43
*Reductions in Gross NPAs due to:					19,821.28	
I. Upgradations					3,262.63	
II. Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					4,925.27	
III. Technical/ Prudential Write-offs					8,792.52	
IV. Write-offs other than those under (iii) above					2,840.86	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	5,977.38	2,181.45	21,392.83	10,214.69	33,788.97	39,766.35
Add: Fresh provisions made during the year	81.28				7,308.49	7,389.77
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	15.93				11,881.14	11,897.07
Closing balance of provisions held	6,042.73	3,355.94	18,965.70	6,894.68	29,216.32	35,259.05
Amount kept in Sundry Deposits-ECGC Claim received/Recovery in suit filed accounts						164.76
Net NPAs						
Opening Balance		5,702.09	3,287.83	-	8,989.92	8,989.92
Add: Fresh additions during the year					4,765.44	4,765.44
Less: Reductions during the year					7,786.07	7,786.07
Closing Balance		5,260.14	709.15	-	5,969.29	5,969.29

Floating Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening Balance	--	--
Add: Additional provisions made during the year	--	--
Less: Amount drawn down during the year	--	--
Closing balance of floating provisions	--	--

Technical write-offs and the recoveries made thereon

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening Balance of Technical/Prudential written off accounts	75,414.97	79,837.43
Add: Technical/Prudential write-off during the year	4,907.72	8,792.52
Less: Recoveries made from previously Technical/Prudential written-off accounts during the year	7,393.06	13,214.98
Closing Balance	72,929.65	75,414.97



Schedule 18 – Notes to Accounts

Asset Quality Ratios (in per cent)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross NPA to Gross Advances	2.82%	3.60%
Net NPA to Net Advances	0.48%	0.63%
Provision Coverage Ratio	95.03%	94.61%

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

Sector *	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
1. Priority Sector						
a. Agriculture and allied activities	1,78,089.31	13,639.26	7.66	1,68,978.17	13,914.93	8.23
b. Advances to industries sector eligible as priority sector lending	67,961.47	2,603.07	3.83	42,705.68	2,017.38	4.72
c. Services	94,117.53	4,383.94	4.66	96,414.80	3,698.75	3.84
d. Personal loans	30,374.47	928.28	3.06	28,386.55	1,030.89	3.63
Sub-total (1)	3,70,542.77	21,554.55	5.82	3,36,485.20	20,661.95	6.14
2. Non-Priority Sector						
a. Agriculture and allied activities	5,304.32	319.44	6.02	9,501.17	440.62	4.64
b. Industry	1,15,770.74	674.32	0.58	1,15,612.50	1,961.20	1.70
c. Services	3,17,552.92	4,114.57	1.30	2,86,940.85	4,736.72	1.65
d. Personal loans	2,69,440.22	3,737.79	1.39	2,34,354.71	7,549.89	3.22
Sub-total (2)	7,08,068.20	8,846.22	1.25	6,46,409.23	14,688.43	2.27
Total (1+2)	10,78,610.97	30,400.77	2.82	9,82,894.43	35,350.38	3.60

*Details of industry/Services wherein Sub-sector advances is more than 10% of the total advances of industry /Service sector:

Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

S.No.	Sector	FY 2025-26		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
I.	NBFC (Service)	1,64,798.00	45.38	0.03
II.	Infrastructure (Industry)	1,11,003.85	3,935.93	3.55
III.	Food Processing (Industry)	30,331.27	1,703.03	5.61
IV.	Basic Metal & Metal Products (Industry)	28,902.46	312.58	1.08

Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

S.No.	Sector	FY 2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
I.	NBFC (Service)	1,33,988.00	34.90	0.03
II.	Infrastructure (Industry)	1,04,051.94	4,776.78	4.59
III.	Food Processing (Industry)	26,209.14	1,605.32	6.13

c. OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Assets	50,121.55	57,780.41
Total NPAs	1,134.15	2,353.28
Total Revenue	2,748.69	2,938.26

d. Particulars of resolution plan and restructuring under Reserve Bank of India (Commercial Banks –Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025:

(₹ in Crore)

Particulars	No. of accounts	Investment value	Provision Held
Debt converted into Equity during the Current Year, based on reference Circular -Pertains to Capital Market Exposures, investment in Para-Banking activities and intra-group exposure.	4	32.16	100%

Note: The above data does not include conversion of debentures into Equities.

e. Divergence in asset classification & provisioning

Based on the conditions mentioned in RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures circular No. RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 November 28, 2025), no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's supervisory process, for the year ended March 31, 2025.

f. Disclosure of transfer of loan exposure:

i) Details of loans not in default acquired through assignment / novation and loan participation are given below:

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Aggregate Amount of Loans acquired*	2,133.63	4,849.49
Weighted average residual maturity (in months)	147.91	156.79
Weighted average holding period by originator (in months)	13.79	29.00
Retention of beneficial economic interest by the originator	10%	10%
Tangible Security Coverage(%)	210.10	180.70

*The loans acquired are not rated as these are to Non-corporate Borrowers.

Note: The rating of obligor accounts is not applicable as maximum exposure undertaken in the pool of obligors is less than ₹ 25 crores.



Schedule 18 – Notes to Accounts

- ii) The Bank has not acquired any non-performing assets during FY 2025-26.
- iii) The Bank has not transferred any loans not in default or SMA category during FY 2025-26.
- iv) Details of non-performing loans transferred are given below:

(₹ in Crore)

FY 2025-26	To ARCs	To permitted transferees(**)	To other transferees
No. of accounts	10*	5	--
Aggregate principal outstanding of loans transferred	969.82	533.86	--
Weighted average residual tenor of the loans transferred (months)	0.00	0.00	--
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	0.00	--
Aggregate consideration	359.47	171.28	--
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	301.61(@)	--	--

Details of loans acquired during the year

(₹ in Crore)

	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	--	--
Aggregate consideration paid	--	--
Weighted average residual tenor of the loans acquired	--	--

The quantum of excess provisions reversed to the Profit and loss account on account of sale of stressed loans is Nil.

The Bank has not acquired any Stressed Loans during the period 01.04.2025 to 31.03.2026.

* Out of total 10 accounts, 6 accounts transferred to ARCs with sale consideration of ₹ 146.66 Crore and 4 accounts transferred to NARCL with aggregate sale consideration of ₹ 212.81 Crore.

** permitted transferees refers to NBFCs.

(@) Cumulative for the period from 01.04.2025 to 31.03.2026.

(₹ in Crore)

FY 2024-25	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	17*	1	--
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,544.02	9.14	--
Weighted average residual tenor of the loans transferred (months)	16.83	--	--
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	--	--	--
Aggregate consideration	773.50	14.74	--
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	--	--	--

Details of loans acquired during the year

(₹ in Crore)

	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	--	--
Aggregate consideration paid	--	--
Weighted average residual tenor of the loans acquired	--	--

* 4 accounts transferred to NARCL with aggregate sale consideration amount of ₹ 76.91 crore

v) Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31st March, 2026 are as under:

a) Security Receipts guaranteed by Government of India:

(₹ in Crore)

	Face Value	Market Value	Book Value	Face Value	Market Value	Book Value
	FY 2025-26	FY 2025-26	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2024-25	FY 2024-25
RR1+	0.02	0.02	-	-	-	-
RR1	697.53	805.66	66.77	614.82	723.40	0.00
RR2	-	-	-	-	-	-
RR3	-	-	-	-	-	-
RR4	-	-	-	-	-	-
RR5	-	-	-	-	-	-
Unrated	108.70	108.70	108.70	64.00	64.00	0.00
Total	806.25	914.38	175.47	678.82	787.40	0.00

b) Security Receipts not guaranteed by Government of India:

(₹ in Crore)

	Face Value	Market Value	Book Value	Face Value	Market Value	Book Value
	FY 2025-26	FY 2025-26	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2024-25	FY 2024-25
RR1+	0.95	-	-	139.31	0.00	0.00
RR1	-	-	-	57.22	0.00	0.00
RR2	-	-	-	262.02	0.00	0.00
RR3	26.94	-	-	75.36	0.00	0.00
RR4	-	-	-	48.14	0.00	0.00
RR5	69.53	-	56.55	258.88	0.00	94.60
Unrated	1,454.14	-	810.36	920.57	0.00	776.10
Total	1,551.56	-	866.91	1,761.50	0.00	870.70

As per RBI Guidelines post 8 years rating is not applicable. 100% provision has been made on the Book value of Security Receipts.

As per RBI Master Directions on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12th September 2023 and subsequent issue of RBI master direction Reserve Bank of India (Commercial Banks - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, Standard Security Receipts are controlled @ Re. 1.00 w.e.f. April 01, 2024.



Schedule 18 – Notes to Accounts

*As per RBI circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR. STR. REC.72/21.04.048/2024-25 dated 29.03.2025, SRs backed by Government Guarantee shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments w.e.f. 29.03.2025.

We further inform that four new security receipts have been added in the SR portfolio during the period April 01, 2025 to March 31, 2026.

g. Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA)

(₹ in Crore)

S. No	Disclosure Item (Aggregate Basis)	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Total Quantum of CLAs (Outstanding)	2,451.80	2,224.96
2	Weighted Average Rate of Interest (WAIR) on CLA Portfolio	8.32%	9.25%
3	Total Fees Earned from CLA	0.44	1.51
4	Total Fees Paid to CLA Partners	4.21	2.60
5	Broad Sectors under which CLA Assets Exist	Retail (Home, Education) MSME (LAP)	Retail (Home, Education) MSME (LAP)
6	Performance of Loans under CLA (Aggregated)		
	• Standard Assets	2,428.62	2,210.78
	• SMA0	47.26	30.26
	• SMA1	37.57	33.01
	• SMA2	8.51	9.52
	• GNPA under CLA	23.18	14.18
	• GNPA %	0.95%	0.63%
	• NNPA under CLA	11.65	9.91
	• NNPA %	0.48%	0.45%
7	Default Loss Guarantee (DLG), if any etc.	% of DLG: NA	% of DLG: NA
		DLG amount covered: NA	DLG amount covered: NA
		DLG invoked during period: NA	DLG invoked during period: NA

h. Fraud Accounts

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of frauds reported (Nos.)	290	282
Amount involved in fraud #	2,274.46	4,598.71
Amount outstanding in fraud	2,004.04	2,784.20
Amount of Provision made for such frauds	2,004.04	2,784.20
Amount of Unamortized Provision debited from "other reserve" as at the end of Year	--	--

During FY 2025-26, 259 fresh cases amounting to ₹ 560.44 Cr. were reported as fraud and remaining 31 cases amounting to ₹ 1,714.02 Cr. are re-examined cases.

i. Disclosure related to project finance:

Sl. No	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	410	27,975.96
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	332	2,514.74
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	52	2,533.14
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	690	31,359.66
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	227	4,883.24
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	110	2,237.20
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	117	2,646.04
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0.00
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	0	0.00
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	0	0.00
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0	0.00
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	0	0.00
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	0	0.00
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0	0.00
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0.00
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0.00

Note: This is a quarterly disclosure beginning from October 1, 2025. vide Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025.



Schedule 18 – Notes to Accounts

- j. Details of resolution plan implemented under Resolution framework for Covid 19 related stress as per RBI circular dated 6th August 2020 and 5th May 2021 are as below:

FY 2025-26

(₹ in Crore)

Type of borrower	(A) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position as at 30.09.2025	(B) of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(C) Of (A), Amount written off during the half year	(D) Of (A) amount paid by the borrower during the half year#	(E) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position as at 31.03.2026
Personal Loans	2,991.92	26.26	-	160.79	2,804.87
Corporate persons*	176.18	0.00	-	27.15	149.03
Of which, MSMEs	49.50	0.00	-	7.76	41.74
Others	31.77	7.38	-	2.07	22.32
Total	3,199.87	33.64		190.01	2,976.22

FY 2024-25

(₹ in Crore)

Type of borrower	(A) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position as at 30.09.2024	(B) of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(C) Of (A), Amount written off during the half year	(D) Of (A) amount paid by the borrower during the half year#	(E) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position at 31.03.2025
Personal Loans	3,555.76	67.33	--	312.65	3,175.78
Corporate persons *	1,747.05	--	--	1,494.61	252.44
Of which, MSMEs	120.70	--	--	64.67	56.03
Others	61.65	3.61	--	9.70	48.34
Total	5,364.46	70.94	--	1,816.96	3,476.56

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

* Includes Investment exposure.

#Includes net changes in exposure in the existing accounts, accounts closed and accounts which are out of restructuring during the period.

- k. In terms of RBI Circular No. DBR.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019, DOR. No. BP.BC.34/ 21.04.048/ 2019-20 dated 11th February, 2020, DOR. No. BP.BC/34/ 21.04.048/2020-21 dated 6th August, 2020 and DOR. STR. REC. 12/21.04. 048/2021-22 dated 5th May, 2021 on "Restructuring of Advances – Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector (One Time Restructuring)", the Bank has restructured the MSME borrower accounts as under:

(₹ in Crore)

Year	No of Accounts restructured	No of Borrowers restructured	Amount
2025-2026	77,098	60,705	1,405.76
2024-2025	93,118	72,485	2,027.16

- I. In terms of RBI circular no. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 under Resolution Framework 2.0 for Individuals & Small Business, the details are as under:

(₹ in Crore)

Sector	Position as of 31.03.2026		Position as of 31.03.2025	
	No. of borrowers	Amount	No. of borrowers	Amount
Personal & Small Business	16,067	2,657.09	20,425	3,223.60
Agri/Allied	1,552	93.68	1,858	120.06
Total	17,619	2,750.77	22,283	3,343.66

- m. In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the bank is holding provision as on 31st March, 2026 in accounts as detailed below:

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of loans as on 31.03.2026 out of (B) classified as NPA	Provisions required for loans covered under RBI circular out of (A)	Provision held on 31.03.2026
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
8,497.43	3,737.86	3,737.86	2,850.21	2,850.21

- n. As per RBI circular No. DBR No. BP. 15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP. 1906/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank has made a total provision of ₹ 7,821.17 Crore (including Technically Written Off accounts of ₹ 7,821.17 Crore) covering 100% of the total outstanding as on 31st March, 2026.

5. EXPOSURES

The Bank is lending to sectors which are sensitive to asset price fluctuations.

- a. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	FY 2025-26 Acquisition cost (Carrying cost)	FY 2024-25 Acquisition cost (Carrying cost)
a. Direct Exposure	1,32,950.21 (1,32,950.21)	1,19,444.30 (1,19,444.30)
i. Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - Out of the above, individual housing loan eligible for inclusion in Priority Sector Advances. Exposures includes non-fund-based limits.	1,17,849.00 (1,17,849.00) 24,016.00 (24,016.00)	1,03,175.00 (1,03,175.00) 23,651.00 (23,651.00)
ii. Commercial Real Estate - lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits.	15,101.21 (15,101.21)	16,269.30 (16,269.30)



Schedule 18 – Notes to Accounts

Category	FY 2025-26 Acquisition cost (Carrying cost)	FY 2024-25 Acquisition cost (Carrying cost)
iii. Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential,	--	--
b. Commercial Real Estate.	--	--
b. Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	43,334.90 (43,246.17)	34,590.73 (34,547.14)
Total Exposure to Real Estate Sector - Acquisition cost	1,76,285.11	1,54,035.03
- Carrying cost	(1,76,196.38)	(1,53,991.44)

b. Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

Category	FY 2025-26 Acquisition cost (Carrying cost)	FY 2024-25 Acquisition cost (Carrying cost)
i. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	758.67 (966.61)	767.67 (974.34)
ii. Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	2.48 (2.48)	1.56 (1.56)
iii. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	290.06 (290.06)	292.39 (292.39)
iv. Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	418.91 (418.91)	1,908.99 (1,908.99)
v. Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,481.34 (1,481.34)	2,670.13 (2,670.13)
vi. Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	--	--
vii. Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	--	--
viii. Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	--	--
ix. Financing to stockbrokers for margin trading;	--	--
x. All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure**;	1,026.52 (974.52)	967.53 (954.79)
Total exposure to Capital Market -Acquisition cost	3,977.98	6,608.27
-Carrying cost	(4,133.92)	(6,802.20)

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting to ₹310.84 crores.

Note: Acquisition cost for point no (i) & (x) is ₹ 758.67 Cr & ₹1026.52 Cr respectively.

- The exposure to Capital Market of ₹ 4,133.92 crores is within the limit of ₹ 41,824.74 crore (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 1,04,561.86 crores as on March 31, 2025).
- The direct exposure to Capital Market of ₹ 1,941.13 crores is within the limit of ₹ 20,912.37 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 1,04,561.86 crores as on March 31, 2025).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under: Not Applicable.
- Details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits as on 31.03.2026 are as under:

No. of accounts	Amount ₹ in Crores (Book Value as on 31.03.2026)
14	2,114.49

c. Risk Category - wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Net Exposure	Provision held	Net Exposure	Provision held
Insignificant	39,395.34	--	41,393.64	--
Low	7,271.71	--	11,853.41	--
Moderately Low	148.30	--	1,423.78	--
Moderate	1,894.59	--	174.17	--
Moderately High	588.42	--	471.48	--
High	1.05	--	72.42	--
Very High	80.60	--	27.40	--
Total	49,380.01	--	55,416.30	--

As per Credit Risk Management Policy 2025-26, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets. Accordingly, no provision for country exposure has been made.

d. Unsecured advances

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total unsecured advances of the bank	2,21,367.32	1,55,165.08
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	--	--
Estimated value of such intangible collateral securities	--	--

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road / Highway / Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI Circular No. OD.BP.BC.No. 83/08.12.014/2012-13 dated 18th March 2013.



Schedule 18 – Notes to Accounts

e. Factoring exposure

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
TREDS Exposure in terms of DBR.No.FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8).	2,346.23	1,408.72

f. Intra Group Exposure

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total amount of Intra group exposure	553.90	653.72
Total amount of Top 20 Intra group exposure	553.90	653.72
Percentage of Intra group exposure to total exposure of the Bank on borrowers/customers	0.04	0.05
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon, if any	--	--

g. Un-Hedged Foreign Currency Exposures

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Credit Risk Management policy and process for managing currency induced credit risk. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework.

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Provision	62.15	90.11
Capital	44.35	209.36

h. Loans against gold and silver collateral

(a) Details of loans extended against eligible gold and silver collateral

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a)+(b)]	79,851.23	100.00	0.017	0.68	0.19
(a) Consumption loans	26,384.08	33.04	0.015	0.59	0.16
of which bullet repayment loans	26,372.75	33.03	0.015	0.59	0.16
(b) Income generating loans	53,467.15	66.96	0.019	0.69	0.21
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c)+(d)]	1,16,617.35	100.00	0.023	0.60	NA
(c) Consumption loans	47,585.80	40.81	0.016	0.52	NA
of which bullet repayment loans	47,585.80	40.81	0.016	0.52	NA
(d) Income generating loans	69,031.55	59.19	0.033	0.68	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	0	0	0	0	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	0	0	0	0	NA

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	1,09,268.00	100.00	0.019	NA	NA
(e) Consumption loans	40,708.23	0.37	0.015	NA	NA
of which bullet repayment loans	40,679.48	0.37	0.015	NA	NA
(f) Income generating loans	68,559.77	0.63	0.022	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	72.06	100.00	0.014	NA	NA
(g) Consumption loans	16.73	0.23	0.017	NA	NA
of which bullet repayment loans	16.69	0.23	0.016	NA	NA
(h) Income generating loans	55.33	0.77	0.013	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	0	0	0	NA	NA
(i) Consumption loans	0	0	0	NA	NA
of which bullet repayment loans	0	0	0	NA	NA
(j) Income generating loans	0	0	0	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	90,330.07	100.00	0.023	0.61	0.13
(k) Consumption loans	35,448.59	39.24	0.017	0.51	0.12
of which bullet repayment loans	35,448.55	39.24	0.017	0.51	0.12
(l) Income generating loans	54,881.48	60.76	0.033	0.69	0.14

Note: Bank has not extended any loans against silver during the Financial year. Hence the above information is Nil for Silver Collateral.

(i) Average LTV ratio is calculated as ratio of sum of LTVs of loans at the time of sanction to total number of such loans.

(b) Details of gold and silver collateral and auctions

Sr. No.	Particulars	
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	77,957.12*
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	623
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b)	₹ 7.31 Crore
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	88,000.29
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	14,194.44
(f)	Recovery made through auctions during the FY	₹ 13.62 Crore
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold or silver collateral	94.98%
(i)	as % of outstanding loan	186.38%

Note:

Weight and value of collateral calculated in accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025.

Unclaimed gold or silver collateral means as defined under the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025.

*out of above 28,484.08 grams are pending for reconciliation.



Schedule 18 – Notes to Accounts

i. Exposures to Related Parties

(₹ in Crore)

Sl No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
A. Loans to Related Parties			
1	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	--	--
2	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31 st March	--	--
3	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31 st March	--	--
4	Aggregate value of outstanding loans to related parties which are categorized as:		
	(i) Special Mention Accounts as on 31 st March	--	--
	(ii) Non-Performing Assets as on 31 st March	--	--
5	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31 st March	--	--
B. Contracts and Arrangements involving Related Parties			
6	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	--	--
7	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31 st March	--	--

6. CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

a. Concentration of Deposits

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Deposits of twenty largest depositors (₹ in Crore)	67,797.79	87,108.19
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	5.19%	6.65 %

b. Concentration of Advances *

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Advances of twenty largest borrowers/customers (₹ in Crore)	1,88,669.60	1,55,012.76
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	12.94%	11.75%

*Advances computed based on credit exposure, i.e., funded and non-funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher, shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, a bank may reckon the outstanding as the credit exposure

c. Concentration of Exposures

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers (₹ in Crore)	1,93,131.96	1,57,809.54
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers /customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers	12.62%	11.31%

d. Concentration of NPAs

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Exposures to top twenty NPA accounts (₹ in Crore)	5,360.07	7,690.61
Percentage of Exposures to the twenty largest NPA Exposures to total Gross NPAs	17.63%	21.76%

A DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA LARGE EXPOSURE FRAMEWORK GUIDELINES.

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank;

Sr. No	Borrower	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.26	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	--	--	--	--	--	--
2.	Group Borrower	--	--	--	--	--	--

- As per RBI (Commercial Banks-Concentration Risk Management Directions) 2025 guidelines Dt 28th Nov 2025, exposure limit for single and group borrower are defined as 20% and 25% respectively of Tier-1 capital fund of banks. In exceptional cases, Board of the banks may allow an additional 5 percent exposure (of the banks available Tier-1 capital Fund) to single borrower.
- As on 31.03.2026, No Single/Group borrower has/have not exceeded the prescribed limit.

7. DERIVATIVES
a. Details of derivative portfolio

(₹ in Crore)

	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM – Assets	321.23	0.00	0.00	212.64	0.00	0.00
MTM – Liabilities	(330.79)	0.00	0.00	(211.61)	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	(9.55)	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
Exchange Rate Derivatives						
MTM – Assets	10,710.86	0.00	0.00	2,145.05	0.00	0.00
MTM – Liabilities	(10,801.93)	0.00	0.00	(2,010.67)	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	(91.07)	0.00	0.00	134.38	0.00	0.00
Credit Risk Derivatives						
MTM – Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MTM – Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Derivatives (specify)						
MTM – Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MTM – Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Schedule 18 – Notes to Accounts

b. Forward Rate Agreement (FRA)/Interest Rate Swap (IRS)

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
i. The notional principal of swap agreements	60,082.43	41,780.69
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	321.23	212.64
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	--	--
iv. Concentration of credit risk arising from the Swaps	--	--
V. The fair value of the swap book	(9.55)	1.02

Note:

- I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.
- II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

c. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Buy	Sell	Buy	Sell
i. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)				
Interest Rate Future				
a. 726GS2032	--	--	--	--
b. 726GS2033	--	--	--	--
c. 718GS2033	--	--	--	--
d. 710GS2034	--	--	300.20	20.22
e. 718GS2037	--	--	50.00	50.00
f. 723GS2039	--	--	175.00	175.00
ii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2025 (instrument-wise)	--		--	
iii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	--		--	
iv. Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	--		--	

d. Disclosures on Risk Exposures in Derivatives**i) Qualitative disclosure:**

- a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

- i) Over the Counter Derivatives

- ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary

infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

- I) Front Office (Dealing Room) - Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.
- II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management
- III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate client's transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

- b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up considering market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non-option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.
- d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to the counterparty Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as

**Schedule 18 – Notes to Accounts**

deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

II) Quantitative disclosure:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
a.	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	(i) For Hedging	4,741.75	6,665.31	380.00	380.00
	(ii) For Trading	5,12,654.62	3,70,271.28	59,702.43	41,400.69
b.	Marked to Market Position				
	(i) Asset (+)	10,710.86	2,145.05	321.23	212.64
	(ii) Liability (-)	(10,801.93)	(2,010.67)	(330.79)	(211.61)
c.	Credit Exposure*	22,677.11	10,462.99	857.86	606.31
d.	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(i) On Hedging Derivatives	(0.87)	(2.09)	(0.07)	(0.06)
	(ii) On Trading Derivatives	0.00	0.03	0.01	(0.01)
e.	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	I. Maximum				
	(i) On Hedging	(86.80)	2.63	78.76	41.45
	(ii) On Trading	0.32	1.48	174.20	25.97
	II. Minimum				
	(i) On Hedging	(239.25)	(372.74)	4.85	0.32
	(ii) On Trading	(0.36)	(227.60)	0.13	0.03

*Credit Exposure of Currency Derivatives & Interest Rate Derivatives also includes the exposure on Hedging deals.

e. Credit Default Swaps:

The Bank has not entered any Credit Default Swap transaction during the financial year 2025 – 26 (Previous Year -Nil).

8. DISCLOSURES RELATING TO SECURITIZATION:

As on March 31,2026, Bank does not have any special purpose Vehicle (SPVs) sponsored for securitization Transactions (Previous Year -Nil)

9. OFF – BALANCE SHEET SPVs SPONSORED BY THE BANK:

The bank has not floated any off-balance sheet SPV's.

10. TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening balance amounts transferred to DEAF	4,090.13	3,459.91
Add: Amounts transferred to DEAF during the Year	1,650.39	792.92
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	327.02	162.70
Closing balance of Amount transferred to DEAF	5,413.50	4,090.13

The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, is also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other items for which the bank is contingently liable' or 'Contingent Liabilities - Others,' as the case may be.

11. DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

a. Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman (OBOs)

S. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Complaints received by the Bank from its customers			
1.	Number of complaints pending at beginning of the year (Including BO Complaints)	11,643	6,331
2.	Number of complaints received during the year (Including BO Complaints)#	7,60,545	5,66,215
3.	Number of complaints disposed during the year (Including BO Complaints)	7,55,118	5,60,903
3.1	Of which, Number of complaints rejected by the Bank	1,43,383	99,083
4.	Number of complaints pending at the end of the year (Including BO Complaints)	17,070	11,643
Maintainable complaints received by the bank from OBOs			
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs @	7,146	6,081
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	2,694	2,401
5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by BOs	4,064	3,673
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank.	1	7
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	5

@ of 5. No. of complaints outstanding as on 31.03.2026 - 387

Note:

In terms of master directions on customer service, the complaints redressed within the next working day need not be included in the statement of complaints. Hence, the complaints received and resolved within T+1 day is excluded while analysing the complaints.



Schedule 18 – Notes to Accounts

b. Top five grounds of complaints received by the Bank from customers (Including BO Complaints)

Grounds of complaints (i.e. Complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6

FY 2025-26

	01.04.2025	2025-26	31.03.2026	31.03.2026	
Internet/Mobile/Electronic Banking	646	4,14,128	522.84%	13,291	4,144
Account opening/ Difficulty in operation of accounts	984	99,077	63.73%	850	189
ATM/Debit Cards	7,314	43,114	-87.09%	181	16
Credit Cards	439	29,586	149.50%	184	14
Cheques/Drafts/Bills	137	10,192	117.13%	113	4
Others	2,123	1,64,448	90.33%	2,451	2,181
Total	11,643	7,60,545	34.32%	17,070	6,548

FY 2024-25

	01.04.2024	2024-25	31.03.2025	31.03.2025	
ATM/Debit Cards	1,744	3,34,069	58.19%	7,314	477
Internet/Mobile/Electronic Banking	1,160	66,490	44.50%	646	59
Levy of Charges Without prior Notice/Excessive Charges/ Foreclosure Charges	189	8,130	11.19%	135	18
Cheques/Drafts/Bills	147	4,694	8.11%	137	15
Credit Cards	567	11,858	503.15%	439	4
Others	2,524	1,40,974	183.78%	2,972	655
Total	6,331	5,66,215	76.67%	11,643	1,228

Note : As per latest RBI circular RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated 28.11.2025 regarding Commercial banks Financial Statements : Presentation and Disclosures Directions, 2025, it has provided 16 grounds for complaints. Out of which, top 5 grounds as per Banks' analysis of complaints are considered for F.Y. 2025-26.

Due to change in top 5 grounds, change in percentage is not comparable.

12. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI AND OTHER REGULATOR:

(₹ in crore)

Penalties imposed under:	FY 2025-26		FY 2024-25	
	No. of Cases	Amount	No. of Cases	Amount
Banking Regulation Act, 1949	2	1.59	1	1.06
Payment and Settlement Systems Act, 2007	-	-	-	-
Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	-	-	-	-
The defaulting participant in a reverse repo transaction	-	-	-	-
Other Regulators	1	0.37	1	0.54

During the FY 2025-26, the bank has received three communications towards making penalty to RBI and FIU-IND with the following details:

1. FIU-IND, Ministry of Finance, Govt of India vide Order dated 08.04.2025, has imposed a monetary penalty of ₹ 37,00,000/- (Rupees Thirty-Seven Lakhs Only) on the bank for its contraventions of the obligations stipulated under Chapter IV of the Prevention of Money Laundering ACT (PMLA) and the relevant PML rules.
2. RBI, Enforcement Department vide its order reference No.CO. ENFD.DECB.No S111/02.01.018/2025-26 dated 23.05.2025 has imposed penalty of ₹ 63,60,000/-(Rupees Sixty Three lakh and Sixty Thousand only) on the bank for failing to transfer DEA Fund in a timely manner and for obtaining collateral for agricultural loans up to ₹ 1.60 lakh, in contravention of regulatory guidelines.
3. The RBI, Enforcement Department, vide Order Reference No. CO.ENFD.DECB.No.S820/02-01-018/2025-26 dated 27.03.2026, has imposed a penalty of ₹ 95,40,000 (Rupees Ninety-Five Lakh Forty Thousand only) on the Bank on account of non-compliances, namely failure to credit (shadow reversal) the amount involved in unauthorized electronic transactions to certain customers' accounts within 10 working days from the date of notification by the customer, failure to provide customers with 24x7 access to report unauthorized banking transactions through multiple channels, and resorting to manual intervention in the system-based asset classification process in certain KCC accounts, in contravention of regulatory guidelines.

Accordingly, penalty of ₹ 37,00,000/- was paid on 21.04.2025, ₹ 63,60,000/- was paid on 02.06.2025 and ₹ 95,40,000 was paid on 04.04.2026.

13. KEY MANAGEMENT PERSONNEL -REMUNERATION PAID

(₹ in crore)

Particulars	Designation	FY 2025-26
Shri Asheesh Pandey	Managing Director & CEO (from 30.09.2025)	0.22
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	0.45
Shri Ramasubramanian S	Executive Director	0.56
Shri Sanjay Rudra	Executive Director	0.37
Shri Amresh Prasad	Executive Director (from 24.11.2025)	0.16
Total		1.76



Schedule 18 – Notes to Accounts

14. OTHER DISCLOSURES

a. Business Ratios:

S. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
I.	Interest Income as a percentage to Working Funds #	7.06%	7.44%
II.	Non-interest income as a percentage to Working Funds #	1.29%	1.39%
III.	Cost of Deposit	5.39%	5.53%
IV.	Net Interest Margin *	2.70%	2.91%
V.	Operating Profit as a percentage to Working Funds #	1.91%	2.18%
VI.	Return on Assets \$	1.25%	1.26%
VII.	Average Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore) @	29.45	28.02
VIII.	Net Profit per employee (₹ in Crore)	0.25	0.24

Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to RBI in Form X for Commercial Banks during the 12 months of the financial year.

* Net Interest Margin = Net Interest Income / Average Interest Earning Assets Where Net Interest Income = Interest Income – Interest Expense.

\$ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

@ For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

b. Bancassurance Business:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below:

(₹ in crore)

Nature of Income	FY 2025-26	FY 2024-25
1. Life Insurance Policies	396.72	445.73
2. Non-Life Insurance Policies	38.09	36.24
3. Health Insurance	40.64	50.85

c. Marketing and distribution:

The details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) are as follows:

(₹ in crore)

Nature of Income	FY 2025-26	FY 2024-25
Distributing Mutual Fund Business	29.66	27.48
Merchant Banking Division	6.00	7.45

d. Priority Sector Lending Certificate

Other income of the Bank inter alia includes commission income of ₹ 133.87 Crore (PY ₹ 955.08 crore) from sale of Priority Sector Lending Certificate under PSLC-SFMF category and an expenditure of ₹ 0.50* Crore (PY ₹ 236.70 Crores) through purchase of priority sector lending certificate under PSLC - General category.

Traded value of PSLC certificate during the year are given below:

(₹ in crore)

PSLC-category	PSLC Sold	PSLC Purchased	Commission Earned	Commission paid*
PSLC-SFMF	10,000	--	133.87	--
PSLC-Agriculture	--	--	--	--
PSLC-Micro	--	--	--	--
PSLC-General	--	5,000	--	0.50*
TOTAL	10,000	5,000	133.87	0.50*

*excl. GST

e. Provision & Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies debited to Profit & Loss Account:	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision / (Reversal) for NPI on Investment	123.53	(101.28)
Provision towards NPA	2,337.25	7,308.49
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	1,145.63	81.28
Net Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax assets (DTA)	5,483.91	5,491.92
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	--	--
- Restructured Advances	(2.02)	(26.61)
- Others	834.06	349.10
TOTAL	9,922.36	13,102.90

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The RBI vide circular DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. Further RBI vide circular DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 deferred implementation of IND AS till further notice.

The Bank, accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind-AS. Further, the Bank has procured the required software and onboarded the vendor for software implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS). The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535/21.07.001/2017-18 dated 13th September 2017, the Bank had been submitting Proforma Ind AS financial statements to the RBI on quarterly basis till 31st March 2021. Thereafter, in term of RBI's (Department of Regulation) mail dated 8th August 2021, bank has been advised to submit Proforma Ind AS financial statements on half yearly basis. Last proforma financials for the half year ended 30th September 2025 was submitted to RBI vide letter dated 26th November 2025.



Schedule 18 – Notes to Accounts

g. Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Payment of DICGC Insurance Premium (Inclusive of GST)	1,763.09	1,688.47
Arrears in payment of DICGC premium (Inclusive of GST)	--	--

h. Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks:

There is no amortised expenditure in the financial statements on account of family pension scheme.

i. Disclosure on Letters of Comfort (LOCs) issued by the Banks:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	--	--
Add: Issued during the year	--	--
Less: Expired during the year	--	--
Outstanding at the end of the year	--	--

In terms of RBI/2017-18/139 A.P. (DIR Series) Circular No. 20 dated March 13, 2018, issuance of Letter of Undertaking (LoUs) and Letters of Comfort (LoCs) for Trade Credits for imports into India has been discontinued.

j. Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

Green Deposits

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	Cumulative
Total green deposits raised (A)	0.24	29.05	29.29
Use of green deposit funds			
1. Renewable Energy	0.24	29.05	29.29
2. Energy Efficiency	--	--	--
3. Clean Transportation	--	--	--
4. Climate Change Adaptation	--	--	--
5. Sustainable Water and Waste Management	--	--	--
6. Pollution Prevention and Control	--	--	--
7. Green Buildings	--	--	--
8. Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	--	--	--
9. Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	--	--	--
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	0.24	29.05	29.29
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	--	--	--
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	--	--	----

NOTE – Total Green Deposit raised during FY 25-26 is ₹ 0.24 crore (F.Y. 2024-25 is ₹ 29.05 Cr). Total outstanding balance under Union Green Deposit Scheme is ₹ 8.21 Crore as on 31.03.2026 (Outstanding as on 31.03.2025 is ₹ 11.99 Cr).

15. Disclosures as per Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

a. NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS 5)

- i) During the year there were no material and prior period income / expenditure items.
- ii) There is no change in significant accounting policies adopted during the current Financial year as compared to those followed in previous Financial year.

b. REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis except certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies.

c. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

I. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

II. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Protean eGov Technologies Limited (earlier known as National Securities Depository Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2025-26, the Bank has contributed ₹ 767.52 crores (Previous Year ₹ 704.53 crore) to NPS.

b. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2026.



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in crore)

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation as at 1st April	33,363.67	31,555.91	3,981.38	3,602.00
Interest Cost	2,352.14	2,284.65	272.72	259.70
Current Service Cost	241.81	242.52	212.41	227.54
Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	--	--	--	--
Past Service Cost (Vested Benefit)	--	--	--	--
Liability Transfer in	--	--	--	--
Liability Transfer out	--	--	--	--
Benefit paid	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
Actuarial (Gain)/loss on obligation –due to change				
In the financial assumption	(2,699.80)	572.70	(377.77)	143.13
in demographic assumption	2,241.03	--	--	--
Actuarial (Gain) / Loss on obligations	1,759.08	1,275.89	310.24	76.74
Closing defined benefit obligation as at 31st March	34,675.04	33,363.67	4,140.09	3,981.38
Table of Fair value of Plan Assets:				
Opening fair value of plan assets as at 1st April	33,346.51	31,140.21	3,994.75	3,457.68
Expected return on Plan Assets	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
Contributions	1,816.21	2,240.99	461.61	574.37
Transfer from Other Company	--	--	--	--
Transfer to Other Company	--	--	--	--
Benefit paid	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
Closing fair value of plan assets as at 31st March	34,844.97	33,346.51	4,447.17	3,994.75
Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	1,300.31	1,848.59	(67.53)	219.87
Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	85.79	(278.76)	23.94	(41.13)
Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
Recognition of Transitional Liability:				
Transitional Liability at 1st April	--	--	--	--
Transitional Liability recognized during the year	--	--	--	--
Transitional Liability at 31st March	--	--	--	--
Actual return on Plan Assets:				
Expected Return on Plan Assets	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
Actual return on Plan Assets	2,265.14	2,533.31	249.70	290.43
Expenses recognized in the Income Statement:				
Current Service Cost	241.81	242.52	212.41	227.54
Interest Cost	1.21	30.10	(0.92)	10.40

(₹ in crore)

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Expected Return on Plan Assets	--	--	--	--
Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	--	--	--	--
Past Service Cost (Vested Benefit) recognized (1/5 of enhanced family pension)	--	--	--	--
Recognition of Transition Liability	--	--	--	--
Actuarial (Gain) or Loss	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
Expenses Recognized in P & L	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
Balance Sheet Reconciliation:				
Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	17.16	415.70	(13.37)	144.32
Expenses as above	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
Transfer from other Company (Net)	--	--	--	--
Transfer to other Company (Net)	--	--	--	--
(Employer Contribution)	(1,816.21)	(2,240.99)	(461.61)	(574.37)
Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	(169.93)	17.16	(307.08)	(13.37)
Other Details:				
Service of thirty-three years will qualify for the full Pension of 50%. In the case of an employee who has put in less than thirty-three years of service, pension will be payable on proportionate basis for the number of years of qualifying service.				
Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹ 20,00,000 or as per the Bank scheme.				
Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
No. of Members	16,199	17,644	73,895	73,945
Salary Per Month	177.36	183.07	655.07	621.38
Contribution for next year	61.38	258.97	--	199.04
Category of assets:				
Government of India Assets	581.75	474.05	62.38	27.95
Corporate Bonds/FDR	3,621.52	3,408.03	559.50	445.02
Special Deposits Scheme	--	--	--	--
State Govt.	4,528.03	4,467.59	667.25	594.51
Property	--	--	--	--
Other	3,427.92	3,033.58	395.95	424.69
Insurer Managed Funds*	22,685.75	21,963.26	2,762.10	2,502.58
Mutual Fund	--	--	--	--
Total	34,844.97	33,346.51	4,447.18	3,994.75

*Note: Return on investments in LIC is 8.048% & other insurance companies is expected at 7.50% while arriving Pension liability and Gratuity liability at the Fair Value of Plan Assets for the FY 2025-26.



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plans				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Liability at the end of the year	4,140.09	3,981.38	3,602.00	3,225.86	3,197.81
Fair value of Plan Assets at the end of the year	4,447.18	3,994.75	3,457.68	3,262.35	3,367.60
Difference	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79
Unrecognized Past Service Cost	--	--	--	--	--
Unrecognized Transition Liability	--	--	--	--	--
Amount Recognized in the Balance Sheet	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plans				
Experience Adjustment	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
On plan liability (Gain) / Loss	310.24	76.74	179.70	29.55	30.86
On plan Assets (Loss) / Gain	(23.94)	41.13	29.34	(17.33)	53.31

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension Plans				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Liability at the end of the year	34,675.04	33,363.67	31,555.91	29,170.59	28,650.99
Fair value of Plan Assets at the end of the year	34,844.97	33,346.51	31,140.21	28,754.24	27,043.50
Difference	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)
Unrecognized Past Service Cost	--	--	--	--	1,521.62
Unrecognized Transition Liability	--	--	--	--	--
Amount Recognized in the Balance Sheet	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(85.87)

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension Plans				
Experience Adjustment	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
On plan liability (Gain) / Loss	1,759.08	1,275.89	4,334.44	614.25	2,452.27
On plan Assets (Loss) / Gain	(85.79)	278.76	423.97	49.96	266.31

(₹ in crore)

Principal actuarial assumption used (%)	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Discount Rate Prev.	6.85	7.05	7.21	7.24
Rate of return on Plan Assets Prev.	6.85	7.05	7.21	7.24
Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
Discount Rate Current	7.67	7.87	6.85	7.05
Rate of Return on Plan Assets Current	7.67	7.87	6.85	7.05
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

III. Other Long-Term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long-Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in Crore)

Other Long-Term Benefits	FY 2025-26	FY 2024-25
Pension	--	--
Leave Travel Concession	24.92	0.33
Leave Encashment	157.88	343.33
Sick Leave Provision*	274.76	281.10

*Sick Leave provision is on prudential basis though there is no pay-out.

d. SEGMENT REPORTING (AS 17)

(₹ in Crore)

Business Segment	Standalone	
	FY 2025-26	FY 2024-25
Segment Revenue		
Treasury Operations	30,107.49	31,031.42
Retail Banking Operations	47,573.99	45,091.87
(a) Digital Banking Operations	982.42	963.55
(b) Non Digital Banking Operations	46,591.57	44,128.32
Corporate /Wholesale Banking	44,378.58	46,021.85
Other Banking Operations	1,745.07	2,464.34
Unallocated	1,621.89	1,112.37
Total Segment Revenue	1,25,427.02	1,25,721.85
Less Inter-segment Revenue	-	-
Revenue from operations	1,25,427.02	1,25,721.85
Segment Results		
Treasury Operations	5,682.63	4,603.06
Retail Banking Operations	9,251.22	9,341.56
(a) Digital Banking Operations	675.48	739.14
(b) Non Digital Banking Operations	8,575.74	8,602.42
Corporate /Wholesale Banking	6,734.98	7,078.51
Other Banking Operations	890.33	1,343.55
Unallocated	1,621.89	1,112.37
Total Profit/(Loss) Before Tax	24,181.05	23,479.06
Provision for Tax	5,483.91	5,491.92
Net Profit/(Loss) after Tax	18,697.14	17,987.14



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in Crore)

Business Segment	Standalone	
	FY 2025-26	FY 2024-25
Segment Assets		
Treasury Operations	4,64,486.77	4,96,469.55
Retail Banking Operations	5,07,430.94	4,57,840.87
(a) Digital Banking Operations	5,187.80	3,228.60
(b) Non Digital Banking Operations	5,02,243.14	4,54,612.27
Corporate/Wholesale Banking	5,68,606.22	5,15,026.76
Other Banking Operations	-	-
Unallocated	28,830.70	30,518.53
Total	15,69,354.63	14,99,855.71
Segment Liabilities		
Treasury Operations	4,26,432.03	4,59,073.45
Retail Banking Operations	4,65,857.84	4,23,354.43
(a) Digital Banking Operations	4,762.77	2,985.40
(b) Non Digital Banking Operations	4,61,095.07	4,20,369.03
Corporate/Wholesale Banking	5,22,021.11	4,76,232.87
Other Banking Operations	-	-
Unallocated	26,468.65	28,219.75
Total	14,40,779.63	13,86,880.50
Capital Employed		
Treasury Operations	38,054.74	37,396.10
Retail Banking Operations	41,573.10	34,486.43
(a) Digital Banking Operations	425.03	243.19
(b) Non Digital Banking Operations	41,148.07	34,243.24
Corporate/Wholesale Banking	46,585.10	38,793.90
Other Banking Operations	-	-
Unallocated	2,362.06	2,298.78
Total	1,28,575.00	1,12,975.21

Notes:

- The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters of foreign branches for the period are within the threshold limits stipulated as per AS-17 and hence the bank has only one reportable segment.

2. The Bank has disclosed 'Digital Banking' as a sub-segment of the Retail Banking segment as required by RBI guidelines.
 3. Segment wise income and expenditure which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
 4. Segment Liabilities and Segment Capital are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
 5. Figure of previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary.
- IV. In terms of RBI circular no. RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 November 28, 2025 (Updated from time to time), the following are the details:**
- a. In case of Other Liabilities and Provisions, any item under the head "Others (including provisions)" exceeds one per cent of the total assets,
 - b. In case of Other Assets, any item under the head "Others" exceeds one per cent of the total assets,
 - c. In case of Other Income, any item under the head "Miscellaneous Income" exceeds one per cent of the total income,
 - d. In case of Operating Expenses, any item under the head "Other expenditure" exceeds one per cent of the total income,

Schedule	Item under the Sub Head	₹ in Crore	% of Total Income/ Assets as applicable
Schedule 5 – Other liabilities and provisions (III- Others (including provision))	--	--	--
Schedule 11 – Other assets (VI- others)	--	--	--
Schedule 14 - Other Income (VII Miscellaneous Income)	Processing Charges for Advances	1,753	1.40
	Recovery in Write-Off	3,997	3.19
	Income on Income tax refund	1,622	1.29

e. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

I. List of Related Parties

a) Subsidiaries

1. Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
2. Union Trustee Company Pvt. Ltd.
3. Union Bank of India (UK) Ltd.
4. Andhra Bank Financial Services Ltd.
5. UBI Services Ltd.

b) Joint Venture

1. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
2. ASREC India Ltd.
3. India International Bank (Malaysia) Berhad (till 06.11.2025)

c) Associate

1. Andhra Pradesh Grameena Bank



Schedule 18 – Notes to Accounts

d) Key Management Personnel

(₹ in Crore)

Name	Designation	Remuneration paid for FY 2025-26
Shri Asheesh Pandey	Managing Director & CEO (from 30.09.2025)	0.22
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	0.45
Shri Ramasubramanian S	Executive Director	0.56
Shri Sanjay Rudra	Executive Director	0.37
Shri Amresh Prasad	Executive Director (from 24.11.2025)	0.16
Ms. A. Manimekhalai	Managing Director & CEO (till 02.06.2025)	0.08
Shri Pankaj Dwivedi	Executive Director (till 24.06.2025)	0.09

f) Transactions and Balances of Related parties

(₹ in Crore)

Related Party's	Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total	Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total
Outstanding as at	31.03.2026			31.03.2025		
Borrowings	--	--	--	--	--	--
Deposits	--	--	--	--	--	--
Placement of deposits	--	--	--	--	--	--
Advances	--	--	--	--	--	--
Investments	50.00	--	50.00	50.00	--	50.00
Non-funded commitments	--	--	--	--	--	--
Leasing/HP arrangements availed	--	--	--	--	--	--
Leasing/HP arrangements provided	--	--	--	--	--	--
Maximum outstanding	FY 2025-26			FY 2024-25		
Borrowings	--	--	--	--	--	--
Deposits	--	--	--	--	--	--
Placement of deposits	--	--	--	--	--	--
Advances	--	--	--	--	--	--
Investments	50.00	--	50.00	50.00	--	50.00
Non-funded commitments	--	--	--	--	--	--
Leasing/HP arrangements availed	--	--	--	--	--	--
Leasing/HP arrangements provided	--	--	--	--	--	--
Other Assets	14.79	--	14.79	14.20	--	14.20
During the year	FY 2025-26			FY 2024-25		
Purchase of fixed assets	--	--	--	--	--	--
Sale of fixed assets	--	--	--	--	--	--
Interest paid	--	--	--	--	--	--

(₹ in Crore)

Related Party's	Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total	Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total
Interest earned	3.87	--	3.87	3.87	--	3.87
Rendering of services	--	--	--	--	--	--
Dividend Paid	0.99	--	0.99	2.04	--	2.04
Other Income	235.95	--	235.95	256.36	--	256.36
Premium paid	917.78	--	917.78	1,037.61	--	1,037.61
Claims received for customer	346.19	--	346.19	684.16	--	684.16
Management Contract	--	--	--	--	--	--

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 6 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. Further, nationalised banks need not disclose their transactions with the subsidiaries as well as the RRBs sponsored by them. As per the RBI Master Direction on Financial Statements – Presentation & Disclosure, KMPs are construed to be the Whole Time Directors of the Bank.

f. LEASES (AS 19)**PREMISES TAKEN ON OPERATING LEASE-**

The Bank has no non-cancellable operating lease during the FY 2025-26. Hence, additional disclosure under AS-19 is not applicable.

However, the amount of lease payment recognized in the profit & loss account for operating lease is ₹ 998.34 crore (PY ₹ 886.04 crore).

g. EARNING PER SHARE (AS 20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of Equity shares at the beginning of the year	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Number of Equity shares issued during the year	--	--
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Net Profit/(Loss) ₹ in Crore	18,697.14	17,987.15
Basic Earnings per share (₹)	24.49	23.56
Diluted Earnings per share (₹)	24.49	23.56
Nominal Value per share (₹)	10	10



Schedule 18 – Notes to Accounts

h. PROVISION FOR TAXES (AS-22)

Deferred Tax

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Deferred Tax Assets			
1.	Employee Benefits (Leave Encashment)	598.98	559.24
2.	Depreciation on Fixed Assets	300.66	311.69
3.	Provision on Non Performing Assets	4,264.21	4,264.21
4.	AFS Reserves on Securities	267.91	(11.20)
5.	Other Provisions	247.78	268.66
6.	Provision on Specific Standard Assets	893.12	445.97
	Total	6,572.64	5,838.57
Deferred Tax Liability			
1.	Accrued interest on securities	881.26	1,010.69
2.	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	2,077.79	2,008.68
3.	Foreign Currency Translation Reserve	99.29	79.82
	Total	3,058.34	3,099.19
	Net Deferred Tax Asset	3,514.30	2,739.38
	Net Deferred Tax Liability	--	--

Direct Tax

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	5,483.91	5,491.92

Corporate Taxation:

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/ Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

The bank has two branches viz. Sydney & Dubai having operations outside India. Pillar Two Legislation has been enacted in both the jurisdiction. For F.Y. 2025-26, Dubai branch has provided for taxes under Pillar Two Legislation.

i. INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS-27)

Investments in joint ventures include ₹ 281.65 Crores (Previous year ₹ 420.43 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co., ASREC(India) Limited.

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Joint Ventures			
1.	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.(Equity)	253.25	253.25
2.	ASREC(India) Limited (Equity)	28.40	28.40
3.	India International Bank (Malaysia) BHD(Discontinued since 06 th November 2025) (Equity)	--	138.78
4.	7.75% Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited 24-11-2031 (Debenture)	50	50
Total		331.65	470.43

Note: Bank was having an investment of ₹143.28 crore in India International Bank Malaysia Berhad (IIBM), incorporated in Kuala Lumpur, Malaysia as a Joint Venture among three Indian Public Sector Banks including Union Bank of India (UBI).

Bank accounted a loss of ₹ 4.50 crore at the time of implementation of directions of RBI circular regarding “Classification, Valuation and Operation of Investment portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023”, in General Reserve on transition date i.e., 01.04.2024, and investment value of IIBM was reduced to ₹ 138.78 crore at fair value.

Subsequently, all the shareholders decided to exit from the operations of IIBM. Accordingly, the Exit Plan was approved by the Board of UBI and IIBM. Following surrender of banking license of IIBM and completion of regulatory formalities, a Liquidator was appointed with effect from November 6, 2025. Under the liquidation process, bank has received ₹ 133.63 crore towards bank's share and the net loss amounting to ₹ 5.15 crore has been accounted by the bank during the year.

j. IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

Management has assessed at balance sheet date i.e. as on 31st March 2026 that whether there is any indication that any of the fixed asset to be impaired and no such asset is identified/found where condition of impairment is attracted as specified in AS-28 (Previous Year- Nil).

k. CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI) (i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/ out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

During the year, contingent liabilities were reclassified as contra items in accordance with the Bank's review and reporting framework.”

During the current year, there were no discontinued operations (as per AS 24).

l. Reward Points for Debit and Credit Cards:

During the year bank has carried out actuarial valuation of its liability towards the redemption of reward points for debit and credit cards holder which was earlier accounted for on actual redemption basis upto 2024-25. Accordingly, an amount of ₹ 53,22,18,156 (Previous Year: Nil) has been booked under the head provision and contingencies.

16. REVALUATION OF PROPERTY

Land and Building of the bank were revalued during the year at Fair Market Value as determined by external independent valuers. The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to ₹ 1,689.90 crore as on 31.03.2026 have

**Schedule 18 – Notes to Accounts**

been credited to Revaluation Reserve (Net). As per AS-10 (Revised), the depreciation of revalued portion is recouped from Revaluation Reserve resulting in decrease in Revaluation Reserve by ₹ 173.46 crore for the Financial Year 2025-26.

17. CLIMATE CONTROL:

Union Bank of India has a policy in place in name of “Sustainable Development and Business Responsibility Policy” which is reviewed on annual basis. Through this policy, the Bank is committed to make effort to protect and restore the environment. Bank has taken various initiatives like Electricity Conservations, etc.

To manage Environmental, Social and Governance (ESG) and climate risk, the Bank’s Board has put in place “ESG Risk, Climate Risk and Sustainable Financing Framework”. The Bank has formed ESG Steering Committee to formulate and implement ESG strategy and transition in the Bank.

18. COMPLIANCE TO THE PROVISION OF MSME DEVELOPMENT ACT, 2006

Based on the audit procedures performed, evidence obtained from the books of accounts and other relevant records and documents and according to the information, explanations and representations provided to us by the management of the Bank, we certify that the Bank is complying with the extant provisions of MSME Development Act-2006 and there has been no reported cases of any delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

19. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

Suspense Accounts, Sundry Deposits etc., and Inter Office Accounts between branches, controlling offices, Head Office and any other establishments are being reconciled on an ongoing basis and Management is of the opinion that, there is no material effect on the profit and loss account of the current year.

The figures of the previous year have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to current year classification. In cases where disclosure have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, Previous year figures have not been mentioned.

Signatories to Schedules 1 to 18

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXJRR5242

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai

Standalone Cash Flow Statement

For The Year Ended 31st March 2026

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit Before Tax	24,18,104	23,47,907
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	1,18,788	1,07,102
	Provision for Investments	(1,09,889)	(3,23,672)
	Provision for Non Performing Assets (Net)	2,33,725	7,30,849
	Provision for Standard Asset	1,98,141	5,544
	Provision for Staff Related Expenditures	-	-
	Provision for other items (Net)	(374)	34,833
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	(703)	(221)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,45,057	1,45,104
	Dividend received from Investments	(3,060)	(2,809)
	Transfer to/from reserves	(3,09,731)	(1,98,091)
	Sub Total	26,90,058	28,46,546
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	34,64,452	50,71,852
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	8,55,714	5,62,162
	(Increase) / Decrease in Investments	25,24,406	(13,24,114)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,02,10,140)	(90,04,574)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(32,34,929)	(1,37,470)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(32,205)	(70,570)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(39,42,644)	(20,56,168)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(3,18,655)	(1,64,150)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	17,960	1,358
	(Increase)/Decrease in Investment in Subsidiary	-	-
	Dividend received from Investment	3,060	2,809
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(2,97,635)	(1,59,983)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	-	-
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,00,000	-
	Repayments of Capital Instruments	(2,70,500)	-

**Standalone Cash Flow Statement**

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	12,05,075	37,89,604
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,45,057)	(1,45,104)
	Dividend paid during the year	(3,62,596)	(2,74,810)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	7,26,922	33,69,690
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	(35,13,357)	11,53,539
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	1,30,83,826	1,19,30,287
	Net cash and cash equivalents at the end of the Year	95,70,469	1,30,83,826
	Components of Cash and Cash equivalents		
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	89,50,348	52,89,750
	Balances with Banks and Money at call and short notice	41,33,478	66,40,537
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,30,83,826	1,19,30,287
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	66,47,282	89,50,348
	Balances with Banks and Money at call and short notice	29,23,187	41,33,478
	Net cash and cash equivalents at the end of the Year	95,70,469	1,30,83,826

The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Accounting standard -3 on Cash Flow Statement issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Previous Year figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Year ended classification/ presentation.

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037QEUXMV7450
Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378EXZJRR5242

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169RBTNFQ3928

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007SPWGYH9777

Independent Auditors' Report

To

The President of India /

The Members of Union Bank of India,

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Union Bank of India (the "Bank"), its subsidiaries, associate and jointly controlled entities (collectively hereinafter referred to as "the Group") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –

- a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
- b. Audited Financial Statements of 2 Domestic Subsidiaries, 1 Foreign Subsidiary and 1 Foreign Joint Venture;
- c. Unaudited financial statements of 2 Domestic Subsidiaries, 2 Domestic Joint Ventures and 1 Associate.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, and based on our consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the subsidiaries, jointly controlled entities and associate as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;
- b. true balance of Profit in case of Consolidated Profit & Loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of the cash flows in case of Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report:

*Independent Auditors' Report*

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
1	Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements	Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions. Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. This included evaluation and understanding of the following: • Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments; • System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank. • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress. • On a test check basis, verified the accounts classified by the Bank as Special Mention Accounts ('SMA') in RBI's Central Repository of Information on Large Credits ('CRILC'). • We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors and report on audit of automation of IRAC by external expert.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
		Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. We have test checked and assessed the efficacy of the system based identification of NPA.
2	Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting Information technology (IT) systems used in financial reporting process The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the standalone financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: - We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. - We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. - We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the standalone financial statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.
3	Recognition and measurement of Deferred tax The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 3,52,48,779 (in '000) as on March 31, 2026. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to: Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;

*Independent Auditors' Report*

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
		- Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy. - Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4	Provisions, Contingent Liabilities and Claims	
	Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 17 of Schedule 17 and Note No. 9.2 of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current
	one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter	status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report of the Bank including annexures in annual report, if any, thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate and jointly controlled entity in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", Accounting Standards 23- "Accounting for Investments in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standards 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the relevant provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and other accounting principles generally accepted in India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the abovementioned act for safeguarding the assets of the Group and preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud and error.

In preparing the consolidated Financial statements, the respective Board of Directors of the entities is responsible for assessing the respective Group Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group entities are also responsible for overseeing respective Group Entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as

a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Independent Auditors' Report

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements of 5 subsidiaries, 3 jointly controlled entities included in the consolidated financial statements, whose financial statements reflect total assets of ₹ 15,75,17,467 (in thousands) as at March 31, 2026 and total revenues of ₹ 3,59,47,906 (in thousands) for the year ended on that date, net profit after tax amounting to ₹ 8,34,971 (in thousands) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of Net Profit amounting to ₹ 64,95,811 (in thousands) for the year ended 31st March, 2026 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose report have been furnished to us and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and jointly controlled entities, are based solely on the reports of the other auditors.

These unaudited Financial Statements/Financial Results/ financial information have been furnished to us duly certified by the Bank's management and our opinion on the consolidated Financial Results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these jointly controlled entity are based solely on such reviewed/unaudited Financial Statements/Financial Results/Financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by Bank's management, these Financial Statements/ Financial Results / Financial information are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit & Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to limitation of the audit indicated in paragraph 5, 6 and 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, based on our audit and on the

consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associate and jointly controlled entities, as noted in the 'other matter' paragraphs to the extent applicable and also subject to the limitations of disclosure required therein and we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of Bank, which have come to our notice, have been within the power of Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of our audit.
9. As required by letter No. DOS.ARG No.6270/08.91. 001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns

received from branches not visited by us;

- c) The reports on the accounts of the branches and offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - e) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.
- f) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - g) The Bank's Internal Financial Controls over financial reporting is not applicable on the consolidated financial statement.

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037ZQZQNN9672

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378KUFVPF2103

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169HBHZZRW7084

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007YUKADZ5499

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai



Consolidated Balance Sheet

as on 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	7,63,36,056	7,63,36,056
Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company	1A	10,40,035	10,40,035
Share Application Money	1B	-	-
Reserves and Surplus	2	1,25,81,36,766	1,06,09,64,691
Minority Interest	2A	-	-
Deposits	3	13,09,75,86,931	12,74,78,87,406
Borrowings	4	77,79,78,657	64,99,24,182
Other Liabilities and Provisions	5	66,39,48,486	57,71,41,863
TOTAL		15,87,50,26,931	15,11,32,94,233
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	66,47,66,347	89,50,84,967
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	29,56,67,225	41,67,95,258
Investments	8	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568
Advances	9	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
Fixed Assets	10	11,65,98,140	9,82,40,935
Other Assets	11	78,98,89,505	51,68,52,748
Goodwill on Consolidation		-	-
TOTAL		15,87,50,26,931	15,11,32,94,233
Contingent Liabilities	12	6,38,90,63,451	5,09,86,99,593
Bills for Collection		58,79,78,332	50,91,34,855
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037ZQZQNN9672

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378KUFVPF2103

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169HBHZZRW7084

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007YUKADZ5499

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai

Consolidated Profit & Loss Account

for the year ended 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the year ended 31 st March, 2026	For the year ended 31 st March, 2025
I. INCOME			
Interest Earned	13	1,06,79,88,991	1,06,60,02,317
Other Income	14	21,60,06,243	21,56,19,834
TOTAL		1,28,39,95,234	1,28,16,22,151
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	69,47,73,321	68,91,62,784
Operating Expenses	16	30,20,57,295	28,04,41,964
Provision And Contingencies		9,93,58,324	13,28,05,779
TOTAL		1,09,61,88,940	1,10,24,10,527
III. Consolidated Net Profit/(Loss) before Minority Interest and Share of Earnings in Associate (I-II)		18,78,06,294	17,92,11,624
Add:-Share of profit in Associate		64,95,811	10,57,884
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minority Interest		19,43,02,105	18,02,69,508
(Less):-Minority Interest		-	-
Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group		19,43,02,105	18,02,69,508
Transfer from Investment Fluctuation Reserve			
Add : Profit/(Loss) Brought Forward		58,32,043	58,32,043
Amount Available for Appropriation		20,01,34,148	18,61,01,551
IV. Appropriation			
Transfer To Statutory Reserve		5,51,67,450	4,49,67,865
Transfer To Capital Reserve		57,36,728	33,97,295
Transfer To Investment fluctuation Risk Reserve		32,00,000	-
Transfer To Revenue And Other Reserves		8,49,97,070	8,88,11,699
Provision for Div On PNCPs		-	-
Dividend Tax		-	-
Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(viii)]of the Income Tax Act,1961		27,46,940	68,33,022
Transfer to Investment Reserve Account		-	-
Proposed Dividend		3,81,68,028	3,62,59,627
Balance in Profit and Loss Account		1,01,17,932	58,32,043
TOTAL		20,01,34,148	18,61,01,551
Earnings per share (Basic and Diluted in Rs.) of FV of Rs.10/- each		25.45	23.62
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit & Loss Account

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037ZQZQNN9672

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378KUFVPF2103

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169HBHZZRW7084

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007YUKAD25499

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet

as on 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
1000,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	10,00,00,000	10,00,00,000
II Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 570,66,60,850 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government (Previous Year 570,66,60,850 Equity Shares)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. 1,92,69,44,757 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Public (Previous Year 1,92,69,44,757 Equity Shares)	1,92,69,447	1,92,69,447
TOTAL	7,63,36,056	7,63,36,056

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 1A - PREFERENCE SHARE CAPITAL ISSUED BY SUBSIDIARY COMPANY :		
10,40,03,544 Participatory Non-Redemable Compulsorily Convertible Preference Shares of ₹ 10 Each (Issued by Union Asset Management Company Private Limited, a subsidiary company) to Dai Ichi Life Holdings Inc on May 17 2018 for a tenure of 20 years)	10,40,035	10,40,035
TOTAL	10,40,035	10,40,035

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 2-RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
Opening Balance	24,71,57,980	20,21,90,115
Addition during the year	5,51,67,450	4,49,67,865
Deduction during the year	6,97,252	-
	30,16,28,178	24,71,57,980
II. Capital Reserve :		
a) Capital Reserve :		
Opening Balance	6,49,08,606	6,15,11,311
Addition during the year	57,36,728	33,97,295
Deduction during the year	8,400	-
	7,06,36,934	6,49,08,606
b) Revaluation Reserve :		
Opening Balance	5,46,52,615	5,64,44,174
Addition during the year	1,68,98,903	2,06,150
Deduction during the year	17,34,620	19,97,709
	6,98,16,898	5,46,52,615

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026		As on 31 st March, 2025	
c) Amalgamation Reserve				
Opening Balance	1,30,95,979		1,30,95,979	
Addition during the year	-		-	
Deduction during the year	-		-	
	1,30,95,979	15,35,49,811	1,30,95,979	13,26,57,200
III Capital Reserve on Consolidation				
Opening Balance	1,66,015		1,20,151	
Addition during the year	2,67,01,619		45,864	
Deduction during the year	29,467	2,68,38,167	-	1,66,015
IV. Share Premium :				
Opening Balance	25,72,82,681		25,59,48,045	
Addition during the year	-		13,34,636	
Deduction during the year	13,34,636	25,59,48,045	-	25,72,82,681
V. Revenue Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
Opening Balance	30,75,24,702		21,32,94,527	
Addition during the year	9,51,93,548		9,44,36,325	
Deduction during the year	-4,413		2,06,150	
	40,27,22,663		30,75,24,702	
Less:- Minority Interest	-		-	
	40,27,22,663		30,75,24,702	
ii) Revenue Reserves - Treasury :				
Opening Balance	1,59,33,407		-	
Addition during the period/year	-		1,59,33,407	
Deduction during the period/year	-		-	
	1,59,33,407		1,59,33,407	
iii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
Opening Balance	7,98,10,811		7,29,77,789	
Addition during the year	27,46,940		68,33,022	
Deduction during the period/year	-		-	
	8,25,57,751		7,98,10,811	
iv) Special Reserve profit on Fx Swap				
Opening Balance	58,485		60,346	
Addition during the year	-		-	
Deduction during the year	-		1,861	
	58,485		58,485	
v) Investment fluctuation reserve				
Opening Balance	1,38,14,015		1,38,14,015	
Addition during the year	32,00,000		-	
Deduction during the year	-		-	
	1,70,14,015		1,38,14,015	



*Schedules Forming Part of
the Consolidated Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026		As on 31 st March, 2025	
vi) Foreign Currency Translation Reserve				
Opening Balance	-1,73,155		-16,273	
Addition during the year	15,91,355		2,98,432	
Deduction during the year	17,07,403		4,55,314	
	-2,89,203		-1,73,155	
vii) Debenture Redemption reserve				
Opening Balance	31,375		31,375	
Addition during the year	-		-	
Deduction during the year	-		-	
	31,375	51,80,28,493	31,375	41,69,99,640
VI. Investment Reserve Account				
Opening Balance	-		32,96,872	
Addition during the year	-		-	
Deduction During The year	-	-	32,96,872	-
VII. AFS RESERVE				
Opening Balance	8,69,132		-	
Addition during the year	87,532		8,69,132	
Deduction During The year	89,30,525	-79,73,861	-	8,69,132
VII. Balance in Profit and Loss Account				
Balance in Profit and Loss Account	1,01,17,932	1,01,17,932	58,32,043	58,32,043
TOTAL		1,25,81,36,765		1,06,09,64,691

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026		As on 31 st March, 2025	
SCHEDULE 2 A Minority Interest				
Opening Balance (Minority interest at the date on which the parent-subsiidiary relationship came into existence)	-	-	-	-
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year	-	-	-	-
Total Minority Interest	-	-	-	-

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026		As on 31 st March, 2025	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
I. Demand Deposits				
i. From Banks	1,47,73,182		1,01,66,991	
ii. From Others	82,53,56,291	84,01,29,473	85,28,05,074	86,29,72,065
II. Savings Bank Deposits		3,75,99,93,881		3,39,92,44,413
III. Term Deposits				
i. From Banks	10,03,04,740		59,20,962	
ii. From Others	8,39,71,58,837	8,49,74,63,577	8,47,97,49,966	8,48,56,70,928
TOTAL		13,09,75,86,931		12,74,78,87,406
Deposits of branches in India		13,05,95,98,261		12,71,41,24,689
Deposits of branches outside India		3,79,88,670		3,37,62,717
TOTAL		13,09,75,86,931		12,74,78,87,406

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026		As on 31 st March, 2025	
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A. Borrowings in India				
i. Reserve Bank of India	4,00,00,000		-	
ii. Other Banks	-		-	
iii. Other Institutions and Agencies	23,94,10,183		6,18,12,879	
iv. Perpetual Bonds- TIER I	7,98,30,000		9,68,80,000	
v. Subordinated Bonds - TIER II	6,95,00,000		7,95,00,000	
vi. 7 years Infra Bonds	3,00,00,000	45,87,40,183	-	23,81,92,879
B. Borrowings Outside India		31,92,38,474		41,17,31,303
TOTAL		77,79,78,657		64,99,24,182
Secured Borrowings included in (A) & (B)		4,00,00,000		-

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills Payable	2,99,00,397	2,75,02,187
II. Interest Accrued	5,17,32,438	6,36,11,186
III. Others (including provisions)	58,23,15,651	48,60,28,490
IV. Inter-Office Adjustments (net)	-	-
TOTAL	66,39,48,486	57,71,41,863



*Schedules Forming Part of
the Consolidated Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)	1,94,47,797	1,74,41,812
II. Balances with Reserve Bank of India		
In current accounts	38,49,88,550	47,63,30,845
In other accounts	26,03,30,000	40,13,12,310
TOTAL	66,47,66,347	89,50,84,967

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I) In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	10,72,898	15,57,141
b) In Other Deposit Accounts	10,30,111	4,16,522
ii) Money at Call & Short notice		
a) With Banks	2,00,000	-
b) With Other Institutions	15,30,03,551	49,95,224
	15,53,06,560	69,68,887
II. Outside India		
i) In Current Accounts	92,03,480	92,72,430
ii) In other Deposit Accounts	13,11,57,185	39,94,91,434
iii) Money at call & short notice	-	10,62,507
	14,03,60,665	40,98,26,371
TOTAL	29,56,67,225	41,67,95,258

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	2,65,36,91,009	2,85,79,96,563
ii) Other Approved Securities	2,06,50,717	1,67,97,932
iii) Shares	5,58,57,608	4,66,33,695
iv) Debentures and Bonds	54,93,72,106	56,94,91,559
v) Associate	4,72,49,469	68,22,233
vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt, etc.)	7,67,33,261	8,81,97,269
	3,40,35,54,170	3,58,59,39,251

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (including Local Authorities)	3,02,41,777	3,04,57,290
ii) Shares	-	-
iii) Other Investments	24,34,581	26,37,027
iv) Associate	-	-
	3,26,76,358	3,30,94,317
TOTAL	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568
III. Investments in India		
Gross Value	3,44,65,31,049	3,63,94,22,901
Less: Provision for Depreciation	4,29,76,879	5,34,83,650
Net Value of Investment in India	3,40,35,54,170	3,58,59,39,251
IV) Investments outside India		
Gross Value	3,28,17,167	3,32,21,289
Less: Provision for Depreciation	1,40,809	1,26,972
Net Value of Investment outside India	3,26,76,358	3,30,94,317
TOTAL	3,43,62,30,528	3,61,90,33,568

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)		
A) i) Bills Purchased and Discounted	5,55,37,388	3,66,35,915
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	4,68,86,91,468	4,84,90,14,895
iii) Term Loans	5,82,76,46,330	4,68,16,35,947
TOTAL	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
B)		
i) Secured by tangible assets*	8,27,41,80,522	7,90,12,05,263
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	7,89,74,343	10,95,68,346
iii) Unsecured	2,21,87,20,321	1,55,65,13,148
TOTAL	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757
*includes advances against book debt		
A. Advances in India		
i. Priority Sector	3,53,42,76,588	3,16,37,65,065
ii. Public Sector	1,11,66,19,859	1,01,80,99,768
iii. Banks	1,70,134	1,29,342
iv. Others	5,50,91,05,369	5,02,64,98,850
	10,16,01,71,950	9,20,84,93,025



*Schedules Forming Part of
the Consolidated Balance Sheet*

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
B. Advances Outside India		
i. Due From Banks	18,79,94,948	6,41,94,478
ii. Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	2,03,235	5,24,875
b) Syndicated Loans	-	-
c) Others	22,35,05,053	29,40,74,379
	41,17,03,236	35,87,93,732
TOTAL	10,57,18,75,186	9,56,72,86,757

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. Premises		
At cost as on 31st March of Preceeding year	9,57,52,672	9,43,18,359
Additions during the year	1,66,59,267	14,41,835
Deductions during the year	12,769	7,522
	11,23,99,170	9,57,52,672
Less: Depreciation till Date	3,35,75,620	7,88,23,550
		3,15,25,932
		6,42,26,740
II. Other Fixed Assets		
(including Furniture and Fixtures)		
II (A) Land		
At cost as on 31st March of Preceeding year	37,09,840	35,19,663
Additions during the year	5,93,659	1,90,177
Deductions during the year	-	-
	43,03,499	37,09,840
Less: Depreciation till Date	14,18,073	28,85,426
		13,96,816
		23,13,024
II (B) Others		
At cost as on 31st March of Preceeding year	9,38,81,677	8,56,31,311
Additions during the year	1,11,59,310	1,08,80,835
Deductions during the year	1,40,19,109	26,30,469
	9,10,21,878	9,38,81,677
Less: Depreciation till Date	6,23,64,240	2,86,57,638
		6,75,46,538
		2,63,35,139
II (C) Computer Software		
At cost as on 31st March of Preceeding year	1,61,43,310	1,27,43,864
Additions during the year	37,71,644	39,34,823
Deductions during the year	3,77,537	5,35,377
	1,95,37,417	1,61,43,310
Amortisation till Date	1,39,47,529	55,89,888
		1,13,64,559
		47,78,751
II (D) Leased Assets		
At cost as on 31st March of Preceeding year	2,68,478	2,68,478

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
Addition during the year	-	-
Deductions during the year	1,87,379	2,65,352
	81,099	3,126
Less: Depreciation till Date	81,099	3,126
TOTAL (I and II)	11,59,56,502	9,76,53,654
III. Capital Work-in-Progress		
At cost as on 31 st March of Preceeding year	5,87,716	3,58,942
Additions during the year	4,76,878	6,23,640
Deductions during the year	4,22,956	3,95,301
TOTAL (I,II and III)	11,65,98,140	9,82,40,935

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-Office Adjustments (net)	4,66,30,917	2,93,44,286
II. Interest Accrued	11,80,67,434	11,10,10,044
III. Tax paid/Tax deducted at source (Net of Provisions)	4,30,23,290	3,48,23,415
IV. Stationery and Stamps	61,792	64,823
V. Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1,334	1,334
VI. Deferred Tax Assets (Net)	3,52,48,779	2,74,58,984
VII. Others	54,68,55,959	31,41,49,862
VIII. MAT Credit	-	-
TOTAL	78,98,89,505	51,68,52,748

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 st March, 2026	As on 31 st March, 2025
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	13,22,100	11,14,957
II. Liability for partly paid Investments	2,67,689	68,322
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,01,67,29,645	3,68,98,53,083
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	73,05,73,179	70,73,94,487
ii) Outside India	69,46,618	1,04,77,141
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	33,21,95,178	35,13,58,237
VI. Other items of Contingent Liability		
i). Disputed Tax demands under Appeals	24,26,18,200	29,39,57,431
ii). Capital Commitments	42,75,805	35,74,605
iii). Amount transferred to DEAF Scheme 2014	5,41,35,037	4,09,01,330
TOTAL	6,38,90,63,451	5,09,86,99,593



Schedules Forming Part of the Consolidated Profit & Loss Account

for the year ended 31st March, 2026

(₹ in 000')

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026	For the year ended 31 st March, 2025
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on Advances/Bills	80,09,84,540	79,25,58,271
II. Income on Investments	22,87,27,229	23,63,07,856
III. Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	3,16,24,022	3,30,77,552
IV. Others	66,53,200	40,58,638
TOTAL	1,06,79,88,991	1,06,60,02,317

(₹ in 000')

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026	For the year ended 31 st March, 2025
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	2,72,64,269	2,64,94,745
II. Profit on Sale of Investments - (Net)	2,51,75,185	2,23,23,612
III. Profit on Revaluation of Investment (Net)	37,17,979	1,14,91,455
IV. Profit/ (Loss) on Fixed Asset - (Net)	70,311	22,124
V. Profit on Exchange Transactions - (Net)	1,12,16,340	82,59,537
VI. a) Lease Finance Income	-	-
b) Lease Management Fee	-	-
c) Overdue Charges	-	-
d) Interest on Lease Rent Receivables	-	-
VII. Miscellaneous Income	14,85,62,159	14,70,28,361
TOTAL	21,60,06,243	21,56,19,834

(₹ in 000')

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026	For the year ended 31 st March, 2025
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	65,32,93,863	64,70,81,114
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	2,74,80,286	2,60,34,198
III. Others	1,39,99,172	1,60,47,472
TOTAL	69,47,73,321	68,91,62,784

(₹ in 000')

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026	For the year ended 31 st March, 2025
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and Provisions for Employees	15,68,73,138	14,99,63,027
II. Rent, Taxes and Lighting	1,40,43,185	1,20,08,086
III. Printing and Stationery	13,79,478	13,53,106
IV. Advertisement and Publicity	14,90,141	14,34,981
V. A) Depreciation on Bank's Property other than leased assets	1,20,38,742	1,08,38,813
B) Depreciation on Bank's Property on leased assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,09,960	83,598
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	9,02,709	7,09,580
VIII. Law Charges	16,76,127	18,92,973
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	47,80,674	42,91,758
X. Repairs and Maintenance	52,26,169	42,68,410
XI. Insurance	1,31,91,086	1,41,63,925
XII. Amortization of Goodwill, if any	-	-
XIII. Other Expenditure	9,03,45,886	7,94,33,707
TOTAL	30,20,57,295	28,04,41,964



Significant Accounting Policy for 2025-26 on Consolidated Basis:

(For required disclosures under schedule 17 forming part of Balance Sheet)

Background:

Union Bank of India (UBI or the Bank) is a banking and financial services statutory body engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies, and institutional customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949. Following are the Significant Accounting Policies i.e., the specific accounting principles and methods of applying these principles in the preparation and presentation of financial statements of the Bank.

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated. These are prepared following the Going Concern concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

3. Basis of consolidation

- a) Bank is having 5 subsidiaries, 3 JVs and 1 associate. The details are as under: -

S. No.	Nature	Entities	Stake
1	Subsidiary	Union Asset Management Company Pvt Ltd	100%
2	Subsidiary	Union Trustee Co Pvt Ltd	100%
3	Subsidiary	Union Bank of India (UK) Ltd	100%
4	Subsidiary	Andhra Bank Financial Services Ltd	100%
5	Subsidiary	UBI Services Ltd.	100%
6	JV	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd.	25.10%
7	JV	ASREC (India) Ltd	26.02%
8	JV	India International Bank (Malaysia) BHD*	25.00%
9	Associate	Andhra Pradesh Grameena Bank	35%

* Up to November 6, 2025

The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

- 1) Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)
- 2) **Consolidation of Subsidiaries:** Line by Line aggregation of the Income/Expenditure/Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealized profits/loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 3) **Consolidation of Associates:** The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 4) **Consolidation of Joint Ventures:** Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

- b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.
- c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.
- d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
 - i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
 - ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.
 - iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses.

4. Revenue Recognition

a) Banking entities

- i) Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- iii) Commission on Letters of Credit (LC), Bank Guarantee (BG), Deferred Payment Guarantee and Government Business are recognised on accrual basis proportionately over the period.
- iv) Exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar cards, Minimum balance charges etc. are accounted for on realization basis.
- v) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

- a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/redemption.
- b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- vi) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- vii) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.
- viii) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

b) Non-Banking entities

Life Insurance

i. Premium Income

Premium (net of GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii. Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii. Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv. Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

v. Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi. Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

- i. Investment management fees are recognized net of tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.
- ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

5. Appropriation of Recovery:

Recoveries other than by way of OTS/NCLT was appropriated as under:

- 5.1. When there is no agreement between the debtor and creditor as to how monies paid by the debtor are required to be appropriated by the creditor, the order of appropriation is as under:

For Term Loans:

- Towards expenses & costs etc.
- Towards unrecovered interest reversed on the date of NPA.
- Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
- Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
- Towards principal.

For Running Accounts:

- Towards expenses & costs etc.
- Towards interest held in dummy ledger (unapplied interest) including unrecovered interest reversed at the time of NPA.
- Towards running ledger balance.

- 5.2. In case borrower stipulates terms of appropriation differently than above and if such different terms of appropriation is accepted by Bank then appropriation of recoveries is as per the sanction terms.

- 5.3. In case of OTS & all NCLT accounts, recovery either through resolution/liquidation:

Appropriation of recovery to be done as discussed here under or as per the sanction stipulations

- Towards principal.
- Towards interest held in dummy ledger (unapplied interest) including unrecovered interest reversed at the time of NPA.
- Towards expenses & costs etc.

- 5.4. In case of Non-Performing Investment recovery is apportioned as mentioned below:

- a. Towards expenses & costs etc.
- b. Towards unrecovered interest reversed on the date of NPI.
- c. Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
- d. Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
- e. Towards running ledger balance

Any recovery made in the NPA account other than prescribed above, is dealt in accordance with the Recovery Management Policy of the bank.

- 5.5. In case of failed OTS:

In case any OTS is failed/Cancelled, the Recovery Received before the cancellation should be appropriated as per the Point No.5.3 of this policy, but Recovery Received after cancellation of the OTS should be appropriated as per above Point No.5.1 of this policy.

6. Investments

6.1. Categorization of investments

- a) Bank will classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint

ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) is a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment is decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision is properly documented.

- b) Bank will continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:
 - (i) Government securities
 - (ii) Other approved securities
 - (iii) Shares
 - (iv) Debentures & Bonds
 - (v) Subsidiaries and / or joint ventures
 - (vi) Others (to be specified)
- c) From the context of inputs used for valuation, the investments is either of the following:
 - I. "Level 1" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs which are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is substantively based on Level 1 inputs and does not have any significant Level 2 or Level 3 inputs.
 - II. "Level 2" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is based on Level 1 and Level 2 inputs and does not have any significant Level 3 inputs.
 - III. "Level 3" in the context of inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation in which there is a significant Level 3 input.

6.1.1 HTM

- a) Securities that fulfil the following conditions is classified under HTM:
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
 - (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are "solely payments of principal and interest" on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they would not meet the SPPI criteria and therefore would not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in clause 4(a)(xviii) of the RBI's Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025" dated 28-11-2025 hereon mentioned as "RBI MASTER CIRCULAR".
 - (iv) Preference shares and Equity shares.
- c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, is considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) gives rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

- (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

- (iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

- (v) Securities referred to in sub-clause 36, subject to the exception for equity referred to in sub-clause 40(1) of the RBI MASTER CIRCULAR.

6.1.2 AFS

- (a) Securities that meet the following conditions is classified under AFS:

- (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
- (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in paragraph 6.1(a)(ii) of the RBI MASTER CIRCULAR.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in paragraph 41 (3) of Annex I of the RBI MASTER CIRCULAR) under AFS.

- (b) AFS securities would inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

6.1.3 FVTPL

- a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL. These would inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
 - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches would need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion explained in clause 6.1(c) of the RBI MASTER CIRCULAR.

6.1.4 HFT

Classification of investments under HFT within FVTPL is in compliance with the requirements specified in the RBI Master Circular.

6.1.5 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

6.2 Initial Recognition:

- 6.2.1 All investments is measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.

Situations where the presumption is tested include where:

- a) The transaction is between related parties.
- b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

- 6.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted is the fair value for initial recognition purposes.

- 6.2.3 Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs

(such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

6.2.4 Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognised immediately.

6.2.5 Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

6.3 Subsequent Measurement

6.3.1 HTM

- (a) Securities held in HTM is carried at cost and would not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in Chapter X of these Directions.
- (b) Any discount or premium on the securities under HTM is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

6.3.2 AFS

- (a) The securities held in AFS is fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account.

- (c) Securities under AFS is subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in Chapter X of the RBI MASTER CIRCULAR.
- (d) The AFS-Reserve is reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 87 of the RBI MASTER CIRCULAR. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve would not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- (e) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- (f) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments would not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss is transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

6.3.3 FVTPL

- (a) The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (c) Securities under FVTPL is subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in the RBI MASTER DIRECTION.

6.3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- (a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures is held at



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

acquisition cost, subject to the requirements of the RBI MASTER DIRECTION.

- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.
- (c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture is determined as under:
 - (i) Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is the revised carrying value.
 - (ii) Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve is reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
 - (iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.
- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments is reclassified to the respective category as under:
 - (i) Where the investment is reclassified into HTM, there is no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se is required.
 - (ii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.
- (f) Bank would evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:
 - (i) The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
 - (ii) The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
 - (iii) The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
 - (iv) The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
 - (v) There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant is interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of Board, may apply even more conservative thresholds.
 - (vi) Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.

In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved breakeven within the gestation period as originally envisaged.

- (g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank would obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution is provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

6.4 Reclassifications between categories

Wherever the bank reclassifies investments from one category to another category, it shall apply the accounting treatment as given in the Table below subject to the approval of the Board & DOS of RBI.

No.	From	To	Accounting Treatment
a		AFS	The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value is recognised in AFS-Reserve.
b	HTM	FVTPL	The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments is recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve is withdrawn therefrom and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. Thus, the revised carrying value is the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.

d	AFS	FVTPL	The investments would continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS Reserve is withdrawn therefrom and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
e		HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
f	FVTPL	AFS	

6.5 Sale of investments

6.5.1 Any sales from HTM is as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM is disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in Annex II of Master directions of RBI dated 12th September 2023.

6.5.2 In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM would not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold would require prior approval from DoS, RBI.

6.5.3 Sales of securities in the situations given below is excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in clause 20 of the RBI master directions:

- Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
- Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.
- Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
- Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
- Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- Sale of securities as part of a resolution plan



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.

- g) Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

6.5.4 Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of investments in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

6.5.5 Valuation of securities is arrived at as follows:

A	Govt. of India Securities (Central Govt. Securities)	As per Quotation put out by Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL)
B	State Development Loans, State Govt. Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA Guidelines
C	Equity Shares	As per Market rates, if quoted, otherwise at break-up value, as per latest audited balance sheet (not more than 18 months old). In absence of both, at ₹ 1/- per company. The break-up value is computed excluding revaluation reserve.
D	Preference Shares	As per Market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.

E	Debentures/ Bonds	As per Market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
F	Mutual Funds (MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
G	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
H	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
I	Security Receipts	Valuation of the same is done as per RBI Guidelines on classification, valuation and operation of Investment portfolio of commercial Banks (RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MGR.42/21.04.141/2021-22) dated Aug 25, 2021 and as amended from time to time. "Government Guaranteed Security Receipts (SRs) was valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments as per RBI Circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR. REC. 72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025 and as amended from time to time".

6.5.6 Interbank/RBI Repo and Interbank/ RBI Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

6.5.7 Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

6.5.8 Brokerage and STT paid on purchase and sale of Equity is accounted on pricing.

6.5.9 The Bank is following weighted average Price (WAP) for accounting of investment portfolio.

6.5.10 As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6.6 Non-Performing Investments (NPI)

a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances is used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI would only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.

I. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

II. Sub-clause (a)(i) above would apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it is treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year is reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.

III. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with clause 26.3 of the RBI MASTER CIRCULAR, those equity shares is reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

IV. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation would not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

V. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments is classified in the same asset classification category as the loan and provision is made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment is categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the requirements of Chapter III of the RBI MASTER CIRCULAR.

b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.

c) Bank would not accrue any income on NPIs. Income is recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security is ignored.

d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment would always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI is the higher of the following amounts:

I. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and

II. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation is required over and above the provision for NPI as specified above.



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses is transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised is reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
 - I. Investments in Central Government Securities and State Government Securities would not be classified as NPI.
 - II. Investments in Central Government guaranteed securities would also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, bank would continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income is recognised only on realisation basis.
 - III. Investment in State Government guaranteed securities, would attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.
- g) NPI appropriation process remains unchanged.

6.7 Investment Fluctuation Reserve

- a) Bank would create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - I. Net profit on sale of investments during the year.
 - II. Net profit for the year, less mandatory appropriations.

- b) IFR is eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.
- c) Bank would, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- d) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down is permitted subject to the following conditions:
 - I. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.
 - II. The amount drawn down would not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

6.8 Derivatives

- 6.8.1 Bank would comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 of the said Guidance Note. Bank would present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.
- 6.8.2 Bank would categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in Clause 4 of the RBI MASTER CIRCULAR and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements as per template specified in disclosure template.
- 6.8.3 Bank would not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account is deducted from CET 1 capital.

7. Advances

- i) Advances in India, are classified under four categories, i.e.
- (a) Standard,
 - (b) Sub-standard,
 - (c) Doubtful and
 - (d) Loss assets.

Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of RBI Master Directions RBI/2025-2026/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025. In respect of foreign offices, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

- ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/ Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.
- iii) The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances. Standard Assets provision to be made as per RBI Master Directions RBI/2025-2026/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 and any subsequent circular issued from time to time.
- iv) Amounts recovered against debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.
- v) Provision on Suspense accounts entries outstanding for more than six months are made at 100% except the claim receivable from Govt./Govt. Bodies like Interest Subsidy on crop loan/export advance, Pension receivable etc.

8. Property, Plant and Equipment

- i) Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and

rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The Bank revalues immovable assets at every three years. The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Revenue Reserve. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

- ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight-Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

S. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
1	Immovable Property- Land	Not stipulated; accordingly, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both Residential & Non-residential)	60	1.67
3	Furniture	10	10.00
4	Fixtures	10	10.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00
6	Split & Window Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installation and equipments	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

S. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motorcycles, Scooters & other mopeds	10	10.00
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile Phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment/ Appliances,	5	20.00
17	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
18	ATM & allied items	5	20.00
19	UPS & allied items	5	20.00
20	Servers & Networks	6	16.66
21	End user devices such as desktops, laptops, i-pads, tablets, printer & Scanner, digital watches etc.	3	33.33
22.	SDV lockers, Strong Room door, Cash Safe etc. (Along with Fixtures).	20	5.00
23.	Furniture including Items provided to staff (Furniture/ Electrical and etc.)	5	20.00

- iii) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

- iv) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.
- v) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

- a) Integral Operations and
- b) Non-Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non-Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

a) Translation in respect of Integral Operations

- i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year
- iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.
- v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Operations

- i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
- ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12. Employee Benefits

A. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the services are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

B. The Short-term employee benefits in the nature of Performance based Rewards are recognized as expenses in the year of award.

Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% of their basic pay plus dearness allowance as contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into



**Significant Accounting Policy for 2025-26
on Consolidated Basis**

- a) Treasury Operations,
- b) Corporate and Wholesale Banking,
- c) Retail Banking Operations and (w/w Digital Banking Segment)
- d) Other Banking Operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings Per Share

The Bank reports the basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16. Taxation

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by the ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income is available against which such Deferred Tax Assets is realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with AS-29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of

a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits is required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

A disclosure of contingent liability is made when there is;

- a possible obligation arising from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not within the control of the Bank; or
- a present obligation arising from a past event which is not recognised as it is not probable that an outflow of resources is required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets, if any, are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account in terms of Section 52 of the Companies Act, 2013.

19. Cash Flow Statements:

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

- A. Cash flow from Operating Activities: This activity includes cash flow generated by or used in Operational activities.
- B. Cash Flow from Investing Activities: This activity includes cash flow generated by or used in investing activities.
- C. Cash Flow from Financing Activities: This activity includes the cash flow generated by or used in financing activities.
- D. Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS (CONSOLIDATED)

- 1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Particulars	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2026
Union Asset Management Company Private Limited	India	100%
Union Trustee Company Private Limited	India	100%
Union Bank of India UK Limited	United Kingdom	100%
Andhra Bank Financial Services Limited	India	100%
UBI Services Ltd	India	100%

- 2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Particulars	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2026
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited (Non- Banking)	India	25.10%
ASREC (India) Ltd	India	26.02%
India International Bank (MALAYSIA) BHD, (Discontinued w.e.f. 6 th November 2025).	India	25.00%

- 3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Particulars	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2026
Andhra Pradesh Grameena Bank	India	35%

- 4 The value of the investment made by Bank in Subsidiaries, Joint ventures and Associates is ₹ 1,621.45 Crore (PY 2024-25 ₹ 1,671.05 Crore) as on 31st March 2026 which is treated as long term investment.
- 5 Central Government vide Gazette Notification no. CG-DL-E07042025-262339 dated April 07,2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank (Sponsored by Union Bank of India), Andhra Pragathi Grameena Bank (Sponsored by Canara Bank), Saptagiri Grameena Bank (Sponsored by Indian Bank) and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Sponsored by State Bank of India) into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsor of Union Bank of India.
- Accordingly, Chaitanya Godavari Grameena Bank, sponsored by our bank amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank (with Union Bank of India as the sponsor bank) w.e.f. May 01 ,2025.
- 6 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2026 except for India International Bank (Malaysia) BHD for 06th November 2025 (India International Bank (Malaysia) BHD has been discontinued w.e.f. 6th November 2025).
- 7 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Union Asset Management Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited, Andhra Bank Financial Services Limited for the financial year ended 31.03.2026, India International Bank (Malaysia) BHD for the period upto its existence i.e 06th Nov 2025 and unaudited financials of ASREC(INDIA) Limited, Union Trustee Company Private Limited, Andhra Pradesh Grameena Bank, Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, UBI Services LTD for the financial year ended 31.03.2026.

**Schedule 18 - Notes to Accounts**

- 8 Suspense Accounts, Sundry Deposits etc., and Inter Office Accounts between branches, controlling offices, Head Office and any other establishments are being reconciled on an ongoing basis and Management is of the opinion that, there is no material effect on the profit and loss account of the current year.

9 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

9.1 Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till Oct. 1, 2021. As per RBI Guidelines, Basel III has been completely implemented from Oct. 1, 2021. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I Capital (AT 1).

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% and minimum Tier I CRAR of 9.50% (both inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) as at March 31, 2026.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
i.	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions)	1,25,535.24	1,06,203.65
ii.	Additional Tier 1 capital	7,121.13	8,871.18
iii.	Tier 1 capital (i + ii)	1,32,656.37	1,15,074.83
iv.	Tier 2 capital	11,201.54	12,489.05
v.	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1,43,857.91	1,27,563.88
vi.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	7,66,098.83	7,07,869.38
vii.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	16.39	15.00
viii.	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	17.32	16.26
ix.	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.46	1.76
x.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.78	18.02
xi.	Leverage Ratio	7.72	7.03
xii.	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government c) Sponsor Bank	74.76	74.76
xiii.	Amount of paid-up equity capital raised during the year	--	--
xiv.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: a. Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares b. Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	--	--
xv.	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which a. Perpetual Cumulative Preference Shares b. Redeemable Non-Cumulative Preference Shares c. Basel III compliant Redeemable Non-convertible Tier 2 Bonds	-- -- --	-- -- --

9.2 Provision & Contingencies

Break up of Provision & Contingencies. debited to Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision / (Reversal) for NPI on Investment	127.28	(95.96)
Provision towards NPA	2,327.37	7,426.40
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	1,145.16	81.47
Net Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax assets (DTA)	5,503.87	5,502.71
Other Provision and Contingencies	832.15	365.95
TOTAL	9,935.83	13,280.58

9.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Opening Balance	--	--
ii. Additional provisions made during the accounting year	--	--
iii. Amount of drawdown made during the accounting year	--	--
iv. Closing balance	--	--

10 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED) (Parent Bank)

10.1 Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

10.2 Long Term Employee Benefits:

10.2.1 Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Protean eGov Technologies Limited (earlier known as National Securities Depository Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2025-26, the Bank has contributed Rs 767.52 crores (Previous Year Rs.704.53 crore) to NPS.

10.2.2 Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

**Schedule 18 – Notes to Accounts****Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:**

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2026.

(₹ in Crore)

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation as at 1st April	33,363.67	31,555.91	3,981.38	3,602.00
Interest Cost	2,352.14	2,284.65	272.72	259.70
Current Service Cost	241.81	242.52	212.41	227.54
Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	-	--	-	--
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	--	-	--
Liability Transfer in	-	--	-	--
Liability Transfer out	-	--	-	--
Benefit paid	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
Actuarial (Gain)/loss on obligation –due to change				
In the financial assumption	(2,699.80)	572.70	(377.77)	143.13
in demographic assumption	2,241.03	--	-	--
Actuarial (Gain) / Loss on obligations	1,759.08	1,275.89	310.24	76.74
Closing defined benefit obligation as at 31st March	34,675.04	33,363.67	4,140.09	3,981.38
Table of Fair value of Plan Assets:				
Opening fair value of plan assets as at 1st April	33,346.51	31,140.21	3,994.75	3,457.68
Expected return on Plan Assets	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
Contributions	1,816.21	2,240.99	461.61	574.37
Transfer from Other Company	-	--	-	--
Transfer to Other Company	-	--	-	--
Benefit paid	(2,582.89)	(2,568.00)	(258.89)	(327.73)
Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
Closing fair value of plan assets as at 31st March	34,844.97	33,346.51	4,447.17	3,994.75
Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	1,300.31	1,848.59	(67.53)	219.87
Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	85.79	(278.76)	23.94	(41.13)
Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
Recognition of Transitional Liability:				
Transitional Liability at 1st April	-	--	-	--
Transitional Liability recognized during the year	-	--	-	--
Transitional Liability at 31st March	-	--	-	--

(₹ in Crore)

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Actual return on Plan Assets:				
Expected Return on Plan Assets	2,350.93	2,254.55	273.64	249.30
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(85.79)	278.76	(23.94)	41.13
Actual return on Plan Assets	2,265.14	2,533.31	249.70	290.43
Expenses recognized in the Income Statement:				
Current Service Cost	241.81	242.52	212.41	227.54
Interest Cost	1.21	30.10	(0.92)	10.40
Expected Return on Plan Assets	-	--	-	--
Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	-	--	-	--
Past Service Cost (Vested Benefit) recognized (1/5 of enhanced family pension)	-	--	-	--
Recognition of Transition Liability	-	--	-	--
Actuarial (Gain) or Loss	1,386.10	1,569.83	(43.59)	178.74
Expenses Recognized in P & L	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
Balance Sheet Reconciliation:				
Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	17.16	415.70	(13.37)	144.32
Expenses as above	1,629.12	1,842.45	167.90	416.68
Transfer from other Company (Net)	-	--	-	--
Transfer to other Company (Net)	-	--	-	--
(Employer Contribution)	(1,816.21)	(2,240.99)	(461.61)	(574.37)
Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	(169.93)	17.16	(307.08)	(13.37)
Other Details:				

Service of thirty-three years will qualify for the full Pension of 50%. In the case of an employee who has put in less than thirty-three years of service, pension will be payable on proportionate basis for the number of years of qualifying service.

Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹ 20,00,000 or as per the Bank scheme.

Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.

Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.

No. of Members	16,199	17,644	73,895	73,945
Salary Per Month	177.36	183.07	655.07	621.38
Contribution for next year	61.38	258.97	-	199.04



Schedule 18 - Notes to Accounts

(₹ in Crore)

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Category of assets:				
Government of India Assets	581.75	474.05	62.38	27.95
Corporate Bonds/FDR	3,621.52	3,408.03	559.50	445.02
Special Deposits Scheme	--	--	-	--
State Govt.	4,528.03	4,467.59	667.25	594.51
Property	--	--	-	--
Other	3,427.92	3,033.58	395.95	424.69
Insurer Managed Funds*	22,685.75	21,963.26	2,762.10	2,502.58
Mutual Fund	--	--	-	--
Total	34,844.97	33,346.51	4,447.18	3,994.75

*Note: Return on investments in LIC is 8.048% & other insurance companies is expected at 7.50% while arriving Pension liability and Gratuity liability at the Fair Value of Plan Assets for the FY 2025-26.

(₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plans				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Liability at the end of the year	4,140.09	3,981.38	3,602.00	3,225.86	3,197.81
Fair value of Plan Assets at the end of the year	4,447.18	3,994.75	3,457.68	3,262.35	3,367.60
Difference	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79
Unrecognized Past Service Cost	--	--	--	--	--
Unrecognized Transition Liability	--	--	--	--	--
Amount Recognized in the Balance Sheet	307.08	13.37	(144.32)	36.49	169.79

(₹ in Crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plans				
Experience Adjustment	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
On plan liability (Gain) / Loss	310.24	76.74	179.70	29.55	30.86
On plan Assets (Loss) / Gain	(23.94)	41.13	29.34	(17.33)	53.31

(₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension Plans				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Liability at the end of the year	34,675.04	33,363.67	31,555.91	29,170.59	28,650.99
Fair value of Plan Assets at the end of the year	34,844.97	33,346.51	31,140.21	28,754.24	27,043.50
Difference	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)
Unrecognized Past Service Cost	--	--	--	--	1,521.62
Unrecognized Transition Liability	--	--	--	--	--
Amount Recognized in the Balance Sheet	169.93	(17.16)	(415.70)	(416.35)	(85.87)

(₹ in Crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension Plans				
Experience Adjustment	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
On plan liability (Gain) / Loss	1,759.08	1,275.89	4,334.44	614.25	2,452.27
On plan Assets (Loss) / Gain	(85.79)	278.76	423.97	49.96	266.31

(₹ in Crore)

Principal actuarial assumption used (%)	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Discount Rate Prev.	6.85	7.05	7.21	7.24
Rate of return on Plan Assets Prev.	6.85	7.05	7.21	7.24
Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
Discount Rate Current	7.67	7.87	6.85	7.05
Rate of Return on Plan Assets Current	7.67	7.87	6.85	7.05
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

10.3 Other Long-Term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long-Term Employees Benefits during the year are as follows: (₹ in Crore)

Other Long-Term Benefits	FY 2025-26	FY 2024-25
Pension	--	--
Leave Travel Concession	24.92	0.33
Leave Encashment	157.88	343.33
Sick Leave Provision*	274.76	281.10

*Sick Leave provision is on prudential basis though there is no pay-out.

10.4 In terms of RBI circular no. RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 November 28, 2025 (Updated from time to time), the following are the details:

- In case of Other Liabilities and Provisions, any item under the head "Others (including provisions)" exceeds one per cent of the total assets,
- In case of Other Assets, any item under the head "Others" exceeds one per cent of the total assets,
- In case of Other Income, any item under the head "Miscellaneous Income" exceeds one per cent of the total income,
- In case of Operating Expenses, any item under the head "Other expenditure" exceeds one per cent of the total income,



Schedule 18 - Notes to Accounts

(₹ in Crore)

Schedule	Item under the Sub Head	₹ in Crore	% of Total Income/ Assets as applicable
Schedule 5 - Other liabilities and provisions (III- Others (including provision))	-	-	-
Schedule 11 - Other assets (VI- others)	-	-	-
Schedule 14 - Other Income (VII Miscellaneous Income)	Processing Charges for Advances	1,753	1.37%
	Recovery in Write-Off	3,997	3.11%
	Income on Income tax refund	1,622	1.26%
Schedule 16 - Operating Expenses (XII Other expenditure)	-	--	--

11 SEGMENT REPORTING (AS-17)

11.1. Business Segments:

(₹ in Crore)

Business Segment	Consolidated	
	Year Ended	
	(Audited)	(Audited)
	FY 2025-26	FY 2024-25
A. Segment Revenue		
1. Treasury Operations	30,107.49	31,031.42
2. Retail Banking Operations	47,573.99	45,091.87
(a) Digital Banking Operations	982.42	963.55
(b) Other Retail Banking Operations	46,591.57	44,128.32
3. Corporate /Wholesale Banking	44,378.58	46,021.85
4. Other Banking Operations	1,745.07	2,464.34
5. Unallocated	4,594.38	3,552.74
Total Segment Revenue	1,28,399.51	1,28,162.22
Less Inter-segment Revenue	-	-
Income from operations	1,28,399.51	1,28,162.22
B. Segment Results		
1. Treasury Operations	5,682.63	4,603.07
2. Retail Banking Operations	9,251.22	9,341.56
(a) Digital Banking Operations	675.48	739.14
(b) Other Retail Banking Operations	8,575.74	8,602.42
3. Corporate Banking	6,734.98	7,078.51
4. Other Banking Operations	890.33	1,343.55
5. Unallocated	1,725.34	1,057.19
Total Profit/(Loss) Before Tax	24,284.50	23,423.88

(₹ in Crore)

Business Segment	Consolidated	
	Year Ended	
	(Audited)	(Audited)
	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision for Tax	5,503.88	5,502.71
Net Profit/(Loss) after Tax	18,780.62	17,921.17
Add: Share of Profit in Associate	649.58	105.79
Consolidated Net Profit /(Loss)	19,430.20	18026.96
C. Segment Assets		
1. Treasury Operations	4,64,486.77	4,96,469.55
2. Retail Banking Operations	5,07,430.94	4,57,840.87
(a) Digital Banking Operations	5,187.80	3,228.60
(b) Other Retail Banking Operations	5,02,243.14	4,54,612.27
3. Corporate/Wholesale Banking	5,68,606.22	5,15,026.76
4. Other Banking Operations	-	-
5. Unallocated	46,978.77	41,992.24
Total	15,87,502.69	15,11,329.42
D. Segment Liabilities		
1. Treasury Operations	4,26,432.03	4,59,073.45
2. Retail Banking Operations	4,65,857.84	4,23,354.43
(a) Digital Banking Operations	4,762.77	2,985.40
(b) Other Retail Banking Operations	4,61,095.07	4,20,369.03
3. Corporate/Wholesale Banking	5,22,021.11	4,76,232.87
4. Other Banking Operations	-	-
5. Unallocated	39,640.42	38,834.59
Total	14,53,951.40	13,97,495.34



Schedule 18 – Notes to Accounts

(₹ in Crore)

Business Segment	Consolidated	
	Year Ended	
	(Audited)	(Audited)
	FY 2025-26	FY 2024-25
E. Capital Employed		
1. Treasury Operations	38,054.74	37,396.10
2. Retail Banking Operations	41,573.10	34,486.43
(a) Digital Banking Operations	425.03	243.19
(b) Other Retail Banking Operations	41,148.07	34,243.24
3. Corporate/Wholesale Banking	46,585.10	38,793.90
4. Other Banking Operations	-	-
5. Unallocated	7,338.35	3,157.65
Total	1,33,551.29	1,13,834.08

Notes:

- The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters of foreign branches for the period are within the threshold limits stipulated as per AS-17 and hence the bank has only one reportable segment.
- The Bank has disclosed 'Digital Banking' as a sub-segment of the Retail Banking segment as required by RBI guidelines.
- Segment wise income and expenditure which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
- Segment Liabilities and Segment Capital are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
- Figure of previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary.

12 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18) (Parent Bank)**12.1 List of Related Parties****a) Subsidiaries**

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Pvt. Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.
- Andhra Bank Financial Services Ltd.
- UBI Services Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
- ASREC (India) Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Berhad (till 06.11.2025).

c) Associate

- Andhra Pradesh Grameena Bank

12.2 Key Management Personnel

(₹ in Crore)

Name	Designation	Remuneration paid for the Year ended 31st March 2026
Shri. Asheesh Pandey	Managing Director & CEO (from 30.09.2025)	0.22
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	0.45
Shri Ramasubramanian S	Executive Director	0.56
Shri Sanjay Rudra	Executive Director	0.37
Shri Amresh Prasad	Executive Director (from 24.11.2025)	0.16
Ms. A. Manimekhalai	Managing Director & CEO (till 02.06.2025)	0.08
Shri Pankaj Dwivedi	Executive Director (till 24.06.2025)	0.09

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 6 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

As per the RBI Master Direction, KMPs are construed to be the Whole Time Directors of the Bank.

13 CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI) (i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/ out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively. During the year, certain contingent liabilities were reclassified as contra items in accordance with the Bank’s review and reporting framework.”

14 EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of Equity shares at the beginning of the year	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Number of Equity shares issued during the year	--	--
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607

**Schedule 18 – Notes to Accounts**

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	7,63,36,05,607	7,63,36,05,607
Net Profit/(Loss) Rs. in Crore	19,430.20	18,026.95
Basic Earnings per share (Rs.)	25.45	23.62
Diluted Earnings per share (Rs)	25.45	23.62
Nominal Value per share (Rs)	10	10

15 PROVISION FOR TAXES:**Deferred Tax (AS-22)**

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Deferred Tax Assets			
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	598.98	559.46
2	Depreciation on Fixed Assets	301.63	311.32
3	Provision for non-performing Assets	4,270.51	4,270.51
4	AFS Reserves on Securities	267.91	(11.20)
5	Other Provisions	251.08	269.02
6	Specific Standard Assets	893.12	445.97
Total		6,583.23	5,845.08
Deferred Tax Liabilities			
1	Accrued interest on securities	881.26	1,010.69
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	2,077.79	2,008.68
3	Foreign Currency Translation Reserve	99.29	79.82
Total		3,058.34	3,099.19
Net Deferred Tax Asset		3,524.89	2,745.89

Direct Tax

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	5,503.88	5,502.71

16 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

Management has assessed at balance sheet date i.e. as on 31st March 2026 that whether there is any indication that any of the fixed asset to be impaired and no such asset is identified/found where condition of impairment is attached as specified in AS-28.

Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

The Management believes that there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

The figures of the previous year have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to current year classification. In cases where disclosure have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, Previous year figures have not been mentioned.

Signatories to Schedules 1 to 18

(Munish Kumar Chopra)
Dy. General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037ZQZQNN9672

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378KUFVPF2103

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169HBHZZRW7084

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007YUKADZ5499

Date: 23rd April 2026
Place: Mumbai



Consolidated Cash Flow Statement

For the year ended 31st March 2026

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit Before Tax	24,28,450	23,42,387
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	1,20,387	1,08,388
	Provision for Investments	(1,04,554)	(3,37,474)
	Provision for Non Performing Assets (Net)	2,32,737	7,30,849
	Provision for Standard Asset	1,98,094	5,544
	Provision for other items (Net)	(364)	51,522
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	(703)	(221)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,45,057	1,45,104
	Share of Profit in Associate	64,958	10,579
	Transfer to/from reserve	28,701	(1,79,054)
	Sub Total	31,12,763	28,77,624
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	34,96,995	50,19,538
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	10,32,932	7,06,100
	(Increase) / Decrease in Investments	23,36,856	(14,33,191)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,02,78,621)	(89,95,743)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(32,48,555)	(1,42,463)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(32,205)	(70,570)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(35,79,835)	(20,38,705)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(3,22,378)	(1,66,759)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	19,126	2,165
	(Increase)/ Decrease in Investment in Subsidiary/Associates	(4,04,273)	(24,383)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(7,07,525)	(1,88,977)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Proceeds from Issue of Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company Including Share Premium (Net)	-	-
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	-	-
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,00,000	-
	Repayments of Capital Instruments	(2,70,500)	-

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	12,51,045	38,01,815
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,45,057)	(1,45,104)
	Dividend paid during the year	(3,62,596)	(2,74,810)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	7,72,892	33,81,901
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	(35,14,468)	11,54,219
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	1,31,18,803	1,19,64,584
	Net cash and cash equivalents at the end of the Year	96,04,335	1,31,18,803
	COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	89,50,850	52,90,154
	Balances with Banks and Money at call and short notice	41,67,953	66,74,430
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,31,18,803	1,19,64,584
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	66,47,663	89,50,850
	Balances with Banks and Money at call and short notice	29,56,672	41,67,953
	Net cash and cash equivalents at the end of the Year	96,04,335	1,31,18,803

The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Previous Year figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Year ended classification/ presentation.

(Munish Kumar Chopra)
Deputy General Manager

(P Krishnan)
General Manager

(Dhirendra Jain)
Chief Financial Officer

For and on behalf of the Board of Directors

(Amresh Prasad)
Executive Director

(Sanjay Rudra)
Executive Director

(Ramasubramanian S)
Executive Director

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

(Asheesh Pandey)
Managing Director & CEO

(Rohan Chand Thakur)
Director

(Prakash Baliarsingh)
Director

(Priti Jay Rao)
Director

(Prakash Chandra Kandpal)
Director

As per our report of even date

For P Chandrasekar LLP
Chartered Accountants
FRN 000580S/S200066

For V K Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

For Chhajed & Doshi
Chartered Accountants
FRN 101794W

For G S Mathur & Co
Chartered Accountants
FRN 008744N

CA P. Chandrasekaran
Partner
Membership No. 026037
UDIN: 26026037ZQZQNN9672

CA Ashok Kumar Dangaich
Partner
Membership No. 071378
UDIN: 26071378KUFVPF2103

CA Nitesh Jain
Partner
Membership No. 136169
UDIN: 26136169HBHZZRW7084

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
Membership No. 091007
UDIN: 26091007YUKADZ5499

Date: 23rd April 2026

Place: Mumbai



Disclosures under Basel III

Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations RBI/2025-26/08 DOR.CAP. REC.2/21.06.201/2025-26 dated 1 April,2025 as amended, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link:

<https://www.unionbankofindia.bank.in/pdf/BASEL-Pillar-III-Disclosure-for-March-2026.pdf>



Business Responsibility and Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report as required by SEBI has hosted on the website of the Bank that is www.unionbankofindia.co.in Any member interested in obtaining physical copy of the same may write to Company Secretary of the Bank.



INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

To,
The Board of Directors of
Union Bank of India,
Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point,
Mumbai – 400021, India.

Union Bank of India (hereinafter referred to as "UBI" or Reporting Organization) engaged TUV India Private Limited (TUVI) to perform an independent external assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report (hereinafter referred to as "the BRSR") Core disclosures. UBI developed the Annual Report, which also contains the disclosures of BRSR Core ("the 09 attributes") for the period April 01, 2025, to March 31, 2026. The following frameworks and guidelines have been referred to during the assurance process:

- The Industry Standards on Reporting of BRSR Core, as per SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20 December 2024;*
- SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562, dated 10 May 2021;*
- The SEBI notification SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131, dated 14 June 2023, related to BRSR reporting requirements;*
- The BRSR Core – Framework for Assurance and ESG Disclosures for the Value Chain, as stipulated by SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12 July 2023;*

The assurance engagement for BRSR Core disclosures was conducted with reasonable assurance engagement, following the requirements of International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised).

Management's Responsibility

UBI developed its sustainability information, forming part of the Annual Report (based on BRSR framework) and holds full responsibility for the collection, analysis, preparation, and disclosure of the information presented in the Annual Report, including its availability in both web-based and printed formats. This responsibility also extends to the maintenance and integrity of the website where the Annual Report is published. Management is responsible for ensuring the disclosed data is accurate, reliable, and free from material misstatements, as per the BRSR criteria. Additionally, UBI is responsible for the archiving and reproduction of the disclosed information and for ensuring that such data is made available to relevant stakeholders and regulatory authorities upon request. The Reporting Organization is responsible for complying with applicable laws.

Scope and Boundary

The scope of this assurance engagement conducted by TUVI covered the verification of BRSR core disclosures made by UBI in its Annual Report. The Annual Report represents key disclosures related to the organization's Environmental, Social, and Governance (ESG) performance, as mandated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The assurance engagement included the following activities:

- Review of General Disclosures, Management and Process Disclosures, and UBI's responses to all nine attributes specified under Annexure I – Format of BRSR Core, as disclosed in the BRSR;
- Assessment of the quality, clarity, and completeness of the reported information; and Verification of supporting evidence on a sample basis, involving: Reasonable assurance for the nine attributes as per the BRSR Core framework.

This approach ensured an assessment aligned with the principles of ISAE 3000 (Revised), providing an independent and objective evaluation of the reliability and accuracy of UBI's ESG disclosures.

TUVI has verified the below [09 attributes as per Annexure I – Format of BRSR Core](#) disclosed in the BRSR

Attributes	KPIs
Green-house gas (GHG) footprint	Total Scope 1 emissions (with breakup by type) - GHG (CO ₂ e) Emission in MT - Direct emissions from organization's owned- or controlled sources (estimated KPI)
	Total Scope 2 emissions in MT - Indirect emissions from the generation of energy that is purchased from a utility provider (estimated KPI)
	GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations - Calculated
	GHG Emission Intensity (Scope 1+2) - (Total Scope 1 and Scope 2 emissions (MT) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP - Calculated
Water footprint	Total water withdrawal by sources (in kL) (estimated KPI)
	Total water consumption (in kL) (estimated KPI)

www.tuv-nord.com/in

TÜV®

TÜVNORDGROUP

Attributes	KPIs
	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations – Calculated
	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated
	Water consumption intensity – Water Consumption (kL) / Product or Service – Calculated
	Water Discharge by destination and levels of Treatment (kL) – Reported NIL
Energy footprint	Total energy consumed in GJ (estimated KPI)
	% of energy consumed from renewable sources – In % terms (estimated KPI)
	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations – Calculated
	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Total Revenue from Operations adjusted for PPP – Calculated
	Energy intensity – energy consumed (GJ)/ Product or Service – Calculated
Embracing circularity - details related to waste management by the entity	Plastic waste (A) (MT) – Reported as NIL
	E-waste (B) (MT) – Reported
	Bio-medical waste (C) (MT) – Reported as NIL
	Battery waste (D) (MT) – Reported as NIL
	Other Hazardous waste (E)(MT) – Reported as NIL
	Other non-hazardous waste (F)(MT) – Reported as NIL
	Total waste generated (A + B + C + D + E + F) (MT)
	Waste intensity
	- MT /Revenue from Operations – Reported - MT /Revenue from Operations adjusted for PPP – Reported - MT /Product or Service – Reported
	Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (MT) – Reported
	Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (Intensity)
	✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (MT) – Reported as NIL
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (Intensity)
	✓ kg of Waste Recycled Recovered /Total Waste generated – Reported as NIL
Enhancing Employee Wellbeing and Safety	Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the company- In % terms – Reported
	Details of safety related incidents for employees and workers (including contract-workforce e.g. workers in the company's construction sites)
	1) Number of Permanent Disabilities – Reported as NIL
	2) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) – Reported
	3) No. of fatalities – Reported as NIL
Enabling Gender Diversity in Business	Gross wages paid to females as % of wages paid – In % terms
	Complaints on POSH
	1) Total Complaints on Sexual Harassment (POSH) – Reported
	2) Complaints on POSH as a % of female employees / workers – Reported
	3) Complaints on POSH upheld – Reported
Enabling Inclusive Development	Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/ small producers and from within India – In % terms – As % of total purchases by value is not Reported
	Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed in smaller towns (permanent or non-permanent /on contract) as % of total wage cost – In % terms – As % of total wage cost – Reported
Fairness in Engaging with Customers and Suppliers	Instances involving loss / breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events – In % terms – Reported as NIL
	Number of days of accounts payable – (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured – Reported as not applicable
Open-ness of business	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with
	1) Purchases from trading houses as % of total purchases
	2) Number of trading houses where purchases are made from
	3) Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses
	1) Sales to dealers / distributors as % of total sales
	2) Number of dealers / distributors to whom sales are made
	3) Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to

www.tuv-nord.com/in

Attributes	KPIs
	related parties: Reported as not applicable
	dealers/distributors Share of RPTs (as respective %age) in
	• Purchases
	• Sales
	• Loans & advances
	• Investments

Green-house gas (GHG) and Energy footprint

- Emissions from Fuel Consumption (Diesel, Petrol, CNG): Fuel consumption was estimated using a spend-based methodology. Where specific fuel types were not specified, average emission factors and fuel prices were applied based on a blended mix of diesel, petrol, and CNG. Fuel prices were sourced from BRSR Industry Standards 2024.
- Emissions from CO₂ Fire Extinguishers: All fire extinguishers were assumed to contain CO₂ (GWP = 1) with an average charge of 3 kg per cylinder.
- Emissions from Refrigerants: For leased properties, cooling tonnage was estimated based on total area and standard sq. ft. per ton assumptions. For 84 owned sites, tonnage was based on employee count per site. A refrigerant charge of 1.35 kg per ton of air conditioning was assumed.
- Emissions from Electricity Consumption (Scope 2): Electricity usage was calculated using a spend-based approach per BRSR Core guidelines. The unit price of electricity was used to derive total consumption in kWh, from which Scope 2 emissions were calculated.

Water footprint: The raw water consumption is estimated based on the per-day per-employee water consumption as per CWGA guidelines.

The reporting boundaries for the above attributes include all the branches and offices of UBI in India. An on-site verification was conducted at UBI Corporate Office, Union Bank Bhavan, Nariman Point, Mumbai on 13th, 14th and 15th May 2026. The assurance activities were carried out together with a desk review as per the reporting boundary.

Limitations

TUVI did not perform any assurance procedures on the prospective information disclosed in the Report, including targets, expectations, and ambitions. Consequently, TUVI draws no conclusion on the prospective information. During the assurance process, TUVI did not come across any limitation to the agreed scope of the assurance engagement. TUVI verified 09 attributes and corresponding KPIs independently, without reference to any ESG targets or goals set by UBI. TUVI has taken reference of the financial figures from the audited financial statements. UBI will be responsible for the appropriate application of the financial data. The application of this assurance statement is limited w.r.t [SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated Jul 12, 2023, and Industry Standards on Reporting of BRSR Core, circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, dated 20/12/2024](#). This assurance statement does not endorse any environmental and social claims (related to the product, manufacturing process, packaging, disposal of product, etc.) as well as advertisements by the reporting organization and shall not be used to support misleading environmental or social claims, including greenwashing-related representations. The reporting Organization is responsible for ensuring adherence to relevant laws. The assurance procedures are subject to inherent limitations, including the use of estimates, assumptions, sampling, and reliance on internal controls and data systems maintained by UBI. Accordingly, there is an unavoidable risk that material misstatements or omissions may not be detected, particularly where information is subject to estimation uncertainty or dependent on management judgments. The responsibility for the authenticity of the data is confirmed by UBI. Any reliance placed by any person or third party on disclosed KPIs is entirely at their own risk.

TUVI's Responsibility

TUVI's responsibility in relation to this engagement is to perform a reasonable level of BRSR Core Assurance of the Annual Report and to express a conclusion based on the work performed. Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of UBI's strategy, management of ESG-related issues or the sufficiency of the Report against BRSR reporting principles, other than those mentioned in the scope of the assurance. TUVI's responsibility regarding this verification is in reference to the agreed scope of work, which includes assurance of non-financial quantitative and qualitative information disclosed by UBI. Reporting Organization is responsible for archiving the related data for a reasonable time period. The primary intended user of this assurance statement is UBI; however, the client may use it at their own discretion in accordance with their specific requirements. This assurance engagement is based on the assumption that the data and information provided to TUVI by UBI are complete and true.

Assurance Methodology

During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, focusing verification efforts on disclosures and issues of high material relevance to UBI and its stakeholders. The objective was to assess the reliability and accuracy of the non-financial information disclosed, with emphasis on the robustness of data management systems, internal controls, and information flows. TUVI's assurance activities included:

- Document and Data Review
 - Examination of documents, datasets, and supporting evidence provided by UBI for the BRSR, covering all nine core attributes listed in Annexure I – Format of BRSR Core (non-financial disclosures).
 - Evaluation of disclosures related to Management Approach and performance indicators.

www.tuv-nord.com/in

TÜV®

TUVNORDGROUP

2. Stakeholder Interviews

- i. Conducted interviews with key representatives, including data owners, process managers, and decision-makers across various departments.
- ii. Reviewed UBI's approach to stakeholder engagement and materiality determination to validate qualitative statements included in the Annual Report.
- iii. Interviews were conducted through both onsite visits and remote assessments, as applicable.

3. Process and System Assessment

- i. Review of systems and processes for:
 - a) Implementing ESG and sustainability-related policies, as described in the BRSR; and
 - b) Collecting, managing, and reporting both quantitative data and qualitative information for the reporting period.
- ii. Assessment of the internal controls supporting data accuracy, traceability, and consistency.

4. Sampling Methodology: TUVI applied a risk-based sampling methodology to select representative samples of ESG disclosures, considering materiality thresholds, risk of misstatement, data complexity, estimation uncertainty, nature and scale of operations, and geographical spread of facilities. Sample selection prioritized locations with significant operational impact and KPIs with higher inherent risk, including those relevant to BRSR Core indicators. A materiality threshold of 5% (default as per TUV guidelines), determined with reference to the inherent estimation risk in environmental KPIs, the materiality of BRSR Core indicators to stakeholder decision-making, and the reasonable assurance level required under ISAE 3000, was applied to the selected samples for the verification of sustainability disclosures as applicable. Sites were selected based on proportionate contribution to total reported values, with the corporate office, Mumbai prioritized as the primary onsite location.

5. Reporting Framework Adherence: Verified UBI's adherence to reporting requirements under SEBI's BRSR guidelines.

Action Plan

UBI is in the process of developing an action plan for the following focus areas, which are well-aligned with the management's existing objectives and programs. These areas have already been identified by UBI, and the assurance team confirms their continued implementation to help advance the organization's sustainability goals.

1. UBI may consider enhancing internal data tracking through periodic cloud-based systems for improved monitoring.
2. Data collection for parameters such as waste disposal (paper, plastic, food, metal, oil, etc.) can be further improved through strengthened engagement with relevant vendors and service providers.
3. UBI may explore implementing a formal system for managing key resources such as emissions and water.

Conflict of Interest

TUVI confirms its independence and the absence of any conflict of interest in relation to this assurance engagement, in accordance with ISAE 3000 (Revised), SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12 July 2023, and the Industry Standards on Reporting of BRSR Core (SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated 20 December 2024). TUVI's independence framework is grounded in the IESBA Code of Ethics, adopting a threats-and-safeguards approach to identify and manage risks, including self-interest, self-review, advocacy, familiarity, and intimidation. Organizational safeguards include segregation of responsibilities, independent technical review, documented conflict-of-interest controls, and a quality management system consistent with ISQM 1 and ISO 17029:2019.

During the reporting period, TUVI confirms that:

- No consulting, advisory, system design, data preparation, or implementation services related to ESG or BRSR were provided to UBI;
- TUVI was not involved in the preparation or drafting of BRSR Core disclosures, development of ESG strategy or targets, design or implementation of ESG data management systems, calculation of GHG emissions inventories, internal audit of ESG data, or consulting on materiality assessment; and
- No relationships, affiliations, or financial interests exist that could compromise the objectivity, independence, or impartiality of TUVI's findings, conclusions, or recommendations.

TUVI solely provides verification and assurance services and maintained professional impartiality towards all personnel interviewed throughout this engagement.

Our Conclusion

In our opinion, and based on the scope of this assurance engagement, the disclosures related to the BRSR Core KPIs, described in the Annual report, along with the referenced information, have been prepared, in all material respects, in accordance with the applicable BRSR Core criteria, for the nine BRSR Core attributes, and meet the content and quality requirements of the BRSR framework.

TUVI affirms its competency to conduct this assurance engagement in alignment with SEBI guidelines. Our team brings relevant expertise in ESG verification, assurance methodologies, and regulatory standards. We uphold the principles of independence, apply robust assurance processes, and are committed to continuous improvement to ensure the delivery of reliable and credible assessments.

Disclosures: TUVI is of the view that the reported disclosures broadly align with the requirements of the BRSR framework. UBI has provided contextual information under the General Disclosures, while the Management and Process section

www.tuv-nord.com/in

outlines the organization's approach to managing each of the nine attributes specified in Annexure I – Format of BRSR Core.

Reasonable Assurance: As per SEBI's reasonable assurance requirements—including defined scope, assurance methodologies (such as risk-based approach and data validation techniques), conflict of interest mitigation, evidence documentation, and communication of findings—TUVI is well-positioned to effectively validate the accuracy and reliability of the information disclosed in the BRSR. This process supports stakeholder confidence and enhances transparency and credibility in ESG reporting practices.

UBI BRSR complies with the below requirements

1. **Governance, Leadership, and Oversight:** The report appropriately presents top management's messages, the business model supporting inclusive growth, environmental strategies, risk management, and organizational priorities.
2. **Connectivity of Information:** UBI has disclosed the nine attributes as per Annexure I of the BRSR Core, along with their interlinkages and dependencies that influence long-term value creation.
3. **Stakeholder Responsiveness:** The report outlines mechanisms for stakeholder engagement, addressing key concerns and informing strategic planning. It also reflects the organization's awareness and responsiveness to the legitimate interests of its stakeholders.
4. **Materiality:** Material issues and corresponding KPIs within the nine attributes are identified and reported in line with BRSR Core requirements.
5. **Conciseness:** The report maintains clarity and brevity while ensuring continuity and completeness of information across disclosures.
6. **Reliability and Completeness:** UBI has internal systems for data aggregation and validation. Data provided to TUVI was reviewed by the concerned authorities and verified on a sample basis, and was found to be transparently reported and free from material misstatement.
7. **Consistency and Comparability:** Information is consistently presented year-on-year, supporting reliable comparison and demonstrating adherence to this principle.

Independence and Code of Conduct: TUVI follows the IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) Code, which adopts a threats and safeguards approach to independence. We recognize the importance of maintaining independence in our engagements and actively manage threats such as self-interest, self-review, advocacy, and familiarity. The assessment team was safeguarded from any type of intimidation. By adhering to these principles, we uphold the trust and confidence of our clients and stakeholders. In line with the requirements of the SEBI [circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, dated 12/07/2023](#), TUVI confirms that there is no conflict of interest with UBI. TUVI solely focuses on delivering verification and assurance services and does not engage in the sale of services or the provision of any non-audit/non-assurance services, including consulting.

Quality control: The assurance team complies with quality control standards, ensuring that the engagement partner possesses requisite expertise and the assigned team collectively has the necessary competence to perform engagements in reference with standards and regulations. Assurance team follows the fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality and professional behavior. In accordance with International Standard on Quality Control, TUVI maintains a comprehensive system of quality control, including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Independence and Impartiality Statement

TUVI is an independent and neutral third-party provider of ESG assurance services, supported by a team of qualified environmental and social specialists. We affirm our independence and impartiality in conducting this assurance engagement and confirm that there is no conflict of interest with UBI. During the reporting period, TUVI did not undertake any assignments with UBI that could compromise the integrity, independence, or objectivity of our findings, conclusions, or observations. TUVI was not involved in the preparation of any content or data presented in the BRSR, other than this assurance statement. Throughout the assurance process, TUVI remained fully impartial and objective, including during all interviews conducted as part of the engagement.

For and on behalf of TUV India Private Limited



Manoj Kumar Borekar
Product Head – Sustainability Assurance Service
TUV India Private Limited



Date: 25/05/2026
Place: Mumbai, India
Project Reference No: 8123989000

www.tuv-nord.com/in

TÜV®

TUVNORDGROUP

GREEN INITIATIVE – APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to Register an email ID their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to

Send their consent by filling up and signing the Form ISR-1 together with relevant documents to our Registrar & Share Transfer Agent at their address Given hereunder:

KFin Technologies Limited Unit:
Union Bank of India
Selenium Tower B, Plot 31 & 32
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500032
Email: einward.ris@kfintech.com
Toll free: 1800 309 4001
Website: www.kfintech.com

The Said Form ISR-1 is available on the website of the Bank at: <https://www.unionbankofindia.co.in/en/common/shareholders-information>



QR Code is get Form ISR-1

Dividend Mandate:

Shareholder holding Share in Demat Accounts are requested to :

Furnish/update bank account details with the Depository participant, to receive dividend directly in the bank account

Shareholders holding Share in Physical form are requested to:

Furnish/update bank account details with our Registrar & Share Transfer Agent by filling the said Form ISR-1 together with relevant documents, to receive directly in the bank account

[illegible]

This is **Mr. Mohan Lal** and his most dependable business companion, Union **e-biz App**. From everyday payments and transfers to fast approvals, all in one place. It helps him stay on top of his business banking.



For MSMEs & businesses



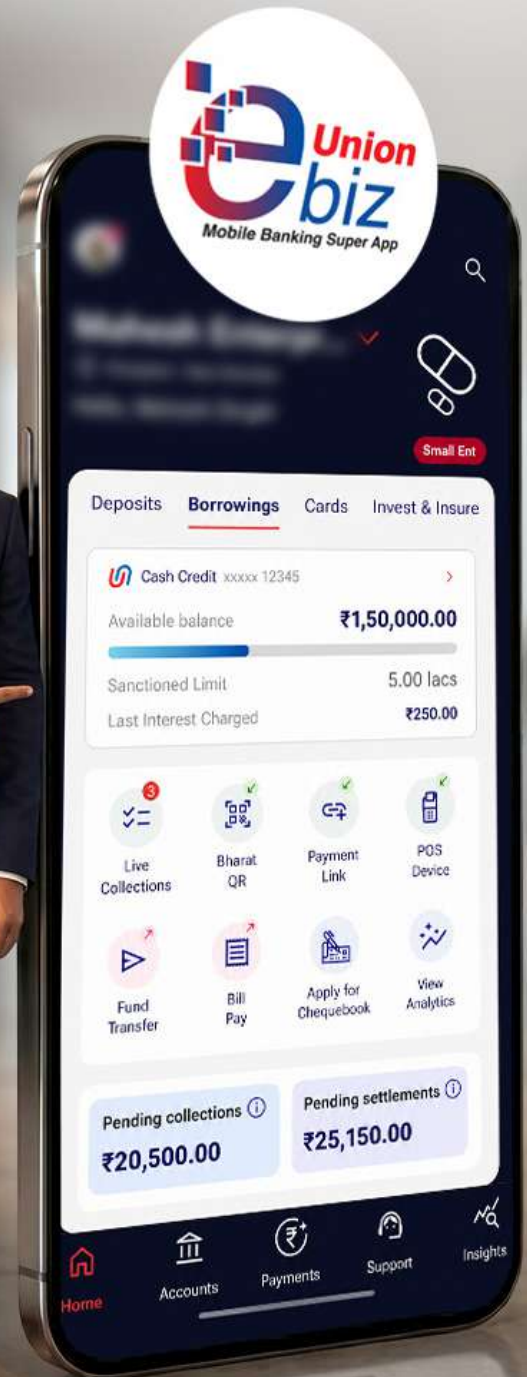
Real-time banking



Secure digital banking

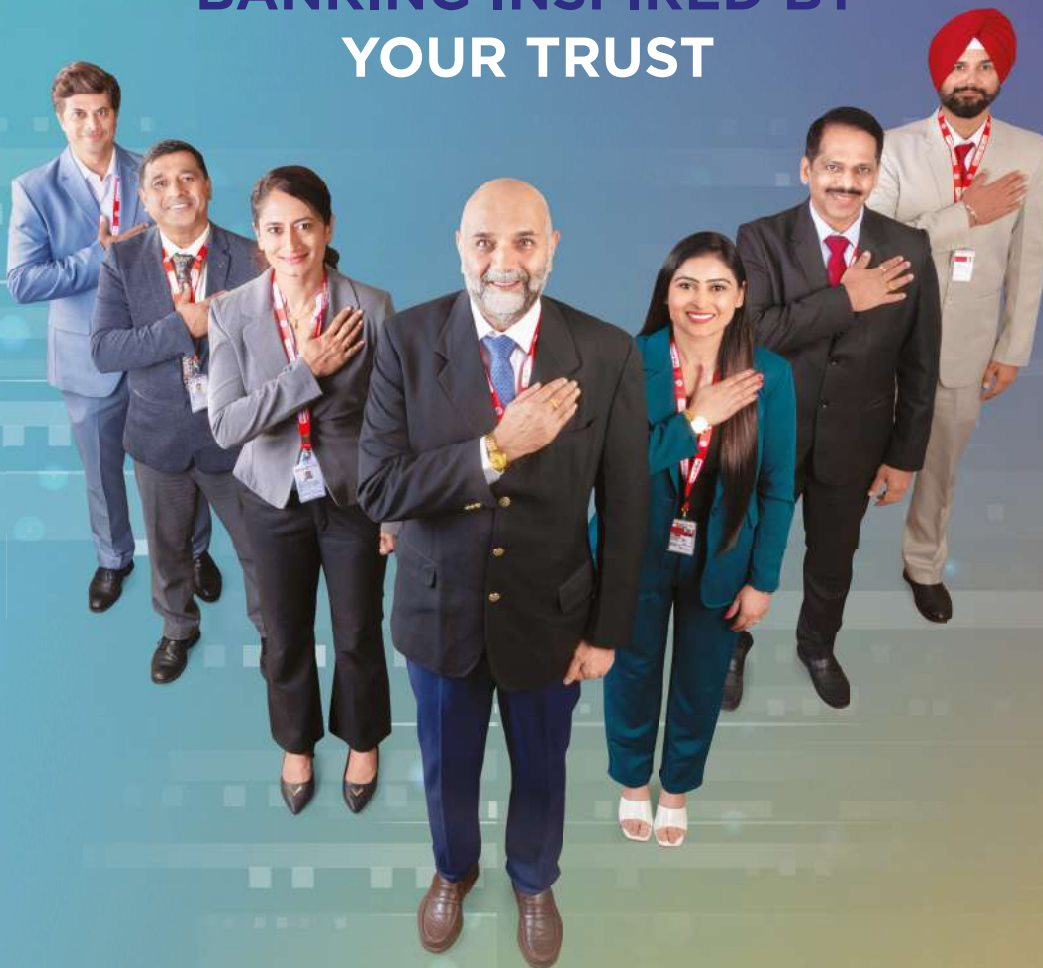


Simple, seamless & reliable



हम वही हैं

आपके भरोसे से प्रेरित बैंकिंग
**BANKING INSPIRED BY
YOUR TRUST**



नवोन्मेषी तकनीक, सशक्त विश्वास
Strengthening Trust with Innovative Technology

हेल्पलाइन नंबर / Helpline Nos.: 1800 2333 / 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555

9666606060 | www.unionbankofindia.bank.in



एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026

डाउनलोड करने हेतु क्यूआर कोड को स्कैन करें

Scan the QR Code to download
Integrated Annual Report 2025-2026

[f unionbankofindia](https://www.facebook.com/unionbankofindia) [X UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [ig unionbankinsta](https://www.instagram.com/unionbankinsta) [UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube) [in unionbankofindia](https://www.linkedin.com/company/unionbankofindia) [unionbankinsta](https://www.youtube.com/unionbankinsta)

अवांछित ईमेल से सतर्क रहे जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं

Be wary and cautious of unsolicited emails that demand immediate action